सर्वे भवन्तु सुखिनः

मानव अधिकार :

नई दिशाएं

अंक : 17, वर्ष : 2020

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत

मानव अधिकार : नई दिशाएं

अंक : 17, वर्ष : 2020

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत

jk"Vh; ekuo vf/kdkj vk;kx
मानव अधिकार भवन,
ब्लॉक–सी, जी. पी. ओ. कॉम्प्लेक्स,
आई. एन. ए., नई दिल्ली – 110023 भारत

© 2020 jk"Vh; ekuo vf/kdkj vk;kx] Hkkjr

ISSN : 0973-7588 ;| th lh&d;j dh x|.koÙkk if=dk dh lnHk lph e 'kkfey

eY; % ₹50@&

vLohdj.k % प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के निजी विचार हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, सलाहकार मण्डल या संपादक मण्डल का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

ÁkfIr LFkku % jk"Vh; ekuo vf/kdkj vk;kx
मानव अधिकार भवन,
ब्लॉक–सी, जी. पी. ओ. कॉम्प्लेक्स,
आई. एन. ए., नई दिल्ली – 110023 भारत
वेबसाईट : www.nhrc.nic.in
ई–मेल : covdnhrc@nic.in

jk"Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx] Hkkjr

lnL;
U;k;efrZ Jh ih- lh- iUr
Jherh T;ksfrdk dkyjk
Mk- Kkusu'oj eqys

egklfpo
Jh fcEck/kj Á/kku] vkbZ-,-,l-

jftLVªkj ¼fof/k½
Jh lqjthr Ms

lq;qDr lfpo ¼,- ,.M vkj-½
Jh vkj- ds- [k.Msyoky] vkbZ-,-,l-

lq;qDr lfpo ¼ih- ,.M Vh-½
Jherh vfurk flUgk] vkbZ-vkj-,l-

ekuo vf/kdkj % ubl fn’kk,¡
jk"Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx] Hkkjr

vad % 17 o"kZ % 2020

सलाहकार मण्डल

Mk- Kkus’oj eqys
माननीय सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

Jh fcack/kj Á/kku] vkbZ-,-,l-
महासचिव,
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

Jherh vfurk flUgk
संयुक्त सचिव (पी. एंड टी.)
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

Jh cyjkt flag ukxj
उप–सचिव
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

Jherh vtfy ldyku
सहायक निदेशक (राजभाषा)
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

Áks- eatqyk jk.kk
प्रोफेसर, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल
विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड

Jherh vpZuk uke tks’kh
कवयित्री, पुणे, महाराष्ट्र

Mk- ,- ds- feJk
प्रसिद्ध लेखक एवं
पूर्व उप–निदेशक, भारत सरकार

Mk- ek/koh lst;
प्रोफेसर, ज्योति महाविद्यालय,
बेलगांव, कर्नाटक

Mk- vuqt Jh/kju
असिस्टेंट प्रोफेसर,
तमिलनाडु नेशनल लॉ स्कूल, तमिलनाडु

Mk- tkje vku;k rkuk
असिस्टेंट प्रोफेसर, डी.एन.जी.सी.,
इटानगर, अरुणाचल प्रदेश

lEikd
Jherh vfurk flUgk

lg&lEikd
Jherh vtfy ldyku

lEiknu lg;ksx
Jh jkeLo:i ugjk

rduhdh lg;ksx ,oa dEI;Vjhdj.k
Jh ftrsUnz flag

ekuo vf/kdkj 'kiFk

e|--fu"Bkiold 'kiFk yrk@yrh g fd e Þekuo vf/kdkjkß vFkkr lfo/kku }kjk ÁR;kHkr vFkok l;Dr jk"V egklHkk }kjk vxh—r flfoy ,o jktuhfrd vf/kdkjk lc/kh vUrjjk"Vh; Álfonk] vkfFkd] lkekftd ,o lkL—frd vf/kdkjk lc/kh vUrjjk"Vh; Álfonk e lEefyr ÁR;d 0;fDr d thou] lekurk ,o xfjek l lcfèkr vf/kdkjk] tl Hkh dUn ljdkj d v/;kn'k }kjk le;≤ ij Hkkjr e U;k;ky;k }kjk Áorfuh; :i e fofufn"V gk] dk lo)u] lj{k.k ,o leFku d:xk@d:xhA

fd] viu dÙk0;k dk fuogu djr le;] e ekuo vf/kdkjk dh tkx#drk dk Ápkj&Álkj d:xk@d:xhA

fd] e viu lKku e vku oky] ykd lod }kjk fd, x, fdlh Hkh Ádkj d ekuo vf/kdkj mYy?ku vFkok ml d voÁj.k vFkok ,l mYy?ku dh jkdFkke e dh xbl ykijokgh d fo:) dkjokbl d:xk@d:xh rFkk@vFkok lc) Ákf/kdkjh dk lfpr d:xk@d:xhA

• • •

ekuo vf/kdkj % ubl fn’kk,¡

v¡d % 17 | o"kl % 2020

vuqØe

nks 'kCn
Mk- Kkus’oj eqys
सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

vkeq[k
Jh fcEck/kj Á/kku
महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

lEikndh;
Jherh vfurk flUgk
संयुक्त सचिव (पी. एंड टी.), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

[k.M&I

vkys[k

❖ dkjkuk dky dh Çgnh dforkvksa esa ekuokf/kdkj ds ç'u — 3&10
विजय कुमार भारती

❖ Hkkjr esa dkfoM&19 egkekjh dky esa LokLF; ds ekuokf/kdkj dk lja{k.k % ,d voyksdu — 11&31
सुदर्शन वर्मा

❖ dkjkuk dky % Hkkjrh; Áoklh Jfed vkSj ekuokf/kdkj — 32&38
विश्वास पटेल एवं तुहिना जौहरी

❖ dkjkuk dky esa iqfyl }kjk ekuo vf/kdkjksa dk laj{k.k ,oa lao/kZu — 39&48
अनुपम शर्मा

❖ ^y,d&Mkmu* ds nkSj esa fL=;ksa ds ekuokf/kdkj — 49&57
आकांक्षा

❖ dkfoM &19 egkekjh ds nkSjku Hkkjr esa çokfl;ksa Jfedksa ds ekuokf/kdkjksa dk mYya?ku 58&67
निम्मी

❖ e|fu"ks/k ,oa efgyk l'kfDrdj.k 68&74
अर्चना सौशिल्या

❖ dkjkxkj dky esa ekuo vf/kdkj vkSj fof/k 75&90
अशोक कुमार

❖ dkjkxkj dky esa ekuo vf/kdkj % fLFkfr ,oa pqukSfr;k¡ 91&102
अनीस अहमद एवं सुवेक सिंह चौहान

❖ dkfoM & 19 egkekjh ds nkSj esa ekuo vf/kdkjksa ds le{k mRiUu pqukSfr;k¡ 103&110
शिखा पुरोहित

❖ dkjkxkj dky ,oa iznokfl;ksa ds ekuokf/kdkj 111&119
अंकुर सिंह पंवार

❖ f'k{kk dk ekuo vf/kdkj ,oa dkjkxkjdky esa vkWuykbu f'k{kk i}fr% ,d flgkoyksdu 120&127
प्रीती सक्सेना

❖ dkfoM&19 egkekjh esa jk"Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx dh lfØ; Hkwfedk 128&141
डॉ. अनिला

❖ dkjkxkj dky esa ekuokf/kdkj% cxkjh] vkSj Hkw[k ls ij'kku Jfed oxZ ds vuqÙkfjr loky 142&151
संदीप भट्ट

❖ dkfoM&19 dky esa ekuokf/kdkj laj{k.k esa jkT; dh Hkwfedk 152&162
प्रदीप कुमार एवं रंजीत भारती

❖ Hkkjro"kZ esa ekuo vf/kdkj% ,d voyksdu 163&176
पुनीत कुमार एवं मंजुलता गर्ग

❖ ekuokf/kdkj] lkekftd U;k; ,oa Ik;kZoj.k laj{k.k% ,d ewY;kadu 177&191
मो. अजवर खान एवं रेशमा खातून

❖ i;koj.k ,o ekuo vf/kdkj % iokÙkj e t;fr;k igkfM;k d okfl;k d fo'k"k lnHk e ,d fo'y"k.kkRed v/;;u — 192&199
चन्दना सुबा

❖ dkjkuk&ldV d nkj e L=h ekuo vf/kdkjk ij vk?kkr — 200&205
मेनिका सिंह

❖ jkVh % ,d pukrhi.k ekuokf/kdkj — 206&212
अनुप कुमार

❖ leyfxd foe'k % ekuokf/kdkj dk loky — 213&225
सर्वेश कुमार

❖ dkjkuk egkekjh dk vljf{kr legk d ekuokf/kdkjk ,o mud lj{k.k ij ÁHkko — 226&237
प्रशान्त त्रिपाठी एवं प्रीती सक्सेना

❖ Lokr«Ùkkrj Hkkjr e ekuokf/kdkj dh mifYC/k;k — 238&249
मिथिलेश कुमार

❖ fu/kurk l efDr dh Lokr«;kRrj Hkkjrh; ;k=k % miyfC/k;k vkj pukfr;k — 250&258
प्रतिभा

❖ dkfoM 19 % tMj] çtuu LokLF; ,o U;k; dk ekuokf/kdkj — 259&265
सुप्रिया पाठक

[k.M&II

dfork,

❖ vk'kk dh fdj.k — 269&270
शशि कुमारी

❖ Hk[k — 271
रामचंद्र सिंह

❖ gkl yk — 272&273
प्रियंका पुरोहित

[k.M&III

vk;ksx ds egÙoi.kZ fu.kZ;ksa dh ltukRed ÁLrqfr

❖ Ekkr`lÙkk dk ig#vk — 277&278
इंदिरा दांगी

❖ dgh dkbZ j{kd gS — 279&281
इंदिरा दांगी

❖ lMd ,d 'kqHkdkeuk gS — 282&283
इंदिरा दांगी

❖ eR;q migkl ugh — 284&285
इंदिरा दांगी

❖ Hkw[k dk n.M — 286&289
इंदिरा दांगी

❖ Je 'kks"k.k dh ijkdk"Bk — 290&295
कृष्ण कुमार श्रीवास्तव

[k.M&IV

jk"Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx dh egÙoi.kZ vuqla/kku ifj;kstuk,¡& vufnr% vkstfy ldyuh

❖ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, संरक्षण और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत स्थानीय शिकायत समितियों की स्थिति एवं कार्यपद्धति तथा कार्यबल में महिलाओं के बीच जागरुकता स्तर — 299&301

❖ मानव तस्करी के पीड़ितों का पुनर्वास : पीड़ितों को मुआवज़ा योजनाओं की प्रभावशीलता, दक्षता एवं स्थिरता का अध्ययन — 302&304

jk"Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx
मानव अधिकार भवन,
ब्लॉक–सी, जी. पी. ओ. कॉम्प्लेक्स,
आई. एन. ए., नई दिल्ली – 110023 भारत

Mk- Kkus'oj eukgj eqys
सदस्य

nks 'kCn

मेरे लिए यह हार्दिक प्रसन्नता का विषय है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वार्षिक हिंदी प्रकाशन "मानव अधिकार नई दिशाएं" को इस वर्ष 'कोरोना काल में मानव अधिकार' जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर केंद्रित किया गया है। इसके साथ ही 'पर्यावरण एवं मानव अधिकारः हिमालय एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के विशेष संदर्भ में' तथा 'आज़ादी के 70 वर्षों में मानव अधिकार के क्षेत्र में उपलब्धियां' इन विषयों पर भी इस पत्रिका में रचनाएं प्रकाशित हैं। यह सर्वविदित है कि भारत विविधताओं से भरा एक विशाल देश है। सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक, आर्थिक तथा अन्य कई तरह की विविधताएं होने के बावजूद इस देश की विशिष्टता यह है कि हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को तमाम असमानताओं से ऊपर उठकर बराबरी से जीने का अवसर देता है। सही अर्थों में यह मानवाधिकारों का रक्षक है। फिर भी जब कोई समुदाय अन्य समुदायों के द्वारा लगातार उपेक्षित और वंचित होने लगता है तब संविधान के साथ–साथ हमारी मानवता को भी चुनौती मिलती है और ऐसे में उस अन्याय का हर तरीके से प्रतिकार कर मानवाधिकारों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है। इसी के माध्यम से हम अपने संविधान की भी रक्षा करते हैं।

विगत कुछ महीनों से पूरी दुनिया के साथ भारत ने कोविड–19 की महामारी के कारण पेश आईं स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के साथ आर्थिक और सामाजिक दुश्चिंताओं का साक्षात्कार किया है। इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बैचलेट ने कोरोना महामारी से लड़ने की आड़ में लोगों के बुनियादी मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ सरकारों को आगाह किया था। दरअसल किसी भी लोकतांत्रिक और लोककल्याणकारी सरकार से यह एक प्रमुख अपेक्षा है कि देश के सभी नागरिकों को समान अवसर मिलें और उनको किसी तरह के भेद–भाव का शिकार न होना पड़े। लेकिन दुनिया के कई देशों में महामारी से लड़ने के नाम पर आम नागरिकों के हितों का दमन हुआ। कई सामाजिक कुरीतियों ने शोषण की घटनाओं को और

बढ़ाया। महामारी ने तो अमीरों और गरीबों के बीच कोई भेद नहीं रखा, हर वर्ग के लोग इसकी चपेट में आए। लेकिन गरीबों और पिछड़े व कमजोर तबके के लोगों के लिए कोविड–19 में जीवन और कठिन हो गया। उनके सामने आर्थिक कठिनाइयां नए सिरे से खड़ी हुईं। जिससे उनके मौलिक अधिकार भी प्रभावित हुए। इन चिंताजनक हालात में मानवाधिकारों की नए सिरे से स्थापना का उद्देश्य प्रबल जरूरत के तौर पर उभरा है। यह समय दरअसल गांधीजी के विचारों के साथ आगे बढ़ने का है, जो हर हाल में अंतिम कतार के अंतिम आदमी के साथ खड़े होते थे। हमारे देश में हाशिए पर खड़े लोगों की समस्याओं को ध्यान में रख कर संविधान में अनेक व्यवस्थाएं की गईं ताकि वे आगे बढ़ें और देश की मुख्यधारा में शामिल हो सकें।

भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भी निरंतर इसी उद्देश्य के साथ काम कर रहा है। महामारी के दौरान देश में उत्पन्न अनेक अप्रिय स्थितियों में आयोग ने वंचित व पीड़ित लोगों के लिए आगे बढ़कर कदम उठाए हैं। कहना न होगा कि आयोग सभी के मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यह स्मरणीय है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक देश के भीतर मानव अधिकारों की चेतना के विस्तार के लिए निरन्तर प्रयास किया है। साथ ही देश के विभिन्न भागों से आने वाली मानव अधिकारों से जुड़ी शिकायतों का निपटारा भी किया है। आयोग भविष्य में भी इसी तरह काम करते रहने के लिए कटिबद्ध है।

पत्रिका के इस अंक के प्रकाशन के अवसर मैं सम्पादक मंडल और उनके सहयोगियों को बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि प्रस्तुत प्रकाशन द्वारा मानव अधिकारों की चेतना के विस्तार में मदद मिलेगी और सार्थक विचार–विमर्श संभव हो सकेगा।

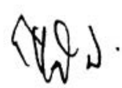

¼Mk- Kkus'oj eukgj ey½

jk"Vh; ekuo vfèkdkj vk;kx
मानव अधिकार भवन,
ब्लॉक–सी, जी. पी. ओ. कॉम्प्लेक्स,
आई. एन. ए., नई दिल्ली – 110023 भारत

fcckèkj Áèkku
महासचिव

vkeq[k

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग वर्ष 2004 से वार्षिक हिंदी पत्रिका "मानव अधिकार : नई दिशाएं" का प्रकाशन करता आ रहा है। आयोग ने अपने 27 वर्षों की इस यात्रा में समाज के सभी वर्गों को मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु निरन्तर प्रयास किया है। आयोग इस कार्य को गति देने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों, राज्य सरकारों, सिविल सोसायटी तथा गैर–सरकारी संगठनों का सहयोग लेता रहा है। विगत वर्षों में विभिन्न विशेषज्ञों, शिक्षाविदों आदि ने मानव अधिकारों के प्रति अपने विचारों के माध्यम से पत्रिका को बेहतर बनाने के लिए अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

कोविड–19 की महामारी हम सभी के लिए अत्यंत कठिन रही है तथा इसने विश्वभर में सभी वर्गों पर अपना प्रभाव छोड़ा है। इस चुनौतीपूर्ण समय को ध्यान में रखते हुए आयोग ने मानव तस्करी, मानसिक स्वास्थ्य, अनौपचारिक कामगार, व्यापार एवं मानव अधिकार, कैदियों एवं पुलिसकर्मियों के अधिकार, महिलाओं, बुजुर्ग व्यक्तियों, एल.जी.बी.टी.क्यू.आई. समुदाय, बच्चों, दिव्यांगों, भोजन तथा स्वास्थ्य का अधिकार के संदर्भ में दिशा–निर्देश जारी किए हैं।

मैं, पत्रिका के इस अंक में सहभागिता देने वाले सभी लेखक/लेखिकाओं तथा पत्रिका के सलाहकार मंडल के सभी प्रतिष्ठित सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने पत्रिका के इस अंक में अपना सहयोग दिया।

बी. प्रधान
22/12/20

¼fcckèkj Áèkku½

jk"Vh; ekuo vfèkdkj vk;kx
मानव अधिकार भवन,
ब्लॉक–सी, जी. पी. ओ. कॉम्प्लेक्स,
आई. एन. ए., नई दिल्ली – 110023 भारत

vfurk flUgk
संयुक्त सचिव (पी. एंड टी.)

l।ikndh;

अपने विकास की यात्रा के पथ पर मानव जाति ने इस पृथ्वी पर अनेक बदलाव देखे। पत्थर टकराकर आग जलाई, दांतों और नाखूनों से बढ़कर नुकीले हथियार बनाए, पहिए के आविष्कार से अपने जीवन को आगे बढ़ने की रफ्तार दी, जमीन को ऊपजाऊ बनाकर खेती करना सीखा, जंगली पशुओं को पालतू बनाया और इस तरह विश्व में अनेक सभ्यताओं का विकास हुआ। इन सभ्यताओं को कभी प्रलय, कभी तूफान, कभी जलवायु परिवर्तन का सामना करना पड़ा। कुछ सभ्यताएं नष्ट हो गईं, कुछ समय के साथ बदल गईं। इस बीच कई बड़े पशु विलुप्त हो गए। नदियों ने अपनी दिशाएं बदल दीं। दो–दो महायुद्धों में भयावह विध्वंस का विश्व साक्षी बना। लेकिन इन तमाम परिवर्तनों के बीच कुछ नहीं बदला तो वो हैं मानवाधिकार। मानवाधिकार की परिभाषाएं समय–समय पर अलग–अलग सत्ताओं ने अपने मुताबिक तय कीं। लेकिन उसमें मूल भाव यही है कि मनुष्य होने के नाते जो अधिकार मानव को सहज उपलब्ध हैं, वे मानवाधिकार हैं। किसी भी मानव के पूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए मानवाधिकार आवश्यक हैं। इन अधिकारों का उद्भव मानव की अंतर्निहित गरिमा से हुआ है। इन अधिकारों के बिना न तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और न ही समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकता है। हर लोककल्याणाकारी सरकार का सर्वोच्च लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्णतः विकास है। लेकिन इस लक्ष्य को कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आज हमारा देश और पूरी दुनिया इसी तरह के चुनौती भरे दौर से गुजर रहे हैं।

वर्ष 2020 समूची मानवजाति के लिए एक बड़ा प्रश्न लेकर सामने आया। प्रश्न ये कि हम कितनी कुशलता से, कितनी निडरता से और कितनी बुद्धिमत्ता से किसी चुनौती का सामना करते हुए मानवाधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और अपने मानव होने का गौरव बचा सकते हैं। इस वर्ष की शुरुआत में कोविड–19 नाम की महामारी

से विश्व का साक्षात्कार हुआ। एक सूक्ष्म, अदृश्य वायरस ने अब तक के समूचे विकास पर प्रश्नचिह्न लगा दिए। इस महामारी ने बड़ी तेजी से अपने संक्रमण की चपेट में दुनिया को ले लिया। कई देशों में बीमारों और मृतकों के आंकड़ों ने हाहाकार पैदा कर दिया। कई देशों ने लॉकडाउन जैसे उपाय अपनाए ताकि मानव का मानव से संपर्क कम से कम हो और वायरस के प्रसार पर रोक लगे। इन उपायों से अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हुई। इस बीच चुनौती का सामना करते हुए मानव जाति ने अपनी श्रेष्ठ बुद्धि का उपयोग करते हुए इस बीमारी के इलाज, उसकी दवा और वैक्सीन की खोज में दिन–रात एक कर दिए। सही इलाज ढूंढने की चुनौती के साथ सबसे बड़ी चुनौती थी कि समूचे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा भी हो। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंटोनियो गुटेरेश ने इस संबंध में चेतावनी देते हुए कहा था कि कोरोना वायरस महामारी तेजी से एक मानव संकट से मानवाधिकार संकट में बदल रही है। इस चेतावनी को कई देशों ने समय रहते सुना, समझा और इस दिशा में महत्वपूर्ण काम किए। भारत भी उनमें से एक है।

हम मानते हैं कि मानव अधिकारों के बूते ही हम वस्तुतः एक ऐसे भावी मानव समाज का स्वप्न देख सकते हैं, जिसमें मनुष्य अपने मानवत्व की निरन्तर सिद्धि करता रह सके। समस्त अंतर्विरोधों के बावजूद इस चुनौतीपूर्ण समय में भारत ने मानवाधिकारों की विभिन्न कसौटियों पर खरा उतरकर मानवीय गरिमा के संरक्षण व संवर्धन के उद्देश्यों की प्राप्ति की है।

'मानव अधिकारः नई दिशाएं' के वर्तमान अंक में हमने कोरोना के संकट के बीच मानवाधिकार, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हुए मानवाधिकारों के लिए कार्य और आजादी के 70 वर्ष में मानवाधिकार के विभिन्न आयामों पर महत्वपूर्ण आलेख प्रकाशित किये हैं। साथ ही पूर्व की भांति आयोग के महत्वपूर्ण निर्णयों की सृजनात्मक प्रस्तुति राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की महत्वपूर्ण अनुसंधान परियोजनायें व मानव अधिकार आयोग से जुड़ी कवितायें एवं कहानियों को भी प्रस्तुत किया गया है। मानव अधिकारों के प्रति रूचि रखने वाले बुद्धिजीवियों, लेखकों तथा अकादमिक क्षेत्र से जुड़े महानुभावों ने हमें जो रचनात्मक सहयोग प्रदान किया है, उसके लिए हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं एवं सुझावों का इंतजार रहेगा ताकि आगामी अंक हम आपके समक्ष और बेहतर रूप में प्रस्तुत कर सकें।

¼vfurk flUgk½

सर्वे भवन्तु सुखिनः

खण्ड-I

आलेख

कोरोना काल की हिंदी कविताओं में मानवाधिकार के प्रश्न

fot ; d|ekj Hkkjrh•

'साहित्य' मानवाधिकार की विचारभूमि है और 'समाज' कर्मभूमि। जब से साहित्य ने सस्ते मनोरंजन का मार्ग छोड़कर सामाजिक चुनौतियों का मार्ग अपनाया तब से साहित्य के केंद्र में मानवाधिकार का प्रश्न उपस्थित हो गया। साहित्य जब हाशिये के लोगों की बात करता है तो वह मूलतः मानवाधिकार को ही आधार बनाता है। साहित्य के लिये मानवाधिकार सिर्फ अधिकार नहीं है, वह चेतना और उसका प्रसार भी है। परंतु मानवाधिकार मनुष्य को सामाजिक न्याय दिलाने की प्रक्रिया है।

कोरोना काल की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों को देखें तो आर्थिक चुनौतियां हमारे सामने मुँह बाए खड़ी हैं। बेकारी एवं अर्थव्यवस्था का तेज़ी से ढहना, अमेरिका जैसे देश में हथियारों का ख़रीदा जाना, मजदूरों पर बेकारी और विस्थापन की मार जैसी समस्याएँ बड़ी गम्भीर हैं। इसके साथ–साथ कोरोना महामारी के लिए एक देश द्वारा दूसरे देश पर दोषारोपण जैसी समस्याएँ कम गंभीर नहीं हैं। इन सबके बीच रोगी बहुत सारी सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। इसके साथ मज़दूरों के विस्थापन का संकट, जिसकी मार स्त्री और बच्चे भी बुरी तरह झेल रहे हैं। दुनिया में लगभग 50 प्रतिशत से अधिक लोग विस्थापन के शिकार होते हैं। परंतु कोरोना काल का यह विस्थापन मनुष्य के लिए और भी त्रासदपूर्ण है। यदि गहराई से विचार करें तो यौन कर्मी और थर्ड जेंडर के सवाल प्रायः हाशिए पर हैं। इसी तरह, इस काल में जेलों के भीतर कैसी स्थिति है इस पर हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसी बीच पुलिस और डॉक्टरों पर हमले हुए और साम्प्रदायिक दंगे भी हुए। साथ ही, प्रशासनिक कार्य और सरकारी सहयोग में अडंगा डालने वाले दलालों की भूमिका बड़ी शर्मनाक रही है। अंधविश्वास भी बड़ी तेजी से बढ़े हैं, जिसने मनुष्य की वैज्ञानिक दृष्टि को कमज़ोर किया और साथ ही मनुष्य को भी। स्त्री के साथ होने वाली बलात्कार की घटनाएं भी इस दौर की क्रूरता का दस्तावेज़ हैं। आख़िर सरकार को यह घोषणा क्यों करनी पड़ी कि बीमारी से डरिए, बीमार से नहीं। ऐसे बुरे दौर में सीमाओं पर तनाव, आतंकवाद जैसी घटनाएँ और युद्धजनित हिंसा में हुई बढ़ोत्तरी ने हमारी मनुष्यता को शर्मसार कर दिया है। जबकि बीमारी की दवा भी हम तक नहीं पहुँची है। अतः इन स्थितियों का मानवाधिकार की चेतना पर गहरा असर हुआ है।

• प्रोफेसर, हिंदी विभाग एवं डीन, कला संकाय, काजी नज़रूल विश्वविद्यालय, आसनसोल– 713340 (पश्चिम बंगाल)

इसके बावजूद क़ोरोना काल में एक सामाजिक परिवर्तन हुआ है कि लोगों ने जाति, धर्म, सम्प्रदाय तथा देश की सीमाओं से बाहर निकलकर मदद की। भले ही इसमें सरकार की एक सकारात्मक भूमिका रही हो। इससे सफाईकर्मी, पुलिस, डॉक्टर के प्रति सम्मान भी बढ़ा। जन सहयोग की भावना का विस्तार हुआ। इस दौर में मीडिया का एक स्वस्थ चेहरा भी उभरकर आया, उस समय जब मज़दूर विस्थापित हो रहे थे। इस प्रकार इस दौर ने मानवता के विस्तार की उम्मीद जगायी है।

जहाँ तक कविता का सवाल है, लोग यह समझते हैं कि कविता का सम्बन्ध भावुकता या संवेदना से है। यह बात लगभग सही है तो भी वर्तमान समय की कविता ने वैचारिकता के साथ–साथ संवेदनशीलता का बखूबी निर्वाह किया है। यदि हम हिंदी कविता की बात करें तो आधुनिक काल की कविताओं में भी मानवाधिकार के सवाल दिखेंगे, परंतु प्रगतिशील साहित्य के उत्थान के बाद हिंदी कविता में मानवाधिकार का प्रश्न और भी मुखरित हुआ, विशेषतः सत्तर के दशक के आसपास। यद्यपि निराला, नागार्जुन तथा मुक्तिबोध की कविताओं में मानवाधिकार के स्वर की अनुगूँज विद्यमान है। परंतु समकालीन कविता और उसके बाद की कविता तो ठेठ अर्थों में प्रायः मानवाधिकार की कविता है। कारण है राजनीतिक लोकतंत्र की विफलता और उससे उत्पन्न आक्रोश। राजनीतिक लोकतंत्र की सफलता को ही हम लोकतंत्र की सफलता का वास्तविक आधार मानते रहे हैं। जबकि आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र की भूमिका भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। यह कहना ही होगा कि मानवाधिकार के संदर्भ में लोकतंत्र की तीनों चुनौतियों का विशेष महत्त्व है।

क़ोरोना काल की कविताओं पर ध्यान दें तो एक कविता है – dkjkuk dky e@jyo IyVQke ij@lcdk Hk;Hkhr djrk gvk@,d ek dk 'ko iMk g@mldk cPpk@ek dk vkpy [kÈpdj@ml txk jgk g@cPpk eR;q dk ugÈ tkurk@flQ viuh ek dk tkurk g (पंकज चतुर्वेदी, कोरोना काल में) इस कविता में मानवाधिकार के कई सवाल हैं। हमारी रेल व्यवस्था की साधारण मनुष्य के प्रति उपेक्षा का बर्ताव। कोई भी सरकारी व्यवस्था की सार्थकता साधारण मनुष्य की सुविधाओं से सम्बद्ध होती है, सिर्फ़ अभिजात्य लोगों की सुविधाओं तक नहीं। मातृत्व मानवता का सबसे महत्त्वपूर्ण अंश है। मातृत्व की उपेक्षा मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी है। दूसरी ओर बच्चों की दुनिया का अंत, मनुष्य की एक पीढ़ी का अंत है। मातृत्व की पीड़ा को व्यक्त करती कविता है – vHkh Hkh cpk g cgr dN@cpk g vkB ekg l xHkorh L=h dk xHk@gtkjk gtkj fdeh dh ;k=k e@iny py jg ykxk d ry vk e@cp g le; d ?kkoA (अमित एस. परिहार, महाराज! अब आप कुछ भी न कहें) कोरोना काल में गर्भवती स्त्रियों को एक बड़ी क़ीमत चुकानी पड़ी है। प्रसव पीड़ा की दुहरी मार उन्हें झेलनी पड़ी है

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में गर्भावस्था और प्रसव के दौरान प्रति वर्ष 27.5 प्रतिशत मौतें होती हैं। हर पाँच मिनट में एक भारतीय महिला की मौत होती है। क़ोरोना ने गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित किया है। इससे पता चलता है कि हम मानवाधिकारों के मसले पर कितने पीछे हैं। क़ोरोना काल के आतंक का सबसे दिल दहलाने वाला दृश्य है, भूख की मार झेलते हुए अपने घर की ओर लौटना, यह क़ोरोना काल की सबसे बड़ी त्रासदी है। शायद इसीलिए साहित्य का यह केंद्रीय विषय बनकर उभरा है। सिर्फ़ भारतीय कविता ही नहीं, पूरी वैश्विक कविता इससे भरी पड़ी है। पर क़ोरोना की मार और भूख की मार के गठबंधन ने मज़दूरों की ज़िंदगी को पूरी तरह से रौंद डाला है–ykx py tk jg g@Hk[k pyh tk jgh g@@xBfj;k pyh tk jgh g@>ky py tk jg g@---------- ftUgkus igyh ckj tkuh g Fkdku@lc py tk jg g xko dh vkj@ dMh eki g] py tk jg g------Hk[k jkd jgh g@ykx ml l gkFk NMkdj Hkkx jg gA (विष्णु नागर, महापलायन : गाँव की ओर, नया ज्ञानोदय, अप्रैल–जुलाई 2020, पृ॰47)

क़ोरोना काल में भी बच्चियों के साथ होने वाले बलात्कार नहीं थमे। इस लॉकडाउन ने पुरुषसत्ता को नंगा नाच करने की छूट दे दी। दिल्ली के सरदार पटेल कोविड सेंटर में 15 जुलाई 2020 को एक नाबालिग़ लड़की, जो कोरोना पॉज़िटिव थी, उसका बलात्कार हुआ। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की 2018 की रिपोर्ट कहती है–भारत में प्रतिदिन औसतन 91 बलात्कार की घटनाएँ होती हैं। चिंता की बात यह है कि इन घटनाओं में बढ़ोत्तरी हुई है। कविता है – D;k rEgkj ikl dkÃ xokgh g fd re lifjokj@vèkj e nkuk gkFk Åij mBk, txyk e èkdy x,@vkj rEgkj gh lkeu cfPp;k dh vLer yVh x;h@-----fd re ij fcuk ckr gh cjlkÃ x;h ykfB;k@ekjk x;k cnd d dnk l------;kruk dh] Øjrk dh xokgh ugÈ g ej ikl yfdu Lefr gA (कुमार अम्बुज, ख़तरा, नया ज्ञानोदय, अप्रैल–जुलाई 2020, पृ॰51) इस संदर्भ में स्त्री सुरक्षा का सम्बंध स्त्री सशक्तीकरण से है जिसके अंतर्गत शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सुरक्षा महत्त्वपूर्ण घटक हैं। U;k;eÆr ltkrk oh eukgj के अनुसार – "क़ानून से ज़्यादा समाज के रवैए में बदलाव से समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में मदद मिलेगी"... साथ ही वे यह भी मानती हैं – tc rd ljdkj efgykvk vkj cPpk lfgr viu ukxfjd dh lj{kk lfuf'pr ugÈ djrhA rc rd lgh ek;u e dkÃ çxfr ;k l'kfädj.k ugÈ gks ldrkA (मानव अधिकार : नई दिशाएँ, वार्षिक अंक –10, 2016, पृ॰260 एवं 265) इस मामले में, विशेषतः पुलिस व्यवस्था के मामले में हम बहुत पीछे हैं। पुलिस और जनता के बीच विश्वास की

गहरी खाई है। इसलिए स्त्री उत्पीड़न के मामले घटने की बजाय बढ़ रहे हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत ने यातायात के साधनों में काफ़ी तरक़्क़ी की है। परंतु सवाल यह है कि साधारण लोगों को इसका कितना लाभ मिल पाया है। इन साधनों के उपयोग की अधिकांश नीतियाँ अभिजात्यवादी मानसिकता से प्रभावित हैं। अतः साधारण लोग इन साधनों से सिर्फ़ वंचित ही नहीं होते, जीवन भी गँवा बैठते हैं। इसलिए ये सवाल मामूली नहीं हैं – ekVjxkfM;k] j;yxkfM;k vkj gokÃ tgktk dk vkfo"dkj@D;k vkrdokfn;k] vijkfèk;k vkj èkui'kvk d fy, fd;k x;k FkkA (कृष्ण कल्पित, डूब मरो, नया ज्ञानोदय, अप्रैल–जुलाई 2020, पृ॰55) लॉकडाउन की एक बड़ी विडम्बना यह थी कि इसने दबे–कुचले लोगों को और कुचल दिया और उनकी बुनियादी सुविधाएँ भी छीन ली। उन्हें दरिद्रता से घोर दरिद्रता की ओर ले गई। o vkneh vkj vkjr dgk g@tk èkkch ?kkV ij xn diMk dk èkkr Fk] bfLrjh djr Fk@dgk g o fngkMh etnj vkj o dnh@tk viuh rdyhQk ij@viu HkkX;foèkkrkvk dh rkjhQ d iy ckèkr Fk\ (अश्विनी कुमार, विजयी वायरस, नया ज्ञानोदय, अप्रैल–जुलाई 2020, पृ॰55) इस कविता की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है, क़ैदियों के प्रश्न। जो कि इस काल में लगभग उपेक्षित रहे। मानवाधिकार की दृष्टि में क़ैदी पहले मनुष्य हैं, फिर क़ैदी। यह सिर्फ़ अनुमान ही लगाया जा सकता है कि हमारे देश में क़ैदियों के कमरे कितने गंदे रहते होंगे, वहाँ कोरोना का स्वच्छता अभियान कितना कारगर रहा होगा। मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणापत्र के अनुच्छेद 25 में कहा गया है –Þ lHkh dk cdkjh] chekjh] vleFkrk] oèk0;] c<ki ;k vU; fdlh ,lh ifjfLFkfr e vkthfodk dk lkèku u gku ij tk mldk dkc d ckgj g] lj{kk dk vfèkdkj gAß (मानव अधिकार, नई दिशाएँ, अंक–15, 2018, पृ॰270) विडम्बना यह है कि कोरोनाकाल में इन सबकी सुरक्षा दाव पर लग गयी।

जब–जब विश्व में महामारी आई है, उसने मनुष्य को चुनौती दी है,उसने यह साबित किया है कि राज्य, देश, महादेश, एशिया, यूरोप के सारे विभाजन खोखले और मिथ्या हैं। कोरोना ने लगभग हर देश में मौत का तांडव मचाया और अब भी मचा रही है। लोग वैक्सीन की तलाश कर रहे हैं और दूसरी ओर युद्ध की ध्वंसलीला भी जारी है। ये स्थितियाँ मानवाधिकार के मार्ग में बाधक हैं इसलिए शशिभूषण कहते हैं – n'k@dkjkuk erd@iFoh dh vk[k l n[kkA मानवाधिकार को बचाने में सरकार की भूमिका काफ़ी महत्त्वपूर्ण होती है। इसमें सरकार के सभी अंगों का सहयोग ज़रूरी होता है। परंतु जहाँ सरकारी व्यवस्था में विकृति आ जाती है, वहाँ सरकार विफल हो जाती है। ऐसे में सरकार की नेकनीयती भी किसी काम नहीं आती और सरकारी वादे विफल साबित हो जाते हैं। दूसरी तरफ़ वादों की नींव यदि ज़मीनी

सच्चाई पर न टिकी हो तो साधारण जनता मारी जाती है। यही वजह है मानवाधिकार संगठनों ने जन आंदोलनों के पक्ष में अपनी आवाज़ बुलंद की है। कविता है – gekjh Hkkjr ekrk@,d Hk[kh Hkkyh gfFkuh g@ftl d iV e ml dk cPpk Hkh@ mlh Hk[k Hkjkl iy jgk g@ljdkj oknk d vukukl e@ck:n Hkjdj f[kyk jgh gA (बोधिसत्व, हमारी भारत माता)

मानवाधिकार को शक्तिशाली बनाने में मीडिया की भूमिका भी काफ़ी महत्त्वपूर्ण है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है। पर इसे नियंत्रित करने की कोशिश कॉरपोरेट पूँजी और राजनीति द्वारा जारी है। ऐसे में मीडिया स्वतंत्रतापूर्वक अपना कार्य नहीं कर पा रही है। कभी–कभी ईमानदार पत्रकारों को धमकाया जाता है और उनकी हत्या भी कर दी जाती है। यह तय है मीडिया जब राजनीति द्वारा संचालित होगी तो लोकतंत्र बीमार होगा। क़ोरोना काल की ग़ज़ल है – curk cgr egku ehfM;k curk cgr egku ehfM;k@yfdu g cÃeku ehfM;k@lku dh trh [kk&[kk dj@djrk g x.kxku ehfM;k@lÙkk dh vlQyrkvk l@HkVdkrk g è;ku ehfM;k@ykdr= dk xyk ?kkV dj@fQj pkg lEeku ehfM;k@tYnh viuh djrrk dk Hkxrxh Hkxrku ehfM;k (महेश कटारे सुमन) बावजूद इस क़ोरोना काल में पत्रकारों ने जान का जोखिम उठाया और ईमानदार आलोचना द्वारा जनता और सरकार के बीच संवाद क़ायम किया तथा साधारण जनता के पक्ष में खड़े होकर मानवाधिकार को मज़बूती प्रदान किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि मीडिया के हस्तक्षेप के कारण मज़दूरों को सरकारी और ग़ैर सरकारी सहायता मिली। बावजूद इसके, आज मनुष्यता की रक्षा के लिए स्वस्थ पत्रकारिता की उम्मीद है।

कोरोना काल का एक बड़ा संकट साम्प्रदायिकता है मानवाधिकारों का बड़ा हनन दंगों में होता रहा है। दंगों से राष्ट्र और समाज दोनों ही पिछड़ जाते हैं। सबसे अधिक क्षति स्त्रियों और बच्चों की होती है। जो भी हो, ऐसे बुरे वक़्त में हमने सोचा था कि हम सारे वैमनस्य भूलकर बीमारी से लड़ेंगे और लड़ भी रहे थे। फिर भी मानवता को शर्मसार करनेवाली सांप्रदायिक घटनाएँ हुईं, कभी धर्म, कभी आस्था और कभी अफ़वाहों के माध्यम से। ऐसे में गुलज़ार का दर्द इस तरह फूट पड़ता है – dN dkjok n[k g lu lirkfyl e Hkh eu@gekj vkx ihN rc Hkh ,d dkfry vty Fkh@ok etgc iNrh Fkh@gekj vkx ihN vc Hkh ,d dkfry vty g@uk etgc] uke] tkr dN iNrh g@ekj nrh g@[knk tku ;s cVokjk cMk g@;k ok cVokjk cMk Fkk (गुलज़ार, कुछ कारवाँ देखे हैं सन् सैंतालिस में भी मैंने)

कोरोनाकाल में बहुत से मज़दूर बुनियादी सुविधाओं के अभाव में मारे गए पर पानी के अभाव में मनुष्य का मरना इस सदी के लिए कलंक है। जबकि कई लोगों ने आगे बढ़कर उनकी मदद की। यद्यपि पानी की समस्या हमारे देश में बहुत पुरानी है, पानी का अधिकार किसी भी राष्ट्र के मनुष्य के लिये एक महत्त्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। इस समस्या पर रघुवीर सहाय की कविता है –ftl dk ikuh ugÈ feyk g@og èkjrh vktkn ugÈ (पानी पानी) परंतु पानी पानी में अंतर है। एक तरफ गंदा पानी तो दूसरी तरफ साफ पानी। पानी पर आज भी वर्चस्ववादी ताकतों का कब्जा है और पूँजीवादी ताकतों का भी। अच्छा पानी बिक रहा है। खरीदनेवाले को ही साफ पानी पीने का अधिकार है। पानी के बगैर राष्ट्रीयता और नागरिकता एक मिथ्या कल्पना की तरह है। कोरोनाकाल में विस्थापित मज़दूरों के लिए पानी यातना बन गयी– l[kr dB d fy, cn Hkj ikuh@cBu d fy, fcNk Hkj dk vkljk@gn g fd og ikuh ?kj e feyk u gtkjk ehy nj@fdlh pednkj 'kgj e tgk leæ dk fdukjk Fkk@tgk Ny&Ny unh cgrh Fkh@tgk lcl vehj ykx jgr Fk@tgk bl n'k dh lln FkhA (पृथ्वी सोच रही है, शंकरानंद)

विस्थापित मनुष्य की समस्या भी मानवाधिकार के मार्ग में एक बड़ी चुनौती है। एन.एस.एस.ओ. के एक सर्वे के अनुसार भारत में 2011 तक लगभग 40 करोड़ लोग आंतरिक विस्थापन के शिकार हो चुके हैं। वैसे सारी दुनिया में सबसे अधिक विस्थापन का दंश 80 प्रतिशत महिलाएँ झेलती हैं। क़ोरोना काल में सारी दुनिया के लोगों ने बड़े भयानक स्तर पर इस दंश को झेला। भारतीय मज़दूर के विस्थापन में दर्द के साथ–साथ घर का मोह भी शामिल था। इसके बीच वह बुरी तरह से पिस गया – foLFkkiu d ckn Hkh@vnj l ugÈ gk ik jg foLFkkfir@?kj fcNk jgrk g vk[kk d lkeu@jkr fnu --------------------- fcy[krk vkxu cyk jgk g@ckg Qykdj@flldrk ?kj iNrk g@gel D;k rkMk ukrk (रामदुलारी वर्मा, विस्थापन वागर्थ, अप्रैल 2017) सबसे दुखद होता है अपने ही देश में विस्थापित हो जाना और फिर प्रवासी बन जाना; ग़रीबी, उपेक्षा, प्रताड़ना और अपमान झेलते हुए। इसलिए ओम निश्चल की कविता में यह व्यथा– exj Hkk[k dh vkfj;k de u FkÈ@u fctyh u ikuh u ugj u ufn;kA çokLh ugÈ g] çokLh ugÈ gA कोरोना काल का विस्थापन बहुत ही त्रासद था। जिसमें बीमारी का ख़ौफ़, बेरोज़गारी की मार, मकान तथा ठेकेदारों के निर्मम व्यवहार भी शामिल थे। वैसे मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणापत्र के अनुच्छेद 13 के अनुसार – ÞçR;d dk viu ;k ijk, fdlh Hkh n'k dk NkMu ;k viu n'k tku dk vfèkdkj gß (मानव अधिकार, नई दिशाएँ, अंक–15, 2018, पृ॰ 267) परंतु अंजाम ठीक इसके विपरीत थे।

कोरोनाकाल में भी शहर और गाँव, सभ्य और असभ्य का अंतर बना रहा। ऐसी धारणाएँ मनुष्य के समान अधिकारों में बाधक बनती हैं। हमारी संकीर्णताएँ दूसरे मनुष्य को मनुष्य समझने से रोकती हैं और इस प्रकार हमारी मनुष्यता विभाजित हो जाती है, हम कमज़ोर हो जाते हैं – txy l xtjr g,@'kgj dk ,d vkneh iNrk g@D;k ;gk l txy 'k: gkrk g\@txy dgrk g@;gk l ,d lH;rk 'k: gkrh gA (जर्सिता केरकेट्टा)

मानवधिकार पर विचार करते हुए यह बेहद जरूरी है कि हम ये समझें कि वे कौन–सी स्थितियाँ हैं जो मानवाधिकार के मार्ग में बाधक बन रही हैं। सत्तालोलुप, चाटुकार, अवसरवादी लोगों के कारण मानवाधिकार संगठनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस संकट के संदर्भ में साहित्य की दृष्टि बड़ी पैनी और सूक्ष्म रही है। इसीलिये वह इन विकृतियों के बीच भी स्वस्थ रोशनी की तलाश कर लेता है। साहित्य जब उपेक्षितों, शोषितों एवं वंचितों को मुद्दा बनाता है तो वह मूलतः समानता की तलाश करता है। वैसे अधिकार और कर्तव्य दोनों ही एक दूसरे के आंतरिक पर्याय हैं। कर्तव्यविहीन अधिकार और अधिकारविहीन कर्त्तव्य पूरी तरह व्यर्थ होते हैं। अतः साहित्य इन दोनों के संतुलन की पड़ताल करता है। समाज में कर्तव्यविहीनता मानवाधिकारों के हनन की प्रक्रिया को जन्म देती है। ऐसी कर्तव्यविहीनता की साहित्य, घोर निंदा करता है। साहित्य मानवाधिकारों को सरलीकृत ढंग से नहीं देखता। वह इनकी जटिलताओं और अंतर्विरोधों की तलाश करता है। साहित्य की दृष्टि में मानवाधिकार हनन महज एक घटना नहीं है, वह उस घटना की समाजशास्त्रीय ढंग से पड़ताल करता है। साहित्य के लिये मानवाधिकार कानूनी या वैधानिक समधान नहीं है, उससे आगे बढ़कर वह सामाजिक–सांस्कृतिक परिस्थितियों के मूल्यांकन की निरंतर प्रक्रिया है। साहित्य के लिये अधिकार से अधिक महत्त्वपूर्ण है वह चेतना। समाज, साहित्य को तथ्य देता है और साहित्य उस तथ्य को नया अर्थ। मानव अधिकार के लिये मनुष्यता सर्वोपरि है और उसी तरह साहित्य के लिए भी। अतः दोनों एक दूसरे के प्रेरक हैं। साहित्य की महत्त्वपूर्ण भूमिका यह है कि वह सामाजिक–सांस्कृतिक जड़ता को चुनौती देकर मानवाधिकार का मार्ग प्रशस्त करता है। साहित्य के लिये मानवाधिकार कानूनी या वैधानिक समाधान नहीं है, बल्कि संवेदनात्मक परिस्थितियों का निर्माण है। जिससे मनुष्यता की यात्रा का विस्तार होता रहे।

जो भी हो, वर्तमान समय की इस चुनौती का सामना करते हुए हमें मानवाधिकार का मार्ग प्रशस्त करना g Þlkekftd uhfr d ekey e vkÆFkd HkknHkko rFkk xgjh my>u d vykok Hkkjr d fy, ckf)d rFkk ufrd fiNMiu dh vkj ykVu dk [krjk ink gk x;k gA mnkgj.k d fy, food] foKku

lEer Hkkouk] vlgefr dk vfèkdkj ij geyk c<rk tk jgk gS (ज़्याँ द्रेज़ तथा अमर्त्य सेन, भारत और उसके विरोधाभास, अशोक कुमार (अनुवादक), राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली, 2018)

• • •

भारत में कोविड–19 महामारी काल में स्वास्थ्य के मानवाधिकार का संरक्षण :एक अवलोकन

Ák- lqn'kZu oekZ•

सम्पूर्ण विश्व आज कोविड–19 महामारी से लड़ रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। वर्तमान में विश्व में कोविड–19 से ग्रसित रोगियों की संख्या में भारत तीसरे पायदान पर आ गया है। लेख लिखने के समय आज दिनांक 14 अगस्त 2020 तक भारत में कुल रोगियों की संख्या लगभग 24,61,190 से अधिक है। लगभग 48,040 की मृत्यु हो चुकी है। 17,51,555 ठीक हो चुके हैं।[1] यद्यपि भारत सरकार पिछले छः महीने से इस महामारी से लड़ने तथा रोगियों को उपचार प्रदान करने का भरसक प्रयास कर रही है तथापि चिकित्सकों के अनुमान के अनुसार भारत में इस कोविड–19 महामारी का उच्चतम शिखर आना अभी बाकी है। एक अन्य अध्ययन के अनुसार यदि शीघ्र ही वैक्सीन नहीं आई तो फरवरी, 2021 तक भारत में प्रतिदिन 2.87 लाख तक मामले आ सकते हैं।[2]

इन परिस्थितियों में सरकार के लिये आवश्यक है कि महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के साथ ही साथ अपने नागरिकों को उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा कर उनके स्वास्थ्य की एवं जीवन की रक्षा की जाये।

एक प्रजातांत्रिक, लोक कल्याणकारी राष्ट्र होने के कारण भारत सरकार न केवल इस महामारी के समय अपितु सामान्य अवधि में भी संवैधानिक कर्तव्य के अधीन अपने समस्त नागरिकों के स्वास्थ्य के मानवाधिकार का संरक्षण करने के दायित्वाधीन है।

LokLF; dk ekuokfèkdkj dk laj{k.k dk egRo%

स्वास्थ्य का मानवाधिकार प्रत्येक मनुष्य के जीवन का केन्द्र बिन्दु होता है। अच्छा स्वास्थ्य अथवा स्वस्थ शरीर एक सार्थक एवं जीवंत जीवन जीने के लिए आवश्यक होता है तथा किसी व्यक्ति के दीर्घायु, उत्पादकता, समृद्धि तथा व्यक्तित्व के समग्र विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है। जैसा कि, मन बनाम इलिनायस[3] के मामले

• संकायाध्यक्ष, विधि अध्ययन विधापीठ एवं विभागाध्यक्ष, विधि विभाग, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ

1. आरोग्य सेतु एप, अगस्त 14, 2020
2. उपलब्ध https://www.hindustantimes.com/india-news/india-may-see-2-87-lakh-covid-19-cases-a-day-by-winter-2021-mit-study/story-65pQSrzCWmcJA3V4svlmpN.html, last visited on August 13, 2020.
3. 94 U.S. 113 (1876)

में संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि, जीवन का तात्पर्य पशुवत जीवन से अधिक है। इस प्रकार स्वस्थ, रोग मुक्त शरीर व मस्तिष्क प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का आवश्यक अंग होता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है।

सामान्यतः स्वास्थ्य का अर्थ केवल शारीरिक स्वास्थ्य से लगाया जाता है परन्तु, स्वास्थ्य शब्द इससे अधिक विस्तृत है तथा इसके अन्तर्गत न केवल शारीरिक स्वास्थ्य अपितु मानसिक, भावनात्मक तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी सम्मिलित होता है। कोई व्यक्ति यदि शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है परन्तु मानसिक व भावनात्मक अथवा आध्यात्मिक रूप से अस्वस्थ है तो वह स्वस्थ मनुष्य नहीं कहलायेगा। मानसिक, भावनात्मक अथवा आध्यात्मिक अस्वस्थता व्यक्ति के न केवल शरीर को अपितु मस्तिष्क को भी अनेक विकारों से ग्रस्त कर देती है। अतः प्रत्येक मनुष्य के स्वास्थ्य के मानवाधिकार का संरक्षण उतना ही आवश्यक है जितना व्यक्ति के जीवन के मानवाधिकार का संरक्षण क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।

LokLF; ds ekuokfèkdkj dk rkRi;Z LoLFk jgus dk vfèkdkj ugha gS%&

सामान्यता स्वास्थ्य के अधिकार का अर्थ स्वस्थ रहने के अधिकार से लगाया जाता है परन्तु दोनों एक दूसरे से भिन्न है। स्वास्थ्य के अधिकार से तात्पर्य अच्छे स्वास्थ्य तथा स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मस्तिष्क से है। जिससे व्यक्ति अपने जीवन में सही निर्णय ले कर अपने जीवन के कर्तव्यों को पूर्ण कर अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर राष्ट्र के सकारात्मक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। स्वास्थ्य के अधिकार का सम्बन्ध विभिन्न आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं, सुविधाओं एवं अन्य ऐसी आवश्यकताओं जो स्वास्थ्य का अनुभव करने के लिए आवश्यक होती है, से होता है। इसके विपरीत स्वस्थ रहने के अधिकार में अनेक कारक आवश्यक होते हैं, जो सरकार के दायित्व की परिधि से बाहर होते हैं। जिसमें व्यक्तियों की जीव वैज्ञानिक स्थिति तथा उसकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यही कारण है कि, स्वास्थ्य को सही रूप से समझने के लिए इसे इस रूप में परिभाषित किया जाता है कि, स्वास्थ्य उच्चतम प्राप्त मानक के रूप में शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य है।

varjkZ"Vªh; ifjÁs{; esa LokLF; dk ekuokfèkdkj %

स्वास्थ्य का मानवाधिकार मानव जीवन का एक अनन्य अधिकार है, जो किसी भी व्यक्ति के जन्म से पूर्व माँ के गर्भ में आने से प्रारम्भ हो जाता है। स्वस्थ शिशु का जन्म अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार का एक उद्देश्य है। अतः अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार

के संरक्षण की संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उसकी समस्त सहयोगी संस्थाओं का उद्देश्य स्वास्थ्य के मानवाधिकार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदत्त करना तथा समस्त मानव जाति को स्वास्थ्य का मानवाधिकार उपलब्ध कराना है।

अंतरराष्ट्रीय संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन[4] जो विश्व स्तर पर विश्व के प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य के संरक्षण हेतु निरन्तर कार्यरत है, की प्रस्तावना में इसके उद्देश्य का उल्लेख करते हुए कहा गया है, कि "प्रत्येक मनुष्य का यह मौलिक अधिकार है कि, उसे उच्चतम स्वास्थ्य स्तर की सुविधाओं की प्राप्ति हो"। विश्व स्वास्थ संगठन के संविधान की प्रस्तावना में बहुत ही स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया गया है कि, स्वास्थ्य एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की स्थिति है तथा केवल रोग अथवा दुर्बलता का अभाव नहीं है। बिना जाति, धर्म, राजनैतिक विश्वास, आर्थिक अथवा सामाजिक स्थिति के आधार पर बिना किसी भेदभाव के स्वास्थ्य का उच्चतम मानक स्तर का आनन्द प्रत्येक मनुष्य का एक मूलभूत अधिकार है। जो सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं शान्ति प्राप्त करने के लिए मूलभूत है तथा वैयक्तिक तथा राज्यों के पूर्ण सहयोग पर निर्भर करता है।

यदि किसी राज्य में स्वास्थ्य के संरक्षण एवं प्रोत्साहन की दृष्टि से कोई कदम उठाया जाता है तो वह सम्पूर्ण विश्व के लिए उपयोगी होगा। सम्पूर्ण विश्व में मनुष्यों के स्वास्थ्य के अधिकारों के संरक्षण हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन परामर्श एवं तकनीकी सेवाएं प्रदान करने का कार्य करता है तथा निरन्तर मनुष्यों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रयासरत रहता है।

विश्व स्वास्थ संगठन के प्रयासों के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अभिलिखित मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948, आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की प्रसंविदा 1966, आदि के अन्तर्गत भी स्वास्थ्य के अधिकार को अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई है।

ekuo vfèkdkjksa dh lkoZHkkSfed mn~?kks"k.kk 1948 का अनुच्छेद 25 (1) स्वास्थ्य के मानवाधिकार की उद्घोषणा करता है कि, प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जीवनस्तर को प्राप्त करने का अधिकार है जो कि स्वयं उसके एवं उसके परिवार के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए पर्याप्त हो। इसके अन्तर्गत भोजन, कपड़ा, मकान तथा चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं तथा आवश्यक सामाजिक सेवायें सम्मिलित हैं।

4. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सम्बन्धी मानवाधिकारों के क्रियान्वयन तथा उससे सम्बन्धित कार्यों को सम्पादित करने हेतु विश्व स्वास्थ संगठन की नींव 19 जून सन् 1946 को संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा एक सम्मेलन में रखी गयी तथा इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को भी गई। इस दिन को स्वस्थ दिवस के रूप में मनाया जाता है। परन्तु वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन की कार्यशैली की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है।

lkekftd] vkfFkZd ,oa lkaLd`frd vfèkdkjksa dh varjjk"Vªh; Álafonk 1966 का अनुच्छेद 12(1) उपबन्ध कहता है कि, प्रत्येक व्यक्ति को उच्चतम मानक स्तर के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का आन्नद लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 12(2) आगे प्रावधान करता है कि, इस प्रसंविदा के समस्त राज्य पक्षकारों को इस अधिकार की पूर्ण प्राप्ति के लिए वो आवश्यक कदम उठाने होंगे जो आवश्यक हैं–

(अ.) मृत्युदर घटाने, शिशु मृत्यु रोकने तथा शिशु के स्वस्थ विकास के लिए प्रावधान

(ब.) पर्यावरण एवं औधोगिक स्वच्छता के समस्त पहलुओं में सुधार

(स.) महामारी, स्थानिक, व्यवसायिक तथा अन्य बीमारियों की रोकथाम, उपचार तथा नियंत्रण।

(द.) ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना जो बीमारी की स्थिति में चिकित्सा सेवा तथा चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करेगा।

इन उपबन्धों के अतिरिक्त अन्य अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रीय मानवाधिकार दस्तावेजो में भी स्वास्थ्य के अधिकार का प्रावधान किया गया है। वही अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं, अभिसमयों में विशिष्ट समूहों के स्वास्थ्य के अधिकारों को भी संरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। जैसे– सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव का उन्मूलन पर अंतरराष्ट्रीय अभिसमय 1965 का अनुच्छेद 5(e) (iv), महिलाओं के विरूद्ध समस्त प्रकार के भेदभावों के उन्मूलन का अभिसमय 1979 का अनुच्छेद 11(1) (f) एवं 14(2) (b), बाल अधिकार का अभिसमय 1989 का अनुच्छेद 24, प्रवासी श्रमिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों के अधिकारों के संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय अभिसमय 1990 का अनुच्छेद 28, 43 (e) तथा 45 (c), विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का अभिसमय 2006 का अनुच्छेद 25 इत्यादि।

अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं, अभिसमयों, संधियों तथा अन्य क्षेत्रीय दस्तावेजों के अन्तर्गत स्वास्थ्य के अधिकार के संरक्षण के प्रावधानों के अतिरिक्त सन् 1978 में आलमा–अटा घोषणा 1978 जारी की गई।

यह घोषणा प्रारम्भिक स्वास्थ्य की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि करती है, जो समुदाय में मुख्य स्वास्थ्य समस्याओं तथा उनके निवारण, उपचारात्मक एवं पुनर्वास सेवाओं को सम्बोधित करती है। यह बल देती है कि प्रारम्भिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की पहुंच स्वास्थ्य की एक स्थिति को प्राप्त करने की कुंजी है, जो कि सभी व्यक्तियों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से उपयोगी जीवन जीने की अनुमति देती है तथा उच्चतम मानक प्राप्त स्वास्थ्य की प्राप्ति में योगदान देती है।

इस प्रकार संक्षेप में वर्णित उपर्युक्त अंतरराष्ट्रीय उपादानों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि, स्वास्थ्य का मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग है तथा प्रत्येक राज्य पक्षकार का यह दायित्व है कि, वह अपने राज्य क्षेत्र के समस्त नागरिकों को ऐसा वातावरण तथा चिकित्सा सुविधायें व चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराये जिसमें वह अपने स्वास्थ्य के अधिकार का भलीभांति लाभ उठा सके अथवा उपयोग कर सके।

Hkkjr esa LokLF; ds ekuokfèkdkj ds laj{k.k grq fofèkd mikknku%&

भारत, जो लगभग समस्त अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों का हस्ताक्षरी पक्षकार राज्य है, ने स्वास्थ्य के अधिकार के संरक्षण हेतु अनेक संवैधानिक एवं विधिक प्रावधान किये हैं तथा सरकारी नीतियों के माध्यम से स्वास्थ्य के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन का प्रयास किया है।

भारतीय संविधान जो भारत की सर्वोच्च विधि है, के अन्तर्गत स्वास्थ्य के मानावाधिकार के संरक्षण हेतु मूल अधिकार के रूप में कोई स्पष्ट संवैधानिक उपादान नहीं किया गया है परन्तु भारतीय संविधान के भाग 3 व 4 में स्वास्थ्य के अधिकार को अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षण प्रदान किया गया है।

संविधान के भाग 4 में वर्णित नीति निदेशक तत्व राज्य के ऊपर कर्तव्य अधिरोपित करते हैं कि, राज्य अपनी नीति का विशेषतया ऐसा क्रियान्वयन करेगा कि–

श्रमिक पुरूषों और स्त्रियों का स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग न हो[5] तथा बालकों को स्वतन्त्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर व सुविधाएं दी जाएं और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाय।[6]

संविधान के अनुच्छेद 41 में राज्य पर यह कर्तव्य अधिरोपित किया गया है कि, राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर बुढ़ापा, बीमारी और अंगहीन[7] तथा अन्य अभाव की दशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को

5. संविधान का अनुच्छेद 39(ड़) उपबन्ध करता है कि, श्रमिक पुरूषों और स्त्रियों का स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग न हो तथा आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो।
6. संविधान का अनुच्छेद 39(च) संविधान बयालीसवां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अन्तः स्थापित
7. अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबन्ध करेगा।

प्राप्त कराने का प्रयास करेगा, प्रसूति सहायता के लिए आवश्यक उपबन्ध करेगा[8] तथा अपने लोगों के आहार पुष्टि–तल तथा जीवन–स्तर को ऊंचा करने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से मानेगा। इसके लिए वह मादक पेयों और हानिकारक औषधियों के अनावश्यक उपभोग का प्रतिशेध करेगा[9]। इस प्रकार यद्यपि संविधान के इन समस्त वर्णित नीति निदेशक तत्वों में राज्य पर विशेष रूप से स्वास्थ्य के अधिकार के संरक्षण का कर्तव्य अधिरोपित नहीं किया गया है परन्तु इन समस्त नीति निदेशक तत्वों का सार तथा केन्द्र बिन्दु व्यक्ति का स्वास्थ्य ही है।

अपने नागरिकों के स्वास्थ्य के संरक्षण का राज्य का यह संवैधानिक दायित्व सामान्य परिस्थितियों की अपेक्षा महामारी के समय जब समस्त मानव जाति का स्वास्थ्य खतरे में हो, अधिक बढ़ जाता है।

Hkkjr esa LokLF; dk ekuokfèkdkj dk ÁnRr djus esa U;k;ky; dh Hkwfedk&

किसी भी राष्ट्र में विधि का शासन स्थापित करने तथा नागरिकों के संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों के संरक्षण तथा नागरिकों के द्वारा उनके मूल अधिकारों के उपभोग करने के लिए उपयुक्त वातावरण सुनिश्चित करवाने में न्यायालय विशेष भूमिका निभाते हैं। भारतीय न्यायालयों ने भी भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षण में विशिष्ट भूमिका निभाई है तथा संविधान के उपबन्धों का निर्वचन कर न केवल नागरिकों के मूल अधिकारों को संरक्षित किया अपितु भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों के साथ ही स्वास्थ्य का अधिकार भी प्रदत्त किया है।

भारतीय न्यायालयों ने संविधान के भाग 3 एवं 4 के प्रावधानों का निवर्चन करते हुए स्वास्थ्य के अधिकार को मूलभूत अधिकार के रूप में अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत प्रदत्त जीवन के अधिकार में सम्मिलित कर दिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत प्रत्याभूत जीवन का अधिकार केवल व्यक्ति के दैहिक अस्तित्व तक ही सीमित नहीं है अपितु उसके अन्तर्गत वे समस्त मूलभूत वस्तुएं, वातावरण एवं सुविधाएं भी सम्मिलित होती हैं, जो जीवन को मूल्यवान बनाने हेतु आवश्यक होती है जैसे, पर्याप्त आहार, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वतंत्रता, जीवन हेतु उचित सामाजिक वातावरण, आर्थिक संरक्षा इत्यादि। स्वस्थ निरोगी शरीर भी जीवन के अधिकार

8. अनुच्छेद 42 के अनुसार राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने और प्रसूति सहायता के लिए उपबन्ध करेगा।
9. अनुच्छेद 47 उपबन्धित करता है कि, राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर तथा जीवन–स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से मानेगा तथा राज्य, विशिश्टतया, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के, औषधीय प्रयोजन से भिन्न, उपभोग का प्रतिशेध करने का प्रयास करेगा।

का एक आवश्यक अंग है क्योंकि, अस्वस्थ शरीर एवं मस्तिष्क, व्यक्ति के जीवन को बेमानी तथा निरर्थक बना देता है तथा उसके व्यक्तित्व के समग्र विकास को अवरोधित कर देता है।

न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत प्रदत्त जीवन के अधिकार के ऐसे निर्वचन के माध्यम से ''जीवन'' के मूल अधिकार को इसके समग्र रूप में अनुच्छेद 21 में स्थापित किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है। सरकार का यह संवैधानिक दायित्व है कि, वह प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करें।[10] न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि, राज्य स्वास्थ्य सेवाओं का पोषण करने के दायित्वाधीन है।[11] सरकारी अस्पताल की, रोगी को समय पर चिकित्सीय उपचार प्रदान करने में विफलता व्यक्ति के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है।[12] परमानन्द कटारा बनाम भारत संघ[13] के मामले में न्यायालय ने स्वास्थ्य के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया है। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि, प्रत्येक चिकित्सक चाहे वह सरकारी अस्पताल में हो अथवा निजी अस्पताल में हो, का दायित्व है कि, वह तकनीकियों की परवाह किये बिना रोगी को प्राथमिक उपचार प्रदान करे।

if'pe cxky [kr etnj lfefr cuke if'pe cxky jkT;[14] के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि, जनता को चिकित्सा सुविधा प्रदान करना राज्य का प्रमुख कर्तव्य है। राज्य अपना यह दायित्व अस्पताल एवं स्वास्थ्य केन्द्र आदि की स्थापना करके निभाता है। न्यायालय ने कहा कि, चिकित्सा सुविधायें प्रदान करने के दायित्व को राज्य नजरअन्दाज नहीं कर सकता है तथा वित्तीय बाधाओं के कारण राज्य इस सम्बन्ध में अपने दायित्यों से बच नहीं सकता है। चिकित्सा सेवाओं के लिए धन के आवंटन के मामलों में राज्य को संवैधानिक बाध्यता को ध्यान में रखना चाहिए। सरकारी अस्पताल में समय पर उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न कराना अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत जीवित रहने के अधिकार का उल्लंघन है।

dUT;ej ,td'ku ,.M fjlp lUVj cuke Hkkjr l?k[15] के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि, सेवाकाल एवं सेवा निवृत्ति के

10. पंजाब राज्य बनाम मोहिन्दर सिंह चावला (1997) 2 एस0 सी0 सी0 83
11. पंजाब राज्य बनाम राम लुभया बग्गा (1998) 4 एस0 सी0 सी0 117
12. पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, ए0 आई0 आर0 1996 ए एस0 सी0 2426
13. ए0 आई0 आर0 1989, एस0 सी0 2039
14. (1996) 4 एस0 सी0 सी0 37
15. ए0 आई0 आर0 1999 एस0 सी0 1461

पश्चात स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सुविधा प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का मूल अधिकार है। न्यायालय ने कहा कि, संविधान के अनुच्छेद 39(ड़) 41 एवं 43 को अनुच्छेद 21 के साथ पढ़े जाने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत एक मूल अधिकार है।

egUn Árki flg cuke mMhlk jkT;[16] के मामले में न्यायालय ने अभिनिर्धारित करते हुए कहा कि हमारे जैसे राष्ट्र में परिष्कृत अस्पतालों की स्थापना संभव नहीं है परन्तु ग्रामीण अपनी सीमाओं में रहते हुए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की सरकार से अपेक्षा रख सकते हैं। सरकार के लिए यह आवश्यक है कि, वह व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा प्रदत्त कर स्वस्थ जीवन व्यतीत करने में उनकी सहायता करे। स्वस्थ समाज एक सामूहिक लाभ है तथा किसी भी सरकार को इसका गला घोंटने का प्रयास नहीं करना चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरकार की प्राथमिक चिंता होनी चाहिए तथा इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना में बाधा उत्पन्न करने के लिए छलावे के रूप में तकनीकी बेडियां डाल कर इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना में बाधा उत्पन्न नहीं की जा सकती है। न्यायालय ने आगे कहा कि, राज्यों का यह दायित्व है कि, वे स्वास्थ्य की देखभाल वाले समस्त केन्द्रों पर कुशल कार्यशैली सुनिश्चित करें।

Ikktkc jkT; cuke ekfgUnj flg pkoyk[17] के मामले में भी उच्चतम न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया जा चुका है कि स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना सरकार का एक संवैधानिक दायित्व है।

,lkfl,'ku vkQ efMdy lijLif'k;fyVh vfLijVl ,o jftMsVl cuke Hkkjr l?k[18] के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21, प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्याभूत जीवन के अधिकार की रक्षा के लिए राज्य पर एक दायित्व अधिरोपित करता है। मानव जीवन का संरक्षण सर्वोपरि है। अतः राज्य द्वारा संचालित सरकारी अस्पताल मानव जीवन के संरक्षण के लिए चिकित्सा सहायता देने के लिए बाध्य हैं।

एक अन्य मामले v'ouh dekj cuke Hkkjr l?k[19] में भी उच्चतम न्यायालय ने बल देते हुए कहा है कि, राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि, स्वास्थ्य सम्बन्धी मूल अधिकार न केवल संरक्षित हैं अपितु लागू किए गए हैं तथा समस्त

16. ए0 आई0 आर0 1997 उड़ीसा 37
17. (1997) 2 एस0 सी0सी0 83
18. (2019) 8 एस0सी0सी0 607
19. (2019) 8 एस0सी0सी0 636

नागरिकों कों उपलब्ध हैं।

dksfoM&19 egkekjh ls lØfer jksfx;ksa ds LokLF; ds ekuokfèkdkj ds laj{k.k gsrq ljdkj }kjk fd;s x;s Á;kl%&

Hkkjr esa dksfoM&19 dk igyk ekeyk feyrs gh Hkkjr ljdkj us vU; ns'kksa esa dksfoM&19 ds ÁHkkoksa rFkk mlls mRiUu leL;kvksa dk voyksdu djus ds i'pkr Hkkjr esa mudh iqujkofRr jksdus rFkk Hkkjr esa dksfoM&19 lØe.k dh pSu rksMus ds fy, vusd mik; djus vkjEHk dj fn;s rFkk mlds ÁHkkoh fØ;kUo;u ds fy, leLr mik; viuk;sA ykWdMkmu] DokjUVhu lsUVlZ] dksfoM&19 ls lØfer jksfx;ksa ds fy, dksfoM vLirkyksa dk fuekZ.k ,oa LFkkiuk] fpfdRlk lqfoèkkvksa esa vko';drkuqlkj of) djuk] dksfoM&19 ls yMus esa jkT; ljdkjksa dh lgk;rk djuk] bR;kfn vusd Á;kl fd;s tk jgs gSaA pwafd Hkkjrh; lafoèkku dh lkroha vuqlwph ds vuqlkj LokLF; dk fo"k; jkT; lwph ds vUrxZr jkT; dk fo"k; gS vr% jkT; ljdkjsa Hkh viuh {kerk ds vkèkkj ij dksfoM–19 के संक्रमण को रोकने के लिये Á;kl dj jgh gSA कोविड–19 के संक्रमण को रोकने के लिये, संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ना आवश्यक है जिसके लिए अधिक से अधिक कोविड–19 रोगियों की पहचान के लिये टेस्ट करना आवश्यक है। कोविड–19 की पहचान के लिये सबसे उपयुक्त आर0टी0पी0सी0आर (RTPCR) टेस्ट है। आरम्भ में इस टेस्ट की कीमत 4500 रूपये प्रति टेस्ट थी बाद में इस टेस्ट की कीमत घटाकर 2400 रूपये प्रति टेस्ट निर्धारित कर दिया गया है। दूसरा टेस्ट एन्टीजन टेस्ट है जो सस्ता होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति की पहुँच में है। इस टेस्ट के परिणाम भी शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं, जबकि एक आर0टी0पी0सी0आर टेस्ट में कम से कम 5 घण्टे लगते है, समय और कीमत दोनो दशाओं में रैपिड एन्टीजन टेस्ट अच्छा है, परन्तु इस टेस्ट के परिणाम पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं हैं क्योंकि इण्डियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार इस टेस्ट के परिणाम मे विविधता आ सकती है। इसी कारणवश कई राज्यों में रैपिड एन्टीजन टेस्ट को कम करने तथा ज्यादा से ज्यादा आर0टी0पी0सी0आर0 टेस्ट करने को कहा गया है । dksfoM&19 ds VsLV ds fy, Á;ksx'kkykvksa dh la[;k rFkk VsLV dh {kerk yxkrkj बढाई जा रही हैं। 11 अगस्त को इण्डियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार अब भारत में कुल 1421 प्रयोगशालाओं में कोविड–19 का टेस्ट हो सकता है । जिनमें से 944 सरकारी एवं 477 प्राइवेट प्रयोगशालाएं है।[20] संक्रमित रोगियों को तत्काल मदद

20. उपलब्ध https://www.icmr.gov.in/pdf/covid/labs/COVID_Testing_Labs_11082020.pdf, Visited on August 11, 2020

पहुँचाने के लिए सरकार ने हेल्प लाईन नम्बर जारी किये हैं। आरोग्य सेतु ऐप जारी किया गया जो कोविड–19 के रोगियों के संपक्र में आने पर लोगों को सचेत करता है।

राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर चिकित्सकों की टीमें गठित की गईं, जो प्रत्येक दिन 24 घण्टे नागरिकों के प्रश्नों के उत्तर देने तथा आवश्यकता पड़ने पर उनको सहायता उपलब्ध कराने के लिए तत्पर हैं।

चूंकि कोविड–19 एक संक्रमण वाली बीमारी है तथा कोविड देखभाल केन्द्रों पर काम करने वाले चिकित्सकों, नर्सों तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मचारीगणों को इस संक्रमण से संक्रमित होने का सर्वाधिक खतरा होता है। अप्रैल माह से 10 अगस्त 2020 तक विभिन्न राज्यों के अनेक चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस व सैन्य बलों के कर्मचारी कोविड–19 महामारी से संक्रमित हो गये। कई प्रशासनिक अधिकारी भी कोविड–19 से संक्रमित हो गये, जिसमें से कई की मृत्यु भी हो गयी। अतः केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों, कोविड देखभाल केन्द्रों पर काम करने वाले लगभग 22.12 लाख चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मचारियों जो प्रथम पंक्ति के कोरोना योद्धा हैं, तथा पुलिस बल, प्रशासनिक अधिकारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु बीमा योजना आरम्भ की है।[21]

इस प्रकार सरकार अपने स्तर से कोविड–19 पर नियंत्रण करने का भरसक प्रयास कर नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार प्रदत्त करने का प्रयास कर रही है।

dkfoM&19 egkekjh ls xLr jkfx;ksa ds LokLF; ds ekuokfèkdkj ds lqj{k.k esa U;k;ky; dh Hkwfedk%&

कोविड–19 पर नियंत्रण के सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों में जहां भी कुछ कमियां रह गयी थीं वहां न्यायालय ने सरकार को अनेक मामलों में निर्देश जारी कर नागरिकों के स्वास्थ्य के अधिकार को संरक्षण प्रदत्त किया हैं। गुजरात उच्च न्यायालय ने स्व प्रेरणा से मामले का संज्ञान लेते हुए 23 मई 2020 को राज्य सरकार को कोविड–19 अस्पतालों एवं वहॉ भर्ती रोगियों की खस्ता हालत तथा राज्य में कोविड–19 संक्रमण के बढते मामलों को रोकने हेतु उचित कदम उठाये जाने हेतु दिशा निर्देश जारी किये। न्यायालय ने राज्य को न्यायालय द्वारा कोविड–19 अस्पतालों के औचक निरीक्षण के लिए भी तैयार रहने के लिए कहा।[22]

---

21. उपलब्ध https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1632863, Visited on 11-08-2020
22. सुओ मोटो बनाम स्टेट ऑफ गुजरात तथा दो अन्य, उपलब्ध https://www.indiaspend.com/wp--content/uploads/2020/06/WPPIL422020_GJHC240193932020_15_29052020.pdf

भारत के उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के कोविड–19 के लिए निर्धारित सरकारी अस्पतालों में भर्ती कोविड–19 संक्रमित रोगियों को उचित चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराने में सरकार की विफलता तथा कोविड–19 अस्पतालों की दयनीय स्थिति के बारे में प्रकाशित एक समाचार का संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार के विरूद्ध आदेश निर्गत करते हुए कहा कि, दिल्ली सरकार कोविड–19 रोगियों को उचित स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने पर ध्यान दे तथा उसके लिए उचित प्रभावी कदम उठा कर न्यायालय को अवगत कराये। न्यायालय ने राज्य में कोविड–19 टेस्ट कम करने के कारणों पर भी सरकार से जवाब मांगा तथा अति शीघ्र टेस्ट की संख्या बढ़ाने का निर्देश भी दिया।[23] 12 जून 2020 एवं 19 जून 2020 के अपने विस्तृत आदेश में न्यायालय ने पुनः अभिनिर्धारित किया कि स्वास्थ्य का अधिकार सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है। न्यायालय ने कोविड–19 के सरकारी अस्पतालों में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाने तथा अस्पतालों के निरीक्षण हेतु एक समिति के गठन का आदेश भी जारी किया। न्यायालय ने दिल्ली में रैपिड एन्टीजन टेस्ट को कम करके ज्यादा से ज्यादा आर0टी0पी0सी0आर0 टेस्ट करने का आदेश भी दिया।

हाल ही में गंटा जय कुमार बनाम तेलंगाना राज्य एवं अन्य[24] के मामले में तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि, चिकित्सा आपात के नाम पर नागरिकों के मूल अधिकारों को कुचलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो कि उन्हें संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत दिया गया है। इस मामले में न्यायमूर्ति एम0एस0 रामचन्द्र राव तथा के0 लक्ष्मण की खण्डपीठ ने सरकार के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें कोविड–19 महामारी की जांच केवल सरकारी अस्पतालों में करने की अनुमति थी। न्यायालय ने स्वास्थ्य के अधिकार की व्याख्या करते हुए व्यक्ति को, अपने लिए अपनी पसन्द की चिकित्सीय देखभाल को चुनने के अधिकार तक विस्तृत कर दिया, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि, वह चुनाव कर सकें कि, उसे किस अस्पताल अथवा जांच केन्द्र से चिकित्सा अथवा जांच करवानी है। अतः न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि, स्वास्थ्य के अधिकार के अन्तर्गत अपनी पसंद की प्रयोगशाला में परीक्षण कराने की स्वतंत्रता सम्मिलित है। सरकार व्यक्ति के इस अधिकार को छीन नहीं सकती।

राज्य अपने आदेश के माध्यम से व्यक्ति की पसंद को सीमित करके उसे अक्षम नहीं कर सकता है। विशेष रूप से तब जबकि एक ऐसी संक्रमण वाली बीमारी की

23. उपलब्ध https://www.thehindu.com/news/national/supreme-court-asks-delhi-govt-to-explain-dip-in-covid-19-testing/article31812396.ece, last visited on June 13, 2020
24. Writ Petition No. 75 of 2020, miyC/k https://www.livelaw.in/pdf_upload/pdf_upload-375171.pdf

बात आती है जो उसके अथवा उसके परिजनों के जीवन अथवा स्वास्थ्य को प्रभावित करती है।

कोविड–19 महामारी की जांच हेतु मनमाने पैसे वसूलने तथा महंगी जांच को नियमित कर, प्रत्येक व्यक्ति तक जांच कराने की आर्थिक क्षमता को संरक्षित करते हुए उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 7 अप्रैल 2020 को केन्द्र सरकार को अन्तरिम आदेश जारी किया कि, कोविड–19 से सम्बन्धित जांच चाहे सरकार द्वारा अनुमन्य सरकारी प्रयोगशालाओं अथवा प्राइवेट प्रयोगशालाओं में, निःशुल्क की जाये तथा केन्द्र सरकार अतिशीघ्र इसके लिए आवश्यक निर्देश जारी करे।[25] यद्यपि न्यायालय के निर्देशानुसार सरकार के द्वारा यह परीक्षण निःशुल्क तो नहीं किया गया परन्तु इसका मूल्य अवश्य नियंत्रित कर दिया गया। परन्तु सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन प्राइवेट प्रयोगशालाओं में आज भी नहीं किया जा रहा है तथा मनमाना पैसा वसूला जा रहा है। एक अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि, सरकार यह सुनिश्चित करे कि, अस्पताल किसी भी कोविड–19 रोगी को चिकित्सा उपचार देने से इन्कार न करें।[26] न्यायालय ने कहा कि, वह हितधारकों से मिले तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जारी करने के लिए निर्देश बनाये जो यह सुनिश्चित करें कि कोई भी कोविड–19 रोगी जिसे चिकित्सा की आवश्यकता है, उसे केवल इस आधार पर अस्पताल से वापस न किया जाये कि, वह चिकित्सा उपचार का व्यय वहन नहीं कर सकता।

न्यायालय ने आगे कहा कि, हम इस बात से सहमत है कि, चिकित्सा उपचार का व्यय, चिकित्सा उपचार प्राप्त करने में अवरोध नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से इस महामारी के समय। कोई भी व्यक्ति अस्पताल के दरवाजे से इस लिए वापस नहीं लौटाया जायेगा कि, वह चिकित्सा उपचार का व्यय वहन करने में असमर्थ है। न्यायालय का उद्देश्य चिकित्सा उपचार के शुल्क को निर्धारित करना नहीं है। चिकित्सा शुल्क अलग–अलग राज्यों में भिन्न–भिन्न हो सकता है। न्यायालय का एक मात्र उद्देश्य सभी के लिए चिकित्सीय उपचार की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। विशेष रूप से वर्तमान स्वास्थ्य संकट के समय में।[27]

इस प्रकार न्यायालय ने काविड–19 महामारी के समय कोविड–19 संक्रमित

---

25. अमर उजाला 13 जुलाई 2020
26. दि हिन्दू 14 जुलाई 2020, https://www.thehindu.com/news/national/ensure-hospitals-dont-refuse-covid-19-patients-supreme-court/article32083638.ece#:~:text=The%20court's%20sole%20concern%20was,Mr.. last visited on July 14, 2020
27. उपलब्ध https://www.thehindu.com/news/national/ensure-hospitals-dont-refuse-covid-19-patients-supreme-court/article32083638.ece#:~:text=The%20court's%20sole%20concern%20was,Mr.. last visited on July 14, 2020

रोगियों के स्वास्थ्य के अधिकार के संरक्षण हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये।

dkfoM&19 lØfer jkfx;ks d s LokLF; d s ekuokfèkdkj d s lj{k.k gr q ljdkj }kjk fd; s x; s Á;kl ks dk ÁHkko %&

यद्यपि भारत सरकार तथा राज्य की सरकारों ने इस महामारी के समय पर अपने समस्त चिकित्सा तंत्र को महामारी से संक्रमित रोगियों को चिकित्सीय उपचार देने में लगा दिया है, साथ ही साथ संक्रमण को फैलने से रोकने के अनेक उपायों को भी अपनी पूर्ण क्षमता से क्रियान्वित करने का प्रयास किया है तथापि, इस महामारी काल में न केवल महामारी से संक्रमित रोगियों अपितु अन्य गंभीर रोगों से ग्रस्त रोगियों के स्वास्थ्य के मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन हुआ है।

यदि बात करें कोविड–19 महामारी से संक्रमित रोगियों की, तो, अब तक के आकड़ों से पता चलता है कि, रोगियों की बढ़ती संख्या के कारण न तो संक्रमित रोगियों को एम्बुलेंस सेवा मिल पा रही है और न ही अस्पतालों में बिस्तर की सुविधा। अनेक राज्य सरकारों ने अस्पतालों में बिस्तर उपलब्ध न हो पाने के कारण संक्रमित रोगियों को घर पर ही एकान्त में रहने का आदेश जारी कर दिया।

कई कोविड–19 संक्रमित रोगियों की मृत्यु या तो घर पर ही या अस्पताल के बाहर ही हो गई। कुछ नामी अस्पतालों को छोड़ दें तो कोरोना वार्डो की स्थिति भी बहुत खराब है। न साफ सफाई की व्यवस्था और न ही आवश्यक दवाइयां उपलब्ध करायी जा रही हैं। यद्यपि बीमारी के समय रोगियों को पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है जिससे उनके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता आ सके, परन्तु कोविड–19 रोगियों के भोजन की व्यवस्था तथा गुणवत्ता अस्पताल के स्तर के आधार पर निर्धारित हो रही है। भोपाल के चिरायु मेडिकल कालेज में एक मरीज की एक समय के भोजन की थाली की कीमत 500 रूपये तो वहीं सरकारी अस्पताल में 120 रू0 है। कई छोटे शहरों में तो भोजन के नाम पर जीवित रहने लायक भोजन ही उपलब्ध कराया जा रहा है[28]। इसी प्रकार एक होम्योपैथिक कालेज जिसे कोविड–19 केयर सेंटर बनाया गया वहां 280 रू0 में दिन भर का भोजन दिया जा रहा है। अनेक कोविड–19 संक्रमित रोगियों ने अस्पतालों से वीडियो बना कर अस्पतालों की स्थिति की जानकारी साझा करते हुए बताया कि, अस्पतालों में कई दिन तक कोई उन्हें देखने नहीं आता है। एक स्वास्थ्य कर्मी जो कि, एक जिले के एक कोविड–19 अस्पताल में सफाई कर्मी का कार्य करता है, ने यह जानकारी देते हुए बताया कि, चिकित्सक अपनी पी0पी0ई0 किट पहनाकर उन्हें वार्डो में भेज कर रोगियों को रोग के लक्षणों के आधार पर दवाई दिलवाते हैं। चिकित्सक तथा नर्से वहां जाने से बचते

28. कोरोना इन भोपाल, 19 मई 2020

हैं।

यह सही है कि, कोविड–19 के उपचार हेतु अभी तक कोई भी दवाई नहीं बनाई जा सकी है। अतः उचित दवाइयों के अभाव के कारण रोगियों को उनके लक्षणों के आधार पर दवाइयां देकर स्वस्थ करने का प्रयास किया जा रहा है। जो काफी सफल भी रहा है। इस कारण भारत में कोविड–19 से संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु दर काफी कम है, परन्तु अस्पतालों में बिस्तरों की अनुपलब्धता, वेंटीलेटर्स, आक्सीजन सिलेंडर की कमी, चिकित्सा स्टाफ की कमी समय पर एम्बुलेंस न मिल पाना, कोविड–19 टेस्ट की रिपोर्ट में गड़बडियां इस बात की पुष्टि करती हैं कि, एक तरफ प्रथम पंक्ति के कोरोना योद्धा इस महामारी से लड़ने तथा रोगियों को उपचार प्रदान कर उन्हें स्वस्थ करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर हजारों संक्रमित रोगियों ने चिकित्सा उपचार के अभाव में दम तोड़ दिया। चिकित्सा उपचार में मृत्यु का यह सिलसिला अभी भी चल रहा है।

दूसरी ओर कोविड–19 अस्तपालों में कार्यरत चिकित्सकों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ तथा सफाईकर्मचारियों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। वे दिन–रात रोगियों की देखभाल करने में लगे है। ऐसे में उन्हें आराम करने का समय नहीं मिल पा रहा है। इन समस्त कर्मचारियों की दिन–रात की मेहनत तथा अपने जीवन की परवाह किये बिना मरीजों की देखभाल करने के जज्बे को देखकर ही इन्हें कोरोना योद्धा कहा जा रहा है। लोगों में इनके प्रति सम्मान की भावना बढ़ी है परन्तु ये समस्त चिकित्सा कर्मचारी जिन परिस्थितियों में कार्य कर रहें हैं, वह न केवल उनके स्वास्थ्य के लिए ही खतरनाक है अपितु ये उनके परिजनों के लिए भी बेहद खतरनाक है। आरम्भिक दिनों में चिकित्सकों, एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड–19 के संक्रमण से बचने के लिए आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी का सामना करना पड़ा। समय पर पी0पी0ई0 किट प्राप्त न होना, संरक्षण के अन्य सामान जैसे टोपी, दस्ताने, सेनेटाइजर, मास्क इत्यादि का पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होना आदि कारणों से अनेक कोरोना योद्धा भी कोविड–19 के संक्रमण का शिकार हो जाते हैं। दिनांक 10 अगस्त 2020 तक भारत में कोविड–19 संक्रमण से 213 चिकित्सकों की मृत्यु हो चुकी है।[29] इसकी पुष्टि इस बात से की जा सकती है कि आई0सी0एम0आर0 ने केन्द्र सरकार को पत्र लिख कर इन चिकित्सकों को उचित सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की अनुशंसा की है। विभिन्न प्रदेशों के रेजिडेन्ट डाक्टर एसोसिएशन, नर्स एसोसिएशन ने इन असुविधाओं के विरूद्ध आवाज उठाते हुए प्रदर्शन भी किये । अगस्त माह में भी मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि विभिन्न मेडिकल कालेजों, जिला चिकित्सालयो एवं कोविड केयर सेन्टरों में भी पीपीई किट की कमी के कारण

29. एन0डी0टी0वी0 दिनांक 10/08/2020 समय 01:00 पी0एम0

प्रदर्शन इत्यादि किये गये ।

इन समस्याओं का सामना केवल उन चिकित्सकों तथा चिकित्सा कर्मियों को करना पड़ रहा है जो रात–दिन कोविड–19 से ग्रसित रोगियों का इलाज करने में जुटे हुए है। अन्य चिकित्सक जिनमें मुख्यतः निजी अस्पताल अथवा स्वयं का क्लीनिक चलाने वाले चिकित्सक हैं इस समय पर अपने कार्यो से विरत रहकर स्वयं को कोरोना से बचाने में लगे हैं अथवा रोगियों की मजबूरी का लाभ उठा कर अधिक से अधिक पैसा कमाने में लगे हुए हैं।

लगभग 133 करोड़ जनसंख्या वाले भारत देश में कोविड–19 के संक्रमण को रोकने तथा रोगियों के उपचार के सरकार के समस्त प्रयास पर्याप्त साबित नहीं हो रहे हैं तथा अपर्याप्त संसाधनों के कारण रोगियों के स्वास्थ्य के अधिकार का लगातार घोर उल्लंघन हो रहा है।

dkfoM&19 ykWdMkmu dky esa vU; xHkhj jksxksa ls xLr jksfx;ksa ds LokLF; ds ekuokfèkdkj dk mYya?ku%&

यद्यपि लॉकडाउन काल में कोरोना के अतिरिक्त अन्य रोगों से ग्रस्त कितने रोगियों की चिकित्सा उपचार की सुविधा न मिलने के कारण मृत्यु हो गयी इसका कोई प्रामाणिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं हो सका है परन्तु समाचार पत्र, समाचार चैनल तथा इन्टरनैट के माध्यम से उपलब्ध आंकड़ों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि, कोविड–19 महामारी काल में लॉकडाउन के कारण कोविड–19 के उपचार के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रकार के चिकित्सा उपचार तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिये जाने अथवा यातायात साधनों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाये जाने के कारण कैंसर, तपेदिक, एड्स, थैलेसीमिया, गंभीर मधुमेह तथा अन्य गंभीर रोगों से ग्रस्त रोगियों की मृत्यु मात्र इस कारण हो गयी है कि, इन्हें समय पर या तो चिकित्सा सुविधा अथवा दवाईयां प्राप्त न हो सकीं।

जब कोविड–19 महामारी के कारण घोषित लॉकडाउन के कारण सम्पूर्ण भारत की रफ्तार एकदम ठहर गयी, उसी समय समस्त सरकारी एवं निजी अस्पताल तथा नर्सिंगहोम्स तात्कालिक प्रभाव से बन्द कर दिये गये। सभी अस्पतालों में समस्त ओ0पी0डी0 तथा शल्य चिकित्सा तथा मरीजों की भर्ती बन्द कर दी गई। सरकार के द्वारा समस्त देशवासियों को यह निर्देश भी दिये गये कि, वे जहां हैं, वही रहें, तथा घर पर रह कर ही अपने चिकित्सक के द्वारा दी गयी दवाइयों का सेवन करें तथा अस्पताल न जायें। सरकारी एवं निजी दोनों ही अस्पतालों ने गंभीर रूप से रोग ग्रस्त रोगियों को भी अस्पताल में भर्ती करने से इंकार कर दिया। रोगियों को एक

अस्पताल से दूसरे अस्पताल भागना पड़ा परन्तु फिर भी उन्हें समय पर इलाज न मिल सका। कई अस्पतालों ने स्टाफ की कमी के कारण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने से इंकार कर दिया।

यदि हम देश की राजधानी का ही उदाहरण लें तो अचानक किये लॉकडाउन से दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल तथा एम्स के बाहर देश के कोने–कोने से आये सैकड़ों रोगी तथा उनके सेवादार परिजन असहाय स्थिति में फंस गये। कैंसर, किडनी, हृदय रोग तथा अन्य गंभीर रोगों से ग्रस्त रोगियों को अस्पताल ने यह कह कर चिकित्सा उपचार देने से इंकार कर दिया कि, सरकार का आदेश है कि, कोविड–19 असपतालों में चिकित्सा के अतिरिक्त समस्त अस्पतालों की ओ0पी0डी0 एवं आपरेशन निरस्त किये जाते हैं। ऐसे समय में जब भारत के समस्त अस्पतालों में ओ0पी0डी0 एवं शल्य चिकित्सा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई इसके साथ ही साथ आवागमन के भी समस्त साधन तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिये गये, उस समय अपने घरों से सैकड़ों–हजारों किलोमीटर दूर चिकित्सा के लिए गए रोगी व उनके सेवादार परिजन दोहरी मुश्किल में फंस गये। एक तरफ रोगी को चिकित्सा सुविधा न मिल पाना तो दूसरी ओर रहने खाने की समस्या। यद्यपि सरकार व समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा खाना तथा रहने के लिए क्वारेंटीन सेंटर्स उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया परन्तु ये सभी प्रयास उनकी मुश्किलें दूर करने के लिए अनुपयोगी तथा अत्यंत कष्टकारी सिद्ध हुए, जो उनके स्मृति पटल पर कभी न भूलने वाली याद के रूप में अंकित हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के किसान विजय सहाय अपने 13 वर्ष के बेटे, जो ब्लड कैंसर से पीड़ित था, को, इलाज के लिए एम्स लाये थे परन्तु लाकडाउन के कारण इलाज नहीं हो पाया। वहीं 22 वर्षीय अमन जीत को उपचार के लिए एम्स भेजा गया था परन्तु लाकडाउन के कारण अमर को भी चिकित्सा सुविधा प्राप्त न हो पायी और न ही उनकी जांच हो पायी। 34 वर्षीय रेखा देवी को, जिन्हें कैंसर था, इलाज न मिल पाने के कारण दुगुनी पीड़ा से गुजरना पडा।[30] मैत्री, मुंह के कैंसर से पीड़ित महिला, जिसका उपचार दिल्ली के एम्स में चल रहा था, की जीभ से अचानक खून बहने लगा। उसको तुरन्त आपरेशन की आवश्यकता थी परन्तु एम्स के चिकित्सकों ने यह कह कर उसका आपरेशन करने से इंकार कर दिया कि सरकार के आदेश से कोविड–19 चिकित्सा के अतिरिक्त समस्त चिकित्सा सेवाये बंद कर दी गई हैं।

एक कोविड–19 के लक्षण के संदेह वाली गर्भवती महिला की एम्बुलेंस में ही मृत्यु हो गई जब आठ अस्पतालों ने उसे भर्ती करने से इंकार कर दिया[31]। उसके

30. दि वायर इण्डिया डाट कॉम, अप्रैल 11, 2020
31. टाइम्स ऑफ इण्डिया, जून 7, 2020

परिजन 13 घन्टे तक उसे ले कर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल दौड़ते रहे परन्तु 8 में से किसी भी अस्पताल ने उसे चिकित्सा उपचार प्रदान नहीं किया। वहीं दूसरी ओर मणिपुर में एक गर्भवती महिला को पांच अस्पतालों के द्वारा भर्ती करने से इंकार कर दिया अन्ततः उसकी मृत्यु हो गई।[32] एक अन्य गर्भवती महिला का समय पर चेकअप न होने के कारण उसके अजन्मे बच्चे की गर्भ में ही मृत्यु हो गयी।[33]

ये कुछ उदाहरण हैं जिनमें लॉकडाउन के समय गंभीर रोगों से ग्रस्त रोगियों को समय पर उपचार न मिल पाने के कारण या तो उनकी मृत्यु हो गयी अथवा उनकी बीमारी लाइलाज बीमारी की स्थिति में पहुंच गई। वही सैकड़ों रोगियों ने बिना चिकित्सा उपचार के ही दम तोड़ दिया।

दिल्ली की एक संस्था राजविन्दर ऑफ कैनर्पोट जोकि कैंसर रोगियों की सहायता करती थी, ने बताया कि, वो लॉकडाउन के कारण कैंसर रोगियों की सहायता नहीं कर सकें। उन्होंने बताया कि सभी वाहय रोगियों की कीमो थेरेपी बन्द कर दी गयी।[34] कलकत्ता के बिन्दन नगर उत्तरी के एक पुलिस अधिकारी एक फोन पर जब सहायता हेतु उस व्यक्ति के घर पहुंचे तो उन्होने पाया कि एक 40 वर्षीय व्यक्ति सोफे पर मरा पड़ा है तथा उसकी बहन रो रही है। उसको मधुमेह का सेरेबल अटैक पडा था। उसके परिजनों ने तीन अस्पतालों में उन्हें भर्ती कराने का प्रयास किया परन्तु सभी के द्वारा मना करने पर वापस घर लाना पड़ा जहां उनकी मृत्यु हो गयी।

मधुमेह, किडनी एवं थेलेसेमियां रोगी सोशल मीडिया पर दवाईयां उपलब्ध न हो पाने तथा डायलिसिस सेंटर तक न पहुंच पाने के मैसेज भेज रहे थे। लॉकडाउन में न केवल सरकार, अस्पताल एवं चिकित्सकों का अमानवीय चेहरा दिखायी दिया अपितु पुलिस के द्वारा भी इसमें बढचढ कर सक्रियता दिखाई गई । चिकित्सक का पर्चा दिखाने के उपरान्त भी उन्हें जाने नहीं दिया गया।

डायलिसिस पर जीवित रहने वाले अनेक सरकारी कर्मचारी जो डायलिसिस की सरकारी स्कीम पर निर्भर थे, समय पर डायलिसिस की सुविधा प्राप्त न कर सके। शेख कैसर जो डायलिसिस पर थे, ने एक समाचार पत्र को बताया कि, वे डायलिसिस के लिए चार अस्पतालों में गये परन्तु जहां सरकारी स्कीम की कम कीमत पर डायलिसिस उपलब्ध थी वहां लम्बी लाइन थी तथा निजी अस्पताल में उपलब्ध

32. एन0डी0टी0वी0 अगस्त 7, 2020 समय दोपहर 1:46

33. उपलब्ध https://www.deccanherald.com/specials/insight/non-covid-19-patients-left-in-the-lurch-as-virus-swamps-hospitals-860030.html, last visited on 10 August 2020

34. उपलब्ध https://timesofindia.indiatimes.com/india/how-covid-war-is-hurting-indias-non-covid--patients/articleshow/74949121.cms, last visited on 13 August 2020

सुविधा बहुत महंगी थी अन्ततः 4000 हजार रूपये देने के पश्चात उस अस्पताल में ही डायलिसिस सुविधा मिली जहां उनका पहले ही इलाज चल रहा था।

राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत अमरित क्लीनिक जोकि बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज नामक संस्था के द्वारा चलाये जाते हैं, के द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, अनेक मधुमेह रोगियों को समय पर इन्सुलिन उपलब्ध न हो पाने के कारण उनकी स्थिति गंभीर हो गयी तथा वे कीटोसीडोसिस रोग से ग्रस्त हो गये। टी0बी0 के रोगियों को समय पर दवाइयां उपलब्ध न होने के कारण उनकी स्थिति खराब हो रही है। एच0आई0वी0 से ग्रस्त रोगी भी समय पर दवाइयां उपलब्ध न होने के कारण डर में जी रहे हैं। यह सब अचानक पूरे भारतवर्ष में सम्पूर्ण लॉकडाउन घोषित किये जाने के कारण हुआ क्योंकि इस लॉकडाउन के कारण न केवल व्यक्तियों का आवागामन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित कर दिया गया अपितु आवागमन के समस्त साधन भी प्रतिबन्धित कर दिये गये। वाहनों के आवागमन के पूर्ण प्रतिबन्ध के कारण आवश्यक दवाइयों को आपूर्ति भी बाधित हो गयी।[35]

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा उपलब्ध कराई गई समीक्षा रिपोर्ट का मूल्यांकन करने पर यह पता लगता है कि, लॉकडाउन के समय एक लाख कैंसर पीड़ित रोगी कम अस्पताल पहुंच सके तथा चार लाख पचास हजार कम बच्चों का टीकाकरण हुआ तथा 30 प्रतिशत से कम आपात मामले अस्पताल में आये। इन आंकड़ों से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि, लॉकडाउन के समय में लोग कैंसर, टी0बी0, एड्स तथा अन्य बीमारियों से ग्रसित नहीं हुए अर्थात बीमारियां कम हुई अपितु इन रोग ग्रस्त व्यक्तियों की समय पर चिकित्या सुविधा तथा दवाइयां उपलब्ध न हो पाने के कारण या तो मृत्यु हो गयी अथवा वे ऐसी गंभीर स्थिति में पहुंच गये जहां उन्हें बचा पाना सम्भव न हो पाया।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा लगाये गये अनुमान के अनुसार, भारत में 25 मिलियन तपेदिक के मामले हैं जिनमें चालीस लाख चालीस हजार की प्रत्येक वर्ष मृत्यु हो जाती है। वहीं प्रति वर्ष लगभग 1 करोड 50 लाख़ मलेरिया के मामले आते हैं जिनमें से प्रतिवर्ष बीस हजार की मृत्यु हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के इस अनुमान के अनुसार लगभग साढे तीन महीने के सम्पूर्ण लॉकडाउन के कारण इन रोगों के रोगियों की मृत्यु की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई होगी। जबकि समय पर उपचार मिलने से इनमें से अनेक रोगियों को बचाया जा सकता था। bu jkfx;k

---

35. उपलब्ध https://scroll.in/article/962147/stronger-health-system-could-have-averted-500000-non-covid-deaths-in-india-in-early-lockdown period#:~:text=Using%20the%20same%20proportion%2C%20it, have%20averted%20about%20500%2C000%20deaths. accessed on 06/08/2020.

ds LokLF; ds vfèkdkj ds lqj{k.k ds fy, U;k;ky; dks Hkh gLr{ksi djuk iMkA बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के0आर0 श्रीराम ने तीन लोक हित वादों पर सुनवाई करने के पश्चात कहा कि संघ सरकार तथा महाराष्ट्र राज्य के प्राधिकारी कोई ऐसा प्रभावकारी समाधान निकाले जिसमें कोविड–19 के अतिरिक्त अन्य रोगियों को समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध करने से इंकार न किया जाये। परन्तु न्यायालय का यह आदेश बहुत प्रभावी सिद्ध नहीं हो पाया। इस महामारी के समय जब ईश्वर से तुलना किये जाने वाले चिकित्सकों की सहायता की जनता व राज्य को सबसे अधिक आवश्यकता थी उस समय पर मात्र सरकारी अस्पतालों तथा सरकार द्वारा कोविड–19 के रोगियों के उपचार हेतु प्राधिकृत प्राइवेट अस्पतालों के चिकित्सकों के अतिरिक्त अन्य चिकित्सक सहायता हेतु सामने नहीं आये।

अनेक निजी अस्पतालों अथवा स्वयं का क्लीनिक चलाने वाले चिकित्सकों ने इस परिस्थिति का लाभ उठाकर अपने अस्पतालों तथा क्लीनिकों पर अन्य रोगों से ग्रस्त रोगियों को सामाजिक दूरी के साथ देखने अथवा वीडियो कान्फेंसिंग के माध्यम से परामर्श देने के नाम पर अपना परामर्श शुल्क बढ़ा दिया। रोगियों को भर्ती करने से पहले लाखों रूपये जमा कराने के पश्चात उपचार प्रदान करने की शर्त के कारण गरीब तथा मध्यम वर्गीय रोगियों को उपचार से वंचित रह जाना पड़ा।

यद्यपि इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है कि केन्द्र व राज्य सरकारों ने कोविड–19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए प्रारम्भ से ही बहुत उपयोगी उपाय किये जिससे बहुत हद तक इस महामारी को तेजी से फैलने से रोका भी जा सका है। 133 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या वाले भारत देश में अन्य देशों की तुलना में यह महामारी धीमी गति से फैल रही है क्योंकि इससे सम्बन्धित चिकित्सीय उपायों के साथ–साथ सरकार ने जनता को महामारी से बचने के उपायों के बारे में जागरूक करने का कार्य भी किया तथा महामारी से बचने के उपायों का पालन न करने पर दण्ड का प्रावधान कर जनता को भय दिखा कर महामारी से बचने के उपायों का पालन करने के लिए बाध्य किया है। परन्तु सरकार अपने इस प्रयास तथा नीति में यह भूल गई कि, इस महामारी के समय में भी अन्य ऐसी अनेक बीमारियां हैं जिसमें रोगियों को लगातार चिकित्सक की सहायता तथा उपचार की आवश्यकता होती है तथा वे चिकित्सा उपचार के लिए किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में भी इंतजार नहीं कर सकते। इन रोगियों को कोविड–19 महामारी के समय चिकित्सा उपलब्ध न करा पाना तथा इनके चिकित्सा उपचार पर कई महीनों के लिए रोक लगा देना इन रोगियों के स्वास्थ्य के अधिकार का ही नहीं जीवन के अधिकार का उल्लंघन भी है जो कि, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकार है तथा संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न अंग है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि, यद्यपि इस महामारी के समय भारत सरकार तथा राज्य की सरकारों के समस्त प्रयास बहुत ही सराहनीय रहे हैं जिससे संक्रमण के प्रभाव को धीमा करने में सफलता मिली है। मृत्युदर अन्य देशों की तुलना में काफी कम है तथापि, इस महामारी काल में न केवल महामारी से संक्रमित अनेक रोगियों अपितु अन्य गंभीर रोगों से ग्रस्त रोगियों को लॉकडाउन के समय चिकित्सा उपचार उपलब्ध न करा पाना नागरिकों के स्वास्थ्य के मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है। सरकार अपने नागरिकों के स्वास्थ्य के मानवाधिकार का संरक्षण करने में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकी है।

इस महामारी के आपातकाल में सरकार को चाहिए कि, वो सरकारी चिकित्सा तंत्र के साथ–साथ निजी चिकित्सा तंत्र का प्रयोग भी कोविड–19 से लड़ने के लिए अधिग्रहीत करे।

कोविड–19 महामारी के समय सरकार को महामारी रोकने के उपायों के साथ ही साथ अन्य गंभीर बीमारियों के रोगियों के स्वास्थ्य के मानवाधिकार का संरक्षण करने हेतु भी विशेष उपबन्ध करने चाहिए। जिससे कोविड–19 तथा अन्य गंभीर रोगों के रोगियों के स्वास्थ्य के मानवाधिकार का उचित रीति से संरक्षण प्रदान किया जा सके। चूंकि कोविड–19 महामारी का संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है अतः भारत सरकार को अपने नागरिकों के स्वास्थ्य के मानवाधिकार के संरक्षण हेतु संविधान की एकात्मक रीति का प्रयोग कर केन्द्र एवं राज्यों में उचित चिकित्सा व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए तथा भविष्य में चिकित्सा पर व्यय हेतु बजट को बढ़ाना चाहिए।

• • •

lanHkZ xzUFk%

1. भारत का संविधान, http://legislative.gov.in/hi/constitution-of-india
2. https://scroll.in/latest/968757/covid-19-court-pulls-up-delhi-government-for-using-more-rapid-antigen-tests-as-case-numbers-drop
3. https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/increase-rapid--testing-numbers-delhi-high-court-to-aapgovernment/articleshow/76517632.cms?from=mdr
4. 4https://timesofindia.indiatimes.com/india/how-covid-war-is-hurting-indias-non--covid-patients/articleshow/74949121.cms
5. https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/Swaminomics/shutdowns-kill-people--and-bÁ-ease-them-fast/
6. https://theleaflet.in/analyzing-supreme-courts-attempt-to-safeguard-right-to-health/
7. World Health OrganÁation. (2014). Basic documents, 48th ed. World Health OrganÁation. https://apps.who.intèiris/handle/10665/151605

8. https://www.deccanherald.com/specials/insight/non-covid-19-patients-left-in-the-lurch-as-virus-swamps-hospitals-860030.html

9. How India's lack of transparency on coronavirus data is hindering the battle against pandemic, available at https://www.google.com/search?source=hp&ei=27M2X_iLG4Tbz7sP48yukAU&q=How+India%E2%80%99s+lack+of+transparency+on+coronavirus+data+is+hindering+the+battle+against+pandemic&oq=How+India%E2%80%99s+lack+of+transparency+on+coronavirus+data+is+hindering+the+battle+against+pandemic&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDDoOCAAQ6gIQtAIQmgEQ5QJQ5BZY5BZgjChoAXAAeACAAY4EiAGOBJIBAzUtMZgBAKABAqABAaoBB2d3cy13aXqwAQY&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwi45ZyPh5vrAhWE7XMBHWOmC1IQ4dUDCAs

10. NISHANT SIROHI, Declaring the right to health a fundamental right, available at https://www.orfonline.org/expert-speak/declaring-the-right-to-health-a--fundamental-right/

कोरोना काल : भारतीय प्रवासी श्रमिक और मानवाधिकार

Mk- fo'okl iVy•
Mk- rfguk tkgjh♦

''कोई भी काम तुच्छ नहीं है। मानवता का उत्थान करने वाले सभी श्रम की गरिमा और महत्व है और उन्हें श्रमसाध्य उत्कृष्टता के साथ किया जाना चाहिए।''

Mk- ekfVu yFkj fdx

एक मजदूर देश के निर्माण में बहुमूल्य भूमिका निभाता है और उसका देश के विकास में अहम योगदान होता है। किसी भी समाज, देश, संस्था और उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की अहम भूमिका होती है। मज़दूरों के बिना किसी भी ओद्यौगिक ढांचे के खड़े होने की कल्पना नहीं की जा सकती है और यही श्रमिक वर्ग किसी ओद्यौगिक प्रतिष्ठान को अपने श्रम से अभिसंचित कर गतिशील बनाता है। सामान्य तौर पर इन श्रमिकों के लिए एक और शब्द प्रचलित है जिसे प्रवासी श्रमिक कहा जाता है। श्रमिक और प्रवासी श्रमिक में महीन अंतर है, श्रमिक वे होते हैं जो अपना श्रम अपने ही राज्य में बेचकर अपना जीवनयापन करते हैं जबकि प्रवासी श्रमिक वे श्रमिक होते हैं, जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पलायन करते हैं। जो अपने गृह राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में काम करने जाते है। ये विभिन्न क्षेत्रों में मौसम के अनुसार, अस्थायी या फिर अंशकालिक काम करने के लिए राज्यों या देश के अंदर ही पलायन करते हैं। प्रवासी कामगार किसी भी ट्रेड यूनियन और श्रम मानकों के तहत संगठित नहीं होते हैं, इसलिये सरकार और किसी भी ट्रेड यूनियन के द्वारा संरक्षित नहीं है। ये प्रवासी श्रमिक पिछड़े समुदाय के होते हैं, इन्हें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी भी प्राप्त नहीं होती।

भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग के1991 के आंकड़ों के अनुसार सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ही 10 मिलियन से अधिक प्रवासी श्रमिक हैं। इनमें से लगभग 4.5 मिलियन अंतरराज्जीय प्रवासी और 6 मिलियन राज्यान्तर्गत प्रवासी है।जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार 40 मिलियन प्रवासी श्रमिक हैं। देश के दो बड़े राज्यों का प्रतिशत प्रवासी श्रमिकों के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा हैं जिसमें उत्तर प्रदेश में 23 प्रतिशत व बिहार

• सहायक प्राध्यापक, संत अलॉयसियस महाविद्यालय स्वशासी, जबलपुर
♦ सहायक प्राध्यापक, संत अलॉयसियस महाविद्यालय स्वशासी, जबलपुर

में 13 प्रतिशत हैं।

वर्तमान समय में कोरोना महामारी के पश्चात् 24 मार्च 2020 को भारत सरकार के द्वारा की गई देशव्यापी तालाबंदी ने प्रवासी श्रमिकों को केन्द्रीय विमर्श का विषय बना दिया है और जिस प्रकार की कठिनतम स्थितियां इनके लिए उपस्थित हुईं जो कि मानवीय दृष्टिकोण से न्यायोचित नहीं थी। कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन से राज्यों में लाखों प्रवासी मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। ये अपने घर जाने के लिए सड़क पर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर थे और अपनी रोजी रोटी के लिए परेशानियों का सामना कर रहे थे। इस महामारी ने अचानक उनके जीवन की दशा व दिशा ही परिवर्तित कर दी हैं। प्रवासी श्रमिकों की इस दयनीय दशा ने इस प्रश्न को जन्म दिया कि प्रवासी श्रमिकों के मानवाधिकारों और सम्मान को कैसे सुरक्षित रखा जाए? भारतीय संदर्भ में प्रवासी श्रमिकों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक बहुत बड़ा कारण राजनीतिक और आर्थिक है क्योंकि प्रवासी श्रमिक कभी भी राजनीतिज्ञों के लिए वोटबैंक नहीं बन पाए फलतः वे राज्य सरकारों पर चुनावी दबाव नहीं बना पाते।

Hkkjr esa rkykcanh ds nkSjku Áoklh Jfedksa dh fLFkfr

कोरोना महामारी ने वैसे तो समग्र जीवन को प्रभावित किया है परन्तु समाज का जो तबका सर्वाधिक प्रभावित हुआ वह है प्रवासी श्रमिक। व्यवसायों के अचानक बंद होने के कारण विभिन्न शहरों में काम कर रहे प्रवासी मजदूरों के सामने जीवनयापन का कठिन संकट उत्पन्न हो गया जिसके कारण हज़ारों प्रवासियों ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। उनके विरोध करने के मुख्य कारण परिवहन की मांग को वापस करने, भोजन की गुणवत्ता, सीमा पार करने की अनुमति नहीं देने, और सरकार के निर्देशों के खिलाफ उन्हें घर जाने से रोकना था। इस महामारी के कारण 5 मई 2020 तक 300 से अधिक मौते हुई। सरकार के द्वारा प्रवासी श्रमिकों को उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेनों का प्रावधान किया गया लेकिन व्यवस्थागत दुर्बलताओं के कारण 80 लोगों की मौतें हो गई। ऐसी और भी घटनाएं हैं जो पूरे भारत वर्ष में घटित हुईं जिससे पता लगता है कि प्रवासी श्रमिकों को इस महामारी के कारण कितनी कठिनतम परिस्थितियों से गुजरना पड़ा है। कुछ उदाहरण तो ऐसे हैं जिनसे मानवीय संवेदनाएं भी दहल जाएं। ऐसे ही कुछ उदाहरण निम्नांकित है –

- 10 मई 2020 को, मध्यप्रदेश राज्य में अपने घरों को जाने के लिए ट्रेन पकड़ने की उम्मीद के साथ औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचे। उन्होने पुलिस बर्बरता से बचने के लिए रेलवे ट्रैक पर चलना ज्यादा बेहतर समझा क्योंकि उन्हें यह ज्ञात था कि ट्रेनें नहीं चल रही। कई घंटों तक चलने के बाद वे

थक गए थे इसलिए आराम करने के लिए पटरी पर सो गए।सुबह लगभग 5.20 बजे एक मालगाड़ी उनके रौंदते हुए चली गई जिससे 16 प्रवासी श्रमिकों की दर्दनाक मौत हो गई।

- 26 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश में युवा प्रवासी श्रमिकों का एक समूह अपने सामान के साथ मुख्य सड़क को पार कर रहा था पर उन्हें पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है और उनके द्वारा श्रमिकों के द्वारा दी गई दलीलों को न सुनकर उन्हें शारीरिक दंड देकर अपमानित किया गया।
- 28 मार्च 2020 को, दिल्ली में हज़ारों प्रवासी श्रमिकेां का परिवार अपने बच्चों सहित अंतरराज्जीय राजमार्ग पर चल रहा था । तालाबंदी की स्थिति में कोई साधन उपलब्ध न होने के कारण अपने गंतव्य की ओर चल रहे थे लेकिन श्रमिकों का यह समूह जब दिल्ली राज्य की सीमा पर पहुंचा, तो सीमा पर तैनात पुलिस ने अधिसंख्य लोगों को शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया।
- 17 मई 2020 को, हरियाणा में काम करने वाले प्रवासी श्रमिक अपने घर उत्तर प्रदेश की ओर जा रहे थे पर उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा उत्तर प्रदेश में न आने की चेतावनी दी गई ओर उत्तर प्रदेश राज्य ने पैदल प्रवासियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया।

उप्रयुक्त घटनाएं तालाबंदी के दौरान घटित हुई घटनाओं का छोटा सा प्रतिशत मात्र है जबकि इस दौरान विभिन्न राज्यों से अपने गृह राज्य जाने वाले प्रवासी श्रमिकों के साथ ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित हुई हैं जो किसी भी संवेदनशील समाज को परेशान कर सकती है।

rkykcnh d nkjku lokPp U;k;ky; }kjk fn, x, fun'k

कोरोना महामारी के परिणामस्वरूप देशव्यापी तालाबंदी के कारण प्रवासी श्रमिकों के साथ जिस प्रकार की असंवेदनशीलता कहीं– कहीं पर व्यवस्था के द्वारा दिखाई गई और जिस प्रकार की रिपोर्ट मीडिया और अखबारों में छपती रही उससे प्रवासी श्रमिकों की स्थिति को लेकर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश जारी किए जो इस प्रकार है –

- तालाबंदी के दौरान घर लौट रहे श्रमिकों की बदहाली पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। लोगों की सुविधाजनक यात्रा के लिए कोर्ट ने आदेश देते हुए तुरंत कदम उठाने को कहा और सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकारों से जवाब भी मांगे। 26 मई को कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी करते

हुए कहा कि–

- श्रमिकों से बस या ट्रेन का किराया नहीं लिया जाय।
- जो जहां फंसा है, वहां की सरकार उसे भोजन उपलब्ध कराए।
- ट्रेन के सफर में पैसेंजर को रेलवे खाना और पानी उपलब्ध कराए।
- बस सफर के दौरान राज्य भोजन और पानी मुहैया कराए।
- रजिस्ट्रेशन के बाद घर लौटने वालों को जल्द यात्रा के साधन उपलब्ध कराए जाएं।

- 9 जून 2020 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र और राज्यों को निर्देश दिया कि वे प्रवासी मजदूरों के खिलाफ दर्ज किसी भी शिकायत या अभियोजन को वापस ले लें, जो महामारी के दौरान बड़े शहरों से अपने पैतृक गांवों के लिए भुखमरी, बेरोजगारी और बीमारी से बचने के लिए पैदल निकले थे।

jk"Vh; ekuokfèkdkj vk;kx vkj Áokl h Jfed

कोविड–19 के कारण तालाबंदी उन लोगों के लिए चिंता का विषय है जिनके पास न के बराबर संसाधन हैं। ऐसे प्रवासी श्रमिक, दिहाड़ी मजदूर, ऐसे लोग जो रोज़ कमाते–खाते हैं, या जिनके पास घर ही नहीं हैं, उनके लिए घरों में बंद रहना मुश्किल है। इन लोगों के लिए तालाबंदी, क्वारनटाइन और सामाजिक दूरी जैसे शब्दों का कोई मतलब नहीं है और इन लोगों के लिए भी गरिमापूर्ण जीवन उतना ही आवश्यक है जितना सामान्य व्यक्ति के लिए क्योंकि मानवाधिकार पर हक़ सभी का एक समान है। इसलिए हमारे देश में भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है जिसके ऊपर यह महती जिम्मेदारी है वह प्रत्येक व्यक्ति के मानवाधिकारों का संरक्षण करे और संवर्धन करे। तालाबंदी के दौरान प्रवासी श्रमिकों की स्थिति को संज्ञान में लेकर आयोग ने विशेष दिशानिर्देश जारी किए।

- 8 मई 2020 की घटना पर संज्ञान लेते हुए मानवाधिकार आयोग ने सरकार से जवाब मांगा उल्लेखनीय है कि इस घटना में मालगाड़ी ने 16 प्रवासियों को मार डाला, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास रेलवे पटरियों पर आराम करने के लिए रूक गए थे।
- 14 मई को, मध्यप्रदेश के गुना के पास एक ट्रक से टकरा जाने से आठ प्रवासी श्रमिक मारे गए और लगभग 55 घायल हो गए।
- एक गर्भवती महिला अपने पति के साथ नासिक से सतना के लिए पैदल

ही निकली थी इस दौरान महिला ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया। सिर्फ दो घण्टे आराम करने के पश्चात फिर 150 किलोमीटर की यात्रा पर चल पड़ी।

- एक प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के बीच पंजाब के लुधियाना से पैदल ही निकला था और 6 दिनों में उसने करीब 350 किलामीटर की दूरी तय की थी। खाने के लिए उसके पास कुछ न होने के कारण भूख से उसकी मौत हो गई।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने तालाबंदी के कारण उत्पन्न्न हुई परिस्थितियों पर संज्ञान तो लिया ही उसके साथ ही राज्य एवं केन्द्र सरकार को भी समय समय पर अपने सुझाव भी दिए जैसे आयोग ने कहा कि कोरोना संकट से निपटने के लिए चल रही तालाबंदी के दौरान लोगों के स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार का ध्यान रखा जाए। आयोग ने केन्द्र सरकार से कहा है कि गृह मंत्रालय के जरिये राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को इस बारे में उचित दिशानिर्देश या एडवाइजरी जारी करें। इसी प्रकार आयोग ने केन्द्र सरकार से कहा कि वह राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी कर कहें कि तालाबंदी दिशानिर्देशों का पालन करते समय पुलिसकर्मी और सरकारी कर्मचारी नागरिकों के साथ संवेदनशीलता से पेश आएं। विशेषतौर पर वंचित वर्ग के प्रति संवेदनशील व्यवहार करें और लोगों के सम्मानपूर्वक जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों का ध्यान रखें।

Lk>ko %&

कोविड–19 के कारण प्रवासी श्रमिकों को जिस प्रकार की मानसिक,शारीरिक एवं आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा और जिस प्रकार स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीवन जीने के सार्वभौमिक मानवाधिकार का उल्लंघन प्रवासी श्रमिकों के संदर्भ में देखने को मिला निःसंदेह वह किसी भी सभ्य समाज के लिए चिंता का विषय है। अतः प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं के निदान के लिए निम्नांकित सुझाव प्रस्तुत किए जा रहे हैंः

- भारत सरकार को सभी प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय वाचाओं की पुष्टि करनी चाहिए जो श्रम की गरिमा का सम्मान करती हैं।
- प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं के निदान के लिए एक अलग मंत्रालय का गठन किया जाना चाहिए।
- प्रवासी श्रमिकों में मानवाधिकारों की जागरूकता बढ़ाने के लिए गैर

सरकारी संगठनों को पहल करना चाहिए।

- ग्रामीण और कस्बे के स्तर पर रोजगार और आजीविका के छोटे अवसरों को सर्वसुलभ बनाया जाय। कम पूंजी लगने वाली इकाइयों की स्थापना हेतु सहज, सस्ता और सुलभ ऋण उपलब्ध कराया जाय।
- सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को भी छोटी और घरेलू इकाइयां लगाने के लिए प्रेरित किया जाय।
- मनरेगा जैसी योजना शहरी अकुशल श्रमिकों के लिए भी होना चाहिए।
- बड़े शहरों में रहने वाले मजदूरों और कामगारों के रूकने के लिए पर्याप्त संख्या में रैन बसेरों और सामुदायिक भवनों की स्थापना होनी चाहिए।
- प्रवासी श्रमिकों से काम लेने वाली इकाईयों को जवाबदेह बनाने की जरूरत है।
- ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे कस्बों में उच्च स्तरीय गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य के संसाधन मुहैया कराने होंगे जिससे शहरों की ओर पलायन करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जा सके।

कोरोना महामारी के दौरान की गई राष्ट्रव्यापी तालाबंदी ने जिस प्रकार प्रवासी श्रमिकों के समक्ष कठिनतम चुनौतियां प्रस्तुत की हैं उसके कारण इन श्रमिकों के लिए अधिक प्रभावशील नियम एवं कानून बनानें की आवश्यकता है क्योंकि बिना प्रभावी कानूनों के न तो इनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जा सकती है और न ही इनके मानवाधिकारों का समुचित संरक्षण किया जा सकता हैं। क्योंकि मानव होने के नाते स्वतंत्रता एवं सम्मान के साथ गरिमामय जीवन जीने का अधिकार प्रवासी श्रमिकों का भी है और जो इन्हें हर परिस्थिति में मिलना चाहिए और ये सब अधिकार प्रवासी श्रमिकों को मिले यह देखना या इसकी गारंटी लेना किसी भी लोकतांत्रिक राज्य का दायित्व है।

l nHk

- ब्रह्मानन्द राजपूत, ''देश के विकास में मजदूरों का है बड़ा योगदान पर उन्हें मिलता कुछ नहीं'' प्रभासाक्षी, 30 अप्रैल 2019।
- ''कोरोना लॉकडाउन : दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों का क्या हाल है ?'' बीबीसी हिन्दी, 5 मई 2020।
- ''यूपी में 22 फीसदी और बिहार में 8 फीसदी प्रवासी मजदूर कोरोना से संक्रमित'', द इकानॉमिक टाइम्स, 20 मई 2020।

- ''कोरोना संकट दुनिया भर में लोकतंत्र, राजनीति, शासन और प्रशासन का रूप–स्वरूप और चरित्र बदल देगा'' जागरण, 27 मई 2020।
- ''मानवाधिकार आयोग का यूपी सरकार को नोटिस, सहारनपुर में 19साल के प्रवासी मजदूर की भूख से हुई थी मौत'' आउटलुक, 27 मई 2020।
- ''इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा– सभी मजदूर भारतीय, प्रवासी नहीं कहा जा सकता, जानें SC-NHRC ने क्या कहा'' डेलीहण्ट, 29 मई 2020।
- सुशील कुमार, ''कोरोना काल में विपरीत पलायन का दंश झेलते प्रवासी मजदूरों की गाथा''गांव कनेक्शन, 4 जून 2020।

• • •

कोरोना काल में पुलिस द्वारा मानव अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन

Ák- vuie 'kek•

कोरोना वैश्विक महामारी विश्व के अधिकतर देशों को अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। यह महामारी अभी तक लाखों लोगों की जान ले चुकी है तथा कई लाख लोग अस्पतालों में जीवन एवं मृत्यु के मध्य संघर्ष कर रहे हैं । परिवारजन उनके स्वस्थ होने का इंतजार कर शीर्घ मिलने की प्रार्थना कर रहे हैं। विश्व के विकसित एवं विकासशील देश वैश्विक महामारी के समक्ष समधरातलीय हो गये हैं तथा विश्व के अधिकतर देशों की स्वास्थ्य सेवाऐं लाचार साबित हो रही हैं। कोरोना भीड–भाड वाले क्षेत्रों में छींकने, खाँसने, साँस लेने तथा छूने से फैलने वाली महामारी है जिसके परिणामस्वरूप इसके मरीजों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। कोरोना वैश्विक महामारी की वैक्सीन उपलब्ध न होने के कारण इस बीमारी से बचने के लिए इसकी रोकथाम ही सबसे बेहतर हथियार है। सुरक्षित दूरी ही इस बीमारी के लिए सबसे बेहतर विकल्प के रूप में सामने आयी है। सोशल डिस्टेंसिंग को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, जिससे कि इस महामारी से बचाव सम्भव हो सके, अधिकांश देशों ने लॉकडाउन को अपनाया एवं लागू किया गया है। संक्रमण से बचने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं अन्य देशों ने अधिक से अधिक टेस्टिंग पर भी बल दिया है।

लॉकडाउन के परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आवागमन एवं सेवाएं बाधित हैं एवं राष्ट्रीय स्तर पर आवागमन पर प्रतिबन्ध, उत्पादन की ईंकाइयां बंद तथा आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के अतिरिक्त शेष सेवाऐं बाधित हैं। वैश्विक एवं राष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण को रोकने हेतु लॉकडाउन लागू करते हुए आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं को बनाये रखने पर बल दिया जा रहा है।

कोविड–19 कोरोना वायरस की महामारी से उत्पन्न चुनौती और खतरे से निपटने के लिए भारत सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है (mygov.in)[1]। भारत में कोरोना संक्रमण के बचने हेतु प्रारम्भ से ही सुरक्षात्मक उपायों में थर्मल स्क्रीनिंग, टेस्टिंग, लोगों को जागरूक करने से लेकर 24 मार्च 2020 से लॉकडाउन की प्रक्रिया को आरम्भ किया गया था। भारत में 24 मार्च 2020 से देश भर में विभिन्न चरणों में लॉकडाउन को अपनाते हुए इसे प्रभावी तरीके से लागू किया गया। लॉकडाउन के दौरान बिना किसी आपातकाल के घर से बाहर निकलने पर आपदा

• अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), अमरकंटक, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश

प्रबंधन कानून 2005 नियमों के तहत लॉकडाउन के नियमों के तहत उचित कार्यवाही की जा सकती है। भारत में लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने पर विभिन्न भागों में इस कानून के तहत कार्यवाहियाँ की गयी हैं तथा सजा भी सुनाई गयी है।

प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में राज्य का प्रमुख उद्देश्य होता है कि राज्य में सभी व्यक्तियों का कल्याण एवं विकास हो तथा सभी के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक उन्नति करने के उचित एवं समान अवसर सुनिश्चित किये जायें। राज्य का यह भी उद्देश्य है कि वह उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए जनता की स्वतंत्रता की रक्षा तथा उनके अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन करें। अंतरराष्ट्रीय अधिकार पत्र के निर्माण के समय अमरीका के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र आयोग के समक्ष राज्य के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए कहा था कि 'जनता राज्य का निर्माण अपने कल्याण की अभिवृद्धि और अपने पारस्परिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए करती है।' जनता की इन्हीं आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु राज्य को अपने कर्तव्यों का निर्वहन सुनिश्चित करना चाहिए। इसी सन्दर्भ में राज्य द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को वैधानिक एवं सार्वजनिक अवसरों की समानता, स्वास्थ्य और श्रम शक्ति का दुरुपयोग न होने देना, बालकों, महिलाओं और युवाओं के उत्पीड़न को रोकना और सबसे अधिक व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना वांछित है।[2]

लोकतांन्त्रिक व्यवस्था, जो विश्व के अधिकतर देशों में स्वीकृत एवं सफलतापूर्वक कार्य कर रही है निश्चित रूप से जनता के मन एवं मस्तिष्क में विश्वास पैदा करती है कि उनके अधिकार राज्य के द्वारा संरक्षित एवं उनके संवर्धन हेतु राज्य के द्वारा अतिरेक प्रबन्ध किये जायेंगे। व्यक्तियों की स्वतन्त्रता की सुरक्षा तथा अधिकारों के संवर्धन की भावना ही लोकतान्त्रिक व्यवस्था की स्वीकार्यता में वृद्धि करती है तथा जनता के मन में श्रद्धा एवं विश्वास पैदा करती है। लोकतान्त्रिक व्यवस्था में पुलिस की क्या भूमिका होनी चाहिए यह एक शाश्वत प्रश्न रहा है।

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंटोनियो गुटेरेश ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी तेजी से एक मानव संकट से मानवाधिकार संकट में बदल रही है। उनके द्वारा इस बात को भी उठाया गया कि वैश्विक महामारी से निकलने के प्रयासों का संचालन मानवाधिकारों को केन्द्र में रखकर किया जाये। मानवाधिकार ऐसे अधिकार हैं जो प्रत्येक मनुष्य को केवल मनुष्य होने के नाते प्राप्त होने चाहिए।[3] यद्यपि मानवाधिकार जन्म आधारित हैं परन्तु मनुष्यों को ये अधिकार सदियों के संघर्ष के पश्चात प्राप्त हुए हैं। मानवाधिकार एवं मूलभूत अधिकार हैं, जो किसी भी मनुष्य के सामान्य संघर्ष–रहित जीवन जी सकने के लिए आवश्यक होते हैं।[4] न्यायमूर्ति श्री

के.जी. बालाकृष्णन ने मानवाधिकारों को समाज की आधारशिला माना है।

मानवाधिकारों की भावना काफी पुरानी है तथा विभिन्न विचारकों, साहित्यकारों, धार्मिक साहित्यों ने समय–समय पर मानवाधिकारों की अभिव्यक्ति की है। अठारहवीं सदी के अंत में मानवाधिकारों को कानूनी आधार प्रदान करने के लिए ठोस प्रयास किये।[5] यद्यपि इन अधिकारों का आधार सन् 1215 के मैग्नाकार्टा से माना जाता है।[6] सन् 1688 की इंग्लैण्ड की गौरवपूर्ण क्रांति जनता एवं संसद के द्वारा किये गये प्रयत्न मानवाधिकारों की प्राप्ति की ओर इशारा करते हैं। सन् 1689 में गौरवपूर्ण क्रांति के पश्चात बिल ऑफ राइट्स द्वारा समस्त नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार दिये गये। यहीं से 17वीं शताब्दी में मानवाधिकारों की संकल्पना ने एक विशिष्ट स्वरूप ग्रहण किया।

सन् 1776 की अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा से सर्वप्रथम क्रांति में यह घोषणा की गयी कि सभी प्राणी जन्म से समान हैं और उनके कुछ ऐसे अधिकार हैं जो असंक्रम्य एवं अहस्तांरित हैं। अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा के 13 वर्ष पश्चात फ्रांस की राज्यक्रांति (सन् 1789) में मानवाधिकारों की अभिव्यक्ति और मुखर हुई जिसने दुनिया को स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व का प्रसार किया। 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में दुनिया भर में क्षेत्रीय स्तर पर हुए विभिन्न सम्मेलनों में मानवाधिकारों को स्वीकार किया गया।

मानवाधिकार के क्षेत्र में 19 दिसम्बर, 1948 की संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा सबसे महत्वपूर्ण है। यह घोषणापत्र मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा प्रथम दस्तावेज है जिससे अधिकारों की न सिर्फ विस्तृत व्याख्या की गई बल्कि इसे नई विश्व व्यवस्था के आदर्श व अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त मूल्य के रूप में स्थापित किया गया।[7] मानवाधिकारों की प्राप्ति कराने हेतु विश्व स्तर पर किया गया यह सामूहिक प्रयास था जिसने विश्व के सभी देशों को मानवाधिकारों के प्रति जागरूक तथा सम्मान करने के लिए प्रेरित किया।

Hkkjr e ykdMkmu d nkjku ekuokfèkdkj

भारत सरकार के द्वारा लॉकडाउन के प्रारम्भ से ही इस दिशा में निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। नागरिकों के मानवाधिकारों को सुरक्षित रखते हुए संकट के समय में उनकी सभी आवश्यक जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। संकट एवं सामान्य काल में मनुष्य की सबसे पहली आवश्यकता भोजन होता है जिसकी प्राप्ति के पश्चात वह अपने शरीर को जीवित रख सकता है। भारत में लॉकडाउन के दौरान सरकारी एवं निजी कार्यालय, औद्योगिक ईकाइयां बंद थीं वहीं पर असंगठित क्षेत्र में कार्य करने

वाले (जो भारत की जी.डी.पी. में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं) अपने घर पर बैठने को विवश थे। इन क्षेत्रों में कार्य करने वाले कर्मियों का वेतन अस्थिर होने के साथ–साथ उनकी प्रतिदिन साप्ताहिक या मासिक कार्य की क्षमता पर निर्भर/आधारित होता है परन्तु लॉकडाउन के परिणामस्वरूप ये सभी कामगार वेतन विहीन हो गये और उनकी प्रतिदिन की मजदूरी भी बंद हो गयी। ऐसी परिस्थितियों में केन्द्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा खाने के कैम्प लगाकर तथा सामुदायिक रसाई के माध्यम से इन सभी को भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी। मानवता को ध्यान में रखते हुए स्वैच्छिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों एवं व्यक्तिगत स्तर पर भी सभी के द्वारा भोजन की सुविधा उपलब्ध करायी गयी।

लॉकडाउन (24 मार्च, 2020) के आरम्भ होने के पश्चात ही, खाद्य संकट पर काबू पाने के लिए भारत सरकार ने 26 मार्च, 2020 को अगले तीन महीनों के लिए गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मुफ्त में अनाज देने की घोषणा करके और उनको उपलब्ध कराकर इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया है।

कोरोना काल में पुलिस द्वारा मानव अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन

मानव सभ्यता के प्रारम्भ से ही पुलिस समाज का अभिन्न अंग रही है यद्यपि इसका स्वरूप, कर्तव्य और अधिकार इत्यादि देशकाल और परिस्थितियों के अनुरूप बदलते रहे हैं।[8] पुलिस की उपस्थिति एक ऐतिहासिक तथ्य ही नहीं वरन् एक सामाजिक आवश्यकता भी है।[9] बदलते परिवर्तित परिदृश्यों में पुलिस की आवश्यकता और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गयी है अर्थात बिना पुलिस के समाज का अस्तित्व ही संकट में पड़ जायेगा, तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं लगती।[10]

सभी प्रकार के समाजों में सभ्यता के उद्भव के समय से ही जनता की सुरक्षा एवं उनकी स्वतन्त्रता को बनाये रखने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के संगठन स्थापित किये जाते रहे हैं। पुलिस भी एक ऐसा ही संगठन है।[11] परन्तु यह भी सत्य है कि प्राचीन समय में उसका रूप वह नहीं था जो आज की पुलिस व्यवस्था का है।[12] बदलते सामाजिक परिदृश्य तथा समाज में बढ़ते अपराध एवं इनकी बदलती प्रवृति ने ऐसे सशक्त संगठन की आवश्यकता को महसूस कराया जो राज्य की अधिकार शक्ति से युक्त हो और बलपूर्वक अपराधों को रोक सके। यह संगठन पुलिस के नाम से जाना गया, जो समाज में अपराधी एवं विरोधी तत्वों को कुचलकर समाज में शांति एवं व्यवस्था बनाये रखती है तथा कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंड देती है।[13]

शासन व्यवस्थाओं में पुलिस का प्रमुख कार्य कानून व्यवस्था बनाये रखना तथा

अपराधों की रोकथाम करना है परन्तु विशेषकर लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जहाँ पर सम्प्रभुता जनता में निवास करती है वहाँ पर पुलिस का दायित्व मानव अधिकारों की रक्षा तथा उनका सम्मान भी करना होता है। स्वतन्त्रता के साथ भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों को अंगीकृत करते हुए पुलिस बल को संगठित किया गया है। पुलिस मशीनरी को राज्य का विषय मानते हुए राज्य सरकारों को विशेष उपबन्ध की शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। सरकार पुलिस मशीनरी के माध्यम से ही नागरिकों के मानवाधिकारों को सुरक्षित रखना चाहती है तथा सभी को समान रूप से सुरक्षा दिलवाना चाहती है।

पुलिस, सरकार का वह महत्वपूर्ण विभाग है जो अपने कार्यों की पूर्ति हेतु जनता के सबसे अधिक सम्पर्क में आता है। सामान्यकाल में पुलिस का सम्पर्क अपराध रोकने, अपराधों की जाँच पड़ताल करने तथा कानून एवं व्यवस्था को बनाये रखने का होता है वहीं लॉकडाउन में पुलिस की भूमिका अग्रिम पंक्ति में कार्य करने वालों के रूप में उभरकर सामने आयी है।

लॉकडाउन के दौरान इसको प्रभावी ढंग से लागू करवाने, धारा 144 को लागू करवाने तथा क्षेत्र, विशेष में कोरोना के सक्रिय केस पाये जाने की स्थिति में इलाकों को सील करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग को बेहतर ढंग से लागू करवाने की जिम्मेदारी का वहन भी पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। बैंक से धन जमा व निकालने हेतु पंक्तियाँ बनवाना, खाद्य वस्तुओं का वितरण कराना, शेल्टर की व्यवस्था कराना आदि कार्यों का समापन पुलिस के द्वारा ही बेहतर तरीके से किया जा रहा है। कन्टोनमेंट जोन में व्यवस्था बनाये रखना, वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराना तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना, जोन में आवश्यक आवागमन की व्यवस्था पुलिस के द्वारा ही की जा रही है।

पुलिस विभाग आज स्वास्थ्य विभाग के साथ कदम मिलाकर अपना सक्रिय सहयोग प्रदान कर रहा है। संक्रमण को देखते हुए चिकित्सा कर्मचारियों द्वारा जब संक्रमित व्यक्तियों को आइसोलेशन एवं क्वारंटाइन में रखा जाता है तो उनकी सहायता भी पुलिस द्वारा ही की जाती है। संक्रमित व्यक्ति, बीमारी के भय के कारण इन केन्द्रों से भागने का भी प्रयास करते हैं तो ऐसी परिस्थितियों में इनको वापस पकड़कर लाने का कार्य भी पुलिस के द्वारा ही किया जाता है। यह भूमिका और भी महत्वपूर्ण एवं सारगर्भित हो जाती है क्योंकि हमारे पुलिसकर्मी मानक रूप से सुरक्षात्मक वस्त्र के स्थान पर अपनी नियमित वर्दी में ही कार्य करते हैं। कोरोना संक्रमितों को अस्पतालों तक पहुँचाने में भी ऐसे मरीजों के शारीरिक रूप से सम्पर्क में आने का खतरा सदैव बना रहता है परन्तु इन सभी जटिलताओं का सामना करते हुए स्वयं के संक्रमित होने के भय को दूर करते हुए वे अपनी भूमिका का निर्वाह

ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ कर रहे हैं।[14] समाज में होने वाले सामाजिक कार्यक्रम, जन्म, मृत्यु, शादी व अन्य कार्यक्रमों में निर्धारित संख्या सुनिश्चित करना भी पुलिस का उत्तरदायित्व है। संख्या से अधिक होने पर पुलिस के द्वारा ही कार्यवाही करके सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित किया जा रहा है।

मानवाधिकार शासन का एक मुद्दा है। हर नागरिक को आपदा से संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है– ये सामाजिक नीति है। आमतौर पर नीतियों को अपराध की रोकथाम और कानून व्यवस्था बनाये रखने के संदर्भ में देखा जाता है। लेकिन हमें समझ आ रहा है कि ये इससे कहीं अधिक हैं। हम इस दायरे को बढा रहा है। हमने कोविड–19 के प्रति अपनी मानवीय प्रतिक्रिया के जरिये पुलिस बल में जनता का विश्वास बनाया है।[15]

भारत के सभी राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में पुलिस के द्वारा घर लौटते मजदूरों की सहायता प्रदान करना, पैदल चलते लोगों को चप्पलें पहनाना, पानी एवं खाना खिलाना, जन्मदिन के अवसरों पर केक पहुँचाना, वरिष्ठ नागरिकों को हर सम्भव सहायता पहुँचाना, प्रसव पीडिता महिला को अस्पताल पहुँचाना, जरूरतमंदों को भोजन एवं राशन पहुँचाना, स्वयं के खाना को अन्य के साथ बैठकर खाना, संक्रिमत व्यक्तियों को समझा–बुझाकर उचित कार्यवाही हेतु तैयार करके अपनी भूमिकाऐं निभा रहे हैं।

पुलिसकर्मी कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ी जा रही लडाई में समान के अन्य विभागों के साथ योद्धा की भूमिका निभा रहे हैं। कोरोना संकट के समय में पुलिस कर्मियों ने अपने आचरण एवं व्यवहार से मानवीय चेहरा पेश करके लॉकडाउन के दौरान अपनी एक नई छवि बनायी है।[16] यद्यपि कहीं–कहीं पर पुलिस की अलोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के मामले भी सामने आये हैं, परन्तु कोविड–19 वैश्विक महामारी जिसका स्वरूप एवं प्रवृत्ति अन्य महामारियों एवं घटनाओं से भिन्न होने के कारण विशिष्ट प्रकार की कार्यवाहियों की मांग करती है जिससे लॉकडाउन को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए संक्रमण को बढने से रोका जा सके। इस संकट काल में अपने दायित्वों का निर्वाह करते–करते वे स्वयं भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। पुलिसकर्मियों की मौतें भी हो रही हैं तथा वे भी अस्पतालों में जीवन एवं मृत्यु के मध्य संघर्ष कर रहे हैं परन्तु इसके उपरान्त भी सुरक्षित वस्त्रों के बिना भी ये अपनी भूमिका को निभाते हुए नागरिकों के मानवाधिकारों को सुरक्षित बनाये हुए हैं।

लॉकडाउन के परिणामस्वरूप, उत्पादन की ईकाइयाँ बंद हो चुकी हैं तथा इन ईकाइयों में कार्य करने वाले कामगार बेरोजगार हो चुके हैं। देश में बड़ी जनसंख्या उन मजदूरों की है, जो नगर, महानगर में जाकर असंगठित क्षेत्रों से कमाकर

जीवनयापन करते हैं परन्तु ईकाइयाँ बंद होने पर आय के संसाधन समाप्त हो चुके हैं, जिसके परिणामस्वरूप ये कामगार अपने मूल स्थानों पर वापिस आने पर मजबूर हो रहे हैं। यद्यपि एक साथ अधिक संख्या में प्रवासियों के काम से वापिस आने से आरम्भ में परेशानियों का सामना किया जा रहा था परन्तु सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के परिणामस्वरूप अतिरिक्त रेलगाडियाँ तथा बसें चलाकर उनको उनके गन्तव्य तक पहुँचाकर इस संकट काल में उनकी सहायता प्रदान कर राज्य के द्वारा भूमिका का निर्वाह किया गया।

पुलिस ने रेलवे विभाग तथा परिवहन विभाग के साथ तादात्म्य बैठाते हुए सभी राज्य के कामगारों को स्वयं के संक्रमित होने के भय के उपरान्त भी सभी को हरसम्भव सहायता प्रदान कर उनको गन्तव्य तक पहुँचाया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लॉकडाउन के दौरान सड़क पर घूम रहे मानसिक रूप से बीमार लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा हेतु सरकार से कदम उठाने पर भी बल दिया। इन प्रयासों से जहाँ इनके मानवाधिकार सुरक्षित होंगे वहीं यह भी सुनिश्चित हो सकेगा कि लोग कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार का माध्यम न बन सके। लॉकडाउन के दौरान यह भी देखा गया कि पुलिसकर्मियों द्वारा इनको खाना उपलब्ध कराके, संवाद भी स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था। कोरोना काल में संक्रमण के प्रभाव से जब राज्य में मानव अधिकार कार्यालय बंद हो गये थे तो ऐसी परिस्थितियों में पुलिस मशीनरी के द्वारा ही व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करते हुए आवश्यक सुविधाऐं उपलब्ध करायी जा रही थीं।

स्वतंत्रता के पश्चात से भारत में राज्य के लोक कल्याणकारी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य के कार्यों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। पुलिस के कार्य में भी वर्तमान जटिल परिस्थितियों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। पुलिस अपराध रोकने, अपराधों की जाँच पड़ताल करने तथा कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के साथ–साथ विकासात्मक कार्यों, आपदा प्रबन्धन तथा अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में अपनी भूमिका के लिए उत्तरदायी है। पुलिस आपदाओं तथा आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित होती है जिससे इन प्रकार की परिस्थितियों में वह अपनी अपेक्षित एवं सारगर्भित भूमिका का निर्वाह कर सकें। वर्तमान में कोविड–19 वैश्विक महामारी उपरोक्त परिस्थितियों से भिन्न प्रकृति की है। यह एक ऐसी महामारी है जो व्यक्ति को व्यक्ति से दूर करती है। हमारी सामाजिक व्यवस्था के ताने बाने पर प्रहार कर रही है। समाज में एक साथ समूह में रहने के स्थान पर फिजिकल डिस्टेंसिंग पर बल देती है जिससे इसके संक्रमण के प्रभाव को रोका जा सके।

वर्तमान कोविड–19 के संक्रमण काल में पुलिस की भूमिका मानवाधिकारों के

संरक्षण एवं संवर्द्धन में अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित हो रही है। अपनी परम्परागत छवि को बदलते हुए यह मानवीय छवि के साथ उभरकर सामने आयी है। संक्रमण रोकने के उपायों जैसे लॉकडाउन को प्रभावी ढंग से लागू करना, कंटेनमेंट जोन में व्यवस्था बनाये रखना, लॉकडाउन खुलने पर नियमों के तहत व्यवस्था बनाये रखना और इसी के साथ 'जरूरतमंद लोगों को समय पर खाद्य पदार्थों तथा अन्य वस्तुओं की सहायता, उपलब्ध कराकर कोरोना योद्धाओं के रूप में कार्य कर रही है। अब लोगों की पुलिस से उम्मीदें भी बढ़ती जा रही हैं वहीं पुलिस के लिए जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की चुनौती भी है।[18]

पुलिस अपनी कार्यशैली के आधार पर कोरोना काल में प्रभावित कर रही है वहीं मध्य प्रदेश पुलिस ने अपनी अधोसंरचना के द्वार भी कोरोना से बचाव के लिए खोल दिये हैं। उज्जैन में पुलिस प्रशिक्षणशाला को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है जिसका प्रयोग चिकित्सा विभाग द्वारा कोरोना से पीड़ितों के लिए किया जा सकेगा।[19] पुलिस लॉकडाउन लागू कराने के साथ–साथ लोगों के अनुरोध पर उनके बच्चों के जन्मदिन पर केक भी पहुँचा रहे हैं।[20] आवश्यक सेवाओं के साथ–साथ अपनों से दूर मौत की आगोश में सो जाने वालों को पुलिसकर्मी कांधा और मुखाग्नि भी दे रहे है।[21]

कोरोना काल में महिला पुलिस कर्मियों की भूमिका भी बहुत सराहनीय रही है। निर्धारित अवधि से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करना, रिस्क जोन से सम्बद्ध होना और घर पर अपने छोटे–छोटे बच्चों को छोड़कर संक्रमण काल में दूसरों की सेवा करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। पति एवं पत्नी दोनों के पुलिस विभाग में होने के उपरान्त उनकी भूमिका और भी अधिक प्रशंसनीय हो जाती है। दूसरे के जीवन एवं अन्य अधिकारों को सुरक्षित रखने हेतु वे अपने दायित्वों के प्रति अधिक सजग एवं संवेदनशील रहे हैं।

वर्तमान में विश्व कोरोना वायरस (COVID 19) महामारी से जूझ रहा है। भारत में भी यह महामारी अपने पैर पसार रही है जहाँ पर डाक्टर्स एवं अन्य मेडिकल स्टाफ के साथ पुलिसकर्मी भी अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य कर रहे हैं। यह भी देखने में आ रहा है कि शहरों में पुलिस के ऊपर पथराव भी हो रहा है परन्तु वे अपना धैर्य बनाये रखते हुए अपनी भूमिका को सार्थक रूप से अंजाम दे रहे हैं। उपरोक्त से स्पष्ट हो जाता है कि पुलिस की भूमिका और कार्यों का स्वरूप ही ऐसा है जो कुछ सीमा तक पुलिसकर्मी को कठोर बना देता है। निश्चित रूप से उन्हें ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जिनसे समाज के अन्य व्यक्ति बचना चाहते हैं। इसलिए इस प्रकार की परिस्थितियों में पुलिसकर्मियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाये जिससे वे इस प्रकार के तनावों से बाहर आ सकें तथा मानवीय संवेदनाओं

को सहेजकर रख सकें।

l nHk l ph %

1 mygov.in accessed व 14.08.2020.

2 सारस्वत, अक्षेन्द्र नाथ, (1998), 'सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और पुलिस', राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ.–1

3 मोहंती, विश्वरंजन, (1999), 'मानवाधिकार और लोकतांत्रिक समाज', नई दिल्ली

4 पाठक, विन्देश्वर, (2011), 'मानवाधिकार तथा लोकतंत्र (सुलभ की दृष्टि से) मानवाधिकार', नई दिशाएं, वार्षिक अंक 8, पृ.–41–48

5 कुमार, शीलभद्र, (1997), 'मानवाधिकार–एक सिंहावलोकन', विधायनी, मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल, वर्ष 15, अंक जुलाई–सितम्बर, 1997, पृ. 78

6 सुब्रहम्ण्यम, एस., (1998), 'पुलिस और मानवाधिकार', प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 16

7 रंजन, सत्येन्द्र, (1999), 'अधिकारों की लड़ाई अभी जारी है', जनसत्ता रविवारी, 12 दिसम्बर, 1999, पृ. 1

8 सिंह, के.पी., (2000), 'पुलिस की जन हितैषी छवि और आम आदमी', पुलिस विज्ञान, पुलिस अनंसुधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली, वर्ष 17, अंक 71, अप्रैल जून, पृ.–6

9 शर्मा, ब्रजमोहन, (1996), 'भारतीय पुलिस', पंचशील प्रकाशन, जयपुर, पृ.–123

10 उपरोक्त

11 सिंह, शिशिर कुमार, (1997), 'भारतीय पुलिस एवं जनता', झरीसन प्रेस एण्ड पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ.–17

12 रिपोर्ट ऑफ दी रॉयल कमीशन ऑन पुलिस पॉवर्स एण्ड प्रोसीजर, 1929 (3297) पैरा 15

13 शर्मा, रामकृष्ण दत्त एवं शर्मा, सविता, (2003), 'भारत में मानवाधिकार–संरक्षण एवं पुलिस',, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली

14 दि प्रिंट, 11 अप्रैल, 2020, आनन्द लाल बैनर्जी, 2020) कोरोना वायरस संकट के समय पुलिस के सामने कई चुनौतियाँ, तय करने, होने अलग मानदंड' (hindi the print.in)

15 प्रधान, एस.एन., पुलिस महानिदेशक, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (एन.डी.आर.एफ) 'कोविड–19 के समय में पुलिस की भूमिका का पुनर्कल्पना' (unicef.org)

16 ठाकरे, गोविन्द, 2020, कोरोना काल में पुलिस ने 'लठमार' छवि तोडी, (पत्रिका, जबलपुर)

17 भारद्वाज, महेश, 2020, कोरोना कहर से डाक्टर जूझ रहे हैं, पर उनके लिए अनुकूल माहौल बना रही है पुलिस' जागरण, उण्रंहतंदण्बवउए ंबबमेमक वद 15.8.2020)

18 सिंह, विक्रम (2020) 'कोरोना काल में कानून व्यवस्था का नया माडल दिख रखा, यू.पी. में पुलिस कर रही है मदद' दि प्रिंट, 2 अप्रैल, 2020, hindi.theprint.in accessed व 14.08.2020)

19 पाल, दीपिका, 2020, 'कोरोना की जंग में पुलिस प्रशिक्षणशाला निभायेगी यह भूमिका, 4 अप्रैल, 2020, राज एक्सप्रेस, rajexpress.co accessed on 10.08.2020)

20 पाण्डेय, विकास (2020), कोरोना से लडती, केक पहुँचाती और लोगों को संभालती भारत की पुलिस, 14 मई, 2020, bbc.con accessed on 10.08.2020)

21 कोविड–19 की जंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा पुलिस, खाना देने के साथ अर्थी को कंधा दे रहे अफसर', 25 अप्रैल, 2020, ज़ी न्यूज, zeenews.india.com accessed on 11.08.2020)

• • •

'लॉक-डाउन' के दौर में स्त्रियों के मानवाधिकार

M,- vkdk{kk•

दुनिया महामारी के दौर से गुजर रही है। तमाम उपायों के साथ ही देश में भी 'लॉक–डाउन' जैसी घोषणाएं हुईं और अब अलग–अलग राज्यों में जरूरत के अनुसार राज्य सरकारों को 'लॉक–डाउन' के अधिकार दे दिए गये हैं। लंबे समय तक चलने वाले 'लॉक–डाउन' का कुछ अर्थों में सकारात्मक प्रभाव तथा अनेक अर्थों में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। 'सोशल डिस्टेन्सिंग' के नाम पर ग्रामीण इलाकों में लोगों ने जहां एक–दूसरे से दूरी बनाई वहीं शहरी इलाकों में संसाधनों और जगह की कमी और अकेलेपन से जूझने की स्थिति में लोग एक–दूसरे के संपर्क में आए। इन हालातों में लोगों ने यथासंभव एक–दूसरे की मदद भी की, जिन्हें लोग जानते तक नहीं थे। सामुदायिक रसोई के माध्यम से एक–बार फिर से सामूहिक जिंदगी को जानने–समझने और कम संसाधन में जीवन व्यतीत करने का अनुभव मिला। इसी तरह पारिवारिक संबन्धों में भी अलग–अलग तरह के बदलाव देखने को मिल रहें हैं। जिन माता–पिता को आज के मशीनी दौर में अपने बच्चों के लिए समय नहीं था वे इन दिनों को बच्चों के साथ बिता रहे हैं और यही चीज बच्चों पर भी लागू हो रही है। वैसे महानगरों में लोग घर से ही दफ्तर का काम कर रहे हैं फिर भी, पहले की अपेक्षा ज्यादा समय अपने परिवार को दे पा रहे हैं। रामायण और महाभारत जैसे धारावाहिक प्रसारित होने से बुजुर्गों को भी परिवार के साथ बैठने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वहीं लगातार घरों में तनाव के भी समाचार सुनने को मिल रहे हैं ।

'वर्क फ्रॉम होम' करने के बाद भी परिवार के साथ कुछ पल बिताने का तो मौका सबको मिला। घर के सदस्य एक–दूसरे की गतिविधियों को भी बखूबी देख पा रहे हैं जिसकी वजह से तमाम तरह की गलतफहमियाँ भी दूर हुई और दूसरी ओर तमाम तरह की ऐसी चीजें भी सामने आई जिससे घर के सदस्य या पति–पत्नी अंजान थे। इस 'लॉकडाउन' की व्यवस्था में 'वर्क–फ्राम होम' का चलन बढ़ा और साथ ही साथ घर के काम का बोझ भी क्योंकि, संक्रमण के भय और आर्थिक तंगी की वजह से लगभग घरों में घरेलू कामगारों की भी छूट्टी कर दी गई । ऐसे में कुछ घरों में तो आपसी सहयोग से घर और आफिस दोनों जगह के काम को करने का भी रास्ता ढूंढा गया पर, अधिकांशतः घरों में घर क़ी महिलाओं पर काम का बोझ ज्यादा बढ़ा चाहे वह कामकाजी महिलाओं हो या गृहणी क्योंकि, पढ़े–लिखे लोग भी यही मानते हैं कि यह तो महिलाओं का काम है। हालांकि, गृहणियों के लिए तो हमेशा से ही

• सामाजिक मुद्दों पर स्वतंत्र लेखन कार्य, नई दिल्ली

'लॉकडाउन' रहा है, लेकिन इस बार उन्हें भी अपने निजी–संबंधों को समझने का मौका मिला और तमाम तरह की सम–विषम परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ा। कामकाजी महिलाओं के लिए ये समय ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा है।

भारतीय समाज का हर वर्ग अपने–अपने स्तर पर लगातार इस दौर की हर तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है। जहां तक मजदूर वर्ग और प्रवासियों का सवाल है, वे महामारी के साथ–साथ भुखमरी से भी लगातार जूझ रहे हैं और जान हथेली पर रखकर किसी तरह से अपने स्थायी निवास तक पहुँचने की कोशिश में लगे हैं। इस क्रम में बहुतों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। उसी तरह स्वास्थ्य–सेवा एवं पुलिस प्रशासन के क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों को भी संक्रमण के साथ–साथ जान से भी हाथ धोना पड़ रहा है। जहां तक स्त्रियों का सवाल है, चाहे वे किसी भी वर्ग की स्त्री हो, गृहणी हो, समाज–कार्य से जुड़ी हो, कामकाजी हो या फिर मजदूर वर्ग की हो, इनके लिए यह महामारी का दौर बहुत ही चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। लगातार इस तरह की खबर सुनने को मिली कि कुछ गर्भवती स्त्रियों ने रास्ते में/सड़क पर ही बच्चे को जन्म तक दिया। कुछ बच्चे/बच्चियाँ पैदल चलते–चलते जान तक गंवा दिए। इसके अलावा स्त्रियों को तमाम तरह की प्रत्यक्ष हिंसा (घरेलू हिंसा, यौन हिंसा) झेलने के साथ–साथ अप्रत्यक्ष हिंसा का भी शिकार होना पड़ रहा और इस तरह की अप्रत्यक्ष हिंसा से छुटकारा पाने के लिए फिलहाल इनके पास किसी तरह के कानून का भी सहारा नहीं है।

मध्यमवर्गीय कामकाजी महिलाएं जो इस दौर में 'वर्क–फ्राम होम' का दायित्व निभा रही हैं यदि उनकी स्थिति पर गौर किया जाए तो उन्हें लगातार 'मानसिक–प्रताड़ना' का भी शिकार होना पड़ रहा है। वेतन कटौती के साथ एक तरफ उसे अपनी प्रोफेशनल दायित्वों को भी निभाना पड़ रहा है और घरेलू सामाजिक संरचना के साथ भी लगातार तालमेल बिठाना पड़ रहा है। स्कूल–कालेज जाने वाली लड़कियों की भी यही स्थिति है क्योंकि, पारंपरिक मानकों पर खरा उतरने की ज़िम्मेदारी सदियों से इन लड़कियों और महिलाओं के कंधों पर ही रही है। कुछ महिलाओं और लड़कियों ने सोशल–मीडिया के जरिये अपनी आपबीती भी साझा की जिसमें उन्हें आनलाईन क्लासेस करने या लेने में किस तरह की परेशानियों का सामना कर पड़ रहा है इसका जिक्र है। कुछ के पास संसाधनों का अभाव है तो कुछ के लिए घरेलू ज़िम्मेदारी ही प्राथमिक ज़िम्मेदारी बताई जा रही है और इन घरेलू जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद ही घर के सदस्यों द्वारा उन्हें अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने की अनुमति दी जा रही है। छोटे बच्चों की माँओं ने यह भी साझा किया है कि घर से बाहर जाकर काम करने की स्थिति में उनके बच्चों की ज़िम्मेदारी घर के अन्य सदस्य ले लेते थे या फिर 'क्रेच' इत्यादि की मदद से उनका काम चल जाता था पर, 'लॉक–डाउन'

की व्यवस्था में उन्हें किसी तरह की मदद ठीक से नहीं मिल पा रही है क्योंकि, घर पर रहने के कारण उन्हें खुद ही सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ रही हैं। यह स्थिति उनके लिए बहुत ही तनाव भरा है और इस नए स्वरूप वाली पितृसत्ता को चुनौती देने के लिए इनके पास कोई ठोस विकल्प भी नहीं है। यदि उन्हें 'आनलाईन' पढ़ना या पढ़ाना है या फिर कुछ अन्य जिम्मेदारियों को निभाना है और उसी समय उसका बच्चा रो रहा है तो उस महिला के लिए ये तय कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है कि उसके लिए कौन सा काम ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में उन्हें अपने घर के अन्य सदस्यों की बहुत ही जरूरत महसूस होती है पर, जैसे–जैसे समय बीत रहा है अपेक्षाकृत उनका सहयोग मिलना मुश्किल होता जा रहा है। इतने के बाद भी खासतौर पर प्राईवेट सेक्टर की महिला कर्मचारियों (निजी कंपनियों, डेवेलपमेंट सेक्टर एवं घरेलू कामगारों) को या तो नौकरी से हटाया जा रहा है या फिर उनकी वेतन में अत्यधिक कटौती की जा रही है जिसका सीधा प्रभाव इनके 'मानसिक–स्वास्थ्य' पर पड़ रहा है।

मध्यमवर्गीय समाज इस मानसिकता से आज भी खुद को नहीं निकाल पाया है कि 'घरेलू कार्य या बच्चों के परवरिश के बाद ही किसी भी स्त्री के जीवन में नौकरी के लिए जगह होती है और यह एक तरह से उसकी अतिरिक्त ज़िम्मेदारी है'। कई बार तो नौकरी को महिलाओं के शौक और स्वतन्त्रता से भी जोड़ कर देखा जाता है पर, इस आधुनिकता के दौर में जब स्तरीय जीवन जीने के लिए अधिक संसाधनों की जरूरत हुई तो स्त्री–पुरुष दोनों को मिलकर आजीविका के संसाधनों को जुटाने का विकल्प भी ढूंढा गया। इस तरह से जरूरत के अनुसार स्त्रियाँ आर्थिक गतिविधियों से जुड़ तो गई और आत्मनिर्भरता/आधुनिकता के नाम पर इस स्थिति को महिमामण्डित भी किया गया पर,जैसे ही मानसिकता के स्तर पर बदलाव या फिर उसमें वास्तविक धरातल पर सहयोग करने की बात आती है तो अभी भी बहुत सारी खाईयां दिख जाती हैं जिसे पाटना बहुत ही आवश्यक है।

भारतीय समाज की सामाजिक–संरचना को देखा जाए तो यहाँ की महिलाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग सदियों से 'लॉक–डाउन' का पालन करते आ रहा है पर इस तरह के टर्म से हम आज परिचित हुए हैं। वैसे हमारे समाज में संस्कृति के नाम पर इस व्यवस्था को जायज माना जाता रहा है। परंतु, कोरोना नामक महामारी से बचने के लिए जब प्रत्येक व्यक्ति खासतौर पर समाज के पुरुष–वर्ग को भी इस आदेश के अनुपालन की जरूरत हुई तो पूरा देश आतंकित और अवसादग्रस्त होने लगा। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया के तमाम माध्यमों द्वारा तरह–तरह की खबरें,चुटकुले और वीडियो लगातार देखने को मिल रहें है जिसमें घर के पुरुष सदस्यों को घरेलू काम करते हुए दिखाया जा रहा है और उनका मज़ाक बनाया जा रहा है कि,घर की

चारदीवारी में रहने पर तथाकथित स्त्रीयोचित कार्य (झाड़ू–पोछा,बर्तन धोना, खाना बनाना) करना आपकी मजबूरी है। समाज के तमाम पढ़े–लिखे और कथित प्रगतिशील तबके के लोग भी इन वीडियो का सकारात्मक्ता और मनोरंजन के नाम पर भरपूर मजे लिए। अब इस तरह की संदर्भों को मज़ाक/मनोरंजन या माहौल को सकारात्मक्ता लाने के 'टूल्स' के तौर पर लेना कहाँ तक उचित है इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है? बहुत कम संख्या में ही पर, इस घरेलू काम में पुरुषों के योगदान को सकारात्मक रूप में भी लिया जा रहा है कि कम से कम उन्हें महिलाओं के रोजमर्रा की जिंदगी को समझने में मदद मिलेगी। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे पुरुष भी हैं जिन्हें घरेलू काम भी करने में अपनी तौहीन नहीं लगती है और शायद वर्तमान परिस्थिति में ऐसे पुरुषों से अन्य पुरुषों को भी सीखने की जरूरत है कि 'घरेलू काम करना अपना तौहीन कराना नहीं होता है'। घर के बाहर के अन्य कामों की तरह यह भी कम महत्वपूर्ण कार्य नहीं है और इस तरह से वो खुद को संवेदनशील मनुष्य बनाने में सफल भी हो सकते हैं।

घर की चारदीवारी के अंदर रहकर घरेलू कामों को करना सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की ज़िम्मेदारी है।इस व्यवस्था को बनाने का श्रेय किसे जाता है? परंपरा और रिवाज के नाम पर एक ही घर में जनानखाना और दलान/मर्दाना (घर के बाहर का हिस्सा) के विभाजन की व्यवस्था किसकी देन है? यह भी समझने की जरूरत है। हमारी समझ से इसके लिए न तो सिर्फ और सिर्फ पुरुष दोषी हैं और न ही सिर्फ महिलाएं शायद ऐसी व्यवस्था करना उस समय की तात्कालिक जरूरत रही होगी पर, धीरे–धीरे यह व्यवस्था हमारी परंपरा और संस्कृति बनती चली गई और आज जब–जब इन परम्पराओं में थोड़ी–बहुत दरार आती है तो कभी उसे मजाक/व्यंगात्मक रूप में तो कहीं अपमान के तौर पर देखा जाता है। मान्यता है कि, मुस्लिम सत्ता की स्थापना के साथ ही हिन्दू समाज में स्त्रियों को प्राप्त तमाम अधिकार के साथ–साथ स्त्री–शिक्षा का भी पूर्णतः, ह्रास हो गया। समाज में पर्दा प्रथा का चलन बढ़ गया। चूंकि, मुस्लिम समाज में पर्दा प्रथा का पालन बहुत ही कड़ाई से किया जाता था फलतः, हिन्दू सामंतों एवं सरदारों ने भी इस प्रथा का अनुकरण अपने परिवार में किया। चूंकि, उत्तर भारत में मुस्लिम सत्ता लंबे समय तक रही इसलिए यह प्रथा इस क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित हुई। दरअसल इस प्रथा के प्रचलन के पीछे सुरक्षा की भावना को भी माना जाता है। क्योंकि, ऐसा माना गया है कि, विजेता मुस्लिम शासक और सैनिक हिन्दू महिलाओं को बुरी नजर से देखते थे। अतः, महिलाओं के सम्मान के रक्षा के उद्देश्य से इन्हें पर्दे में रखना आवश्यक माना जाने लगा। इस समय की महिलाओं ने इस प्रचलन का विरोध भी नहीं किया, धीरे–धीरे यह प्रथा भी हिन्दू समाज में व्यापक तौर पर प्रचलन में आ गया और स्त्रियों/लड़कियों की सार्वजनिक

जीवन में भागीदारी धीरे–धीरे समाप्त होती चली गई तथा उनका कार्य–क्षेत्र घर के भीतर ही सीमित होता चला गया।

भारतीय संस्कृति में सावर्जनिक स्थान को पुरुषत्व के हवाले कर दिया गया है और निजी को स्त्रीत्व के हवाले । अतः, नतीजा यह हुआ कि पुरुषों का सार्वजनिक दायरे के साथ–साथ निजी दायरे में भी दखल बरकरार रहा पर, खासतौर पर मध्यमवर्ग की स्त्रियाँ निजी दायरे में ही सिमटती चली गई और वहाँ भी कहीं–न–कहीं पुरुष–वर्चस्व से बच नहीं पाईं। हालांकि, पिछले कुछ दशकों से तमाम तरह के विमर्शों के हस्तक्षेप से स्थिति में थोड़ा बदलाव आना शुरू हुआ है पर, वर्चस्ववादी मानसिकता (स्त्री–पुरुष दोनों के मामले में) के ही घेरे में। जब घर के दायरे में ही महिलाएँ हर जगह स्वतंत्र होकर घूम नहीं सकती हैं तो उस दायरे से बाहर निकलना ही एक बड़ी चुनौती है। यदि उनमें बाहर निकलने का साहस है भी और निकल भी गईं तो बाहर निकलकर भी वह निजी क्षेत्र के दबाव से मुक्त नहीं हो पाती हैं। स्त्रियों पर एक तरह से दोहरा–तिहरा बोझ हो जाता है कि निजी क्षेत्र (घरेलू जिम्मेदारियों को) के दायित्व को निभाने के साथ–साथ ही वह सार्वजनिक क्षेत्र (घर से बाहर की जिम्मेदारियों–अर्थात, नौकरी, राजनीति, समाजकार्य इत्यादि) के दायित्व को भी पूरा करें। हालांकि, आज के दौर में आत्मनिर्भर और आर्थिक सहयोगी बनने के नाम पर अधिकांशतः, स्त्रियाँ इस चुनौती को सकारात्मक रूप में लेती हैं और दोनों ही दायित्वों को निभाने को तैयार भी हो जाती हैं।

वर्तमान संकट की स्थिति में भी घर से बाहर जाकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाली स्त्रियों की बात करें तो उनके सामने कुछ और ही समस्या है। इन महिलाओं में सामाजिक संस्था से जुड़ी, स्वास्थ्य सेवा एवं पुलिस से जुड़ी या फिर इस तरह की अन्य क्षेत्रों से जुड़ी महिलाएं हैं। इन्हें एक साथ कोरोना, सार्वजनिक क्षेत्र की चुनौतियों और पारिवारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर पुलिस और स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी महिलाओं के लिए स्थिति बहुत ही गंभीर है। उन्हें कई–कई दिनों तक अपने घर–बच्चों से दूर रहना पड़ रहा है और संक्रमित हो जाने की स्थिति में अपनी जान तक गंवानी पड़ रही है। ऐसे में एकल महिला या फिर जहां सिर्फ पति–पत्नी ही रह रहें हैं उनके लिए बहुत ही गंभीर स्थिति बनती जा रही है।

कुछ इस तरह की महिलाएं भी हैं जिन्हें सरकार के निर्देशानुसार घर–घर जाकर सर्वे या स्वास्थ्य जांच करने की ज़िम्मेदारी दी गई है जैसे, 'आशा कार्यकर्ता', यदि इनकी स्थिति पर विचार करें तो इस दौर में इनपर लगातार काम का दोहरा–तिहरा बोझ बढ़ता जा रहा है। घर की जिम्मेदारियों को पूरा कर, कोरोना के खौफ से जूझते

हुए, इन्हें सरकारी दायित्वों को भी पूरा करना पड़ रहा है वो भी न्यूनतम वेतन में। सही अर्थों में तो इन 'आशा कार्यकर्ताओं' की समाज में बहुत बड़ी भूमिका होती है पर न ही उन्हें उस स्तर का सम्मान समाज में मिल पाता है और न ही घरों में। इसी तरह की स्थिति सेवा क्षेत्रों से जुड़े अन्य कार्यकर्ताओं की भी है। सामाजिक और आर्थिक सहभागिता निभाने के बाद भी इन महिलाओं के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करने में बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि, हमारे भारतीय समाज की इस सच्चाई को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि, आमतौर पर सामान्य स्तर पर कमाने वाली महिलाओं का भी कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है वो, सबसे पहले किसी की बहन,बेटी, बहू और पत्नी ही है उसके बाद ही उनके पद को स्वीकार किया जाता है। आर्थिक तौर पर भागीदार होने के बावजूद भी शायद ही किसी महिला को किसी तरह के बड़े निवेश में निर्णायक या भागीदार की भूमिका निभाने का मौका दिया जाता हो पर, सच्चाई यह भी है कि जब भी जरूरत पड़ी है इन महिलाओं ने ही अपने बचत से संकट की घड़ी में घर के सदस्यों को उबारा है। उदाहरण के लिए, कुछ साल पहले के नोटबन्दी के दौर को देखा जा सकता है। इसी तरह की अभी के दौर में भी कुछ खबरें आई हैं। कोरोना के खौफ की वजह से कई महिलाओं ने अपने बचत किए हुए पैसों का ही उपयोग किया ताकि, उन्हें या उनके घर के अन्य सदस्यों को बैंक या ए टी एम के चक्कर न लगाने पड़ें। अब सवाल यह उठता है कि जब भी संकट की घड़ी आई, महिलाओं द्वारा ही बचत की गई धन पूरे परिवार के काम आया तो यह कैसे माना जा सकता है कि आर्थिक निवेश या बचत जैसे मामलों में महिलाओं की समझ अच्छी नहीं होती है? यदि अपने बचत किए हुए धन का उपयोग ये स्त्रियाँ सिर्फ स्वयं के लिए करतीं तो आज इन महिलाओं से ज्यादा आत्मनिर्भर शायद ही कोई होता? फिर भी उन्हें कमतर आंकना और उसके स्वतंत्र अस्तित्व को नहीं स्वीकारना एक तरह की हिंसा नहीं है तो और क्या है?

वर्तमान परिदृश्य जिसमें घर की चारदीवारी के अंदर रहकर ही जीवन की सारे जद्दोजहद से निपटना एक चुनौती से कम तो नहीं ही है। इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि, भागमभाग और प्रतिस्पर्धा की दौड़ ने आपसी रिश्तों को बहुत अधिक प्रभावित किया है जिसे किसी खास जेंडर तक सीमित नहीं किया जा सकता है। कहीं भावनात्मक जरूरतें पूरी करने के लिए तो कहीं प्रतिस्पर्धा और कामयाब होने के लिए तमाम तरह के संबंध बनने आज के समय में आम हो चला है पर, सरकार द्वारा घोषित इस 'लॉक—डाउन' की वजह से एकबार फिर से आपसी सबन्धों को जाँचने—परखने और समझने का मौका भी मिला। आमतौर पर पढ़े—लिखे लोग भी अपनी रुढ़िवादी मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाएँ हैं और अपने घर की

महिलाओं को अंततः, अपने अधीन ही रखना चाहते हैं। आज भी बहुत कम पुरुष ऐसे हैं जो कि अपने घर की महिलाओं को निर्णय लेने का अधिकार स्वेच्छा से दे पाएँ हों। दूसरी तरफ महिलाएं जबतक चुपचाप इस स्थिति को स्वीकार करती रहती हैं तबतक सबकुछ ठीक रहता है पर, जैसे ही वो अपना मत या विरोध दर्ज करती हैं आपस में टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है।

भागमभाग की जिंदगी में एक–दूसरे के लिए समय न होने की वजह से कई बार टकराव की स्थिति पैदा होने से बच जाती थी पर, आज की परिस्थिति में चौबीस घंटे घर की चारदीवारी में रहने की वजह से बहुत सारे ऐसे मुद्दे सामने आने लगे जिसपर घर के सदस्यों/पति–पत्नी को आपस में बात करने की जरूरत लगी। कुछ मुद्दों पर सहमति बनी और कुछ मुद्दों पर आपसी टकराव भी हुआ। इसी कड़ी में कहीं पर रिश्तों में मधुरता भी आई तो कहीं बात झगड़े, घरेलू–हिंसा और तलाक तक भी पहुँच गई। लगातार तलाक और अन्य तरह की घरेलू हिंसा की खबरें हमें इन सब पहलुओं पर सोचने को मजबूर करती हैं कि, संस्कृति और परंपरा के नाम पर आज भी भारत में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे स्वीकार करना ही इंसानियत पर सवाल खड़ा करना है। आज भी हमारा समाज पुरुषवादी मानसिकता की गिरफ्त से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाया है वहीं दूसरी ओर लगातार तमाम तरह के चलनेवाले विमर्श से लोगों में जागरूकता भी आई है और समाज में लगातार बदलाव भी आ रहा है पर,यह बदलाव सिर्फ सतही तौर पर हो रहा है या वास्तविक तौर पर यह भी जाँचने की जरूरत है। आज भी स्त्री को घर के पुरुषों की संपत्ति मानने का चलन है इसलिए वो जब चाहे अपनी इच्छानुसार उससे जो चाहे करवा सकता है और एक आदर्श स्त्री का धर्म है कि अपने घर के पुरुष सदस्यों के इच्छानुसार ही आचरण करे। लेकिन, तमाम तरह के संसाधन और जागरूकता आने की वजह से स्त्रियाँ इन तथाकथित मानकों को चुनौती भी देने लगी हैं और कानून का सहारा भी लेने लगी हैं।

वर्तमान समय में स्त्री–पुरुष दोनों का बाहरी दुनिया से संपर्क हो रहा है। आजीविका को लेकर दोनों मिलकर जद्दोजहद कर रहें हैं। खासतौर पर महिलाओं के लिए एक तरफ पारंपरिक मानकों पर खरा उतरना और दूसरी ओर बाहरी दुनियाँ का सामना करना बहुत बड़ी चुनौती है। वर्तमान में सरकार द्वारा लगातार आत्मनिर्भर बनने की सलाह भी दी जा रही है। पर, जबतक आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों में महिलाओं के योगदान और महत्व को स्वीकार नहीं किया जाएगा क्या वास्तव में समाज आत्मनिर्भर हो पाएगा? लगातार बहुत बड़ी संख्या में लोग महानगरों से अपने–अपने शहरों, गाँवों और कस्बों की ओर पलायन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनकी आजीविका का संकट फिर से बड़े रूप में सामने है और यह भी विचारणीय

मुद्दा है कि सरकार द्वारा घोषित पैकेज का यह वर्ग कितना लाभ उठा पाएगा? सामाजिक और आर्थिक विकास के आधार पर जिस तरह के कल्याणकारी राज्य का सपना भारतीय गणराज्य के संस्थापकों ने देखा था वो सपना किस हद तक साकार हो पाया है यह भी जाँचने–परखने की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर न्यायमूर्ति के ईएस हेगड़े के शब्दों में 'मूल अधिकारों का प्रयोजन है कि एक समतावादी समाज का सृजन हो, सभी नागरिकों को सामाजिक प्रपीड़न अथवा प्रतिबंध से मुक्ति मिले और सभी को स्वतन्त्रता सुलभ हो'। अनुच्छेद 38 जिसे निदेशक तत्वों का मूलमंत्र भी माना जाता है उसमें भी यह कहा गया है कि, 'राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक,आर्थिक,और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा'। अनुच्छेद 39 में दर्ज है कि, 'राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से सभी स्त्री–पुरुष को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। स्त्रियों और पुरुषों के स्वास्थ्य और शक्ति का और बच्चों के बचपन का दुरुपयोग न हो। अनुच्छेद 42,43 में स्पष्ट तौर पर यह दर्ज है कि, 'राज्य कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी,काम की मानवोचित दशाएँ,प्रसूति सहायता, शिष्ट जीवन–स्तर और अवकाश का पूर्ण उपभोग और सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा'। अब सवाल यह उठता है कि संविधान में दर्ज इन नीति निदेशक तत्वों के बावजूद भी जब मौलिक अधिकार, समानता के अधिकार(अनुच्छेद 14,15,16,21) का ही ठीक पालन नहीं हो पाता है तो स्त्रियों से संबन्धित संविधान में दर्ज अन्य अधिकारों पर बात करना अतिश्योक्ति ही होगी।

धीरे–धीरे ऐसी स्थिती बनती जा रही है कि, इस संकट से उबरने के लिए एकबार फिर से स्त्री–पुरुष दोनों को मिलकर लघु एवं कुटीर उद्योग के सहारे खुद को आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता ढूँढना होगा और सच्चे अर्थों में परिवार, समाज और अर्थव्यवस्था में स्त्रियों की भागीदारी और भूमिका को स्वीकारना भी होगा ताकि, वास्तव में विकसित और आत्मनिर्भर समाज की नींव पड़ सके। इन सबके अलावा इस दौरान एक और महत्वपूर्ण सामाजिक पहलू से हमें रू–ब–रू होने का मौका मिल रहा है। भारतीय समाज में शादी को एक महत्वपूर्ण और खर्चीला आयोजन माना जाता रहा है, उसे आज अधिक–से–अधिक पचास लोगों के बीच में करने की इजाजत दी जा रही है और इस तरह से होने वाली शादी की लोग प्रशंसा करते नहीं थक रहें हैं। बिना किसी तांम–झाम के सादे तरीके से रीति–रिवाज के साथ लड़का–लड़की एक–दूसरे से शादी के बंधन में बंध रहे हैं और धीरे–धीरे यह चलन बढ़ता ही जा रहा है। जिस तरह से हमारे समाज में बहुत सारी व्यवस्था धीरे–धीरे परंपरा और संस्कृति में तब्दील होती चली गई अगर, सादे तरीके से कम खर्च और बिना किसी

शक्ति–प्रदर्शन के आज की परिस्थिति में होनेवाली शादी आगे आने वाले समय में परंपरा के रूप में तब्दील हो जाए तो 'लॉक–डाउन' की घोषणा किसी भी लड़की या उसके घर वालों के लिए 'वरदान' से कम न होगा और सरकार द्वारा घोषित यह व्यवस्था इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। तब सही मायने में महिलाओं के अधिकार भी मानवाधिकार के दायरे में लिए जाने के लक्ष्य की ओर समाज एक कदम और आगे बढ़ पाएगा।

• • •

कोविड –19 महामारी के दौरान भारत में प्रवासियों श्रमिकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन

Mk- fuEeh•

ch t 'kCn % Jfed vfèkdkj U;k;ky; vuqPNsn

दुनिया के कई विकासशील देशों में प्रवासी श्रमिकों की समस्याएं बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की अवधि के दौरान भारत में श्रम का प्रवास शुरू हुआ। भारत में ग्रामीण श्रम आयोग 1991 ने अकेले ग्रामीण क्षेत्रों में 10 मिलियन से अधिक परिपत्र प्रवासियों का अनुमान लगाया है। भारत में इनमें अनुमानित 4.5 मिलियन अंतरराज्यीय प्रवासी और 6 मिलियन अंतर–राज्य प्रवासी शामिल हैं। भारत का संविधान, अनुच्छेद 14–16, 19(1)(ब), 23–24, 38 और 41– 43s सीधे श्रमिक अधिकारों से संबंधित हैं। पिछले तीन दशकों से, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बार–बार कहा है कि ''जीवन के अधिकार में केवल एक 'पशु अस्तित्व' शामिल नहीं है, लेकिन सम्मान के साथ एक जीवन है।'' दुर्भाग्य से, जब उन घोषणाओं को अर्थ देने का समय आता है, तो न्यायालय पूछता है कि यदि भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है तो मजदूरी क्यों आवश्यक है। वैश्वीकरण के युग में, यह आवश्यक है कि श्रम मानकों और श्रम अधिकारों (प्रवासियों के अधिकारों) के महत्वपूर्ण पहलुओं पर बहस की जाए और एक ऐसी प्रणाली को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा जाए जहां कानून के नियम की सुचारू प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं हो।

''सोना नहीं, श्रम अमूल्य है।'' –महात्मा गांधी

ifjp; vkSj i"BHkwfe%

दुनिया के कई विकासशील देशों में प्रवासी श्रमिकों की समस्याएं बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की अवधि के दौरान भारत में श्रम का प्रवास शुरू हुआ। भारत में ग्रामीण श्रम आयोग (NCRL,1991) ने अकेले ग्रामीण क्षेत्रों में 10 मिलियन से अधिक परिपत्र प्रवासियों का अनुमान लगाया है। भारत में इनमें अनुमानित 4.5 मिलियन अंतरराज्यीय प्रवासी और 6 मिलियन अंतर–राज्य प्रवासी शामिल हैं।

प्रवासी श्रमिक वे श्रमिक होते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में मौसमी या अस्थायी या अंशकालिक काम पाने के लिए राज्य या देश के भीतर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पलायन करते हैं। प्रवासी श्रमिक, जो किसी भी ट्रेड यूनियनों और उनके श्रम मानकों

• असिस्टेंट प्रोफेसर इन लॉ, कानून विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, पटियाला

के तहत संगठित नहीं हैं, सरकार और ट्रेड यूनियनों द्वारा संरक्षित नहीं हैं, ये प्रवासी श्रमिक अनपढ़, अज्ञानी और पिछड़े समुदायों से हैं। इसलिए उन्हें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है।

भारत में राज्य के प्रवासियों श्रमिकों के मानवाधिकारों के उल्लंघन के पीछे एक कारण राजनीतिक और आर्थिक हैं। राज्य के प्रवासी अन्य राज्यों में बाहरी हैं, वे मतदान नहीं करते हैं और इस प्रकार सरकारों को चुनावी दबाव में नहीं डाल सकते हैं।

vrjjk"Vh; Je lxBu vkj Hkkjr%

स्वतंत्रता के बाद, श्रमिकों की कार्य स्थितियों में सुधार के लिए भारत ने विभिन्न श्रम नीतियों को अपनाया है। प्रवासी श्रमिक और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक अपने श्रम अधिकारों के लिए और अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों के अनुसार विभिन्न श्रम कानूनों के प्रावधानों को लागू करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

भारत ILO का संस्थापक सदस्य है और यह 1922 से ILO शासी निकाय का एक स्थायी सदस्य रहा है। भारत ने आठ–कोर/मौलिक ILO सम्मेलनों में से छह की पुष्टि की है। ये सम्मेलन हैं:

- मजबूर श्रम सम्मेलन (संख्या 29)
- जबरन श्रम का सम्मेलन (संख्या उन्मूलन105)
- समान पारिश्रमिक कन्वेंशन (संख्या 100)
- भेदभाव (रोजगार व्यवसाय) कन्वेंशन (संख्या 111)
- न्यूनतम आयु सम्मेलन (संख्या 138)
- बाल श्रम सम्मेलन के सबसे बुरे रूप (संख्या 182)

भारत ने दो मूल मौलिक सम्मेलनों की पुष्टि नहीं की है, जैसे:

- स्वतंत्रता और एसोसिएशन के संरक्षण का अधिकार सम्मेलन का आयोजन,1948 (संख्या 87)
- अधिकार संगठित और सामूहिक सौदेबाजी कन्वेंशन, 1949 (संख्या 98)

ILO सम्मेलनों संख्या 87 और 98 के गैर–अनुसमर्थन का मुख्य कारण सरकारी सेवकों पर लगाए गए कुछ प्रतिबंधों के कारण है। इन सम्मेलनों के अनुसमर्थन में वैधानिक नियमों के तहत निषिद्ध कुछ अधिकारों को शामिल करना है जैसे सरकारी

कर्मचारियों के लिए, अर्थात् हड़ताल करने का अधिकार, सरकारी नीतियों की खुले तौर पर आलोचना करना, विदेशी संगठनों आदि के लिए स्वतंत्र रूप से वित्तीय योगदान स्वीकार करना आदि।

l oèkkfud vfèkdkj%

भारत का संविधान, अनुच्छेद 14–16, 19(1)(ब), 23–24, 38 और 41–43 सीधे श्रमिक अधिकारों से संबंधित हैं।

अनुच्छेद 14 कहता है कि सभी को कानून के समक्ष समान होना चाहिए, अनुच्छेद 15 विशेष रूप से कहता है कि राज्य को नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, और अनुच्छेद 16 राज्य के तहत रोजगार या नियुक्ति के लिए ''अवसर की समानता'' का अधिकार प्रदान करता है।

अनुच्छेद 19 (1) (ब) सभी को ''संघ या संघ बनाने के लिए'' एक विशिष्ट अधिकार देता है। अनुच्छेद 23 सभी तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है, जबकि अनुच्छेद 24 एक कारखाने, खदान या ''किसी अन्य खतरनाक रोजगार'' में 14 साल से कम उम्र के बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है।

अनुच्छेद 38 (1) कहता है कि सामान्य तौर पर राज्य को एक ''सामाजिक व्यवस्था के साथ'' जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो, '' लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए'' और राष्ट्रीय जीवन के सभी संस्थानों को सूचित करना चाहिए। अनुच्छेद 38 (2) यह कहता है कि राज्य को अन्य सभी स्थितियों पर आधारित ''आय में असमानताओं को कम करना चाहिए''।

अनुच्छेद 39 (क) भारत का संविधान निर्देशन सिद्धांत के रूप में 'पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन' की राज्य की नीति की घोषणा करता है। 'पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन' का अर्थ है समान लिंगों समेत सभी के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन।

अनुच्छेद 41 ''काम करने का एक अधिकार'' बनाता है, जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 व्यवहार में डालने का प्रयास करता है। अनुच्छेद 42 राज्य को ''काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थितियों को सुरक्षित रखने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता है''।

अनुच्छेद 43 कहता है कि श्रमिकों को एक जीवित मजदूरी और ''जीवन की एक सभ्य मानक सुनिश्चित करने वाली कार्य की स्थिति'' का अधिकार होना चाहिए।

अनुच्छेद 43A जो 1976 में भारत के संविधान का 42वां संशोधन द्वारा डाला गया वह ''उपक्रमों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने'' के लिए राज्य को कानून बनाने की आवश्यकता का एक संवैधानिक अधिकार बनाता है।

çokfl;ksa Je dkuwu dk mYya?ku%

कोविड –19 संकट से निपटने के लिए, भारत में कई राज्यों ने ओवरटाइम भुगतान के बिना भी मजदूरों के काम के घंटे बढ़ा दिए हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब और गोवा ने भी प्रावधानों में संशोधन करके या दूसरों को निलंबित करके अपने श्रम कानूनों में बदलाव किया है।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के काम के घंटों के लिए सम्मेलन के खिलाफ जिसमें भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है। राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मजदूरों को सप्ताह में 72 घंटे काम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, जो पहले निर्धारित 48 घंटों से 24 घंटे की वृद्धि है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक मजदूर को सप्ताह के छह कार्य दिवसों में अब 12 घंटे तक काम करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, जो पहले दिन के आठ घंटे के कार्यक्रम से होता है, जो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अधिवेशन कानून का उल्लंघन करता है।

Hkkjr esa y,dMkmu ds nkSjku çokfl;ksa Jfedksa ij iqfyl Øwjrk%

बहुत सी चीजें हैं जिन्हें बदलने की जरूरत है। विशेष रूप से एक पुलिस बर्बरता।

–कॉलिन कैपरनिक

26 मार्च 2020 को, उत्तर प्रदेश का ऐसा ही एक वायरल वीडियो जिसमें, एक युवा प्रवासी कामगारों के एक समूह को अपनी पीठ पर बंधे बैग के साथ एक मुख्य सड़क की ओर बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया, जो लॉकडाउन के बीच घर लौटने की कोशिश कर रहे थे। वे पुलिस द्वारा पकड़े गए, जिन्होंने उनकी दलीलों को सुनने से इनकार कर दिया और इस गर्मी में कूदने और रेंगने के द्वारा अपमानित किया।

28 मार्च 2020 को, दिल्ली में हजारों प्रवासियों, जिनमें पूरे परिवार शामिल थे, ने अपने बर्तन और कंबल को बस्तों में पैक किया, कुछ बच्चों को अपने कंधों पर संतुलित करते हुए वे अंतरराज्यीय राजमार्गों की ओर चल पड़े। कुछ ने सैकड़ों मील चलने की योजना बनाई। लेकिन जब वे दिल्ली की सीमा पर पहुँचे, तो बहुतों को पुलिस ने पीटा।

4 मई 2020, सूरत (गुजरात राज्य) में सैकड़ों प्रवासी श्रमिकों ने अपने घर लौटने की मांग की, एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा गिरफ्तार किया गया,

10 मई 2020 को, 16 प्रवासी श्रमिकों को एक मालगाड़ी ने कुचल दिया, जब वे मध्य प्रदेश राज्य में अपने घरों तक ट्रेन पकड़ने की उम्मीद से महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के लिए अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे। कई घंटों तक चलने के बाद, कार्यकर्ता थक गए थे। वे आराम करने के लिए बैठ गए और सो गए। सुबह लगभग 5.20 बजे आने वाली मालगाड़ी उनके ऊपर चली। वे इस ज्ञान के साथ कि ट्रेनें नहीं चल रही हैं, सड़कों पर पुलिस द्वारा पिटाई से बचने के लिए रेलवे ट्रैक पर चल रहे थे।

11 मई 2020 को कुछ प्रवासी श्रमिकों की के. जी. हल्ली पुलिस स्टेशन (कर्नाटक राज्य) में पुलिस ने बर्बरतापूर्ण पिटाई की जो उत्तर प्रदेश राज्य में घर लौटने के लिए व्यवस्था करने का अनुरोध कर रहे थे।

17 मई 2020 को, पुलिस (हरियाणा राज्य) ने प्रवासी श्रमिकों पर लाठी–चार्ज किया जो वहाँ से लगभग 20 किमी दूर उत्तर प्रदेश की सीमा की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। प्रवासी श्रमिकों को वापस आश्रय में भागते देखा गया। उनमें से कई लोग अपना सामान और साइकिल जगह पर छोड़ कर भाग गए। प्रवासियों को उत्तर प्रदेश राज्य में घर की ओर न जाने की चेतावनी दी गई। उत्तर प्रदेश राज्य ने पैदल प्रवासियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था।

तालाबंदी के दौरान ज्यादातर पुलिस ने दिहाड़ी मजदूरों, जैसे सब्जी और फल विक्रेताओं, दूध विक्रेताओं, ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों और अन्य लोगों को निशाना बनाया जो आवश्यक सामान पहुंचा रहे थे।

y,dMkmu d nkjku ljdkj dh foQyrk%

''कहीं भी अन्याय हर जगह न्याय के लिए खतरा है''

–डॉ मार्टिन लूथर किंग जूनियर

29 मार्च 2020 को, सरकार ने अपने गाँव तक पहुँचने के लिए 62 मील के आसपास पैदल मार्च कर रहे प्रवासी कामगारों को रोकने के लिए सीमाओं को बंद करने का आदेश दिया। अधिकारियों ने 21 दिन के राष्ट्रव्यापी बंद के मद्देनजर उनकी कठिनाई को कम करने के लिए उन्हें भोजन, आश्रय और मजदूरी प्रदान करने के लिए कदमों की घोषणा की।

29 अप्रैल 2020 को सरकार ने आदेश दिया कि प्रवासी कामगारों को जांच और स्पर्शोन्मुख पाए जाने के बाद ही यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी ।

21 मई 2020 को, प्रवासियों के लिए लगभग 40 श्रमिक विशेष ट्रेनें अपना रास्ता खो चुकी थी और अपने गंतव्य के बजाय कहीं और पहुंच गई थी।

9 मई से 29 मई 2020 के बीच भारत के रेलवे सुरक्षा बल के आंकड़ों से पता चला कि प्रवासियों की श्रमिक विशेष ट्रेनों में जान गंवाने वाले लगभग 80 लोगों की मृत्यु अज्ञात कारणों से हो गई थी।

इसका परिणाम एक अभूतपूर्व मानवीय आपदा है, जिसमें लाखों गरीब प्रवासी पैदल, साइकिल से, खतरनाक ढंग से घर छोड़ कर, कभी—कभी 1200 मील से अधिक की दूरी पर, अक्सर खाली पेट चले रहे थे। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि भारत में कई राज्य सरकारों ने ट्रेनों और बसों में घर भेजने के दौरान प्रवासी मजदूरों से किराया लिया।

çokl h Jfedk d s eqík i j jk"Vªh; ekuo vfèkdkj vk;ksx ¼,u,pvkj lh½

अप्रैल के महीने में जब देश में एक सख्त तालाबंदी की जा रही थी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मानवाधिकारों के उल्लंघन के 2582 से अधिक मामलों को दर्ज किया, जिसमें मानवाधिकारों के बड़े पैमाने पर उल्लंघन का संकेत दिया गया था, जिसमें लाखों प्रवासी मजदूरों को काम के बिना अधर में छोड़ दिया गया था। आयोग ने संबंधित राज्य के अधिकारियों से अधिकांश भुखमरी और प्रवासी श्रमिकों की मृत्यु से संबंधित अमानवीय मामलों में स्पष्टीकरण मांगा था।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) को फंसे हुए प्रवासी मजदूरों के सामाजिक योजनाओं से वंचित से सड़कों पर उनकी मौत से संबंधित कई शिकायतें मिली थीं। इन शिकायतों में आरोपों की प्रकृति के आधार पर, आयोग ने संबंधित अधिकारियों को निर्दिष्ट समय के भीतर रिपोर्ट देने के लिए नोटिस जारी कर आयोग के केंद्र बिंदु ने शिकायतों के तत्काल निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों से भी संपर्क किया था।

एनएचआरसी के प्रवक्ता जैमिनी कुमार श्रीवास्तव, उप निदेशक (मीडिया और संचार) ने मिंट को बताया कि वह प्रवासी श्रमिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक शिकायत पर काम कर रहा है जिसमें विभिन्न संगठनों ने उद्योगों को बंद करने के कारण उन्हें निष्कासित कर दिया है क्योंकि केंद्र और राज्यों ने समाज के इस वर्ग के लिए किसी भी पूर्व तैयारी के बिना तालाबंदी की घोषणा की।

"हमारे समाज के कमजोर और दबे हुए वर्ग के अधिकांश प्रवासी मजदूरों/श्रमिकों, ने "बिना काम, भोजन या आश्रय के" अपने परिवार के साथ पैदल ही अपने मूल स्थान की ओर प्रस्थान किया, इसलिए वे भुखमरी से मर रहे थे" शिकायत में कहा और सड़क दुर्घटनाओं में मारे जा रहे प्रवासियों का उल्लेख किया।

केंद्र और राज्य सरकारों पर इसका आरोप लगाते हुए, आयोग ने कहा कि ''लोगों की पीड़ा रुक नहीं रही हैं विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों की, जिनकी यात्रा लंबी है।''

एनएचआरसी ने कहा, ''तालाबंदी के दौरान लोगों की पीड़ा आयोग के सामने आई और हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य किया ताकि केंद्र और राज्य के अधिकारियों को बड़े स्तर पर सम्मान के दृष्टिकोण के साथ जनता के मानवाधिकारों, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों को स्थिति से निपटने के लिए जागरुक किया जाए''। आयोग ने कहा, ''प्रवासी मजदूरों, विशेषकर महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों और गर्भवती महिलाओं की दुर्दशा की ओर राज्य की उदासीनता, दुखदायी है।''

सबसे बड़े सामाजिक आर्थिक संकट का सामना कर रहे देश के साथ, प्रवासी मजदूरों ने जीवन और गरिमा के साथ मानवाधिकारों पर जीवित रहने के लिए लड़ाई लड़ी गई।

एक वैश्विक मानव अधिकार गैर–सरकारी संगठन, अंतरराष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग (ICJ) की कानूनी सलाहकार मैत्रेयी गुप्ता, ने कहा कि, कई प्रवासी श्रमिक, जो या तो सरकारी आश्रय घरों में फंसे हुए या अटके हुए थे, अपने मूल स्थानों तक पहुंचने का प्रयास करते हुए अपने जीवन और गरिमा के संवैधानिक मौलिक अधिकार के उल्लंघन का सामना कर रहे थे। भारत को इन श्रमिकों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का संज्ञान लेना चाहिए।

15 अप्रैल, 2020 को प्रकाशित स्ट्रैंडिड वर्कर्स ऐक्शन नेटवर्क की रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें 11,000 से अधिक प्रवासी कामगारों का सर्वेक्षण किया गया, उन्होंने बताया कि उत्तरदाताओं का 50 राशन एक दिन के लिए भी नहीं बचा है, 96 को राशन नहीं मिला, 70 को सरकार से पका हुआ भोजन नहीं मिला, 78 उत्तरदाताओं के पास 400 रूपये से भी कम बचा था।

भोजन और बुनियादी सुविधाओं की कमी के अलावा, प्रवासियों को अब कोरोनोवायरस संक्रमण और संक्रमण उन क्षेत्रों में ले जाने का जोखिम है यहां वे आगे बढ़ रहे हैं। कम्युनिटी मेडिसिन मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय में निदेशक, डॉ सुनीला गर्ग ने कहा, "भारत में लॉकडाउन ने लगभग

40 मिलियन प्रवासियों को प्रभावित किया है। रोजगार का नुकसान, अज्ञात डर और सामाजिक समर्थन की कमी जनसंख्या के इस विशाल भाग में अशांति के प्रमुख कारण थे। प्रवासियों को अब वापस ले जाया जा रहा है, लेकिन राज्य, मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली और अन्य महानगरों के प्रवासियों के बीच कोविड मामलों की रिपोर्ट कर रहे हैं ''।

çokfl;k d eík ij Hkkjr dk lokPp U;k;ky;%

1 अप्रैल 2020 को, लॉकडाउन की अवधि के लिए प्रवासी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने की मांग वाली एक याचिका में, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, ''जब सरकार द्वारा भोजन प्रदान किया जा रहा है तो मजदूरी की आवश्यकता क्यों है?''

16 मई 2020 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त राहत और परिवहन प्रदान करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश देने के लिए एक जनहित याचिका खारिज कर दी, जिसमें कहा गया कि यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी थी। औरंगाबाद रेलवे ट्रैक पर सोते हुए मारे गए श्रमिकों के बारे में बोलते हुए, अदालत ने कहा कि इसे रोका नहीं जा सकता था।

26 मई 2020 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि प्रवासियों की समस्याएं अभी भी हल नहीं हुई हैं और सरकारों की ओर से ''अपर्याप्तता और कुछ खामियों'' है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्यों को फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त भोजन, आश्रय और परिवहन प्रदान करने का आदेश दिया।

28 मई 2020 को, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान रोजगार के नुकसान के कारण घर जा रहे प्रवासियों से बस और ट्रेन किराए का खर्च राज्यों को वहन करने का निर्देश दिया।

9 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने एक पखवाड़े के भीतर कोरोनोवायरस लॉकडाउन से फंसे सभी प्रवासी कामगारों की वापसी अपने गृह राज्यों में सुनिश्चित करने के लिए और उनकी वापसी पर नौकरी के अवसरों सहित कल्याण के कार्यक्रम की योजना पेशकश करने के लिए सुनवाई की अगली तिथि (8 जुलाई) के भीतर सूचित करने करने को कहा था।

9 जून 2020 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्यों को निर्देश दिया कि वे प्रवासी श्रमिकों के खिलाफ दर्ज किसी भी शिकायत या अभियोजन को वापस लें, जो महामारी के समय बेरोजगारी और बीमारी से बचने के लिए पैदल चलकर बड़े शहरों से अपने पैतृक गाँवों के लिए निकले थे।

पिछले तीन दशकों से, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बार–बार कहा है कि ''जीवन के अधिकार में केवल एक 'पशु अस्तित्व' शामिल नहीं है, लेकिन सम्मान के साथ एक जीवन है।'' दुर्भाग्य से, जब उन घोषणाओं को अर्थ देने का समय आता है, तो न्यायालय पूछता है कि यदि भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है तो मजदूरी क्यों आवश्यक है।

fu"d"k vkj l|>ko %

''व्यक्ति के श्रम की बचत, लक्ष्य और ईमानदार मानवीय विचार न कि लालच, मकसद, होना चाहिए। '' – महात्मा गांधी

आज, महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि कृषि, सड़क निर्माण, ईंट भट्ठों, बीड़ी कार्यकर्ता (तम्बाकू परतदार सिगार), हाथ करघा बुनकर, में भारत के प्रवासी श्रमिकों (असंगठित क्षेत्र) के मानवाधिकारों और सम्मान को कैसे बचाया जाए। चीनी कारखाने, गन्ना कटर, ट्रांसपोर्टर्स, गन्ना कटाई मौसमी प्रवासी श्रमिक जिनके लिए गरिमामयी आजीविका एक बहुत दूर का लक्ष्य है।

भारत में प्रवासी श्रमिकों द्वारा कम वेतन, शारीरिक, यौन और मानसिक सुरक्षा और सुरक्षा के साथ संघर्ष, सामना की जाने वाली कुछ चुनौतियाँ हैं।

भारत सरकार को सभी प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय वाचाओं की पुष्टि करनी चाहिए जो श्रम की गरिमा का सम्मान करती हैं, विशेष रूप से महत्वपूर्ण ILO कन्वेंशन No.87. एसोसिएशन की स्वतंत्रता और सम्मेलन आयोजित करने के अधिकार का संरक्षण, और ILO सम्मेलन 98, व्यवस्थित करने का अधिकार और 16 सामूहिक सौदेबाजी सम्मेलन।

प्रवासी श्रमिकों की तरह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के संदर्भ में श्रम मानकों को भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लागू किया जाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों द्वारा असंगठित क्षेत्र में प्रवासी और अन्य श्रमिकों की रक्षा करना आवश्यक है और भारत के घरेलू प्रवासियों से निपटने के लिए प्रवासी मामलों के लिए एक अलग मंत्रालय भी होना चाहिए।

गैर–सरकारी संगठनों की पहल और प्रवासी श्रमिक समूहों के गठन को प्रभावी जागरूकता बढ़ाने, नेटवर्किंग, वकालत और पैरवी के लिए एक सक्रिय आंदोलन बनाया जाना चाहिए ताकि प्रवासी श्रमिकों के खिलाफ दुर्व्यवहार और शोषण को रोका जा सके।

वैश्वीकरण के युग में, यह आवश्यक है कि श्रम मानकों और श्रम अधिकारों (प्रवासियों के अधिकारों) के महत्वपूर्ण पहलुओं पर बहस की जाए और एक ऐसी प्रणाली को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा जाए जहां कानून के नियम की सुचारू प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं हो।

"कोई भी काम तुच्छ नहीं होता। सभी श्रम जो मानवता का उत्थान करने वाले हैं, की गरिमा और महत्व है और उन्हें श्रमसाध्य उत्कृष्टता के साथ किया जाना चाहिए। "– डॉ मार्टिन लूथर किंग जूनियर।

lnHk

भारत का संविधान, नरेंद्र कपूर संस्करण– 2018

भारतीय संविधानिक कानून, ऐम. पी. जैन संस्करण –2010

लेबर ऐंड इंडस्ट्रीयल लॉ, ऐस. ऐन. मिश्रा संस्करण– 2003

भारत वर्ष तथा अन्य कहानियां, महाश्वेता देवी, आधार प्रकाशन, प्रा. लि., पंचकूला, प्रथम संस्करण–2003

अन्य लेख, महाश्वेता देवी, आजकल, कोलकाता, संस्करण–2003

• • •

मद्यनिषेध एवं महिला सशक्तिकरण

Mk- vpluk lkf'kY;k•

16 फरवरी 2020 को आयोजित हुए 'शराबमुक्त भारत : राष्ट्रीय अभियान (इस्कान ऑडीटोरियम, दिल्ली) में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतिशकुमार ने शराबबंदी में बिहार को अग्रणी का नाम देकर राष्ट्रीय अभियान का आह्वान किया। 1 निःसंदेह शराब मुक्त समाज, धार्मिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से आज सबकी जरूरत बन चुकी है। सन् 2018 में W.H.O. (वर्ल्ड हेल्थ आरगेनाइजेशन) ने अपनी रिपोर्ट में शराब से होने वाली समाजिक विसंगतियों की चर्चा के दौरान कहा–शराब से मरने वालों का प्रतिशत पूरी मृत्यदर का 5.3 है और यह संख्या वृद्ध लोगों की तुलना में जवानों की ज्यादा है। युवा वर्गों में 20 से 29 साल में 13.5 प्रतिशत लोगों की मृत्यु मद्यपान करने से होती है।

शायद विश्व के इतिहास में यह पहला दिन था, जब बिहार में, 21 जनवरी 2017 में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने 11,000 किलोमीटर लंबा मानव श्रृंखला (मानव चेन) बनाकर नशामुक्त मद्यनिषेध बिहार बनाने का अभियान प्रारंभ किया। बिहार की महिलाओं ने यह सराहनीय कदम उठाकर अपने महिला सशक्तिकरण का परिचय दिया, जब सरकार को इन महिलाओं के आह्वान पर 6000 के लगभग शराब की दुकाने बंद करनी पड़ी। निःसंदेह इस प्रयास में महिला विकास निगम, समाज कल्याण विभाग, तकनीकी सहयोगी डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीच्यूट, पटना सभी का योगदान रहा।

बिहार राज्य, भारत देश का चौथा राज्य रहा जहाँ पूर्णनिषेध की घोषणा की गई। इसके पहले गुजरात, नागालैंड तथा लक्षयद्वीप में इसका शुभारंभ हो चुका था। आज बिहार की महिलायें माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का आभार प्रकट करती हैं, जिन्होंने उन्हें सम्मान व शंति से जीने का रास्ता दिखलाया। देश में उभरती महिलाओं की यह आवाज, राज्यों के राजस्व पर भी भारी पड़ी है, क्योंकि महिला सबंधित अहिंसक नीतियों ने राज्यों का सामाजिक नीतियों का भी रूख मोड़ दिया है। शराब की बिक्री से होने वाले राजस्व का हरजाना, बिहार सरकार को भी झेलना पड़ा, जो दिल्ली जैसे विकसित राज्य के सामने कुछ भी नहीं है परंतु इस कदम को विकसित राज्यों ने कभी सोचा भी नहीं है। परंतु महिला सशक्तिकरण की इच्छाशक्ति रखने वाले राजनीतिक प्रतिबद्ध नेताओं व राज्यो ने इस कदम को उठा ही लिया।

• ऐसासिएट प्रोफेसर, अदिति महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय

1. http://www.biharregd.gov.in

राज्य के समूचे तंत्र, पुलिस, राजस्व विभाग, नशा विमुक्ति केन्द्र, अस्पताल, न्यायालय नागरिक व महिला संगठनों ने सरकार के इस कानून को लागू करने में कमर कस ली।

दिल्ली में **MONA** (मिलित ओडिशा निशा निवारण अभियान) द्वारा आयोजित सम्मेलन में माननीय मुख्य मंत्री ने पूरे भारत में शराब बंदी लागू करने की अपील की। विहार में इस कार्यक्रम की सफलता देखते हुए हरेक राज्यों की स्टडी टीम (कर्नाटक से 2017 में), (छत्तीसगढ़ से 2018, राजस्थान से 2019) बिहार गई और कार्यक्रम की सफलता का मापदंड भी बनाया। इस मद्यनिषेध के साकारात्मक परिणामों ने निःसंदेह शराब के व्यापार में लगे व्यापारियों तथा माफिया लोगों में अफरातफरी मचा दी, महानगरों में तथा अन्य राज्यों में एक असुरक्षित वातावरण बनने लगा और बिहार में शराब बंदी की तीखी आलोचना भी होने लगी।

fcgkj e|fu"kèk % ,d i"BHkfe

सन् 1938 के बिहार मध निषेध अधिनियम को हटाकर, 1 अप्रैल 2016, को देशी खराब पर रोक लगा दी गई और बाद मं विदेशी शराब की भी बंदी कर दी गई। पुनः 1 अगस्त 2016 को बिहार विधानसभा ने बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद विधायक 2016 को पारित कर दिया, परंतु 30 सितम्बर 2016 को पटना उच्च–न्यायालय ने इस सरकारी अधिसूचना (शराब के सेवन, भंड़ारण तथा बिक्री) को 'अकारण' व 'कठोर' कह कर खारिज कर दिया।[2] इसके पहले 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान, बिहार की महिलाओं ने माननीय मुख्यमंत्री से मद्यनिषेध लागू करने के लिए प्रतिज्ञा की माँग की और मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि पूर्णशराबबंदी का फैसला महिलाओं के कारण संभव हो गया अतः यह कदम महिलाओं को समर्पित होगा।"[3]

अंततः 2 अक्टूबर 2016 को बिहार सरकार ने शराब और अन्य मादक पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने हेतु बिहार प्रतिबंध–एवं उत्पाद अधिनियम 2016 को अधिसूचित कर दिया। जिसके अन्तर्गत बिहार में शराब की बिक्री व सेवन पर निषेधाज्ञा लागू है। शराब के निर्माण, भंडारण अथवा सेवन करने पर कम से कम दस साल की जेल एवं एक लाख रुपये तक का जुर्माना शामिल है। वर्तमान में गुजरात (गुजरात संशोधन अधिनियम 2009 छूट के साथ शराब बंदी) केरल, नागालैंड, लक्षद्वीप में मधनिषेध–नीति लागू है। मणिपुर को 'शुष्कराज्य' (Dry State) का का दर्जा दिये

2. http://Indian express.com/article/India/India.news-India/bihr-ban-Patna-Highcourt-strikes--Down-prohhibition of liquor oct 3057765/
3. http://www.hindustantimes.com/India/bhar-turns-dry-asnitishgovt.announces--totalprohibition/story O MabkAkexIlrzWvZrmeAQqa.htm.

जाने के बावजूद, शराब का काला बाजार गरम है।

जेंडर रिसोर्स सेंटर, महिला विकास निगम, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार के अनुसंधान के अनुसार मद्यनिषेध के कारण बिहार में महिलाआं तथा बालिकाओं के प्रति हिंसा में काफी कमी आई है।[4] ग्रामीण परिवारों के क्रय क्षमता में वृद्धि होने तथा घरेलू सामग्रियों में इस राशि के प्रयोग से, आज हर परिवार अपने परिवार को दूध, सब्जियाँ पौष्टिक आहार तथ शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रहा है। इसे आप मजबूरी मानिए या इच्छा शक्ति, पर सरकारी मानदंडो के विकास में बढ़ोत्तरी तो जरूर हुई है। सबसे सुखद अनुभव तो यह रहा है कि शराब पीने वालों ने भी इस मद्यनिषेध का खुल कर स्वागत किया है।

बिहार के मुख्यमंत्री, श्री नीतिश कुमार द्वारा उठाया गया यह प्रयास राज्य हित के लिए निःसंदेह दूरगामी निर्णय है, जिसकी तीखी आलोचना भी हुई, जब पुलिसकर्मियों ने लाखों की संख्या में शराब पीने वालों को गिरफ्तार किया, राजद के नेताओं एवं पुलिस कर्मियों की भिडन्त में दोनों तरफ से लोग घायल हुए परंत इसके साथ ही ग्रामीण महिलाओं एवं बालिकाओं के जीवन पर अत्यंत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जिसने सामाजिक कुरीतियाँ,घरेलू हिंसा तथा महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर अंकुश लगा दिया है।इस सकारात्मक कदम ने बिहार को नशामुक्त करने के साथ साथ नारियों के विचारों, सोच को एक नई अभिव्यक्ति दी है, जिससे आगे आने वाले समय में अन्य सुधारों के लिए मार्गदर्शन हो सकेगा।

पूर्ण मघनिषेध होने से लोगों के विकल्प खत्म हो गये, जब पुरुषों ने पीने का विकल्प चुना था, तो उनके परिवार वालों के पास 'जीने का विकल्प' नहीं था। मद्यनिषेध ने पुरुषों को 'स्वनियंत्रण' समझाया, सोचने समझने की क्षमता दे दी, परिवारिक जिम्मेदादियों को निभाने का हुनर सिखाया, पाबंदी के द्वारा ही सही घर परिवार के भरणपोषण, स्वस्थ्य, शिक्षा, सम्पूर्ण विकास के रास्तों से अवगत कराया। इन्सान, बंदिशों में ही अपना सर्वांगिक विकास कर पाता है– उसे आजाद छोड़ दिया जाये तो वह अपनी मरजी का बादशाह बनकर तहसनहस करने से बाज नहीं आता।

अपने साक्षात्कार के दौरान बिहार के परिवेश में रहने वाली लगभग सभी महिलाओं (100%) ने इस कदम को उचित ठहराया और अपने साथ घटित हुए दुखद हादसों को भी बताया। यद्यपि महिलायें बोलने से पहले डरती सहमी दिखी, पर मेरे आश्वासन पर कि उनके पुरुषों तक यह बात नहीं पहुचंगी, मेरे विश्वास का साथ निभाती गई एवं खुलकर अपने पर हुई हिंसा, यौन शोषण, एक दो पत्नियाँ रखना आदि की खुल

4. Study by Gender Resources centre. Womens' DW Corporate, Dept of SocialWelfare govt. of Bihar. (2017).

कर चर्चा करने लगी। उनके डरे सहमे चेहरों में मैं महिला–सशिक्तकरण की परिभाषा ढूढ़ने में सफल होती दिखी।

मद्यनिषेध का परिणाम मात्र महिलाओं पर हो रहे हिंसा को ही रोकना या कम करना नहीं रहा है अपितु इसने परिवारिक आर्थिक स्थिति में भी सुधार ला दिये हैं, जिस का प्रभाव पूरे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी दृष्टिगोचर हुआ है। गाँव की महिलाये, बालिकायें पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हुई हैं, खुल कर विचरण करने, बोलने की स्वतंत्रता आदि हुई है। मद्य पर खर्च होने वाली आय अब शिक्षा पर होने से सोचने समझने की क्षमता का विकास हुआ है, सही गलत के निर्णय लेने में सहूलियत से 'निर्णय लेने की क्षमता' का विकास हुआ है।

वस्तुतः देखा जाए तो प्रतिबंध की नीतियाँ, पुरुषों द्वारा शराब के कम सेवन करने की आदत, और महिला पर हो रही घरेलू हिंसा, सार्वजनिक शोषण, लैंगिक हिंसा (बलात्कार) से सीधे तौर से जुड़ी है। दिल्ली, उत्तरप्रदेश, तमिलनाडु हर जगह शराब के कारण महिलाओं का ज्यादा शोषण हुआ है। एक उत्प्रेरक के रूप में शराब ने गरीब परिवारों को दरिद्रता, बर्बरता तथा लाचारी के दलदल में फेंक रखा है और यह कहानी, दिल्ली के झुग्गी झोंपड़ियों की ही नहीं अपितु कालोनियों में रह रहे सभी परिवारों की है – जहाँ पूर्वांचलों की बहुतायत हैं।

बिहार, उत्तरप्रदेश से काम की तलाश में आये लोगों ने बातचीत के दौरान हामी भी भरी की देशी/विदेशी शराब खरीदने के लिए, पत्नियों का पैसा छीनना, बच्चों से मार पिटाई करना, या बेटी पैदा होने पर उग्र व हिंसक व्यवहार भी शामिल है। दुर्भाग्यवश ऐसी घटनायें पढ़े लिखे तथा अत्यंत धनी परिवारों में भी देखने को मिली और यह त्रासदी वहाँ की महिलायें भी झेल रही हैं।

महानगरों में ग्लैमर की चकाचौंध, एवं 'कारपोरेट कल्चर' में मद्यनिषेध को 'गँवारपन' तथा 'ग्रामीण परिवेशी सभ्यता' का नाम देकर मजाक बनाया जाता है, तिरस्कार भी किया जाता है, जो परिवार के बिखरने का मुख्य कारण भी बनता जा रहा है। आज जरूरत है जेंडर के आधार पर हस्तक्षेप करने करने की, ताकि महिलाओं के साथ दुर्व्यव्हार करने की, मर्दों की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके।

शराब की लत का प्रभाव मात्र नारी के अपमान तक ही सीमित नहीं रहा है अपितु इसका दुष्प्रभाव, बीमारी, अत्यधिक सेवन से मौत, नकली शराब से होने वाली अनेकों समस्यायें भी शामिल हैं। शहरों में नशे की हालत में गाड़ी चलाने से होने की दुर्घटना, बिमारियों में बढ़ता कर्ज तथा दुर्घटनाओं के कारण बीमा योजना में बढ़ोत्तरी आदि अनेक समस्यायें भी शामिल हैं।

मद्य में लत से मात्र एक व्यक्ति ही नहीं अपितु उसका पूरा परिवार उसके सम्बन्धी तथा समाज प्रभावित होता है – क्योंकि उसके अनेक भयावह रूप दृष्टिगोचर होते हैं – जैसे : मानसिक हिंसा (तनाव, चिंता, अशांति), मौखिक दुर्व्यव्हार (गाली देना, शर्मिन्दा करना, अपमानित करना) शारीरिक हिंसा (पीटना, गला दबाना, जलाना हथियार से हमला करना) यौन हिंसा (बलात्कार, जबरन यौन संपर्क करना, वेश्यावृत्ति में ढकेलना) आर्थिक शोषण (वित्तीय मदद नहीं करना) तथा सामाजिक हिंसा (लोगों पर प्रहार, चोरी), आदि जो घिनौने रूप हैं – जिसने नारी अस्तित्व पर प्रश्न सूचक चिन्ह लगा कर रखे थे ऐसे में पूर्णमद्य निषेधाज्ञा द्वारा नारियों को इन तमाम हिंसाओं से आजादी मिल गई है।

पूर्ण मद्यनिषेध से घरों में शांति, सामंजस्य तथा समृद्धि की वृद्धि होने लगी, महिलाओं के साथ साथ पुरुषों ने भी अपने गलत व्यवहार (दुर्व्यव्हार) पर नियंत्रण की चर्चा की जिसका सीधा असर पर्व त्योहारों में देखने को भी मिला। महिलाओं बालिकाओं ने भी स्वीकारा कि अब उन्हें प्रतिदिन मानसिक, शारीरिक, मौखिक, यौन यातनाओं से नहीं गुजरना पड़ता, अपितु उनके पति एवं पिता घर की सुख–समृद्धि की चर्चा करते हैं। आसपड़ोस चौक–चौराहे पर दंगे नहीं होते, लड़कियों के साथ छोड़खानी नहीं होती, घरों का माहौल बदल गया है, महिलायें, पतियों के आने पर डरी सहमी नहीं रहती, घर में पढ़ाई का माहौल रहता है। आगे आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुधर जायेगा, शराब पीकर शदियों में होने वाले विवाद नहीं होने से बारात वापस नहीं लौटती ना ही पत्नी, माँ द्वारा प्रेम से बनाये, खानों को उनपर फेंका जाता है। जो लोग चोरी छिपे शराब पी भी लेते हैं वो घर आकर शांति से सो जाते हैं ताकि मोहल्ले वाले या घर वाले उनकी शिकायत दर्ज ना करा दें।

कहने की आवश्यकता नहीं अब इस बदले हुए माहौल में घर की औरतें ज्यादा सुरक्षित एवं खुश रहती हैं, घर से जुड़े फैसलों में निर्णायक भूमिका अदा करती हैं। अब वे गालियाँ नहीं सुनती बल्कि फैसले सुनाती हैं।

udkjkRed ifrfØ;k,¡ % सरकारी नीतियों, खासकर विकास की नीतियाँ एक प्रक्रिया है – जहाँ वाद है तो प्रतिवाद होना भी संभव है।नीतियाँ, समाजीकरण, रीतिरिवाज सामुदायिक संरचना और पितृ सत्तात्मक समाज सभी ने महिलाओं की उन्मुक्ति, अभिव्यक्ति का रास्ता बंद करके रखा है। क्योंकि घर की महिलाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वह पति व पिता के शराब पीने के बाद हुई हिंसा को बर्दाश्त करें और परिवार का हर सदस्य इसका अभ्यस्त होना है। इतना ही नहीं कुछ परिवार तो हिंसक दिनचर्या को शराब के बहाने पर भी इस्तेमाल करते है। अनैतिक आचरण, कारखानों, स्कूलो में अनुपस्थिति, जेल में कैदियों की संख्या इन सबके पीछे शराब

के सेवन एक बहुत बड़ा कारण है।

प्रायः यह देखा गया कि कानून का सबसे ज्यादा असर गरीब मजदूरों, आदिवासियों तथा दलितों पर पड़ा। प्रतिदिन मजदूरी करने वाले गरीब मजदूर को शराब पीने पर लाखों को सजा दे दी जाती थी और यह शराबबंदी 'गरीब बंदी' में तब्दील हो गया। रातों रात एक 'दिहाड़ी मजदूर', मजदूर से अपराधी बन गया, जेल में लोखों लोगों को कैद करने से जेल भरने लगे मुकदमें बढ़ने से अदालतों पर भार बढ़ गये एवं जरूरी मुकदमों की सुनवाई में देर होने का डर बैठता गया। जेल और अदालतों को भी इतने अपराधियों को झेलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि ये अपराधी नहीं अपितु नशाखोर थे जो मात्र वकीलों की कमाई बढ़ा सकते थे और पत्नियाँ जहाँ पतियों को सुधारना चाहती थी, मुकदमे में पैसे बर्बाद करने लगी, महिलाओं ने शराबबंदी की माँग की थी परंतु पतियों का जेल में रहना उन्हें भी गँवारा नहीं था। 16 महीने में 3 लाख 88 हजार से ज्यादा छापे पड़े एवं लाखों लोग गिरफ्तार हुए[5] छापेमारी, गिरफ्तारी के आंकड़े बिहार में सबसे ज्यादा मिले।

पैसे वाले, शराब पीने वालों को बहुत ज्यादा–नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें चीजे घर पर मिल जाती थी और प्रशासन भी सम्मिलित था। वे लोग बिहार के बार्डर पार 'देवधर' या दिल्ली जाकर पी सकते थे, पर गरीब दारू पीने के लिए दिल्ली तो नहीं जायेगा। कुछ समस्यायें तब भी विद्यमान रहीं जैसे : तंबाकू गुटखे का सेवन (बाद में पान मसाला को भी एक साल के लिए बंद किया गया) पुलिस कर्मियों द्वारा शराब का सेवन, जब्त किये शराब को पुनः पैसे वालों को बेच देना, नशे के शिकार लोगों द्वारा काम पर नहीं जाना, नशामुक्ति केंद्रों पर दाखिला नहीं कराना आदि ... इन सारी आलोचनाओं एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कानून के प्रावधानों का लाभ लेने की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री से छिपी नहीं रही अतः शराब बंदी कानून में संशोधन की भी चर्चा प्रारंभ हो गई है – जिससे नारियों का शोषण नहीं हो (2 बार पकड़े जाने पर छूट, तीसरी बार में जेल), आर्थिक जुर्माना भरने आदि का प्रावधान शामिल किया गया, ताकि शराबबंदी के नाम पर कमाने वालों पर अंकुश लगाया जा सके।

l eh{kk

तथापि यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि अब थाने में महिलाओं द्वारा की गई शिकायतों में काफी कमी आ गई है – साथ ही अस्पतालों में महिलाओं पर हुए, हिंसक प्रहारों के इलाज में भी कमी आई है।

5. टाइम्स ऑफ इंडिया, 5 अगस्त 2017

राजस्व विभाग का लक्ष्य भी राजस्व को बढ़ाने के बजाए (राजस्व वसूली) मद्यनिषेध को लागू करवाने का हो गया हैं और अपने इस प्रयास में उन्हें पुलिस एवं प्रशासन दोनों का भरपूर सहयोग मिला है। 5000 करोड़ के राजस्व के घाटे को भरने के लिए लोगों को अन्य सुविधायें मुहैया करवाई गई है – बिहार भ्रमण करने वाले देशी विदेशाी लोगों की संख्या में भी वृद्धि हुई है।[6]बिहार जैसे गरीब राज्य में राजस्व संग्रह शून्य पर पहुँच गया था परंतु मानव संसाधन की कार्यक्षमता पर बिहार राज्य ने एक बड़ी जीत हासिल की है। शराब पर प्रतिबंध लगाकर, व्यक्तिगत व पारिवारिक जीवन में परिवर्तन लाकर एक सशक्त समाज की रचना में बिहार अग्रणी रहा है। और जिस समाज में महिला मानसिक, मौखिक शारीरिक, यौन व आर्थिक रूप में पीड़ित नहीं हो, सही मायने में महिला–सशक्तिकरण यही है और गाँधी जी का सपना भी।

• • •

6. www.livehindustan.com

कोरोना काल में मानव अधिकार और विधि

M,- v'kkd d|ekj•

कोरोना महामारी के चलते दुनिया एक कठिन दौर से गुजर रही है। कोविड–19 महामारी के दौरान विभिन्न देशों की सरकारों के द्वारा अपने यहाँ परिस्थितियों के मुताबिक लॉकडाउन को लागू किया गया ताकि कोरोना के संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके। इसका दुष्प्रभाव यह हुआ कि लॉकडाउन ने मानव अधिकार को प्रभावित किया। कोरोना महामारी वर्ष 2019 के अंत में चीन के वुहान शहर से उत्पन्न हुआ है।दिसंबर 2019 के महीने में, विश्व स्वास्थ्य संगठन को पहली बार चीन के वुहान शहर में कोरोना वायरस के कारण होने वाले निमोनिया के मामलों की सूचना मिली थी, जिसके कारण अब 213 देशों में सांस की बीमारी का प्रकोप शुरू हो गया है। भारत में महामारी का पहला मामला 30 जनवरी 2020 को सामने आया था यद्यपि वायरस भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन इसका प्रभाव ऐसा करता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रवासी, शरणार्थी और आंतरिक रूप से विस्थापित लोग विशेष रूप से असुरक्षित समूह हैं। चीन के वुहान से निकला कोरोना वायरस शुरू से ही खतरनाक था, किंतु विश्व स्वास्थ्य संगठन को इसे महामारी घोषित करने में समय लग गया. उसने 11 मार्च, 2020 को कोविड–19 को वैश्विक महामारी घोषित किया. तब तक यह बीमारी कई देशों में कोहराम मचा चुकी थी। कोविड–19 संक्रमण महामारी के रूप में एक लोक स्वास्थ्य आपातकाल है। लेकिन यह महामारी से कहीं अधिक वैश्विक, आर्थिक, सामाजिक और एक मानव संकट है, जो तेजी से मानव अधिकार के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। जिसमे सरकारों की भूमिका पहले से अधिक उत्तरदायी और लोगों के प्रति जवाबदेह हो रही है, सूचना का अधिकार और प्रेस स्वतंत्रता पहले से अधिक महत्वपूर्ण है। सिविल सोसाइटी संगठनों और निजी क्षेत्र के लिए आवश्यक भूमिकाएं बढ़ी हैं।

हमारे संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को दैहिक स्वतंत्रता और गरिमा का मौलिक अधिकार प्राप्त है. संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में नागरिकों को चिकित्सा सुविधा प्राप्त करना भी शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त गरिमा के साथ दैहिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का महत्व इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि सर्वोच्च अदालत ने इसका दायरा बढ़ाते हुये. यहां तक कहा है कि यह मौलिक अधिकार सिर्फ जीवित व्यक्ति को ही नहीं बल्कि मृत व्यक्ति को भी उपलब्ध है। हालांकि कोरोनोवायरस एक भयानक आपदा है, लेकिन यह साबित कर

• अध्यक्ष, एस.आर.एन.सी.टी एवं संकाय सदस्य, विधि विभाग, विधि अध्ययन संकाय, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली

दिया है कि थोड़े समय के लिए बड़े पैमाने पर सामाजिक पुनर्व्यवस्था पूरी तरह से संभव है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में नागरिकों को प्रदत्त दैहिक स्वतंत्रता और गरिमा के अधिकारों की रक्षा करना विधायिका,कार्यपालिका और न्यायपालिका सबका समेकित रूप से एक संवैधानिक उत्तरदायित्व है, और उसे तर्क कुतर्को के आधार बचने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

मानव अधिकारों को बढ़ावा देने से समाजों को भविष्य में इस महामारी से और अधिक उभरने में मदद मिलेगी।एक समाज जो स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा सहित सभी के लिए समान उपचार की पेशकश नहीं कर सकता है, वह अपने सामाजिक सामंजस्य को खो देगा और इसके अधिक लोग वायरस का शिकार हो जाएंगे। एक ऐसा समाज जो शक्तियों को अलग करके आत्मसमर्पण शासन खो सकता है। इन तरह के खतरों के खिलाफ, लचीला समाज महामारी के बाद के मानव अधिकारों के मानदंडों को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है।

सरकारों को जवाबदेह ठहराना और विरोध करना (वैध सोशल डिस्टेंसिंग दिशा–निर्देशों के भीतर) एक नागरिक कर्तव्य है। न्यायाधीशों, सांसदों, सरकारी सिविल सेवकों और पत्रकारों सभी को कानून के शासन को बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्यों को पूरा करने की आवश्यकता है।

Hkkjrh; lafoèkku ekuo vfèkdkj vkSj dkfoM&19

भारत का संविधान एक सामाजिक दस्तावेज है वह अनेक दृष्टियों से अनूठा है। इसे किसी खास सांचे ढांचे में फिट नहीं किया जा सकता। यह अनम्य तथा नम्य, परिसंघीय तथा एकात्मक और अध्यक्षीय तथा संसदीय रुपों का मिश्रण है। इसमें प्रयास किया गया है कि एक ओर व्यक्तियों के मूल अधिकारों और दूसरी ओर जनता के सामाजिक, आर्थिक हितों तथा राज्य की सुरक्षा के बीच संतुलन बना रहे।जानकारी प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 19 द्वारा संरक्षित है इसे स्वास्थ्य के अधिकार का एक महत्वपूर्ण पहलू मानता है, और समुदाय में मुख्य स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जानकारी तक पहुंच प्रदान करना, उन्हें रोकने और नियंत्रित करने के तरीकों सहित मुख्य दायित्वों का भी हिस्सा है

संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटी के अधिकार में आजीविका का अधिकार है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने जीवन से वंचित नहीं होगा। अनुच्छेद 21 द्वारा नियोजित शब्द 'जीवन' न केवल अपने भौतिक अस्तित्व की अवधारणा को ले जाता है, बल्कि जीवन के सभी महीन मूल्यों को भी शामिल करता है जिसमें काम करने का अधिकार और आजीविका का अधिकार शामिल है।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी अनुच्छेद 21 में निहित है। इसी तरह, भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार अनुच्छेद 19 (1) (ई) और किसी भी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय पर ले जाने का अधिकार है। जो अनुच्छेद 19 (1) (ह) द्वारा गारंटीकृत है।

28 अगस्त, 1989 को परमानंद कटारा बनाम भारत सरकार प्रकरण में कहा था कि मनुष्य की जिंदगी बचाना सरकारी अस्पतालों और निजी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें कोई भी कानून या शासकीय कार्रवाई बाधक नहीं बन सकती।अस्पताल में तैनात चिकित्सक को राज्य के इस दायित्व का निर्वहन करना है और इसलिए उसका यह कर्तव्य है कि वह जिंदगी बचाने के लिये चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराये।

ओल्गा टेलिस वी बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में सुप्रीम कोर्ट, ने माना है कि 'राइट टू लाइवलीहुड का जन्म अधिकार से हुआ था। जीवन जैसा कि कोई भी व्यक्ति जीवन यापन के साधन के बिना नहीं रह सकता है, यानी आजीविका का साधन। तब से, संवैधानिक अदालतों द्वारा जीवन के अधिकार का दायरा और विस्तार किया गया है।

U;k; r=

भारत में न्यायपालिका सरकारी कार्यों और कार्यकारी आदेशों में पारदर्शिता सुनिश्चित करती हैं। कोई कार्यकारी आदेशों और विनियमों की न्यायिक समीक्षा कर सकता हैं। भारत की संसद ने सरकारी कार्यों में पारदर्शिता की आवश्यकता के साथ सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम भी बनाया है।

ekuo vfèkdkjk vkj dkuu d 'kklu ij dkfoM&19 egkekjh dk çHkko

Hkkjrh; lkoltfud LokLF; ç.kkyh

भारत में केंद्र सरकार और राज्यों के बीच विधायी जिम्मेदारियों का एक संवैधानिक विभाजन है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामलों पर कानून बनाने के लिए संवैधानिक रूप से सशक्त हैं।

Hkkjrh; nM lfgrk] èkkjk 270

विद्वेषपूर्णता कार्य, जिससे प्राणघातक संक्रामक बीमारी फैलने की संभावना हो, या कोई भी जानते, बूझते या समझते प्राणघातक संक्रामक बीमारी को फैलाने के प्रयत्न जैसा कुकृत्य करता हैं, उसे दंडित किया जाएगा। उसे या तो कारावास,

अधिकतम दो साल तक के लिये, या जुर्माना, या दोनों को भी साथ में दिया जा सकता हैं।

egkekjh jkx vfèkfu;e] 1897

महामारी रोग अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि इसका उद्देश्य खतरनाक महामारी रोगों के प्रसार की रोकथाम के लिए बेहतर निदान प्रदान करना है। यह कानून महामारी के फैलने पर, उसे नियंत्रित करने के लिए जरूरी उपायों को लागू किए जाने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को पूर्ण अधिकार देता हैं। ऐसा होने से रोकने के लिये और ऐसे समय में कानून के सामान्य प्रावधान लागू किये जा सकते हैं।

xfrfofèk dh Lor=rk dk vfèkdkj

स्थान—संगरोध (चालीस या चौदह दिनों का पृथक करण), भारत के पूरे क्षेत्र में आवागमन करने की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को प्रभावित करता हैं। हालांकि, यह अधिकार उन उचित प्रतिबंधों के अधीन है, जो राज्य सरकारें सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में लगा सकती हैं।

,e-lh-vkbl vkpkjuhfr fu;e 7-14

धैर्य, भद्रता और गोपनीयता चिकित्सक की पहचान हैं। पंजीकृत मेडिकल चिकित्सक किसी भी मरीज के रहस्यों का खुलासा नहीं करेगा, जो कि उसके पेशे के कारण उन्हें ज्ञात हैं, लेकिन निम्न अपवाद हैं—

- पीठासीन न्यायाधीश के आदेशों के तहत कानून की अदालत में
- ऐसी परिस्थितियों में जहां एक विशिष्ट व्यक्ति या समुदाय के लिए एक गंभीर जोखिम होवे और
- संक्रामक, उल्लेखनीय रोगों के मामले हो तो संबंधित सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए।
- इस तरह की परिस्थितियों में चिकित्सक को वही आचरण करना चाहिए, जो कि वह स्वयं के परिवार के व्यक्ति के प्रति इन परिस्थितियों में आशा रखता हैं।

LokLF; dk;ldrkvk dk lj{k.k

दुनिया भर में स्वास्थ्य देखभाल कर्मी युद्ध के मोर्चे पर जूझ रहे हैं — भारत में,

बिना उचित युद्ध कवच के। भारतीय डॉक्टर कोविड–19 रोगियों को उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण तक पहुंच के बिना इलाज कर रहे हैं, जो घर के बने हाउसमेट सूट, मास्क और सैनिटाइटर पर निर्भर हैं। लॉकडाउन लगाने के साथ आने वाले दिशानिर्देशों के साथ, पीपीई का निर्माण और परिवहन एक विधर्मी कार्य बन गया है। नवीनतम रिपोर्टों से पता चलता है कि कोविड –19 के लिए 50 से अधिक डॉक्टरों का परीक्षण सकारात्मक रहा है।केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महामारी रोग अधिनियम, 1897 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने की मंजूरी दे दी है। यह कदम महामारी के दौरान हिंसा के खिलाफ स्वास्थ्य सेवा कर्मियों और संपत्ति की सुरक्षा, जिसमें उनका रहना काम करने का परिसर भी शामिल को सुरक्षित करने के लिए उठाया गया है। कैबिनेट द्वारा महामारी रोग अधिनियम, 1897 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने की मंजूरी, वर्तमान कोविड–19 महामारी के दौरान, सबसे महत्वपूर्ण सर्विस प्रोवाइडर्स यानी स्वास्थ्य सेवाओं के सदस्यों के साथ कई ऐसी घटनाएं को देखते हुए दी गई है जिसमें उन्हें निशाना बनाया गया और शरारती तत्वों द्वारा हमले भी किए गए, साथ ही ऐसा कर उन्हें उनके कर्तव्यों को पूरा करने से भी रोका जा रहा।

mYy?ku djus okyk dk l tk

यह संशोधन हिंसा को संज्ञेय और गैर–जमानती अपराध बनाता है। हिंसा के ऐसे कृत्यों को करने या उसके लिए उकसाने पर तीन महीने से लेकर 5 साल तक की जेल और 50 हजार रुपये से लेकर 2 लाख तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में कारावास की अवधि 6 महीने से लेकर 7 साल तक होगी और एक लाख से 5 लाख रुपये तक जुर्माना देना होगा। इसके अलावा, पीड़ित की संपत्ति को हुए नुकसान पर अपराधी को बाजार मूल्य का दोगुना हर्जाना भी देना होगा।

xkiuh;rk dk vfèkdkj

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पाया है कि निजता का अधिकार, जीवन के अधिकार का एक अनिवार्य घटक हैं, लेकिन यह पूर्णतया परम सिद्धांत भी नहीं है जो अपरिवर्तनशील है। लेकिन अपराध, अशांति, विकारों को रोकने के लिए या स्वास्थ्य, नैतिकता, या दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। देश में गोपनीयता की चिंता भी बढ़ रही है। चिंता का कारण केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया नवीनतम स्मार्टफोन ऐप, आरोग्य सेतु है। यह एक कोरोनोवायरस ट्रैकर है जो व्यक्तियों को यह बताता है कि क्या वे किसी ऐसे व्यक्ति के पास हैं जो संक्रमित था। यद्यपि यह दावा किया जाता है कि डेटा एन्क्रिप्ट किया गया है और तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं किया जाएगा, इसके स्थान पर

नजर रखने और सरकार को सीधे रिपोर्ट भेजने की सुविधा के साथ, यह बड़े पैमाने पर निगरानी के खतरे के संबंध में कुछ भौहें चढ़ाने में कामयाब रहा है। जानकारी के गलत हाथों में पड़ने पर संभावित दुरुपयोग से संबंधित चिंताएं हैं। यद्यपि नागरिकों के लिए आवेदन को स्थापित करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन सरकार इसे दृढ़ता से प्रोत्साहित करती रही है।

dkuuh <kpk

कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिए, केंद्र सरकार ने 24.03.2020 को देश में लॉकडाउन के आदेश जारी किए। 1897 के महामारी रोग अधिनियम के साथ मिलकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के संदर्भ में आदेश जारी किए गए थे। डीएम अधिनियम की धारा 6 (2) (प) के तहत शक्तियों के प्रयोग में, केंद्र सरकार ने 24.03.2020 को आदेश जारी किए, भारत सरकार के मंत्रालयों विभागों और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को प्रभावी करने के लिए निर्देश दिए। देश में कोविड–19 के प्रसार को रोकने के उपाय। इसके अलावा, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने डीएम अधिनियम की धारा 10 (2) (एल) के तहत एक आदेश दिनांक 24.03.2020 जारी किया, जिसमें भारत सरकार और राज्य संघ राज्य सरकारों के मंत्रालयों ६ विभागों को निर्देश दिया गया। देश में कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिए सामाजिक दूरियां सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय करें। आदेश केवल 21 दिनों की अवधि के लिए लागू रहना था हालाँकि, इसे 3 मई 2020 तक और फिर दो सप्ताह के लिए 17 मई 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था।

अश्विनी कुमार बनाम भारत संघ (2019) 2 एससीसी 636, के मामले में उच्चतम न्यायालय ने जोर देकर कहा था कि राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि ये मौलिक अधिकार (स्वास्थ्य सम्बन्धी) न केवल संरक्षित हैं बल्कि लागू किए गए हैं और सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं।

हाल ही में, तेलंगाना हाईकोर्ट ने अपने एक निर्णय गंटा जय कुमार बनाम तेलंगाना राज्य एवं अन्य 2020, में यह कहा था कि मेडिकल इमरजेंसी के नाम पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कुचलने की इजाजत नहीं दी जा सकती जो उन्हें संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है। यह मामला कोविड–19 की जांच से जुड़ा था, जोकि सरकार द्वारा लोगों को सिर्फ चिह्नित सरकारी अस्पतालों से ही कोविड–19 की जांच कराने के सरकारी आदेश से सम्बंधित था।

dkfoM&19 LokLF; ladV ds le; esa ehfM;k

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना और मीडिया की स्वतंत्रता एक लोकतांत्रिक

समाज के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है और संकट के समय में ऐसा करना जारी रखता है। संकट के समय में मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, साथ ही जनता को सही, विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने में, लेकिन लोगों की समझ को रोकने और लोगों की समझ को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ी हुई जिम्मेदारी के साथ भी जोड़ा जाता है।सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अधिकार में राय रखने और सार्वजनिक प्राधिकरण के हस्तक्षेप के बिना सूचना और विचारों को प्राप्त करने और प्रदान करने की स्वतंत्रता शामिल होगी और चाहे वह सीमावर्ती हों। यह अनुच्छेद प्रसारण, टेलीविजन या सिनेमा उद्यमों के लाइसेंस की आवश्यकता से राज्यों को नहीं रोकेगा।

इन स्वतंत्रताओं की कवायद, क्योंकि यह इसके साथ कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाती है, ऐसी औपचारिकताओं, शर्तों, प्रतिबंधों या दंड के अधीन हो सकती हैं जो कानून द्वारा निर्धारित हैं और एक लोकतांत्रिक समाज में, राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता के हितों में या आवश्यक हैं। सार्वजनिक सुरक्षा, विकार या अपराध की रोकथाम के लिए, स्वास्थ्य या नैतिकता की सुरक्षा के लिए, प्रतिष्ठा या अधिकारों के संरक्षण के लिए, विश्वास में प्राप्त जानकारी के प्रकटीकरण को रोकने के लिए, या न्यायपालिका के अधिकार और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए।।

24 मार्च 2020 को, भारत सरकार ने भारत में राष्ट्रव्यापी तालाबंदी का आदेश दिया– कोरोना वायरस को देश में फैलने से रोकने के लिए आधी रात से शुरू भारत में लॉक डाउन ने लाखों प्रवासी श्रमिकों को प्रभावित किया है। भोजन और बुनियादी सुविधाओं की कमी, रोजगार का नुकसान, अज्ञात का डर और सामाजिक समर्थन की कमी जनसंख्या के इस विशाल हिस्से में संघर्ष के प्रमुख कारण थे। लॉक–डाउन के कारण तीन सौ से अधिक मौतें हुईं, जिसमें भुखमरी, आत्महत्या, थकावट, सड़क और रेल दुर्घटनाओं, पुलिस की बर्बरता और समय पर चिकित्सा देखभाल से इनकार करने के कारण शामिल थे। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में घर वापस जाते समय अस्सी प्रवासियों की मौत हो गई। प्रवासी श्रमिकों पर पुलिस की दुर्व्यवहार, क्रूरता (बेंत के आरोप के साथ पिटाई) के कई वीडियो वायरल हुए हैं।

jk"Vªh; ekuo vfèkdkj vk;ksx vkSj dksfoM&19

भारत में मानव अधिकारों की रक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग देश की सर्वोच्च संस्था के साथ–साथ मानव अधिकारों का लोकपाल भी है। उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते हैं। यह राष्ट्रीय मानव अधिकारों के वैश्विक गठबंधन का हिस्सा है। साथ ही यह राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के एशिया पेसिफिक फोरम का संस्थापक सदस्य भी है। NHRC को मानव अधिकारों

के संरक्षण और संवर्द्धन का अधिकार प्राप्त है।

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम,1993 की धारा 12(ज) में यह परिकल्पना भी की गई है कि NHRC समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकार साक्षरता का प्रसार करेगा और प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनारों तथा अन्य उपलब्ध साधनों के जरिये इन अधिकारों का संरक्षण करने के लिये उपलब्ध सुरक्षोपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा।

इस आयोग ने देश में आम नागरिकों, बच्चों, महिलाओं, वृद्धजनों के मानव अधिकारों, LGBT समुदाय के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिये समय–समय पर अपनी सिफारिशें सरकार तक पहुँचाई हैं और सरकार ने कई सिफारिशों पर अमल करते हुए संविधान में उपयुक्त संशोधन भी किये हैं।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मानव अधिकारों और सरकार के भविष्य की प्रतिक्रिया पर कोविड–19 के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए 11 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।विशेषज्ञ पैनल की अध्यक्षता पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ एस रेड्डी करेंगे। विशेषज्ञ समिति लोगों के मानव अधिकारों पर कोविड –19 के प्रभाव का आकलन करेगी, खासकर प्रवासी मजदूरों सहित समाज के हाशिए और कमजोर वर्गों पर।

dkfoM&19 igy

- मानव अधिकार कोविड–19 राज्य सरकार को डब्ल्यूएचओ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और ICMM दिशानिर्देशों के साथ संरेखित करने के लिए सलाह
- कोविड–19 से संबंधित मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए शिकायतों की विभिन्न प्रकृति में नई घटना श्रेणियों का निर्माण
- शिकायतों को ऑनलाइन प्राप्त किया, घर से काम करते समय पंजीकरण प्रक्रिया।
- राज्य के अधिकारियों के साथ समन्वयक के लिए फोकल प्वाइंट द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका, महामारी के दौरान शिकायत का निवारण।
- वेब प्लेटफार्मों के माध्यम से विभाजन के भीतर और बाहर आभासी बैठकें आयोजित की जाती हैं (जैसे वेबएक्स, गूगल मीट आदि)
- क्लाउड प्लेटफार्मों के माध्यम से समन्वित कार्य

- रिमोट एक्सेसिंग और ई–ऑफिस के माध्यम से घर से काम किया।
- एशिया पैसिफिक फोरम को भेजने के लिए विशेष रैपरोर्टर्स और आयोग के विशेष मॉनिटर्स से प्राप्त कोविड –19 महामारी से संबंधित इनपुट तैयार किए।
- कोविड–19 पर स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में एनएचआरसी के विशेष निगरानी की प्रक्रिया रिपोर्ट और आयोग के विचारार्थ प्रस्तुत की गई।

dkfoM&19 d le; e ifyl dh Hkfedk

लॉकडाउन के पिछले कुछ सप्ताह में, उदाहरण के लिए, चाइल्डलाइन, बच्चों के लिए एक आपातकालीन हेल्पलाइन, ने संकट में पड़े बच्चों से कॉल में 50 प्रतिशत बढ़त की सूचना दी। कोविड–19 के दौरान, परिवार इसका सामना करने के लिए कुछ नकारात्मक उपायों का सहारा भी ले सकते हैं, जैसे कि बाल श्रम या बाल विवाह। हाल में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने सूचित किया कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से चाइल्डलाइन की कोशिशों के जरिए 898 बाल विवाह रोके गए हैं

efgyk, fglk vkj vlekurk

दुनियाभर में महिलाएं हिंसा और असमानता के दलदल में धंस रही हैं. महामारी ने तो इसे और खतरनाक बना दिया है. महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा बढ़ी है. बीते 30 जून को आयी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार, पूरे विश्व में गुमशुदा महिलाओं का आंकड़ा बढ़ गया है. सन् 1970 में गुमशुदा महिलाएं 6.1 करोड़ थीं, जो अब 2020 में 14.26 करोड़ हो गयी हैं. इनमें से 4.58 करोड़ महिलाएं केवल हमारे भारत से ही हैं. सरकारें हमें नीतियां या बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे नारे दे सकती हैं. लेकिन सही तौर पर बेटियों को हमारा समाज ही बचा सकता है.हमारा परिवार ही महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का पहला पायदान बन गया है. कई शोधकर्ताओं ने साबित किया है कि जब भी परिवार एक–दूसरे के साथ समय बिताना शुरू करते हैं, तो महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा में बढ़त देखी जाती है.

परिवार के अंदर उत्पीड़न के कारण महिलाओं के स्वास्थ्य को अधिक नुकसान पहुंचता है. अगर हम हाल के कुछ वर्षों में घटित एबोला, सार्स या जीका वायरस जैसी स्वास्थ्य आपात की स्थितियों को देखें, तो इन सब में एक बात समान है कि इस दौरान लैंगिक असमानताओं में इजाफा हुआ है. इसी प्रकार कोविड–19 के दौर

में भी महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ी है. सबसे बड़ा शिकार महिलाओं की आजादी हुई है, जो काफी हद तक पहले से ही अच्छी नहीं थी. ऐसे में महिलाओं को मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य से संबंधित कठिनाइयों से भी जूझना पड़ रहा है

दुनिया में हर नौ में से एक बच्ची, जो पांच साल से कम उम्र की है, वह सिर्फ इस कारण मौत का शिकार हो रही है, क्योंकि वह एक लड़की है.एक आंकड़े के अनुसार, महिलाओं के राहत कार्यक्रमों में इसी तरह अगर बाधा आती रही और अगले छह महीनों में स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो विश्व में 1.3 करोड़ बच्चियां जबरन शादी का शिकार हो जायेंगी और 20 लाख बच्चियां मादा जननांग विकृति से ग्रस्त होंगी. .आज दुनियाभर में घरेलू हिंसा में 50 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. विश्व में विभिन्न प्रकार की कुरीतियां हैं, जो केवल महिलाओं के साथ समाज में उत्पन्न असमानताओं की वजह से हैं.

vrjjk"Vªh; ekuo vf/kdkj fof/k vkSj dksfoM&19

भारत आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय करार के लिए एक राज्य पार्टी है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य मानक के आनंद के लिए सभी के अधिकार को मान्यता देता है। हालांकि, स्वास्थ्य के अधिकार की पूर्ण गारंटी नहीं है, क्योंकि यह अनुच्छेद 4 आईसीईएससीआर में दिखाया गया है। इस मानव अधिकार की प्राप्ति को बढ़ाने के सभी प्रयासों को अन्य मानव अधिकारों पर इसके प्रभावों के साथ संतुलित करना होगा। इसके अलावा, स्वास्थ्य का अधिकार पूरी तरह से संबंधित है और पूरी तरह से प्रकट करने के लिए विभिन्न अन्य मानव अधिकारों, अंतर–गैर–भेदभाव, गोपनीयता और सूचना तक पहुंच पर निर्भर है।

मैग्नाकार्टा (1215) वह पहला दस्तावेज है जो व्यक्तियों को कतिपय बुनियादी स्वतंत्रताएं और संरक्षाएं प्रदान करता है। पश्चिम में मैग्नाकार्टा ने पहली बार राजा की शक्तियों को सीमित किया एवं एक संवैधानिक सरकार स्थापित करने का प्रयत्न किया।

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की उद्देशिका में कहा गया है–मानव परिवार के सभी सदस्यों को अंतर्निहित गरिमा और समान तथा अभेद्य अधिकार विश्व में स्वतन्त्रता, न्याय और शांन्ति के आधार है,

ekuo vf/kdkjksa ij vfHkle; vkSj çlafonk,a

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय सिविल और

राजनैतिक अधिकार प्रसंविदा अंतरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविदा 1966 और अंतरराष्ट्रीय सिविल और राजनैतिक अधिकारों पर प्रसंविदा का वैकल्पिक प्राटोकोल अंगीकार किए गये हैं। ये दस्तावेज मानव अधिकारों के मूल अधिकार हैं।भारतीय लोकतन्त्र की सफलता एवं सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शिक्षा मानव विकास एवं विकसित समाज की एक आधारभूत आवश्यकता है। जो उसके व्यक्तित्व विकास के साथ–साथ कौशल निर्माण और जीवन में सभ्यता भी सिखाती है। हम शिक्षा की गुणवत्ता एवं शैक्षिक भागीदारी के बिना विकसित एवं सभ्य समाज की कल्पना नहीं कर सकते।ऐसी ही एक योजना है अनिवार्य शिक्षा जिसे क्रियान्वित करने के लिए भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से 1 अप्रैल, 2010 को केन्द्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया। संविधान (86वां) संशोधन अधिनियम, 2002 के माध्यम से भारत के संविधान में अनुच्छेद 21–क शामिल किया गया है ताकि 6 से 14 वर्श आयु वर्ग के सभी बच्चों को विधि के माध्यम से राज्य द्वारा यथानिर्धारित मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जा सके। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 जो अनुच्छेद 21–'क' के अन्तर्गत परिकल्पित अनुवर्ती विधान का प्रतिनिधित्व करता है, का अर्थ है कि प्रत्येक बच्चे को कतिपय आवश्यक मानदण्डों एवं मानकों को पूरा करने वाले औपचारिक विद्यालय में संतोषप्रद और साम्यपूर्ण गुणवत्ता की पूर्णकालिक प्रारम्भिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है।

भारत अंतरराष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए एक पक्ष भी है, जिसे उसने जुलाई 1979 में स्वीकार किया और उसकी पुष्टि की। अनुच्छेद 4 (2) में के सात प्रावधानों को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें से किसी भी अपमान की अनुमति नहीं है। ये हैं, अनुच्छेद 6 (जीवन का अधिकार), अनुच्छेद 7 (यातना का निषेध), अनुच्छेद 8 पैरा 1 और 2 (दासता और सेवा का निषेध), अनुच्छेद 11 (संविदात्मक दायित्वों की पूर्ति के लिए कारावास का निषेध), अनुच्छेद 11 (पूर्वव्यापी आपराधिक कानूनों और दंड के खिलाफ निषेध), अनुच्छेद 16 (कानून से पहले एक व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त होने का अधिकार), अनुच्छेद 18 (विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता)। भारतीय संविधान में पर्याप्त आवास के अधिकार को स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की है कि संविधान आश्रय का अधिकारष की रक्षा करता है, और अधिकार में शामिल सभी लोगों के मौलिक अधिकार के रूप में आश्रय के अधिकार की व्याख्या की है।

ekuo vfèkdkjk dh lkoHkkfed ?kk"k.kk 1948 d vUrxr f'k{kk dk vfèkdkj

मानव अधिकार एवं मूलभूत स्वतन्त्रताओं के संरक्षण के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसम्बर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया गया

सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव की समाप्ति हेतु अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, 1965

इस अभिसमय का अनुच्छेद 2 यह कहता है कि–

- राज्य पक्षकार सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव की निन्दा करते हैं और सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव की समाप्ति हेतु नीति तथा सभी नस्लों में आपसी समझ बढ़ाने के लिए और इन उद्दे यों की प्राप्ति हेतु बिना किसी विलम्ब के सभी उचित साधनों को अपनाते हैं।
- प्रत्येक राज्य पक्षकार व्यक्तियों के व्यक्ति समूहों के विरुद्ध नस्लीय भेदभाव नहीं करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी राष्ट्रीय व स्थानीय लोक अधिकरण व लोक संस्थायें इस बाध्यता के समरुप कार्य करेगी।
- प्रत्येक राज्य पक्षकार किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किये जाने वाले नस्लीय भेदभाव को प्रायोजित रक्षति तथा समर्थित नहीं करेगा।
- प्रत्येक राज्य पक्षकार ऐसी विधि और नियमों को जो नस्लीय भेदभाव कहीं भी हो रहा हो को संशोधित विखण्डित या आकृत किये जाने के लिए शासकीय राष्ट्रीय व स्थानीय स्तर पर भरसक प्रयत्न करेगा।
- प्रत्येक राज्य पक्षकार किसी व्यक्ति, समूह तथा संस्था द्वारा किये जाने वाले नस्लीय भेदभाव को रोकने तथा समाप्त करने हेतु सभी उचित साधन जिसमें विधि बनाना भी शामिल है अपनायेगा।
- प्रत्येक राज्य पक्षकार बहुनस्लीय संस्थाओं तथा आन्दोलनों व अन्य साधनों को जो नस्लों के बीच में भेदभाव कम करते हैं को बढ़ावा देगा तथा उन साधनों को हतोत्साहित करेगा जो नस्लीय विभाजन को बढ़ाते हैं।

efgykvk d fo#) lHkh idkj d HknHkko dh lekfIr ij vfHklek; 1979 d vUrxr f'k{kk dk vfèkdkj

इस अभिसमय के अनुच्छेद 10 में शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि–

अपने कैरियर और शैक्षिक पथ प्रदर्शन में महिलाओं के लिए वे ही शर्तें उपबन्धित की जायेगी जैसा कि पुरुषों के लिए उपबन्धित है। वे ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में सभी प्रकार के शैक्षिक संस्थानों में उपाधियाँ प्राप्त करने के लिए अध्ययन की एक सी सुविधा प्राप्त करेंगी। यह समानता विद्यालय के पहले सामान्य, तकनीकी, व्यावसायिक तथा उच्च तकनीकी शिक्षा तथा सभी प्रकार के शैक्षिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी। महिलाओं का पाठ्यक्रम समान होगा, वही परीक्षा होगी और समानान्तर की योग्यताओं से युक्त शैक्षणिक कर्मचारी वृन्द होगा, विद्यालय परिसर होगा तथा एक ही प्रकार की सामग्री होगी जैसी की पुरुषों की है। छात्रवृत्ति और अन्य अध्ययन अनुदान से सम्बन्धित मामलों में पुरुषों कें समान महिलाओं को सुविधा दी जायेगी। अनवरत शिक्षा कार्यक्रम में पहुँच के समान अवसर उन्हें प्राप्त होंगे।

fodykax 0;fDr;ks d vfèkdkjks ij vfHkle; 2006

इस अधिनियम में विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा के सम्बन्ध में प्रावधान किये गये हैं जिसके अनुच्छेद 24 में यह कहा गया कि–

- राज्य पक्षकार उन लोगों के शिक्षा के अधिकर को मान्यता देंगे जो अक्षमता के कारण शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं और उनको यह अधिकार बिना किसी भेदभाव के समान रुप से प्राप्त होगा राज्य पक्षकार एक ऐसा समावेशी शिक्षा प्रणाली को प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित करेंगे जो जीवन भर सीखने को निर्देशित करें।

मानव क्षमता के पूर्ण विकास और मानव गरिमा तथा मानव अधिकारों के सम्मान, मूलभूत स्वतन्त्रताओं और मानव विविधता की भावना को मजबूत किया जायेगा उन व्यक्तियों की क्षमताओं का पूर्ण विकास किया जायेगा जिनके व्यक्तित्व योग्यता तथा सृजनात्मकता में कुछ शारीरिक और मानसिक असमर्थता है ताकि वे व्यक्ति एक स्वतन्त्र समाज में अपनी एक प्रभावकारी सहभागिता दे सकें।

इस समय पूरी दुनिया कोविड–19 महामारी के खात्मे के लिए दवा के बनने का इंतजार कर रही है. विश्व के कई देशों में इस समय कोविड–19 की वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं. इसके अलावा कई देशों में दवा के परीक्षण और विकास पर भी काम चल रहा है. ताकि इस महामारी से निपटने के लिए नई दवाओं के टीके और दूसरे स्वास्थ्य संसाधन बाजार में उतारे जा सकें. इस संदर्भ में पूरी दुनिया में एक बहस और भी चल रही है कि, जब इस महामारी के इलाज की दवा मिल जाएगी, तो क्या इस तक पहुंच में बाधा आएगी या फिर पेटेंट के जरिए इसकी खरीद–फरोख्त और उपलब्धता को सीमित किया जाएगा.अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत

संसाधनों का आवंटन और उन पर मालिकाना हकके पारंपरिक नियम, संप्रभुता पर आधारित हैं. किसी देश के संसाधनों और वहां पाए जाने वाले नमूनों पर संबंधित देशों के संप्रभु अधिकार होते हैं. यही पारंपरिक सिद्धांत, हर देश में बनायी जाने वाली दवाओं और टीकों पर भी लागू होता है।

कोविड–19 की महामारी को पहले ही 'असमानता वाला मर्ज' कहा जा रहा है. क्योंकि ये बीमारी दुनिया भर के लोगों में आमदनी, संपत्ति और अवसरों के हिसाब से भेदभाव करती दिखाई दे रही है. अगर इसके इलाज की वैक्सीन को हर देश और हर नागरिक को समान रूप से उपलब्ध नहीं कराया गया, या इसकी गारंटी नहीं दी गई. तो, बीमारी के शिकार लोगों के बीच ये असमानता और बढ़ जाएगी. आज पूरी दुनिया ये मान रही है कि मानवता की सेहत के सामने खड़ी इस विशाल और आपातकालीन चुनौती से निपटने के लिए आज विश्व स्तर पर सहयोग की जरूरत है. ताकि इस महामारी के इलाज की दवाओं और वैक्सीन का निर्माण और उत्पादन ज्यादा से ज्यादा देशों में हो सके. अब इस दिशा में मिलकर काम करने के लिए आम सहमति बनाने को लेकर वार्ताओं की जरूरत है. ताकि, दुनिया के हर व्यक्ति को इस बीमारी की दवा मुहैया कराई जा सके. तभी ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि जिस तरह इस महामारी ने लोगों को असमान रूप से प्रभावित किया है, वैसा ही इसके इलाज के साथ न हो. और जिस तरह इस महामारी ने दुनिया के कमजोर तबकों पर कहर ढाया है, वैसे ही ये लोग दवाओं से भी महरूम न रह जाएं.

fu"d"k ,o l|>ko

समाजों, सरकारों की, समुदायों की और व्यक्तियों की परीक्षा है। अब वायरस से निपटने के लिए एकजुटता और सहयोग का समय है,संयुक्त राष्ट्र महासचिव, एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी है कि कोरोनोवायरस महामारी का इस्तेमाल अधिनायकवादी राज्यों के लिए व्यक्तिगत मानव अधिकारों को रौंदने या सूचना के मुक्त प्रवाह को दबाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में जो शुरू हुआ था वह तेजी से मानव अधिकार संकट में बदल गया था। एक महामारी गंभीर है और एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल में, कठोर रोकथाम के उपाय अपरिहार्य हैं। हालांकि, कुल लॉकडाउन को व्यापक रूप से दुनिया में सबसे कठोर कोरोनावायरस रोकथाम के रूप में देखा गया है। सकारात्मक परीक्षण करने वाले लोगों की बढ़ती संख्या के साथ वृद्धि और आक्रामक परीक्षण की मांग के साथ, चिकित्सा, वैज्ञानिक और स्वास्थ्य प्रतिष्ठान अपर्याप्त रूप से खुद की रक्षा करते हुए बढ़ती देखभाल जरूरतों को पूरा करने के लिए भारी दबाव में हैं। डर, घबराहट और स्वास्थ्य सुविधाओं तक असमान पहुंच के माहौल में, वे पूरी तरह से सतर्क और

शारीरिक हमले के प्रति संवेदनशील हैं कोविड–19 की वजह से आज लोगों में दूरियाँ बढ़ती जा रही है, जिस कारण विभिन्न प्रकार के संस्थान चाहे वह कॉलेज हो या फिर फैक्टरी सब कुछ बंद है। इस कारण लोगों की आय का साधन भी खत्म हो चुका है, जो कि दुनिया भर के लोगों के लिए चिंता का विषय बना है इस कारण लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा है

इस महामारी की असाधारण प्रकृति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि राज्यों को इसका सामना करने के लिए अतिरिक्त शक्तियों की आवश्यकता है. हालांकि अगर कानून के शासन को बरकरार नहीं रखा जाता है तो सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन जोखिम एक मानव अधिकार आपदा में तब्दील हो जाएगा।

कोविड –19 संकट से अल्पसंख्यक, प्रवासी, शरणार्थी, आदिवासी लोग और गरीब सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। कोविड –19 संकट उन महिलाओं पर भारी बोझ डालते हैं जो स्वास्थ्य सेवा और देखभाल अर्थव्यवस्था में असमान रूप से प्रतिनिधित्व करती हैं। यह एक अभूतपूर्व समय है। ऐसे में उनकी सरकारों की पहली प्राथमिकता है कि उनके नागरिकों के जीवन को और खासकर समाज के सबसे कमजोर तबके को कोराना महामारी के प्रकोप और उसके प्रभाव से बचाया जाए।

सबसे पहले प्रभावित होने वाले स्वास्थ्य क्षेत्र के श्रमिकों को अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) और अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) के भाग के रूप में उनकी बढ़ी हुई भेद्यता की मान्यता में पूर्ण सुरक्षा का अधिकार है। बच्चों के अधिकार – अनुच्छेद 21 (जिसमें महत्वपूर्ण रूप से दुर्व्यवहार और हिंसा से सुरक्षा शामिल है) और 21 ए (शिक्षा का अधिकार) – स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के बंद होने पर सर्वोपरि हैं। बच्चों के लिए, ऑनलाइन उपलब्ध होना एक विकल्प है, स्कूलों का बंद होना इंटरनेट कनेक्टिविटी और आईसीटी की सुविधा के विशेषाधिकार को अनुपस्थित करता है, जो मानव अधिकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।

- सरकार को अपने कार्यों को पूरा करने के लिए अपने दायित्व को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। इस दौरान अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार कानून के संदर्भ में, भारत सरकार को सम्मान देने के लिए बाध्य होना चाहिए,
- समाज के हर हिस्से की रक्षा करना हमारे देश की प्रतिक्रिया का हिस्सा होना चाहिए। परिभाषित करें कि वर्तमान संकट से उभरने के बाद हम कौन हैं। हम चिकित्सा, आपराधिक न्याय और खुदरा क्षेत्रों में, अन्य लोगों के साथ बात कर रहे हैं, इस बात पर कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए कैसे एक साथ काम कर सकते हैं कि विकलांग लोगों को इस आपातकाल

के दौरान पीछे नहीं छोड़ा जाए।

- कोविड –19 की व्यापक चुनौतियों को देखते हुए इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिये प्रयास किये जाने की आवश्यकता है तथा साथ ही यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि देश में किये जाने वाले चिकित्सा संबंधी शोधों में सभी मानदंडों का सख्ती से पालन किया जाए।
- कोविड–19 महामारी की चुनौतियों से निपटने तथा समयबद्ध तरीके से सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए नीतियों में आमूल–चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार को ऐसी नीति/नीतियाँ बनानी होंगी जिसमें तात्कालिक लक्ष्यों के साथ–साथ दीर्घकालिक लक्ष्यों की भी पूर्ति हो सके।
- इसके अतिरिक्त, नीतियों में समावेशी और जवाबदेह शासन प्रणाली, कोविड–19 जैसी महामारियों से भविष्य में निपटने हेतु लचीलापन, सशक्त संस्थाएं, सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा व स्वास्थ्य बीमा, मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचा इत्यादि आवश्यक परिवर्तनों का हिस्सा होना चाहिए।

• • •

कोरोना काल में मानव अधिकार : स्थिति एवं चुनौतियाँ

Mk- vuhl vgen•
lod flg pkgku♦

ÁLrkouk

''मैंने जन्म नहीं माँगा था,
किन्तु मरण की माँग करूँगा।
जाने कितनी बार जिया हूँ,
जाने कितनी बार मरा हूँ।
जन्म मरण के फेरे से मैं,
इतना पहले नहीं डरा हूँ।''

'अटल बिहारी बाजपेयी'

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहारी बाजपेयी जी की ये पंक्तियाँ कोरोना वायरस के इस संकटकाल में मानवीय वेदना को स्पष्ट रूप से प्रकट करती हुई प्रतीत होती हैं।

विगत वर्ष के दिसम्बर माह से प्रारम्भ हुए कोरोना काल ने मानवीय जीवन में स्वास्थ्य आपातकाल जैसी स्थिति को लाकर मानवीय जीवन को पंगु बना दिया। निरन्तर प्रगति पथ पर आगे बढ़ने वाले मानवीय जीवन के समक्ष चुनौतियों की बाढ़ सी आ गयी। एक गरिमापूर्ण मानव जीवन जीने के लिये आवश्यक समस्त प्रकार के मूलभूत अधिकारों की प्राप्ति हेतु मानव को संघर्ष करना पड़ रहा था। दिन प्रतिदिन विकराल रूप लेती यह वैश्विक महामारी मानवीय जीवन को भयाक्रान्त कर रही थी। मानव जीवन और मृत्यु के मध्य स्वयं को असहाय पा रहा था। जहाँ जीवन के रक्षार्थ मानव का मार्ग कण्टकों से भरा हुआ था वहीं मौत बाहें फैलाकर उसका स्वागत करने हेतु तत्पर थी।

ऐसी घोर निराशाजनक परिस्थितियों में सरकारों द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से मानव जीवन के रक्षार्थ जल्दबाजी में निर्मित की गयी नीतियों ने मानवीय संकट को मानव अधिकार संकट में परिवर्तित करने में प्रभावी भूमिका अदा की।

• सहायक आचार्य, विधि विभाग, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
♦ सहायक आचार्य, ज्यूरिस लॉ कॉलेज, बक्शी का बालाब, लखनऊ

वैश्विक, राष्ट्रीय एवं प्रान्तीय, प्रत्येक स्तर पर इस महामारी को मात देने का अभियान विश्व स्वास्थ्य संगठन, मानव अधिकार संस्थाओं, आयोगों एवं सरकारों द्वारा प्रभावी रूप से प्रारम्भ किया गया विविध स्तरों पर उठाये गये कदमों से मानवीय जीवन में आशा का संचार हुआ और एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण हुआ। कोरोना रूपी दानव को पराजित करने का अभियान निरन्तर प्रगति पथ पर अग्रसर है। निश्चय ही हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर मानवीय प्रगति को फिर से गति प्रदान करेंगे।

ekuo vf/kdkj% ekuo thou dk vk/kkj

मानव अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा से जुड़े होते हैं अर्थात् मानव अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त वे नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकार हैं, जिसमें गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार इत्यादि समाहित होते हैं।

10 दिसम्बर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित 'मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा–पत्र की उद्देशिका में मानव के मूलभूत अधिकारो मानवीय प्रतिबिम्ब के रूप में उद्घोषित किया गया है। और यह स्पष्ट किया गया है कि मानव के ये बुनियादी अधिकार किसी भी राष्ट्रीयता, धर्म, जाति, लिंग, समुदाय, भाषा इत्यादि का भेद किये बिना किसी भी व्यक्ति को मनुष्य होने के कारण प्राप्त होते हैं।

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 2 (घ) के अनुसार मानव अधिकार ऐसे संवैधानिक प्रत्याभूत हैं जो जीवन से संबंधित स्वतंत्रता और व्यक्ति की गरिमा को समाहित करते हैं तथा इनको अन्तरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं में स्थान प्राप्त है। भारत में इन्हें न्यायालयों के द्वारा प्रवर्तनीय बनाया जाता है।

मानव अधिकार हमें मानवीय गुणों, बुद्धिमता, प्रतिभा इत्यादि को पूर्णरूप से विकसित एवं उनका उपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करते हैं। मानव अधिकारों के बिना हम अपने भौतिक अथवा आध्यात्मिक किसी भी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं।

मानव अधिकार और मूलभूत स्वतंत्रता एक–दूसरे से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं तथा अन्योन्याश्रित भी हैं। अतः सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं का समान रूप में प्रोत्साहन तथा संरक्षण मानव अधिकारों का ही प्रोत्साहन तथा संरक्षण माना जाता है।मानव अधिकार वास्तव में हमारी प्रकृति के मूल तत्वों में है जो हमारे दैनिक जीवन को विभिन्न रूपों में प्रभावित करती है। निश्चित तौर पर मानव अधिकार से तात्पर्य उन सभी आवश्यक अधिकारों से है जो व्यक्ति को मानव गरिमा के साथ–साथ

मर्यादापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी प्रदान करता है।

मानव अधिकार का मूल आशय उस न्यूनतम स्वतंत्रता से है, जो सिर्फ मनुष्य होने के नाते किसी व्यक्ति को मिलनी चाहिए। साथ ही उसके मूल अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा भी होनी चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्ण विकास की दिशा में आगे बढ़ सके, सामाजिक उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति में अपना योगदान दे सके तथा सम्मानपूर्वक जीवन–यापन कर सके। इस प्रकार मानव अधिकार मनुष्य के समग्र विकास के लिए एक अस्त्र हैं। इक्कीसवीं सदी में एक क्रांतिकारी अवधारणा के रूप में वह हमारे समक्ष प्रस्तुत है। उसकी प्रासंगिकता इसलिए भी है कि अनेक कारणों से आज जैसा असुरक्षित जीवन पहले कभी नहीं रहा।

dkjkuk ok;jl% ,d ifjp;

जब 31 दिसम्बर 2019 को चीन के चाओयांग जिले में स्थित 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' के कण्ट्री ऑफिस में चीन के हुबेई प्रान्त के वुहान शहर से न्यूमोनिया जैसे लक्षणों वाले कुछ विचित्र मामले सामने आये। उस समय इस बीमारी का कोई विशेष नाम नहीं था क्योंकि यह अपने आप में एक नये प्रकार की बीमारी थी। चूंकि इस नवीन प्रकार की बीमारी में जो वायरस सामने आया, उसकी सतह पर 'कांटे' जैसी आकृति दिखायी पड़ती थी, जो गौर से देखने में बहुत कुछ 'ताज' (Crown) जैसी थी। इसलिये उस वायरस का नाम 'कोरोना' रखा गया। क्योंकि 'कोरोना' शब्द का लैटिन भाषा में अर्थ 'क्राउन' अथवा 'ताज' होता है।

वैश्विक स्तर पर आधिकारिक रूप से बीमारियों का नाम 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' द्वारा दिया जाता है। इसलिये 11 फरवरी 2020 को 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' ने कोरोना वायरस को 'कोविड–19' नाम दिया और इसे वैश्विक महामारी घोषित किया। वुहान के मीट बाज़ार से शुरु होकर इसने एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर लिया।

कोरोना वायरस ऐसे विषाणुओं का एक बड़ा समूह जो मनुष्यों और जानवरों दोनों में बीमारी फैलाता है। कोरोना काल के प्रारम्भिक दौर में कोरोना वायरस के जो लक्षण सामने आए थें, उनमें तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, बहती या बन्द नाक और सांस लेने में तकलीफ होनाा शामिल थे। किन्तु अब जैसे–जैसे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे–वैसे इसके लक्षणों की संख्या में भी बढ़ोत्तरी हो रही हे। जो नए लक्षण सामने आए हैं, उनमें बदन दर्द, सिर दर्द, थकान, ठण्डी लगना, दस्त, उल्टी और बलगम में खून आना सम्मिलित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सूंघने या स्वाद के एहसास का खो जाना भी कोरोना वायरस के लक्षणों

में शामिल है। अभी तक कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के सम्बन्ध में कोई भी टीका या वैक्सीन बाज़ार में उपलब्ध नहीं है। अतः इसके संक्रमण से सतर्क रहकर ही बचा जा सकता है।

प्रायः यह कम ही देखा जाता है कि जानवरों को संक्रमित करने वाले वायरस विकसित होकर पहले मनुष्यों को संक्रमित करता है और फिर एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को संक्रमण के द्वारा प्रभावित करता है। पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियों को जूनोसिस श्रेणी में रखा जाता है। इससे पहले 21वीं शताब्दी में वर्ष 2003 व 2014 में भी इस प्रकार की महामारी से मानवजाति को सामना करना पड़ा है।

dkjksuk dky% ekuoh; ladV ls ekuo vf/kdkj ladV

कोरोना महामारी ने विश्व की विभिन्न सरकारों/राष्ट्रों के द्वारा एक स्वास्थ्य आपातकाल लागू कर मानव की मौलिक स्वतंत्रता एवं अधिकारों पर एक गहरा प्रभाव डाला है यह सभी अधिकार मानवता को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार विधि के अर्न्तगत प्राप्त हैं। इसमें मुख्यतः स्वास्थ्य का अधिकार, भोजन का अधिकार, निजता का अधि ाकार एवं व्यक्ति की गरिमा से सम्बन्धित अधिकार आदि सम्मिलित हैं। इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एण्टोनियो गुटेरेश ने अप्रैल 2020 को एक वीडियो संदेश के माध्यम से कहा था कि कोविड–19 महामारी बहुत ही तीव्रगति से मानव संकट से मानवाधिकार संकट में परिवर्तित हो रही है, जो कि सम्पूर्ण मानव समाज के लिये घातक है। उन्होंने आगे कहा कि कोविड–19 महामारी से लड़ने में जन–सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने में जो भेदभाव किया जा रहा है, वह स्पष्ट रूप से मानवाधिकार हनन की श्रेणी में आता है। कुछ देशों में कोविड–19 महामारी से लड़ने का आधार लेकर मानव अधिकारो का हनन करने का जो प्रयास किया जा रहा है वह इस कोविड–19 महामारी से भी बड़ा मानवीय संकट है।

सभी राष्ट्रों की सरकारों का यह प्रमुख दायित्व है कि वे भोजन, स्वास्थ्य, रोजगार, पारिवारिक जीवन, शिक्षा इत्यादि पर कोविड–19 महामारी के बुरे प्रभाव को कम करने हेतु प्रभावी कदम उठायें। यदि कोविड–19 महामारी से बचाव हेतु कोई आपातकालीन कदम उठाने की आवश्यकता हो तो ऐसा आपातकालीन कदम विधिपूर्ण ा, उचित, भेदभाव से मुक्त और सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानव अधिकारों का दमन करने वाला कदापि नहीं होना चाहिये। ऐसा आपातकालिक कदम जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एवं उनके जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करने वाला होना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव अधिकार उच्चायुक्त 'मिशेल बैचलेट' ने 27 अप्रैल,

2020 को कोरोना महामारी से लड़ने की आड़ में लोगों के बुनियादी मानवाधिकारों कें उल्लंघन पर सरकारों द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों की निंदा करते हुए कहा कि भोजन की व्यवस्था करने की वजह से कर्फ्यू तोड़ने वालों पर गोली चलाना, उन्हें बुरी तरह से पीटना, जेलों में निरूद्ध कर देना, और गालियाँ देना स्पष्ट रूप से घृणित एवं विधि–शासन के विरूद्धकार्य है जिसे किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जा सकता है। नागरिकों को लॉकडाउन नियमों का पालन कराने के लिए सरकारों द्वारा किये जाने वाले अत्यधिक बल प्रयोग की रिपोर्टों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अधिकांशतः ऐसे उल्लंघन गरीबों और अल्पसंख्यकों के विरूद्ध ही किये जाते हैं।स्वतंत्रता मानव अधिकारों का एक प्रमुख पहलू है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने हेतु लॉकडाउन के माध्यम से लोगों को जबरदस्ती क्वारंटाइन किया गया, जिससे लोगों के स्वतंत्रता रूपी मानव अधिकार का अतिक्रमण हुआ।

जब से कोरोना काल की शुरूआत हुई तभी से कोविड–19 महामारी के संक्रमण के भय ने दुनिया को इतना अधिक भयभीत कर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को एवं स्वजनों को इस महामारी के संक्रमण से बचाने हेतु उचित–अनुचित कुछ भी करने को तैयार हो गया। कुछ देशों में तो कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु लॉकडाउन किया गया और लॉकडाउन का कठोरता पूर्वक पालन कराने हेतु नागरिकों के मानव अधिकारों को ताक पर रख दिया। इनमें फिलीपींस जैसे देश प्रमुख हैं जहॉं लाकडाउन तोड़ने वालों को बिना कपड़े के कई घण्टे कड़ी धूप में बिठाया गया। मानवता को शर्मसार करने वाली ऐसी अनेक घटनायें कोरोना काल के दौरान दुनियाँ में देखी गयीं।

dkjkuk dky vkj Hkkjr e ekuo vf/kdkj dh fLFkfr

भारत में 24 मार्च, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड–19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से देश व्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। इस देशव्यापी लॉकडाउन के सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव देखने को मिले। जहॉं इससे एक ओर कोविड–19 के संक्रमण के प्रसार की गति को कम करने में सहायता मिली वहीं दूसरी ओर इससे लाखों प्रवासी कामगार, दिहाड़ी मज़दूर बेरोजगार हो गये थे। उनके पास न तो भोजन की व्यवस्था थी और न ही रहने की। ऐसी स्थिति मेंउनके पास इन महानगरों को छोड़कर अपने गृह आवास या गाँव को वापस लौटने का ही एकमात्र विकल्प था। सार्वजनिक परिवहन के साधनों के अभाव में ऐसे लाखों प्रवासी मज़दूर पैदल चलने को विवश हुए। देश के विभिन्न राज्यों के श्रमिकों ने अपने घर वापस जाने के लिए मजबूरन आन्दोलन तक का सहारा लिया। इनप्रवासी श्रमिकों एवं दिहाड़ी मजदूरों को महामारी रोकथाम अधिनियम एवं आपदा

प्रबन्धन अधिनियम का उल्लघंन करने के आरोप में गिरफ्तार कर उनको जेल भी भेजा गया।

लॉकडाउन में कर्फ्यू का कठोरता से पालन कराने के लिए पुलिस द्वारा लोगों की पिटाई एवं अपमानित करने की भी घटनाएँ देखने को मिलीं जिससे लोगों के मौलिक मानवाधिकारों का हनन हुआ। इस सम्बन्ध में 'ह्यूमन राइट्स वॉच' की दक्षिण एशिया क्षेत्र की निदेशक मीनाक्षी गांगुली ने 27 मार्च, 2020 को कहा था, ''भारत में सरकारों को हर किसी को भोजन और चिकित्सीय देखभाल सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने चाहिए। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि गरीबों और हाशिए के लोगों के साथ दुर्व्यवहार न हो और उन्हें कलंकित नहीं किया जाए। भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अपने लोगों को महामारी के प्रकोप से बचाए लेकिन यह मानवाधिकारों के उल्लंघन की कीमत पर हरगिज नहीं होना चाहिए।''

dkjkuk dky vkj Hkkjr e ekuo vf/kdkj vk;kxk dh Hkfedk

भारत में मानव अधिकारों को उचित एवं सही ढंग से संरक्षण प्रदान हेतु वर्ष 1993 में 'मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम' को पारित किया गया। इसके प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय स्तर पर 'राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग' का और राज्यों में 'राज्य मानव अधिकार आयोगों' के गठन की व्यवस्था की गयी। साथ ही 'राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग' देश की सर्वोच्च संस्था के साथ–साथ मानव अधिकारों के लोकपाल के रूप में भी योगदान दे रहा है। मानव अधिकारसंरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 12 (ज) में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भरतीय समाज में मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार करेगा और प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनारों तथा अन्य उपलब्ध साधनों के द्वारा मानव अधिकारों का संरक्षण करने के लिए उपलब्ध साधनों के बारे में जागरूकता का प्रसार करेगा।

भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राज्य मानव अधिकार आयोग मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर रहें हैं। इसके अतिरिक्त प्रायः यह देखा जाता है कि देश में व्यक्तियों के मानवाधिकारों के हनन की घटनाऐं होती रहती हैं। इसका प्रमुख कारण यह है किमानव अधिकार आयोग मानवाधिकार के हनन के सन्दर्भ में केवल शिकायतें स्वीकार कर, उनकी जाँच कर सरकारों को कार्यवाही के लिए सिफारिशें ही कर सकते हैं उन पर सीधे कार्यवाही नहीं कर सकते और केन्द्र तथा राज्य की सरकारें मानव अधिकार आयोगों की सिफारिशों को मानने के लिये बाध्य नहीं होती हैं। जिससे प्रायः सरकारें मानवाधिकार आयोगों के द्वारा दी जाने वाली सिफारिशों पर ध्यान नही नहीं देती और राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में भारत में मानवाधिकारों का संरक्षण उतनी

अधिक मात्रा में नहीं हो पाता जितना कि होना चाहिए।

कोरोना काल में मानव अधिकारों के संरक्षण की दिशा में 'मानव अधिकार आयोगों' की भूमिका अभूतपूर्व है। चाहे वह राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग हो अथवा किसी राज्य का मानव अधिकार आयोग, सभी ने कोरोना के इस संकट काल में मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन में अपने–अपने कार्यक्षेत्र में विशिष्ट भूमिका का निर्वहन कर मानवीय जीवन की गरिमा को बनाये रखने का प्रयास किया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं राज्य मानव अधिकार आयोगों ने समय–समय पर कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को अस्पतालों में भर्ती नहीं किए जाने, पर्याप्त संख्या में जॉच न होने, लॉकडाउन की स्थिति में पुलिस द्वारा लोगों को अवैधानिक रूप से प्रताड़ित किये जाने, लॉकडाउन के समय लोगों के भोजन एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित विषयों के बारे में प्रवासी मजदूरों की समस्याओं से सम्बन्धित विषयों पर एवं बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु होने से सम्बन्धित विषयों पर केन्द्र एवं राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर उचित दिशा में काम करने हेतु आवश्यक कदम उठाये हैं।

इसी क्रम में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 10 जून, 2020 को दिल्ली प्रदेश कॉग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय माकन की शिकायत पर दिल्ली में कोरोना उपचार के कुप्रबन्धन, महामारी से मरने वाले लोगों के अंतिम संस्कार में होने वाली देरी, एवं ऐसे मरीजों जिनमें मौत से पहले लक्षण दिखायी दे रहे थे, उनकी जॉच नहीं किए जाने की शिकायत पर दिल्ली सरकार और 'केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय' को नोटिस जारी कर, उचित दिशा में प्रभावशाली कदम उठाने के निर्देश दिये। उक्त मामले में 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' और आईसीएमआर के नियमों का उल्लंघन हो रहा था।

इसी भॉति राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 10 अप्रैल, 2020 को केन्द्र सरकार से कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर घूम रहे मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के सम्बन्ध में प्रभावशाली कदम उठाने के लिये निर्देश दिये हैं आयोग ने इस बारे में यह भी स्पष्ट किया कि उसने मानसिक रूप से बीमार लोगों के मानवाधिकारों के कथित हनन की शिकायत का संज्ञान लेने के उपरान्त उक्त निर्देश केन्द्रीय गृह मंत्रालय को दिये हैं। मानव अधिकार आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि कोरोना काल में मानसिक रूप से बीमार लोगों को कोरोना वायरस की चपेट में आने से बचाने के लिए एवं ऐसे लोग कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार का माध्यम न बनने पाये, इस दिशा में अब तक सरकार द्वारा उठाये गये कदमों अथवा प्रस्तावित कदमों का विवरण भी माँगा गया है।

15 मई, 2020 को कोरोना संकट ओर लॉकडाउन के कारण आगरा हाईवे पर, पंजाब से पैदल चलकर झाँसी की ओर जाने वाली एक माँ द्वारा अपने सोते हुए बच्चे को सूटकेस पर लिटाकर खींचने की सूचना प्राप्त होने पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने कहा कि यदि बच्चे ओर उसके परिवार की तकलीफ को स्थानीय अधिकारियों ने महसूस किया होता तो पीड़ित परिवार को और इन जैसे कई परिवारों को सही समय पर राहत पहुँचायी जा सकती थी। आयोग ने ऐसे ही एक अन्य मामले में जिसमें एक प्रवासी गर्भवती महिला मज़दूर जो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश पैदल ही आ रही थी, के द्वारा सड़क पर बच्चे को जन्म देने के 2 घण्टे बाद पैदल पुनः चलने की मानवाधिकार हनन की घटना का भी स्वतः संज्ञान लेकर प्रभावी कार्यवाही की थी।

कोरोना वायरस ने लोगों के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डाला है अब ऐसे समय में लोगों की समस्याओं से जुड़ी ऐसी अनेकों घटनाओं का प्रकाश में आना कोरोना काल में मानवाधिकारों की स्थिति को प्रकट करती हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अनुसार ऐसी घटनाऐं स्थानीय–स्तर पर सार्वजनिक अधिकारियों की घोर लापरवाही और अनुचित दृष्टिकोण का परिणाम हैं। स्थानीय सार्वजनिक अधिकारियों ने यदि जमीनी स्तर पर वास्तविकता को देखने का प्रयास किया होता तो शायद इस प्रकार की घटनायें जन्म नहीं लेती।

मानव अधिकार हनन की घटनाओं को प्रकाश में लाकर उनके सरंक्षण एवं संवर्धन की दिशा मेंमानव अधिकार आयोगों की भाँति काम करने वाले गैर–सरकारी संगठन कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव ने भी अपना अमूल्य योगदान दिया है। इस प्रकार कोरोना काल में मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन से सम्बन्धित अनेक ऐसे मामले हैं जिनमें मानव अधिकार आयोगों ने अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज़ कर महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है।

dkjkukdky e pukfr;k

कोरोना काल मानवीय जीवन के इतिहास के सबसे संकटमय समयों में से एक है। कोरोना वायरस ने सबसे अधिक आघात मानवीय जीवन के अस्तित्व एवं गरिमा पर किया है। इस संकट काल में मानवीय जीवन का प्रत्येक क्षेत्र चुनौतियों से पूर्ण है। कोरोना काल के इस संकटमय समय में मानवीय जीवन में समस्याओं ने वृहद रूप धारण कर रखा है जिसे संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना बहुत ही दुष्कर कार्य है। फिर भी कोरोना काल के संकट के समय मानवीय जीवन के समक्ष चुनौतियों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है जो इस प्रकार हैः–

1. लोक स्वास्थ्य सम्बन्धित चुनौतियाँ,

2. भोजन के प्रबन्ध की समस्या,
3. जीविकोपार्जन का संकट,
4. अवसाद ग्रस्त होने का संकट,
5. शिक्षा के अधिकार से वंचित होने की समस्या,
6. अन्तेष्ठि इत्यादि संस्कारों को उचित रूप में न कर पाने की समस्या,
7. पारिवारिक कलह में वृद्धि रूपी समस्या,
8. अपराधों में वृद्धि रूपी चुनौती, इत्यादि।

fu"d"k%&

कोरोना वायरस ने मानव जीवन को तबाह कर मानवीय जीवन के प्रगति की गति को रोक दिया है। इस कोरोना काल में मानव जीवन की सुरक्षा को लेकर पूरे विश्व में भय का वातावरण बना हुआ है। ऐसे समय में स्वास्थ्य एवं वैज्ञानिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के समक्ष विशेष चुनौतियाँ विद्यमान हैं ऐसी वैश्विक महामारी के प्रकोप से सम्पूर्ण विश्व को बचाने की दिशा में प्रयास भी किये जा रहे हैं। कुछ देशों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन निर्माण का कार्य प्रगति पर है हम यह आशा कर सकते हैं कि विभिन्न देशों द्वारा वैक्सीन निर्माण की दिशा में किये जा रहे प्रयास फलीभूत हों और शीघ्र ही कोरोना वायरस से संक्रमण के भय से लोगों को मुक्ति मिले। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने के लिये पूरे विश्व को संगठित होकर कार्य करना चाहिए। वास्तव में तभी हम इस प्रकार के मानव संकट से मानवीय जीवन के अस्तित्व एवं गरिमा की रक्षा कर पायेंगे। भारतीय संस्कृति में विद्यमान ''वसुधैव कुटुम्बकम्'' और सर्वेभवन्ति सुखिनः सर्वेसन्तु निरामया'' के भाव ही ऐसी वैश्विक महामारी के समय मानवीय संकट को मानव अधिकार संकट में परिवर्तित होने से रोक सकते हैं। विश्व के सभी देशों को अब भारतीय संस्कृति में विद्यमान 'वैश्विक परिवार' के संकल्प को अपनाना होगा जिससे कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के साथ–साथ अन्य भावी वैश्विक संकटों से भी प्रभावी रूप से निपटा जा सके।

l UnHk l ph

1. प्रो. गिरीश्वर मिश्र, जीवन को नए ढंग से जीने का दौर, दैनिक जागरण, लखनऊ, 24 अप्रैल, 2020।
2. हृदयनारायण दीक्षित, लोकमंगल का अनुकरणीय उदाहरण, दैनिक जागरण, लखनऊ, 27 अप्रैल, 2020।

3. अश्विनी कुमार, राजनीति को आदर्श रूप देने का अवसर, दैनिक जागरण, लखनऊ, 28 अप्रैल, 2020।

4. गोपाल कृष्ण गाँधी, केवल वैक्सीन के भरोसे न रहें, दैनिक जागरण, लखनऊ, 01 मई, 2020।

5. प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल, दुनिया को रास्ता दिखाने वाला संकट, दैनिक जागरण, लखनऊ, 21 मई, 2020।

6. मासिक पत्रिका, योजना, मई–2020।

7. पुलाप्रे बालाकृष्णन, एडॉपटिंग ए पब्लिक सिस्टम एप्रोच टू कोविड–19,द हिन्दू लखनऊ एडीशन, 29 जुलाई, 2020, पृष्ठ सं0 06।

8. बद्री नारायण, राजनीति के केंद्र में आते मजदूर, दैनिक जागरण, लखनऊ, 21 मई, 2020।

9. डा0 शिवदत्त शर्मा, ''मानव अधिकार'' विधि साहित्य प्रकाशन, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, 2006।

10. डॉ. सुदर्शन वर्मा, नितेश कुमार चतुर्वेदी, मानव अधिकारों का संवर्द्धन एवं संरक्षणः सरकार की भूमिका, मानव अधिकारः नई दिशाएं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली अंक–15, वर्ष–2018।

11. एस. के. कपूर, मानव अधिकार व अर्न्तराष्ट्रीय विधि, 27वां एडीशन सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी इलाहाबाद, 2009।

9. मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, 1948, महासभा प्रस्ताव 217 ए (प्प्) 10 दिसम्बर 1948।

10. पी.एम. बक्सी, भारत का सविधान, 2005।

11. हर्ष मन्दिर, एन इनविज़िबल ह्यूमेटेरियन क्राइसेस इन इण्डिया,द हिन्दू लखनऊ एडीशन, 07 अगस्त, 2020, पृष्ठ सं0 06।

12. पारस दीवान, ह्यूमन राइट्स एण्ड लॉ (यूनिवर्सल एण्ड इण्डियन) दीप एण्ड दीप पब्लिकेषन, नई दिल्ली, (1998)।

13. पवन कुमार, ह्यूमन राइट्स इन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कन्ट्रीजः अ सोसियों लीगल क्रिटिक इन ह्यूमन राइट्स इन 21 सेन्चुरी चेन्जिंग डायमेन्शन एडिटेड बाई गुरदीप सिंह एण्ड वी.के. आहूजा, यूनिवर्सल लॉ पब्लिकेशन कम्पनी प्राइवेट लि0 न्यू दिल्ली।

14. सी. राजकुमार, रूल ऑफ लॉ एण्ड ह्यूमनराइट एजूकेषन, द हिन्दू, 03 फरवरी 2007।

15. मानव अधिकारः– नई दिशाएं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत, वार्षिक अंक 13, 2016।

16. https://www.google.com/amp/s/khabar.ndtv.com/news/india/lockdown-human-rights--commission-asks-for-information-on-arrangements-for-mentally-ill-people(visited on 30 July, 2020).

17. https://www.google.com/amp/s/m.thewirehindi.com/article/covid-19-powers-suppress-dissent-un-human-rights-chief (visited on 31 July, 2020).

18. https://hindi.newsclick.in/Ahmedabad-Migrant-Workers-Police-Clash-Cases-COVID-19-Lockdown(visited on 30 July, 2020).

19. https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/hindi/amp/international (visited on 01

August, 2020).

20. https://www.google.com/amp/s/hindi.newsbytesapp.com/timeline/india/17617/88506/police-excesses-for-lockdown-violation-led-to-12-deaths-study(visited on 30 July, 2020).
21. https://news.un.org/hi/story/2020/04/1024362 (visited on 02 August, 2020).
22. https://www.google.com/amp/s/amp.dw.com (visited on 01 August, 2020).
23. https://www.google.com/amp/s/m.jagran.com/lite/haryana/panchkula-cases-of-salary-cuts--are-also-reaching-the-haryana-human-rights-commission(visited on 02 August, 2020).
24. https://www.bbc.com/hindi/india(visited on 03 August, 2020).
25. https://www.google.com/amp/s/m.jagran.com/lite/politics/national-coronavirus-nhrc-tells--center-right-to-life-and-freedom-should-be-taken-care-in-lockdown-20193625.html (visited on 03 August, 2020).

• • •

कोविड–19 महामारी के दौर में मानव अधिकारों के समक्ष उत्पन्न चुनौतियाँ

f'k[kk i|jkfgr•

प्रकृति एवं मानव संसार की सबसे प्रबल शक्तियाँ हैं। मानवता का सम्पूर्ण इतिहास इन दो शक्तियों के परस्पर सम्बन्ध, समन्वय एवं सन्तुलन की अद्भुत एवं रोचक कहानी है। मानवता के आरम्भिक काल से लेकर 19वीं शताब्दी तक प्रकृति के प्रति मनुष्य का दृष्टिकोण एवं व्यवहार मित्रतापूर्ण रहा। उसने पृथ्वी को जीवन के अनुकूल बनाने हेतु प्रकृति को कुछ हानि पहुँचाई परन्तु ऐसा करते समय उसने प्रकृति की सीमाओं का सदैव ध्यान रखा। परिणामस्वरूप प्रकृति भी मनुष्य के प्रति मित्रवत् बनी रही तथा तेल, कोयला, खनिज एवं वन सम्पदा जैसे संसाधनों द्वारा उसे निरंतर पोषित व समृद्ध करती रही। परन्तु विलासितापूर्ण जीवन की आत्मघातक आकांक्षाओं एवं "विकास" की मृगतृष्णा में मानव जाति ने प्राकृतिक संसाधनों का असीमित दोहन प्रारम्भ कर दिया जिसकी परिणति प्रकृति एवं मनुष्य के पारस्परिक सम्बन्धों के असन्तुलन के रूप में हुई। "विकास" की चकाचौंध अन्ततः "विनाश" का गहरा अन्धकार सिद्ध हुई। वर्तमान में मनुष्य तेल एवं मूल्यवान खनिजों की खोज में वनों एवं महासागरों के उन अन्तर्तम क्षेत्रों में भी दखल दे रहा है जिनमें प्रवेश करना अभी तक वर्जित समझा जाता था। परिणामस्वरूप, मानव जाति निरन्तर संकटों का सामना कर रही है। जहाँ एक ओर जलवायु परिवर्तन ने प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता को कई गुना बढ़ा दिया है, वहीं दूसरी ओर वन्य क्षेत्र में मनुष्य के अनधिकार हस्तक्षेप एवं प्रकृति से अनावश्यक निकटता ने विश्व को अनेक महामारियों की चपेट में ढ़केल दिया है। निरन्तर गतिशीलता एवं मजबूत वैश्विक सम्पर्क के कारण किसी भी बीमारी को महामारी में परिणत होने में अधिक समय नहीं लगता। इक्कीसवीं शताब्दी में दुनिया सार्सए एच1 एन1 इन्फ्लुएन्जा, मर्सए इबोला, जीका, नीपा जैसी अनेक महामारियों का दंश झेल चुकी है जिनके कारण लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। वर्तमान में संसार कोविड–19 नामक पशुजन्य नोवल कोरोना वायरस के कारण अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है।

कोविड–19 महामारी ने पूरी दुनिया में एक ऐसे स्वास्थ्य संकट को जन्म दिया है जिसकी विभीषिका से कोई भी देश अछूता नहीं है। अब तक दुनियाभर में लगभग 20 मिलियन लोग संक्रमित हो चुके हैं तथा 7 लाख से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। भारत में भी संक्रमित व्यक्तियों का आँकड़ा 23 लाख तथा मृतकों का आँकड़ा

• सहायक आचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर विधि महाविद्यालय, भरतपुर

47,000 को पार कर चुका है।[1] परन्तु कोविड–19 महामारी एक स्वास्थ्य संकट ही नहीं, अपितु इससे कहीं अधिक है। यह एक आर्थिक, सामाजिक तथा मानवीय संकट है जो तेजी से मानव अधिकारों का संकट बनता जा रहा है तथा वर्तमान में हम पीढ़ियों के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय संकट का सामना कर रहे हैं।[2] तेजी से बढ़ते मामलों के कारण चरमराते स्वास्थ्य ढ़ाँचे, वायरस के प्रसार को कम करने के लिए विभिन्न देशों द्वारा की गई तालाबन्दी तथा अन्य देशों व समुदायों के लोगों के प्रति भेदभाव की घटनाओं ने समाज में विद्यमान आर्थिक एवं सामाजिक असमानताओं को स्पष्टतः उजागर कर दिया है तथा महिलाओं, बालकों, वृद्वजनों, शरणार्थियों, प्रवासियों तथा शारीरिक एवं मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्तियों की स्थिति अधिक दयनीय हो गई है। महामारी के समय में आपात स्थिति से निपटने के बहाने सरकारों ने असीमित शक्तियाँ प्राप्त कर ली हैं जिनका प्रयोग ऐसे दमनकारी उपायों हेतु किया जा सकता है जिनका महामारी से कोई सम्बन्ध नहीं है। यद्यपि लोक स्वास्थ्य के आधार पर कुछ मानव अधिकारों को निर्बन्धित किया जाना आवश्यक है परन्तु इन निर्बन्धनों का विधि–विहित, आवश्यक, आनुपातिक तथा भेदभाव रहित होना अपरिहार्य है।[3] इस प्रकार इस महामारी ने पूरी दुनिया में मानव अधिकारों के समक्ष चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं। जीवन का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, भेदभाव के विरूद्व अधिकार, समानता का अधिकार इत्यादि मानव अधिकार एवं मूलभूत स्वतंत्रताऐं इस महामारी के दौर में संकट में हैं।

dkfoM&19 ,oa LokLF; dk vf/kdkj

स्वास्थ्य का अधिकार गरिमापूर्ण जीवन का आवश्यक घटक है। स्वास्थ्य के अधिकार का तात्पर्य मात्र बीमारी या अंगशैथिल्य की अनुपस्थिति नहीं अपितु पूर्ण शारीरिक, मानसिक व सामाजिक कल्याण की अवस्था है। नस्ल, धर्म, राजनीतिक विचार, आर्थिक अथवा सामाजिक दशा के भेदभाव के बिना स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य स्तर के उपभोग का अधिकार प्रत्येक मनुष्य के मूलभूत अधिकारों में से एक है।[4] 1948 की मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा भी पर्याप्त जीवन स्तर के भाग के रूप में स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लेख करती है।[5] 1966 की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा में भी इसे मान्यता दी गई है।[6]

1. https://www.worldometers.info/coronavirus, August, 13, 2020
2. U.N. Secretary General's Report on "COVID-19 and Human Rights: We Are All in This Together"
3. OHCHR, Guidance on Emergency Measures and COVID-19
4. Preamble of the Constitution of World Health Organization, 1946
5. Art. 25, Universal Declaration of Human Rights, 1948
6. Art. 11 , International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966

यद्यपि भारत के संविधान के भाग तीन में स्वास्थ्य के अधिकार का मूल अधिकार के रूप में उल्लेख नहीं है परन्तु उच्चतम न्यायालय ने ijekuUn dVkjk cuke Hkkjr l?k[7], if'pe cx [kr etnj lfefr cuke if'pe cxky jkT;[8], dUT;ej ,tds'ku ,M fjlp lVj cuke ;fu;u vkQ bfM;k[9] आदि विनिश्चयों में स्वास्थ्य के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न भाग अभिनिर्धारित करते हुए मूल अधिकार का दर्जा प्रदान कर दिया है।

स्वास्थ्य का अधिकार एक समावेशी अधिकार है जिसके अन्तर्गत बिना भेदभाव के स्वास्थ्य सुविधाओं एवं सेवाओं तक पहुँच भी सम्मिलित है। स्वास्थ्य क्षेत्र में किये गये कम निवेश के कारण स्वास्थ्य का आधारभूत ढ़ाँचा वर्तमान महामारी के भार को वहन करने में पूर्णतः अपर्याप्त सिद्ध हुआ है। जहाँ एक ओर चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों की संख्या जनसंख्या के अनुपात में काफी कम है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत सुविधाओं का भी नितान्त अभाव है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विहित एक हजार व्यक्तियों पर एक डॉक्टर के मानक के विपरीत भारत में 1445 व्यक्तियों पर एक डॉक्टर है।[10] ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति अधिक भयावह है। विभिन्न सरकारों द्वारा समय पर पर्याप्त चिकित्सकीय प्रबन्ध न किये जाने के कारण सैकड़ों ऐसे व्यक्तियों की जान चली गईं जिन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएें होनें पर बचाया जा सकता था। स्वास्थ्यकर्मियों हेतु समुचित सुरक्षा उपकरणों की कमी के कारण हजारों स्वास्थ्यकर्मी भी संक्रमण की चपेट में आ गए तथा अनेक को अपनी जान गंवानी पड़ी। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस से बचाव हेतु "ट्रेस–टेस्ट–ट्रीट" पर लगातार जोर दियें जाने के बावजूद सरकारों ने तत्परता से कार्य नहीं किया। तालाबंदी के कारण कैंसर, ट्यूबरकोलोसिस जैसी गंभीर बीमारियों के मरीजों को उपचार करानें में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं की अपर्याप्तता के कारण हुई कोई भी मृत्यु स्वास्थ्य के मूलभूत मानवीय अधिकार का घोर उल्लंघन है।

बीमारियों के उपचार एवं स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच के साथ ही सुरक्षित पानी, भोजन तथा पर्याप्त पोषण भी स्वास्थ्य के अधिकार के महत्वपूर्ण अंग है।[11] संक्रमण की रोकथाम हेतु बनाये गये क्वारंटीन केन्द्रों में इन अधिकारों का खुलेआम उल्लंघन

7. (1989) 4 S.C.C. 1989
8. (1996) 4 S.C.C. 37
9. (1995) 3 S.C.C. 42
10. "Doctor-Patient Ratio in India Less Than WHO Prescribed Norm of 1:1000: Govt." EconomicTimes, Nov., 20,2019
11. See Note 7

होता दिखाई दिया। इन केन्द्रों में क्वारंटीन किये गये व्यक्तियों के लिए आवश्यक सुविधाओं के प्रबंधन में भारी कमियां रिपोर्ट की गईं। इस प्रकार, कोविड–19 महामारी ने स्वास्थ्य सुविधाओं, सामानों एवं सेवाओं तक पहुँच के मामलों में लम्बे समय से विद्यमान ढाँचागत असमानताओं को तीव्र कर दिया है जो सभी के स्वास्थ्य के अधिकार का संरक्षण करने की मानव अधिकार बाध्यता के विपरीत है।

dkfoM&19 rFkk HkknHkko d fo#) lj{k.k dk vf/kdkj

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 2 के अनुसार प्रत्येक को जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य मत, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, सम्पत्ति, जन्म या अन्य प्रास्थिति के भेदभाव के बिना घोषणा में वर्णित सभी अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं का अधिकार है। सिविल एवं राजनैतिक अधिकारों की अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा तथा आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा में भी बिना भेदभाव के प्रसंविदा में स्वीकृत अधिकारों को सुनिश्चित करने का संकल्प व्यक्त किया गया है। 1969 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव की समाप्ति पर अंतरराष्ट्रीय अभिसमय पारित किया जिसमें नस्लीय भेदभाव को नस्ल, रंग, वंश अथवा राष्ट्रीय या जातीय उद्भव के आधार पर ऐसे भेदभाव, अपवर्जन, निर्बन्धन अथवा प्राथमिकता के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका उद्देश्य या प्रभाव राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या लोक जीवन के किसी अन्य क्षेत्र में मानव अधिकारों एवं मूलभूत स्वतंत्रताओं के समान स्तर पर मान्यता, उपभोग अथवा उपयोग को अकृत अथवा नष्ट करना हो। अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार विधि के अधीन राज्यों का कर्त्तव्य है कि वे सभी रूपों में जातीय भेदभाव को प्रतिषिद्ध एवं समाप्त करें तथा नस्ल, रंग, वंश अथवा राष्ट्रीय या जातीय उद्भव के आधार पर किसी भेदभाव के बिना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार सुनिश्चित करें।[12]

कोविड–19 महामारी के दौरान तमाम देशों में नस्लीय हिंसा, विदेशियों के प्रति घृणा एवं भिन्न मूल के लोगों के विरुद्ध भेदभाव की घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।[13] कहीं एशियाई मूल के लोगों पर तो कहीं धार्मिक अल्पसंख्यकों पर संक्रमण फैलाने का आरोप लगाकर नस्लीय हमले किये गये। भारत में भी समुदाय विशेष के लोगों तथा उत्तर–पूर्व भारत के लोगों के विरुद्ध भेदभाव एवं हिंसा की अनेक शर्मनाक घटनाएँ दर्ज की गई। उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर अपमान, सोशल मीडिया पर घृणात्मक प्रचार, व्यापार के बहिष्कार तथा शिक्षण संस्थाओं में भेदभाव का सामना करना पडा। इसी कारण संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कोविड–19 से जुड़े अपने पहले

12. Art. 1 & 5, International Convention on Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 1969
13. UNESCO Report on "COVID-19 Related Discrimination and Stigma: A Global Phenomenon?"

प्रस्ताव में मानव अधिकारों के प्रति पूर्ण सम्मान पर बल दिया तथा कहा कि महामारी से लड़ते समय किसी भी रूप में भेदभाव, नस्लवाद तथा विदेशियों से घृणा के लिये कोई स्थान नहीं है।[14]

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोविड–19 का खतरा एवं अनुभव विभिन्न समूहों के लिये भिन्न प्रकार का होता है। निम्न आर्थिक–सामाजिक स्तर एवं संस्थागत अपवर्जन एवं भेदभाव के कारण कुछ नस्लीय, जातीय या धार्मिक समूहों के लोगों को चिकित्सकीय देखभाल तक असमान पहुँच के कारण संक्रमण एवं मृत्यु का खतरा अधिक है। लांछन या भेदभाव अथवा संसाधनों के अभाव के कारण हाशियाकृत समूहों के जिनमें प्रवासी भी सम्मिलित हैं स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित होने की संभावना अधिक है।

dkfoM&19 ,oa vkthfodk dk vf/kdkj

गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने हेतु आजीविका का अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अनिवार्य घटक के रूप में मूलभूत मानव अधिकार है।[15] कोरोनावायरस के संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने हेतु सरकारों द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों के कारण आजीविका का अधिकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने महामारी को अर्थव्यवस्था एवं श्रम बाजार के लिये एक सदमे की संज्ञा दी है जिसका रोजगार एवं कार्य गुणवत्ता पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ेगा। प्रत्येक देश में विशाल संख्या में कर्मकारों की छँटनी हुई है। असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों पर इसका दुष्प्रभाव अधिक पड़ा है जिससे करोड़ों लोगों के गरीबी में धकेले जाने का संकट उत्पन्न हो गया है। सेन्टर फॉर मॉनीटरिंग इण्डियन इकोनोमी के अनुसार मई 2020 में भारत में बेरोजगारी दर महामारी के प्रारम्भ से पहले मार्च के मध्य में सात प्रतिशत से बढ़कर 27.11 प्रतिशत हो गई। आवागमन पर प्रतिबन्धों के कारण आजीविका समाप्त होने के कारण महानगरों में असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले लाखों प्रवासी श्रमिकों को अपने घर लौटने के लिये बाध्य होना पड़ा जिसने विभाजन के पश्चात् देश के सबसे बडे मानवीय संकट को जन्म दिया। कठिन परिस्थितियों में भूखे पेट पैदल सड़कों के रास्ते नवजात शिशुओं एवं वृद्ध जनों के साथ चलते श्रमिकों के दृश्यों ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रवासी श्रमिकों एवं उनके अधिकारों के प्रति सरकारी तंत्र के भीतर कोई सम्मान नहीं है। इस दौरान ऐसी हृदयविदारक दुर्घटनाएँ भी हुईं जिनका किसी भी सभ्य देश में, जिसमें मानव गरिमा का सम्मान हो, कोई स्थान नहीं है।

14. Global Solidarity to Fight the Coronavirus Disease 2019, General Assembly/Res/74/270, April 2, 2020
15. Olga Tellis & Others vs. Bombay Municipal Corporation & Others, 1986 A.I.R. 180

गाँव लौटे प्रवासी श्रमिकों का स्वागत विभिन्न राज्य सरकारों ने श्रम सुधार कानूनों के साथ किया जिनमें औद्योगिक गतिविधि एवं निवेश को बढ़ावा देने के बहाने कारखाना अधिनियम, 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 आदि विधियों के श्रमिकों के कल्याण सम्बन्धी प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया, मजदूरों के कार्य के घण्टे बढ़ा दिये गये तथा न्यूनतम मजदूरी के प्रावधान तथा पुरुष एवं महिला कर्मकारों के समान पारिश्रमिक के अधिकार समाप्त कर दिये गये जो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा समय–समय पर अपनाये गये अभिसमयों का गम्भीर एवं निरा उल्लंघन है।

dkfoM&19 ,oa Hkkstu dk vf/kdkj

भोजन का अधिकार महत्वपूर्ण मानव अधिकारों में से एक है[16] तथा कोविड–19 महामारी के प्रकोप ने इसे भी गम्भीर रूप से प्रभावित किया है। यह महामारी वैश्विक खाद्य श्रृंखला पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। कोरोना वायरस के कारण अपनाये गये लॉकडाउन तथा अन्य कठोर उपायों के परिणामस्वरूप रोजगार तथा अन्ततोगत्वा खाद्य माँग में कमी आयी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोट[17] के अनुसार कोरोनावायरस के कारण वर्ष 2020 में उत्पन्न आर्थिक मन्दी के कारण अनुमानतः कम से कम 83 मिलियन तथा लगभग 132 मिलियन लोग भुखमरी की हालत में पहुँच सकते हैं। कोविड–19 विश्व में विद्यमान भूख के प्रमुख केन्द्रों में संकट को बढ़ा रहा है तथा दुनियाभर में भूख के नये केन्द्र बना रहा है। वर्ष 2020 के अन्त तक इस महामारी से उत्पन्न भुखमरी के कारण प्रतिदिन 12000 व्यक्तियों की मृत्यु होने की संभावना है। यह संख्या बीमारी से मरने वालों की संख्या की तुलना में कहीं अधिक है। यह महामारी युद्ध, जलवायु परिवर्तन, असमानता एवं टूटे हुए खाद्य तंत्र से संघर्ष करते लोगों पर एक घातक अन्तिम प्रहार के समान है।[18]

भारत में भी कोविड–19 के परिणाम भोजन के अधिकार के लिये विनाशकारी सिद्ध हुए हैं। भारत विश्व के सबसे बड़े खाद्य उत्पादकों में से एक होते हुए भी विश्व में भूखे लोगों की सबसे बड़ी आबादी तथा दुनिया में कुपोषण के शिकार एक तिहाई बालकों का घर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 117 देशों में भारत का 102 वाँ स्थान है। कोविड–19 महामारी फैलने के पश्चात् स्थितियाँ और अधिक भयावह होने की संभावना है। सरकारों द्वारा प्रारम्भ की गई तथा विद्यमान खाद्य सुरक्षा योजनाएँ इन स्थितियों से पूर्णतः निपटने में अपर्याप्त सिद्ध हुई हैं। बच्चों में पोषण की कमी दूर

16. P.U.C.N. vs. Union of India, (2000) 5 Scale 30
17. W.H.O. Report on “State of Food Security and Nutrition in the World”, July 13, 2020
18. “The Hnger Virus: How COVID-19 is Fuelling Hunger in A Hungry World”, Oxfam, July 9, 2020

करने हेतु चल रही मध्याह्न भोजन योजनाएँ रुक जाने के कारण कुपोषण की रोकथाम की दशा में हुई दशकों की प्रगति के खो जाने का खतरा है।

संक्षेप में, कोविड–19 महामारी ने भारत तथा दुनिया में भूख के ऐसे वायरस को जन्म दिया है जिसका निदान निकट भविष्य में होना काफी कठिन है।

dkfoM&19 ,o f'k{kk dk vf/kdkj

व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिये शिक्षा परम आवश्यक है। शिक्षा के बिना मानवीय अस्मिता की कल्पना करना भी निरर्थक है। इसी तथ्य को मान्यता देते हुए सभी मानव अधिकार दस्तावेजों ने शिक्षा के अधिकार को मानव अधिकार के रूप में प्रमुखता से स्थान दिया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21क तथा ekguh tu cuke dukVd jkT;[19] तथा mUuhd".ku cuke dj y jkT;[20] जैसे उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान करते हैं।

वर्तमान समय में शिक्षा का अधिकार अपने समक्ष उत्पन्न सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिये सभी शैक्षणिक संस्थाएँ बन्द कर दी गई हैं जिसके परिणामस्वरूप करोड़ों विद्यार्थी सीखने की प्रक्रिया के बाहर हो चुके हैं। कुछ शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन शिक्षण प्रारम्भ किया गया है परन्तु बहुसंख्यक विद्यार्थियों के पास इन्टरनेट की अनुपलब्धता के कारण इसका लाभ उठाने वाले छात्र–छात्राओं की संख्या नगण्य है। इसके अतिरिक्त संसाधनों के अभाव के कारण छात्र–छात्राओं का शिक्षा से वंचित होना उनके साथ गम्भीर अन्याय है।

dkfoM&19 rFkk eueku ,o Øj 0;ogkj d fo#) lj{k.k dk vf/kdkj

प्रत्येक मनुष्य को यह अधिकार है कि उसके साथ गरिमा के साथ व्यवहार किया जाये। क्रूर एवं अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध यह अधिकार अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार विधि एवं भारत की संवैधानिक विधि द्वारा संरक्षित है। इस अधिकार के महत्व को रेखांकित करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1979 में क्रूर एवं अमानवीय व्यवहार एवं दण्ड के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय अभिसमय पारित किया। यह अधिकार इतना महत्वपूर्ण है कि किसी भी आपदा अथवा महामारी के दौरान भी इसका उल्लंघन क्षम्य नहीं है। पुलिस एवं सुरक्षाबलों द्वारा लॉकडाउन और कर्फ्यू की पालना कराने के नाम पर अत्यधिक एवं अनुचित बल प्रयोग सर्वथा निन्दनीय है। कार्य की अधिकता, कम वेतन

19. (1992) 3 S.C.C. 666
20. (1993) 4 S.C.C. 645

तथा अत्यधिक तनाव जैसी परिस्थितियों ने पुलिस हिंसा की घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि की है। प्रवासी मजदूरों पर लाठी चार्ज, घर लौटे मजदूरों पर कीटनाशकों का छिड़काव तथा लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन में निर्धारित समय से अधिक दुकान खोलने पर जयराज और बेनिक्स के साथ यातनापूर्ण व्यवहार एवं अभिरक्षा में मृत्यु जैसी पुलिस बर्बरता एवं राज्य हिंसा की घटनाऐं मानव अधिकारों के लिए अभिशाप है।

dkfoM&19 ,oa futrk dk vf/kdkj

tfLVl ds ,l iRrLokeh cuke Hkkjr l?k[21] के मामले में दिये गये निर्णयानुसार निजता का अधिकार महत्वपूर्ण मानवीय अधिकार है तथा राज्य का कर्त्तव्य है कि वह व्यक्ति की निजता में अनावश्यक हस्तक्षेप न करे, परन्तु यह अधिकार आत्यन्तिक नहीं है। आवश्यकता होने पर इसे विधितः निर्बन्धित किया जा सकता है किन्तु निर्बन्धन का उपरोक्त निर्णय में प्रतिपादित वैधता, आवश्यकता एवं आनुपातिकता के परीक्षणों पर खरा उतरना अनिवार्य है। अतः अपेक्षित है कि निर्बन्धन विधि द्वारा अनुज्ञात हो, वैध राज्य उद्‌देश्य की पूर्ति हेतु लगाया गया हो तथा उद्येश्य एवं निर्बन्धन के मध्य तार्किक सम्बन्ध हो। व्यापक तौर पर, संक्रमित होने के संदेहास्पद लोगों की सूची बनाने, क्वारन्टीन व्यक्तियों द्वारा नियम अनुपालना की निगरानी हेतु जिओ–फैंन्सिंग व ड्रोन इमेजरी तथा आरोग्य सेतु जैसे कॉन्टेक्ट–ट्रेसिंग एप्लिकेशन के तीन स्तरों पर तकनीक का प्रयोग किया गया है।[22] स्वास्थ्य एवं विधि प्रवर्तन प्राधिकारी वायरस को नियंत्रित करने हेतु डिजिटल निगरानी के हर संभव साधन का प्रयोग कर रहे है जिससे लोक स्वास्थ्य एवं निजता के मध्य के नाजुक सम्बन्धों के परिवर्तित होने का खतरा है।[23]

उपरोक्त विवेचन से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि कोविड–19 महामारी ने मानव अधिकारों के समक्ष गम्भीर चुनौती उत्पन्न कर दी है। यह मानव अधिकारों की उपेक्षा करने का समय नहीं है अपितु, इस संकट से उबरने के लिए वर्तमान में हमें मानव अधिकारों की पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है ताकि हम साम्यिक एवं सतत् विकास तथा स्थायी शांति प्राप्त करने के लक्ष्यों पर पुनः ध्यान केन्द्रित कर सकें। मानव अधिकार सार्वभौमिक, असंक्रम्य व अविभाज्य हैं। वर्तमान संकट में मानव अधिकार बीमारी से लड़ने के लिए किये गये उपायों की प्रभावकारिता बढ़ाने तथा उनके

21. (2017) 10 S.C.C. 1
22. "Privacy Concerns During A Pandemic" ,The Hindu, April 29, 2020
23. "As Coronavirus Surveillance Escalates, Personal Privacy Plummets", The New York Times, March 23, 2020

नकारात्मक प्रभावों को कम करने में राज्यों की सहायता कर सकते है।[24] वस्तुतः महामारी का नियंत्रण मानव अधिकारों को कमजोर करके नहीं अपितु उन्हें अधिक मजबूत बनाकर ही किया जा सकता है।

• • •

24. United Nations report on "COVID-19 and Human Rights: We Are All in This Together

कोरोना काल एवं प्रवासियों के मानवाधिकार

Mk- v|d|j fl|g i|okj•

oDr us fd;k D;k gLh flre vk[kk gS ue]
thou ds iFk ij pyrs pyrs Fkd x;s dneA

ifjp; %

वर्तमान में मानव जाति एक गंभीर समस्या से जूझ रही है सम्पूर्ण विश्व एक त्रासदी को झेल रहा है एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं निकला है। जिसने सम्पूर्ण विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है। सारा संसार इस महामारी से भयभीत है जिसे वैज्ञानिकों ने कोविड–19 नाम दिया है। एक ऐसी असामान्य बीमारी जो मनुष्य की सांसो को ही रोक देती है, वैश्विक स्तर पर ना जाने कितने ही लोगों की जान गयी है। इस महामारी ने सारे विश्व की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है ना जाने कितने ही लोगों को बेरोजगार कर दिया है। वर्तमान का यह दौर कोरोना काल के रूप में विख्यात हो चुका है। यह एक ऐसा भंयकर समय है जिसने मानव जाति को भारी नुकसान पहुंचाया है। मनुष्य न केवल शारीरिक रूप से टूटा है बल्कि आर्थिक व मानसिक रूप से भी बिखर गया है। मनुष्य को अपना जीवन सुखद व स्वतंत्र रूप से जीने के लिए कुछ अधिकारों की आवश्यकता होती है इन अधिकारों की प्राप्ति के परिणाम स्वरूप वह अपने जीवन को एक सुखद दिशा दे सकता है। अपने जीवन को सरल व प्रगतिशील बनाने के लिए जिन अधिकारों की आवश्यकता होती है, उन्हें ही मानवाधिकार कहा गया है।

ekuo vfèkdkjksa dh voèkkj.kk

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस बात को स्वीकार किया गया कि अंतरराष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा तभी बन सकती है जब लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो तथा उनके अधिकारों व उनकी मूल स्वतंत्रताओं में अभिवृद्धि हो। इसी वजह से व्यक्तियों को राज्यों द्वारा दिये गये बहुत से अधिकारों में से एक अधिकार मानव अधिकार है।

ekuo vfèkdkj dk vFkZ

मनुष्य एक बुद्धिमान व विवेकशील व्यक्ति है, इसी कारण उसे कुछ ऐसे मूल तथा अहरणीय अधिकार प्राप्त होते है, जिसे मानवाधिकार कहा जाता है। यह अधिकार मनुष्य के अस्तित्व से सम्बन्ध रखते हैं। इस वजह से ये उसमें उसके जन्म से ही

• असिस्टेण्ड प्रोफेसर, सर प्रताप लॉ कॉलेज, जोधपुर।

विहित रहते है। इसी कारण यह अधिकार सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होते है। चाहे उनका धर्म, मूल वंश, लिंग तथा राष्ट्रीयता कुछ भी हो। यह अधिकार मनुष्य को उसकी गरिमा के अनुरूप प्राप्त होते है। जो कि उसके शारीरिक नैतिक सामाजिक और भौतिक कल्याण में सहायक होते है। इन अधिकारों के बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। ''मानवजाति के लिए मानव अधिकार का अत्यन्त महत्व होने के कारण मानव अधिकार को कभी कभी मूल अधिकार, आधारभूत अधिकार, अन्तनिर्हित अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, और जन्म अधिकार भी कहा जाता है।

ekuo vfèkdkjk d idkj

संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अन्तर्गत मानव अधिकारों को दो भागों में बांटा गया है।

1. सिविल एवं राजनैतिक अधिकार
2. आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार

1- flfoy ,o jktufrd vfèkdkj & सिविल अधिकार वे अधिकार है जो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से सम्बन्ध रखते है। यह सभी व्यक्तियों के जीवन के लिए आवश्यक होते है। इन अधिकारों में प्राण, स्वतंत्रता एवं व्यक्तियों की सुरक्षा, एकान्तता का अधिकार, गृह अधिकार, सम्पत्ति रखने का अधिकार, अमानवीय एवं अपमानजनक व्यवहार से निर्मुक्ति का अधिकार, विचार एवं धर्म की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता आदि अधिकार शामिल है। इन अधिकारों के लिए सरकार से यह उम्मीद लगाई जाती है कि वह इन अधिकारों का उल्लंधन नहीं करेगी।

राजनैतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति को राज्य की सरकार में सम्मिलित करने की स्वीकृति देती है। इन अधिकारों में मत देने का अधिकार, निर्वाचन का अधिकार आदि शामिल है।

2- vkfFkd] lkekftd ,o lkLd`frd vfèkdkj & आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार मनुष्य की न्यूनतम आवश्यकताओं में से एक है। यह अधिकार न हो तो मानव जीवन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जायेगा। भोजन, वस्त्र, आवास, काम का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार इन अधिकारों में सम्मिलित है।

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् अंतरराष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा बनाये रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं बच्चों प्रवासी कर्मकारों शरणार्थियों एवं विर्राष्ट्रिक व्यक्तियों आदि सभी वर्ग के लोगों के लिए संधियॉ बना कर विभिन्न अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं

को संहिताबद्ध किया है। 18 दिसम्बर 1990 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा एक अभिसमय अंगीकार किया गया जिसे सभी प्रवासी कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों के अधिकारों के संरक्षण पर अंतरराष्ट्रीय अभिसमय के नाम से जाना जाता है। यह अभिसमय 01 जुलाई 2003 को लागू हुआ। जनवरी 2018 तक अभिसमय के 51 राज्य पक्षकार बन चुके है। 93 अनुच्छेदों का अभिसमय 9 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें इसके क्षेत्र एवं परिभाषा, भेदभाव सभी प्रवासी कर्मचारियों की प्रास्थिति पर बिना विचार किये हुए उनके लिए मानव अधिकार, तथा उन व्यक्तियों के लिए अन्य अधिकार जो प्रलेखित है, समाविष्ट है।

iokl h dePkkfj;k dh ifjHkk"kk %&

अभिसमय के अनुच्छेद 2 के अन्तर्गत प्रवासी कर्मकार की परिभाषा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में की गयी है, जिसे किसी ऐसे राज्य में पारिश्रमिक क्रियाकलाप में लगाया गया है। जिसका वह राष्ट्रिक नही है। अनुच्छेद 4 के अन्तर्गत परिवार के सदस्यों को ऐसे व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है जिन्होने प्रवासी कर्मचारियों से विवाह किया है या उनसे ऐसे सम्बन्ध रखते है जो प्रयुक्त विधि के अनुसार विवाह के ही समतुल्य प्रभाव उत्पन्न करते है तथा साथ ही साथ परिवार के सदस्यों की परिभाषा के अन्तर्गत उनके आश्रित बच्चे एवं अन्य आश्रित व्यक्ति भी आते है जो प्रयुक्त विद्यायन अथवा सम्बन्धित राज्यों के मध्य प्रयुक्त द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय करारों द्वारा परिवार के सदस्य के रूप में मान्य ठहराये गये हैं।

iokl h depkfj;k d vfèkdkj &

सभी प्रवासी कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के सदस्यों के लिए कई अधिकारों का प्रावधान किया गया है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :–

1. वे बिना किसी प्रतिबन्ध के किसी भी राज्य को छोड़ने के लिए स्वतन्त्र होंगे जिसमें उनके मूल राज्य भी सम्मिलित होंगे। तथा उन्हें अपने मूल राज्य में प्रवेश करने एवं बने रहने का अधिकार होगा।
2. विधि के अधीन प्राण के अधिकार का संरक्षण।
3. यातना अथवा कूर, अमानवीय अथवा अपमानजनक व्यवहार अथवा दण्ड की अधीनता से निवारण।
4. दास प्रथा या गुलामी का निषेध।
5. बलात् अथवा अनिवार्य श्रम का निषेध।
6. विचार अन्तःकरण और धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार।

7. बिना किसी हस्तक्षेप के विचार व्यक्त करने का अधिकार।

8. एकान्तता गृह, पत्राचार या अन्य संसूचनाओं पर मनमानेपूर्ण अथवा विधि विरूद्ध हस्तक्षेप से संरक्षण।

9. सम्पत्ति से मनमानेपूर्ण तरीके से वंचित किये जाने से संरक्षण।

10. व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा का अधिकार।

11. हिंसा शारीरिक आघात धमकी अथवा अभित्रास चाहे ये लोक अधिकारियों द्वारा हो या गैर सरकारी व्यक्तियों द्वारा के विरूद्ध संरक्षण।

12. मनमानेपूर्ण गिरफ्तारी अथवा निरोध से संरक्षण।

13. गिरफ्तारी या निरोध के अधीन विधिक अधिकारों के सम्बन्ध में सूचना तथा जब विचारण के लम्बित रहने पर कारागार अथवा अभिरक्षा में सुपुर्द कर दिया जाय तब विधिक अधिकारों के सम्बन्ध में सूचना।

14. न्यायालयों एवं अधिकरणों के समक्ष सम्बन्धित राज्य के राष्ट्रिकों के साथ समानता का अधिकार।

15. किसी प्रवासी कर्मकार अथवा उसके परिवार के सदस्य को केवल इस आधार पर बन्दी नहीं बनाया जायेगा कि वह किसी संविदात्मक बाध्यता को पूरा करने में असफल हो गया था।

16. निष्कासन के प्रत्येक मामले की परीक्षा एवं विनिश्चय व्यक्तिगत रूप से किया जायेगा। कर्मचारियों के सामूहिक निष्कासन को अवैध घोषित किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने प्रवासी कर्मचारियों को यह अधिकार प्रदान किये है। लेकिन वर्तमान का समय सभी व्यक्तियों के लिए बहुत ही कष्टदायक है। वर्तमान में एक ऐसी गंभीर बीमारी फैली हुई है जिसने सम्पूर्ण विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है। इस समय को कोरोना काल के नाम से सदियों तक याद रखा जाएगा। जिसने मनुष्य जीवन की गतिशीलता को ही रोक दिया है।

D;k g} dkjkuk ok;jl &

कोरोना वायरस का संबन्ध वायरस के ऐसे परिवार से है, जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस बीमारी के लक्षण फ्लू से मिलते–जुलते है। संक्रमण के फलस्वरूप बुखार जुकाम सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्या उत्पन्न होती है। यह वायरस

एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। कुछ मामलों में कोरोना वायरस घातक भी हो सकता है। खास तौर पर अधिक उम्र के लोग और जिन्हें पहले से अस्थमा, डायबिटीज और हार्ट की बीमारी है।

कोरोना वायरस भारत सहित 148 देशों में फैल चुका है। कोविड–19 सबसे लंबे समय तक पाए जाने वाले कोरोना वायरस के रूप में लाया जाने वाला रोग है। यह नया संक्रमण और बीमारी दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से शुरू हुई थी और धीरे–धीरे इसने सभी देशो को अपनी चपेट में ले लिया है। कोरोना वायरस से अभी तक 2,48,023 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। जिसके कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वैश्विक महामारी घोषित कर दिया है। यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होती है। साधारण शब्दों में कहें तो कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के खासनें या छींकने से निकले थूक के बेहद बारीक कण हवा में फैल जाते है। इन कणों में कोरोना वायरस के विषाणु होते है। संक्रमित व्यक्ति के नजदीक जाने पर ये विषाणुयुक्त कण सांस के रास्ते आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं।

dkjkuk ok;jl dk iHkko &

भारत, चीन सहित अन्य देशों में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण इकॉनॉमिक स्तर पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। जहॉ भारत में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली आदि जगहों में 2 सप्ताह के लिए स्कूल, कॉलेज के साथ–साथ परीक्षाऐं भी स्थगित कर दी गई है। इसके अलावा सिनेमा हॉल, मॉल, जिम आदि बंद कर दिए गए है। बॉलीवुड इण्डस्ट्री में भी कई फिल्मों की शूटिंग के साथ साथ रिलीज में भी रोक लगा दी गई है। टूरिज्म के क्षेत्र में भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि फेमस जगहों पर लोगों के आने पर रोक लगा दी गई है। कोरोना वायरस के बारे में मौजूदा स्थिति की बात करें तो राज्य सरकारें अपनी तरफ से हर प्रकार की कोशिश कर रही है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किश्तवाड़ और रामबन जिलों में निषेधाज्ञा जारी की है। सार्वजनिक स्थलों पर पांच से अधिक लोगों के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया है। गोवा सरकार ने भी जुआ घरों, स्विमिंग पूल और पबों को बंद करने का आदेश दिया है। सभी सम्मेलन, कार्यशालाऐं, शैक्षणिक टूर और खेल कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। कोरोना वायरस को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच सरकारी विमान कंपनी एयर इण्डिया ने इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इजराईल, दक्षिण कोरिया और श्रीलंका के लिए होने वाली उड़ानों को बंद कर दिया गया। कोरोना वायरस महामारी के कारण शेयर बाजार में भी काफी उतार चढ़ाव आया है। कोरोना वायरस के कारण एशियाई शेयर बाजारों में भारी गिरावट दर्ज की गई।

vU; n'kk ij iMu okyk iHkko &

कोरोना वायरस को लेकर दूसरे देशों की बात करें तो खाने की दुकानें और दवाओं की दुकानों के अलावा हर एक चीज बंद कर दी गई है। घर से काम करने के निर्देश के साथ–साथ बच्चों की ऑनलाईन पढाई कराई जा रही है। कोरोना वायरस के बारे में मौजूदा स्थिति के कारण फ्रांस के प्रधानमंत्री की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, रेस्तरां, कैफें सिनेमा और डिस्कों समेत तमाम गैर जरूरी बिजनेस भी बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत की सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के मद्देनजर सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रखने की घोषणा की है। इसके साथ ही नौवी और दसवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई है। कोरोना वायरस के कारण इटली ने अपनी पूरी छः करोड़ की आबादी को लॉकडाउन में डाल दिया है। देश में खाने और फार्मेसी को छोड़कर हर तरह की दुकान बंद है। एक जगह पर लोगों के इकट्टे होने पर रोक लगा दी गई है। और लोगों को अपने घरों में रहने की सलाह दी जा रही है। यात्रा कर रहे हर शख्स को इसका मकसद बताने वाला कागज साथ लेकर चलना जरूरी कर दिया गया है। स्कूल और विश्वविद्यालय बंद है। अमरीका ने यात्रा प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाते हुए ब्रिटेन और आयरलैण्ड से आने वाले लोगों पर भी रोक लगा दी है। कोरोना वायरस चीन से फैला था जो अब अधिकत्तर देशों को संक्रमित कर चुका है।

dkjkuk egkekjh dk iokl h delpkfj;k ij iMu okyk iHkko %&

कोरोना महामारी के कारण हर व्यक्ति पर इसका प्रभाव पड़ा हो चाहे जवान हो वृद्ध हो या बालक, स्त्री हो या पुरूष हर प्राणी पर इसका प्रभाव देखने को मिला है। इस बीमारी का प्रभाव हर व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर पड़ा है। बहुत से लोग है जो कमाई के लिए दूसरे देशों या शहरों में नौकरी करते है। जिन्हें प्रवासी कहा जाता है। इस महामारी के कारण यह समुदाय भी अत्यधिक प्रभावित हुआ है। इस महामारी के कारण बहुत से कार्मिक संस्थान बंद हो गये या उनका काम रोक दिया गया। जिस कारण वहां काम करने वाले लोग बेरोजगार हुए और लॉकडाउन के कारण जहॉ ये वही कैद होकर रह गये न तो उनके पास काम रहा और न घर वापसी के साधन। इन लोगों की दैनिक आवश्यकताऐं भी पूरी होने में बाधाएं आने लगी। आज भारतीय सेवाओं विशेष रूप से आई.टी. और मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में वैश्विक पहचान बना चुका है। जिसका कारण भारतीय युवाओं की मेघा और वैश्वीकरण भी है। कोरोना के बाद लॉकडाउन के दौरान भारत में बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूरों की बेरोजगारी और पलायन की खबरें विकास की राहों को रोक रही है। भारत के संविधान निर्माण में अहम् भूमिका निभाने वाले डॉ भीमराव अम्बेडकर ने इस संदर्भ में

''स्मॉल होब्डिंग्स इन इण्डिया एण्ड देयर रेमेडीज'' में लिखा है बेरोजगार लोगों से पूछिये कि उनके लिए मौलिक अधिकारों की क्या उपयोगिता है। उन्होंनें इस पुस्तक में इस बात का जिक्र किया है कि बेरोजगार लोग काम तथा जीवन निर्वाह के लिए मौलिक अधिकारों को किस तरह से तिलांजलि देने के लिए मजबूर होगें। वर्तमान वैश्विक मंदी भी बहुत हद तक 1929 की महान मंदी जैसी व्यापक दुष्प्रभाव वाली हो सकती है। उस समय दुनिया भर में व्यापार और उत्पादन गतिविधियों कमजोर पड़ने से बड़े पैमाने पर शेयर बाजार टूटे थे और समय के साथ कई बैंक दिवालिया होकर बंद हो गए तथा दुनिया गंभीर आर्थिक मंदी की चपेट में आ गई थी। वर्तमान हालात भी कमोबेश वैसे ही है। स्वास्थ्य आवश्यकताओं को छोड़कर ज्यादातर व्यापार और उत्पादन गतिविधियां ठप हो चुकी हैं। अमेरिका के श्रम ब्यूरो द्वारा बीते सप्ताह जारी आंकड़ों के अनुसार 1.6 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है और इन्होंने बेरोजगारी पैकेज के तहत सहायता की मांग की है। ऐसी ही दशा दुनिया के अधिकांश देशों की है। ऐसे में इस वैश्विक मंदी से निपटने के लिए प्रयास करने होंगें।

प्रवासी जो अन्य देशों में काम करने गए थे। वे वही फंस कर रह गए है। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी उनके लिए मुश्किल हो गया है। मानवाधिकारों के तहत् हर व्यक्ति को घूमने की स्वतंत्रता है। कही पर भी जाने व बस जाने की स्वतंत्रता है। रोजगार प्राप्त करने का अधिकार है। इस संकट काल में यह अधिकार धरे के धरे रह गए है। इन अधिकारों की प्राप्ति को छोड़कर वे अपने जीवन के लिए उपयोगी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी सरकार पर निर्भर हो गए हैं। लॉकडाउन के कारण अंतरराष्ट्रीय विमान व यात्राऐं बंद कर दी गई हैं। जिस कारण से जो लोग जहॉ है, वहीं रह गए है। आने जाने के साधन रोक दिए जाने के कारण प्रवासी कर्मकार जहाँ हैं वहीं फंस गए है। खाड़ी देशों में प्रवासी श्रमिकों को अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि वहां तालाबंदी लागू है। इस वजह से नियोक्ता वेतन रोक रहे हैं या कर्मकार बिना काम के बैठे है। सख्ती में निर्वासन और कारावास तक शामिल है। कत्तर में पाकिस्तान के 27 साल के एक इंजीनियर कहते है ''हम यहाँ पिछले 10 दिनों से तालाबंदी में है। हमें नहीं पता कि लॉकडाउन कब खत्म कर रहे है वह संशय है। सरकार हमें भोजन मुहैया करा रही है लेकिन वह कुछ ही दिनों के लिए हैं और छोटी मोटी चीजे दे रही है। यह उन लाखों कर्मचारियों में शामिल हैं जिन्हें सख्ती के साथ दोहा औद्योगिक क्षेत्र में रखा गया है। यहॉ पिछले दिनों एक दर्जन मजदूरों में कोविड–19 की पुष्टि हुई थी। मजदूरों के लिए काम करने वाले अधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच (एच.आर.डब्ल्यू) और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आगाह किया है कि तंग आवास और अपर्याप्त स्वच्छता ऐसे लाखों प्रवासी मजदूरों को पूरे खाड़ी में खतरे में डाल सकता है। जिनके पास स्वास्थ्य सेवा

तक पंहुच उपलब्ध नहीं है। उन्हें वेतन नहीं मिलने और मनमाने ढंग से बर्खास्तगी या निर्वासन का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे लोगों के परिवारों के सामने एक नई आपदा पैदा हो सकती है। तेल समृद्ध खाड़ी क्षेत्र में विदेशी श्रमिक मुख्य रूप से बांग्लादेश, भारत, नेपाल और पाकिस्तान से आते हैं और यह दुनिया भर में सभी प्रवासियों का लगभग 10 प्रतिशत है। समाचार एजेंसी ए.एफ.पी से बात करने वाले कई लोगों का कहना है कि वे अब अपने स्वास्थ्य और नौकरी की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। सउदी अरब में प्रवासी मजदूरों की संख्या करीब एक करोड़ है। भारत में भी प्रवासी मजदूरों की स्थिति विकट है। कोरोना संकट के इस दौर में मजदूरों का पंजीकरण वाहनों का इंतजाम स्क्रीनिंग समेत तमाम जरूरी बंदोबस्त अब सरकार के लिए मुश्किल पैदा कर सकते है। सबसे बड़ी समस्या ऐसी स्थिति में सोशल डिस्टेंस का पालन कराने की है। जिसके लिए तमाम राज्य सरकार अधिकारियों से मंथन कर रही है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने केन्द्र सरकार से माँग की है कि वह अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाने के लिए स्पेशल ट्रेन का इंतजाम कराऐं। यूपी की योगी सरकार ने देश के अलग–अलग हिस्से में फंसे मजदूरों को घर आने के लिए जल्दबाजी नहीं करने की सलाह दी है। सीएम योगी ने मजदूरों से कहा कि अब तक जिस तरह वे धीरज से स्थिति का सामना कर रहे है, वह आगे भी उसी धैर्य को बरकरार रखें। सभी देश इन प्रवासी मजदूरों व उनके परिवारों को उनके देश पहुंचाने की व्यवस्था कर रही है। प्रयास किया जा रहा है कि इनकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। इस वैश्विक मंदी से निपटने के लिए सभी लोकतांत्रिक देशों को ईमानदारी से तकनीकी हस्तांतरण के साथ विकेन्द्रीकृत सतत् और समावेशी विकास पर जोर देना होगा जिसके केन्द्र में सभी के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति स्वास्थ्य के साथ प्रकृति को भी रखना होगा।

जब सम्पूर्ण विश्व किसी वैश्विक महामारी के दौर से गुजरता है तब विश्व के सभी जीवों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति का प्रभाव मनुष्य के सामान्य जीवन पर पड़ता ही है। ऐसे समय में मानवाधिकारों को मुहैया करना मुश्किल हो जाता है। वर्तमान समय में भी एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। जिसका प्रभाव व्यक्ति के विकास के हर क्षेत्र पर पड़ा है। इस स्थिति का प्रभाव मनुष्य के मानवाधिकारों पर भी पड़ेगा और उसमें भी नवीन परिवर्तन किए जाएगें। जिससे व्यक्ति एक सामान्य जीवन जी सकें। प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को समझते हुए सभी देशों की सरकारें उनके जीवन को सरल बनाने का प्रयास कर रही है। जल्द ही विश्व इस समस्या से निपटने में और प्रवासी मजदूरों की सहायता करने में सफल होगा। ''वर्क फ्रॉम हॉम'' की एक नवीन मुहिम चलाई गई है जिससे

बहुत से लोगों को रोजगार प्राप्त होगा और कई लोगों की नौकरी जाने से बच जाएगी, और उन्हें अपने कार्य का वेतन भी प्राप्त होगा। जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकें।

lanHkZ %

1. अंतरराष्ट्रीय विधि एवं मानव अधिकार : डॉ. एच. ओ. अग्रवाल
2. भारत का संविधान : डॉ. पाण्डेय
3. https:èèeconomictimes.indiatimes.com
4. www.jagran.com
5. www.dw.com
6. https:èèwww.indiatv.in
7. www.gaonconnection.com

शिक्षा का मानव अधिकार एवं कोरोनाकाल में ऑनलाइन शिक्षा पद्वतिः एक सिंहावलोकन

Ák0 Áhrh lDlsuk•

कोरोना, जिसका चिकित्सकीय नाम कोविड–19 है, इसके संदर्भ में मानव जीवन पर, मुख्यतः शिक्षा के अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ा है एवं पड़ रहा है, इस लेख के माध्यम से इन पहलुओं का प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। इस सत्य से हम सभी अवगत हैं कि कोरोना का हमारी समाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर भी गहरा प्रभाव पड़ रहा है। हम सभी को यह विदित है कि आज न सिर्फ भारत देश अपितु संपूर्ण विश्व में मानव जाति कोरोना की घातक महामारी के संक्रमण एवं आक्रमण से विचलित है। चारों ओर त्राहि त्राहि है। कोरोनावायरस जिसका चिकित्सकीय भाषा में कोविड–19 नाम दिया गया है की सैकड़ों परिभाषाएं है। इस वायरस का आगमन प्राकृतिक है अथवा मनुष्य कृत, इसकी अभी पुष्टि नही हुई है एवं इस विषय पर वैज्ञानिकों के अलग–अलग मत हैं। कोरोनावायरस प्रकोप का सर्वप्रथम मामला चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान में दिसंबर 2019 में पाया गया। जिसके बाद वुहान में अनेक मनुष्यों में यह रोग फैलने लगा और इसकी सूचना चीन के द्वारा 31 दिसम्बर 2019 को विश्व स्वास्थ्य संगठन को दी गई। 9 जनवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जानकारी जारी की गई कि चीनी शोधकर्ताओ द्वारा इस वायरस की पहचान नोबेल कोरोनावारस के रूप में गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस बात का संज्ञान लेते हुए कि चीन के अतिरिक्त यह संक्रमण दूसरे देशों में भी फैल रहा है, कोविड–19 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 11 मार्च 2020 को वैश्विक महामारी घोषित किया गया।

dksjksuk l¡Øe.k%

संपूर्ण विश्व इस वायरस की चपेट में है। कोरोनावायरस के आगे विश्व के विकसित एवं महाशक्ति कहे जाने वाले अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप के देश खुद को असहाय पा रहे हैं। भारत भी इसमे शामिल है। चूंकि यह वायरस इतना बहरूपिया है कि इसकी पहचान कर पाना काफी कठिन हो रहा है। इसकी पहचान के लक्षण भी सामान नहीं है कभी निमोनिया, कभी बुखार, खांसी–जुखाम, सांस लेने में तकलीफ और कभी बिना किसी लक्षण के भी कोरोनावायरस पाया जा रहा है। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार इस महामारी का प्रभाव चार स्तर पर हो रहा है। प्रथम

• पूर्व–विभागाध्यक्ष मानवाधिकार विभाग, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ

कोविड–19 संक्रमित व्यक्ति का भारत में प्रवेश, दूसरा स्थानीय फैलाव जिसमें वायरस का संक्रमण संक्रमित व्यक्ति के अपने घर परिवार के सदस्यों, बच्चों इत्यादि में होता है,तीसरे स्तर पर यह एक समुदाय के रूप में फैलाव है, जिसको कम्युनिटी स्प्रैड भी कहते हैं। इसमे संक्रमण जीवाणु जिस समुदाय मे संक्रमित व्यक्ति रहता है वहां फैलता है,एवं चौथा स्तर महामारी (एपिडेमिक) होता है, जिसमें संक्रमण का प्रभाव पूरे देश मे होता है। क्योंकि यह संक्रमण भारत के सभी राज्यों में आक्रमण कर चुका है ऐसी स्थिति में इस वायरस से निपटने के लिए राज्य सरकारों द्वारा कोविड–19 को महामारी घोषित करते हुए महामारी अधिनियम1897 को लागू किया गया।[1] क्योकि यह अधिनियम बहुत पुराना था अतः आज की परिस्थितियों के अनुरूप इस अधिनियम को ठीक तरह से प्रभावी किए जाने हेतु 22 अप्रैल 2020 को माननीय राष्ट्रपति द्व ारा एक अध्यादेश जारी किया गया जिससे महामारी अधिनियम1897 में कुछ संशोधन किए गए। इसके अतिरिक्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत आदेश भी जारी किए गए हैं। आशंकित खतरे एवं कोरोनावायरस के फैलाव को रोकने के लिए राज्य सरकारों के अतिरिक्त केंद्र सरकार द्वारा भी विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जिसमे विदेशों में फंसे भारतीय नागरिको की स्वदेश वापसी, क्वारंटाइन पृथक निवास, सामाजिक दूरी,[2] (शारीरिक दूरी) एवं लॉकडाउन प्रमुख हैं। कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिए भारतीय दंड विधान एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को भी लागू किया गया है।

भारत में 25 मार्च 2020 से लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू की गई । लॉकडाउन के दौरान सभी शिक्षण संस्थाएं पूर्ण रूप से बंद कर दी गई। वर्तमान में 1 जून 2020 से अनलॉक किया गया किन्तु शिक्षण संस्थाएं अभी भी बंद है। हालांकि कोविड–19 से बचाव हेतु वैज्ञानिकों द्वारा वैक्सीन बनाने हेतु शोध किए जा रहे हैं एवं वर्तमान में वैक्सीन के परीक्षण हेतु प्रक्रियाएं भी आरम्भ हो चुकी हैं परंतु वैक्सीन परीक्षण की प्रक्रिया जटिल एवं लंबी है, अतः संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए स्वंय सतर्क रहना आवश्यक है।इसलिए अनलॉक के दौरान पालन किये जाने वाले सुरक्षा उपाय एवं दिशा निर्देश जिसमे प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षित है कि वह सामाजिक दूरी के

1. महामारी अधिनियम और 1987 की धारा 2 के अंतर्गत जब राज्य सरकार का किसी समय यह समधान हो जाए कि पूरे राज्य या उसके किसी भाग में किसी खतरनाक महामारी का प्रकोप हो गया है या होने की आशंका है तब राज्य सरकार यदि समझती है कि मौजूदा विधि के साधारण उपबंध इसके लिए पर्याप्त नहीं है तो वह ऐसे उपाय कर सकेगी अथवा ऐसे उपाय करने के लिए किसी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगी और जनता द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा अनुपालन करने के लिए किसी सूचना द्वारा ऐसे अस्थाई विनियम विहित कर सकेगी जिन्हे वह उस रोग के प्रकोप या प्रसार की रोकथाम के लिए आवश्यक समझे तथा यह भी निर्धारित कर सकेगी कि उपगत व्यय (इसके अंतर्गत प्रश्न कर यदि कोई हो तो) किस रीति से और किसके द्वारा चुकाए जाएंगे।
2. शमशाद कुरैशी बनाम भारत संघ, उच्चतम न्यायालय निर्णय दिनॉक 11 मई 2020

नियम का पालन करें, सफाई का ख्याल करें। समय–समय पर हाथों की सफाई एवं सैनिटाइज करें। घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत आवश्यक है, और जब निकले तो चेहरे पर मास्क लगाकर निकले, का पालन करना आवश्यक हैं। इस तरह की कुछ सावधानियां प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षित है जिससे कोरोना महामारी से बचाव किया जा सके। राज्य के तीनों अंग इस परिस्थिति से निपटने हेतु अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं। किन्तु कोरोनाकाल की इन परिस्थितियों में स्वास्थ्य एवं जीविकोपार्जन के साथ ही यदि किसी और अधिकार पर प्रभाव पड़ा है तो वह है शिक्षा का अधिकार। हालांकि सरकार द्वारा स्वास्थ्य एवं जीविकोपार्जन हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे है, परंतु शिक्षा के क्षेत्र मे ऑनलाइन कक्षाओं हेतु प्रयास नगण्य हैं।

f'k{kk dk ekuo vfèkdkj%

मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक मानव को मानव जाति में पैदा होने के नाते प्राप्त है यह अधिकार सर्वभौम हैं क्योकि यह हर व्यक्ति को हर समय एवं हर स्थान पर प्राप्त है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है एवं भारत की सर्वोच्च विधि जो कि भारत का संविधान है, उसमें प्रत्येक नागरिक के लिए समानता, न्याय, स्वतंत्रता एवं सद्भाव के मूल्यों को शामिल किया गया है। भारत संयुक्त राष्ट्र का मूल सदस्य है एवं स्वतंत्रता के पश्चात् भारत द्वारा मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए तथा मानव गरिमा व उसके अधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी भारत ने दिखाई है। भारत द्वारा सयम– समय पर मानव अधिकारों की रक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी अधिकांश संधियों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 10 दिसम्बर 1948 को मानव अधिकार की सर्वभौम घोषणा, जिसका औपचरिक विधिक महत्व भले ही ना हो किंतु इसको मानव अधिकारों के मान्य चार्टर का दर्जा प्राप्त है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के अंतर्गत अनुच्छेद 26[3]में शिक्षा के अधिकार को मानव अधिकार का स्थान प्राप्त है।

भारत के संविधान में भाग 3 को विशेष स्थान प्राप्त है, जो नागरिकों एवं व्यक्तियों के मूल अधिकारों से सम्बंधित हैं। अधिकारों में मुख्यतः स्वतंत्रता, समानता,

3. अनुच्छेद 26(1) प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है । शिक्षा कम से कम प्रारंभिक और बुनियादी अवस्थाओं में निशुल्क होगी। प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य होगी। टेक्निकल, यांत्रिक संबंधी शिक्षा साधारण रूप से प्राप्त होगी और उच्चतर शिक्षा सभी को योग्यता के आधार पर सामान्य रूप से उपलब्ध होगी। अनुच्छेद 26(2) शिक्षा का उद्देश्य होगा मानव व्यक्तित्व का विकास और मानव अधिकारों तथा बुनियादी स्वंतत्रताओं के प्रति सम्मान की पुष्टि। शिक्षा द्वारा राष्ट्रों, जातियों अथवा धार्मिक समूहों के बीच आपसी सद्भावना, सहिष्णुता और मैत्री का विकास करना होगा और शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयत्नों को आगे बढ़ाया जाएगा। अनुच्छेद 26(3) माता पिता का सबसे पहले इस बात का अधिकार है कि वे चुनाव कर सकें कि किस किस्म की शिक्षा उनके बच्चों को दी जाएगी। बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाए, इसका अधिकार उनके माता– पिता को है।

धार्मिक स्वंतत्रता, अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार एवं शोषण के विरूद्ध अधिकारों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही भारत के संविधान में भाग 4 जो नीति निदेशक तत्व के नाम से संविधान का भाग है, उसमे भी नागरिकों के सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों हेतु राज्य का दायित्व एवं समता पूर्ण समाज की स्थापना हेतु प्रावधान किये गये हैं । वर्ष 2002 में भारतीय संविधान के 86 वें संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 3 में अनुच्छेद 21 क[4] को जोड़ा गया एवं इसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को भी मूल अधिकार का स्थान दिया गया। इस संविधान संशोधन के पूर्व भारत की न्यायापलिका द्वारा शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, जो प्रत्येक व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वंतत्रता का संरक्षण प्रदान करता है, के अंतर्गत निर्वचित किया जा रहा था।[5] शिक्षा का अधिकार सभी को हासिल हो इसके लिए संविधान में ही अनुच्छेद45[6] को प्रतिस्थापित किया गया एवं भाग 4 क मूल कर्त्तव्य मे अनुच्छेद 51क (ट) सभी माता–पिता या संरक्षक का मूल कर्तव्य भी शामिल किया गया। अनुच्छेद 51क (ट) के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह यदि माता–पिता या संरक्षक है तो 6 वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें।[7] वर्ष 1993 में भारत की संसद द्वारा मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु एक अधिनियम पारित किया गया जिसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य एवं राष्ट्र के स्तर पर मानव अधिकार आयोग स्थापित करने हेतु प्रावधान किए गए हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इस दिशा मे सार्थक कदम है।

f'k{kk dk ekuo xfjek d fy, egRo%

शिक्षा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा एवं भारत के संविधान के अंतर्गत एक मानव अधिकार एवं मूल अधिकार है। शिक्षा मानव की गरिमा के लिए आवश्यक है ।शिक्षा का क्या महत्व है यह संविधान डॉ भीमराव अंबेडकर द्वारा दिया नारा f'kf{kr gk lxfBr gk] l?k"k djk से विदित होता है। एक शिक्षित व्यक्ति ही एक अच्छे समाज की स्थापना कर सकता है एवं समाज में व्याप्त शोषण एवं भेदभाव

4. राज्य 6 वर्षो से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में, जो राज्य विधि द्वारा आधारित करें, उपबंध करेगा।
5. मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य ए0आई0आर01992 सु0 को0 1858 एवं जे पी उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य ए0आई0आर01993 सु0को 2178 के मामलो में शिक्षा के अधिकार को संविधान क अनुच्छेद 21 अन्तर्गत निर्वचित किया गया जिसके अनुसार शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का भाग है
6. 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध–राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा।
7. भारत के संविधान का अनुच्छेद 51क (ट)

को समाप्त करने हेतु शिक्षा का महत्व सर्वोपरि है । शिक्षा के इसी महत्व को ध्यान मे रखते हुए कोरोनाकाल मे कोरोना के फैलाव को रोकने हेतु जहां एक ओर आवश्यक सेवाओं को छोड़कर , सभी कार्य लगभग बंद किए गए, शिक्षण संस्थाएं बंद की गई किंतु शिक्षण कार्य बंद नही हुआ। शिक्षा के क्षेत्र मे ऑनलाइन शिक्षा पद्धति को लागू करते हुए विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं द्वारा शिक्षा कार्य को अनवरत जारी रखा गया। शिक्षा के महत्व को देखते हुए ऑनलाइन शिक्षा पद्धति एक बहुत अच्छा विकल्प साबित हुई। ऑनलाइन शिक्षा के कारण अनेक छात्रों एवं शिक्षकों द्वारा लॉकडाउन एवं अनलॉक के समय मे इस पद्धति का संपूर्ण लाभ लिय जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन वेबीनार, लेक्चर एवं विभिन्न कार्यक्रम जिसमे देश–विदेश के जाने–माने शिक्षक, वैज्ञानिक एवं छात्र–छात्राएं भाग ले रहे हैं। डिजिटलाइजेशन के इस दौर में न सिर्फ शिक्षा अपितु अन्य कार्य ऑनलाइन होते नजर आ रहे हैं, चाहे वह समाचार पत्र प्रकाशन हो, ऑनलाइन लाइब्रेरी,ऑनलाइन पुस्तकें द्वारा उनकी ऑनलाइन ख्याति भी बड़ी है। ईमेल,व्हाटसएप,गूगल क्लासरूम, जूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफट टीम्स, गो वेबीनार, जित्सी, बेबैक्स आदि अनेकों एप्स के द्वारा शिक्षा एवं ज्ञान का प्रसार हो रहा है। सूचना प्रोद्योगिकी, एवं अंकीय शिक्षा के अभाव में इस तरह के शैक्षणिक एवं अन्य कार्यक्रमों को आयोजन करना एव उसका प्रतिभागी होना अत्यंत कठिन होता है। परंतु इसमें समस्या उन लोगों के साथ भी है जिसके पास डिजिटल साधन एवं उपकरण तो उपलब्ध हैं परन्तु उनको इनका संपूर्ण ज्ञान नहीं है। वह टेक–सेवी नही है जिसके कारण वह इन ऑनलाइन कार्याक्रमों,ऑनलाइन शिक्षा,ऑनलाइन लाइब्रेरी एवं पुस्तकों का भरपूर लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

इस संदर्भ में वर्ष 2015 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अंकीय भारत कार्यक्रम(डिजिटल इंडिया प्रोग्राम) आरंभ किया गया जिसके अंतर्गत अंकीय साक्षरता पर भी जोर डाला गया। अंकीय साक्षरता को गांव तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया था। आज की परिस्थिति में जबकि पूरा देश कोरोनावायरस के भीषण प्रकोप से ग्रस्त है, ऐसे समय मे अंकीय साक्षरता सूचना, संचार एवं प्रौद्योगिकी का महत्व एवं दूर–दराज के गांवो मे सत्यता की स्थिति सामने आ रही है। शिक्षा समाज के विभिन्न आयामों, सांस्कृतिक आर्थिक एव राजनितिक आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण कार्य करती है। समाज के विकास के लिए विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी शिक्षा का विशेष महत्व है। आज विश्व के देश जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी पर आधरित हैं उनके नागरिकों की समृद्धि, कल्याण एवं सुरक्षा का स्तर वहां के शिक्षा के द्वारा ही निर्धारित होता है एवं ऐसे देश निरंतर प्रगति कर रहे हैं जहां शिक्षा का विशेष स्थान है। भारत में भी सूचना एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षण कार्य हेतु शैक्षणिक संस्थाओं में एक अच्छी शुरूआत की गई जिसके अंतर्गत शिक्षकों द्वारा शिक्षण के दौरान विभिन्न उपकरणों

जैसे इंटरएक्टिव बोर्ड, लैपटॉप, एवं प्रोजेक्टर द्वारा पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुतीकरण, इत्यादि मुख्य हैं। किंतु यह सभी सुविधाएं भारत में स्थित सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में जबकि कोरोनावायरस के कारण संपूर्ण देश में लॉकडाउन घोषित किया गया जिसमें सभी शिक्षण संस्थाएं आज भी बंद है उसमे शिक्षा किस प्रकार दी जाए इस पर कोई विशेष नियम एवं सुविधाएं प्रदान नही की गई, जिसका सीधा प्रभाव शिक्षा के मानव अधिकार पर पड़ता है। 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति जारी की गई जिसमें अन्य प्रस्तावों के साथ डिजिटल क्रांति का मुख्य रूप से उपयोग करना, ज्ञान व तकनीक से नवोन्मेषण संभव करना इत्यादि इस नीति के कुछ बेहद मौलिक बिंदु हैं। इस शिक्षा नीति 2020 का ढांचा एकदम विश्व स्तरीय बनाया गया है, जिसकी पुष्टि आने वाले दिनों मे ही की जा सकती है।

vadh; foHkktu dk f'k{kk ij ÁHkko%

भारत में, जहां गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले नागरिकों की संख्या अभी कम नही है, जहां ऑनलाइन शिक्षा पद्धति द्वारा शिक्षण एवं शिक्षित होने हेतु विभिन्न अंकीय सहायताओं एवं उपकरणों की आवश्यकता है, ऐसी स्थिति में ऑनलाइन शिक्षा पद्धति समाज के एक बड़े वर्ग के छात्रों के लिए मात्र दूर की कौड़ी बन कर रह गई है। ऑनलाइन शिक्षा पद्धति मानव के न केवल शिक्षा के अधिकार अपितु मानव गरिमा एवं समानता के अधिकार पर भी प्रभाव डाल रही है।

भारत जो एक गांवों का देश है, आज भी अनेक सुविधाओं से वंचित है। अधिकांश छात्र–छात्राएं जो लॉकडाउन के दौरान अपने घर वापस चले गए हैं। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लागू विभिन्न नियमों के पालन करने हेतु शिक्षक एवं छात्र घर से पढ़ने एवे पढ़ाने के कार्य कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में घर पर ही शिक्षा उपलब्ध कराने हेतुऑनलाइन शिक्षा पद्धति का एक बड़ा सहारा मिल सकता था, परंतु अंकीय विभाजन के कारण यह सुविधा सभी छात्र–छात्राओं को नही मिल पा रही है।

अंकीय विभाजन[8] के अनेक कारण है जिसमें मुख्यतः ऑनलाइन शिक्षा पद्धति मे प्रयोग हेतु उपकरण एवं अन्य आवश्यताएं जैसे मोबाइल, लैपटॉप, कम्प्यूटर, इंटरनेट टेलीविजन, रेडियों एवं विद्युत आपूर्ति मुख्य है। आज भी यदि हम देखें तो गांव में रहने वालों को विद्युत आपूर्ति तक सुलभ नहीं है। ऑनलाइन शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अंकीय पहल करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों जैसे स्वयं, स्वयंप्रभा,

8. अंकीय विभाजन का उद्‌भव 1990 से 1995 के मध्य हुआ। इसका अर्थ एक ऐसी पृथक दरार से है जिसमे वह लोग जो सूचना प्रोद्योगिकी में पहुंच रख सकते हैं एवं जो सूचना प्रौद्योगिकी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।

डीटीएच दूरदर्शन चैनल, दीक्षा पोर्टल, यूटयूब चैनल, मूक्स, (MOOCs), ई पाठशाला, इपीजी पाठशाला, नेशलन एकेडमिक डिपॉजिटरी इत्यादि को प्रारंभ किया गया है। किन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इन कार्यक्रमों का लाभ वही छात्र उठा सकते हैं जिसके पास ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने हेतु सभी साधन एवं उपकरण आदि उपलब्ध हो। निर्विघ्न विद्युत आपूर्ति, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर के साथ ही तेज गति से चलने वाला इंटरनेट भी उपलब्ध हो। इनके अभाव मे छात्रों को अंकीय विभाजन की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना काल मे शिक्षा का मानव अधिकार ऑनलाइन शिक्षा पद्धति एवं अंकीय विभाजन के मध्य एक कठिन समस्या का कारण बन चुका है। शिक्षा प्राप्त करना जो कि एक मानव अधिकार है, परंतु आज की परिस्थिति में ऑनलाइन शिक्षा के अवसर सभी को समान रूप से उपलब्ध नही हो रहे हैं। यह अंकीय विभाजन की स्थिति न सिर्फ असमानता एवं बुद्धिमान छात्रों को हतोत्साहित कर रही है बल्कि छात्रों द्वारा आत्महत्या तक जा रही है । केरल राज्य के मालापुरम जिले मे कक्षा 9 की एक छात्रा, देविका बालाकृष्णन, जो मात्र 14 बर्ष की थी, के द्वारा 1 जून 2020, को आत्महत्या की गई, जिसका कारण उस छात्रा के पास ऑनलाइन कक्षांए करने हेतु स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं था और उसके पिता जो कि एक मजदूर थे, उसको स्मार्टफोन नहीं दिला सके।[9] हावड़ा के एक ट्रक ड्राइवर की बेटी शिवानी ने, जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में कक्षा 10 में पढ़ती थी, कंप्यूटर एवं स्मार्टफोन के अभाव में ऑनलाइन कक्षाएं ना कर पाने के कारण आत्महत्या कर ली।[10] 15 वर्ष के छात्र द्वारा चिरांग जिले में स्मार्टफोन के अभाव में ऑनलाइन कक्षाएं ना कर पाने के कारण आत्महत्या की गई।[11] इस तरह अनेक आत्महत्याएं बच्चों द्वारा की जा रही है, जिन्हें ऑनलाइन कक्षाएं करने के लिए उपकरण एवं साधन उपलब्ध नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ [12] के बाद में संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) एवं 19(1) (च) के अंतर्गत प्राप्त स्वतंत्रता को इंटरनेट के माध्यम से संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है।

उचित प्रशिक्षण के अभाव में शिक्षकों का ऑनलाइन शिक्षा पद्धति द्वारा शिक्षण कार्य एवं छात्रों का शिक्षा ग्रहण करना भी स्वयं में अंकीय विभाजन का एक बहुत बड़ा कारण बन कर सामने आया है। विभिन्न अंकीय उपकरण एवं साधन होने के बावजूद टेक सेवी ना होना, अंकीय विभाजन का कारण है। ऑनलाइन कक्षाओं के लिए आवश्यक है कि शिक्षक एवं छात्र दोनो ही टेक सेवी हो एवं विभिन्न अंकीय साधन एवं उपकरण जिनकी ऑनलाइन कक्षा के लिए आवश्यकता है उनकी उपलब्धता हो।

9. available at newindiaexpress.com accessed on August 2,2020 at 12:40 a.m.
10. available at timeofindia.indiatimes.com accessed on August 2,2020 at 12:40 a.m.
11. available at nenow.in accessed on August 2,2020 at 12:45 a.m
12. ए0आई0आर0 2020 सु0को01308 फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल बनाम भारत संघ निर्णय दिनांक 11/5/2020 सु0को0 फहीमा शीरीन बनाम केरल राज्य, निर्णय दिनांक 19/09/2019 केरल उच्च न्यायालय)

साथ ही शिक्षक एवं छात्र दोनों के पास एक की ऐप (App) हो जिस पर शिक्षक द्वारा कक्षाएं ली जा सकें। उत्तर प्रदेश में परिषदीय स्कूलों के विद्यार्थियो को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए शिक्षको का प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है, अभी इस तरह के प्रशिक्षण का अन्य स्तरों पर अभाव है।

ऑनलाइन कक्षाओं का एक प्रभाव छात्रों एवं शिक्षकों पर उनके स्वास्थ्य पर भी दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन कक्षाओं एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों से शिक्षकों एवं छात्रों का स्क्रीन देखने का समय बढ़ गया है जिससे आंखों पर भी बुरा असर होना स्वाभाविक है। कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा छोटे बच्चों की ऑनलाइन कक्षाओं पर रोक लगाना स्वास्थ्य की दृष्टि से एक उचित कदम प्रतीत होता है, परंतु शिक्षा के महत्व को देखते हुए यह आवश्यक है कि ऑनलाइन आभासी कक्षा के अतिरिक्त दूसरे साधनों को भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयोग में लाएं।

fu"d"k%

अतः निष्कर्ष मे यह कहना समीचीन है कि कोरोनावायरस के कारण जहां एक ओर समस्त विश्व में रहने वाले सभी लोगों का जीवन, जीवन जीने का तरीका इत्यादि बदल चुका है, ऐसी स्थिति में शिक्षा पद्धति में बदलाव भी आवश्यक है । शिक्षा के अधिकार में तकनीक द्वारा शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार समय की आवश्यकता है। आज विश्व में सूचना एवं प्रौद्योगिकी का स्तर देखते हुए शिक्षा के मानव अधिकार की संपूर्ण सुरक्षा एवं संरक्षण कोई कठिन कार्य नहीं है, किन्तु इसके लिए शिक्षा पर व्यय को बढ़ाकर अंकीय विभाजन को रोका जा सकता है । इस हेतु भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में प्रावधानित डिजिटल क्रांति का अतिशीघ्र लागू किया जाना आवश्यक है। भारत सरकार की सभी के लिए शिक्षा नीति, एवं विभिन्न कार्यक्रम जिनके द्वारा शिक्षा का मूल अधिकार प्राप्त हो सकेगा, प्रयास आवश्यक है। साथ ही अंकीय विभाजन को दूर करने हेतु भी कदम उठाने आवश्यक है जिससे भविष्य में छात्र–छात्राएं हतोत्साहित होकर आत्महत्याओं की तरफ अग्रसर न हों। शिक्षकों एवं छात्रों में ऑनलाइन कक्षाओं हेतु कार्यशालाओं का आयोजन अति आवश्यक है। आज जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का समय है, हमें भी इस दिशा में अपनी शिक्षा पद्धति को तैयार करना आवश्यक है। शिक्षा के मानव अधिकार की परिभाषा में बदलाव की आवश्यकता है। ऑनलाइन कक्षाओं की सार्थकता एवं उपयोगिता तभी संभव हो पाएगी जब शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों को ऑनलाइन कक्षाओं में प्रयोग आने वाले उपकरणों एवं संसाधनों के साथ उनके प्रयोग हेतु प्रशिक्षण भी प्राप्त हो। अन्यथा की स्थिति में शिक्षा का मानव अधिकार मानव के लिए एक सार्वभौम उद्घोषणा ही रह जाएगी।

• • •

कोविड–19 महामारी में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सक्रिय भूमिका

Mk- vfuyk•

lkj %

मानव अधिकार ऐसे अधिकार हैं, जो मानव के जन्म से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक व्यक्ति के लिये जरूरी हैं। यह वह अधिकार है जो मानव होने के नाते उसे प्राप्त होते है। व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में इन अधिकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध में जिस तरह से नरसंहार हुआ तथा मानव अस्तित्व को खतरा पैदा किया, उसकी क्रूरता की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए विश्व समुदाय द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1948 में अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया गया तथा उसके पश्चात मानव अधिकार से जुड़े हुए कई अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा का निर्माण किया। भारत हमेशा से ही अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ विश्व शांति एवं मानव अधिकारों के संरक्षण में अग्रणी देश रहा है। अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं एवं भारतीय संविधान के मूल उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए सन् 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अपनी स्थापना से ही भारतीय नागरिकों के मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु अनवरत कार्यरत है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी एवं लॉकडाउन में मानव अधिकार के मुद्दों पर आयोग द्वारा जो कार्य किए गए, उन कार्यों एवं भूमिकाओं का विश्लेषण इस आलेख के माध्यम से करने का प्रयास किया है।

cht 'kCn % प्रसंविदा, वैश्विक, वॉलिंटियर्स, समुदाय, बुनियादी, अधिकार, व्यक्तित्व, लॉकडाउन, महामारी, न्याय, पलायन ।

mís'; ,o a vè;;u çfofèk % राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा कोरोना काल में मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु निभाई जा रही भूमिका की स्थिति का विश्लेषण करना, इस आलेख का मुख्य उद्देश्य रहा है। आलेख उद्देश्यपूर्ण निर्देशन पद्धति द्वारा चयन किए गए द्वितीयक तथ्यों के विश्लेषण पर आधारित हैं। आयोग के प्रकाशित आंकडे एवं रिपोर्ट का अध्ययन प्रतीकात्मक आधार पर प्रस्तुत किया गया, जो परिस्थितियों के साक्ष्य हैं।

• सहायक आचार्य, डॉ. अनुश्का विधि महाविद्यालय, ट्रांसपोर्ट नगर के पास, प्रतापनगर, उदयपुर (राज.)

व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण एवं सामाजिक न्याय की प्राप्ति में मानव अधिकारों की नितांत आवश्यकता रहती है। मानव अधिकार जन्म से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक व्यक्ति के लिए अति आवश्यक होते है। मानव अधिकार का संबंध मानव के विकास क्रम के साथ जुड़ा हुआ है। मानव को मानव बने रहने के लिए कुछ मूलभूत अधिकारों की आवश्यकता होती है, इन अधिकारों को सामान्य रूप से मानव अधिकार कहा जाता है। इसलिए समाज और राष्ट्र का यह दायित्व बन जाता है कि वह उस समाज और राष्ट्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति/नागरिक को यह मूलभूत अधिकार उपलब्ध कराये। मानव ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जब से विकास प्रारंभ किया, तब से कई सामाजिक समस्याएं भी उसके साथ उत्पन्न हुई हैं। आज विश्व का अधिकांश भाग गरीबी, कुपोषण, शोषण, हिंसा, अलगाव, निरक्षरता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन, सामाजिक न्याय पर कुठाराघात, सांप्रदायिकता, राज्य पोषित शोषण, आतंकवाद, जाति एवं प्रजाति भेदभाव, लैंगिक विषमता, विस्थापन और वैश्विक महामारी आदि अनेक समस्याओं की गिरफ्त में है। इन सामाजिक समस्याओं के कारण मानव अधिकार पर हमेशा संकट के बादल मंडराते रहे है।

मानव अधिकार उपलब्ध कराने का प्रयास इंग्लैण्ड में मैग्नाकार्टा, अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स और फ्रांस का मानव अधिकार चार्टर आदि के निर्माण के साथ प्रारंभ हुआ1। यह प्रयास सीमित थे, जिसके कारण विश्व युद्ध में मानव अधिकारों का खुलकर उल्लंघन हुआ। जब विश्व समुदाय ने विश्व युद्ध में मानव जन की बर्बरता और निर्ममता देखी तब महसूस हुआ कि मानव अस्तित्व के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की जरूरत है ताकि मानव अधिकारों को संरक्षण दिया जा सके। इस हेतु विश्व स्तर पर प्रयास किया गया और इन्हीं प्रयासों के परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी स्थापना से अंतरराष्ट्रीय समुदाय की बदलती परिस्थितियों के अनुसार मानव अधिकार से जुड़े हुए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा एवं घोषणा पत्र के माध्यम से संरक्षण के लिए प्रयासरत रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने चार्टर की उद्देशिका में ही मानव शांति एवं मानव अधिकारों की सुरक्षा को प्रमुखता से रखा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों से 10 दिसंबर, 1948 को मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र2 के रूप में अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष एक अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज उपलब्ध कराया। इसी क्रम में आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों की अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा3 1966, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों की अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा4 1966 एवं तेहरान घोषणा पत्र5 1968 जैसे मानव अधिकार से जुड़े हुए कई अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा तैयार की जिस पर भारत ने हस्ताक्षर कर अपनी सहमति प्रदान की थी।

अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा एवं सम्मेलनों की अनुपालना में भारत सरकार ने मानव

अधिकार संरक्षण अधिनियम6, 1993 प्रवृत्त किया गया। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का मुख्य उद्देश्य मानव अधिकारों के संरक्षण, संवर्धन एवं उनके प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने हेतु उपबंध करना है। इसी प्रयोजन हेतु मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्यों में राज्य मानव अधिकार आयोग और मानव अधिकार न्यायालय का गठन करने का प्रावधान किया गया। आयोग पिछले 27 वर्षों से भारत के नागरिको की गरिमा और आत्मसम्मान से परिपूर्ण जीवन की आकांक्षाओं को पूरा करने तथा मानव अधिकारों की सुरक्षा एवं संवर्धन के लिए कार्यरत है। आयोग मानव अधिकार दृष्टिकोण, जागरूकता एवं संवेदनशीलता उत्पन्न करने की दिशा में कार्यरत है। आयोग को समझने के लिये हमें उसकी विशेषताओं को समझना अति–आवश्यक है जो इस प्रकार हैं–

jk"Vªh; ekuo vfèkdkj vk;ksx dh fo'ks"krk,¡ &

- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक स्वायतशासी एवं संवैधानिक निकाय है।
- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत आयोग को एक सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त हैं।
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक सक्षम जवाबदेही और आधिकारिक संस्था है।
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है।
- इस संस्था को मानव अधिकार मुद्दों पर निर्णय करने तथा विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है।
- आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को समयावधि पूर्व केवल राष्ट्रपति के आदेश से ही हटाया जा सकता है।
- सरकार अथवा प्राधिकारी को पीड़ित के पक्ष में कार्यवाही का आदेश देने का अधिकार प्राप्त है।

कोविड–19 वैश्विक महामारी मानव जीवन के अस्तित्व एवं स्वास्थ्य के लिए विश्व समुदाय के समक्ष गंभीर चुनौती बनकर खड़ी है। मानव समुदाय पर इस वैश्विक महामारी का असर दिखने लगा है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक प्रभाव के साथ साथ मानव अधिकारों पर भी काफी प्रभाव पड़ा है। भारत में इस वैश्विक महामारी7 ने 30 जनवरी 2020 को प्रवेश किया। आज भारत का हर राज्य इस महामारी की गिरफ्त में आ चुका है तथा लगातार इसका फैलाव हो रहा है।

इस गंभीर एवं संक्रामक वायरस ने सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं रोजगार पर बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। वर्षों से रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्र से लोग शहरी क्षेत्र में पलायन करते रहे। जैसे–तैसे वे अपने परिवार का भरण पोषण करने के जुगाड़ में लगे हुए थे। वैश्विक महामारी ने कई वर्षों में पलायन हुए लाखों–करोड़ों लोगों को चंद दिनों में सब कुछ छोड़कर अपने मूल स्थान को पुनः जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस वैश्विक महामारी ने भारतीय नागरिकों को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा द्वारा घोषित मानव अधिकार तथा संविधान द्वारा प्रदत मौलिक अधिकारों के उपयोग एवं संरक्षण पर कई प्रकार की चुनौती पैदा कर दी। इस विषम परिस्थिति में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अपने उद्देश्य को पूरा करने में कटिबद्ध रूप से मानव अधिकार के संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य करता रहा है।

y,dMkmu e vk;kx dh lfØ; Hkfedk %

केंद्र सरकार द्वारा 25 मार्च 2020 को संपूर्ण भारत में लॉकडाउन8 लगा दिया गया। लॉकडाउन के दौरान अति–आवश्यक सेवाओं को छोड़कर समस्त प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था का कामकाज ठप हो गया था। आवागमन के समस्त संसाधनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा संपूर्ण जीवन अस्त व्यस्त हो गया। सभी निजी एवं सार्वजनिक संस्थान लॉकडाउन के दौरान बंद कर दिए गए। इस संकट की घड़ी में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मानव अधिकार मुद्दों पर सुनवाई का कार्य अनवरत जारी रखा। आयोग ने यह साबित कर दिया कि विषम परिस्थिति में भी नागरिकों के मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु तत्पर रहेगा। कोरोना काल में राष्ट्रीय मानव अधिकार द्वारा निभाई गई अमूल्य भूमिका को निम्न दर्ज परिवाद एवं सुनवाई (निस्तारण) के सांख्यिकी आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है, जो इस प्रकार है

lkj.kh&1

dkjkuk dky ¼dkfoM&19½ e nt ,o fuLrkfjr ifjokn 9

Ø- l-	ekg	dy nt ifjokn	fuLrkfjr ifjokn ¼u, ,o ijkuk½
1	अप्रैल, 2020	2582	399
2	मई, 2020	3998	5433
3	जून, 2020	6668	6097
4	जुलाई, 2020	6670	7421
	कुल	19918	19350 (97.15 प्रतिशत)

कोविड–19 संक्रमण के बढ़ते प्रकोप एवं गंभीरता को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया। इस लॉकडाउन में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा लगातार सुनवाई करके मानव अधिकार के संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य किया गया। 1 अप्रैल से 31 जुलाई, 2020 के मध्य आयोग ने कुल 19918 परिवाद दर्ज किए। दूसरी तरफ दर्ज परिवादों के निस्तारण में भी अपनी सक्रिय भूमिका को दर्ज किया है। कुल दर्ज परिवादो एवं पुराने परिवादों को जोड़कर कुल 19350 परिवाद का निस्तारण कर पीड़ित पक्षकारों को न्याय पहुंचाने का कार्य किया गया। उल्लेखित तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि आयोग ने अपने दर्ज परिवादो का निस्तारण तीव्र गति से किया है, जो संख्या की दृष्टि से 97.15 प्रतिशत है।

lkj.kh&2

vk;ksx dh Lor% laKku ¼Loizsj.kk½ ,oa ekuo vf/kdkj j{kd ls ntZ ,oa fuLrkfjr ifjokn 10

Ø- la-	Ekkg	dqy ntZ ifjokn	fuLrkfjr ifjokn ¼u, ,oa iqjkus½
1	अप्रैल, 2020	07	–
2	मई, 2020	17	06
3	जून, 2020	13	05
4	जुलाई, 2020	14	22
	कुल	51	33 (64.70 प्रतिशत)

मानव अधिकार से जुड़े मुद्दों पर मीडिया में छपी खबरों को भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग स्वतः संज्ञान लेकर परिवाद के रूप में दर्ज करता है। मानव अधिकार रक्षक (कार्यकर्ता) द्वारा आयोग के संज्ञान में लाई गई शिकायतों को भी परिवाद के रूप में दर्ज करता है। इस तरह से आयोग मानव अधिकार से जुड़े मुद्दों पर अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन करते हुए मानव अधिकारों को संरक्षण देने का प्रयास करता है। इस कोविड–19 महामारी काल में आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान एवं मानव अधिकार रक्षक द्वारा संज्ञान में लाए गए मानव अधिकार मुद्दों के कुल 51 परिवाद इन 4 माह में दर्ज किए। इसी अवधि के भीतर इस श्रेणी के दर्ज नए एवं पुराने कुल 33 परिवादों का निस्तारण किया गया। उल्लेखित तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पीड़ित पक्ष द्वारा शिकायत दर्ज करवाने का

इंतजार किए बिना स्वतः संज्ञान (स्वप्रेरणा) या अन्य माध्यम से संज्ञान में आने के बाद मानव अधिकार के संरक्षण के लिए एक कदम आगे बढ़कर अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन करता है। संख्या की दृष्टि से इन 4 माह में कुल दर्ज परिवादों के अनुपात का 64.70 प्रतिशत निस्तारण किया गया। इतने परिवादों का निस्तारण करके आयोग ने यह साबित कर दिया कि त्वरित न्याय उपलब्ध कराना भी एक मानव अधिकार संरक्षण का भाग है।

lkj.kh&3

fuLrkfjr ifjokn e fnykbl xbl vkfFkd lgk;rk11

Ø- l-	Ekg	ifjokn dh l[;k	d|y vkfFkd lgk;rk jkf'k
1	अप्रैल, 2020	—	—
2	मई, 2020	09	23,00,000
3	जून, 2020	04	6,50,000
4	जुलाई, 2020	27	75,50,000
	कुल	40	1,05,00,000

पीड़ित व्यक्तियों को समय पर न्याय मिले, इस लक्ष्य के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग हमेशा तत्पर रहा है। इसीलिए आयोग ने दर्ज परिवादों पर अति–शीघ्र कार्रवाई कर बहुत ही कम समय में पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने में सक्रिय भूमिका निभाई हैं। कोरोना काल के इन 4 माह की अवधि के भीतर कुल 19383 परिवादों का निस्तारण किया, जिसमें से 40 परिवादों में पीड़ित पक्ष को आर्थिक सहायता दिलवाई। यह आर्थिक सहायता के रूप में कुल 1,05,00,000 रुपए की है। इससे स्पष्ट है कि आयोग ने कोरोना काल में निष्पक्ष जांच, मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन तथा नुकसान की क्षतिपूर्ति दिलाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है।

dkjkuk dky e Lor% lKku dh igy %

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मीडिया में छपी रिपोर्ट एवं मानव अधिकार रक्षक द्वारा आयोग के संज्ञान में लाई गई शिकायतों के आधार पर 1 मई 2020 से 31 जुलाई 2020 के मध्य मानव अधिकार मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र एवं राज्य सरकारों को नोटिस देकर पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने एवं मानव अधिकार संरक्षित

करने का निरंतर कार्य किया। आयोग की इस तरह कई पहल हुई हैं, जिसमें से कुछ दस्तावेजी तथ्यात्मक जानकारी उदाहरणार्थ प्रस्तुत है –

- dUukSt ftyk vLirky esa M,DVjksa dh ykijokgh ds dkj.k ,d cPps dh ekSr ds ekeys esa mÙkj çns'k ljdkj ds eq[; lfpo dks uksfVl12 & उत्तरप्रदेश के कन्नौज जिला अस्पताल में डॉक्टरों की अनुपस्थिति के कारण समय पर इलाज नहीं मिलने से 1 साल के बच्चे की मौत हो गई, जिसकी रिपोर्ट मीडिया में छपी। आयोग द्वारा मीडिया की रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर संबंधित अस्पताल के दोषी डॉक्टरों/ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा राज्य सरकार द्वारा मृत बच्चे के परिवार को दी गई राहत की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। आयोग ने समाचार की रिपोर्ट के तथ्यों के आधार पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि बच्चे की इलाज के अभाव में मौत होना मानव अधिकार के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। यह भी कहा कि हाल के दिनों में डॉक्टरों द्वारा मरीजों के इलाज में कथित लापरवाही और इलाज से इनकार करने का यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के कई समाचार एवं शिकायतें मिल चुकी हैं। आयोग ने यह भी कहा कि जब देश कोविड–19 वायरस से उत्पन्न महामारी से लड़ रहा है, ऐसे संकट के दौर में जरूरतमंदों के प्रति डॉक्टरों एवं चिकित्सा कर्मियों की लापरवाही और गंभीर हो जाती है। अस्पतालों में चिकित्सा उपचार से इनकार करना मानव जीवन को संकट में डालता है तथा जीवन और बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन है (2 जुलाई 2020)।
- dksfoM&19 ds nkSjku ejhtksa dk ços'k ,oa mipkj ls oafpr djus dh f'kdk;rsa ij vk;ksx ds lnL; ने vLirky dk nkSjk fd;k13 & मीडिया की विभिन्न रिपोर्ट में दिल्ली के अस्पतालो के संदर्भ में कई शिकायतें प्रकाशित हुई, जिस पर आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अस्पताल का दौरा करने का निर्णय लिया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम के सदस्य श्रीमती ज्योतिका कालरा ने कोविड–19 के मरीजों की सुविधाओं के आकलन के लिए एल.एन.जे.पी. अस्पताल, नई दिल्ली का दौरा किया। आयोग की टीम ने अस्पताल प्रशासन, डॉक्टरो, कर्मचारियों और मरीजों के साथ बातचीत कर यह पता लगाने का प्रयास किया कि बेड उपलब्ध होने के बावजूद भी मरीजों को बेड और उपचार से वंचित तो नहीं किया जा रहा है। टीम ने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिया कि किसी भी गंभीर मरीज

को भर्ती करने से वंचित नहीं किया जा सकता है। टीम ने अस्पताल में पड़े खाली बेड के संबंध में भी विस्तृत जानकारी हासिल की तथा अस्पताल प्रशासन से मीडिया की विभिन्न रिपोर्ट पर विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी हासिल की थी तथा अस्पताल के प्रवेश द्वार पर मरीजों से संबंधित दिशा निर्देश देने वाले उचित सूचना बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। टीम ने कहा कि आयोग द्वारा इस वैश्विक महामारी के मद्देनजर विभिन्न अस्पतालों का दौरा किया जाता रहेगा। इस तरह से आयोग ने इस वैश्विक आपदा में अपनी सक्रिय भूमिका को निभाया है (11 जून, 2020)

- mÙkj çns'k ds ckfydk vkJ; xg ds ekeys esa e[; lfpo vkSj Mh-th-ih- dks 57 ukckfyx yMfd;ksa dh fjiksVZ ds lcèk esa ukfVl14 – उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में राज्य द्वारा संचालित बालिका आश्रम में कोरोना वायरस फैलने के बाद भी कोरोना की जांच में हुई देरी एवं 5 बच्चियां गर्भवती तथा एक एच.आई.वी. पॉजिटिव पाई जाने की खबर समाचार–पत्र में छपी। इस पर आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव एवं डी.जी.पी. को एक नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। आयोग ने घटना की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि इस संपूर्ण घटनाक्रम की एक स्वतंत्र जांच एजेंसी से मामले की जांच करवाई जाए तथा भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृति ना हो इसकी पुख्ता व्यवस्था की जाए। इस नोटिस के माध्यम से जवाब मांगा गया कि सभी लड़कियों के स्वास्थ्य की स्थिति, उनके चिकित्सा उपचार तथा उन्हें दी गई काउंसलिंग की विस्तृत रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करें। आयोग ने लिखा है कि आश्रय–गृह के मामले में लोक सेवक पीड़ित लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहे हैं। लड़कियों के जीवन, स्वतंत्रता और सम्मान के अधिकार की रक्षा में यह गंभीर लापरवाही हुई हैं। (22 जून 2020)

- lMdks ij iM+s ,x, yk'kks dks Rofjr fpfdRlk lfoèkk vkSj e`r 0;fä ;ks dks xfjek çnku djus ds fy, vko';d fn'kk funs'k nsrs g,, uxj fuxe ds vè;{k ,oa iqfyl egkfuns'kd dks ukfVl15 & मीडिया रिपोर्टों के आधार पर आयोग के संज्ञान में आया कि उत्तरप्रदेश के बलरामपुर जिले में सरकारी कार्यालय के पास एक व्यक्ति का शव मिला। जिसे नगर निगम द्वारा कचरा उठाने वाली गाड़ी में डंप किया था तथा दूसरी तरफ कुछ पुलिसकर्मी मूकदर्शक बने खड़े थे, जिसका वीडियो वायरल हो चुका था। आयोग ने इस अमानवीय दृश्य का स्वतः संज्ञान लेते

हुए नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट एवं कार्यवाही 4 सप्ताह में मांगी गई। घटना पर आयोग ने कहा लोक सेवकों से यह उम्मीद नहीं की जा सकती हैं कि वह मृतक के शरीर के प्रति इस तरह से उपेक्षा करें। मूकदर्शक खड़े होकर लोक सेवक द्वारा इस तरह घटना को देखते रहना शर्मनाक और अमानवीय तरीका हैं। एक मृत मानव का शरीर हमेशा एक सम्मानजनक अंतिम–संस्कार का हकदार होता है। पुलिस और नगरपालिका कर्मचारी द्वारा अपनाए गए इस दृष्टिकोण को एक सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस तरह से लोक सेवक ना केवल अपना कर्तव्य निभाने में विफल रहे हैं बल्कि मानव अधिकार उल्लंघन की भी सीमा पार कर गए हैं। यह सभ्य समाज में मानव अधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा हैं (12 जून, 2020)

- LokLF; dfel;k ds fy, efMDyse i,fylh ds fy, bdkj djus ,o mPp çhfe;e ekxus dh lpuk ij fn;k ukfVl16 & कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव की रोकथाम के लिए लगे हेल्थकेयर वर्कर, चिकित्सक एवं इससे जुड़े लोगों के बीमा दावों का स्वीकार ना करने, नवीन मेडिकल पॉलिसी के लिए भी इनकार करना या उनसे उच्च प्रीमियम की मांग करने की सूचना समाचार–पत्र में छपी। जिस पर आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बीमा विनियामक के अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त मंत्रालय के सचिव को नोटिस जारी कर इस पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया । आयोग ने माना कि जहां कोविड–19 के मामलों में वृद्धि हो रही है, तब सरकार को निजी स्वास्थ्य सेवको के लिए बीमा कवर पर थोड़ी स्पष्टता प्रदान करनी चाहिए। इस महामारी की अवधि में देश को सबसे अधिक स्वास्थ्य सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता हैं। बीमा कंपनियों द्वारा कोरोना योद्धाओं/कोरोना वॉलिंटियर्स को बीमा दावों से इनकार करना, निश्चित रूप से उनके मनोबल को नीचे गिराने का कृत्य हैं और इसका दुष्परिणाम अंततः आम जनता को भुगतना पड़ेगा। इस तरह से आयोग ने इस मुद्दे को मानव अधिकार का उल्लंघन मानते हुए हस्तक्षेप करना उचित माना (10 जून 2020)।
- dkfoM&19 egkekjh ds nkjku vLirky dh vfu;ferrk] cM dh vuiyCèkrk] lfiy dh vi;kIr l[;k] c<rh ekr] e`rd ds vfre lLdkj e njh vkfn v0;oLFkkvk ij ukfVl17& आयोग को शिकायतकर्ता श्री अजय माकन ने विभिन्न तथ्यात्मक रिपोर्ट पर एक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया कि दिल्ली में

कोविड–19 रोगियों के लिए अस्पताल में बेड उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं तथा कोरोना की जांच संबंधी संसाधन अपर्याप्त संख्या होने के कारण आम जनता को काफी कठिनाई हो रही है। कोरोना से मरने वाले मृतकों के शरीर पर परीक्षण में भी डब्ल्यूएचओ के मानदंडों का उल्लंघन हो रहा है। इन सभी आरोपों के साथ शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने इसे गंभीर मुद्दा माना तथा उठाए गए मुद्दों पर प्रभावी कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आयोग ने नोटिस देख कर 10 दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया। आयोग ने नोटिस में टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली राज्य के नागरिकों को इलाज के अभाव में मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। अतः शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप का बिंदुवार जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया (10 जून 2020)।

- dkfoM&19 y,dMkmu d nkjku lMdk ij ?keu oky ekufld :i l chekj ykxk d ekuo vfèkdkj d lj{k.k gr dæ ljdkj l tokc ekxk18 % भारत में लॉकडाउन के दौरान विभिन्न शहरों में मानसिक रूप से बीमार लोग सड़कों पर इधर–उधर घूम रहे हैं। उनके स्वास्थ्य, भोजन एवं देखभाल की व्यवस्था करवाने हेतु आयोग को एक शिकायत के माध्यम से ध्यान आकर्षित किया। जिस पर आयोग ने संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान करने तथा 2 सप्ताह के भीतर उनके लिए किए गए प्रबंधों के संदर्भ में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। आयोग ने मानसिक रूप से बीमार लोगों के मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु, उनकी व्यक्तिगत देखभाल, कोरोना संक्रमण से सुरक्षा, उचित परामर्श, भोजन, आश्रय एवं चिकित्सा देखभाल जैसी बुनियादी सुविधाओं एवं अधिकारों से वंचित ना हो, इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा इस विषम परिस्थिति में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता से आगाह किया। आयोग ने यह कहा कि इस विकट परिस्थिति में राज्य का कर्तव्य ऐसे कमजोर वर्ग एवं मानसिक बीमार व्यक्तियों के लिए भोजन, आश्रय और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है (10 अप्रैल 2020)।

- प्रवासी मजदूरों की आवागमन व्यवस्था, भोजन, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी से हो रही बीमारी एवं मौतों पर दिया नोटिस19 : लॉकडाउन के दौरान मजदूर पलायन के कारण आवागमन में हो रही अव्यवस्थाओं, पर्याप्त ट्रेन व्यवस्था ना होने, मजदूरों को गंतव्य तक पहुंचने

में लग रहे अतिरिक्त समय, यात्रा के दौरान पीने के पानी एवं भोजन आदि की व्यवस्था नहीं होने, ट्रेन के पहुंचने वाले गंतव्य के स्थान पर किसी अन्य गंतव्य स्थान पर पहुंच जाने, यात्रा के दौरान मजदूरो में फैल रही बीमारियां और उसके कारण मृत्यु आदि मुद्दों पर लगातार मीडिया में रिपोर्ट प्रकाशित हो रही थी। जिस पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए रेलवे बोर्ड, केंद्रीय गृह मंत्रालय, गुजरात एवं बिहार सरकार को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। आयोग ने यह भी कहा कि मीडिया रिपोर्ट में छपी खबरों में यदि सच्चाई हैं तो मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन हो रहा है तथा गरीब मजदूरों के जीवन की रक्षा करने में राज्य विफल रहा है। प्रवासी मजदूरों के लिए चिकित्सा सुविधाएं सहित बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएं (28 मई 2020)।

fu"d"kl %

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पिछले 27 वर्षों से भारत के नागरिक की गरिमा और आत्मसम्मान से परिपूर्ण जीवन की आकांक्षा को पूरा करने में निरंतर प्रयासरत हैं। अपनी स्थापना से ही मानव अधिकार से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों, जिनमें जेलो में कैदियों के मानव अधिकार का उल्लंघन, अवैध रूप से बंदी बनाना और प्रताड़ना, पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में बलात्कार एवं मृत्यु, पुलिस एवं सेना की मुठभेड़ में मौत, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन भुगतान में विलंब, बच्चों एवं महिलाओं का यौन उत्पीड़न, मानव तस्करी, किसानों द्वारा आत्महत्या, बच्चों से भिक्षावृत्ति कराना, बच्चों के गुमशुदा होने की घटनाओं में वृद्धि होना, पिछड़े वर्गों, बच्चों, महिलाओं एवं वृद्धजन के साथ हिंसा, निशक्तजन लोगों के साथ भेदभाव आदि पर आयोग कार्य कर रहा है। कोविड–19 महामारी काल में आयोग ने एक कदम आगे बढ़कर नवीन मुद्दों पर अपनी सक्रिय भूमिका निभाई हैं। जिसमें मुख्य रूप से स्वास्थ्य बीमा, कोरोना मरीज के इलाज के लिए बेड की व्यवस्था, कोरोना से होने वाली मौतों का सम्मानजनक अंतिम –संस्कार, कोरोना के कारण पलायन कर रहे मजदूरों के भोजन, पानी एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था आदि सम्मिलित हैं। कोरोना काल में जब देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया था। अतिआवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी को बंद कर दिया गया। यातायात के साधन पर रोक लगा दी गई। इन सभी विषम परिस्थितियों में भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अपने संवैधानिक दायित्व को निरंतर संपन्न करता रहा। आयोग की यह भूमिका इन तथ्यों से स्पष्ट है कि अप्रैल से जुलाई, 2020 की समयावधि में कुल 19918 परिवाद दर्ज किए तथा त्वरित न्याय को प्राथमिकता देते हुए कुल 19350 परिवादों का निस्तारण कर पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य किया।

आयोग ने दर्ज परिवादों के अनुपात में 97.15 प्रतिशत परिवाद का निस्तारण कर यह साबित किया कि समय पर न्याय दिलाया जा सकता है।

आयोग पीड़ित पक्ष की शिकायत या परिवाद प्रस्तुत करने का इंतजार नहीं करता। मीडिया की रिपोर्ट, सोशल मीडिया की रिकॉर्डिंग या फिर मानव अधिकार रक्षक की सूचना के आधार पर स्वतः संज्ञान लेकर परिवाद दर्ज कर दिया जाता और मानव अधिकार के संरक्षण एवं पीड़ितों के न्याय से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश, कार्यवाही करवाने के साथ विस्तृत रिपोर्ट राज्य व केंद्र सरकार से प्रस्तुत करने का आदेश दे दिया जाता है। केवल कोरोना काल के 4 माह में कुल 51 परिवाद का स्वतः संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई के आदेश एवं नोटिस संबंधित प्राधिकारी को दिया तथा इस तरह के कुल 33 परिवादों का निस्तारण भी करके अपनी सक्रिय भूमिका को दर्शाया है। कोरोना काल की चार माह की अवधि के भीतर ही आयोग ने कुल 40 परिवारों में आर्थिक सहायता के रूप में 1,05,00,000 रुपए पीड़ित पक्ष को दिलाने का कार्य किया।

कोरोना काल में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही से हुई बच्चे की मौत पर तख्त टिप्पणी करते हुए जिम्मेदार अस्पताल प्रशासन एवं डॉक्टरों के खिलाफ उचित कार्रवाई के आदेश, कोविड–19 के दौरान मरीजों का अस्पताल में प्रवेश एवं उपचार से वंचित करने की सूचना पर आयोग की टीम का अवलोकन, बालिका आश्रय गृह की नाबालिग बालिका का गर्भवती होना एवं कोरोना वायरस होने की दशा में इलाज नहीं करने की गंभीर लापरवाही पर सख्त रवैया अपनाते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा संपूर्ण घटना की एक स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश, सड़कों पर पाए गए लोगों को त्वरित चिकित्सा सुविधा और मृत व्यक्तियों को गरिमा पूर्ण अंतिम संस्कार करने की जिम्मेदारी का निर्वहन राज्य को करने, स्वास्थ्य कर्मियों को मेडिक्लेम पॉलिसी से इनकार करना एवं उच्च प्रीमियम मांगने पर नोटिस जारी करना, प्रवासी मजदूरों की आवागमन व्यवस्था, भोजन, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने तथा बीमारी और मौत पर उचित उपचार एवं सम्मानजनक अंतिम संस्कार करने का आदेश जैसे असंख्य कार्रवाई एवं नोटिस जारी किए हैं। आयोग द्वारा कोरोना काल में मानव अधिकार संरक्षण के लिए किए गए संपूर्ण कार्यों का यहां पर उल्लेख करना संभव नहीं था, इसलिए उदाहरण स्वरूप आयोग के कुछ कार्यों को उल्लेखित किया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की कार्यक्षमता, संवैधानिक दायित्व के निर्वहन एवं मानव अधिकार सरंक्षण के क्षेत्र में जो भूमिका इस कोरोना काल में देखी गई, वह काबिले तारीफ है। आयोग ने यह भी साबित कर दिया कि देश के नागरिकों

के अधिकारों के संरक्षण की प्रक्रिया को कोई भी विषम परिस्थिति बाधित नहीं कर सकेगी।

l|>ko %

- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के व्यापक कार्यक्षेत्र के अनुपात में मानव संसाधन को बढ़ाने की नितांत आवश्यकता है।
- राज्य एवं केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय मानव अधिकार के आदेशों को क्रियान्वित करने में जो लापरवाही एवं स्थिलता की जाती है, उसे दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- राज्य एवं केन्द्र सरकार को अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों में मानव अधिकार दृष्टिकोण विकसित करने हेतु विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की जरूरत है।

lnHkZ xzFk %

1. राय, डी. : कमेंट्री ऑन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, हिंद पब्लिशिंग हाउस इलाहाबाद, 1999
2. https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights
3. https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cescr.pdf
4. https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
5. http://hrlibrary.umn.edu/instree/l2ptichr.htm
6. https://nhrc.nic.in/acts-&-rules/protection-human-rights-act-1993
7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles
8. https://www.bbc.com/news/world-asia-india
9. https://nhrc.nic.in/complaints/human-right-case-statistics
10. https://nhrc.nic.in/complaints/human-right-case-statistics
11. https://nhrc.nic.in/complaints/human-right-case-statistics
12. https://nhrc.nic.in/media/press-release/nhrc-notice-chief-secretary-government-uttar--pradesh-over-reported-death-child
13. https://nhrc.nic.in/media/press-release/nhrc-team-finds-better-communication-measures--needed-patients-and-attendants
14. https://nhrc.nic.in/media/press-release/nhrc-notice-chief-secretary-and-dgp-uttar-pradesh-over-reports-57-minor-girls
15. https://nhrc.nic.in/media/press-release/nhrc-notice-government-over-reported-dumping--body-garbage-bin-asks-issue
16. https://nhrc.nic.in/media/press-release/nhrc-notice-irda-and-union-finance-ministry-over--reported-refusal-or-high
17. https://nhrc.nic.in/media/press-release/nhrc-notice-delhi-government-and-union-health--ministry-over-serious-allegations

18. https://nhrc.nic.in/media/press-release/nhrc-asks-centre-about-arrangements-made--mentally-ill-people-roaming-streets

19. https://nhrc.nic.in/media/press-release/nhrc-notices-chief-secretaries-gujarat-and-bihar--chairman-railway-board-and

• • •

कोरोना काल में मानवाधिकारः बेगारी, और भूख से परेशान श्रमिक वर्ग के अनुत्तरित सवाल

lnhi HkVV•

मानव समुदाय ने पिछली एक सदी में कोरोना या कोविड–19 जितना भयावह शब्द शायद ही सुना होगा। कोरोना ने समूचे विश्व में भयाक्रांत वातावरण तैयार कर दिया है। एक वैश्विक संकट बन कर सामने आ चुका है। इस संक्रमण को विश्व स्तर पर महामारी घोषित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 14 अगस्त 2020 तक के आंकड़े बताते हैं कि दुनियाभर में कोरोना के मामले 2 करोड़ 60 लाख से भी अधिक हो चुके हैं। इस संक्रमण के चलते अब तक विश्वभर में 7 लाख 50 हजार 4 सौ मौतें हो चुकी हैं। इस महामारी का असर हर क्षेत्र पर पड़ा है। स्वास्थ्य के साथ ही अर्थ जगत पर भी कोरोना संक्रमण का प्रतिकूल असर पड़ा है। उद्योग, अर्थव्यवस्था और व्यापार आदि विषयों पर संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना के कारण दुनिया भर में खरबों डॉलर के अनुमानित नुकसान हुआ है। इसमें यह भी कहा गया है कि इस संक्रमण ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में जबरदस्त मंदी का माहौल बना दिया है। यूएन व्यापार की इस रिपोर्ट में विकासशील देशों के लिए गंभीर चिंताएं जताई गई हैं। इस दस्तावेज में कहा गया है कि कोविड–19 संकट से अभूतपूर्व आर्थिक नुकसान झेल रहे विकासशील देशों में रहने वाली दुनिया की दो–तिहाई आबादी को भीषण आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र ने महामारी के इस दौर में आर्थिक रूप से प्रभावित लोगों के लिए 2.5 ट्रिलियन डॉलर के राहत पैकेज की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) के ताजा विश्लेषण भी इसी तरह की वैश्विक मंदी का जिक्र करते हैं। इन विश्लेषणों में कहा गया है कि निर्यातक देश अगले दो वर्षों में विदेशों से निवेश में दो ट्रिलियन से तीन ट्रिलियन डॉलर की गिरावट का सामना करेंगे।

इस महामारी का सीधा असर आम लोगों के रोजगार पर पड़ा है। यूरोपियन यूनियन की हालिया रिपोर्ट बताती है कि ईयू के सदस्य देशों में कोविड–19 के बाद अप्रैल 2020 तक युवाओं में बेरोजगारी की दर बढ़कर 15.7 तक पहुंच चुकी थी। अमेरिका के ''कांग्रेशनल बजट आफिस'' (सीबीओ) ने मई 2020 में अमेरिका पर कोरोना के आर्थिक प्रभावों से संबंधित आंकड़े पेश करते हुए कहा कि फरवरी 2020 तक वहां बेरोजगारी की दर 3.5 थी जो कि अप्रैल माह तक 14.7 प्रतिशत तक पहुंच गई। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ''आईएलओ'' ने कहा है कोरोना के प्रभाव विनाशकारी

• प्रभारी प्राचार्य, कर्मवीर विद्यापीठ परिसर, मा.च.रा.प. एवं सं. वि.वि., खंडवा, मध्यप्रदेश

हैं और ये अलग–अलग देशों में भिन्न–भिन्न हैं। संगठन ने कहा है कि ताजा आंकड़े बताते हैं कि दुनियाभर में कोरोना के चलते युवाओं में शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार हासिल करने में कई किस्म की बाधाएं आ रही हैं। एशियाई देश भी इसके दुष्प्रभावों से अछूते नहीं हैं। भारत के केंद्रीय बैंक, ''रिजर्व बैंक'' के गवर्नर शक्तिकांत दास ने जुलाई 2020 में कहा कि कोविड–19 पिछले 100 साल में सबसे बड़ा स्वास्थ्य और आर्थिक संकट है। इकॉनोमिक्स टाइम्स में प्रकाशित एक खबर में आरबीआई गर्वनर के वक्तव्य के हवाले से कहा गया है कि उत्पादन, नौकरियों और लोगों की जिंदगी पर इसका अभूतपूर्व असर पड़ा है। इस संकट ने दुनियाभर में मौजूदा अर्थव्यवस्था को जबरदस्त तरह से हानि पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि यह महामारी हमारी संभावित वृद्धि पर कितने लंबे समय तक प्रभाव छोड़ती है, यह आने वाले दिनों में देखना होगा। दुनियाभर में अगर देखें तो कोरोना के चलते करोड़ों लोगों का रोजगार खत्म हुआ है।

कोरोना ने मानवाधिकारों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी असर डाला है। यह ज्ञात विषय ही है कि मानवाधिकार किसी भी मानव के लिए सामाजिक सुरक्षा, व्यक्तिगत और मानवीय गरिमा का जबरदस्त सुरक्षा चक्र हैं। मानवाधिकारों का क्षेत्र बहुत ही व्यापाक है। इन बुनियादी अधिकारों के जरिये ही दुनियाभर में किसी भी इंसान को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय बतौर अधिकार सहज ही मिलते हैं। यह मानवाधिकारों का नितांत लोक कल्याणकारी पक्ष है कि वे आधुनिक राज्य शासित प्रणालियों में हर मनुष्य को अधिकारसंपन्न बनाते हैं। लेकिन अनुभव बताते हैं कि आपदाओं और अस्थिरताओं के दौर में मानवाधिकारों पर निश्चित ही प्रतिकूल असर पड़ता है। कोरोना या कोविड–19 को स्वास्थ्य संबंधी वैश्विक महामारी कहा गया है। इसीलिए सामाजिक, आर्थिक, सामुदायिक और अन्य कई महत्वपूर्ण दृष्टिकोण ों से संवेदनशीलता और गहराई के साथ इस आपदा के विविध पहलू देखने पर सहज ही महसूस हो जाता है कि कोरोना काल में मानवाधिकार प्रभावित हुए हैं। इस संक्रमण का मानवाधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। इसका आंकलन और अध्ययन करने की आवश्यकता है। कोरोना संक्रमण के अब तक के इस पूरे कालखंड में अनेक दृष्टियों से देखे तो भले ही अभी तक ऐसे कोई प्रामाणिक अध्ययन नहीं आए हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स, गैरसरकारी संगठनों और सरकारों के आंकड़ों और जानकारियों हवाले से प्रकाशित खबरों की गहन पड़ताल करने से ज्ञात होता है कि कोरोना ने मानवाधिकारों पर व्यापक तौर पर प्रभाव डाला है। दुनिया के कई देशों में कोविड–19 की स्वास्थ्य आपदा के इस दौर में लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल सकीं। बेहतर नियोजन के अभाव और भय के वातावरण के चलते करोड़ों लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। भारत भी उन देशों में है जहां कोरोना के चलते

मानवाधिकारों पर असर देखने को मिला है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 2(घ) कहती है कि मानवाधिकार ऐसे सांविधानिक अधिकार हैं जो जीवन से संबंधित स्वतत्रंता और व्यक्ति की गरिमा को समाहित करते हैं। विशेष बात यह है कि मानवाधिकारों को अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। विश्व समुदाय में किसी भी तरह के भेदभाव के बिना ही मानवाधिकार प्रत्येक नागरिक के बुनियादी अधिकार हैं। लेकिन अध्ययन बताते हैं कि आपदाओं के समय मानवाधिकार भी प्रभावित होते हैं। सूचनाओं और समाचारों की जानकारियां बताती हैं कि कोरोना की मौजूदा महामारी के दौर में भी मानवाधिकारों से जुड़े कई प्रश्नों के उत्तर खोजे जाने शेष हैं।

भारत भी कोरोना संक्रमण की भयावहता से प्रभावित देशों की सूची में अग्रणी स्थान पर है। अगस्त 2020 के दूसरे सप्ताह के अंत तक भारत में कोरोना के 24 लाख 61 हजार मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं इस संक्रमण से इस अवधि में भारत में 48 हजार से अधिक मौतें हो चुकी हैं। भारत में कोरोना के लक्षणों वाला मामला चीन के वुहान विश्वविद्यालय से आए एक छात्र में पाए गए थे। इस साल की शुरूआत में 28 जनवरी तक भारत में कोरोना संक्रमण के लक्षणों की संभावनाओं के चलते लगभग 450 लोगों को निगरानी में रखने की बात आ रही थी। मार्च 2020 तक आते–आते समूचे भारत में कोरोना के अधिक मामले सामने आने लगे। देश में हर तरह के मीडिया में इस वायरस से फैलने वाले संक्रमण की बिगड़ती स्थितियों की खबरें आने लगीं। इसका परिणाम हुआ कि देश के कई राज्यों और शहरों में लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां बनने लगीं। अनेक मामलों में लॉकडाउन वाली जगहों पर धारा 144 लगाई गई। सरकारों ने आम लोगों से अपने घरों में ही रहने को कहा। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली समेत कुछ और राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ने की खबरें मीडिया में छायी रहीं। हालात की गंभीरता समझते हुए केंद्र सरकार ने शुरूआती चरण में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, जम्मू कश्मीर और नगालैंड में 31 मार्च तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी। केरल के 10, महाराष्ट्र के 10 और मध्य प्रदेश के 9 जिलों में लॉकडाउन घोषित किया गया। उत्तरप्रदेश में 15 जिलों में 23 से 25 मार्च तक लॉकडाउन घोषित किया गया था। इसके बाद देश में अन्य जगहों पर भी लॉकडाउन लगा।

देश में लॉकडाउन दो तरह से लगाया गया, पूर्ण और आंशिक लॉकडाउन। इस दौरान कोरोना से निपटने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें सतत प्रयास करती रहीं। कई राज्यों ने आरंभिक तौर पर अनेक जिलों में लॉकडाउन के साथ कोरोना संक्रमण को रोकने में खासी सफलता भी हासिल की। दूसरी ओर कई जगहों पर यह संक्रमण बहुत ही तेजी से भी फैलता गया। अनेक राज्यों में पूरे राज्य में लॉकडाउन की घोषणा

की गई, वहीं कुछ राज्यों ने केवल अपने कुछ जिलों में ही लॉकडाउन लगा। सरकारों की ओर से कहा गया कि लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। देशभर में रेल की सेवा पूरी तरह बंद कर दी गई। देश के अनेक शहरों में चलने वाली मेट्रो सेवाओं का परिचालन भी सीमित रखा गया। स्थानीय बसों और अन्य सार्वजनिक परिवहन को भी बंद किया गया। लेकिन इन सारी कवायदों के बावजूद पूरे देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही रहे। इसका परिणाम रहा कि अप्रैल माह तक आते–आते लॉकडाउन को और सख्ती से लागू किया जाने लगा। कोरोना संक्रमण अपने साथ ही एक अन्य कई विपरीत परिस्थितियां भी लाया। चीन, अमेरिका और कई यूरोपीय देशों से लाखों लोगों तक संक्रमण के फैलने और लोगों की मौतों की खबरों ने भय का वातावरण बना दिया। लॉकडाउन के बाद अधिकतर आर्थिक गतिविधियां भी ठप्प हो गईं। इससे भारत में उन लोगों के समक्ष एक अनिश्चितता वातावरण बन गया जो अन्य राज्यों में जाकर गुजर–बसर करते हैं। इनमें सबसे अधिक प्रवासी श्रमिक शामिल थे। ये वे लोग थे जिनके पास रोजगार के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं होते लेकिन वे अपने घर से दूर जाकर किसी तरह अपनी जीविका चलाते हैं। लॉकडाउन के कुछ समय बाद से ही लाखों की संख्या में देशभर में प्रवासी मजदूर अपने घरों की ओर लौटने लगे। कुछ ही वक्त में देश की राजधानी दिल्ली और मुंबई समेत कई बड़े शहरों में बेहतर आजीविका की तलाश में अनेक राज्यों से आये श्रमिक और कामगार समुदायों के बीच अस्थिरता का एक वातावरण बन गया। ये लोग किसी भी तरह से अपने घर सुरक्षित लौटने की कोशिशें करने लगे।

केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से प्रवासियों के लिए अपनी–अपनी जगहों पर ही रूकने की कई अपीलें की गईं। हर तरह के मीडिया के जरिये शासन–प्रशासन इन मजदूरों और प्रवासियों को आश्वासन देते रहे लेकिन ये कोशिशें बहुत हद तक सफल नहीं रहीं। टेलीविजन समाचार चैनलों और अखबारों ने अपनी खबरों में बताया कि किस तरह लॉकडाउन में भी हजारों की संख्या में मुंबई के कई रेलवे स्टेशनों पर प्रवासी श्रमिक अपने घर वापस लौटने के लिए रेलगाड़ियों का इंतजार कर रहे थे। बावजूद इसके कि रेल सेवाएं पूरी तरह बंद थीं फिर भी सोशल मीडिया आदि सूचनातंत्रों पर कई बार इस तरह की भ्रामक सूचनाओं के फैलने से विकट परिस्थितियां बनीं। टेलीविजन में समाचार चैनलों ने दिखाया कि दिल्ली में भी एक बस अड्डे पर हजारों की संख्या में उत्तप्रदेश और बिहार लौटने वाले वाले मजदूर बसों का इंतजार करते हुए एकत्र हो गए। इस तरह की घटनाएं देश के अनेक हिस्सों में हुईं। बाद के समय में तो प्रवासी कामगारों और श्रमिकों को अप्रैल और मई की भीषण गर्मी तथा तपती सड़कों पर पैदल चलते हुए पूरे देश ने देखा। भूखे, प्यासे मजदूर लगातार अपने परिवारों के साथ सुरक्षित अपने घरों की ओर लौटने

लगे। यह सिलसिला बहुत लंबा चला। राज्य और केंद्र सरकारों ने अपने स्तर से इन पैदल चलते हुए लोगों के लिए खाने और पानी की व्यवस्था की लेकिन ये इंतजाम नाकाफी साबित हुए। अपने–अपने स्तर पर सामाजिक संगठनों और लोगों ने भी पैदल चलते प्रवासी श्रमिकों के लिए भोजन आदि का वितरण किया लेकिन बढ़ते संक्रमण और लगातार चलते लॉकडाउन से ये प्रयास भी धीरे–धीरे थमते गए। लॉकडाउन में लाखों, करोड़ों श्रमिक अपने–अपने साधानों से यात्रा कर रहे थे। जो हाथ–ठेला चलाता था वह अपनी पूरी गृहस्थी को उसी पर लादकर अपनी राह चल पड़ा। कोई ऑटो–टैम्पो तो लाखों मजदूर ट्रकों के भीतर ठूंस–ठूंस कर बैठकर यात्रा पर निकल पड़े। पुरूष, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान देश की सड़कों पर अपने ठिकानों की ओर लौटने लगे। कई अखबारों के पन्नों पर इस तरह की तस्वीरों को देश की आजादी के बाद, बंटवारे के वक्त की तस्वीरों से तुलना करते हुए दिखाया गया। ये खबरें और कहानियां वास्तव में हमारे आधुनिकतक समाज में मानवाधिकारों से जुड़ी दारूण कथाएं हैं। किसी न किसी दृष्टि से ये सारी घटनाएं श्रमिकों और कामगारों के वर्गों को मानवाधिकारों की अनुपलब्धता से जुड़ी हैं।

लॉकडाउन की परिस्थितियों में देशभर में पूरे श्रमिकवर्ग के असंख्य लोग पैदल या साइकिल पर भी अपने घरों की ओर लौटते रहे। मीडिया की खबरों में बिहार की ज्योति नामक युवती भी छायी रही। मात्र 15 साल की यह लड़की अपने बीमार पिता को साइकिल में बैठाकर हरियाणा से चलते हुए लगातार से सात दिनों में 1,200 किमी दूरी तय कर बिहार स्थित अपने गांव ले गई। टेलीविजन चैनलों पर अपने नन्हें बच्चों को ठेले पर बैठाकर परिवार सहित दिल्ली से लखनऊ या इलाहाबाद अपने घरों को लौटते श्रमिकों की वीडियो रिपोर्ट्स भी विचलित करने वाली थीं। राज्यों की सीमाएं लॉकडाउन में सील हो रहीं थीं तो आवागमन वाले लगभग सभी प्रमुख मार्ग बंद थे। प्रवासी और घरों को लौट रहे श्रमिकों के जंगलों से होकर अपने घर पहुंचने की कहानियां भी मीडिया दिखा रहा था। तमिलनाडु के 3 जिले में एक 43 वर्षीय महिला और उनकी 1 साल की पोती लॉकडाउन की वजह से जंगलों के रस्ते अपने घर लौट रही थीं। तभी जंगल में आग लग गई और आग की चपेट में आने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में उनके साथ चल रही दो अन्य महिलाओं की भी जलने से मौत हो गई। मीडिया चैनलों में की रिपोर्ट में ही बताया गया कि महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के धार जिले तक सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पैदल तय करने वाली गर्भवती महिला और उनकी छोटी बेटी किस तरह गर्मियों की तपती दोपहर में लगातार पैदल चल रही थीं। अनगिनत लोग सीमेंट–कंक्रीट के मिक्सर के भीतर और अनाज, सब्जी या फलों के ट्रकों के बीच बैठकर यात्रा करते भी नजर आये। ट्रक वाले इन गरीब मजदूरों से मनमाना किराया ले रहे थे। श्रमिक अपने पसीने की कमाई देकर भी अपने

घर लौटना चाहते थे। ये सभी घटनाएं बहुत ही विचलित करने वाली थीं। अपने आप में ये प्रकरण मानवाधिकारों के हनन से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं।

लॉकडाउन के दौरान सड़क पर पैदल चलने वाले मजदूरों के लिए जबरदस्त अव्यवस्थाएं देखने को मिली। राज्य और केंद्र सरकारों ने भले ही भरसक प्रयत्न करने और हर संभव मदद मुहैया करवाने के दावे किए लेकिन जमीनी हकीकत इससे दीगर दिखी। चंद कहानियों से इसे समझा जा सकता है। दिल्ली के एक निजी रेस्टोरेंट के लिए काम करने वाले रणवीर सिंह नामक शख्स की दिल्ली से मध्य प्रदेश स्थित अपने घर जाते हुए रास्ते में ही मौत हो गई। लॉकडाउन लगने के कुछ ही दिनों बाद देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर पैदल चलने के बाद लगातार भूख और प्यास से बेहाल रणवीर सिंह की आगरा में एक मकान के बाहर तड़पते हुए मौत हो गई। वे तीन बच्चों के पिता थे। देश के मीडिया में इस दुखद घटना पर चर्चा भी हुई। पैदल चलते हुए श्रमिकों से जुड़ी दर्दभरी ऐसी कई खबरें मीडिया में दिखाई दे रहीं थीं इसके बावजूद मार्च 2020 से लेकर जून माह में अनलॉक होने तक देश में प्रवासी मजदूरों का घर की ओर लौटना बदस्तूर जारी रहा। ''एनडीटीवी'' नामक समाचार चैनल में पुणे से उत्तर प्रदेश स्थित अपने घर के लिए स्वयं के लोडिंग ऑटो से यात्रा पर निकले एक परिवार की रिपोर्ट दिखाई गई। जिस वक्त चैनल का रिपोर्टर इस खबर को कवर कर रहा था तो उसमें ऑटो चालक अपने परिवार को घर ले जाता हुआ दिख रहा था। उसी शाम को पुणे से जाने वाले वाली सड़क पर जब वह पत्रकार वापस लौट रहा था तो उसे वही ऑटो दुर्घटनाग्रस्त दिखा। दुखद बात थी कि ऑटो में सवार परिवार एक ही दिन में बिखर चुका था। जिस चालक से रिपोर्ट की सुबह बात हुई थी वह दुर्घटना में मर चुका था। उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में भर्ती थी और उसके बच्चे यतीम हो चुके थे। भले ही यह प्रकरण महज एक सड़क दुर्घटना दिखता है लेकिन वास्तव में इसके परोक्ष कारणों को समझना भी आवश्यक है। क्यों हमारी सरकारें ऐसे लोगों के लिए किसी तरह के पुख्ता इंतजाम नहीं कर पाईं। क्यों हमारा विशाल सरकारी तंत्र करोड़ों श्रमिकों के भीतर भरोसा जगाने में पूरी तरह सफल नहीं हो सका।

भारत में सबसे अधिक लोग असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं। एक अनुमान है कि देश में 81 प्रतिशत लोग असंगठित तौर से संचालित आर्थिक इकाईयों में काम करते हैं। इन लोगों के पास किसी भी प्रकार की स्थाई आर्थिक सुरक्षा नहीं होती है। नतीजा किसी भी तरह की आपदा, अस्थिरता या आंशिक परिवर्तन होने से भी इनकी आजीविका पर तुरंत असर पड़ता है। सरकारों ने प्रवासी मजदूरों के लिए मुफ्त राशन देने की घोषणा भी की। केंद्र सरकार ने अलग–अलग राज्यों के पीडीएस सिस्टम के लिए राहत राशि जारी की। केंद्र सरकार ने श्रमिकों को सड़कों पर पैदल

चलने की त्रासदी से बचाने के लिए राज्यों से स्पष्ट रूप से कहा कि वे जिस रेलवे स्टेशन पर चाहे ट्रेन मंगवा सकते हैं। रेल मंत्रालय ने श्रमिकों और प्रवासियों के लिए चलाई गई रेलगाड़ियों में खाने पीने की व्यवस्था भी की। राज्य सरकारों ने भी उनके लिए परिवहन की व्यवस्थाएं मुहैया करवाने के प्रयास किये। देश में लॉकडाउन के बीच श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। प्रवासी मजदूरों को उनके घर सुरक्षित तरीके से भेजने के लिए चलाई गई इन ट्रेनों में लेटलतीफी की कई शिकायतें आईं। खबरें बताती हैं कि 9 मई से 27 मई के बीच श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में लगभग 80 मौतें हो गई। हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर में कहा गया कि ज्यादातर मामले थकावट, गर्मी और भूख की वजह से मौतों के थे।

लेकिन कोरोना के इस पूरे दौर में करोड़ों मजदूर, श्रमिकों को बेहद कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। किसी तरह अपने—अपने घरों को वापस लौटने पर प्रवासी मजदूरों को स्थानीय स्तर पर राज्य सरकारों ने सुरक्षा की दृष्टि से क्वारंटीन किया। क्वरिंटाइन सेंटर्स से भी बहुत खराब व्यवस्थाओं की खबरें मीडिया में आईं हैं। घर लौटे प्रवासियों के लिए होम क्वारंटीन की व्यवस्थाएं भी की गई। इसके बाद मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि वापस लौटे प्रवासी मजदूर कह रहे थे कि उनके पास खाने के लिए जमा पैसा नहीं है। वे काम की मांग कर रहे थे। उनके समक्ष परिवार का पेट भरने की नई चुनौतियां थीं। खबरें आईं कि अनेक राज्यों में घर लौटे इन श्रमिकों के पास खाने का भी संकट आया। मजदूरों का कहना था अगर काम नहीं मिला तो उन्हें भूखा मरना पड़ेगा। जहां तक काम की बात है तो पूरे लॉकडाउन के दौरान करोड़ों की संख्या में लोगों के रोजगार के अवसर खत्म हो गए। मार्च के महीने में ही लगभग 50 लाख हाथ—ठेला, रेहड़ी आदि लगाकर अपनी आजीविका चलाने वले लोगों के लिए केंद्र सरकार ने राहत राशि का आवंटन किया। वापस लौटे श्रमिकों के लिए उनके गांव में ही रोजगार की संभावना पैदा करने के लिए मनरेगा जैसे विशाल कार्यक्रम के अंतर्गत भी राज्यों को केंद्र की ओर से राहत राशि का आवंटन किया गया। लेकिन ऐसे प्रयत्न काफी साबित नहीं हुए। बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों से अपने घरों को लौटे प्रवासी मजदूरों को नौकरियों के संकट का सामना करना पड़ा क्योंकि तमाम तरह की गतिविधियां लॉक डाउन की लंबी अवधि के दौरान बंद थी। जो उद्योग आंशिक तौर पर चल भी रहे थे वहां भी कामगारों की छंटनियां की जाने लगी। इसका नतीजा हुआ कि गरीब तबकों में करोड़ों लोगों को आजीविका के जबरदस्त संकट का सामना करना पड़ा। काम छिन जाना या नौकरी खत्म हो जाना, परिवार के भरण पोषण के संसाधनों का न मिलना जैसे गंभीर विषय सीधे तौर पर श्रमिक वर्ग के मानवाधिकारों से जुड़े हुए हैं। कोरोना के संक्रमण ने इस वर्ग के करोड़ों लोगों के जीवन और उनके मानवाधिकारों पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव डाला।

बुनियादी तौर पर भी मानवाधिकारों के नजरिये से इस मामले को समझने का प्रयास करें तो हम पायेंगे कि जो मजदूर, कामगार अपने राज्यों से दूर आजीविका की तलाश में लंबे समय से रह रहे थे, लॉकडाउन के कारण उनके काम आंशिक या पूरे तौर पर बंद हो गए। नतीजा उनके सामने जिंदा रहने और भोजन के नए संकट खड़े हुए। राज्य सरकारों ने अपनी ओर से उन्हें मदद पहुंचाने के प्रयास जरूर किए लेकिन मीडिया में प्रकाशित–प्रसारित तस्वीरें और खबरें बताती हैं कि राशन की लंबी–लंबी कतारों में लोग दिन भर खड़े रहे लेकिन उन्हें राशन नहीं मिला। केंद्र सरकार की ओर से वन–नेशन–वन–राशन कार्ड जैसी स्कीम शुरू की गई। इस योजना को अमल में लाने तक 3 महीने के लिए इन लोगों को मुफ्त राशन देने की व्यवस्था भी की गई। जानकारों का मानना है कि सरकार प्रवासी श्रमिकों और मजदूरों की मदद के लिए कोरोना संक्रमण के इस पूरे कालखंड में उस तरह आगे नहीं आई जैसा कि अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय होता है। अमूमन सरकारी तंत्र किसी भी प्राकृतिक आपदा में बहुत ही तेज गति से काम करता है। इस तरह कोरोना के पूरे कालखंड में प्रवासी श्रमिकों, मजदूरों और कामगारों के मानवाधिकारों के कई बुनियादी प्रश्न उठे हैं। इन प्रश्नों के जवाब हमें तलाशने होंगे। मई 2020 में ''अमर उजाला'' समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देशव्यापी बंद के दौरान 3 माह में लगभग 300 से ज्यादा मौतों के मामले सामने आए। इस पूरे काल में लोगों की मौत लॉकडाउन या कोरोना वायरस से जुड़ी अन्य समस्याओं से भी हुई। मई महीने में ही महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एक मालगाड़ी की चपेट में आने के बाद 14 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई थी। ये श्रमिक जालना से भुसावल की ओर पैदल जा रहे थे और सभी मध्य प्रदेश के थे। अनेक राज्यों से ऐसी खबरें आई कि जब प्रवासी मजदूर लौट कर अपने घर गए महीनों तक उन्हें किसी भी प्रकार का काम नहीं मिला। बेरोजगारी, कर्ज और तनाव से बहुत सी आत्महत्याओं की खबरें भी आईं। रोजाना काम नहीं मिलने से और लगातार लॉकडाउन रहने से ऐसे अनगिनत लोगों को भुखमरी का सामना भी करना पड़ा। ये वे लोग थे जो कि किसी भी प्रकार की सरकारी योजनाओं के दायरे से बाहर थे। बिहार में आरा जिले में मजदूर परिवार के एक 11 वर्षीय बालक की भूख से मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि लॉकडाउन की वजह से उसके पिता के पास लंबे समय से रोजगार नहीं था और खाद्यान्न के अभाव में उस बच्चे की मौत हो गई। देश में मजदूर, श्रमिक और कामगारों की जिंदगियों से जुड़ी कोरोना काल की अनगिनत कहानियां मुख्यधारा के मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुई हैं। मानवाधिकारों की रोशनी में गौर करें तो हम पायेंगे कि श्रमिकों और कामगारों से जुड़े मीडिया में दर्ज और दिखाये गए मामले बहुत ही परेशान और विचलित करने वाले हैं। इन वर्गों के समक्ष इस दौर में जबरदस्त बेगारी, भूख और सामाजिक सुरक्षा के कई प्रश्न खड़े

हुए हैं। दरअसल ये हमारे समय में मानवाधिकारों से जुड़े बहुत ही समसामयिक और आवश्यक प्रश्न हैं। इनके जवाब तलाशे जाने भी बहुत आवश्यक हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कोराना की इस महामारी ने इन वर्गों के करोड़ों लोगों के मानवाधिकारों पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

lnHkZ lwph %

iqLrdsa %

1. Hobson C. Becon Paul and Cameron Robin,2014, Routledge Publication Oxon , P-75.
2. Tripathi S.N., Dash C.R., 1997, Discovery Publication, New Delhi, P- 23.

fjiksVZl %

1. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200814-covid-19-sitrep-207.pdf?sfvrsn=2f2154e6_2
2. https://www.mycii.in/KmResourceApplication/65567.COVID19PMOnote 20Mar2020002.pdf
3. https://www.assocham.org/upload/page/1587569361.pdf

oSc rFkk vkWuykbu%

1. https://www.jagran.com/news/national-know-which-states-and-cities-in-the-country-have--lockdown-today-20133317.html
2. https://khabar.ndtv.com/news/india/lockdown-extension-pm-modi-says-lockdown-extended--till-3rd-may-decision-on-easing-restrictions-after-2211347
3. https://www.amarujala.com/video/featured?src=mainmenu
4. https://www.bhaskar.com/national/news/30-deaths-on-the-roads-so-far-25-of-these--laborers-because-they-got-out-of-the-house-on-foot-after-being-disturbed-by-hunger-and-thirst-127076811.html
5. http://thewirehindi.com/115325/corona-lockdown-seven-karnataka-workers-die-in-a-road--accident-in-telangana/
6. https://www.bbc.com/hindi/india-52701775
7. https://www.amarujala.com/india-news/more-than-300-people-died-due-to-coronavirus-and-lockdown-problems-in-india-from-march-to-may-month
8. https://www.bbc.com/hindi/india-52784110
9. https://covid19.who.int/
10. https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-coronavirus-effect-on-global-economic-sentiment#
11. https://www.bbc.com/news/business-51706225#:~:text=Although%20it%20said%20that%20the,such%20as%20India%20and%20China.
12. https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS
13. https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS
14. https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/ 20200709STO83004/covid-19-how-the-eu-fights-youth-unemployment

15. https://www.ft.com/content/b26beabf-fd2f-4712-8f0a-633df335672b

16. https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.

17. https://www.bhaskar.com/local/mp/khandwa/news/2-youth-commits-suicide-due-to-unemployment-and-financial-crisis-in-24-hours-127562191.html

18. https://economictimes.indiatimes.com/hindi/news/lockdown-may-not-be-adequate-to--contain-coron-spread-raghuram-rajan/articleshow/74832657.cms

• • •

कोविड–19 काल में मानवाधिकार संरक्षण में राज्य की भूमिका

Mk- inhi dekj•
jtr Hkkjrh♦

iLrkouk

कोरोना मानव इतिहास में ज्ञात सबसे गंभीर बीमारियों मे से एक है। यह किसी स्थान विशेष से नहीं बल्कि एक वैश्विक महामारी है। दिसम्बर, 2019 से लेकर अब तक दुनिया भर में करोड़ों लोग पीड़ित हो चुके और है, लाखों लोगों की मृत्यु इस बीमारी से हो चुकी है। विश्व में चिकित्सक समुदाय कोरोना वायरस का वैक्सिन बनाने में लगा हुआ है। लेकिन अभी तक कोई प्रभावी वैक्सिन बाजार में उपलब्ध नहीं हो पायी है। यह वायरस मानव जीवन को पूरी तरह से ग्रसित कर चुका है।

कोरोना वायरस केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य की समस्या नहीं है यह मानव जीवन के सभी आयामों जैसे– सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक को चुनौती दे रहा है। अतः कोरोना मानव अधिकारों को भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रही है।

कोरोना की डर की वजह से समाज में कोरोना से ग्रसित व्यक्ति का लोगों द्वारा उपेक्षा भी की जा रही है मरीजों यह उपेक्षा कोरोना को और गंभीर बना दे रही है। कोरोना वायरस की वजह से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सीधे सम्पर्क मे आने से डर रहा है। हर एक व्यक्ति एक दूसरे को संदिग्ध की नजर से देख रहा है कि सामने वाला व्यक्ति कोरोना से ग्रसित तो नही है। इससे व्यक्ति का स्वतन्त्रता, सम्पर्क, स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित हो चुका है।

dkjkuk ok;jl dh mRifRr rFkk fodkl

कोरोना वायरस की उत्पत्ति सर्वप्रथम कब, कहॉ और कैसे हुई यह आज भी एक विवाद और जॉच का विषय है। लेकिन यह विशुद्ध रूप से स्पष्ट है कि कोरोना वायरस का सर्वप्रथम मामला चीन के वुहान शहर में दिसम्बर 2019 में सामने आया। कोरोना वायरस की वजह से लोगों को ज्वर एवं सांस लेने में तकलीफ होने लगी। इसका संक्रमण वहाँ काफी तेजी से फैला। जो चीनी सरकार के लिए चिन्ता का

• सहायक आचार्य, विधि विभाग, विधि अध्ययन विद्यापीठ, बी0बी0ए0यू0, लखनऊ।
♦ शोध छात्र, विधि विभाग, विधि अध्ययन विद्यापीठ, बी0बी0ए0यू0, लखनऊ।

विषय बन गया साथ ही साथ दुनिया के लिए भी चिन्ता का विषय बन गया। इस संक्रमण की जॉच करने के बाद वैज्ञानिकों ने कोरोना की एक नई नस्ल की पहचान करके की जिसे 2019-NCOV प्रारम्भिक नाम दिया। इस नए 2019-NCOV वायरस में लगभग 60 प्रतिशत सार्स कोरोना वायरस के अनुक्रम पाये गये।

चीनी प्रीमियर ली के कियांग ने 20 जनवरी 2020 को गहरी संवेदना जताते हुए नोवेल कोरोना वायरस से फैलने वाली महामारी को रेाकने और नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया। लेकिन 23 जनवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के प्रकोप को अंतरराष्ट्रीय चिंता का एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने से मना किया। लेकिन जब कोरोना वायरस दुनिया में फैलना शुरू हुआ तब 30 जनवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के प्रसार को अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस की महामारी को कोविड–19 नया नाम दिया।

dkjkuk ok;jl d y{k.k

बिट्रेन की नेशनल हेल्थ सार्विस ने कोरोना वायरस के तीन लक्षणों को चिन्हित किया है। लगातार खॉसी आना, बुखार, सांस लेने मे तकलीफ। अमेरीकी सेन्टर फार डिजीज कन्ट्रोल एवं प्रीवेशन के अनुसार ठण्ड लगना, कंपकंपी महसूस होना, मॉंस पेशियों मे दर्द तथा गले में खराश होने के संकेत हो सकते हैं।

fdru le; e dkjkuk d y{k.k fn[kr g

कोरोना वायरस का लक्षण दिखने में औसतन 5 दिन का समय लग सकता है कुछ लोगों में कोरोना के लक्षण 5 दिन के पहले भी दिख सकते है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस के शरीर में पहुँचने के तथा लक्षण दिखाई देने में 14 दिन का समय लग सकता है।

dkjkuk ok;jl d fodkl d pj.k

आई0 सी0 एम0 आर0 के अनुसार कोरोना वायरस फैलने के चार चरण है।

- iFke pj.k

  प्रथम चरण में प्रभावित देशों से आने वाले लोगों में संक्रमण पाया जाता है। इस तरह संक्रमण उन्हीं लोगों तक सीमित होता है जो संक्रमित देशों से आये है। कोरोना संक्रमण को रोकने का यही सबसे सही समय होता

है। जिसपर आसानी से नियंत्रण पा सकते है।

- n̲l jk pj.k

  इस चरण को लोकल ट्रांसमिशन स्टेज कहते है। यह अवस्था तब सामने आती है जब विदेश से लौटे संक्रमित व्यक्ति के संम्पर्क में आने से उसके परिवार, नजदीक मिलने वाले संक्रमित होने लगते है इस चरण में यह पता होता है कि वायरस कहॉ से फैल रहा है, इस चरण में रोकथाम का कार्य ज्यादा कठिन नहीं होता क्योंकि संक्रमण के स्त्रोत की जानकारी लोगों एवं सरकारी तंत्र को पता हो जाने पर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों के द्वारा स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है।

- rh l jk pj.k

  इस चरण को कम्युनिटी ट्रांसमिशन चरण कहते है। यह अवस्था तब सामने आती है जब एक बड़े इलाके में लोग वायरस से संक्रमित हो जाते है। इस चरण में कोई भी ऐसा व्यक्ति संक्रमित हो सकता है जो न तो कोरोना प्रभावित देश से वापस लौटा है। और वह न ही किसी दूसरे कोरोना वासरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया है। इस चरण में यह पता नहीं चलता कि व्यक्ति कहॉ से और कैसे संक्रमित हो रहा है। इस चरण में बीमारी एक क्षेत्र, राज्य स्तर पर एक से दूसरे में तेजी से फैलना प्रारम्भ हो जाती हैं। इस स्थिति की रोकथाम करना कठिन कार्य हो जाता है क्योंकि इस चरण में वायरस स्थानीय वातावरण के अनुसार अपने को ढाल चुका होता है।

- pkFkk pj.k

  यह महामारी की अन्तिम अवस्था है। यह काफी खतरनाक चरण है। इस स्थिति में महामारी पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। कहीं से भी मामले सामने आने लगते हैं। ऐसी स्थिति में इस पर नियंत्रण पाना कठिन हो जाता है।

Hkkjr dk fof/kd <kpk rFkk dkfoM&19

लोक व्यवस्था एवं स्वास्थ्य भारत के संविधान के राज्य सूची में है इस क्रम में राज्यों ने सामाजिक सुरक्षा के लिए तथा गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए महामारी अधिनियम, 1897 लागू किया उसके बाद केन्द्र सरकार द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक व्यापक उपाय के रूप में लॉकडाउन किया गया। संविधान की 7वीं अनुसूची में आपदा प्रबन्धन के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है अतः संसद द्वारा समवर्ती सूची की प्रविष्टि 23 सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक

बीमा नियोजन और बेरोजगारी के आधार पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम का प्रयोग किया जाता है। कोविड़–19 महामारी में भारतीय दण्ड संहिता की धारायें 188, 269, 271 का प्रयोग किया गया। धारा 188 का उपयोग उन आरोपियों पर किया जाता है जो लॉकडाउन के दौरान लोक सेवकों के आदेशों की अवहेलना करते हैं। धारा 269 उपेक्षापूर्ण कृत जिसमें संक्रमण के प्रसार की संभावना व्याप्त हो जाय। धारा 271 जो व्यक्ति क्वारंटीन नियमों की अवहेलना करता है। कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। इसके साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 को भी इस महामारी के समय में प्रभावी किया गया है।

dkjkuk ok;jl dh jkdFkke e ljdkj dh Hkfedk

कोविड़–19 से बचने के लिए सरकार ने अब तक कई कड़े कदम उठाये हैं। 22 मार्च को देश में जनता कर्फ्यू के दौरान 14 घण्टे तक सामाजिक दूरी के दो दिन बाद 24 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन का किया जाना। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को एक नयी दिशा प्रदान की। लॉकडाउन के बाद भारत में कई प्रकार के उपायों की घोषणा की गयी। राज्य सरकारों ने सिनेमाघरों, शैक्षिणक संस्थान बन्द कर व सार्वजनिक समारोहों की मनाही करके सामाजिक दूरी को लागू किया। लम्बी दूरी की ट्रेनों, उपनगरीय ट्रेनें, मेट्रो और रिक्शा सहित सार्वजनिक परिवहन पर रोक लगा दी गई तथा दुकानें, कारखाने, पूजा स्थल और कार्यालय बन्द कर दिये गये। भारत आने वाले लोगों के लिए एक महीने के लिए वीजा निलंबित और रद्द किया गया और विदेश से आने वालो के लिए 14 दिन का क्वारटीन लागू किया गया।

- ih,e d;l Q.M

  28 मार्च 2020 को किसी भी तरह की अपातकालीन या संकट की स्थिति जैसे– कोविड–19 महामारी से निपटने के प्राथमिक उद्देश्यों के साथ बनाया गया।

- ,d jk"V ,d jk'ku dkM

  कोविड–19 के प्रकोप के मध्य आर्थिक राहत पैकेज के हिस्से के रूप में केन्द्र सरकार ने मार्च 2021 से राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली का लागू करने की घोषणा की।

- vkRefuHkj Hkkjr&

  भारत के प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रूपये के प्रोत्साहन पैकेज के साथ आत्मनिर्भर भारत की शुरूआत की। जिसके अन्तर्गत इस राशि को कई

चरणों में दिया जा रहा है।

- ipk;rk dh Hkfedk

राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल के अवसर पर ग्राम प्रधानों के साथ प्रधानमंत्री ने संवाद किया तथा प्रधानमंत्री ने संकट की इस घड़ी में ग्राम पंचायतों द्वारा अपनाये गये कार्यो के लिए सराहना भी किया। पंचायतों द्व ारा संक्रमण फैलने से रोकने के लिए सामुदायिक रसोइयों के लिए खाद्यानों की आपूर्ति तथा प्रबन्धन करने तथा ग्राम स्तर पर स्वच्छता और सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने वीडियों कान्फ्रेनसिंग के माध्यम से एकीकृत ई ग्राम स्वराज्य पोर्टल व स्वामित्व योजना को प्रारम्भ किया। कोविड–19 सम्बन्धित कार्यो के लिए 14वें वित आयोग के तहत् पंचायतों को निर्धारित नियमों का प्रयोग करने की अनुमति दी गई।

भारत के माननीय उपराष्ट्रपति ने अपने एक लेख में उड़ीसा राज्य के बारे में अपनी बात को इस प्रकार कहा है, ''मैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सराहना करता हूँ, जिन्होंने कोविड–19 संक्रमण के विरूद्ध अभियान में गांव के सरपंच की केंद्रीय भूमिका को पहचाना और उन्हें अपने–अपने क्षेत्र में कलेक्टर के अधिकार प्रदान किए। मुझे विश्वास है कि देश के अन्य भागों में भी पंचायती राज निकायों के जन–प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में इस संक्रमण के विरूद्ध अभियान में लगे होंगे तथा जरूरतमंदों को सहायता पहुंचा रहे होंगे।'' ध्यान देने योग्य है कि ओडिशा सरकार ने सरपंचो को ग्राम स्तर पर क्वारन्टाइन के प्रवर्तन हेतु कलेक्टर के समान शक्तियॉ प्रत्यायोजित की गई है।

- ukxfjd lekt lxBu dh Hkfedk&

महामारी के दौरान सामाजिक संगठन लोगों की सहायता करने में अग्रण ी भूमिका का निर्वहन कर रहे है। सरकार द्वारा कोविड–19 महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए सिविल सोसाइटी के नेटवर्क का लाभ प्राप्त करने के लिए नीति आयोग ने अधिकार प्राप्त समूह EG- 6 का गठन किया है कोविड़– 19 के दौरान सिविल सोसाइटियों ने संसाधनों के संग्रहण करने और इन्हें क्रमवार करने में जागरूकता अभियान के संचालन करने में तथा तत्काल राहत प्रदान करने में सराहनीय भूमिका निभा रहे हैं। सरकार के अनुसार EG-6 द्वारा संगठित एनजीओ निम्नलिखित कार्यो का संपादन कर रहें हैं।

i. निराश्रय दिहाड़ी मजदूरों और शहरी गरीब परिवारों को आश्रय प्रदान करना।

ii. व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरणों पीपीई किट का वितरण।

iii. स्वास्थ्य शिविर स्थापित करने में सरकार का समर्थन करना।

iv. प्रवासी मजदूरों के सामूहिक पलायन को नियंत्रित करना।

- vkuykbu U;k; i.kkyh

  कोविड–19 महामारी के दौरान सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिए उच्चतम न्यायालय ने देश के सभी न्यायालयों के लिए न्यायिक कार्यवाही हेतु वीडियो कान्फ्रेंसिंग का व्यापक उपयोग करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया।

dkjkuk ok;jl vkj vUrjk"Vh; lEcU/k

आज पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद की लहर चल रही है। परिणाम यह है कि विश्वमंच पर हर राष्ट्र अपनी सम्प्रभुता को उग्र तरीके से प्रस्तुत कर रहा है। अगर अन्तराष्ट्रीय तन्त्र प्रभावी तरीके से काम कर रहा होता तो, दुनिया को कोरोना वायरस के संकट को पहचानने में देरी नहीं लगती।

भारत में कोरोना वायरस की महामारी को लेकर सार्क देशों के बीच सहयोग की जो पहल की और फिर जी–20 देशों को एक साथ लाने में अग्रणी भूमिका निभाई इससे स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि भारत वैचारिक और राजनीतिक विविधताओं के समीकरण के बीच अपनी भूमिका बहुत अच्छे तरीके से निभा सकता है। भारत को ऐसा प्रयास अपने घरेलू राजनीतिक परिदृश्य में भी करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय सम्प्रभुता के आवेग में देशों को अपनी जिम्मेदारियों से मुँह नहीं मोड़ना चाहिए।

15 मार्च, 2020 को सार्क देशों की वर्चुअल बैठक हुई जिसमें दक्षिण एशिया के अधिकतर निर्वाचित नेताओं ने हिस्सा लिया। इसमें सार्क के महासचिव के साथ सार्क आपदा प्रबन्धन केन्द्र के निदेशक भी उपस्थित थे। भारत ने संयोजक के तौर पर इस बैठक का एजेण्डा तय किया। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, ''हम एक साथ आकर कोरोना वायरस से बेहतर ढंग से निपट सकते है अलग–2 रह कर नहीं।'' उन्होंने इस संदर्भ में भारत द्वारा उठाये गये सभी कार्यो की जानकारी सबको दी। जैसे– भारत ने जनवरी से ही विदेश से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। प्रधानमंत्री ने कोविड–19 आपातकालीन कोष का सुझाव दिया और भारत की ओर से

उसमें एक करोड़ डालर का योगदान दिया। भारत की कोविड़–19 प्रभावित पड़ोसी देशों के नागरिकों को निकालने में भी मदद यह बताती है कि भारत ने संकट की घड़ी में पड़ोसी पहले की नीति का पालन किया भारत ने अपने नागरिकों के साथ बाग्लादेश, म्यांनमार, श्रीलंका और नेपाल के लोगों को भी निकालने में मद्द की। भारत–पाकिस्तान तनाव के बावजूद भारत ने चीन के वुहान शहर में फॅसे पाकिस्तानी छात्रों को निकालने का प्रस्ताव दिया जिसे पाकिस्तान ने ठुकरा दिया।

चिकित्सा कूटनीति एक उभरता हुआ क्षेत्र है जो वैश्विक स्वास्थ्य में सुधार और अन्तराष्ट्रीय को बेहतर बनाने के दोहरे लक्ष्यों को समाविष्ट करता हैं। भारत ने पड़ोसी देशों सहित अमेरिका जैसे अन्य देशों को पैरासिटामाल और हाइड्राक्सीक्लोरोक्वीन सहित आवश्यक दवाओं की अपूर्ति किया।

dkjkuk ok;jl vkj ekuokf/kdkj d chp lEcU/k

कोरोना वायरस का प्रभाव मानवाधिकारों के साथ अटूट रूप से जुडा हुआ है। कोरोना वायरस ने मानवाधिकारो के सभी रूपों चाहे वह सिविल और पोलिटिकल राइट्स हों या इकोनोमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स हो या सालिडिरिटी राइट्स हों, सभी को अपने प्रभाव में ले चुका है। मानव अधिकारों को उन अधिकारों के रूप में समझा जाना चाहिए, जो मनुष्य होने के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को मिले हुए है जैसे– जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अधिकार, अमानवीय व्यवहार से संरक्षण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भेदभाव से सुरक्षा आदि शामिल है।

- **x|j HknHkko vkj dkuu d le{k lekurk**

  अन्तराष्ट्रीय मानवाधिकार विधि के समक्ष समता को सुनिश्चित करता है। और अन्य कई आधार पर विभेद को मना करता है। अन्य कई आधार के अन्तर्गत कोविड–19 के आधार पर भेदभाव को मना करता है।

- **efgykvk d ekuokf/kdkj**

  महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों का उन्मूलन अभिसमय, 1979 राज्य के ऊपर बाध्यता अधिरोपित करता है कि महिलाओं और बालिकाओं के प्राधिकारों के रक्षा करने के साथ–साथ महामारी कोविड–19 के प्रभाव को भी कम करना है। लेकिन कोविड–19 के दौरान महिलाओं के ऊपर घरेलू हिंसा में अचानक बढ़ोत्तरी हुई है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यू0 एन0 वीमेन ने हाल ही में लैंगिक हिंसा में वृद्धि को शैडो पैन्डेमिक की संज्ञा देते हुए अपने सदस्य देशों से कोविड–19 पर उनकी कार्य योजनाओं में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा से रोकथाम सम्बन्धी उपाय शामिल करने हेतु

आग्रह किया है। इसके अतिरिक्त वैश्विक स्तर पर घरेलू हिंसा में व्यापक वृद्धि को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने घरेलू हिंसा को पूर्णरूप से समाप्त करने की अपील की है।

- cky vf/kdkjk ij vfHkle;] 1989

  बच्चों के अधिकार और इसके वैकल्पिक प्रोटोकाल कन्वेशन के अनुसार बच्चों को कोविड–19 के बारे में जानकारी प्राप्त करना तथा संरक्षण व सहायता देना राज्य का कर्त्तव्य है। लेकिन हाल में उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में बालिका संरक्षण गृह में कुछ बालिकायें कोरोना पाजिटिव पायी गयीं एवं कुछ बच्चियॉ गर्भवती भी पायी गयी। जो बच्चों के मानवाधिकारों को कटघरे में खड़ा करता है।

- fookg dk vf/kdkj

  सिविल और राजनैतिक अधिकारों पर अन्तराष्ट्रीय अभिसमय, 1976 के अनुच्छेद 23 में स्त्री और पुरूष को विवाह करने तथा परिवार बनाने का अधिकार देता है। लेकिन कोविड–19 के दौरान विवाह और परिवार बनाने पर गम्भीर प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दिया है। लॉकडाउन एवं सामाजिक दूरी को ध्यान में रखकर लोगों ने अपनी शादियॉ तथा 50 से कम लोगों की उपस्थिति में शादी करने का अधिकार जो राज्यों ने नागरिको को दे दिया है। लेकिन ज्यादातर लोग सुरक्षा को ध्यान में रखकर शादियॉ को टाल देना ही उचित समझ रहे हैं।

- fut rk dk vf/kdkj

  सिविल और राजनैतिक अधिकारों पर अन्तराष्ट्रीय अभिसमय, 1976 का अनुच्छेद 17 व्यक्तियों की निजता के अधिकार को सुनिश्चित करता है। निजता के अधिकारों में परीक्षण के लिए सहमति लेना, परीक्षण को गोपनीय रखना मरीज या लोगों का मानवाधिकार है तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में भी निजता का अधिकार संरक्षित है। लेकिन कोविड़–19 की वजह से लोगों का जबरदस्ती परीक्षण किया जा रहा है तथा उसको पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक किया जा रहा है, जिसके चलते देश में कई लोगों के आत्महत्या करने की घटनायें भी सामने आयी है।

- f'k{kk dk vf/kdkj

  मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, 1948 का अनुच्छेद 26 शिक्षा का अधिकार देता है तथा आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों

पर कन्वेशन का अनुच्छेद 13 बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को अलग रखने से मना करता हैं। लेकिन कोविड़–19 की वजह से शिक्षा और शैक्षणिक संस्थान बंद हो गये। इस गम्भीर चुनौती से निपटने के लिए आनलाइन क्लासेज की व्यवस्था सरकार ने की है, इसके बावजूद भी शिक्षा पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है।

- **vfHk0;fDr vkj lpuk dh Lor=rk**

  नागरिक और राजनैतिक अधिकारों के अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, 1976 का अनुच्छेद 19 के अनुसार राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि लोगों को सूचना प्रदान करें तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 ए में भी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार के रूप में नागरिकों को प्राप्त है। जिसके अन्तर्गत राज्य बाध्य है कि कोविड–19 की रोकथाम की समुचित और प्रभावी तरीकों की सूचना लोगों तक पहुॅचाये। इसके लिए कोविड–19 की सूचना देने के लिए आरोग्य सेतु एप तथा अन्य कई माध्यम से लगातार सूचना लोगों को दी जा रही है।

- **l?k ,o lxe cuku dh Lor=rk**

  मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, 1948 का अनुच्छेद 20 लोगों का शान्तिपूर्ण संघ और संगम बनाने की आजादी देता हैं। नागरिक और राजनैतिक अधिकारों के अन्तराष्ट्रीय अभिसमय, 1976 का अनुच्छेद 22 संगठन बनाने की आजादी देता है। लेकिन कोविड़–19 की वजह से वर्तमान समय में ऐसा करने में लोगों को कठिनाई हो रही है।

- **jkt xkj dk vf/kdkj**

  मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा, 1948 के अनुच्छेद 23 तथा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अन्तराष्ट्रीय कन्वेशन का अनुच्छेद 6 एवं 7 व्यक्ति को रोजगार की गारण्टी देता है। लेकिन कोविड–19 की वजह से लोगों का रोजगार छिन रहा है, क्योंकि कम्पनियां लॉकडाउन में अपने कर्मचारियों को बिना काम के वेतन देने से मना कर रहीं हैं। सरकारी कर्मचारियों को दिये जाने वाले भत्तों में भी कटौती की गयी है। असंगठित क्षेत्र के कामगार लॉकडाउन की वजह से अपने ग्रामीण इलाकों में लौट गये, अब उनके सामने रोजगार पाने की समस्या हो गयी है। जो धीरे–धीरे भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं, जो मानव जीवन के लिए घातक अवस्था है।

- Øj] vekuoh;] viekutud mipkj ;k n.M ls eqfDr

  मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 5 क्रूर एवं अमानवीय व्यवहार से संरक्षण प्रदान करता है तथा नागरिक और राजनैतिक अधिकारों पर अन्तराष्ट्रीय अभिसमय का अनुच्छेद 7 जेल में निरूद्ध के साथ अपमानजनक उपचार एवं दण्ड से संरक्षण प्रदान करता है। जेल में कुछ कैदियों का कोरोना पाजिटिव पाया जाना, जेल में निरूद्ध अन्य कैदियों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। जो एक गम्भीर चुनौती है तथा लोगों को सड़क पर निकलने पर पुलिस द्वारा क्रूरता, अमानवीय व्यवहार मानवाधिकारों पर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़ा कर रहा है।

fu"d"kZ

कोविड–19 ने पूरे विश्व को अत्यधिक घातकरूप से प्रभावित करके रख दिया हैं। अभी तक कोई भी यह नहीं जान पाया है कि यह महामारी कब समाप्त होगी। विश्व समुदाय इस महामारी के उपचार की राह देख रहा है। इस दिशा में अनेक प्रयास अनवरत जारी है। चुनौती का सामना करने तथा मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए कानून का सहारा लेना चाहिए एवं कानूनों में उचित संशोधन की आवश्यकता है, उसे भी संशोधित कर लेना चाहिए। नागरिकों से यह अपेक्षा है कि वह आपसी सद्भाव, सहयोग एवं सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं का लाभ लें।

lUnHkZ lwph %

(1) डा0 एच0 ओ0 अग्रवाल ''मानवाधिकार'' (सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, 2014)
(2) बसन्ती लाल बावेल ''मानवाधिकार'' (सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, 2016)
(3) एस. एन. मिश्रा, भारतीय दण्ड संहिता (सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, 2018)
(4) नागरिक और राजनैतिक अधिकारों पर अन्तराष्ट्रीय कन्वेंशन, 1976
(5) मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, 1948
(6) महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त करने के लिए अभिसमय, 1979
(7) बाल अधिकारों पर अभिसमय, 1989
(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता– वेयर एक्ट
(9) डी0डी0 बसू, भारत का संविधान (लेक्सेस नेक्सेस), 23वॉ संस्करण, 2019
(10) हिन्दुस्तान हिन्दी दैनिक लखनऊ संस्करण
(11) दैनिक जागरण हिन्दी दैनिक लखनऊ संस्करण
(12) अमर उजाला हिन्दी दैनिक लखनऊ संस्करण
(13) दि इकोनॉमिक टाइम्स इंग्लिस एडिसन

(14) दि हिन्दू

(15) इण्डियन एक्सप्रेस

https://www.orfonline.org/

https://www.bbc.com/hindi/science-51366908

https://hindi.livelaw.in/category/columns/no-justification-for-police-brutality-against--persons-during-lockdown-154422

https://www.google.com/search?q=economic+times+hindi&oq=www.economictimes&aqs=chrome.1.69i57j0l6j5.49959j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

• • •

भारतवर्ष में मानव अधिकारः एक अवलोकन

¼Lora=rk ds 70 o"kksZa ds fo'ks"k lUnHkZ esa½

M,- iquhr dqekj•
M,- eatqyrk xxZ♦

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले अनेक कारकों में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी था कि प्रत्येक भारतीय को एक सम्माननीय जीवन और उसके स्वाभिमान को संरक्षित करने वाले सामाजिक व आर्थिक वातावरण की निर्मिती हो सके। 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि में अपने सम्बोधन में पं. जवाहरलाल नेहरू ने इसी साध्य के परिपेक्ष्य में यह घोषित किया था कि '... ठीक अर्धरात्रि के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और आज़ादी में जागेगा। भारत की सेवा का मतलब है–करोड़ों पीड़ितों की सेवा। ..हमें स्वतंत्र भारत का एक भव्य महल बनाना है, जिसमें भारत माता के सभी बच्चे रह सकें...।' यह आह्वान भी इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि परतंत्र भारतवर्ष में मुक्ति की कामना का सशक्त आधार, मानवीय जीवन और मानक जीवनस्तर की प्राप्ति का साध्य था। सर्वमान्य तथ्य है कि मानव अधिकारों का भी साध्य मानवीय जीवन और सम्माननीय जीवन स्तर की स्थापना है। 15 अगस्त 1947 के पश्चात भारतवर्ष में अनेक ऐसी उपलब्धियां स्थापित हुई हैं जिनसे मानव अधिकारों की स्थापना और भारतीय जनगण के मानक जीवन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 70वर्षों के पश्चात और गणतंत्रात्मक शिलान्यास के साथ ही भारतीय राज व्यवस्था में उन रचनात्मक उद्यमों तथा मानक संवैधानिक प्रावधानों का प्रादुर्भाव निस्संदेह हुआ है जिसके कारण स्वतंत्र भारतवर्ष में मानव अधिकारों की स्थापना का मार्ग निष्कंटक हुआ है।इसका साक्ष्य यह है कि इन रचनात्मक उद्यमों और मानक संवैधानिक प्रावधानों का मानव अधिकारों के संरक्षण व संवर्धन हेतु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अस्तित्व में आयी प्रसंविदाओं, घोषणाओं और विधानों से प्रशंसनीय साम्यता है। मानव अधिकारों की स्थापना व क्रियान्वयन को प्रशस्त करने वाली भारतीय संवैधानिक व्यवस्था एवं गणतंत्रीय राज व्यवस्था के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं–

• सह प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, शास. एस. एम. एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय महाविद्यालय, शिवपुरी, म.प्र.

♦ सह प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, शोध केंद्र एवं स्नातकोत्तर, राजनीति विज्ञान, शास. एस. एम. एस. स्नातकोत्तर, शिवपुरी, म.प्र.

Hkkjrh; ykdr= e ekuo vfèkdkjk dh l)kfrd miyfCèk;k

भारत में गणतंत्रात्मक लोकतंत्र का प्रारम्भ 26 जनवरी 1950 से माना जाता है। सर्वविदित है कि इसी दिन हमारा पवित्र संविधान अपने सम्पूर्ण अर्थो के साथ क्रियान्वित हुआ था। इन दोनों तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष प्राप्त करना पूर्णतः तार्किक है कि भारतीय गणतंत्रात्मक लोकतंत्र का मौलिक आधार उसका संविधान है। अतः यदि भारत के गणतंत्रात्मक लोकतंत्र की मानव अधिकारों के प्रति कटिबद्धता को स्पष्ट करना है तो भारतीय संविधान के उन प्रावधानों का अध्ययन करना होगा, जो मानव अधिकारों की सुनिश्चितता से स्पष्टतः सम्बद्ध है।

सामान्यतः सम्पूर्ण भारतीय संविधान मानव अधिकारों की सुनिश्चितता हेतु प्रतिबद्ध है, परन्तु निस्सन्देह भारतीय संविधान के कुछ अंश प्रत्यक्षतः मानव अधिकारों के संरक्षण व संवर्द्धन से सम्बद्ध है। इन अंशों में भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान का भाग तीन व भारतीय संविधान का भाग चार प्रमुख रूपेण उल्लेखनीय है। भारतीय संविधान के ये अंश व्यक्ति के लिए उन परिस्थितियों और सुविधाओं की सुलभता हेतु प्रतिबद्ध है, जिसे मानव अधिकारों की संज्ञा दी जा सकती है। इसमें कोई सन्देह नहीं है। दृष्टव्य तथ्य यह है कि क्या ये प्रावधान मानव अधिकारों के अंतरराष्ट्रीय मानक के समरूप हैं ? दूसरे शब्दों में, मानव अधिकारों से सम्बंधित संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रावधान, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा तथा नागरिक व राजनीतिक अधिकारों से सम्बंधित अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा और आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों से सम्बंधित अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा के प्रावधानों से भारतीय लोकतंत्र की आधारभूमि –उसका संविधान–कितनी साम्यता स्थापित करता है।

मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संविधान का अंतरराष्ट्रीय मानक के साथ तुलनात्मक अध्ययन निम्नवत किया जा सकता है –

Hkkjrh; lfoèkku dh iLrkouk

उच्चतम न्यायालय के अनेक निर्णयों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देषिका के महत्व को इंगित किया है। यदि शीर्ष न्यायालय ने ये निर्णय दिये हैं कि उद्देशिका का प्रवर्तन न्यायालय में नहीं किया जा सकता है, तो दूसरी ओर ऐसे निर्णय भी दिये हैं, जिसमें कहा गया है कि जहां संविधान की भाषा में संदिग्धता होती है, वहां उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वचन में सहायता करती है। निस्सन्देह 'उद्देशिका से दो प्रयोजन सिद्ध होते हैं (क) उद्देशिका यह बताती है कि संविधान के प्राधिकार का स्त्रोत क्या है तथा (ख) वह यह भी बताती है कि संविधान किन

उद्देष्यों को संवर्द्धित या प्राप्त करना चाहता है।'[1]

भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नवत है &

हम भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार–अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिष्चित करने वाली बंधुता बढाने के लिए दृढ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26–11–1949 ई. (मिति मार्गषीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।'

उद्देशिका में राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र और न्याय एक दूसरे के पूरक भी है। लोकतंत्र की सच्चे अर्थो में स्थापना स्वतः न्याय का मार्ग प्रशस्त करता है और न्याय की सार्वजनिक व सार्वभौमिक सुलभता स्वयमेव लोकतंत्र की दृढ स्थापना करता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा इसी परिप्रेक्ष्य में उद्देशिका को सम्पूर्ण भारतीय संविधान की वास्तविक व संक्षिप्त व्याख्या स्वीकारा जाता रहा है।

जहां तक पश्न इस बात का है कि प्रस्तावना में मानव अधिकारो के तत्वों के समावेष का स्तर क्या है ? इसके प्रत्युत्तर में कहा जा सकता है कि पूरी उद्देशिका जनगण के कल्याण की भावना से ओत–प्रोत है और निस्सन्देह जनगण का कल्याण मानव अधिकारों का सर्वोच्च व सशक्त आग्रह है। इसे अग्रवत देखा जा सकता है–

भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारम्भ 'हम भारत के लोग ....'' शब्दों से होता है। ये शब्द यह सन्देश स्थापित करने में सक्षम है कि भारतीय जनतंत्र का कोई भी प्राधिकारी भारतीय जनगण की आज्ञा से ही पदारूढ हो सकता है। उद्देशिका में लोकतंत्र, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, न्याय, स्वतंत्रता व समानता, बंधुता, पंथनिरपेक्षता और अंततः व्यक्ति की गरिमा जैसे शब्दों को स्थान देने के पीछे संविधान निर्माताओं का मंतव्य स्पष्ट है कि वे भारतीय जनतंत्र का श्री गणेश मानव अधिकारों के तिलक से ही करना चाहते थे। मानव अधिकारों से सम्बंधित संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रावधान, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, नागरिक व राजनीतिक अधिकारों सम्बंधी तथा आर्थिक,सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों सम्बंधी अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदायें आदि सबमें ऐसी शासन व्यवस्था की बात कही गयी है, जो जनगण की आकांक्षा के अनुरूप होने के साथ–साथ जनगण के लिए स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, न्याय और जनगण की गरिमा को संरक्षित, सुनिश्चत व संवर्द्धित करता हो। भारतीय

जनतंत्र का आधार–भारतीय संविधान की उद्देशिका निश्चय ही मानव अधिकारों के अंतरराष्ट्रीय मानक के सारगर्भित अर्थो से स्पन्दित है और संविधान निर्माता अपने इस मंतव्य में भी सफल रहे हैं कि भारतीय गणतंत्र का शुभारंभ मानव अधिकारो के शंखनाद से होना चाहिए।

उद्देशिका के संवेदनशील व रचनात्मक चरित्र पर प्रकाश डालते हुए दुर्गादास वसु का कहना है 'उद्देशिका में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को समानता और बंधुता से जोडते हुए, जो स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है। उसे महात्मा गांधी ने 'मेरे स्वप्नों का भारत' कहकर वर्णित किया था।'[2]

'हमारी उद्देशिका में किए गये इस सफल संयोजन की अर्नेस्ट बार्कर ने भूरि–भूरि प्रषंसा की है। उन्होंने अपनी पुस्तक 'सोशल एण्ड पोलिटिकल थ्योरी' के प्रारंभिक भाग में इस उद्देशिका को उद्धरित किया है और यह सम्प्रेषण किया है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में इस पुस्तक के समस्त तर्क संक्षेप में समाहित है और वह इस पुस्तक की कुंजी के रूप में कार्य कर सकती है।[3]

वस्तुतः प्रस्तावना को सम्पूर्ण भारतीय संवैधानिक दर्शन का सार कहा जा सकता है। भारतीय जनतंत्र की शिराओं में जो रक्तरूपी संवैधानिक धारायें प्रवाहित हो रही हैं। उद्देशिका को उसका हृदय रूपी केन्द्र स्वीकारा जाना चाहिए। भूतपूर्व न्यायाधीश हिदायतुल्ला के शब्दों में 'भारतीय संविधान की प्रस्तावना समूचे संविधान की आत्मा है, शाश्वत और अपरिवर्तनीय। प्रस्तावना में संवैधानिक जीवन के वैविध्य का भी उल्लेख मिलता है और भविष्य दर्शन का भी।

प्रस्तावना किस प्रकार पूरे संविधान का सार है और किस प्रकार पूरे संविधान को प्रेरित करती है। उसे डॉ. सुभाष कश्यप के इन शब्दों से समझा जा सकता है – 'प्रस्तावना में जिन तथ्यों, सिद्धांतों तथा आदर्शो का निरूपण हुआ है वे समूचे संविधान में अंर्तव्याप्त हैं और संविधान की विभिन्न धाराओं का उद्गम प्रस्तावना में विद्यमान है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि उद्देशिका मानव अधिकारों के अर्थ से जीवंत है, क्योंकि भारतीय जनतंत्र का अभिलेखीय स्वरूप मानव अधिकारों की भावना से स्पंदित है और निस्सन्देह यह 'स्पंदन' और 'जीवंतता' एक–दूसरे के पूरक है।

Hkkjrh; lfoèkku dk Hkkx rhu

Hkkjrh; lfoèkku d Hkkx rhu dh ekuo vfèkdkjk d vrjjk"Vh; çkoèkuk l lkE;rk

भारतीय जनतंत्र के अभिलेखीय स्वरूप – संविधान के भाग तीन में मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया है। भारतीय राजनीति में मौलिक अधिकारों की मांग का इतिहास 1895 से प्रारम्भ होता है, पुनः 1915 में एनी बेसेण्ट द्वारा 'होम रूल विधेयक' में मौलिक अधिकारों की मांग की गयी। तत्पश्चात् भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1927 में मद्रास अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की घोषणा के प्रति संकल्प का निर्धारण किया था। इसी प्रकार 1928 में नेहरू समिति द्वारा जिस भावी संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था, उसमें भी मौलिक अधिकार समाहित थे। इतना ही नहीं भारतीय राष्ट्रीय कांगेस द्वारा 1931 के करांची अधिवेशन मे मूल अधिकारों की मांग को पुनः दोहराया गया था। इन दृष्टांतों के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय राज व्यवस्था में मानव अधिकारों के प्रति उत्कण्ठा बहुत प्रारम्भ से रही है।

भारतीय संविधान के भाग तीन में जिन अधिकारो को स्थान दिया गया है, उनके लिए मानव अधिकार शब्द युग्म का प्रयोग न करते हुए ''मौलिक अधिकारों शब्द द्वय का प्रयोग किया गया है। परन्तु भारतीय मौलिक अधिकार मानव अधिकारों की अवधारणा से पूरी तरह गर्भित है। मौलिक अधिकारों और मानव अधिकारों का अंतरराष्ट्रीय मानक के मध्य तुलनात्मक अध्ययन निम्नवत किया जा सकता है –

समस्त अधिकारों को चाहे उनका उल्लेख अंतरराष्ट्रीय घोषणाओं या प्रसंविदाओं में हुआ हो या चाहे उनका उल्लेख भारतीय संविधान में हुआ हो, स्पष्टतः दो कोटियों' (अ) नागरिक व राजनीतिक जीवन से सम्बंधित अधिकार (ब) आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन से सम्बंधित अधिकार मे विभाजित किया जा सकता है। यहां भी समस्त अधिकारों को इन्हीं दो कोटियों में विभाजित करके तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है –

¼v½ ukxfjd ,oa jktuhfrd vf/kdkj

Ø-	ekuo vf/kdkjksa dh lkoZHkkSfed ?kks"k.kk 1948	Hkkjrh; lafo/kku ds Hkkx rhu esa mfYyf[kr le:i ekuo vf/kdkj
1.	व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता एवं सुरक्षा का अधिकार – अनुच्छेद 3	अनुच्छेद 21
2.	दासता व दास व्यापार का निषेध – अनुच्छेद 4	अनुच्छेद 23
3.	विधि के समक्ष समानता एवं भेदभाव निषेध अनुच्छेद 7	अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 15(1)

4.	अधिकारों के उल्लंघन के विरूद्ध प्रभावशाली उपचार का अधिकार – अनुच्छेद 8	अनुच्छेद 32
5.	स्वेच्छाचारी बन्दीकरण अथवा निरोध आदि के विरूद्ध अधिकार – अनुच्छेद 9	अनुच्छेद 22
6.	अपराध की दोषसिद्धि न होने पर दण्ड प्राप्त न करने की स्वतंत्रता – अनुच्छेद 11(2)	अनुच्छेद 20(1)
7.	स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार अनुच्छेद 13(1)	अनुच्छेद 19(1)घ
8.	विचार, अंतःकरण एवं पंथ की स्वतंत्रता का अधि. कार–अनुच्छेद 18	अनुच्छेद 25(1)
9.	मत निर्मित करने तथा उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार–अनुच्छेद 10	अनुच्छेद 19(1) क
10.	शांतिपूर्ण सभा एवं संघ निर्माण की स्वतंत्रता का अधिकार–अनुच्छेद 20(1)	अनुच्छेद 19(1) ख
11.	लोक सेवाओं में प्रवेश का समान अधिकार अनुच्छेद–21(2)	अनुच्छेद 16 (1)
12.	व्यापारिक या व्यवसायिक संघ बनाने तथा उसकी सदस्यता प्राप्ति का अधिकार अनुच्छेद–23 (4)	अनुच्छेद 19(1) ग

Ø-	ukxfjd ,oa jktuhfrd vfèkdkjksa dh varjjk"Vªh; izlafonk ¼1966½	Hkkjrh; lafoèkku ds Hkkx rhu esa of.kZr le:i ekuo vfèkdkj
1.	व्यक्ति के जीवन का अधिकार तथा स्वतंत्रता एवं व्यक्ति की सुरक्षा का अधिक–अनुच्छेद 6(1) तथा 9(1)	अनुच्छेद 21
2.	अनिवार्य एवं बलात् श्रम के विरूद्ध अधिकार – अनुच्छेद 8(3)	अनुच्छेद 23
3.	स्वेच्छाचारी बन्दी अवस्था व निषेध आदि के विरूद्ध अधिकार – अनुच्छेद 9(2)(3) एवं (4)	अनुच्छेद 22

4.	आवागमन की स्वतंत्रता एवं निवास के चयन का अधिकार – अनुच्छेद 12(1)	अनुच्छेद 19(1)घ
5.	न्यायाधिकरणों व न्यायालयों के समक्ष व्यक्ति की समानता का अधिकार– अनुच्छेद 14(1)	अनुच्छेद 14
6.	स्वयं के विरूद्ध गवाही देने तथा दोष की स्वीकृति के विरूद्ध अधिकार – अनुच्छेद 14 (3छ)	अनुच्छेद 20(3)
7.	एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दण्ड प्राप्ति के विरूद्ध अधिकार–अनुच्छेद 14(7)	अनुच्छेद 20(2)
8.	अपराध की दोष सिद्धि न होने पर दण्ड प्राप्त न करने की स्वतंत्रता–अनुच्छेद 15(1)	अनुच्छेद 20(1)
9.	विचार, अंतःकरण एवं पंथ की स्वतंत्रता का अधि. कार–अनुच्छेद 18(1)	अनुच्छेद 25
10.	मत निर्माण एवं उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19(1) एवं (2)	अनुच्छेद 19(1) क
11.	शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार–अनुच्छेद 21	अनुच्छेद 19 (1) ख
12.	अन्य लोगों के सहयोग से संघ निर्माण एवं स्वि. हत रक्षार्थ व्यवसायिक संघ का सदस्य बनने का अधिकार–अनुच्छेद 22(1)	अनुच्छेद 19(1) ग
13.	स्वराष्ट्र की लोक सेवाओं में प्रवेश का समान अधि. कार–अनुच्छेद 25(ग)	अनुच्छेद 16(1)
14.	विधि के समक्ष समानता तथा विधि का समान सं. रक्षण प्राप्त करने का अधिकार–अनुच्छेद 26	अनुच्छेद 14 तथा 15(1)
15.	प्रजातीय, धार्मिक व भाषायी अल्पसंख्यको के अधि. कारों का संरक्षण–अनुच्छेद 27	अनुच्छेद 29 तथा 30

¼c½ vkfFkZd] lkekftd ,oa lkaL—frd vfèkdkj

Hkkjrh; lafoèkku dk Hkkx pkj
Hkkjrh; lafoèkku ds Hkkx pkj dh ekuo vfèkdkjksa ds vUrjkZ"Vªh; çkoèkkuksa ls lkE;rk

संविधान निर्माता इस सत्य से परिचित थे कि यदि जनगण को सच्चा मानवीय जीवन प्रदान करना है, तो उन्हें ऐसी परिस्थितियां उपलब्ध करानी होगी, जिसमें

उनके आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार फलीभूत हो सके। परन्तु संविधान सभा इस क्रूर परन्तु सत्य तथ्य से भी अपरिचित नहीं थी कि देश की अवस्था ऐसी नहीं है कि वह समस्त जनगण को आवश्यक आर्थिक व सामाजिक अधिकार उपलब्ध करा सके। अतः उन्होंने एक ऐसे अध्याय को भारतीय जनतंत्र के अभिलेखीय स्वरूप में स्थान दिया जो भारत के जनगण के आधारभूत आर्थिक व सामाजिक अधिकारों से सम्बंधित है। इस अध्याय का शीर्षक ''राज्य के नीति के निदेशक तत्व'' तथा इसका क्रम चतुर्थ निर्धारित किया गया।

अध्याय चार की सर्वप्रमुख विषेषता यह है कि इसे न्याययोग्य नहीं बनाया गया है। अर्थात् यदि नागरिक इस अध्याय में वर्णित अधिकारों को राज्य द्वारा प्राप्त नहीं करता है, तो वह न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता नहीं प्राप्त कर सकेगा। परन्तु इस बिन्दु पर यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि उच्चतम न्यायालय द्व ारा अपने कई निर्णयों में निदेशक तत्वों में उल्लिखित कई अधिकारों को मौलिक व आधारभूत स्वीकारा गया है और प्रायः अपने कई निर्णयों के माध्यम से यह भी स्थापित किया है कि मौलिक अधिकारों व निदेशक तत्वों को पृथक–पृथक संदर्भो के साथ नहीं देखा जाना चाहिए। दोनों एक दूसरे के पूरक है।

जहां तक प्रश्न इस तथ्य का है कि मौलिक अधिकारों और निदेशक तत्वों में अधिक महत्व किसका है ? इसके प्रत्युत्तर में कहा जा सकता है कि चेतन मस्तिष्क व स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ नागरिक की रचनायें करते हैं और संविधान के भाग चार में जिन अधिकारों का उल्लेख किया गया है, उनके अभाव में एक स्वस्थ नागरिक की रचना सम्भव नहीं है। पूर्व प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती के शब्दों में कहा जा सकता है कि 'आर्थिक व सामाजिक अधिकारो की वास्तविक प्राप्ति ही किसी राष्ट्र के सम्पूर्ण जनगण को नागरिक व राजनीतिक अधिकारो की यथार्थ अनुभूति करा सकते हैं।ः भारतीय जनतंत्र के अभिलेखीय स्वरूप के भाग चार में उल्लिखित आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों की मानव अधिकारों के अंतरराष्ट्रीय मानक के साथ निम्नवत तुलना की जा सकती है –

I.

Ø-	ekuo vfèkdkjks dh lkoHkkfed ?kks"k.kk 1948	Hkkjrh; lafoèkku Hkkx pkj esa of.kZr le:i ekuo vfèkdkj
1.	कार्य करने का अधिकार व व्यवसाय चयन का अधि. कार तथा कार्य करने की न्यायोचित दशायें प्राप्त करने का अधिकार – अनुच्छेद 23(2)	अनुच्छेद 41
2.	समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिका. र–अनुच्छेद 23(2)	अनुच्छेद 39(घ)
3.	न्यायोचित पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिका. र–अनुच्छेद 23(3)	अनुच्छेद 43
4.	विश्राम एवं अवकाश प्राप्ति का अधिकार अनुच्छेद 24	अनुच्छेद 43
5.	प्रत्येक का अपने तथा अपने परिवार के लिए न्यायो. चित जीवनस्तर प्राप्ति का अधिकार – अनुच्छेद 25(1)	अनुच्छेद 39(क) तथा 47
6.	निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्राप्ति का अधिकार अनुच्छेद 26(1)	अनुच्छेद 41 तथा 45
7.	न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था का अधिकार अनुच्छेद 28	अनुच्छेद 38

II.

Ø-	vkfFkZd] lkekftd ,oa lkaL—frd vfèkdkjksa dh vUrjkZ"Vªh; izlafonk ¼1966½	Hkkjrh; lafoèkku Hkkx pkj esa of.kZr le:i ekuo vfèkdkj
1.	महिला, पुरूष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन – अनुच्छेद 7(क)(1)	अनुच्छेद 39(घ)
2.	बालको एवं किशोरों को विशेष संरक्षण– अनुच्छेद 10(3)	अनुच्छेद 39(च)
3.	व्यवसाय का अधिकार – अनुच्छेद 6(1)	अनुच्छेद 41

4.	काम की न्यायोचित और मानवीय दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान – अनुच्छेद 7(ख) तथा 10(घ)	अनुच्छेद 42
5.	कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी – अनुच्छेद 7(क) प्प तथा 7(ख)	अनुच्छेद 43
6.	बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा – अनुच्छेद 13(2)(क)	अनुच्छेद 45
7.	जीवन स्तर, पोषाहार का स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार हेतु राज्य का कर्तव्य – अनुच्छेद 11	अनुच्छेद 47

ekuo vfèkdkj laj{k.k vfèkfu;e 1994

प्रस्तावना, भाग तीन व भाग चार का मानव अधिकारों के अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ तुलनात्मक अध्ययन यह सिद्ध करता है कि भारतीय जनतंत्र का अभिलेखीय स्वरूप – संविधान–मानव अधिकारों की अवधारणा को आत्मसात किये हुए हैं। इन व्यवस्थाओं के बाद भी मानव अधिकारों के संरक्षण व संवर्द्धन को यथासंभव सीमा तक प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1994 के अंतर्गत मानव अधिकारों के राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गयी है।

28 सितम्बर 1993 को भारत के राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश द्वारा मानव अधिकारों का राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया है। लोकसभा ने इसके बाद 18 दिसम्बर 1993 को मानव अधिकारों के विधेयक को स्वीकृति दी, जिस पर 8 जनवरी 1994 को राष्ट्रपति ने सहमति अंकित की तथा 10 जनवरी 1994 को भारतीय राजपत्र, असाधारण में इसका प्रकाशन हुआ। इस प्रकार पूर्व प्रसारित अध्यादेश का स्थान मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1994 ने ले लिया।5

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की रचना

अधिनियम के अनुसार आयोग की रचना निम्नवत होगी –

1. अध्यक्ष, जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो;
2. एक सदस्य जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो;
3. एक सदस्य जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या रहा हो;
4. दो सदस्य, जिन्हें मानव अधिकारों का व्यावहारिक ज्ञान हो।

इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जाति व जनजाति राष्ट्रीय आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष भी इसके सदस्य रूप में स्वीकृत है। आयोग का एक महासचिव भी होता है।

vk;ksx ds dk;Z

अधिनियम 1994 के अनुसार आयोग के निम्नांकित कार्य होंगे –

1. स्वयं पीडित या किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत याचिका पर (क) मानव अधिकारों का उल्लंघन या दुर्भावनापूर्ण ऐसे किसी कृत्य की रोकथाम (ख) किसी पदाधिकारी द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन के निषेध हेतु की गयी उपेक्षा की जांच,
2. सम्बंधित न्यायालय की अनुमति से मानव अधिकारों के उल्लंघन से सम्बंधित प्रकरण में हस्तक्षेप करना,
3. जेल या अन्य ऐसी संस्था या अस्पताल या सुधार गृह आदि की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करना,
4. संविधान या विधि द्वारा मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु प्रदत्त व्यवस्थाओं की समीक्षा करना तथा उनके प्रभावशाली क्रियान्वयन हेतु आवश्यक अनुशंसायें करना,
5. मानव अधिकारों के संवर्द्धन में आतंकवाद सहित बाधक तत्वों की समीक्षा करना तथा आवश्यक उपचारात्मक उपायों की अनुशंसा करना,
6. मानव अधिकारों से सम्बंधित अंतरराष्ट्रीय संधियों आदि का अध्ययन करना तथा प्रभावशाली क्रियान्वयन हेतु आवश्यक अनुशंसा करना,
7. मानव अधिकारों के क्षेत्र में शोध को प्रोत्साहित करना।
8. संचार माध्यमों, प्रकाशन और सेमिनार आदि के माध्यम से मानव अधिकार साक्षरता व मानव अधिकार संरक्षण हेतु उपलब्ध साधनों का प्रचार–प्रसार करना,
9. मानव अधिकारों से सम्बंधित गैर सरकारी संगठनों व संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करना,
10. मानव अधिकारों के संरक्षण व संवर्द्धन हेतु अन्य आवश्यक उपाय करना।6

ekuo vfèkdkjk d ifji{k e lpuk dk vfèkdkj

वर्तमान में वैश्विक क्षितिज पर जिस प्रकार मानव अधिकारों के प्रति आग्रह सशक्त हो रहा है, उस आधार पर भी सूचना प्राप्ति अधिकार अधिनियम 2005 का क्रियान्वयन अत्यंत शुभ संकेत है। अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर अब तक मानव अधिकारों की जितनी भी घोषणायें, प्रसंविदायें तथा अभिसमय अस्तित्व में आये हैं, सूचना प्राप्ति के अधिकार को किसी न किसी प्रकार से रेखांकित किया जाता रहा है। भारत में भी उच्चतम न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में सूचना के अधिकार को स्वीकृति प्रदान की है।

अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर 10 दिसम्बर 1948 की मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा मानव अधिकारों के इतिहास में अत्यंत प्रमुख घटना स्वीकारी जाती है। सार्वभौमिक घोषणा 1948 के अनुच्छेद 19 में मानव के मत रखने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को रेखांकित किया गया है। इसी प्रकार नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों की अन्तरराष्ट्रीय प्रसंविदा 1966 के अनुच्छेद 19 में भी मत तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है।7

मानव अधिकारों एवं मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु यूरोपीय अभिसमय 1950 के अनुच्छेद 10 में स्पष्टरूपेण उल्लिखित है कि प्रत्येक को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता व अधिकार होगा। इस अनुच्छेद में मत निर्धारित करने तथा विचार व सूचना प्राप्त करने व देने के अधिकार को रेखांकित किया गया है।8

मानव अधिकारों पर अमेरिकी अभिसमय 1969 में भी अनुच्छेद 13 में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रेखांकित किया गया है।9

मानव एवं जन अधिकारों के अफ्रीकी चार्टर 1981 के अनुच्छेद 9 में सूचना के अधिकार का स्पष्ट रूपेण उल्लेख है।11 यह चार्टर इस आधार पर विशिष्ट कहा जा सकता है कि इसमें सूचना का अधिकार शब्दों का ही प्रयोग किया गया है।। अर्थात परिवर्तित समय की आवश्यकता को स्पष्टतः स्वीकारा गया है।

f'k{kk dk ekfyd vfèkdkj

ज्ञान, समझ और कौशल एकमात्र वह विशिष्टता है जो मनुष्य को अन्य प्राणियों से उच्चतर स्थापित करता है तथा संपूर्ण सभ्यता को दिन–प्रतिदिन प्रगति के सोपान हेतु आमंत्रित करता है। इसी पृष्ठ भूमि में भारतीय लोकतंत्र में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करने का बहुप्रतीक्षित कार्य संपन्न किया गया। भारतीय संसद द्वारा 04 अगस्त 2009 को संविधान में संशोधन कर अनुच्छेद

21क को सम्मिलित किया गया जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और शुल्क मुक्त शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। यह अधिकार 09 अप्रैल 2010 से क्रियान्वित हो गया है। शिक्षा प्राप्ति को मौलिक अधिकार का स्वरूप प्रदान कर भारतवर्ष ने मानव अधिकारो ंको ही सशक्त और संरक्षित करने का प्रयास किया है।

mi lgkj

उपलब्धियों की एक श्रेणी वह भी होती है जिसे आधारभूत अथवा संरचनात्मक विशिष्टता की संज्ञा दी जा सकती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों एवं राज्य के नीति निदेशक तत्वों से सम्बंधित अध्याय उसी आधारभूत व विशिष्ट कोटि की उपलब्धियां हैं जिनके सतप्रभाव से भारतीय लोकतंत्र स्वतंत्रता के पश्चात के सत्तर वर्षों में मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में अनेक मानक विधि, विधान व प्रावधान रच सका है। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मध्यान्ह भोजन का अधिकार, मनरेगा, पंचायतों में महिलाओं और दुर्बल वर्ग के लोगों का आरक्षण, फसलबीमा योजना, आयुष्मान योजना, जनधन योजना और उज्जवला योजना इत्यादि वे कतिपय प्रमुख व्यवस्थाएं और प्रबंध है जो मानव अधिकारों का प्रत्यक्ष संवर्धन करती हैं तथा जो इन्ही संवैधानिक उपबंधों के कारण अस्तित्व में आ सके हैं। 1950 की गणतंत्रीय व्यवस्था ने प्रारम्भ से ही संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेषक तत्वों के माध्यम से राज व्यवस्था की भूमि को उर्वर बनाने का कार्य इस भंगिमा के साथ किया है कि भारतीय गणतंत्र समय समय पर तथा देश व काल की गति व आकांक्षा का सम्मान करते हुए मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन का कार्य अत्यंत सहज व मौलिक स्वरूप में करने में सक्षम हो सका है। स्वातंत्रोत्तर भारतवर्ष के सत्तर वर्षों में मौलिक अधिकारों के क्षेत्र में प्रगति का हेतु निस्संदेह संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्त्व हैं। यह भारतीय गणतंत्र के सात दशकों की आधारभूत विशिष्ट उपलब्धियां हैं।

lUnHkZ lwph %

1. बसुदुर्गादास (२००४) 'भारत का संविधानः एक परिचय', वाधवा एंड कंपनी, नयी दिल्ली।
2. ––––––वही––––––
3. ––––––वही––––––
4. अग्रवाल एच. ओ. (2000) 'ह्यूमन राइट्स' सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद।
5. कपूर एस के (२००१) 'मानव अधिकार' सेंट्रल लॉ एजेंसी इलाहाबाद।
6. अग्रवाल एच. ओ. (२००२) 'ह्यूमन राइट्स' सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद।
7. कपूर एस के (२००१) 'मानव अधिकार' सेंट्रल लॉ एजेंसी इलाहाबाद।

8. ——————वही——————

9. अग्रवाल एच. ओ. (२००२) 'ह्यूमन राइट्स' सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद।

10. कपूर एस के (२००१) 'मानव अधिकार' सेंट्रल लॉ एजेंसी इलाहाबाद।

• • •

मानवाधिकार, सामाजिक न्याय एवं पर्यावरण संरक्षण: एक मूल्यांकन

Mk- ek- vtoj [kku•
Mk- j'kek [kkru♦

बीज शब्द: मानव समाज, समाजिक न्याय, प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरणीय संगठन मानवाधिकार हनन

lkjka'k%&

इस लेख में मानवाधिकारों के परिप्रेक्ष्य में विकास से हुई पर्यावरण हानि का देखने का प्रयास किया गया। पर्यावरण की संकल्पना भारतीय संस्कृति में सदैव प्रकृति से की गई है। जहाँ समस्त जीवधारी प्राणियों और निर्जीव पदार्थों में सदा एक दूसरे पर निर्भरता व समन्वय की स्थिति रही है। भारत जैसे विकासशील देश में पर्यावरण प्रदूषण गरीबी के कारण है, जबकि विकसित देशों में पर्यावरण प्रदूषण अमीरी के कारण है। पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय से तात्पर्य है – प्रकृति के पारिस्थितिक तन्त्र का सन्तुलन, यह तभी सम्भव है जबकि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग तो किया जाए लेकिन दुरपयोग ना हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक के जीवन के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। पर्यावरण.प्रदूषण से बचाव तथा उन्मूलन के विश्वस्तरीय प्रयासों के कदम से कदम मिलाते हुये भारतीय विधि.विधान तथा न्यायपालिका ने भी सराहनीय योगदान किया है। लंदन कन्वेन्शन ऑन प्रिजर्वेशन ऑफ फौना एंड फ्लोरा, 1993 तथा रोम इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेन्शनए 1951 की स्वीकृति के परिणामस्वरूप इन विषयों पर विधि निर्मित करना भारतीय विधायिका के लिये आवश्यक था। विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों पर कार्य करने के लिये संयुक्त राष्ट्र द्वारा राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सरकारों तथा सिविल सोसाइटी द्वारा कई पर्यावरण संबंधी संस्थाएँ एवं संगठन स्थापित किए गए हैं।

ifjp;

मानव और प्रकृति के बीच विशेष संबंध रहे हैं। प्रारंभिक सभ्यताएं नदियों के तट पर स्थापित हुईं। प्रकृति के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से रहने वाले समाज फलते–फूलते

• सहायक आचार्य, नेहरू मैमोरियल विधि महाविद्यालय, हनुमानगढ़ टाउन (राजस्थान)
♦ पुस्तकालय अध्यक्ष, नेहरू मैमोरियल विधि महाविद्यालय, हनुमानगढ़ टाउन (राजस्थान)

हैं और समृद्ध होते हैं। मानव समाज आज एक महत्वपूर्ण चौराहे पर खड़ा है। हमने जो रास्ता तय किया है, वह न केवल हमारा कल्याण निर्धारित करेगा, बल्कि हमारे बाद इस ग्रह पर आने वाली पीढ़ियों को भी खुशहाल रखेगा। लालच और आवश्यकताओं के बीच असंतुलन ने गंभीर पर्यावरण असंतुलन पैदा कर दिया है। हम या तो इसे स्वीकार कर सकते हैं या पहले की तरह ही चल सकते हैं या सुधार के उपाय कर सकते हैं। मानवाधिकार का सम्बन्ध उन परिस्थितियों से है जो मनुष्य को उसकी स्वाभाविक नियति तक पहुँचने के लिये अनिवार्य हैं तथा जिनमें उसके व्यक्तित्व के सभी आयाम अपने पूर्ण रूप में विकसित होते हैं। मानवाधिकार का केंद्र बिंदु मनुष्य है, अतः सर्वोत्कृष्ट मानवाधिकार व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। जीवन मानव का मूलभूत अधिकार है परन्तु जीवन का तात्पर्य केवल पशु स्तर का अस्तित्व नहीं है। अमेरिका के न्यायमूर्ति फील्ड ने कहा था कि जीवन शब्द में मात्र पशु स्तर के अस्तित्व से कुछ अधिक निहित है। इसमें मुनष्य के सभी अंग और शारीरिक–मानसिक क्षमताएँ भी शामिल हैं, जिनसे जीवन का सुख भोगा जाता है। भारतीय न्यायपालिका ने संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए जीवन के अधिकार में परम्परा, संस्कृति और विरासत, शिक्षा के अधिकार, आजीविका के अधिकार, प्रदूषण रहित जल एवं वायु के अधिकार तथा सन्तुलित पर्यावरण के अधिकार को भी सम्मिलित माना है। पहले यह बात विचित्र सी लग सकती थी कि पर्यावरण–प्रदूषण मानवाधिकार हनन से सम्बन्धित हो सकता है किन्तु अब अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण प्रदूषण को मानव जीवन के लिये गम्भीर माना जा चुका है और वैश्विक स्तर पर इससे उबरने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसलिये जब पर्यावरण–विसंगति मानव जीवन के लिये ही घातक है तो उसे मानवाधिकार–हनन से सम्बन्धित मानने में कोई सन्देह नहीं रह जाता क्योंकि जीवन का अधिकार सर्वोच्च मानवाधिकार है।

i;koj.k&çn"k.k vkj thou dk vfekdkj

मानव जीवन पारिस्थतिक सन्तुलन तथा पर्यावरण के गुण स्तर पर निर्भर करता है। पारिस्थितिक सन्तुलन सभी जीवधारियों की उत्तरजीविता के लिये अनिवार्य है। अतः जीवन का अधिकार पर्यावरण सन्तुलन के अधिकार का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। यदि किसी परिस्थिति या क्रिया–कलाप से पर्यावरण का प्राकृतिक–सन्तुलन प्रभावित होता है तो वह मानव जाति के विरुद्ध जीवन के अधिकार का हनन है और उसे मानवाधिकार–हनन के रूप में लिया जाना चाहिए। मानव–विकास का इतिहास प्रकृति के नियंत्रण और दोहन में समाहित है। प्राकृतिक संसाधनों का सन्तुलित तथा विवेकपूर्ण दोहन एवं उपयोग मानव जाति की प्रगति का पर्याय है तो असन्तुलित तथा अविवेकपूर्ण दोहन विनाश का कारण बन सकता है। पर्यावरण का प्राकृतिक स्वरूप प्रकृति है। प्रकृति में प्राकृतिक व्यवस्था के अन्तर्गत परिवर्तन से पर्यावरण के भौतिक

और प्राकृतिक तत्वों के प्रभाव तथा उपयोग से मनुष्य के आर्थिक एवं सामाजिक पर्यावरण निर्मित होते हैं। जैव विकास के सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो मनुष्य सहित सम्पूर्ण जीव–जगत पर्यावरण की ही उपज है तथा उनका वर्तमान और भविष्य भी पर्यावरण पर निर्भर रहता है। अन्य प्राणियों की तुलना में पर्यावरण के सन्दर्भ में मनुष्य की भूमिका विशिष्ट है क्योंकि एक ओर तो वह दूसरे प्राणियों की भाँति पर्यावरण की उपज है तो दूसरी ओर पर्यावरण का नियंत्रक या संचालक भी। वह पर्यावरण को समृद्ध करने की बौद्धिक क्षमता तो रखता ही है, जाने–अनजाने उसके विनाश के उपाय भी करता रहता है, भले ही वैसा करना उसके लिये आत्मघाती हो।

प्रदूषणों को उत्पन्न करने वाले तत्वों को प्रदूषक कहते हैं। प्रदूषक प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। प्रायः प्राकृतिक प्रदूषकों के कुप्रभावों का प्रबन्ध प्रकृति स्वयं कर लेती है परन्तु मानव–निर्मित प्रदूषकों को निष्क्रिय करने की क्षमता उसमें कम होती है। अतः प्रदूषण मुख्य रूप से मनुष्य के कृत्यों से उत्पन्न होता है। पर्यावरण के प्रदूषकों का माध्यम विशेष रूप से वायु, जल या स्थल होता है। मरुस्थलीकरण, मृदा–प्रदूषण तथा लवणीकरण स्थलीय प्रदूषण के मुख्य उदाहरण हैं। प्रदूषण के मानवीय कारणों के मुख्य स्रोत हैं– औद्योगिक स्रोत तथा जनसंख्या स्रोत। औद्योगिक स्रोत से गैसीय प्रदूषक, ठोस प्रदूषक, हानिकारक रासायनिक प्रदूषक, रसायन मिश्रित अपषिष्ट जल तथा ऊष्मा प्रदूषक निःसृत होते हैं। असन्तुलित तथा प्राकृतिक संसाधनों का बेतहाशा दोहन, खनन एवं वनों की कटाई भी पर्यावरण असन्तुलन का एक मुख्य कारण है। कृषि प्रदूषकों में कीटनाशी, शाकनाशी एवं रोगनाशी रसायन, रसायनिक खाद, मशीन तथा यंत्र, रेडियोएक्टिव तत्व तथा कूड़ा–कचरा आदि प्रमुख हैं। जनसंख्या स्रोत से सीवेज–जल, गन्दगी, कूड़ा, वाहनों से निःसृत गैस मुख्य रूप से कार्बनडाइऑक्सीइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड और मशीनों, वातानुकूलित यंत्रों से निःसृत गैसें तथा ध्वनि प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। जल, वायु, भू तथा ध्वनि–प्रदूषण से होने वाले नुकसानों से हम सभी परिचित हैं।

प्रदूषण के कारण, कारक, स्रोत, परिणाम, प्रकार या उपचार में से प्रत्येक का विषय–क्षेत्र काफी विस्तृत है तथा प्रत्येक अपने आप में शोध का विषय हो सकता है। भूमि से खनिजों का खनन भी कई प्रकार से पर्यावरण को प्रभावित करता है। खानों में सबसे बड़ा प्रदूषक धूल होती है जो श्वास के माध्यम से खानों में काम करने वाले श्रमिकों को तो क्षति पहुँचाती ही है। खनन क्षेत्र के आस–पास के नागरिकों को भी बुरी तरह प्रभावित करती है। खानों में धूल के कणों की सांद्रता 7000 कण प्रति घन से.मी. तक पाई जाती है। खानों से विषाक्त गैसों का स्राव भी होता है जिससे श्वास के माध्यम से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

पर्यावरण के अवयवों का आपस में अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। प्रकृति–दोहन की मानवीय क्रियाओं से पर्यावरण के कारकों में असन्तुलित परिवर्तन हो रहा है जिसका स्वाभाविक रूप से समायोजन या परिमार्जन सम्भव नहीं है। फलतः पर्यावरण में हानिकारक अवषिष्ट उत्पन्न होते हैं जिससे पृथ्वी, जल, वायु आदि दूषित हो जाते हैं। इस प्रकार पर्यावरण प्रदूषित होता जाता है और प्राणि मात्र को घातक ढंग से प्रभावित करता है।

i;koj.k&çnw"k.k dk jkdu e vUrjjk"Vh; ç;kl

1948 में संयुक्त राष्ट्र ने प्रकृति संरक्षण के अन्तरराष्ट्रीय संघ (आई.यू.सी.एन.) की स्थापना की जिसे अब प्रकृति और प्राकृतिक साधनों के संरक्षण का अन्तरराष्ट्रीय संघ कहते हैं। पर्यावरण सम्बन्धी नीति निर्धारण और प्रशासन इसका कार्यक्षेत्र है। इस संघ ने विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य और कृषि संगठन तथा वैज्ञानिक संघों की अन्तरराष्ट्रीय परिषद के सहयोग से 1968 में पेरिस में जीवमंडल सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में जो नीतियाँ तय हुई थी उन पर 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित 'मानव पर्यावरण सम्मेलन' में विचार किया गया। स्टॉकहोम सम्मेलन में 113 देशों के प्रतिनिधियों तथा 400 गैर–सरकारी संस्थानों ने भाग लिया था। यह निश्चय किया गया कि पर्यावरण संरक्षण के लिये अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किये जाने चाहिए। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण की विश्व–नीति भी बनाई गई एवं राष्ट्रीय सरकारों और अन्तरराष्ट्रीय संगठनों के लिये 109 सूत्री सिफारिशें तथा 26 सिद्धांत अंगीकृत किये गए। इस सम्मेलन की खास बात यह थी कि पहली बार यह महसूस किया गया कि आर्थिक विकास पर्यावरण ह्रास के रूप में प्रतिफलित हो रहा है। सम्मेलन के बाद सरकारों ने 'संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम' (यु.एन.ई.पी.) की स्थापना की जो आज भी विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के उत्प्रेरक के रूप में कार्यरत है।

1983 में संयुक्त राष्ट्र ने जब 'पर्यावरण और विकास के विश्व आयोग' (डब्ल्यू..सी.ई.डी.) की स्थापना की तब यह महसूस किया गया कि पर्यावरणीय ह्रास जिसे औद्योगिक विकास का सीमित नुकसान वाला दुष्प्रभाव माना जा रहा था। वह विकासशील देशों के अस्तित्व पर खतरा बन गया है। अतः आयोग ने विकास की वैकल्पिक पद्धति के रूप में 'चिरजीवी–विकास' की अवधारणा प्रस्तुत की। चिरजीवी विकास पद्धति का तात्पर्य था कि हम अपनी आवश्यकताएँ इस ढंग से पूरी करें जिससे आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति सम्बन्धी क्षमता एवं अधिकार का हनन न हो। संयुक्त राष्ट्र ने आयोग के प्रतिवेदन पर विचारोपरांत 'पर्यावरण एवं विकास' विषय पर शिखर सम्मेलन कराने का निर्णय लिया ।

1972 के प्रथम भूमंडलीय पर्यावरण सम्मेलन, स्टॉकहोम के बीस साल बाद जून

1992 में ब्राजील की राजधानी रियो–डि–जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया जिसे 'पृथ्वी शिखर सम्मेलन' के नाम से जाना जाता है। इन बीस वर्षों में पर्यावरण की स्थिति में काफी गिरावट आई। वायु प्रदूषण स्तर कई गुना बढ़ गया था। ताप बढ़ाने वाली गैसों के उत्सर्जन से वायुमंडलीय परिवर्तन हो रहे थे। इन सबके सम्मिलित प्रभाव से ओजोन परत क्षीण हुई और सूर्य की पराबैगनी किरणों से जीव–जन्तु प्रभावित होने लगे। इस दौरान पृथ्वी से लगभग 50 करोड़ एकड़ वन क्षेत्र का सफाया हो गया तथा लगभग 50 करोड़ टन उपजाऊ कृषि–मृदा का क्षरण हुआ। समुद्री तथा धरातलीय जल का औद्योगिक कचरे से भीषण प्रदूषण हुआ जिसके परिणामस्वरूप अनेक वनस्पतियों एवं जंतुओं की प्रजातियाँ विलुप्त हो गईं। 1992 का यह सम्मेलन कई मायनों में अभूतपूर्व था। इस सम्मेलन में 178 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों तथा शासनाध्यक्षों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों और कलाकारों ने भी भाग लिया। सम्मेलन का मूल सन्देश था कि हमारी मनोवृत्ति में परिवर्तन के बिना पर्यावरण सुधार सम्भव नहीं है। इस सन्देश में विकसित और विकासशील देशों की समस्याओं का अन्तर सन्निहित था। विकसित देश पर्यावरण के गुणस्तर गिरने से चिंतित तो थे परन्तु अपने औद्योगिक विकास को कम करने को तैयार न थे जिसका कुपरिणाम पूरी मानव–जाति को भोगना पड़ रहा है। विकासशील देश चाहते थे कि विकसित देशों के असन्तुलित शोषण से पर्यावरण प्रदूषित हुआ है, अतः प्रदूषण दूर करने और पर्यावरण सन्तुलित करने का खर्च उन्हीं को उठाना चाहिए। तथापि पर्यावरण–प्रदूषण को मानवता के लिये गम्भीर खतरा मानते हुए रियो सम्मेलन में विकास की परम्परागत प्रक्रिया में परिवर्तन को लक्ष्य में रखकर तीन मुख्य अभिलेख अंगीकृत किये गए। प्रथमतः अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर चिरस्थायी विकास का क्रियान्वयन कार्यक्रम एजेंडा–21 तैयार किया गया। द्वितीय, पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा–पत्र जारी किया गया जिसमें राष्ट्रों के अधिकार और कर्तव्यों का विवेचन करने वाले कई सिद्धांत सन्निहित हैं। तृतीय, वनों के चिरस्थायी प्रबन्धन के सिद्धांत प्रकाशित किये गए। इसके अतिरिक्त विधिक रूप से बाध्यकारी दस्तावेज के रूप में जैविक विविधता तथा 'जलवायु' पर दो संधियों के प्रारूप हस्ताक्षर के लिये रखे गए।

इस क्रम में अगली कड़ी सितंबर, 2002 की चिरस्थायी विकास पर जोहान्सबर्ग घोषणा है जिसमें वैश्विक पर्यावरण एवं प्रदूषण पर प्रकाश डाला गया। इसके अतिरिक्त भी अनेक समझौते, संधियाँ तथा प्रसंविदाएँ हैं जो पर्यावरण संरक्षण और सुधार को समर्पित हैं। इन अन्तरराष्ट्रीय संधियों और समझौतों की सफलता विवादास्पद हो सकती है, किन्तु इतना निर्विवाद सत्य है कि पर्यावरण प्रदूषण को अब अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर जानलेवा मान लिया गया है और हर राष्ट्र में इसके निराकरण की दिषा में कुछ न कुछ कार्य किये जा रहे हैं।

नुसा दुआ सम्मेलन (बाली रोड मैप) 2007ः इंडोनेशिया के बाली द्वीप में 'नुसा दुआ' में दिसम्बर, 2007 को सम्पन्न हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक सम्मेलन (बाली रोड मैप) में 190 देशों के प्रतिनिधियों, वैज्ञानिकों व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया । सम्मेलन में वर्ष 2012 में समाप्त हो रहे क्योटो प्रोटोकॉल के स्थान नई संधि के बारे में विचार किया गया । इसमें क्योटो प्रोटोकॉल से आगे की रणनीति (पोस्ट–क्योटो प्रोटोकॉल) बनाने व ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के मामले में विश्वव्यापी सहमति कायम करने पर बल दिया गया। रियो + 20 सम्मेलनः 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के दो दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में 20–22 जून 2012 को ब्राजील के रियो–डि–जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास सम्मेलन (UN Conference of Sustainable Development – UNCSD) आयोजित किया गया, उसमें पृथ्वी सम्मेलन के बाद पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किये गए प्रयासों की समीक्षा की गई सम्मेलन में 191 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

पृथ्वी–2.0 सम्मेलन में 'The Future We Want' नामक मसौदा प्रस्तुत किया गया, जिसमें सतत् विकास, जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक समानता आदि पहलू पर विचार किया गया । भारत ने इस सम्मेलन में 'हरित अर्थव्यवस्था' (Green Economy) को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया। डिजटर्स एंड द फाइट अगेंस्ट डिजर्टीफिकेशनः 16 अगस्त, 2010 को ब्राजील के 'फोर्तालेज' शहर में आंशिक रूप से सूखे क्षेत्रों में जलवायु सत्ता और विकास के बारे में द्वितीय अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया । इसमें संयुक्त राष्ट्र ने 2010–20 के दशक को डिजटर्स एंड द फाइट अगेंस्ट डिजर्टीफिकेशन के रूप में मनाए जाने की शुरुआत की गई ।

सी–40 शहर सम्मेलनः यह विश्व के बड़े शहरों का एक समूह है, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के चुनौतियों से निपटना है । वर्तमान समय में इसमें 40 शहर सदस्य बन चुके हैं, जिसमें भारत के दिल्ली और मुम्बई भी शामिल है । सी–40 शहरों की कुल जनसंख्या 300 मिलियन है । विश्व की 21 आर्थिक गतिविधियाँ इन्हीं शहरों में होती है तथा इन्हीं शहरों से पूरे विश्व में 12 ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। साओपोलो में वर्ल्ड बैंक ने सी–40 समूह के शहरों के साथ समझौता किया है जिसके तहत् जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने वाली परियोजनाओं को तकनीकी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ।

पेरिस सम्मेलन (कॉप–21)ः पेरिस में आयोजित कांफ्रेस ऑफ द पार्टीज 21 (कॉप–12) ने 12 दिसंबर, 2015 को संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत जलवायु

परिवर्तन पर समझौते को स्वीकार किया, जिसमें 192 देशों ने भाग लिया। यह समझौता क्योटो प्रोटोकॉल के अतिरिक्त वैश्विक ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के उपायों के बारे में जानकारी प्रदान करता है । समझौते में विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों में इक्विटी के सिद्धांत एवं समान जिम्मेदारियों और क्षमताओं को ध्यान में रखा गया है।

इसमें मौसम की अत्यधिक अतिवादी घटनाओं और हाल में आरंभ हुए बदलावों को भी स्वीकार किया गया। सदस्य देशों ने तकनीक द्वारा दीर्घावधि विकास एवं सकारात्मक बदलाव के महत्व को भी स्पष्ट किया। समझौते के अनुसार प्रयासों का निर्धारण राष्ट्रीय, उप–राष्ट्रीय एवं स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर होना चाहिए। विकसित देश वर्ष 2020 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड जुटाएंगे ताकि विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन रोकने के उचित प्रयास किए जा सकें। समझौते को लागू करने एवं इसके अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यप्रणाली तैयार की गई। पेरिस समझौते में शामिल सदस्य वर्ष 2023 में इस विषय का पुनरीक्षण करेंगे तथा प्रत्येक पाँच वर्ष बाद इसका पुनरावलोकन किया जाएगा।

i;koj.k&çn"k.k ,o Hkkjrh; –f"Vdk.k

ऐतिहासिक काल में वनस्पतियों, वृक्षों तथा विभिन्न प्राणियों की पूजा के प्रमाण सिंधु सभ्यता के समय से ही प्राप्त हुए हैं। चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन काल में अभ्यारणों की स्थापना और उनके सरंक्षण का प्रावधान था तथा वन की क्षति या प्राणियों की हत्या करने पर दंड दिया जाता था। सम्राट अशोक ने पशु–पक्षियों को न मारने के सम्बन्ध में नियमों का शिलालेख पर उल्लेख कराया। परवर्ती शासन व्यवस्था में ऐसी परम्परा का आग्रह रहा किन्तु दृढ़तापूर्वक उसका पालन न हो सका। उस युग में मशीनरी का प्रचलन तो न था इसलिये प्रदूषण की उतनी गम्भीर समस्या उत्पन्न नहीं हुई किन्तु जंगलों की कटाई तथा पशु–पक्षियों का वध होता रहा। अंग्रेजों के आने के बाद जंगलों की बेतहाशा कटाई हुई तथा वन्य जीवों का शिकार बेरोक–टोक हुआ। जब वन्य जीव और वनों को काफी क्षति हो चुकी तब 1855 में चार्टर आफ इंडिया एक्ट के रूप में वन संरक्षण नीति बनाई गई। 1864 में डिट्रिच ब्रौडिस को भारत का पहला 'इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट' बनाया गया। वे 1881 तक अपने पद पर रहे। अपने कार्यकाल में उन्होंने भारत में वन विभाग का विकास किया, अतः उन्हें भारतीय वन विभाग का जन्मदाता कहा जाता है। सन 1878 में पहला वन अधिनियम बना जिसमें आरक्षित वन में पशु–वध पर रोक लगाई गई। इसके बाद वन तथा वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु और भी छिटपुट उपाय किये गए किन्तु उनमें लुप्तप्राय जीवों और अभ्यारण्यों के संरक्षण की भावना ही थी न कि पर्यावरण संरक्षण की।

स्वतंत्रता–प्राप्ति के उपरांत हमारे देश में पर्यावरण संरक्षण की चेतना का उदय 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद हुआ। उसी के बाद सरकारी स्तर पर पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम चलाये गए। केंद्र सरकार ने पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय कार्यक्रम की स्थापना की जो बाद में पर्यावरण मंत्रालय के रूप में विकसित हुआ। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से नीति–निदेशक सिद्धांतों में एक नया अनुच्छेद 48 (क) जोड़ा गया जिसके अनुसार 'राज्य का यह कर्तव्य होगा कि पर्यावरण को बनाए रखे, उसे सुधारे और देश के वनों एवं वन्य जीवन की रक्षा करे।' इसी संवैधानिक संशोधन से भारतीय संविधान में जोड़े गए मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में सन्निहित किया गया कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वनों, झीलों, नदियों एवं वन्य जीव सहित समस्त प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे तथा उसे बेहतर बनाए और सभी जीवधारियों के प्रति करुणा भाव रखे। सन 1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में भारत की महत्त्वपूर्ण भागीदारी रही। इस सम्मेलन के द्वारा कई सरकारी एवं गैर–सरकारी संस्थान पर्यावरण शिक्षा हेतु स्थापित किये गए। विश्वविद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा प्रारम्भ की गई और राज्य स्तर पर पर्यावरण प्रकोष्ठ बनाए गए। किन्तु अब भी सामान्य भारतीय जन–मानस में पर्यावरण संरक्षण की चेतना का पर्याप्त संचार नहीं हो सका है और हमारा देश पर्यावरण असन्तुलन की समस्या से जूझ रहा है। अतः पर्यावरण संरक्षण के प्रति और जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है।

पर्यावरण–प्रदूषण से बचाव तथा उन्मूलन के विश्वस्तरीय प्रयासों के कदम से कदम मिलाते हुये भारतीय विधि–विधान तथा न्यायपालिका ने भी सराहनीय योगदान किया है। लंदन कन्वेन्शन ऑन प्रिजर्वेशन ऑफ फौना एंड फ्लोरा, 1993 तथा रोम इंटरनेषनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेन्शन, 1951 की स्वीकृति के परिणामस्वरूप इन विषयों पर विधि निर्मित करना भारतीय विधायिका के लिये आवश्यक था। संविधान के अनुच्छेद 253 के अन्तर्गत संसद को इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदत्त है।

अब यह निर्विवाद रूप से स्थापित हो चुका है कि पर्यावरण का मानवाधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में परिभाषित जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 21 के अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण के सम्बन्ध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 (क), 51 (क), 243 (छ) तथा 243 (डब्ल्यू) भारतीय दंड विधान की धारा 268 से 272, 277, 278, 284, 286, से 290 एवं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 तथा 144 में महत्त्वपूर्ण प्रावधान किये गए हैं। पर्यावरण संरक्षण और सन्तुलन स्थापित करने के लिये कई अन्य कानून, अधिनियम एवं नियम निर्मित किये हैं जिनमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1975 , भारतीय वन अधिनियम 1927,

वन संरक्षण अधिनियम 1980, राष्ट्रीय वन नीति 1988, वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972, पब्लिक लायबिलिटी इन्श्योरेंस एक्ट 1991, फैक्टरी अधिनियम 1948 तथा इनसे सम्बन्धित नियम विषेष रूप से उल्लेखनीय है।

lkekftd U;k; vkj Ik;kojk.k lj{k.k

सामाजिक न्याय एक अत्यन्त अस्पष्ट, संदिग्ध तथा द्विअर्थी शब्दावली है। सामाजिक न्याय की कल्पना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सन्दर्भ में है जो वह भारत जैसे विकासशील या अफ्रीका के कुछ अविकसित राष्ट्रों के सन्दर्भ में खरी नही उतरती। सामाजिक न्याय किसी राज्य के सामाजिक तथा आर्थिक ढाँचे में विभिन्न सन्दर्भित हितों के तालमेल के सन्तुलन को सूचित करता है जो आर्थिक तथा नैतिक आधार पर किसी राष्ट्र में सौहार्द्र के विकास के लिए आवश्यक है। उपरोक्त विचार सामाजिक न्याय के सन्दर्भ में उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन न्यायमूर्ति पी0 एन भगवती ने मिनर्वा मिल्स कं0 लि0 बनाम सूती मिल मजदूर सभा नामक वाद में अपने निर्णय में प्रत्यर्थी के वकील आइसाक द्वारा प्रस्तावित परिभाषा को स्वीकार कते हुए व्यक्त किया। न्यायमूर्ति भगवती ने इस सन्दर्भ में आगे कहा कि सामाजिक न्याय की परिकल्पना किसी न्यायाधीश के काल्पनिक विचारों से जन्म नही लेती परन्तु यह अधिक ठोस आधार पर आधारित होनी चाहिए। सामाजिक न्याय की कल्पना जीवन के दर्शन को प्रदर्शित करती है तथा एकमार्ग बताती है जिसका सभी समाजिक जीवन द्वारा अनुसरण किया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय की परिकल्पना एक क्रान्तिकारी परिकल्पना है। सामाजिक न्याय की परिकल्पना प्ररम्भ में सामाजिक दर्शन तथा राज्य की कौशल में प्रवेश कर सांविधानिक क्षेत्र में स्थिर हो गई। इसीलिए सामाजिक न्याय की परिकल्पना बहुआयामी कल्पना बन गई है।

सामाजिक न्याय की कल्पना कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना हो गई हैतथा विधि के नियम का एक तत्व बन गई है। इसका अस्तित्व सामाजिक कल्याण के साथ हो गया है। यह कमजोर वर्ग के कल्याण के अर्थ में भी प्रयुक्त होने लगी है। उपरोक्त विविधता के कारण इसकी कोई निश्चित परिभाषा सम्भव नहीं है। समाजिक न्याय को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान अपने प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को संरक्षित करने का प्रस्ताव करता है। संविधान की अनुच्छेद 38 (1) यह निर्देश देता है कि राज्य, ऐसी सामाजिक, व्यवस्था जिसमें सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। यह अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 4 की जान है जो राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों को

समाविष्ट करता है। भारतीय संविधान के इस भाग को समाजक न्याय का घोषणा पत्र कहा जा सकता है। सामाजिक न्याय का ध्येय विकसित व्यक्त के लिए विकासशील समाज में स्थान बनाना है इस प्रकार भारतीय संविधान पहले अपने भाग तीन मौलिक अधिकारों के रूप में सामाजिक न्याय के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता है इसके पश्चात् भाग चार में इसे प्राप्त करने की राज्यों से अपेक्षा करता है। इसीलिए यह कहा गया है कि संविधान का भाग चार, भाग तीन के अनुच्छेद 14 का विस्तार है। अनुच्छेद 14 समानता तथा न्याय पर आधारित आदर्श समाज की परिकल्पना करता है।

लोक स्वास्थ्य सामाजिक न्याय का अंग है। एक सभ्य जीवन, सभ्य स्वास्थ्य की परिकल्पना करता है। एक व्यक्तिगत जीवन को रोग मुक्त न करके सम्पूर्ण पर्यावरण को इस प्रकार प्रदूषण मुक्त रखा जाना है जो सम्पूर्ण स्वास्थ्य की प्रतिभूति हो। भारतीय संविधान के भाग चार के दिशा निर्देश तथा प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य का उद्देश्य ग्रामीण तथा शहरी जीवन को स्वस्थ्य बनाना है। इसके लिए प्रदूषण के खतरों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए कुछ अधिनियम बनाये गये है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 (क) ने इस चिंता को मान्यता दी है। समाज को, वायु, जल तथा सामान्य पर्यावरण प्रदूषण का संकट मानव, वनस्पति, पषुओं तथा अन्य वस्तुओं के सन्दर्भ में इतना अधिक है कि पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण अपरिहार्य हो गया है।

भारत जैसे विकासशील देश के सन्दर्भ में पर्यावरण प्रदूषण तथा पारिस्थितिकी पर जानकारी कम है। अतः न्यायपालिका को इस कमी को पूरा करने लिए आगे करने के लिए आगे आना होगा। विकास के लिए उद्योग–धन्धे तथा तकनीकी विकास अपरिहार्य है। उद्योगों तथा रासायनिक कारखानों की स्थापना तथा परिचालन पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न करती है। पर्यावरण प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के साथ साथ वनस्पति तथा सूक्ष्म जन्तुओं के अस्तित्व के लिए संकट है। मानव जीवन के उत्थान तथा समृद्धि के लिए उद्योगो का अस्तित्व अपरिहार्य है। अतः यह प्रयास किया जाना होगा कि सामाजिक विकास की प्रक्रिया साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण पर किस प्रकार नियंत्रण स्थापित किया जाय। सामाजिक विकास तथा पर्यावरण प्रदूषण के मध्य संतुलन स्थापित करना होगा। भारत जैसे विकासशील देश में औद्योगिक तथा तकनीकी विकास की गति को पर्यावरण प्रदूषण के बहाने नही रोका जा सकता। राष्ट्र का दायित्व विकास के माध्यम से प्रत्येक नागरिक का सामाजिक उत्थान करना तो है साथ ही साथ पर्यावरण पर नियंत्रण स्थापित कर प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना भी ही है।

मानवीय बिन्दु एवं सामाजिक न्याय से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला हेतल बेन

जितेन्द्र कुमार व्यास बनाम पुलिस इन्सपेक्टर, साबरमती पुलिस स्टेशन, का है। इसमें एक वैवाहिक जलसे के दौरान पटाखे छोड़ने से एक ढाई साल के बालक की नेत्रों की ज्योति चली गई। गुजरात उच्च न्यायालय ने इसे पर्यावरण प्रदूषण का मामला माना और उस बालक को क्षर्तिपूर्ति पाने का हकदार ठहराया।

इन्टेलेकच्यूअल फोरम बनाम स्टेट ऑफ आन्ध्र प्रदेश के मामले में यह कहा गया है कि पर्यावरण की दृष्टि से तालाबों का महत्वपूर्ण स्थान है। ऐतिहासिक तालाबों को संरक्षण प्रदान करना तथा उनका परिरक्षण करना राज्य का दायित्व है।

इस सन्दर्भ में रतलाम नगर पालिका बनाम विरधी चन्द्र नामक वाद उल्लेखनीय है। उच्चतम न्यायाल ने रतलाम नगर पालिका के इस तर्क को अस्वीकार कर दिया कि नागरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 23 के प्रावधानों के अन्तर्गत अधिरोपित कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उसक पास धन नहीं है। न्यायमूर्ति कृष्ण अययर ने कहा कि नगर पालिका का यह तर्क कि लोक प्रदूषण के होते हुए, उसकी आर्थिक असमर्थता, वैध रूप से उसे उसके वैधानिक दायित्वों से मुक्ति प्रदान करती है, न्यायिक आधार नही रखता। दण्ड प्रक्रिया संहिता सांविधिक निकाय तथा अन्य के विरूद्ध उसके खजाने में नगदी पर ध्यान दिये बिना लागू होती है। यहां तक कि राज्य के बजटीय प्राविधानों पर ध्यान दिये बिना राज्य द्वारा संविधान के भाग तीन का सम्मान किया जाना चाहिए। इसी प्रकार नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 23 के अन्तर्गत नगरपालिका के अर्थविहीन होने की दशा में बचाव खण्ड नही है। इसका परिणाम यह है कि सरकारी अभिकरण आत्मसृजित दिवालियेपन का बचाव अपने वैध कर्तव्यों के पालन के विरूद्ध नहीं कर सकते। इस प्रकार नगरपालिका के आयुक्त या अन्य अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट द्वारा द0प्र0सं0 की धारा 133 के अन्तर्गत निर्गत आदेश का पालन करना ही होगा। अन्यथा इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्ड का भागी उन्हें होना पड़ेगा।

इस प्रकार पर्यावरण प्रदूषण तथा सामाजिक न्याय के मध्य एक सन्तुलन स्थापित करना होगा क्योंकि सामाजिक न्याय की आवश्यकता है, सामाजिक प्रगति तथा सामाजिक प्रगति के माध्यम हैं। उद्योग तथा तकनीकी की स्थापना जिससे पर्यावरण प्रदूषण के कारक उत्पन्न होते हैं। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय करने के साथ साथ सामाजिक प्रगति के लिए उद्योगों का अस्तित्व बनाये रखना होगा। आवश्यकता इस बात की है कि उद्योगों में पर्यावरण प्रदूषण को निवारित तथा नियंत्रित करने वाले उपकरणों को आवश्यक रूप से लगाया गया है कि नहीं इस पर निगरानी रखी जाय तथा सामान्य जनता को पर्यावरण प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण के प्रति जागरूक रखा जाए।

अन्त में एम0 सी0 मेहता बनाम भारत संघ नामक वाद में उच्चतम न्यायालय के अभिमत के अनुसार यह कहा जा सकता है कि जब जीवन की गुणवत्ता का सुधार करने के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं को उत्पन्न करने हेतु, अधिक से अधिक विज्ञान तथा टेक्नोलोजी का प्रयोग हो रहा है। यह सम्भव नहीं है कि न अपनाने की नीति का अनुसरण नही कर सकते। क्योंकि इसका अर्थ होगा विकास तथा उन्नति का अन्त। ऐसे उद्योगों की स्थाना अनिवार्य है? भले ही वह परिसंकटमय हो क्योंकि ऐसे उद्योग लोगों के कल्याण, प्रगति तथा विकास के लिए आवश्यक है। हम सिर्फ यह कर सकते है कि ऐसे उद्योगों के स्थान चयन को इस प्रकार सुनिश्चित करें कि यह लोक स्वास्थ्य के लिए कम से कम नुकसान पहुँचाए तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि ऐसे उद्योग ऐसे साधन अपनाए कि परिसंकट तथा खतरे को अधिक से अधिक मात्रा में कम से कम किया जा सकें।

हमारी न्यायपालिका खासकर उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों ने अपने निर्णयों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के कई उपाय तथा निदेश निर्गत करते समय विभिन्न महत्वपूर्ण सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी उद्योगों, संयंत्रों तथा उपक्रमों के स्वामियों पर क्षतिपूर्ति की आवश्यकता तथा बाध्यता पर बल दिया है।उच्च्तम न्यायालय ने औद्योगिक विकास के साथ साथ मानव स्वास्थ्य की अनदेखी नहीं की है। उच्चतम न्यायालय ने मानव स्वास्थ्य को संकट में डालने वाली दिल्ली के परिवहन यातायात को स्वच्छ ईंधन के अभाव में संचालन पर प्रतिबन्ध लगाने के साथ साथ ताज पर पड़ने वाले कुप्रभाव को ध्यान में रखते हुए आगरा की 292 इकाइयों को शहर से बाहर सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित करने का आदेश दिया है। उच्चतम न्यायालय ने राज्य को प्रकृतिक स्रोतों का न्यासी तथा सामान्य जन को इसका लाभार्थी माना है तथा व्यक्तिगत आमोद–प्रमोद के लिए प्राकृतिक स्रोतों के शोषण पर प्रतिबन्ध लगाया है। लोक न्यास का सिद्धान्त तथा राज्यों पर प्राकृतिक संरक्षण करने का दायित्व डाला है। उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि उद्योगों की स्थापना को अनुमति तभी दी जाय जब यह सुनिश्चित हो जाय कि प्रस्तावित उद्योग पर्यावरण संरक्षण के प्रभावकारी उपायों की स्थापना करेगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा आधुनिक युग में विकास अपरिहार्य है। पर्यावरण संरक्षरण मानव तथा पादप जीवन एवं जल तथा कीट जीवन के अस्तित्व के लिए आवष्यक है। हमें विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के मध्य संतुलन बनाना होगा। यह तभी सम्भव है जब विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के उपाय की स्थाना की आवश्यकता को ध्यान में लिया जाय तथा इस सम्बन्ध में आर्थिक अक्षमता या असमर्थता को एक आधार न माना जाय।

सन् 1987 में उच्च्तम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश माननीय पी0एन0

भगवती ने परिसंकटमय तथा खतरनाक प्रकृति के उद्योगों या उपक्रम चलाने वाले उद्योगपतियों के सम्बन्ध में कठोर दायित्व के स्थान पर पूर्ण दायित्व के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए निश्चित दायित्व की परिकल्पना को जन्म दिया। इसी परिकल्पना के आधार पर लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 संसद ने पारित कर निश्चित दायित्व के सिद्धान्त को सांविधिक मान्यता दी। लोकदायित्व बीमा अधिनियम, 1991 के अन्तर्गत परिसंकटमय पदार्थों के कारण होने वाली दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु पर 25000 रूपये तथा अशक्तता या निशक्तता पर 12500 रूपये की निश्चित क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान है। कानपुर टेनेरी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने चर्म शोधन के उद्योग में लगे उद्योगों पर अपने व्यावसायिक उत्सर्जन को गंगा में उत्सर्जित करने से रोका।

1980 के दशक में उत्तरार्ध में गंगा प्रदूषण तथा उत्तरवर्ती मामलों में तो उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित कई निर्णय दिये। उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह ने अपनी सेवा निवृत्ति के पूर्व के दिनों में कई महत्वपूर्ण निर्णय दिये। माननीय न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह ने अब दस्तावेजों का पंजीकरण प्रदूषण परिषदों से कराये जाने पर बल दिया। अस्सी के दशक के दौरान तथा उसके पश्चात् न्यायालयों ने सिर्फ निर्णय देने भर की प्रवृत्ति से हटकर अब निर्णय के पालन को सुनिश्चित कराने पर अपना ध्यान केन्द्रित किया। उसे कुछ लोगों ने न्यायिक सक्रियता की संज्ञा दी।

अब तो अनेक मामलों में न्यायालयों ने पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छ पर्यावरण को मूल अधिकार माान लिया है। रामनारायण माली बनाम एडिशनल कलेक्टर, थाने के मामले में बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ''पर्यावरण संरक्षण का अधिकार प्राण और दैहिक स्वतन्त्रता के अधिकार का एक अंग है।''

नर्मदा बचाओं आन्दोलन बनाम भारत संघ नामक वाद में नर्मदा सरोवर तथा सरदार सरोवर परियोजना के अन्तर्गत नर्मदा बाँध निर्माण के कार्यान्वियन के कारण उस स्थान की पारिस्थितिकी असन्तुलित हो जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुए यह निर्णय दिया कि सिर्फ पर्यावरण असन्तुलन के आधार पर यह उपधारणा नही की जा सकी कि नर्मदा सरोवर बाँध के निर्माण से पारिस्थतिकी विध्वंस हो जायेगा। कभी कभी पर्यावरण प्रदूषण की आड़ में कुछ लोग उद्योग तथा उपक्रमों कल कारखाने के स्वामियों के विरूद्ध व्यक्तिगत द्वेष तथा ईर्ष्या के अन्तर्गत कार्यवाही करते है। ऐसे मामलों में न्यायालय याचिका को खारिज कर देती है।

fu"d"k

आज के विकासशील युग में पर्यावरण प्रदूषण अपरिहार्य है। आवश्यकता इस बात की है कि तकनीकी विकास तथा पर्यावरण प्रदूषण के मध्य सन्तुलन स्थापित किया जाय। पोषणीय विकास के सिद्धान्त के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि उद्योग या संयंत्र या कल कारखानों की स्थापना से पूर्व की संस्तुति या अनुमति देने से पूर्व सरकार या अधिकारियों का इस बात से सन्तुष्टि हो जाना चाहिए कि प्रस्तावित उद्योग या संयंत्र या उपक्रम या कल कारखाने स्थापित करने के लिए आवेदनकर्ता ने पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण निवारण तथा पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण के आवश्यक उपाय कर लिया है। यदि ऐस नही है तो उद्योग, संयंत्र उपक्रम तथा कल कारखाने को स्थापित करने की अनुमति नही दी जानी चाहिए। यदि सरकारी अधिकरण में ऐसा नही किया है तो उसके विरूद्ध अपील राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय अधिकरण में की जा सकती है। इन सबके बावजूद हम प्रतिदिन पर्यावरण प्रदूषण की विभीषिका का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण सन्तुलन की दिषा में अभी बहुत कुछ करना शेष है। पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण औद्योगीकरण तथा नगरीकरण के अतिरिक्त हमारे देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ हैं। पर्यावरण सन्तुलन के प्रयासों को और प्रभावी बनाने के लिये जनसाधारण को इसके प्रति जागरूक तथा शिक्षित करने, पर्यावरण संरक्षण के वैज्ञानिक तथा तकनीकी उपाय और वैकल्पिक प्रबन्धन की आवश्यकता है। जब प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण को अपने कर्तव्य के रूप में समझने और पालन करने की स्थिति में होगा तभी पर्यावरण की मानवाधिकार के रूप में पूर्ण उपलब्धि हो सकेगी।

lUnHk lph %

- ❖ ए0 के0 दूबे पर्यावरण विधि सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, 2011
- ❖ डॉ0 जे0जे0 राम उपाध्याय, पर्यावरण विधि, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन, इलाहाबाद, 2016
- ❖ ए0आई0आर0, 1955, एस0सी0, 170,
- ❖ ए0आई0आर0, 2006, गुजरात, 97
- ❖ ए0आई0आर0, एस0सी0, 1350
- ❖ ए0आई0आर0, 1980, एस0सी0, 1622
- ❖ ए0आई0आर0, 2001, एस0सी0, 1948,
- ❖ ए0एन0 माथुर, पर्यावरण षिक्षा, हिमान्शु पब्लिकेशन, 1993
- ❖ भोपाल सिंह, पर्यावरण शिक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण, आर्या बुक डिपो, दिल्ली, 1997
- ❖ प्रमानन्द चन्दोला, पर्यावरण और जीव, हिमाचल पुस्तक भण्डार, 1984
- ❖ सी0एम0 जेरीवाल, चेन्जिग डामेन्सन ऑफ इण्डियन इनवोलमेन्ट इन पी0 लीलकृष्ण,

- ❖ डॉ0 के0 श्रीवास्तव एवं बी0पी0 राव, पर्यावरण एवं परिस्थितिकी, 1998
- ❖ षिक्षा चिन्तन अंक 32 त्रिमूर्ति संस्थान, 2009
- ❖ दैनिक अमर उजाला, 01 जनवरी, 2010
- ❖ दैनिक जागरण, 15 जनवरी, 2010

• • •

पर्यावरण एवं मानव अधिकार : पूर्वोत्तर में जयंतिया पहाड़ियों के वासियों के विशेष संदर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

pUnuk l|ck•

çLrkouk &

> ”मानव अपने पर्यावरण की उपज है और पर्यावरण की प्राकृतिक शक्तियां ही मानव जीवन को ढ़ालती है, मनुष्य तो केवल वातावरण की मांग के साथ ठीक समायोजन करता है, और उसके अनुसार अपने को योग्य बनाता है।“
>
> फ्रैडरिक रैटजेल

प्राचीन काल में इस धरा पर मानव सभ्यता का विकास उन्हीं क्षेत्रों में हुआ, जहां प्राकृतिक वातावरण मानव विकास के लिए अनुकूल था। भारत में प्रारंभ से ही मानव पर्यावरण से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल से ही भारतीय मनीषियों ने प्राकृतिक शक्तियों को देवता स्वरूप माना। सिंधु घाटी सभ्यता पर्यावरण से ओत–प्रोत थी। मोहनजोदड़ो में एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि धरती को उर्वरता की देवी माना जाता था। वृक्षों की पूजा की जाती थी। ऋग्वैदिक काल में भी जिन देवताओं की स्तुतियां अंकित हैं वे प्राकृतिक तत्वों में निहित शक्तियों के प्रतीक हैं। जैसे सोम पौधों के देवता थे।

भौगोलिक परिदृश्य से भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित एवं अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्द्ध का देश है। हिमालय की पर्वत श्रेणियां भारत की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती हैं। पूर्वी हिमालय के भाग को पूर्वी या पूर्वांचल पहाड़ियां कहा जाता है। जिनमें से भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में तीन प्रमुख पहाड़ियां क्रमशः पूर्वी भाग में जयंतिया, पश्चिमी भाग में गारो तथा इन दोनों के बीच में खासी पहाड़ियां स्थित हैं। जयंतिया पहाड़ियां मुख्य रूप से मेघालय राज्य में गारो पहाड़ियों के पूर्व में स्थित पर्वतीय क्षेत्र हैं। गारो पहाड़ी की औसत ऊंचाई 900 मीटर है। यहां पर सबसे ऊंचा स्थान नॉकरेक है, जो 1412 मीटर ऊंचा है। खासी जयंतियां पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 1500 मीटर है। पर्वतीय मिट्टी हिमालय के पर्वतीय भागों

• शोध छात्रा, विधि विभाग, विधि अध्ययन विद्यापीठ, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), लखनऊ–226025

में पाई जाती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय इत्यादि राज्यों में ये मिट्टी पाई जाती है। अधिकांश पर्वतीय मिट्टियां टर्राशयरी युग की चट्टानों का अपक्षय होने से बनी है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड में तथा टर्राशयरी कोयला मिलता है। पहाड़ी क्षेत्रों में कोयले के 82 करोड़ टन भंडार है। मेघालय की गारो, खासी तथा जयंतिया पहाड़ियों में कोयले के भंडार मिलते है।

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् कोयले की मांग बढ़ी और उत्पादन में और अधिक वृद्धि हो गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में कोयले के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 1972 में कोयले के राष्ट्रीयकरण से इसके उत्पादन को विशेष प्रोत्साहन मिला। इसके साथ ही साथ स्वतंत्र भारत के लोगों में पश्चिमी प्रभाव, औद्योगिकरण तथा जनसंख्या विस्फोट एवं विनाशकारी दोहन नीति के कारण परिस्थितिकीय असंतुलन भारतीय पर्यावरण में दिखने लगा। जिसने देश में विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को जन्म दिया। मानव अपने लाभ के लिए वृक्षों/जंगलों का विनाश एवं अवैध तरीके से खदानों की खुदाई का कार्य करने लगा। जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण मेघालय के पूर्वी जयंतिया जिला के लैटिन नदी के किनारे कसान गांव में कोयला खदानों में कोयला माफियाओं के दबाव में अवैध रूप से खनन का काम पिछले कई सालों से चल रहा था। पूर्वी जयंतिया पहाड़ियां जिला के कोयला खदानों में कोयला माफिया के अवैध खनन के कारण 13 मजदूरों के फंसे होने की खबर दिसंबर, 2018 में काफी चर्चा में रही।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) ने 2014 में ही मेघालय में असुरक्षित और गैर वैज्ञानिक तरीके से किए जा रहे कोयला खदानों के खनन पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन इसके बावजूद कोयला माफिया अवैध रूप से जयंतियां हिल्स की चोटी और खतरनाक खदानों में अवैध खनन को अंजाम दे रहे थे। जिसका प्रत्यक्ष परिणाम अवैध कोयला खदानों में फंसे कार्यरत मजदूरों की मौत है।

i;koj.k ,o i;koj.kh; ekuokfèkdkj &

पर्यावरण मूल रूप से फ्रेंच भाषा के 'ENVIRON' शब्द से बना है जिसका अभिप्राय समस्त परिस्थितिकीय अथवा समस्त बाहय दशायें होता है। सामान्यतः किसी स्थान विशेष में मानव के चारों तरफ स्थल, जल, वायु, मृदा आदि का बाह्य आवरण जिससे वह घिरा रहता है पर्यावरण से कहलाता है। स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक है। स्वस्थ पर्यावरण प्रकृति के संतुलन को बनाए रखता है।

पर्यावरणीय मानव अधिकार के संबंध में स्टॉकहोम घोषणा, 1972 के अनुच्छेद–1

के अनुसार, "मनुष्य को अच्छे वातावरण में जीवन की समुचित स्थिति का अधिकार है, जो मनुष्य को गौरवमय तथा स्वास्थ्यपूर्ण जीवन की अनुमति देता है तथा वर्तमान तथा भावी पीढ़ी के लिए पर्यावरण की रक्षा करना तथा उसमें सुधार करने का दायित्व मनुष्य धारण करता है।"

भारतीय संविधान नागरिकों को कुछ मूल अधिकार प्रदान करता है। यद्यपि यह मूल अधिकार प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण के रूप में कुछ भी प्रावधान नहीं करते हैं। परंतु अप्रत्यक्ष रूप से कुछ मूल अधिकारों के अंतर्गत स्वच्छ पर्यावरणीय अधिकारों को भी समाहित किया गया है। उच्चत्तम न्यायालय ने भी समय–समय पर निम्नलिखित वादों में ये अभिनिर्धारित किया है कि स्वस्थ पर्यावरण की अवधारणा जीने के अधिकार के मूल अधिकारों का एक अभिन्न अंग है। जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण बाद इस प्रकार हैं–

ए. पी. पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड II बनाम प्रो0 एम. वी. नायडू – इस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि, स्वस्थ पर्यावरण एवं सतत् विकास जीने के अधिकार मे निश्चित मौलिक अधिकार है।"

एम. सी. मेहता बनाम कमलनाथ – इस वाद में उच्चत्तम न्यायालय ने यह संप्रेक्षण किया कि "संविधान के अनुच्छेद–21 के प्रकाश में अनुच्छेद–48 (क) और अनुच्छेद 51क (छ) पर विचार किया जाना चाहिए। वायु, जल और मृदा में विक्षोभ या गड़बड़ी से अनुच्छेद–21 के अर्थात्गत जीवन परिसंकटमय हो जाएगा। पर्यावरण में छेड़छाड़ करने से अनुच्छेद–14 और 21 के अधीन अधिकारों का उल्लंघन होता है। न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि प्रदूषणकर्ता प्रभावित व्यक्ति को प्रतिकर देगा और वहीं पर्यावरण को पुनः पूर्व स्थिति में लाने के लिए व्यय देगा।"

भारत में सन् 1980 में देश में स्वस्थ पर्यावरण के विकास के लिए पर्यावरण विभाग की स्थापना हुई थी। यह विभाग सन् 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय कहलाया। इस मंत्रालय का मुख्य कार्य पर्यावरण संबंधी कानूनों और नीतियों का संचालन एवं लागूकरण है। भारत के संविधान के अनुच्छेद–51क (छ) में जो 42वां (संविधान संशोधन) अधिनियम, 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, पर्यावरण संबंधी उपबंध किए गए हैं तथा अनुच्छेद–48 क राज्य सरकार को निर्देश देता है कि "वह पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार सुनिश्चित करें तथा देश के वनों की एवं वन जीवन की रक्षा करें।"

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार मानव का मूल अधिकार है। इसके साथ ही साथ मानव का भी यह कर्तव्य है कि वह पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखे।

iokÙkj t;fr;k igkMh {k= e i;koj.kh; ekuo vfèkdkj lcfèkr leL;k,&

भारत के वन सर्वेक्षण 2011 के अनुसार, देश में कुल वन क्षेत्र 6,92,027 वर्ग किलोमीटर है। यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.05 प्रतिशत है। जयंतिया की पहाड़ियां मेघालय राज्य पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। यह विरल आबादी वाले पर्वतीय वन क्षेत्र हैं। मेघालय में 14 प्रतिशत (3108) वर्ग किलोमीटर बांस के जंगल है।

भारतीय संविधान की छठी अनुसूची उत्तरपूर्वी राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन से संबंधित है। यह मुख्यतः जनजातीय क्षेत्र हैं। मेघालय राज्य का प्रमुख क्षेत्र गारो, खासी और जयंतियां पहाड़ी हैं। यहां के निवासियों की आजीविका वन आधरित कृषि है। परंपरागत रूप से जयंतियां पहाड़ी क्षेत्र के वासियों ने एक ऐसी अर्थव्यवस्था का अनुपालन किया, जो प्रकृति के निकट थी, यह वनों और उनके प्राकृतिक आवास में उपलब्ध अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर उनकी निर्भरता में परिलक्षित होता है।

पर्यावरणीय प्रदूषण एवं पारिस्थितिकीय असंतुलन की समस्या मानवीय कृत्यों का ही परिणाम है। लोग अपने लाभ के लिए वनों की कटाई करते हैं। जैसे जयंतियां पहाड़ी क्षेत्र में हो रहे अवैध कोयला खनन के कार्य से अभी हाल ही में कुछ मजदूरों की फंसे होने की खबर चर्चा का विषय बनी रही। यहां के मजदूरों को अवैध कोयला खनन के कार्यों में लगा दिया जाता है, जिसमें उनकी सुरक्षा के मानकों पर भी समुचित ध्यान नहीं दिया जाता है जिससे मजदूरों के मूलभूत मानव अधिकारों का हनन होता है।

शिला एक्शन कमेटी बनाम मेघालय राज्य एवं अन्य – दो मुख्य संगठनों मटेस्फरंग और जयंतियां यूथ फेडरेशन द्वारा एक लोकहित याचिका फाइल की गई। जिसके द्वारा मेघालय फॉरेस्ट रेगुलेशन अधिनियम में संशोधन करने की मांग की गई। दोनों संगठनों द्वारा यह दावा किया गया कि मेघालय फारेस्ट एक्ट में संशोधन बिल, 2012 राज्य द्वारा चलाई जा रही सीमेंट कंपनियों को लाभ देने के लिए पारित किया गया है। जिससे वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उपबंध प्रभावित होते हैं। यह भी कहा गया कि राज्य की 9 सीमेंट कारखानों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। जबकि इन कारखानों द्वारा पर्यावरणीय मानकों का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। राज्य सरकार ने सीमेंट कारखानों के विरुद्ध कार्यवाही करने के बजाय वन की परिभाषा ही संशोधित कर दी है। याची द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि मेघालय सरकार को दोषी कारखानों के विरूद्ध एल.यू.एम.पी. एल बनाम भारत संघ मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा 6 जुलाई 2011 को दिए गए निर्णय

में अभिनिर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों के संदर्भ में कार्यवाही करनी चाहिए। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया था कि यदि किसी कंपनी द्वारा वन मानकों का उल्लंघन किया जाता है तो उससे प्रतिकर के रूप में धन लेने के बजाय पुनः वन लगाने के लिए आदेश दिया जाए।

मेघालय राज्य बनाम और ऑल डीमाशा स्टूडेंट्स यूनियन डीमा हासो डिस्टिक कमेटी एवं अन्य– इस वाद में मेघालय राज्य के जयंतिया पहाड़ी क्षेत्र में हो रहे गैर कानूनी खनन के कारण पर्यावरण को होने वाले नुकसान के मद्देनजर उच्चतम न्यायालय ने एक अहम फैसला दिया। न्यायालय ने मेघालय सरकार को 100 करोड़ रुपए केन्द्रीय प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड को जमा करने के लिए कहा। इस रकम के इस्तेमाल से राज्य में इकोलॉजिकल बैलेंस बनाया जाएगा।

जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस के. एम. जोसेफ की बेंच ने राज्य में कोयले के अंधाधुंध अवैध खनन पर चिंता जताई है साथ ही न्यायालय ने कहा है कि यह सरकार की ड्यूटी है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक सम्पदाओं का संरक्षण किया जाए।

i;koj.k lj{k.k l lcfèkr çe[k uhfr;k@;ktuk, &

वैश्वीकरण, औद्योगिकरण, शहरीकरण तथा जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण की गुणवत्ता में निरंतर कमी आती गई। पर्यावरण की गुणवत्ता की इस कमी में सुधार हेतु एवं उस पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए सरकार ने समय–समय पर अनेक विधियों, नियमों, नीतियों एवं योजनाओं का निर्माण एवं संशोधन करते हुए पर्यावरण को संरक्षित करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं –

1. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957
2. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
3. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981
4. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
5. राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम, 1995
6. कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 में संशोधन

e?kky; jkT; d fo'k"k lnHk e uhfr;k &

1. संयुक्त खासी और जयंतियां हिल्स स्वायत जिले (प्रबंधन और वन नियंत्रण)

अधिनियम, 1958

2. संयुक्त खासी और जयंतियां हिल्स स्वायत जिले (प्रबंधन और वन नियंत्रण) नियम, 1960
3. मेघालय वन विनियमन (आवेदन और संशोधन) अधिनियम, 1973
4. मेघालय फॉरेस्ट अथॉरिटी एक्ट, 1991
5. नार्थ ईस्ट फॉरेस्ट पॉलिसी, 2002
6. मेघालय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (एम.बी.एस.ए.पी.)

vrjjk"Vªh; ifj–';&

पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयास निम्नलिखित हैं–

1. मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन, 1972
2. आर्द भूमि समझौता (रामसार समझौता), 1975
3. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1987
4. पृथ्वी सम्मेलन, 1992 (संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण और विकास सम्मेलन)
5. क्योटो प्रोटोकोल, 1997
6. द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, 2002
7. कोपनहेगन जलवायु सम्मेलन, 2009
8. दोहा सम्मेलन, 2012

fu"d"kZ ,oa lq>ko &

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव तथा पर्यावरण के संबंध आपसी अंर्तक्रिया तथा रूपांतरण पर आधारित है। प्रकृति के असंतुलित, अविवेकपूर्ण और अत्यधिक दोहन से पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंची है, जिसका सीधा परिणाम वायु, जल, मृदा और ध्वनि प्रदूषण के रूप में परिलक्षित होता है। यह अनेक प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक विकृतियों, बीमारियों का कारण भी है। स्वस्थ जीवन जीना व्यक्ति का सर्वोच्च मानवाधिकार है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण हो रहे इस मानवाधिकार के हनन को रोका जाना अत्यंत आवश्यक है। इस क्षेत्र में भारतीय न्यायालयों की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। वर्तमान में प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि वह पर्यावरण संरक्षण पर बने राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय सिद्धांतों का पालन करें। जिसमें कुछ हद

तक पर्यावरण प्रदूषण से बचाव तथा उन्मूलन कार्यों में भारतीय विधि–विधान तथा न्यायपालिका ने भी महत्वपूर्ण योगदान किया है। इस प्रकार जरूरी है कि हमारे मानवाधिकार प्रकृति से भी तालमेल बनाकर रखें।

l|>ko &

1. जयंतियां पहाड़ी क्षेत्र के वासियों को अपने वन परिस्थितिकीय तंत्र और वन आधारित आजीविका को पुनर्जीवित करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्हें विशेष व्यवसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए।
2. सरकार के साथ–साथ समाज के प्रत्येक व्यक्ति का भी है नैतिक कर्तव्य है कि वह वनों के संरक्षण तथा संर्वधन में अपना नैतिक योगदान दें।
3. पर्यावरणीय शिक्षा प्राथमिक स्तर से ही आरंभ होनी चाहिए।
4. पर्यावरणीय जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन समय–समय पर किया जाना चाहिए तथा पर्यावरण संबंधित कार्यों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

l|nHk| x|Fk l|ph &

i|Lrd| &

1. खुल्लर, डी. आर., भूगोल (टाटा माईग्रा–हिल पब्लिशिंग कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली, 2008)
2. शर्मा, सुभाष, भारत में मानवाधिकार (नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली, पहला संस्करण, 2009)
3. गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण विभाग द्वारा संकलित वार्षिक संदर्भ ग्रंथ, भारत 2009 (प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, 53वां संस्करण)
4. अग्रवाल, डॉ. एच. ओ., अंतरराष्ट्रीय विधि एवं मानवाधिकार (इलाहाबाद सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन, 11वां संस्करण, 2010)
5. बाबेल, डॉ. बसंती लाल, महिला एवं बाल कानून (सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन, इलाहाबाद, चतुर्थ संस्करण, 2012)
6. शर्मा , बृज किशोर, भारत का संविधान एक परिचय (पी. एच. लर्निंग प्राइवेट लि. नई दिल्ली 9वां संस्करण, 2012)
7. सिंह, डॉ. सी. पी., पर्यावरण विधि (इलाहाबाद लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन संस्करण, 2013)
8. बाबेल, डॉ. बसंती लाल, विधि एवं सामाजिक परिवर्तन (सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन, इलाहाबाद, द्वि तीय संस्करण, 2013)

9. जोशी, के. सी., अंतरराष्ट्रीय विधि और मानवाधिकार, (लखनऊ, ईर्स्टन बुक कंपनी, द्वितीय संस्करण 2017)

10. गोयल, तरूण (संकलन एवं संपादन), सामान्य ज्ञान 2019 (धनकड़ पब्लिकेशन प्रा. लि. मेरठ)

dkuu &

- भारतीय दंड संहिता 1860
- भारत का संविधान 1950
- मेघालय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (एम.बी.एस.ए.पी.)

okn &

1. ए.पी. पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड प्प बनाम प्रो. एम. वी. नायडू (2008)8 सुप्रीम 318ः ए.आई.आर 2000
2. एम. सी. मेहता बनाम कमलनाथ 2000 (6) एस.सी. सी. 213
3. शिला एक्शन कमेटी बनाम मेघालय राज्य एवं अन्य 19 सितम्बर 2018, पी. आई. एल. नं0 2/2013
4. मेघालय राज्य बनाम और ऑल डीमा स्टूडेंट्स यूनियन डीमा हासो डिस्टिक कमेटी एवं अन्य सिविल अपील नं. 2968 ऑफ 2019
5. एल.यू.एम.पी. एल बनाम भारत संघ (2011) 7 एस.सी. सी. 338

if=dk &

- सम–सामयिक घटना चक्र दृष्टि, 2019

oc lkbV &

- www.jagaranjosh.com
- http://www.nonindia.gov.in>meghalaya/
- http://www.drishti.com/hindi/summary-of-importantreports/
- http://www.meghaagriculture.gov.in/public/agriculture/

• • •

कोरोना–संकट के दौर में स्त्री मानव अधिकारों पर आघात

ekfudk Çlg•

इतिहास की कुछ महामारियों का अवलोकन : इतिहास के गर्भ में जाने पर हमें ब्युबोनिक प्लेग या महामृत्यु या काली मृत्यु (ब्लैक डेथ), स्पेनिश फ्लू, कॉलेरा (हैजा), प्लेग, ईबोला जैसी कुछ बेहद ही भयावह, खतरनाक एवं मानव–अस्तित्व के समक्ष अपने–अपने संक्रमण काल में गंभीर संकट उत्पन्न करने वाली महामारियों के दृष्टान्त मिलते हैं। चौदहवीं शताब्दी में 1346 से 1353 ई. के बीच यूरेशिया, उत्तरी अफ्रीका, यूरोप के कई क्षेत्रों में ब्युबोनिक प्लेग या काली मृत्यु के कारण करीब ढाई करोड़ से अधिक लोगों ने अपनी जानें गँवाई। अनुमानतः इस महामारी ने उस वक़्त विश्व की लगभग एक–तिहाई जनसंख्या, जिसमें यूरोप की लगभग आधी जनसंख्या थी, को मृत्यु के मुँह में धकेल दिया था। सामाजिक–आर्थिक तौर पर ब्लैक डेथ ने ब्रिटेन की आर्थिक परिस्थितियों और जनसांख्यिकी को बदल दिया था, जिससे वहाँ की तात्कालिक सामंती व्यवस्था ध्वस्त हो गई और इस महामारी के उपरांत बचे किसान और मजदूर बहुत हद तक सफलतापूर्वक अपने मानवाधिकारों और आर्थिक हक़ के लिए विद्रोह कर सके। हताहतों की इतनी विशाल व अपरिमित संख्या के कारण ही काली मृत्यु या ब्युबोनिक प्लेग को महामृत्यु की संज्ञा दी जाती है तथा यह मानव–इतिहास की सबसे वीभत्स ज्ञात महामारी मानी जाती है। यद्यपि 14वीं सदी का ब्लैक–डेथ, ऐतिहासिक रूप से प्लेग का दूसरा बड़ा प्रसार था और इससे पहले पाँचवीं से सातवीं सदी के दौरान भी प्लेग का प्रसार हो चुका था। ऐतिहासिक रूप से, प्लेग ने एक वैश्विक महामारी के बतौर कई बार अपना प्रकोप दुनिया को दिखाया और मानव–जाति की एक बड़ी आबादी से उनके जीने का अधिकार छीन लिया। अठारहवीं सदी के प्रारम्भ में फ्रांस के एक छोटे से शहर मॉर्साइल से 1720 ई. में फैली प्लेग महामारी ने पुनः एक लाख से ज्यादा लोगों की जानें ले ली। प्लेग फैलते ही कुछ महीनों में हजारों लोगों की मौत हो गई। बता दें कि उस समय लोगों को इस बीमारी का पता ना होने के कारण यह कई शहरों और प्रांतों में फैलती गई और लोगों को अपनी चपेट में लेती गई। धीरे–धीरे ये बीमारी बाकी देशों में भी फैली। इसने माल्टा में 1679, विएना में 76,000 तथा प्राग में 83,000 लोगों की जानें ले ली। यह महामारी इतनी भीषण थी कि इससे 10,000 की आबादी वाले ड्रेस्डेन नगर में कुल 4,397 नागरिक इसके शिकार हो गए।

• शोधार्थी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में वर्ष 1820 में एशियाई देशों में कॉलेरा (हैज़ा) ने महामारी का रूप ले लिया था। इस महामारी ने जापान, भारत, थाईलैंड, फिलीपिंस, ओमान, चीन, सीरिया आदि देशों को अपनी चपेट में ले लिया। उस वक़्त कॉलेरा की वजह से सिर्फ जावा द्वीप (इंडोनेशिया) में 1 लाख लोगों की जान चली गई थी। तब हैज़ा महामारी से सबसे ज्यादा मौतें थाईलैंड, इंडोनेशिया और फिलीपींस में हुई थी।

कॉलेरा (हैजा) महामारी के 100 साल बाद 1920 ई. (बीसवीं सदी) में स्पैनिश फ्लू ने अपने पैर पसारे। बताया जाता है कि इस महामारी की वजह से पूरी दुनिया में उस दौरान 1.70 करोड़ से 5 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। उस समय प्रथम विश्व युद्ध का समय था और युद्ध–स्थल के खंदकों से उत्पन्न होकर यह महामारी सर्वप्रथम सम्पूर्ण यूरोप में और पुनः विश्व के कई भागों में प्रसारित हुआ था। इस महामारी के वाहक प्रथम विश्व–युद्ध के सैनिक थे। भारत में स्पैनिश फ्लू को बॉम्बे फीवर के नाम से जाना गया। एक अनुमान के मुताबिक भारत में इस महामारी से लगभग एक करोड़ लोगों की जान चली गई थी। उस समय इस महामारी की कोई वैक्सीन ना होने के चलते सरकार ने लोगों को आइसोलेट करके वायरस को काबू में किया था।

कोरोना–संकट रूपी वैश्विक महामारी के वर्तमान दौर में स्त्रियों की स्थिति : आज पुनः दुनिया इतिहास के ऐसे ही चिंताजनक मोड़ पर खड़ी है, जहाँ विषाणुजनित 'कोविड–19 कोरोना' महामारी का संकट वैश्विक स्तर पर मानव–जाति के समक्ष एक गंभीरतम प्रश्नचिह्न बनकर उपस्थित हो चुका है। अत्याधुनिक तकनीकों एवं विज्ञान प्रोद्योगिकी से संपन्न मानव–इतिहास के इस उन्नत दौर में भी हम कोरोना–वायरस के समक्ष मजबूती से टिक नहीं पा रहे हैं; यद्यपि यह तय है कि अंत में जीत तो मानवीय जिजीविषा सह जीवटता की ही होनी है और ऐसा तभी संभव होगा बशर्ते हम सामूहिक–रूप से कोरोना–महामारी से लड़ें। सामूहिकता के इस विधान की प्रारम्भिक शर्त प्राणिमात्र के मानवाधिकारों के संरक्षण एवं अनुपालन से है।

सच्चाई यही है कि इस महामारी से प्राणिमात्र त्रस्त हैं किन्तु जिनके पास बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है, उनके लिए यह परीक्षा की घड़ी और भी निर्मम साबित हो रही है। गरीब और वंचित लोगों के अलावा स्त्री–जाति की एक बहुत बड़ी आबादी इस संकट के दौर में कई स्तरों पर मुसीबतों को झेल रही हैं। अब जबकि मैं यह आलेख लिख रही हूँ, मेरे मस्तिष्क में कोरोना महामारी के दौरान उपजी अव्यवस्थाओं और मानवीय चिंताओं से सम्बंधित कई तस्वीरें कौंध रही हैं। पहली तस्वीर है मेरे मस्तिष्क में एक मजदूर स्त्री की, जो कि दिल्ली में अपने मजदूर पति के साथ रहकर जीवनयापन के लिए संघर्ष कर रही थी। अचानक एक दिन कोरोना

महामारी से उपजे संकटों के बीच एक आवश्यक आइसोलेशन–उपक्रम के तहत शासन–प्रशासन के स्तर पर देश–व्यापी लॉकडाउन की घोषणा की जाती है और करोड़ों अन्य मजदूरों की भांति इस मजदूर दम्पत्ति के हाथों का रोजगार भी छिन जाता है। कुछ दिन तो जैसे–तैसे इनका गुजर बसर होता है, फिर हाथ में बची जो थोड़ी भी जमापूँजी थी, वो भी ख़त्म हो जाती है, मकान–किराया चुकाना मुश्किल हो जाता है और दिल्ली में इनके रह सकने पर प्रश्नचिह्न लग जाता है। बेबसी के हालात में ये पैदल ही अपने गृहनगर या गाँव जो कि बिहार के किसी बाढ़–प्रभावित अंचल में पड़ता है, वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में मजदूरिन–स्त्री जो कि गर्भवती भी थीं, उनकी प्रसव–पीड़ा प्रारम्भ हो जाती है। सड़क पर ही बच्चे को जन्म देने के पश्चात वह स्त्री बमुश्किल दो–ढाई घंटे का विश्राम करती है और पुनः अपने बच्चे को लेकर पैदल ही मीलों की दूरी तय करने को चल पड़ती है। ऐसी ही एक अन्य घटना में, गुजरात के सूरत में मजदूरी कर रही सात महीने की गर्भवती महिला 1000 किलोमीटर से ज्यादा की पैदल यात्रा करके उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित अपने गांव पहुंचती है। गर्भवती महिला के साथ उसका दो साल के बच्चा भी था। बांदा से सूरत की सड़क मार्ग की दूरी 1,066 किलोमीटर है। यह महिला अपने पति के साथ गुजरात के सूरत की एक निजी फैक्ट्री में मजदूरी करती थी।

जैसा कि हम सब जानते हैं सुरक्षित मातृत्व और प्रसव–प्रक्रिया स्त्री–मात्र का मानवीय, सामाजिक और स्त्री–अधिकार है; जब कि इन स्त्रियों के सन्दर्भ में स्पष्ट दिखता है कि हम मानवीय, सामाजिक, प्रशासनिक और लोक–कल्याणकारी राज्य होने सहित तमाम स्तरों पर असफल साबित हो जाते हैं ! इसके अलावा, कोरोना–संकट के इस दौर में आम घरों की गर्भवती स्त्रियों को भी बड़े पैमाने पर सुरक्षित प्रसव–प्रक्रिया में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देश भर के अधिकांश सरकारी अस्पतालों में अभी चिकित्सकीय–कार्य का मुख्य फोकस सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इर्दगिर्द सिमट गया है। ऐसे में गर्भवती स्त्रियों के परिवारवालों के समक्ष दो ही रास्ते बच रहे हैं– एक तो ये कि गर्भवती स्त्री की प्रसव–प्रक्रिया असुरक्षित होते हुए भी घर पर ही संपन्न करवाई जाये अन्यथा फिर निजी अस्पतालों में प्रसव में चिकित्सकीय सहायता के बदले मोटी रक़म चुकाई जाये। स्पष्ट है कि भारत की एक विशाल आबादी के पास अभी भी इतनी आर्थिक सम्पन्नता नहीं है कि वो निजी अस्पतालों की ओर रुख करें ! इसके अतिरिक्त पितृसत्तात्मक मनोग्रंथियों से ग्रसित होने के कारण बहुधा पतियों एवं उनके परिवारों में स्त्री–स्वास्थ्य के प्रति कोई विशेष गंभीरता का भी लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होता है। ऐसे में गर्भवती स्त्रियों के लिए गाँव–घरों की अप्रशिक्षित दाईयाँ ही डॉक्टर का काम करती हैं और इसमें जच्चा–बच्चा के प्रति जोख़िम की संभावनाओं से कतई इंकार नहीं किया जा सकता

है ! इन सब व्यावहारिक सवालों के इर्दगिर्द हम यदि भारतीय समाज में आज किसी को कोरोना–संकट के लिए सबसे अधिक सुभेद्य पाते हैं तो उसमें स्त्री–जाति अग्रिम पंक्ति में खड़ी मिलती है, तत्पश्चात वृद्धों एवं बच्चों की बारी आती है।

गौरतलब है कि वर्ष 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 'नर्स एवं मिडवाइफ (दाई, प्रसाविका) के लिए अन्तरराष्ट्रीय वर्ष' घोषित किया है। मानवता की सेवा को समर्पित नर्सिग पेशे को सर्वप्रथम चुनने वाली फ्लोरेंस नाईटेंगिल की 200 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह वर्ष महिला स्वास्थ्य–कर्मियों के सम्मान में ही आयोजित किया जा रहा है। चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर सक्रिय स्वास्थय कर्मियों की आबादी का सत्तर प्रतिशत स्थान महिलाओं के द्वारा आच्छादित है। यह एक त्रासद विडंबना है कि विश्व भर में जिस वर्ग के सबसे अधिक स्वास्थ्य कर्मी सेवारत हैं, आज कोरोना के दौर में उस आधी आबादी यानि स्त्री–जाति को बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य–सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। इतना ही नहीं कोरोना–संक्रमण फैलने की वृद्धि–दर को देखते हुए भारत के ग्रामीण क्षेत्रों और सुदूरवर्ती देहातों में जागरूकता अभियान को तेज किये जाने के बाद महिला स्वास्थ्य कर्मियों की एक बहुत बड़ी आबादी अपनी जान की परवाह किये बिना जन–सेवा में सक्रिय हैं। इस दौरान नासमझी एवं अवैज्ञानिक विवेकहीनता के कारण देश के कुछ हिस्सों में इन स्वास्थ्य–कर्मियों पर जानलेवा हमले भी हुए हैं। यह दोहरी चिंता की बात है, जिसमें महिला स्वास्थ्य–कर्मियों के मानव अधिकार निस्संदेह कई मोर्चों पर प्रभावित हो रहे हैं।

मेरे मस्तिष्क में कोरोना–संकट के दौरान विगत महीनों की जो एक दुसरी तस्वीर उभरती है, वह बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन की है, जहाँ एक प्रवासी स्त्री–मजदूर अपने नन्हें बच्चे के साथ 'श्रमिक स्पेशल ट्रेन' से उतरती है और कई दिनों से भूखी–प्यासी होने के कारण वहीं प्लेटफार्म पर दम तोड़ देती है। बच्चा बहुत ही छोटा है और बस इतना ही समझ पा रहा है कि माँ सो गयी है, इसलिए वह छोटा बच्चा अपनी मजदूर माँ को उठाने का अंतहीन प्रयास करता है। यह प्रसंग इतना हृदय–विदारक और मूलभूत मानव अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को स्वतः इसका संज्ञान लेकर सम्बंधित प्राधिकरणों को उचित दिशा–निर्देश देने पड़े हैं।

लॉकडाउन से जुड़े एक अन्य प्रसंग में बिहार की एक किशोरी ज्योति कुमारी का जिक्र इधर बीच देश–विदेश की मीडिया में छाया रहा। देश के अन्दर कई नेताओं से लेकर अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की बेटी इवांका ट्रम्प ने भी ज्योति की प्रशंसा की और साथ में मदद की पेशकश भी की। अख़बार में छपे

समाचार के मुताबिक– 'लॉकडाउन के बीच अपने बीमार पिता को बैठाकर गुरुग्राम से दरभंगा के अपने सिरहुल्ली गांव तक साइकिल चलाकर करीब 1200 किमी का सफर तय करने वाली ज्योति कुमारी के साहस को दुनियाभर में सराहा गया है।' यह सब कुछ ऐसी ख़बरें हैं जो हमें यह सोचने पर बाध्य कर देती हैं कि वास्तव में हमने अब तक एक सामाजिक प्राणी के बतौर किस तरह की प्रगति की है !

कोरोना–संकट के दौरान एक और जो गंभीर संकट स्त्री–मानव अधिकारों के समक्ष उभर कर आया है, वह घरेलू–हिंसा और परिचित परिवेश में स्त्रियों के प्रति बढ़ती हिंसात्मक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। वर्तमान वर्ष 2020 के मार्च महीने से, जब से राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन के प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी, तब से लेकर अभी वर्तमान तक (अभी वर्तमान में लॉकडाउन में छूट की युक्ति–युक्त धीमी प्रक्रिया जारी है) भारत में बढ़ते घरेलू–हिंसा के मामलों पर भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग ने चिंता जताई है। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के मुताबिक, 'जहाँ मार्च के पहले सप्ताह में महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा के 116 मामले सामने आये थे, वहीं मार्च के अंतिम सप्ताह तक इन मामलों की संख्या बढ़कर 257 हो गई। इस अवधि के दौरान बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के मामले 2 से बढ़कर 13 तक पहुँच गये हैं जबकि घरेलू हिंसा के मामले 30 से बढ़कर 69 हो गये हैं। इसी तरह स्त्रियों के सन्दर्भ में 'गरिमा के साथ जीने के अधिकार' से जुड़ी शिकायतों में भी बढ़ोतरी देखी गई है। ये मामले अब पूर्व के 35 से बढ़कर 77 यानि लगभग दोगुने हो गये हैं।' आमतौर पर गरिमा–युक्त जीवन को ठेस पहुँचाने सम्बन्धी इन मामलों में लिंग, वर्ग, जाति अथवा इनके सम्मिलित रूप से जुड़कर भेदभाव होने की घटना दिखी है।

कोरोना महामारी के दौरान परिचित परिवेश में स्त्रियों के प्रति अपराध बढ़ने के दृष्टान्त सिर्फ भारत में ही नहीं बढ़े हैं, बल्कि कई विकसित देशों में भी इस तरह से स्त्री मानव अधिकार हनन से जुड़े मुद्दे गंभीर समस्या के रूप में उभर कर सामने आये हैं। उदाहरण के तौर पर– फ्रांसीसी सरकार के मुताबिक जब से फ्रांस में लॉकडाउन बहाल करने की घोषणा हुई, तब से पेरिस में ही घरेलू हिंसा के मामलों में 36 फीसद की बढ़ोतरी देखी गयी जबकि 32 फीसदी मामले देश के बांकी हिस्सों में दर्ज किये गये। ऐसे ही लॉकडाउन के बाद ब्रिटेन की 'नेशनल डोमेस्टिक एब्यूज हेल्पलाइन' ने कॉल और मदद के लिए ऑनलाइन आवेदन में 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। बात करें अगर संयुक्त राज्य अमेरिका की तो 20 अमेरिकी महानगरों में मार्च, 2020 तक घरेलू हिंसा में दो अंकीय बढ़ोतरी देखी गई। ऐसे ही कोरोना महामारी के संक्रमण–दर में वृद्धि के बाद से, लेबनान और मलेशिया में हेल्पलाइन पर मदद हेतु कॉल की संख्या में बीते साल के समान महीने की तुलना में लगभग दोगुनी और चीन

में तिगुनी बढ़ोतरी देखी गई जबकि आस्ट्रेलिया में महिलाओं के खिलाफ़ हो रही हिंसा में भी पिछले वर्ष की तुलना में अधिक वृद्धि देखी गई। कोरोना महामारी के दौरान स्त्री मानव अधिकारों के हनन से जुड़ी गतिविधियों के बढ़ने से चिंतित होकर हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव ने विश्व की समस्त लोकतान्त्रिक सरकारों से अपील की है कि कोरोनावायरस जैसी वैश्विक महामारी से निपटने की प्रक्रियाओं के दौरान स्त्री मानव अधिकारों की रक्षा भी सुनिश्चित की जाये।

आगे की राह : कोरोना संक्रमित मरीजों की दिन–ब–दिन बढ़ती बेतहाशा संख्या के परिणामस्वरूप वर्तमान में पूरी दुनिया कोरोना संकट से अब त्राहिमाम करने लगी है। नवीनतम ज्ञात आँकड़ों के अनुसार विश्व भर में अब तक साढ़े सात लाख मौतें हो चुकीं हैं और तक़रीबन 1 करोड़ 95 लाख व्यक्ति संक्रमित हो चुके हैं। वैश्विक स्तर पर इस कोरोना वायरस रूपी आपदा के प्रारम्भ हुए लगभग आठ महीने से ज्यादा समय बीत चुके हैं किन्तु अब तक इस महामारी से छुटकारा पाने के लिए कोई ठोस तरकीब इन्सानों के हाथ नहीं लग सकी है। वैश्विक महामारी कोरोना समाज के हरेक तबकों और समूहों को गंभीरता से कुप्रभावित कर रहा है ; साथ ही इस महामारी का एक अहम और तकलीफ़देह पहलू महिलाओं के मानव अधिकारों पर बढ़ते कुठाराघात से भी जुड़ा है। महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए समाज और व्यवस्था दोनों के सकारात्मक समन्वयन की जरुरत है। संसार के किसी भी पितृसत्तात्मक समाज में बिना सामाजिक जागरूकता के स्त्रियों की दशा में अपेक्षित सुधार असंभव है। भारत में भी कुछेक समुदायों को छोड़कर अधिकांश मुख्य धारा का समाज पितृसत्तात्मक ही है और इन समाजों में महिलाओं एवं लड़कियों की स्थिति कुछेक मामलों को छोड़कर अधिकांशतया दोयम दर्जे की ही है। इसलिए सामाजिक स्तर पर आधारभूत बदलावों की अनिवार्य आवश्यकता है। महिलाओं एवं लड़कियों के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए सबसे पहली शर्त्त यही है कि इनको सिर्फ बयानों में ही नहीं बल्कि व्यावहारिकता में, सामाजिक स्तर पर सर्वप्रथम मानव समझा जाये और मानव के बतौर सम्मान दिया जाये। इस कड़ी में स्त्रियों के लिए आर्थिक स्वावलंबन, स्त्रियों के स्वास्थ्य एवं उनकी समुचित शिक्षा का प्रावधान सुनिश्चित किया जाना अहम है। दूसरे चरण में, स्त्री–अधिकारों के संरक्षण से जुड़े न्यायिक निकायों, प्रशासनिक एवं लोकतान्त्रिक संस्थाओं को उच्च स्तर पर सक्रिय होने की जरुरत है, जिससे कि जरूरतमंद स्त्रियों एवं बालिकाओं को वक़्त पर सुरक्षात्मक सुविधाएँ मुहैया कराई जा सके। इन उपायों के द्वारा स्त्री–जाति के मानवाधिकार संरक्षण को निस्संदेह एक मजबूती प्रदान की जा सकती है।

• • •

रोटी : एक चुनौतीपूर्ण मानवाधिकार

vu|i d|ekj•

संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकारों के ''सार्वभौमिक घोषणा–पत्र (1948) के अनुच्छेद–3'' में यह स्पष्ट रुप से उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता और अपने शरीर की सुरक्षा का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ''विकास सम्बन्धी घोषणा–पत्र (1986) के अनुच्छेद–8'' में प्रावधान किया गया है कि विकास के अधिकार को असली जामा पहनाने के लिए राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि आधारभूत संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य–सेवा, भोजन, आवास, रोजगार, आय आदि के संदर्भ में न्यायसंगत रुप से सभी को अवसर प्राप्त हो। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस प्रकार के सार्वभौमिक घोषणा–पत्र को भारत सरकार ने भी अनुमोदित किया है तथा भोजन या रोटी के अधिकार को भारतीय संविधान के ''भाग–3 एवं भाग–4'' में मानवाधिकार के रुप में उल्लेखित किया गया है।

भारतीय संविधान में अलग से भोजन के अधिकार को उल्लेखित नहीं किया गया है, बल्कि सर्वोच्च्य न्यायलय के ''अनुच्छेद–21'' में जीवन जीने का अधिकार जिसके अंतर्गत भोजन का अधिकार, सम्मान, नियोजन जैसे अधिकार भी शामिल हैं। यह अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार के अंतर्गत भाग–3 के द्वारा नागरिकों को प्राप्त हुआ है। संविधान के भाग–4 में वर्णित राज्य के नीति–निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 39 (ग) एवं अनुच्छेद–47 में उल्लेख किया गया है कि राज्य ऐसी नीतियां बनाएगा, जिससे प्रत्येक नागरिक को समान रुप से जीविका का समुचित साधन प्राप्त हो तथा राज्य अपने नागरिको के लिए पोषाहार एवं जीवन–स्तर को उठाने एवं जन–स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा। ''अनुच्छेद 39 (क) में स्पष्ट रुप से उल्लेख किया गया है कि देश के सभी नागरिकों को सामान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त हो'' इसके अंतर्गत राज्य से यह अपेक्षा की गई है कि राज्य का विधिक तंत्र इस प्रकार काम करेगा कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक या किसी अन्य नियोग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुक्ल विधिक सहायता का व्यवस्था करेगा। ''अनुच्छेद–47'' में पोषाहार स्तर और जीवन–स्तर को ऊँचा करने तथा लोक–स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य बताया गया है–

• सहायक प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र, सत्यवती कॉलेज

''राज्य, अपने लोगों के पोषाहार–स्तर और जीवन–स्तर को ऊँचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य विशिष्टतया मादक पदार्थों तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न, उपभोग का प्रतिशेध करने का प्रयास करेगा।''

संविधान के उपर्युक्त प्रावधानों को ध्यान में रखकर भोजन या रोटी का अधिकार भारतीयों का मौलिक अधिकार है। आयोग ने 17 जनवरी 2003 के निर्णय में स्पष्ट किया कि भूख से मुक्त होने का अधिकार मौलिक अधिकार है। यहां यह वर्णन करना उचित होगा कि अप्रैल, 2001 में एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई। यह वह समय था, जब सूखा–प्रभावित क्षेत्र में लोग भूख से मर रहे थे जबकि भारत के अन्न–भंडार गृहों में बड़े पैमाने पर अनाज भरा पड़ा था। इस याचिका में भारत सरकार भारतीय खाद्य निगम एवं सभी राज्य सरकारों को पार्टी बनाया गया। इस याचिका में उल्लेख किया गया कि जीवन के अस्तित्व के लिए रोटी या भोजन आवश्यक है, इसलिए 'भोजन का अधिकार' संविधान की अनुच्छेद–21 से प्रेरित है। किन्तु, केन्द्र एवं राज्य सरकार इसका उल्लंघन कर रही हैं क्योंकि वे उचित तरीके से सूखा–प्रभावित क्षेत्र के व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध नहीं करा रही हैं जबकि अन्य भंडार गृहों में खाद्यान सड़ रहे हैं। इसका मुख्य रुप से दो कारण हैं–1. जन–वितरण प्रणाली ध्वस्त हो चुकी है और 2. सूखा राहत कार्य नगण्य है। इस आयामों को आधार बनाकर पीयूसीएल ने जनहित याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन किया कि इस संदर्भ में चार प्रकार की कार्यवाही करने को आदेश दिया जाय–1. सूखा–प्रभावित क्षेत्र में सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाय; 2. काम करने में असमर्थ लोगों को सहायता प्रदान की जाय; 3. जन–वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान की उपलब्धता को बढ़ायी जाय; एवं 4. सभी परिवारों को सहायता अनुदान के तरह खाद्यान्न दिया जाय तथा इन सभी कार्यक्रमों एवं योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराए।

उपर्युक्त प्रावधानों को आधार बनाकर इस जनहित याचिका के विषय–क्षेत्र को विस्तारित किया गया तथा इसमें भोजन के अधिकार के अलावा खाद्य सम्बन्धी योजनाओं का क्रियान्वयन शहरी वंचना, भूख से मौत तथा पारदर्शिता एवं दायित्व जैसे मुद्दे भी शामिल कर लिए गए।

सर्वोच्च न्यायालय ने इन मुद्दों को ध्यान में रखकर प्रथम अंतरिम आदेश 28 नवम्बर 2001 में योजनाओं को कारगर बनाने के लिए जारी किया – 1. जन वितरण–प्रणाली, 2. अंत्योदय अन्न योजना, 3. राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषाहार सहायता कार्यक्रम, 4. समेकित बाल बिकास योजना, 5. अन्नपूर्णा योजना, 6. राष्ट्रीय

मातृत्व लाभ योजना, 7. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, एवं 8. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में इन आठ योजनाओं के लाभों को अनिवार्य रुप से वैधानिक दावेदारी में परिवर्तित कर दिया। इसे एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है– ''यदि किसी गरीब महिला के पास अंत्योदय कार्ड है, किन्तु उसे उसका पूरा कोटा ''35 किलोग्राम'' प्रतिमाह सरकारी दर पर 3 रु. किलो–ग्राम चावल या 2 रु. किलोग्राम गेहूँ नहीं मिल रहा है तो वह अपने उस अधिकार के लिए न्यायालय में दावा कर सकती है।'' इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के उपरांत केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अन्य कार्यक्रमों एवं योजनाओं को सही तरीके से लागू किया जा सकता है।

वर्तमान समय में भी भारत देश में भोजन कुपोषण और भूख की समस्या व्याप्त हैं। भारत में प्रतिवर्ष 25 लाख बच्चे मौत के शिकार बनते हैं जो पूरे विश्व में होने वाले बाल–मृत्यु का पाँचवां भाग है। सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स के द्वारा प्रकाशित पत्रिका ''स्टेटस ऑफ चिल्ड्रेन इन इंडिया इंक'' के अनुसार, प्रत्येक सौ में से 87 बच्चों की जन्म के 5 वर्षो के दौरान मृत्यु की संभावना बनी रहती है। सन 2000 के प्रतिवेदन के अनुसार प्रत्येक 1000 जीवित जन्मे बच्चों में से 44 बच्चे की मौत एक वर्ष के अंदर हो गई। किन्तु वर्तमान समय से सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रमों के कारण बाल मृत्यु दर में काफी हद तक कमी आई है। इस कुपोषण का कारण अपर्याप्त अथवा असंतुलित भोजन लेना, स्वच्छ जल के अभाव में गैस्ट्रोइनटेस्टाइन परजीवी का होना माना जाता है।

यह सर्वमान्य सत्य है कि अभी भी भारत में कम–से–कम लगभग 18 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन का निर्वाह करते हैं, जिन्हें दो जून का भोजन नहीं मिल पाता है। उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, असम एवं दिल्ली जैसे संघ शासित प्रदेश में छिटपुट भुखमरी की घटनाएं देखने को मिलती रहती है। किन्तु शासन–प्रशासन अपनी जिम्मेवारी से बचने के लिए इस भूख से हुई मौत को न स्वीकार करते हुए बीमारी से हुई मौत करार देता है। डायरिया, मलेरिया से पीड़ित होने वाले इन गरीबों के पास पैसा नहीं होता है कि वे दवा के साथ–साथ भोजन उपलब्ध करा सके। इसी को बहाना बनाकर शासन–प्रशासन के द्वारा बीमारी में हुई मौत की घोषणा कर दी जाती है। जैसा कि कुछ दिन पहले झारखंड में हुई दो बच्चे एवं दिल्ली में हुई तीन बच्चे के मौत के संदर्भ में देखा जा सकता है एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 80 करोड़ क्विंटल अनाज गोदामों में भरा पड़ा है। गरीबों को दो समय का भोजन मात्र 9 करोड़ क्विंटल से पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर अनाज शीतगृहों के अभाव में बर्बाद भी हो रहे हैं। किन्तु, सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के उपरांत सरकार ने ऐसे खाद्यान्न को

गरीबों को उपलब्ध कराया है। इसके अलावा, यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि भारत में बहुत सारी खान–पीने की वस्तुओं में मिलावटी होती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र, नई दिल्ली के अनुसार तेल या वनस्पति में एक प्रतिशत से ज्यादा मिलावटी वसा हानिकारक है। यह पैमाना विश्व स्वास्थ्य संगठन के घोषणा के आधार पर तैयार किया गया है। किन्तु, डालडा में 9.4 प्रतिशत, जेमिन में 12.7 प्रतिशत, रथ में 15.9 प्रतिशत, राग में 23.3 प्रतिशत, जिन्दल में 13.8 प्रतिशत, गगन में 14.8 प्रतिशत, और पनघट में 23.7 प्रतिशत, मिलावटी वसा पायी गयी। यह ध्यान देने योग्य बात है कि डालडा, रथ और राग अमेरिकी कम्पनियां बनाती है, फिर भी इन कम्पनियों के विरुद्ध सरकार ने कोई कार्यवाई नहीं की है।

भारत को आजादी मिले हुए 72 वर्ष हो चुके हैं। इसके बावजूद भारतवासी भूख के कारण मौत के शिकार बन रहे हैं, जो इंगित करता है कि ''आखिर ये कैसी आजादी है।'' केवल स्वंतत्रता दिवस के अवसर पर हीं नहीं, बल्कि हर समय यह प्रश्न परेशान करता है कि यदि भारत आजाद है तो यह आजादी समाज में किस वर्ग, किस व्यक्ति को प्राप्त है। इस बात पर गंभीर विचार करने की आवश्यकता है कि समाज के भीतर एक वर्ग हीं सबसे ज्यादा अमीर है जो हर प्रकार की आधुनिक सुख–सुविधाओं से सम्पन्न हैं, वहीं दूसरा वर्ग दो वक्त की रोटी के लिए रात–दिन खट रहा है, फिर भी यह वर्ग पैसे और रोटी से दूर है। इस वर्ग के पास न रहने को छत है, न पहनने के लिए ढंग के कपड़े और न ठीक ढंग से खाने के लिए दो वक्त की रोटी। यह वर्ग कर्ज में इस कदर डूब चुका है कि आत्महत्या तक को मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसी घटनाएं झारखंड राज्य में कुछ समय पहले घटी हैं, जिसमें आर्थिक तंगी के कारण कई परिवारों ने सपरिवार आत्महत्या कर ली हैं।

भूख से होने वाली मौतें इस लोकतांत्रिक स्वतंत्र देश का एक कड़वा सच है। किन्तु, समस्या यह है कि देश का शासन–प्रशासन ऐसा मानने को तैयार नहीं है कि भूख से भी मौतें हो सकती है। जबकि हाल में देश की राजधानी दिल्ली में तीन बेटियों की भूख से हुई मौत गवाह हैं। बहुत लम्बे संघर्ष के बाद हमें आजादी प्राप्त हुई थी। आजादी को पाने के खातिर न जाने कितनी माँओं ने अपने बेटे कुर्बान किए। कितनी हीं पत्नियों ने अपने पति और कितने हीं बच्चों ने अपने पिता खोएं, तब कहीं जाकर हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। आज भी रुह कांप उठती है कि ब्रिटिश हुकूमत ने देश के महान क्रांतिकारियों पर कितना अधिक अत्याचार किया। किन्तु, इसके बावजूद हम अपनी स्वतंत्रता का मान नहीं रख पाए हैं क्योंकि देश और समाज के बीच से अमीरी–गरीबी हीं नहीं, जाति–धर्म के भेद–भाव भी न मिट पाए हैं। हर रोज बच्चियां देश में दुष्कर्म का शिकार हो रही हैं, स्त्री, किसान, कमजोर तबकों को उचित न्याय

नहीं मिल पा रहा है, ऐसे अनेक प्रश्न हैं, जो हमारे दिमाग में प्रतिदिन उठते हैं, पर हमेशा निरूतर हीं बना रहता है। भीड़ की हिंसा और सोशल मीडिया की आजादी ने भी हमारी स्वतंत्रता को शर्मसार किया है। अक्सर ऐसी खबरें पढ़ने को मिलती है कि अफवाह ने लोगों को अत्महत्या करने को मजबूर किया या हिंसा भड़काई। ऐसी घटनाओं के पीछे प्रमुख कारण अशिक्षा, गरीबी एवं भुखमरी को हीं माना जा सकता है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार अशिक्षा, गरीबी, भुखमरी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रयासरत हैं, और इसमें काफी सफलता भी मिली हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम चैन से बैठ जाएं और सब कुछ सरकार के भरोसे छोड़ दे। कुछ जिम्मेवारी हम देशवासियों को भी उठानी पड़ेगी। इन तमाम मुद्दों के बीच बेरोजगारी भी एक अहम समस्या है, जिसका सम्बन्ध गरीबी एवं भुखमरी से है।

यह कह देना काफी नहीं है कि हम स्वतंत्र देश में रहते हैं। स्वतंत्रता का लाभ समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को भी तो मिलना चाहिए। जब हम आजाद हैं तो कैसी अमीरी–गरीबी, कैसी जातिगत ऊँच–नीच, कैसी भुखमरी। आजादी का असर किन्हीं खास तबके तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हर एक के लिए समाज होना चाहिए। देश की आजादी का 72 वर्ष का यह सफर तमाम सफलताओं, चुनौतियों और कठिनाईयों के बीच से होकर तय हुआ है। आजादी के इतने वर्षों बाद भी देश में भूख से हो रही मौतें और तमाम तबकों का उत्पीड़न देश को एक प्रकार से शर्मिंदा हीं करता है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे आनेवाला समय हर वर्ग, हर व्यक्ति के लिए सम्पन्नता और प्रसन्नता से भरपूर होगा।

वैश्विक पोषण प्रतिवेदन 2016 एवं ग्लोबल हंगर इंडेक्स, 2017 के अनुसार वैश्विक–स्तर पर "119 देशों" में भुखमरी के संदर्भ में भारत का स्थान 100वां है। इस प्रतिवेदन के अनुसार 31.4 बच्चे, जिनकी उम्र 5 वर्ष है, कम वजन के शिकार हैं। 2017 में यह बढ़कर 21 प्रतिशत हो गया। यह सच है कि अभी भी भारत में 190. 7 मिलियन लोग प्रत्येक रात्रि में भूखे पेट सोने के लिए मजबूर है, आधे से अधिक महिलाएं एवं लड़कियां एनेमिया के शिकार हैं, जिसका प्रमुख कारण पौष्टिक भोजन का न मिलना माना जाता है, जबकि ऐसी कुपोषण से शिकार महिलाओं एवं लड़कियों को बचाने के लिए सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इसके लिए भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय पोषण मिशन एन.एन.एम. या पोषण अभियान जैसे कार्यक्रमों को शुरु किया है। इस अभियान के लिए 1046 करोड़ रूपये का बजट में प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 200 मिलियन डॉलर विश्व बैक से कर्ज लेने का प्रस्ताव किया गया है। नीति आयोग ने देश के 100 पिछड़े

जिलों के लिए राष्ट्रीय पोषण रणनीति तैयार की है ताकि ऐसे जिलों के महिलाओं एवं लड़कियों को कुपोषण से उत्पन्न होनेवाले बीमारियों से सुरक्षित रखा जाय।

भुखमरी एवं गरीबी के कारण कुपोषण से उत्पन्न होनेवाले बीमारियों को रोकथाम करने के लिए 2008 ई. में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ''नेशनल काउन्सिल ऑफ इंडिया न्यूट्रिशन काउंसिल'' का गठन किया गया। योजना आयोग ने 2010 ई. में इस काउंसिल के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा है कि कुपोषण जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न सेक्टरों से सम्पर्क किया जाय और ऐसा किया भी गया। किन्तु कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

समय–समय पर भारत सरकार के द्वारा कुपोषण एवं भुखमरी को समाप्त करने के लिए अनेक कार्यक्रम एवं योजनाओं को चलाया गया है। इस संदर्भ में ''समेकित बाल विकास कार्यक्रम'' का उल्लेख किया जा सकता है। इस कार्यक्रम को ''1.4 मिलियन'' आंगनबाड़ी केन्द्रों से जोड़ा गया है, जिससे 100 मिलियन महिलाएं एवं बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार ने माध्यिमक विद्यालयो में मिड–डे–मील का प्रावधान किया है, ताकि बच्चे को पोषणयुक्त भोजन विद्यालय में ही उपलब्ध हो सके। मिड–डे–मील से ''120 मिलियन'' बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। इससे देश में बच्चों को पोषणयुक्त भोजन मिलने के साथ–साथ शिक्षा भी प्राप्त होती है, जिसके कारण देश की साक्षरता दर मे वृद्धि दर्ज की गयी है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले लोगो के लिए भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया गया है। इस अधिनियम के बन जाने के उपरांत सरकार का कर्तव्य बनता है कि देश के प्रत्येक नागरिक के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराएं। इस उदेश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनर्गठन किया है। इस अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली ''800 मिलियन लोगों को सहायता अनुदान के द्वारा सस्ते दाम पर खद्याण उपलब्ध करा रहा है। राष्ट्रीय पोषण रणनीति ने 2022 तक एक भविष्योन्मुख लक्ष्य रखा है और पोषण अभियान ने भी 3 वर्षों में कुपोषण, कम वजन के उत्पन्न होने वाले बच्चों को 2 प्रतिशत की दर से एवं एनेमिया से पीड़ित महिलाओं को 3 प्रतिशत की दर से कम करने का लक्ष्य रखा है। सह लक्ष्य पोषण अभियान के द्वारा प्रत्येक वर्ष में 2 प्रतिशत कुपोषित बच्चे एवं 3 प्रतिशत एनेमिया पीड़ित महिलाओं के संदर्भ में प्राप्त किया जाएगा। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एन.एन.एस. एवं एन.एन.एम. के अलावा प्राइवेट क्षेत्र, सिविल समाज आदि महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं।

भारत सरकार के द्वारा गरीबी, भुखमरी एवं कुपोषण से देश को मुक्त करने के लिए तीन योजनाओं को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है–(1) समेकित बाल

विकास सेवा, (2) मिड–डे–मील, (3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इन कार्यक्रमों को प्रभावशाली बनाया जाय। इन्हें सफल बनाने के लिए सरकार को निजी–सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ऐसा होने से इन कार्यक्रमों के संरचना–प्रक्रिया आदि का ठीक ढंग से निर्माण करना संभव होगा। समेकित बाल विकास सेवा एवं मिड–डे–मील के लिए सरकार द्वारा बजट निर्माण करते समय विशेष दिशा–निर्देश जारी किया जाय, ताकि स्वयं सहायता समूह विकास एजेंसी एवं प्राइवेट सेक्टर उनकी सफलता में राज्य सरकार के साथ भागीदारी कर सके। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन तो होगा ही, इसके साथ–साथ इन योजनाओं में होने वाले भ्रष्टाचार पर भी नियंत्रण किया जाना संभव हो सकेगा। इससे बच्चों को स्वास्थ्यवर्धक सेवाएं उपलब्ध होने के साथ–साथ आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों एवं महिलाओं के लिए पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध हो सकेगा। विद्यालय एवं आंगनबाड़ी में यह आवश्यक किया जाना चाहिए कि बच्चों को जो भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, उनमें उच्च स्तर का खाद्यान्न तेल, गेहूँ, चावल एवं दुध उत्पाद शामिल हो क्योंकि वर्तमान समय में बच्चों को जो भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, उसमें पोषण का अभाव पाया जा रहा है। इसका प्रमाण यह है कि खाना खाने के तुरंत बाद बच्चे बीमार हो जाते हैं और इनमें कई बच्चे मृत्यु के शिकार भी होते हैं। इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा गरीब लोगों को गेहूं और चावल जो उपलब्ध कराया जाता है, वह पोषणयुक्त हो। सरकार द्वारा पोषण से सम्बन्धित एक अभियान चलाया जाय ताकि जनता को इसके प्रति सचेत एवं जागरुक बनाया जाय। इस संदर्भ में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। लोगों को निःशुल्क पोषण सम्बन्धी शिक्षा उपलब्ध कराने पर सरकार द्वारा बल दिया जाना चाहिए। बीमारी का कारण सिर्फ भूख हीं एक पहलू नहीं है, बल्कि स्वच्छता का अभाव भी एक पहलू है। अतः सरकार द्वारा स्वच्छता अभियान पर बल दिया जाना चाहिए एवं सरकार द्वारा इसके लिए स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्यवर्धक पर्यावरण आदि को उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक उपाय किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में भारत सरकार ने भारत को 2019 तक स्वच्छ भारत बनाने का संकल्प लिया है, जो एक शुभ संकेत है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भुखमरी की चुनौतियां का सामना करने के लिए संविधान के साथ–साथ सरकार के द्वारा भी वैधानिक एवं गैर–वैधानिक स्तर पर अनेक प्रयास किए गए हैं, किन्तु अभी तक इसमें पूरी सफलता नहीं मिल पायी है। इसलिए सरकारी योजनाओं को कारगर एवं सफल बनाने के लिए अभी भी बहुत कुछ करना शेष है।

• • •

समलैंगिक विमर्श : मानवाधिकार का सवाल

Mk- lo'k d|ekj•

l kjk'k

विविधता प्रकृति का गुण है। जिस तरह सभी फूल एक रंग के नहीं होते, मिट्टी के भी विविध रंग और गुणधर्म हैं, सभी जगह पानी का स्वाद भी एक जैसा नहीं है, उसी तरह प्रकृति ने भी सभी मनुष्यों को एक जैसा नहीं बनाया। कुछ मनुष्य श्याम वर्ण तो कुछ श्वेत वर्ण हैं, कुछ ऊँचे कद के, तो कुछ बौने हैं, कुछ लेफ्ट हैंडर, तो कुछ राइट हैंडर हैं, कुछ बलिष्ठ तो कुछ दुबले–पतले हैं और कुछ होमोसेक्शुअल, तो कुछ हेट्रोसेक्शुअल हैं; मानव समाज की खूबसूरती विविधताओं के साथ समायोजन में है। विविधताओं को नष्ट कर समरूपता की तलाश सामाजिक विघटन और मानवाधिकार हनन का कारण बनती है। विशिष्ट यौन रूझान के कारण समलैंगिकों के साथ समाज में हो रहा भेदभाव, इसी तरह की समरूपता की तलाश का परिणाम है। समाज में व्याप्त 'होमोफोबिया' के कारण एलजीबीटी समुदाय शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, सामाजिक सहभागिता, आत्मसुरक्षा, विवाह और निजता के अधिकार से वंचित हो रहा है। शोध का उद्देश्य यौन विविधता और लैंगिक मुद्दों पर पाठकों में समझ और संवेदनशीलता बढ़ाना है। विश्लेषण और तथ्य संकलन में अखबार, शोध–पत्रिका, क्वीर साहित्य, सिनेमा, सरकारी व गैर–सरकारी संस्थानों के प्रतिवेदनों का उपयोग द्वितीयक स्रोत के रूप में किया है। यौन–अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव एक बहुआयामी समस्या है, अतः इसका समाधान केवल राजकीय प्रयासों में नहीं है। 'होमोफोबिया' के उन्मूलन के लिए राज्य के साथ–साथ परिवार, शिक्षण संस्थान, धार्मिक संस्थान, सिनेमा, साहित्य और गैर–सरकारी संगठनों को भी अपनी भूमिका निभानी होगी।

ch t 'kCn % ,y thchVh] le:irk] gkekQkfc;k] vk thfodk] ;kSu&fofoèkrkA

जब तक समलैंगिकता का मुद्दा प्रकाश में नहीं आया था, तब तक लैंगिकता का शब्दकोश बहुत छोटा और सरल था। यह **'M'** अर्थात् मेल (पुरुष) से शुरू होता था और **'F'** अर्थात् फीमेल (स्त्री) पर समाप्त हो जाता था। अब इसमें **'M'** और **'F'** के साथ–साथ **L, G, B, T, I** और **Q** भी जुड़ गया है। बहरहाल शोध–पत्र में समलैंगिक अधिकारों से जुड़े विविध आयामों पर प्रकाश डालने से पूर्व हम यौन विविधता के

• सहायक आचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, राजसमंद (राज.)

अलग–अलग रूपों पर विहंगम दृष्टि डालना जरूरी समझते हैं। शुरूआत लेस्बियन अर्थात् स्त्री समलैंगिकता से करते हैं। जब दो स्त्रियाँ परस्पर आकर्षण और प्यार में बंधती हैं, तो यह रिश्ता लेस्बियन कहलाता हैं। वहीं दो पुरुषों के मध्य प्रेम और यौन आकर्षण 'गे' कहलाता है। वैसे बोलचाल की भाषा में पूरे समलैंगिक समुदाय को भी 'गे' शब्द से अभिहित किया जाता है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति स्त्री और पुरुष दोनों की ओर आकृष्ट होता है, तो वह उभयलिंगी अर्थात् बाईसेक्शुअल कहलाता है। अब बारी है ट्रांसजेण्डर की, आम बोलचाल की भाषा में किन्नर समुदाय के लिए ट्रांसजेण्डर शब्द का प्रयोग किया जाता है किंतु चिकित्सा विज्ञान की भाषा में लिंग परिवर्तित व्यक्ति, ट्रांसजेण्डर कहलाता है। कुछ व्यक्तियों में 'जेण्डर डिस्फेरिया' होता है अर्थात् जननांग और लैंगिक रूझान अलग–अलग होते हैं। किसी का शरीर पुरुष का और मन स्त्री का हो सकता है या शरीर स्त्री का और मन पुरुष का हो सकता है। इस तरह की असहजता से छुटकारा पाने के लिए कुछ व्यक्ति तो परिधान परिवर्तित कर लेते हैं, ऐसे व्यक्तियों को क्रॉस ड्रेसर कहा जाता है अर्थात् पुरुष, स्त्री के वस्त्र पहन लेता है और स्त्री, पुरुष के वस्त्र पहन लेती है। किंतु कुछ व्यक्ति परिधान बदलने के बाद भी सहजता का अनुभव नहीं कर पाते हैं, ऐसे व्यक्ति सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी द्वारा लिंग परिवर्तन कराते हैं। यौन परिवर्तन की कुछ वित्तीय और कानूनी बाध्यताएँ भी हैं जिनका जिक्र हम आगे करेंगे। यौनिकता का ही एक रूप इंटरसेक्स है, कुछ व्यक्तियों के शरीरांग और जननांग में स्त्री और पुरुष दोनों का मिश्रण पाया जाता है, ऐसे व्यक्तियों को 'इंटरसेक्स' या 'मध्यलिंगी' कहा जाता है। उत्तर भारत में ऐसे व्यक्तियों को हिजड़ा कहा जाता है। अब बात करते हैं, **'Q'** की। यौन विविधता की शब्दावली में क्वीर के दोहरे अर्थ हैं। एक–पूरे एलजीबीटी समुदाय को क्वीर कहा जाता है। दूसरा जो लोग अपने लैंगिक रूझान को तय नहीं कर पाते और उनके दिमाग में अपनी लैंगिकता को लेकर हमेशा प्रश्न खड़ा रहता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी क्वीर शब्द प्रयुक्त होता है।[1] लैंगिकता का शब्दकोष निरंतर वृद्धि कर रहा है। ज्यों–ज्यों समलैंगिक विमर्श को प्रोत्साहन मिला है, यौन विविधता के नए–नए रूप हमारे सामने आ रहे हैं।

D;k dgrk g} foKku\

समलैंगिक अधिकारों का विमर्श इस बात पर अटकता रहता है कि इस विषय पर विज्ञान की क्या राय है। यदि विज्ञान समलैंगिकता को स्वाभाविक मानता है तो समलैंगिक अधिकारों को समाज में मान्यता मिलनी चाहिए और यदि यह कोई मनोविकार है तो इसका उपचार होना चाहिए। शुरूआती वैज्ञानिक निष्कर्षों में होमोसेक्शुअलिटी को मनोरोग के रूप में चिह्नित किया। इन्हीं निष्कर्षों के आलोक में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी पचास के दशक में होमोसेक्शुअलिटी को मानसिक

बीमारी (Mental Illness) की सूची में सूचीबद्ध किया। मनोरोग उपचार केन्द्रों में समलैंगिकता के उपचार के प्रयास भी हुए किंतु समलैंगिक यौन रूझान को बदलने में मनोचिकित्सकों को कोई खास सफलता नहीं मिली। इसी दौरान प्राणीशास्त्र के विभिन्न अध्ययनों में पता चला कि समलैंगिक प्रवृत्ति केवल मनुष्यों में ही नहीं अपितु प्रकृति के अन्य जीवों में भी मौजूद है। चिम्पांजी, पेंग्विन, जापानी मकाका के साथ–साथ घेंघा, डोल्फिन जैसे समुद्री जीवों में भी समलैंगिक यौन व्यवहार दर्ज किया गया। होमोसेक्शुअलिटी की दिशा में सबसे बड़ा फैसला अमेरिकन साइट्रिक एसोसिएसन ने लिया। वर्ष 1973 में इस संस्था ने सर्वप्रथम समलैंगिकता को प्राकृतिक मानते हुए, इसे मनोविकार सूची से बाहर किया। इसके बाद दुनिया के कुछ अन्य देशों ने भी अमेरिकन साइट्रिक एसोसिएसन के कदम का अनुकरण किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी नब्बे के दशक में होमोसेक्शुअलिटी को मनोविकार मानने से इन्कार किया। भारत सरकार ने भी न्यायालय में आईपीसी की धारा–377 की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया की वह समलैंगिकता को मनोरोग नहीं मानती है। दुनिया भर में समलैंगिकता पर हुए वैज्ञानिक अनुसंधानों को ध्यान में रखकर, होमोसेक्शुअलिटी को मनोरोग सूची से बाहर किया है। आज दुनिया भर में समलैंगिक अधिकारों की जो आवाज बुलंद हो रही है, उसका सबसे बड़ा श्रेय विज्ञान को दिया जाना चाहिए। विज्ञान ने नीतिज्ञों को ऊहापोह की स्थिति से बाहर लाकर, उन्हें एक स्पष्ट उद्देश्य बता दिया है कि सरकारों की जिम्मेदारी समलैंगिकों को उनके विशिष्ट यौन रूझान के साथ समाज में गरिमामय स्थान दिलाने की है।

leySfxdrk dk èkkfeZd&lkaLÑfrd igyw

इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दुनिया के अधिकांश धर्म प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समलैंगिक रिश्तों का निषेध करते हैं। इस्लाम और ईसाइयत जैसे अब्राहम धर्मों में जहाँ सोडोमी का मुखर विरोध हुआ है, वहीं दूसरे धर्मों में सेक्स को निम्न किस्म का सुख माना गया है और इसका औचित्य संतति तक रख गया है। अतः जिन धर्मों में सेक्स को ही पाप समझा गया है, वहाँ समलैंगिकता की बात स्वतः ही खारिज हो जाती है। यही वजह है कि जब समलैंगिक अधिकारों की बहस तेज होती है, तब धार्मिक संगठनों का विरोध भी समवेत स्वर में उभरता है। उपर्युक्त बातों का अपना स्थान है किंतु क्या धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को आधार बनाकर किसी मानव समूह को उसके विशिष्ट लैंगिक रूझान के कारण नारकीय जीवन जीने के लिए छोड़ देना सही है? ध्यान रहे, कोई भी धर्म व संस्कृति अपनी मान्यताओं की शाश्वतता का कितना भी दावा क्यों न करे किंतु इन मूल्यों एवं मान्यताओं पर उस काल खण्ड का असर भी होता है, जिसमें इन मान्यताओं का निर्माण होता है। हो सकता है, विभिन्न धर्मों में समलैंगिकता को टैबू इसलिए भी माना गया हो क्योंकि

उस समय होमोसेक्शुअलिटी की गुत्थी को सुलझाने के लिए ज्ञान–विज्ञान आज की तरह समृद्ध नहीं था और समलैंगिकता को केवल सोडोमी का पर्याय समझना भी सही नहीं है, क्योंकि समलैंगिकों में भी काम–वासना से परे प्रेम होता है और अपने प्रेम को आदरणीय बनाने की चाहत होती है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात मानवतावाद की है, जो हर धर्म के मूल में है। आज जरूरत है, धार्मिक–सांस्कृतिक मान्यताएँ मानवतावाद के दायरे में और यौन अल्पसंख्यकों के हित में पुनः परिभाषित की जाए। पोप की गुजारिश को इसी तरह की पहल के रूप में देखा जा सकता है। हाल ही में पोप ने दुनिया भर के समलैंगिकों से उनके साथ किए गए दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगी है। पोप ने अपील की है कि समलैंगिकों के साथ गरिमामय व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि समलैंगिक भी ईश्वर की ही संतान हैं। आवश्यकता है, इसी तरह की पहल अन्य धर्मों के धर्मगुरुओं की ओर से भी हो।

leyfxdrk dk dkuuh igy

औपनिवेशिक काल में भारतीय दण्ड संहिता–1860 का निर्माण हुआ। आईपीसी के सेक्शन–377 में सिर्फ गुदा सेक्स को ही अप्राकृतिक नहीं माना गया है अपितु पशुगमन को भी अप्राकृतिक माना है। एनल सेक्स को अप्राकृतिक के साथ–साथ दण्डनीय कृत्य भी वर्णित किया गया था। इस अपराध के लिए दस वर्ष तक के कारावास का प्रावधान किया गया था। इसे संज्ञेय अपराध माना गया है अर्थात् ऐसे अपराध में गिरफ्तारी वारंट की जरूरत नहीं पड़ती है अपितु पुलिस शक या गुप्त सूचना के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। मानवाधिकार संगठनों की इस उपबंध पर गहरी नाराजगी थी, क्योंकि इस प्रावधान से पुलिस को यौन अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का आधार मिलता है। सेक्शन–377 का निर्माण ब्रिटेन के विक्टोरियन कानून की तर्ज पर हुआ है। विक्टोरियन कानून में किसी दौर में सोडोमी के लिए मृत्युदण्ड तक का प्रावधान था, बाद में धीरे–धीरे सजा को कम किया गया और वर्ष 1967 में वुल्फेंडन आयोग की सिफारिश पर विक्टोरियन कानून को समाप्त किया गया। ब्रिटेन में समलैंगिक रिश्ते वर्ष 1967 से विधिसम्मत हुए और भारत इस औपनिवेशिक कानून को वर्ष 2018 तक ढ़ोता रहा। 6 सितम्बर, 2018 को सर्वोच्च न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने 'नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ' वाद में आईपीसी के सेक्शन–377 के उस हिस्से को निरस्त घोषित किया, जो वयस्कों में सहमति पर आधारित समलैंगिक रिश्ते को अप्राकृतिक और दण्डनीय अपराध घोषित करता था। शीर्ष अदालत ने सेक्शन–377 को संविधान के अनु. 14, अनु. 19 और अनु. 21 के विरूद्ध माना। न्यायमूर्ति इंदू मल्होत्रा ने कहा कि 'हम इतिहास को बदल तो नहीं सकते किंतु इतिहास में समलैंगिकों के साथ किए गए भेदभावपूर्ण व्यवहार के लिए माफी मांगी जानी चाहिए और भविष्य का पाठ्यक्रम तय करना

चाहिए।' गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आईपीसी के सेक्शन–377 को समाप्त नहीं किया है अपितु संशोधन किया है। भारत में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कराने में नाज फाउण्डेशन की बड़ी भूमिका रही है। स्वास्थ्य से जुड़ी इस गैर–सरकारी संस्थान ने वर्ष 2001 में पहली बार सेक्शन–377 के विरूद्ध न्यायालय में याचिका दायर की थी, उसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय और फिर सर्वोच्च न्यायालय में लंबी न्यायिक लड़ाई लड़ी है। यौन–अल्पसंख्यकों के अधिकारों के सरंक्षण में अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ा कदम 'सेक्शुअल ओरियन्टेशन एण्ड जेण्डर आइडेंटिटी रिज्योलुशन' के रूप में उठा। वर्ष 2016 में यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् में पारित हुआ। ये और बात है कि भारत ने न तो वोटिंग में भाग लिया और न ही इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए।[2] यद्यपि आज भी दुनिया के बहुत से देशों में समलैंगिकता दण्डनीय अपराध है। अभी तक केवल छब्बीस देशों ने समलैंगिकता को विधिसम्मत घोषित किया है। दुनिया के आठ देशों में अभी भी समलैंगिक संबंध के लिए मृत्युदण्ड का प्रावधान है।

fof'k"V ;ku&:>ku vkj ekuokfèkdkj guu

लैंगिकता, चयन या पसंद का विषय नहीं है अपितु यह प्रकृति प्रदत्त है। विविधता प्रकृति का अहम गुण है। जिस तरह सभी फूल एक रंग के नहीं होते, मिट्टी के भी विविध रंग और गुणधर्म हैं, सभी जगह पानी का स्वाद भी एक जैसा नहीं है, उसी तरह प्रकृति ने सभी मनुष्यों को भी एक जैसा नहीं बनाया है। कुछ मनुष्य श्याम वर्ण, तो कुछ श्वेत वर्ण होते हैं, कुछ ऊँचे कद के, तो कुछ बौने होते हैं, कुछ लेफ्ट हैंडर, तो कुछ राइट हैंडर होते हैं, कुछ बलिष्ठ तो कुछ दुबले–पतले होते हैं और कुछ होमोसेक्शुअल, तो कुछ हेट्रोसेक्शुअल होते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है, कि अप्राकृतिक भी प्राकृतिक है अर्थात् प्रकृति में कुछ भी अप्राकृतिक नहीं है। यह हमारा अल्पज्ञान है, जो कुछ प्राकृतिक घटनाओं को अप्राकृतिक ठहरा देता है। मानव समाज की खूबसूरती विविधताओं के साथ समायोजन में है। जो समाज अपनी विविधताओं को संजोकर रखता है, वह समाज सशक्त और सावयवी होता है। विविधताओं को नष्ट कर समरूपता की तलाश सामाजिक विघटन और मानवाधिकार हनन का कारण बनती है। जो लोग समाज के बने बनाये ढाँचे में सही नहीं बैठते, समाज ऐसे लोगों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करता है। यौन रूझान के कारण समलैंगिकों के साथ समाज में हो रहा भेदभाव इसी तरह की समरूपता की तलाश का परिणाम है। समाज में व्याप्त 'होमोफोबिया' के कारण समलैंगिकों के जिन अधिकारों का हनन हो रहा है, उनका संक्षिप्त विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत है–

f'k{kk d vfèkdkj dk guu & शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार की सर्वव्यापी

घोषणा का अहम हिस्सा है किंतु यौन–अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा प्राप्ति सहज नहीं है। यौन विशेषज्ञों के मतानुसार नौ से दस वर्ष की आयु में बालकों में यौन रूझान प्रकट होने लगता है। यह वह उम्र है, जिसमें बालक शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर होता है। यहीं से बालक अपने विशिष्ट यौन रूझान के कारण असहज होने लगता है। बहुत से बालक विद्यालय से ड्रॉप आऊट हो जाते हैं। यहाँ शिक्षक की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो सकती है किंतु ऐसा लगता है, हमारी शिक्षा प्रणाली भी होमोफोबिया की शिकार हो गई है क्योंकि हमने शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में इस तरह की चुनौतियों को शामिल ही नहीं किया। वहीं जो बालक किन्नर होते हैं, वे जन्म से ही समाज की मुख्यधारा से कट जाते हैं। इनकी शिक्षा–दीक्षा किन्नर अखाड़ों की परंपराओं के अन्तर्गत होती है जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली से बहुत पीछे है।

vlqj{kk dk ladV & विशिष्ट यौन रूझान अपने साथ अंतहीन पीड़ा लेकर आता है और यदि बालक निम्न या मध्यमवर्गीय परिवार से है, तो यह पीड़ा और भी गहरी हो जाती है। गरीब और अशिक्षित अभिभावक तो विशिष्ट यौन–रूझान को समझ ही नहीं पाते हैं। वे कभी इसका कारण अपनी परवरिश में तलाशते हैं, तो कभी भूत–प्रेत के साये में। ओझा बच्चों में भूत–प्रेत की काली छाया उतारने के लिए शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना देते हैं। कभी इलेक्ट्रिक शॉक देने की घटनाएँ सामने आती हैं। इन सब यातनाओं से तंग आकर कुछ लोग तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। कुछ निराशा में अपना घर परिवार छोड़कर चले जाते हैं। होमोसेक्शुअल व्यक्तियों के लिए न घर सुरक्षित है और न बाहरी दुनिया। घर में परिजनों का उपेक्षित व्यवहार तो बाहर 'गे' समुदाय पर दक्षिणपंथी संगठनों का विरोध, चरमपंथी हमले, पुलिस प्रताड़ना, मानव तस्करी, बालश्रम, वेश्यावृत्ति, जैसी समस्याओं का संकट है। आज भी दुनिया के आठ देशों में समलैंगिक रिश्तों के लिए सजा–ए–मौत का प्रावधान है। अन्य बहुत–से देशों में कारावास और आर्थिक दण्ड का प्रावधान है। ये सब वे पहलू है जो यौन–अल्पसंख्यकों को असुरक्षा का एहसास दिलाते हैं।

jkth&jksVh dk ladV & रोजी–रोटी को हम आजीविका कहते हैं, जिससे हमारा जीवन चलता है। हमारी बुनियादी जरूरतें पूरी होती हैं। दुनिया में बेरोजगारी के बहुत से कारण हैं किन्तु यौन–अल्पसंख्यकों के लिए बेरोजगारी का कारण उनकी विशिष्ट लैंगिकता है। अपनी लैंगिक पहचान उजागर कर समलैंगिकों के लिए रोजगार पाना कोई आसान काम नहीं है। दुनियाभर में समलैंगिकों को कार्यस्थल पर अपनी लैंगिक पहचान छुपाकर काम करना पड़ रहा है, जबकि किसी व्यक्ति की कार्यक्षमता और कार्यकुशलता का उसकी लैंगिकता से कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसे भी मामले सामने आये हैं, जब नियोक्ता ने किसी व्यक्ति को यह कह कर नौकरी से निकाल दिया कि–"तुम हिलते बहुत हो, तुम्हारी चाल लड़कियों जैसी है, तुम बहुत

सज–धज कर आते हो, तुम 'गे' जैसे दिखते हो।' दरअसल समाज में होमोफोबिया इतना गहरा है कि हमें होमोसेक्शुअल लोग दूसरे ग्रह के प्राणी नजर आते हैं। ये लोग संवेदना के पात्र हैं किंतु हमने इन्हें उपहास का पात्र बना दिया। रोजगार को लेकर किन्नर समुदाय के हालात होमोसेक्शुअल लोगों से भी बदतर हैं। इनकी अशैक्षणिक पृष्ठभूमि इनके लिए रोजगार की समस्या को और भी बढ़ा देती है। इनकी आजीविका का मुख्य साधन बधाई या पुण्य वर्षा है जो मांगलिक अवसर पर दी जाने वाली भेंट है।[3] धीरे–धीरे समाज बदल रहा है और भेंट की प्रवृत्ति कम हो रही है। इसका सीधा असर किन्नर समुदाय की आजीविका पर पड़ रहा है। यही वजह है कि किन्नर समुदाय के लोग भिक्षावृत्ति और वेश्यावृत्ति को अपना रहे हैं। सरकारें किन्नर समुदाय को महत्वाकांक्षी योजनाओं से जोड़ने का प्रयत्न कर रही हैं किंतु जमीनी हालत अभी भी बहुत बदले नहीं हैं। हमारे सामने गंगाकुमारी जैसे भी उदाहरण हैं, जिसे राजस्थान की पहली ट्रांसजेण्डर पुलिस कांस्टेबल होने का गर्व है, किंतु दुःख इस बात का है कि चयन के बाद कई वर्षों तक गंगाकुमारी की नियुक्ति नहीं हो पाई। लम्बे अर्से तक पुलिस विभाग यह तय नहीं कर पाया कि गंगाकुमारी की नियुक्ति किस श्रेणी में की जाए। दो वर्ष तक गंगाकुमारी अपनी नियुक्ति के लिए पुलिस के आला अधिकारियों से लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय तक गुहार लगाती रही। यद्यपि हमारे सामने कॉलेज प्राचार्य मनोबी बंद्योपाध्याय, टीवी एंकर पद्मनी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया की पीएमजी इकाई में सचिव श्यामा प्रभा जैसे ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के उदाहरण भी हैं जिन्होंने तमाम बाधाओं को दरकिनार कर बेहतर मुकाम हासिल किया है किन्तु ये उदाहरण आपवादिक है।

fookg dk gd ugh & विवाह, जीवन साथी के चयन की संस्था है। एक व्यक्ति किसे अपना जीवन साथी चुनता है, यह उसका बेहद निजी मामला है। जीवन साथी के चयन में किसी तीसरे पक्ष द्वारा दखल देना, निजता के अधिकार का हनन है। दुनिया के चुनिंदा देशों में समलैंगिक विवाह को मंजूरी है। सम्पूर्ण एशिया में केवल ताईवान ने वर्ष 2019 में से समलैंगिक शादी को मंजूरी दी है।[4] भारत में शीर्ष अदालत ने 6 सितम्बर, 2018 के निर्णय में समलैंगिकता को केवल अपराध की श्रेणी से बाहर किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर मानते हैं कि 'सर्वोच्च अदालत का निर्णय समलैंगिक शादियों को स्वीकृति नहीं देता है, इसके लिए संसद को व्यापक कानून लाना होगा।' सेम–सेक्स मैरिज के लिए संसद को विवाह, तलाक, भरण–पोषण व उत्तराधिकार से जुड़े कानूनों में बदलाव के लिए काम करना होगा।

lrfr xg.k (Child Adoption) dk gd ugh & कोई भी व्यक्ति माँ हो सकता है, एक स्त्री भी, एक पुरुष भी, एक किन्नर भी और एक समलैंगिक भी, क्योंकि माँ प्यार और परवाह का दूसरा नाम है। विश्व में बहुत कम देशों के चाइल्ड

अडॉप्टेशन कानून यौन–अल्पसंख्यकों को संतति ग्रहण की सुविधा देते हैं। भारत में भी एलजीबीटी समुदाय के लोगों को चाइल्ड अडॉप्टेशन कानून का हक नहीं है। बाल–तस्करी के बढ़ते मामलों को देखते हुए विश्व की सरकारों ने चाइल्ड अडॉप्टेशन कानून को काफी सख्त बना दिया है। आम व्यक्ति को ही चाइल्ड अडॉप्टेशन में बहुत कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। ऐसे में यौन–अल्पसंख्यकों के लिए तो और भी मुश्किल है। भारत में सरोगेसी (विनियमन) विधेयक–2020 यौन–अल्पसंख्यकों के लिए संतति ग्रहण की राहें मुश्किल करेगा। यह विधेयक वाणिज्यिक सरोगेसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है और परोपकारी सरोगेसी का विनियमन करता है।[5] इन सब प्रयासों के फलस्वरूप यौन–अल्पसंख्यकों के लिए संतान प्राप्ति की राहें मुश्किल हो गई हैं।

LokLF; dk vfèkdkj & गे, बाईसेक्शुअल और ट्रान्सजेण्डर समूह की गणना एचआईवी एड्स के लिहाज से सर्वाधिक संवेदनशील समूहों में होती है। गे, बाइसेक्शुअल और ट्रान्सजेण्डर समूह में एड्स के प्रसार की दर बहुत उच्च है। संयुक्त राष्ट्र संघ की ग्लोबल एड्स अपडेट रिपोर्ट–2018 के मुताबिक गे सेक्स सम्बन्ध बनाने वालों में एचआईवी पॉजीटिव होने का खतरा दूसरे लोगों से 28 गुना ज्यादा होता है। यही वजह है कि दुनियाभर में समलैंगिक सम्बन्धों को वैध और निरपराध ठहराने में एचआईवी एड्स और स्वास्थ्य से जुड़ी संस्थाएँ बड़ी भूमिका अदा कर रही हैं। भारत में भी आईपीसी के सेक्शन–377 को वर्ष 2001 में सर्वप्रथम जिस संस्था ने न्यायालय में चुनौती दी, उस संस्था का नाम 'नाज फाउंडेशन' है, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाली एक प्रमुख गैर–सरकारी संस्था है। संवेदनशील समूह होने के कारण ही बहुत से देशों में गे, बाईसेक्शुअल और ट्रान्सजेण्डर समुदाय को रक्तदान के अधिकार से वंचित रखा गया है। जिन देशों में रक्तदान का अधिकार दिया गया है, वहाँ यौन आवृत्ति अवधि की शर्त रखी गई है। यक्ष प्रश्न यह है कि यौन–अल्पसंख्यकों में एड्स के संक्रमण का खतरा इतना अधिक क्यों है? दरअसल आजीविका संकट के कारण ट्रान्सजेण्डर समूह में वेश्यावृत्ति की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिससे यौन रोग भी घर कर रहे हैं। 'गे' और 'बाईसेक्शुअल' लोगों में सेक्स संकरे और रफ स्थान से होता है, जिससे गुप्तांगों के क्षतिग्रस्त होने और ब्लड ट्रांसमिशन की संभावना बहुत अधिक होती है। जिससे संक्रमण बढ़ जाता है। जिन देशों में समलैंगिक संबंध अपराध है, वहाँ चोरी–छुपे संबंध बनते हैं जो प्रायः असुरक्षित ही होते हैं। यही वजह है कि स्वास्थ्य से जुड़ी संस्थाएँ समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कराना चाहती हैं ताकि सुरक्षित यौन संबंध को प्रोत्साहन मिले। स्वास्थ्य से जुड़ी दूसरी समस्या सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी का महंगा होना है। प्रसिद्ध सर्जन डॉ. नरेन्द्र कौशिक के मुताबिक सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी में सात से आठ लाख रुपये का खर्चा आता है।[6] यदि सरकार इसे अपने किसी मेडिकल इंश्योरेन्स कवर में लेती है तो 'जेण्डर

डिस्फेरिया' के शिकार लोगों के लिए बड़ी राहत होगी।

मानवाधिकार हनन की यह फेहरित और भी लंबी हो सकती है। एलजीबीटी समुदाय की अंतहीन पीड़ा को कुछ पृष्ठों में समेट पाना संभव भी नहीं है। इसलिए हमने मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के सबसे अहम अधिकारों को आधार बनाकर एलजीबीटी समुदाय के हालात के विश्लेषण का प्रयास किया है।

dls lèkjs leyfxdks ds gkykr\

कोई भी जंजीर अपनी सबसे कमजोर कड़ी से अधिक मजबूत नहीं हो सकती। इसी तरह समाज का एक भी तबका यदि अमानीवय स्थिति में है तो वह समाज, सभ्य समाज होने का दर्जा खो देता है। होमोफोबिया, आधुनिक समाजों के सामने एक गंभीर चुनौती हैं यह लैंगिक न्याय और मानवाधिकार के मार्ग में बड़ी बाधा है। यौन–अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव एक बहुआयामी समस्या है, अतः इसका समाधान केवल राजकीय प्रयासों में भी नहीं है। दुनिया–भर के समाजों से 'होमोफोबिया' के उन्मूलन के लिए राज्य के साथ–साथ अन्य सामाजिक संस्थाओं को भी बड़ी भूमिका का निर्वहन करना होगा। विषय की गहराई में जाने के बाद कुछ सुझाव हमारे मस्तिष्क में उभर कर आये हैं, जिन्हें कार्यरूप दे कर, हम होमोफोबिया का निवारण कर सकते हैं–

tuukdh; fLFkfr tkuuk vge & एलजीबीटी समुदाय के कितने लोग दुनिया में हैं, इसका सही आंकलन सरकारों के पास नहीं है। विश्व के कुछ देशों को अपवाद मानकर अलग कर दें, तो अधिकांश देशों ने इनकी जननांकीय स्थिति को जानने का प्रयास ही नहीं किया। एलजीबीटी समुदाय की सही आबादी जानना, इसलिए भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अधिकांश देशों में समलैंगिक रिश्तों पर रोक है। ऐसे में एलजीबीटी समुदाय के लोग अपने वास्तविक यौन–रूझान के साथ पहचान उजागर करने से घबराते हैं। यही स्थिति भारत में है, भारत सरकार के पास भी अपने यहाँ के एलजीबीटी समुदाय की पूरी जननांकीय सूचना नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने आईपीसी के सेक्शन–377 की सुनवाई के दौरान सरकार से देश में एलजीबीटी समुदाय की जनसंख्या की सूचना चाही, जिसके जवाब में सरकार ने पच्चीस लाख के करीब आबादी की जानकारी न्यायालय को उपलब्ध कराई। समलैंगिक अधिकारों के लिए काम करने वाली गैर–सरकारी संस्थाएँ सरकार के आंकड़ों को सटीक नहीं मानती है। गैर–सरकारी संस्थाओं का मानना है कि अमेरिका जैसे देश की कुल आबादी बत्तीस करोड़ है और वहाँ नब्बे लाख आबादी एलजीबीटी समुदाय की है। पच्चीस लाख आबादी तो भारत के कुछ राज्यों में ही मिल सकती है। अतः सरकार को एलजीबीटी समुदाय के सटीक जननांकीय परिदृश्य को जानने के

लिए विशेष गणना अभियान चलाना चाहिए। क्योंकि आबादी की वास्तविक जानकारी, यौन–अल्पसंख्यकों को सामाजिक जीवन की मुख्यधारा में जोड़ने का पहला कदम है। भारत में एलजीबीटी समुदाय के लोग किन–किन क्षेत्रों में है? उनकी स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? वे किन–किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? इन सब सूचनाओं के संकलन के बिना सरकार के लिए एलजीबीटी समुदाय के उत्थान की कोई कार्य योजना बना पाना आसान नहीं है।

0;kid dkuu dh t:jr & एलजीबीटी समुदाय के जीवन से जुड़ी कानूनी जटिलताओं को दूर करने की जिम्मेदारी व्यवस्थापिका की है। यह बड़े हैरत की बात है कि दुनियाभर में समलैंगिकता के मुद्दे को जितनी संवेदनशीलता से न्यायपालिकाओं ने संभाला है, वैसी संवेदनशीलता व्यवस्थापिकाओं ने नहीं दिखाई। जबकि न्यायपालिका का कार्य न्याय करना है, न कि कानून निर्माण करना। व्यवस्थापिकाओं के ढुलमुल रवैये ने न्यायपालिकाओं को अपने दायरे से बाहर जाकर कार्य करने को मजबूर किया है। भारत की ही बात की जाए तो, होमोसेक्शुअल लोगों के हित में दो बार निजी बिल संसद पटल पर लाया गया किंतु भारी बहुमत से खारिज हुआ। आखिर शीर्ष अदालत ने ही आईपीसी के सेक्शन–377 के आपत्तिजनक भाग को निरस्त घोषित किया। शीर्ष अदालत ने शुरूआत में ही स्पष्ट कर दिया था कि अदालत केवल आईपीसी के सेक्शन–377 की वैधता पर सुनवाई करेगी और इस दिशा में व्यापक कानून संसद पटल पर ही आयेगा। अब जिम्मेदारी संसद की है कि वह यौन–अल्पसंख्यकों के हित में विवाह, तलाक, भरण–पोषण, उत्तराधिकार, घरेलू हिंसा, संतति ग्रहण आदि कानूनों में संशोधन करे। कानून में संशोधन से न केवल समलैंगिकों के जीवन की राहें सहज होंगी अपितु हम विधि के समक्ष समानता के विचार को सशक्त कर सकेंगे।

;kSu f'k{kk esa lq/kkj ,oa ikBîØe & लैंगिकता से जुड़ी उलझनों को दूर करने के लिए यौन शिक्षा एक बेहतर उपाय है। किंतु पिछड़े और विकासशील देशों में यौन–शिक्षा बदतर स्थिति में है। हम यह समझाने में नाकामयाब रहे हैं कि यौन शिक्षा का उद्देश्य यौन अराजकता फैलाना नहीं है, अपितु यौन क्रियाओं और यौन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना ही है। यही वजह है कि पिछड़े देशों में सेक्स से जुड़ी विसंगतियाँ, व्यापक स्तर पर है। पिछड़े समाजों में यौन–शिक्षा को अश्लीलता से जोड़कर देखने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि बच्चों की सेक्स से जुड़ी चिंताओं का समाधान न तो परिवार से मिलता है और न ही शिक्षण संस्थानों से। धर्मगुरु और दक्षिण पंथी संगठनों के विरोध के आगे सरकारी फरमान भी दम तोड़ देते हैं और यौन शिक्षा विद्यालयी स्तर पर खानापूरी बन कर रह जाती है। इन हालात में बच्चे पोर्नोग्राफी से प्राप्त होने वाली यौन समझ को वास्तविकता समझने लगते हैं, जो उन्हें एक आभासी दुनिया में खड़ा कर देती है। इसलिए आज महती

आवश्यकता यौन शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन की है। दूसरी शिकायत, यौन शिक्षा के संकीर्ण और परंपरागत पाठ्यक्रम स्त्री और पुरुष के शारीरिक और मानसिक बदलावों से आगे नहीं बढ़ता है। लैंगिकता का शब्दकोष 'M' और 'F' से आगे बढ़कर L, G, B, T और Q तक पहुँच गया है, किंतु यौन शिक्षा का पाठ्यक्रम अभी 'M' और 'F' पर ही अटका है। यदि हम यौन शिक्षा के पाठ्यक्रम को विस्तार देने के साथ–साथ उसे प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने में कायमयाब होते हैं, तो हम समाज में लैंगिक समझ और संवेदनशीलता का विकास करने के साथ–साथ होमोफोबिया का उन्मूलन कर पायेंगे।

lr lekt vkx vk, & संत समाज सदियों से समाज का मार्गदर्शन करता रहा है। ऋषि–मुनियों की वाणी को ब्रह्म वाणी समझा जाता रहा है। इतिहास में ऐसे उदाहरण भी मिलेंगे, जब साधु–संतों ने जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए कलम भी उठाई और तलवार भी उठाई। पिछड़े और विकासशील देशों के परंपरागत एवं धर्मप्रधान समाजों में सामाजिक परिवर्तन में धर्मगुरुओं की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। हम जानते हैं कि समलैंगिकता पर विभिन्न धर्मों के रूख उदार नहीं है, इसलिए जिन समाजों के नियमन में धर्म की भूमिका ज्यादा है, वहाँ होमोफोबिया भी ज्यादा है। इन परिस्थिति में यदि धर्मगुरु सेक्स और यौन–विविधता से जुड़ी मान्यताओं को मानवतावाद के दायरे में पुनः परिभाषित करें और अपने अनुयायियों को सहमत करें, तो यह लैंगिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम होगा। इस दिशा में पोप के प्रयासों का अनुकरण किया जाना चाहिए, जिन्होंने दुनियाभर के समलैंगिकों के इतिहास में किए गए दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगी है और पूरी ईसाइयत से समलैंगिकों के साथ मानवीय व्यवहार की अपील की है।

fluek dh ldkjkRed Hkfedk & सिनेमा का पर्दा समाज को प्रभावित भी करता है और सामाजिक घटनाओं से प्रभावित भी होता है। 'गे' किरदार अल्प समय के लिए दर्शकों में हास्य–विनोद पैदा करने के लिए पर्दे पर दशकों से आते रहे हैं। कानों में बाली, चिकने, कलाइयों को मोड़ कर बात करने वाले और नजाकत–सी चाल वालों को 'गे' के रूप में हिन्दी सिनेमा लम्बे अर्से से दिखाता रहा है, किंतु आज जरूरत है ऐसी फिल्मों के निर्माण की जो एलजीबीटी समुदाय के दर्द को दर्शकों तक ले जाए। ऐसा भी नहीं है कि हिन्दी सिनेमा ने एलजीबीटी समुदाय के विषय को कभी मुख्य कथानक के रूप में प्रस्तुत ही नहीं किया, हमारे सामने लेस्बियन रिश्तों को खुलकर दर्शाती फिल्म 'फायर' का उदाहरण भी है। उर्दू लेखिका इस्मत चुगताई की कहानी 'लिहाफ' पर आधारित इस फिल्म ने नब्बे के दशक के समाज की सोच को हिला कर रख दिया। इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक में सिनेमा समलैंगिकता के मुद्दे पर कुछ गंभीर फिल्मे लेकर आया है, जिससे हंसल मेहता की फिल्म 'अलीगढ़'

मुख्य है। इस फिल्म में 'गे' रिलेशनशिप, होमोफोबिया और सेक्शन–377 के विरूद्ध एलजीबीटी समुदाय के न्यायिक संघर्ष को बहुत करीब से दिखाया है।[7] जरूरत है सिनेमा इस तरह की फिल्मों का निर्माण और करें। सरकार को भी एलजीबीटी पृष्ठभूमि पर बनने फिल्मों पर टैक्स में राहत देनी चाहिए।

egRokdk{kh ;kstukvks ls tksMuk & भारत में आजादी के बाद से ही केन्द्र और प्रान्तीय सरकारों ने समाज के कमजोर और उपेक्षित समूहों के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाएँ निर्मित और क्रियान्वित की हैं, किंतु यौन–अल्पसंख्यकों को ध्यान में रखकर बहुत कम योजनाएँ निर्मित हुई हैं, और जो योजनाएँ निर्मित भी हुई हैं वे केवल किन्नर समुदाय के लिए हुई हैं व इक्कीसवीं सदी में हुई हैं। अतः अब आवश्यकता है, एलजीबीटी समुदाय के जननांकीय परिदृश्य को जानने के बाद महत्वाकांक्षी योजनाओं के लाभों को इन तक पहुँचाया जाए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, खाद्य सुरक्षा कानून, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत योजना, मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना आदि महत्त्वाकांक्षी योजनाओं से एलजीबीटी समुदाय को न केवल जोड़ा जाए अपितु प्रभावी मॉनिटीरिंग के साथ जोड़ा जाए। इस से एलजीबीटी समुदाय के सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण में मदद मिलेगी।

सुझावों की अपनी सीमा है, और कोई शोधकर्ता यह दावा नहीं कर सकता कि उसने यौन अल्पसंख्यकों के उत्थान को पूरा रोडमैप प्रस्तुत कर दिया है। समलैंगिक अधिकारों का विमर्श ज्यों–ज्यों आगे बढ़ेगा, त्यों–त्यों बेहतर सुझाव निकल कर आयेंगे। अंत में हम कवि सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' की कहानी 'कुल्ली भाट' के इन शब्दों के साथ विचारों को अंतिम रूप देते हैं कि–"कोई व्यक्ति केवल स्त्री, पुरुष या समलैंगिक हो जाने से महान् नहीं होता अपितु व्यक्ति के कर्म और उत्तम चरित्र उसे महानता का दर्जा दिलाते हैं। समलैंगिक प्रेम भी उतना ही आदरणीय और मर्यादित होता है, जितना कि विषमलिंगी प्रेम। अपनी काम वासना तृप्त करने से ज्यादा उनके लिए भी आत्मसम्मान को बचाये रखना मुख्य होता है।"

lnHkZ&

1. दिव्या आर्य (बीबीसी संवाददाता), का यूट्यूब पर वीडियो 'What is Gay, Lesbian, Bisexuals, Transgender, Interesex and Queer in LGBTIQ? 6 सितम्बर, 2018- https://youtube/GSSpb_RLK70.
2. India's vote on the UN's LGBT Rights Resolution Dilutes human RightsPrincipales-The Wire, 5th July, 2016. https://thewire.in
3. आकांक्षा का लेख, 'थर्डजेण्डर की अस्मिता और मानवाधिकार का सवाल' पत्रिका–'मानवाधिकारः

नई दिशाएँ' प्रकाशक–राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत, नई दिल्ली, अंक–15, वर्ष–2018, पृ. सं. 75.

4. https://www.theguardian.com/world/2019/oct/26/thousands-attend-first-pride-since--legalisation-of-gay-marriage.

5. केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सरोगेसी विधेयक को दी मंजूरी, 'अमर उजाला', 26 फरवरी, 2020. amarujala.com

6. सिन्धुवासिनी (बीबीसी संवाददाता) का लेख 'कैसे और कितने दिन में बदल जाता है सेक्स', 28 नवम्बर, 2017, बीबीसी हिन्दी का पहला पन्ना, https://www.bbc.com/hindi/science-42150582.

7. अलीगढ़: फिल्म समीक्षा–https://m.hindi.webdunia.com/bollywood-movie-review/aligarh--manoj-bajpayee-hansal-mehta-samay-tamrakar-hindi-film-review-116022600057_1.html?amp=1.

• • •

कोरोना महामारी का असुरक्षित समूहों के मानवाधिकारों एवं उनके सरंक्षण पर प्रभाव

Á'kkUr f=ikBh•
ÁksO Áhrh lDlsuk♦

ÁLrkouk

विश्व युद्ध–II के बाद, कोरोना वायरस महामारी इस समय का सबसे बड़ा वैश्विक स्वास्थ्य संकट बन गया है। पिछले साल के अंत में एशिया में उभरने के बाद वायरस हर महाद्वीप में फैल गया है और लगभग करोड़ों लोगो की मौत की पुष्टि हो चुकी है। यह महामारी स्वास्थ्य संकट से बढ़कर सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का मूल कारण बनता जा रहा है। इस वायरस के प्रकोप पर काबू करने के प्रयास के तौर पर अलग–अलग देशों की सरकारों ने आने–जाने तथा सामाजिक मेल–जोल पर बंदिशें लगा दी हैं, जिसके कारण दुनिया की 7.8 बिलियन की आबादी में से एक तिहाई से अधिक आबादी इस समय इस महामारी के कारण एक तरह से अपने घरों में बंद रहने को मजबूर है। इसकी व्यापक प्रकृति और इलाज की कमी के कारण वायरस ने दुनिया भर में लोगों में दहशत और भय पैदा कर दीया है। इसके संक्रमण को रोकने के लिए विभिन्न देशों और शहरों में लॉकडाउन किया गया है। भारत भी इस महामारी का शिकार है और यह महामारी भारत में भी शहरी और ग्रामीण इलाको में तेजी से फैल रही है।

भारत, दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां सभी धर्मों, जातियों, विभिन्न भाषाओं एवं अलग–अलग संस्कृति के लोग रहते हैं। भारत की इस विशेषता के साथ भारत में ऐसे लोगों का भी समूह पाया जाता है, जो राजनीतिक और आर्थिक रूपों से कमजोर है।

असुरक्षित समूह ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो सामान्य आबादी की तुलना में गरीबी, सामाजिक बहिष्कार और तिरस्कार, भेदभाव और हिंसा के उच्च जोखिम का अनुभव करते हैं। यह समूह जाति, उम्र, शारीरिक दुर्बलता एवं लिंग के आधार पर हो सकते हैं, जिसमें महिलाएं, बच्चे, विकलांग, बुजुर्ग लोग, जातीय अल्पसंख्यक,

---

• शोध छात्र, मानवाधिकार विभाग, विधि अध्यन्ययन विद्यापीठ बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विष्वविद्यालय लखनऊ।

♦ प्रोफेसर,एवं पूर्व विभागाध्यक्षा मानवाधिकार विभाग, विधि अध्ययन विद्यापीठ बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विष्वविद्यालय

एच0आई0वी0 पीड़ित/एड्स लोग, प्रवासी मजदूर, इत्यादि लोग शामिल है। विकासशील देशों में असुरक्षित समूह के लोग जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, भोजन, सुरक्षा, रोजगार, आदि न्याय से वंचित हैं, और इस महामारी ने इन असुरक्षित समूहों पर अधिक बुरा प्रभाव डाला है, जिससे असुरक्षित समूह के लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन लगातार हो रहा है। यह आलेख इस कोरोना महामारी में असुरक्षित समूह के मानवाधिकार और उसके संरक्षण तथा मानवाधिकार आयोग और भारत एवं राज्य सरकारों के प्रयासों का विस्तृत उल्लेख करता है।

dkjksuk egkekjh % ,d of'od LokLF; ladV

कोरोना वायरस मनुष्यों और जानवरों में बीमारी फैलाने वाले विषाणुओं का एक बड़ा समूह है। ऐसा कम ही देखा गया है जब जानवरों से कोरोना वायरस विकसित होकर मनुष्यों से मनुष्यों में ही इस बीमारी का संक्रमण होने लगे, जैसा कि 2003 में सार्स (सीवियर एक्यूट रेस्पीरेटरी सिंड्रोम) और 2014 में मर्स (मिडिल ईस्ट रेस्पीरेटरी सिंड्रोम) के मामले में देखा गया था।[1]

31 दिसंबर 2019 को चीन में नोवेल कोरोना वायरस का प्रकोप फैलने की जानकारी मिली। चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर के समुद्री खा़द्य पदार्थो के बाजार में पिछले साल दिसंबर के शुरू में इस बीमारी के फैलने का सबसे पहले पता चला और कुछ ही समय में इसने चीन के सभी प्रांतो को अपनी चपेट में ले लिया।2वैज्ञानिको ने अस्थायी रूप से 2019–एनसीओवी (नया कोरोना वायरस) नाम दिया। वुहान से फैली न्यूमोनिया जैसे लक्षण वाली इस बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक रूपसे कोविड–19 नाम दिया है। संगठन ने 30 जनवरी 2020 को इसके प्रकोप को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए अंतरराष्ट्रीय सरोकार वाली आपदा स्थिति (पीएचआईसी) करार दिया है। लगभग सारा विश्व इस महामारी की चपेट में आ गया है और बड़े से बड़े देश भी (USA, Russia) भी इस महामारी के सामने घुटने टेक चुके हैं। इस महामारी ने विकसित और विकासशील देशों की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन के ढांचे को नष्ट कर दिया है और पूरा विश्व स्वास्थ्य शिक्षा, आर्थिक इत्यादि समस्याओं से जूझ रहा है। इस महामारी की रोकथाम के लिए विभिन्न देशों की सरकारों ने अलग–अलग नियम कानून बनाये हैं।

1. सिरानोस्की डी डिड पैगोलिन्स सप्रैड द चाइना कोरोना वायरस टू द पीपल हैडिलबर्ग : स्प्रिंगर नेचर 2020
2. एंडरसन के, रामबुत ए लिपकिन आई, होम्स ईसी, गैरी आर/द प्रोक्सिमल ऑरिजन आफ सार्स, सी ओ वी–2 नेचर मेडिसन 2020, 26%450-452

vl|jf{kr leg d: ykx vk|j mud: ekuokfèkdkj %&

कोरोना वायरस, मानवाधिकार और इतिहास पर एक गहरा आघात दे रहा है। विभिन्न देशों के प्रथम श्रेणी के वैज्ञानिक एवं डॉक्टर इसके सामने बेबाक से लग रहे हैं। इन सब के बीच मानव समाज के असुरक्षित समूह के लोग जो आम दिनों में अपने अधिकारों से वंचित रहते हैं उनको यह महामारी एक विकट आपदा जैसी लग रही है। कोरोना वायरस महामारी तेजी से एक मानव संकट से मानवाधिकार संकट में तब्दील हो रही है और इस महामारी में असुरक्षित समूह के लोगों के मानवाधिकार का लगातार उल्लंघन हो रहा है।3इस वंचित समूहों में महिलायें और लडकियां, किशोर और बच्चे, तृतीय लिंगी या ट्रांसजेडर समुदाय, बुजुर्ग, विकलांग व्यक्ति, अल्पसख्यक एवंम प्रवासी मजदूर आदि शामिल है।

कोविड–19 से लड़ने में जन सुविधाओं को इन लोगो तक पहुंचाने में भेदभाव किया जा रहा है। मानवाधिकार के सम्बन्ध में असुरक्षित समूह को आबादी के कुछ समूहों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो अक्सर भेदभावपूर्ण व्यवहार का सामना करते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हे शोषण या बहिष्कार से बचाने के लिए राज्य किसी विशेष तरह के कानून या नियम को बनाता है। कोरोना महामारी में असुरक्षित समूह के लोगों की स्थिति और उनके मानवाधिकारों का लिंग, आयु, शारीरिक दुर्बलता एवं आर्थिक असमानताओं के आधार पर उल्लेख निम्नवत है:–

fy|x d: vkèkkj ij vl|j{kk

efgyk,| vk|j mud: ekuokfèkdkj %&

विश्व की लगभग आधी आबादी में महिलाऐं हैं। हालांकि पुरूषों के साथ समान रूप से अधिकारों की स्थिति विधिक रूप से समान होते हुए भी संतोषजनक नही है। प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक हर समाज में महिलाओं को पुरूषों की सम्पत्ति माना जाता रहा है। जो समाज और घरेलू दोनों मोर्चों पर अपने हितों की रक्षा करती हैं।

भ्रूणहत्या, कुपोषण, यौन शोषण, बालविवाह, सम्मान के लिए हत्या, घरेलू हिंसा, समान काम के लिए असमान वेतन और ऐसे कई मुद्दे हैं जो महिलाओं से भेद–भाव

3. Covid-19 and Human Rights-United Nation (April 2020) https://www.un.org/victimsofterrorism/sites/www.un.org.victimsofterrorism/files/un_-_human_rights_and_covid_april_2020.pdf(Accessed on August 02, 2020).

को बढ़ाते हैं।4आज कोरोना के भारी संकट में पूरे परिवार मे यदि किसी पर सबसे ज्यादा संकट आया है,, तो वह घर की महिलायें ही हैं, जिसकी भूमिका अचानक बढ़ गई है और घर में न केवल उसके काम बढ़े हैं बल्कि उसके अधिकारों का हनन भी बढ़ गया है। हिंसा महिलाओं की लगभग सार्वभौमिक समस्या है। ताला बंदी के दौरान महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा में बढोत्तरी पाई गई है। जिस पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एटोनियो गुतेरेज ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान महिलाओं और लड़कियों के लिए वही जगह सबसे ज्यादा खतरा है जहां उन्हें सबसे सुरक्षित होना चाहिए यानी उनके अपने घरों में[5] भारत में राष्ट्रीय स्तर की सरकारी हेल्पलाइन पर तालाबंदी के पहले 1 दिन में महिलाओं की 92,000 शिकायतें दर्ज हो चुकी थी।

दूसरी तरफ, कोविड महामारी के कारण किए गये देशव्यापी लॉकडाउन और आवाजाही में लगे प्रतिबंधो के कारण यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं बाधित है। आपूर्ति श्रृंखला के विघटन से गर्भ निरोधक की उपलब्धता से कमी आई। इसके अलावा संक्रमण फैलने की आशंका के परिणामस्वरूप महिलाओं ने यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं ओर गर्भनिरोधकों की मांग भी कम की है। गर्भावस्था की देखभाल जैसी सामान्य सेवाओं में व्यवधान के कारण मातृ मृत्यु दर बढ़ने की आशंका है। ये समस्याएं प्रत्यक्षरूप से महिलाओं के मानवाधिकार का उल्लंघन करती हैं।

इन मुद्दों के निराकरण के लिए विभिन्न राष्ट्रीय विधियो और अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों से मार्गदर्शन लिया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर कन्वेंशन CEDAW, 1979 जनसंख्या और विकास पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ICPD,1994, बीजिंग घोषणा 1995 तथा राष्ट्रीय स्तर पर, भारत का संविधान 1950, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005, जैसे कानूनों का सख्ती से पालन करना चाहिए।[6] सरकार और मानवाधिकार आयोग को महिलाओं की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए तथा इनके मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु इनके लिए बनाये गये कानूनों का सख्ती से पालन करें।

;kSu dfe;k ,o r`rh; fyxh lenk; ij ÁHkko %&

विश्व भर में यौन कर्मी एवं तृतीय लिंगी समुदाय को एक संवेदनशील एवम्

---

4. कोविड–19 जेंडर इक्वालिटी : ए काल टू एवसन् फार द प्राईवेट सेक्टर (अप्रैल, 2020) https://www.empowerwomen.org/en/resources/documents/2020/04/covid-19-and-gender-equality-a-call-to-action-for-the-private-sector?lang=en (Accessed on August 02, 2020).
5. जेंडर और कोविड–19, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाईज़ेशन https://www.who.int/publications/i/item/gender-and-covid-19 (Accessed on August 02, 2020).
6. मानव अधिकारों के संरक्षण से सम्बन्धित कानून (दूसरा संस्करण), डॉ अवस्थी और कटारिया, ओरिएन्ट पब्लिक कम्पनी, 2005।

कमजोर समूह के रूपों में देखा गया है। भारत में अप्राकृतिक यौन का अपराधीकरण[7] एल0जी0ब0टी0 लोगों के लिए के समुदाय की भेद्यता का मुख्य कारण है। इन्हें समाज में समलैंगिक ट्रांसजेडर उभय लिंगी तथा हिजडा के रूप में पहचाना जाता है जो समाज के भीतर समाजिक भेदभाव एवं बहिष्कार के पात्र बने हुये है। सुप्रीम कोर्ट ने एक एतिहासिक फैसले में इस समुदाय के अधिकरो को स्वीकार करते हुये अप्राकृतिक सेक्स के अपराधीकरण को असंवैधानिक घोषित किया।[8] इस फैसले के बावजूद भारत में एल0जी0बी0टी0 (LGBT) समुदाय के लोग रोजगार, शिक्षा,स्वास्थ्य देखभाल समाजिक समानता एवम् सामाजिक सेवाओं से वंचित हैं।[9] कोरोना महामारी ने इस सुमुदाय के लोगों की समस्याओं को और बढ़ा दिया है । लॉकडाउन और सोशल डिस्टेसिंग जैसे उपायो ने यौन कर्मियों के वेश्यालय में भी ताला मार दिया है जिसकी वजह से बहुत मुश्किल से इनका जीवन व्यापन हो पा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार इन्हे न तो पीने का स्वच्छ पानी उपल्ब्ध हो पाता है न ही स्वच्छ शौचालय का प्रयोग कर पा रहे है।[10] कहीं–कहीं तो 50 से भी ज्यादा यौन कर्मी एक ही शौचालय का प्रयोग कर रहे है। इस महामारी में यौन कर्मियों में एच0आई0वी0 तथा कोविड–19 फैलने की आशंका ज्यादा है। भारत के तृतीय लिंगी समुदाय के लोग अक्सर अपनी वास्तविक पहचान अपने परिवार वालों या रिश्तेदारो से छुपाते हैं और घरों से बाहर वे अपने मित्रो के साथ बेहतर समय बिताते है, लेकिन कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान उन्हे अधिक समय अपने परिवारों के साथ रहना पड रहा है, जिनसे उनकी मानसिक तनाव बढ़ रहा है और इनके गंभीर परिणाम भी हो सकते है।भारत में भी उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, (2019) पारित किया है जो ट्रांन्सजेन्डर व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।

संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों से यह अपील की है कि एल0जी0बी0टी0 समुदाय के लोगों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तथा एक रचनात्मक तरीके से राज्य उन्हें भी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराये तथा उनके मानवाधिकार को संरक्षित करे।

vk;| d| vkèkkj ij vl|j{kk

o`) 0;fDr;ksa ij ÁHkko %&

हम सभी के पास समान अधिकार हैं, चाहे वे किसी भी उम्र के ही हों। वृद्ध व्यक्ति, जो अपनी शारीरिक शक्ति में कमी के कारण, संवेदनशील वर्ग की श्रेणी में

7. धारा 377ए भारतीय दण्ड संहिता, 1960
8. नवतेज सिंह जोहर बनाम यूनियन आफ इण्डिया ।प्ट 2018ैब्4321
9. योग्यकर्ता सिंद्वातए 2006
10. https://www.weforum.org/agenda/2020/06/lgbtq-paid-leave-coronavirus/ (Accessed on August 07, 2020).

रखे गए हैं इनके पास भी अन्य लोगों की तरह समान अधिकार हैं और इस महामारी के दौरान समान रूप से उनके अधिकार संरक्षित होना चाहिए[11]। बुजुर्ग समूह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से महामारी से सबसे जल्दी प्रभावित होने वाला वंचित समूह है। इनका प्रतिरक्षा तंत्र सबसे कमजोर माना जाता है। महामारी से सम्बन्धित मौतों के लिए ये कमजोर कड़ी है। बुजुर्गों के लिए समान्य स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में व्यवधान उनके जीवन को खतरे में डाल सकता है और उम्र से सम्बन्धित बीमारियों को अधिक प्रभावी बना सकता है। सामाजिक अलगाव बुनियादी जरूरतों के लिए परिवार और सामुदायिक समर्थन की कमी उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर करती है। इस कोरोना काल में अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थितियों वाले वृद्ध व्यक्तियों के बारे में विशेष रूप से चिंता व्यक्त की गई है, जो पहले से ही सामाजिक रूप से गरीबी में रह रहे है, स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच रखते हैं या आवासीय देखभाल घरों जैसे सीमित स्थान में रह रहे है। इस सामाजिक बहिष्कार को ''सोशल डिस्टेंसिंग'' उपायों द्वारा बढ़ा दिया गया है।[12] लॉकडाउन की वजह से आवासीय देखभाल घरों में आगंतुकों को इन्कार कर दिया गया है। कोरोना वायरस महामारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वृद्ध व्यक्तियों के मानवाधिकार पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। वृद्ध व्यक्ति पहले से ही विशेष रूप से बुढ़ापे का सामना कर रहे हैं और इसलिए उन्हे विशेष अधिकारों एवं सुरक्षा की आवश्यकता है। समाज का कर्तव्य है कि वे एकजुटता बरतें और वृद्धि व्यक्तियों की रक्षा करें जो कोरोना वायरस महामारी में बुरे दौर से गुजर रहे है। मानवाधिकार आयोग और देश की सरकारों को उनके लिए बनाए गये अंतरराष्ट्रीय एवंम् राष्ट्रीय विधियों में उल्लेखित मानवाधिकारों का सख्ती से पालन करें। हाल ही में भारत ने माता–पिता व वरिष्ट नागरिकों के रख–रखाव, स्वास्थ्य सुरक्षा एवंम् कल्याण के लिए माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रख–रखाव और कल्याण (संशोधन) विधेयक 2019 पारित किया है, जो एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा सकता है।[13]

ckydks ij ÁHkko %&

बच्चे मानव समाज का एक बहुत अभिन्न हिस्सा हैं। मूलभूत सुविधायें जैसे बेहतर एवं स्वस्थ जीवन, निशुल्क और बेसिक शिक्षा, सेहत भरा खानपान, इत्यादि

11. Indian's Covid-19 Lockdown: Human Rights Assessment and compilation of State Relief Measures, https://www.hlrn.org.in/documents/HLRN_COVID19_State_Response_India.pdf (Accessed on August 04, 2020).
12. "Unacceptable" – UN expert urges better protection of older persons facing the highest risk of the COVID-19 pandemic, https://www.un.org/development/desa/ageing/news/2020/03/covid-19/ (Accessed on August 04, 2020).
13. माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रख–रखाव और कल्याण (संशोधन) विधेयक 2019, Bill No.374of2019

उनके मानवाधिकार हैं।[14] यूनिसेफ रिपोर्ट दर्शाती है कि कोरोना वायरस के कारण दक्षिण एशिया में 60 करोड़ से ज्यादा बच्चों के लिए नई चुनौतियां पैदा हो गई हैं खाद्य असुरक्षा, पोषण, टीकाकरण और अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सेवा में व्यवधान आने से अगले छह महीनों के अंदर साढ़े चार लाख से ज्यादा बच्चों के जीवन के लिए संकट उत्पन्न होने की आशंका हैं।[15] इसके साथ ही यूनीसेफ के अनुसार कोविड–19 के कारण दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि भारत में भी कोरोना वायरस से बच्चों पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है।[16]

शिक्षण संस्था लंबे समय से बंद है और साथ ही घरेलू स्तर पर गंभीर आर्थिक तनाव भी है। जिसके कारण कई लड़कियों को बाल विवाह के लिए मजबूर होना पड़ रहा हैं। यह समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिल रही है लॉकडाउन के चलते माँ–बाप ज्यादा खर्च से बचने के लिए, बाल विवाह जैसे कुरीतियों का पालन कर रहे हैं। चूंकि इस महामारी से बचने का एक उपाय सामाजिक दूरी भी है जिससे सामाजिक समर्थन भी सीमित हो गया है, जो बच्चों में तनाव और मानसिक स्वास्थ्य के जोखिम को बढ़ा रहा है। सामाजिक दूरी की वजह से सहकर्मी से मेलजोल का अभाव टीम वर्क जैसे सामाजिकरण और जीवन कौशल सीखने की क्षमताओं के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है। तत्काल कार्यवाही के बिना यह स्वास्थ्य संकट एक बाल अधिकार संकट बनता जा रहा है। सामाजिक दूरी और सामाजिक आर्थिक गिरावट के कारण बच्चे के प्रति हिंसा शोषण और दुरूपयोग का जोखिम बढ़ता जा रहा है।

इन समास्याओं से बचने के लिए बालाधिकार संरक्षण संस्थायें जैसे मानवाधिकार आयोग, यूनिसेफ व सरकारों को निम्नलिखित कदम उठाना चाहिए :–

- वायरस के संचरण को धीमा करने के लिए तथा बच्चों को इस महामारी से बचाने के लिए महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य संदेश और सलाह माता–पिता को देना चाहिए।
- बच्चों के लिए जीवन रक्षक दवाओं, पोषण और टीकों की डिलीवरी को उचित समय पर वितरित करें तथा इसके लिए सरकारों को रसद नेटवर्क के साथ काम करना चाहिए।

14. कोविड–19 और बच्चों के अधिकार, हयुमन राइट बॉच, (अप्रैल 2020) https://www.hrw.org/news/2020/04/09/covid-19 (Accessed on August 04, 2020).
15. पालिसी ब्रीफ : द इम्पैक्ट ऑफ कोविड–19 आन चिल्ड्रेन, (15 अप्रैल 2020) https://unsdg.un.org/resources/policy-brief-impact-covid-19-children (Accessed on August 05, 2020).
16. Protection of Children during Covid-19 Pandemic: Children and Alternative Care, https://www.unicef.org/documents/protection-children-during-covid-19-pandemic-children-and-alternative-care (Accessed on August 05, 2020).

- बच्चों को सिखाने और उनकी शिक्षा को बढ़ाने के लिए नवीन शिक्षा उपकरणों तथा इसके लिए सरकारों को ऑनलाइन क्लास जैसे व्यवस्थाओं पर जोर देना चाहिए।

'kkjhfjd ncyrk d vkèkkj ij vlj{kk

fodykx ykxk ij ÁHkko %&

विकलांग व्यक्ति भेदभाव के कई रूपों का सामना करते हैं। विकलांग आबादी का प्रतिशत लगभग 2.13% है।मानसिक बीमारी को विकलांगता का एक प्रमुख रूप माना जाता है। जागरूकता की कमी और शुरूआती पहचान की विफलता उनकी भेद्यता को बढ़ाती है। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं से उन्हें वंचित रखा गया है। सार्वजनिक परिवहन, शौचालय, सार्वजनिक पार्क अस्पताल, सरकारी कार्यालय, शैक्षाणिक संस्थान, पूजा स्थल तक पहुँच अभी भी विकलांग लोगो के लिए दुर्गम है।[17] विकलांगता वाले व्यक्ति समाजिक और भौतिक विकलांगता दोनों से पीड़ित है। उनकी समस्याओं को कोरोना वाइरस महामारी ने और बढ़ा दिया है। लॉकडाउन समाजिक दूरी जैसे उपायों में उनके अधिकारों का हनन और भी बढ़ा दिया है। विकलांग व्यक्ति एक ऐसा संवेदनशील और कमजोर समूह है जो किसी न किसी पर निर्भर होता है। कई ऐसी सेवायें है जिस पर विकलांग व्यक्ति निर्भर होता है। जिन्हें कोविड–19 की वजह से निलम्बित कर दिया गया है। और उनके पास भोजन और दवा के लिए पर्याप्त धन नहीं होता है।

मनोरोग सुविधा संस्थाओं तथा जेलों में विकलांग लोगों की स्थिति विशेष रूप से गंभीर है। और उन्हें आधारभूत सुविधाओं का पूर्ण लाभ नहीं मिल पर रहा है।इस महामारी ने उनकी विकलांगता को और बढ़ा दिया है। राज्य को इस संवेदनशील वर्ग की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और उनके कल्याण के लिए हमें उनके मानवाधिकार का सम्मान करना चाहिये। राज्य को उनकी आधारभूत सुविधायें, 2016 के अधिनियम के अनुसार अधिकार एवं मानवाधिकार मुहैया करना चाहिये।

vkfFkd vkèkkj ij vlj{kk

Áoklh etnjk ij ÁHkko%&

कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने की कोशिश में 24 मार्च 2020 को जब

17. Covid-19 outbreak and Person with Disabilities, UN Department of Economic & Social Affairs(May 2020), https://www.un.org/development/desa/disabilities/covid-19.html(Accessed on August 05, 2020).

देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई थी तब घर में रहें, सुरक्षित रहें एक मंत्र बन गया था। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार और तीव्रता के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिबंधों का प्रकार भिन्न–भिन्न है।[18] प्रवासी मजदूर देश की कुल आबादी को लगभग दसवां हिस्सा हैं जिसके लिए बाहरी प्रदेश में घर में रहना तथा सुरक्षित रहना मुश्किल हो गया है। जिससे वे ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ पलायन करने लगे हैं। ये वे प्रवासी कामगार थे जो हर क्षेत्र और वर्ग को सहायता सेवाएं प्रदान करते थे।[19] कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन होने से राज्य में लाखों प्रवासी मजदूर बोरोजगार हो गये हैं और उनकी सारी पूंजी भी खत्म हो गई है।उनके पास न रहने के लिए घर है और न खाने के लिए भोजन है। लॉकडाउन के कारण बस और ट्रेनों का आवागमन बंद है इसलिए मजदूर बिहार, मध्यप्रदेश और यू0पी0 की ओर पैदल ही चल दिये थे। इनमें छोटे बच्चे, मर्गवती महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं। सरकार ने भी मुसीबत के इस दौर में मजदूरों को पूरी तरह से भुला दिया था।20बड़े स्तर पर पलायन के कारण कोरोना वायरस का संक्रमण भीतेजी से फैला है और इस महामारी का प्रकोप ग्रामीण इलाकों में भी बढ़ गया है। इस पलायन में प्रवासी कामगारों के मानवाधिकारों का उल्लंघन बड़े स्तर पर हुआ। औरंगाबाद की घटना के अतिरिक्त सैकड़ों लोगों की मौत की भी पुष्टि हुई है।

प्रवासी मजदूर अब अपने गाँव में भी सामाजिक और आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण प्रवासी मजदूर, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानपान की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं। देश के कई राज्यों ने कोरोना से लड़ने के नाम पर श्रम कानूनो के कई प्रावधानों को तीन सालों के लिए ताख पर पर दिया है। यानी उद्योगपतियों और मालिकों को छूट दे दी गई है कि वे मजदूरों की बेहतरी के लिए बनाए कानूनो का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं। कई जागरूक नागरिकों ने राज्य मानवाधिकार आयोग तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायतें दर्ज कीं आयोग राज्यों को यह दिशा निर्देश दे कि राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों को बढ़िया ट्रांसपोर्ट, स्वास्थ्य सुविधाएं तथा खान–पान की व्यवस्था प्रदान करें।

मानवाधिकार आयोग ने प्रवासी मजदूर के पलायन के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है और अपील की कि वह प्रवासी मजदूरों के मसले की सुनवाई को लेकर दिशा–निर्देश जारी करें।21

---

18. व्यास एम (2020),द जाब्स ब्लडवाय ऑफ (अप्रैल 2020), सीएमआईई मुंबई
19. htpps://www.aajeevika.org/labour-and-migration.php(Accessed on August 07, 2020).
20. Mh-oh-,u-lkYos] laubour Rights & Laubour Standard for Migrants labour in India (June 2020)
21. https://ntrc.nic.intmedia/pue-retecase/supreme-court-allows-nhrc-interronotion-its-suo-moto--unit-pettion-problems (Accessed on August 08, 2020).

सुप्रीम कोर्ट ने मजदूरों के पलायन को लेकर अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहाकि प्रवासी मजदूर की घर वापसी एक बड़ा संकट है। प्रवासी मजदूरों को घर आने से गरीबी, असमानता, और भेदभाव में बढोत्तरी होगी तथा लॉकडाउन की वजह से पारिवारिक हिंसा तथा उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ेगा। इतनी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों का पलायन तथा उन्हें मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना, राज्य सरकारों के लिये एक बहुत बडी चुनौती है। इस समस्या को समाप्त करने के लिए राज्य सरकारों को उपाय करने होंगे जैसे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान जिसमें सरकार ने प्रवासियों, किसानों, छोटे व्यपारियों और रेहडी पटरी वालो सहित गरीबों की सहायता के लिए लघु और दीर्घावधि उपाय बताये हैं, का तुरंत लागू किया जाना, प्रवासी मजदूरों को रोजगार सुनिश्चित कराने के लिए प्रयास करना तथा इसके लिए उन्हे मनरेगा जैसी योजनाओं से जोडना होगा। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करना। यह योजनाएं प्रवासी मजदूरों के मानवाधिकारों को संरक्षित कर सकती हैं एवं उन्हें सम्मानजनक जीवन यापन के लिए प्रेरित कर सकती है, उनको लागू किया जाना आवश्यक है।

fu"d"k

कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया भर में अभूतपूर्व सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संकट उत्पन्न हुआ हैं। यह संकट सतत विकास लक्ष्यों के अन्तर्गत प्राप्त की गयी सफलताओं के लिए भी बाधक बनता जा रहा है। हालांकि इसके स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर पडने वाले प्रभाव अल्पकालिक हैं, लेकिन इसका समाजिक, आर्थिक प्रभाव दीर्घकालिक हो सकता है । इस महामारी ने मौजूदा समाजिक एवं आर्थिक असमानता को और बढ़ा दिया है। असुरक्षित समूहो के लिए यह संकट अधिक कष्टदायी हैं ।

कोविड–19 ने पूरे समाज को संकट ग्रस्त कर दिया है और इससे साथ मिलकर ही निपटा जा सकता है । इसलिए 'हम साथ–साथ हैं' की अवधारणा का अनुपालन करते हुए समाज के सभी असुरक्षित समूहों एवं वंचित समुदायों के प्रति सहानुभूति और करूणा दिखाते हुये काम करना होगा। सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने एवं इन लक्ष्यो की दिशा मे अब तक प्रगति को बनाये रखने के लिए इन संवेदनशील वर्गो को कोविड–19 महामारी की आपदा से बचाना होगा। इसके लिए नागरिक, समाज एवं सरकार को सक्रिय भागीदारी निभाते हुये एक मंच पर आकर कार्य करना होगा ताकि इसके दुष्प्रभावों को न्यूनतम किया जा सकें। मौजूदा संकट और इससे पहले की आपदाओं से अगर कुछ सीखा गया है तो वह यह है कि विपत्तियों में भी मानव अधिकारो और यौन एवं प्रजनन व्यवस्थाओं जैसी सेवायें को निर्बाध रूप से जारी रखा

जाना चाहिये,जिससे समाज के हर एक वर्ग को उनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से जुडी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। चूंकि इस तरह की वैश्विक महामारी का हमारे वातावरण से सीधा संम्बन्ध भी है अतः मानवाधिकार के साथ साथ कोरोना का हमारे जीवन पर एक सकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है, अगर मानव समझ ले कि ekuo vxj vc Hkh t y] gok] txy l f[kyokM tkjh j[k] iFoh dk nkgu viu LokFk d fy, djrk jgk rk fQj vku okyk dy vèkdkje; gh gkxk vkj gekjh Hkkoh ihf<;k ge bl d fy, dHkh ekQ ugh djxhA' अतः मानव अधिकारो की सार्वभौम घोषणा के अनुसाार हम सभी का यह कर्तव्य भी है कि हमें अपनी लालसाओं को छोडकर असुरक्षित समूहों एवं वंचित समुदायों के प्रति विशेष प्रयास करने चाहिये जिससे असुरक्षित समूहों के लागों के मानवाधिकारों का सरंक्षण किया जा सके।

l nHk%&

- एंडरसन के, रामबुत ए लिपकिन आई होम्स ईसी गेरी आर। द प्रोक्सिमल आरिजन आफ सार्ससी ओवी–2 नेचर मेडिसन। 2020, 26%450%452
- सिरानोस्की डी0 डिड पैगोलिन्स स्प्रैड दा चाइना कोरोना वायरस दू द पीपल हैडिल बर्ग स्प्रिंगर नेचर, 2020
- नर्कस आर (1953) प्राबल्म्स आफ केपिटल फारमेशन इन अंडरडवलप्ड कंटरीज, आक्ँसफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- व्यास, एम (2020) द जाब्स ब्लडबाथ ऑफ अप्रैल 2020, सी0एम0आई0ई, मुंबई।
- मनव अधिकारो के संरक्षण से संबधित कानून (दूसरा संस्करण) डा अवस्थी अैर कटारिया, ओरिएंट पब्लिक कम्पनी, 2005।
- मानवाधिकार,डा एचओ अग्रवाल, केन्द्रिय कानून प्रकाशन इलाहाबाद, 2006।
- भारत का सवैधानिक कानून (47 वां संस्करण), डा जे एन पाण्डे, केन्द्रिय कानून एंजेसी इलाहाबाद, 2010।
- मानवाधिकार शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन और मानव मूल्य यूनेस्को (1998)
- भारत मे दलितों के अधिकरो का उल्लघंन, सुश्री सुहासिनी 2008।
- www.ncsc.nic.in
- www.tribal.nic.in

अंतरराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय समझौते एवम् कानून :–

- मानवाधिकारों की सार्वभौम द्योषणा, 1948।
- नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों की अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा1966।
- आर्थिक समाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा 1996।
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपो के अनमूलन पर कन्वेंशन

1979।

- जनसंख्या और विकास पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 1994
- बीजिगं द्योषणा 1995
- भारत का संविधान 1950।
- घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 मातापिता और वरिष्ट नागरिकों के रखरखाव और कल्याण संशोधन अधिनियम 2019।
- अनुसूचित जाति एंव अनुसुचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम 1989।
- नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955।
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016।

• • •

स्वातंत्र्योत्तर भारत में मानवाधिकार की उपलब्धियाँ

Mk- fefFkys'k dqekj•

मानवाधिकार मानवीय जीवन के ऐसे नैसर्गिक, अंतर्निहित एवं मूलभूत अधिकार हैं, जो किसी भी व्यक्ति को एक सभ्य एवं शांतिप्रिय समाज में स्वतंत्रता, समानता, गरिमा, प्रतिष्ठा एवं सामान विधि के साथ जीवनयापन करने का सामान अधिकार एवं वातावरण प्रदान करते हैं। मानवाधिकारों के अभाव में मानव के व्यक्तित्व एवं गुणों का विकास असंभव है। मानवाधिकार मानवीय जीवन के विकास के वह केंद्र बिंदु हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को हर समय, स्थान एवं परिस्थितियों में अनिवार्य रुप से इसलिए प्राप्त होने चाहिए क्योंकि ये मानव व्यक्तित्व के सभी आयामों को पूर्ण रुप से विकसित करने में सर्वोत्कृष्ट हैं। इन्हीं के कारण मानव अन्य प्राणियों की अपेक्षा अधिक विवेकशील, तर्कसंपन्न तथा नैतिक है।

मानवाधिकारों की चर्चा सर्वप्रथम आधुनिक संदर्भों में अमेरिकी तथा फ्रांसीसी क्रांतियों के पश्चात् प्रारंभ होती है। द्वितीय विश्वयुद्ध के काल में अमेरिकी कांग्रेस में राष्ट्रपति रुजवेल्ट अपने संबोधन के दौरान प्रत्येक व्यक्ति को चार प्रकार के स्वतंत्र अधिकार प्रदान करने का समर्थन करते हैं। भाषण तथा विचार अभिव्यक्ति का अधिकार, धर्म तथा विश्वास का अधिकार, स्वतंत्रता एवं भय से मुक्ति का अधिकार। ये चारों अधिकार मानव के विकास के लिए आवश्यक थे। इसीलिए इस संबोधन को 'फॉर फ्रीडम स्पीच' कहा गया। यही अधिकार आगे चलकर वैश्विक परिदृश्य में मानवाधिकार संबंधी घोषणा का आधार बने। 10 fnlcj] 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों के विश्व घोषणा–पत्र को अंगीकृत तथा घोषित किया। यही वह समय था जब भारत औपनिवेशिक सत्ता से स्वतंत्र हो कर स्वतंत्र राष्ट्र बना और स्वतंत्र राष्ट्र के लिए आदर्श संविधान का निर्माण कर रहा था, जिसके जरिये स्वतंत्र भारत उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सके। भारतीय संविधान के निर्माण के समय मानवाधिकारों की चर्चा न केवल प्रारंभ हो चुकी थी अपितु विश्व भर में काफी हलचल प्रारंभ हो चुकी थी। इसी समय भारतीय संविधान निर्माताओं ने मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु विविध उपबंध भारतीय संविधान में समाहित किए। भारतीय संविधान के भाग–3 में प्रत्येक नागरिक को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनके अंतर्गत विधि के समक्ष समता, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान आदि के आधार पर

• सहायक आचार्य, महात्मा गांधी फ्यूजी गुरुजी सामाजिक कार्य अध्ययन केंद्र, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

किसी भी प्रकार के भेदभाव का प्रतिषेध किया गया है और रोजगार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदि के सामान अवसर प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

भारत में मानव अधिकारों की संकल्पना कोई नई नहीं है, यहाँ प्राचीन काल से ही मानव अधिकारों का उल्लेख मिलता है, जिसमें सभी मानव को एक समान मानने की परंपराएँ रही हैं। भारतीय संस्कृति में अधिकारों की जड़ें गहराइयों के साथ निहित हैं। भारतीय दर्शन एवं संस्कृति में 'पृथ्वी परिवार' की संकल्पना को आधार बनाकर जीवन यापन की व्यवस्था का प्रादुर्भाव प्राचीन काल से ही रहा है तथा हमारी संस्कृति 'सर्वे भवंतु सुखिन' की पक्षधर आरंभ काल से रही है। "भारत वर्ष में मानव अधिकारों का इतिहास अत्यंत पुराना है वैदिक काल से ही मानव को समानता, समान शोषण एवं यातना से मुक्त स्वतंत्रता का विधान दृष्टिगत होता है। 'सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे संतु निरामय। सर्वे भद्राणि पश्यंतु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत'।। इसकी अवधारणा भारतवर्ष में वैदिक काल से चली आ रही है। 'अयं निजः परोवेतिगणना लघु चेतशाम्उदार चरितनां तु वसुधैव कुटुम्बकम।। विश्व बंधुत्व की भावना भारत वर्ष में सदियों पूर्व से रही है (डॉ. इन्द्रमणि 2016. पृ. 199–200)।" यहाँ प्राचीन काल से ही मानवीय मूल्यों एवं अधिकारों को सामाजिक जीवन का मूल आधार मानने वाली संस्कृति व्याप्त थी, परंतु औपनिवेशिक काल के दौरान मानवीय मूल्यों एवं अधिकारों का क्षरण हुआ और विविध प्रकार की सामाजिक कुरीतियों तथा शोषणकारी समाज के रुप में बड़ी तेजी से बदलाव आया, जिसके परिणाम स्वःप मानवाधिकारों का उल्लंघन व्यापक रुप से होने लगा। 20वीं सदी में भारत औपनिवेशिक सत्ता से स्वतंत्र हुआ तथा एक स्वतंत्र राष्ट्र बना और स्वयं का संविधान निर्मित कर एक कल्याणकारी राज्य के रुप में स्थापित हुआ। भारत को स्वतंत्र हुए सात दशक से अधिक का समय बीत गया है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह सामने आता है कि हमने पिछले सात दशकों में मानवाधिकारों के संरक्षण में कितनी सफलता प्राप्त की है और मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु हमने क्या कदम उठाएँ हैं? और अभी हमें इनके संरक्षण हेतु क्या कुछ करने की आवश्यकता है। इन प्रमुख प्रश्नों पर वर्तमान में विचार करना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष पूरे होने में दो वर्ष से कम का समय बचा है।

आजादी के बाद तथा संविधान लागू होने के पश्चात् भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण का प्रयास सफल हुआ है। लोकतांत्रिक ढाँचे को अपनाने के साथ ही न्यायिक एवं वैधानिक प्रणाली जनसामान्य के हाथों में आ गई है। सरकार की भूमिका केवल कानून और व्यवस्था को बनाए रखने तथा बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा तक सीमित नहीं रही है, बल्कि पर्याप्त आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने में लगी है। विधि निर्माण, विकास कार्यक्रमों, नीति संबंधी वक्तव्यों, प्रशासनिक कार्यवाही और

आर्थिक तथा सामाजिक अभिकरणों की स्थापना के द्वारा प्रत्येक नागरिक के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया गया है। भारतीय संविधान के भाग–3 में वर्णित मौलिक अधिकारों तथा भाग–4 में वर्णित राज्य के नीति–निदेशक सिद्धांत में जो संकल्पना की गई है, उनको अमल में लाने हेतु विविध प्रयास किए गए हैं, जो सामाजिक और आर्थिक विकास लाने व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में मानवाधिकरों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

मानवाधिकारों की संकल्पना को भारतीय संविधान की आधारशिला में ही संविधान निर्माताओं ने निहित किया है, जो भारतीय संविधान की मानवाधिकारों के संबंध में विशिष्ट विशेषता है। पिछले सात दशकों में भारत ने एक लोकतांत्रिक एवं कल्याण ाकारी राज्य के रुप में विविध सफलताएँ प्राप्त की हैं तथा पूरे विश्व में लोकतांत्रिक राष्ट्र के रुप में अपना एक स्थान कायम किया है, जो मानवाधिकारों के सरंक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत में मानवाधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए कुशल शासन की स्थापना, न्यायपालिका की स्वतन्त्रता व निष्पक्षता, मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु विभिन्न आयोगों की स्थापना, सेना और पुलिस की उचित भूमिका तथा लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक एवं सजग बनाने के लिए विविध प्रयास किए गए हैं, जिसके कारण लोगों में राजनैतिक चेतना जागृत हुई है तथा अपने अधिकारों के प्रति सशक्त एवं सजग हुए हैं। यही कारण है कि भारत लोकतांत्रिक गणतंत्र के रुप में एक ऐसी व्यवस्था को कायम करने में सफल हो रहा है, जिसमें प्रत्येक नागरिक समाज में रह कर स्वतंत्र रूप से अपना विकास कर सकने में सक्षम हो सके। "स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत ने सदैव मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया है। भारतीय संविधान के भाग–3 में वर्णित मानवाधिकारों को संरक्षित किया गया है तथा समय–समय पर संशोधन कर उन अधिकारों को परिमार्जित करने की प्रक्रिया भी अपनायी है (डॉ.इन्द्रमणि, 2016. पृ. 269)।" भारत में समय के साथ मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विविध कदम उठाएँ जा रहे हैं, जिससे ऐसे समाज का निर्माण संभव हो सके, जिसकी आधारशिला में मानवाधिकार समाहित हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मानवाधिकार आयोग में अपने संबोधन के दौरान कहे गये इस कथन से मानवाधिकारों के प्रति हमारी तत्पर्यता और अधिक सुनिश्चित होती है "मानवाधिकार मात्र एक स्लोगन नहीं होने चाहिए बल्कि हमारे स्वभाव का भी एक हिस्सा होना चाहिए। सरकार लोगों के कल्याण एवं उनके अधिकारों के संरक्षण को सुरक्षित करने के लिए सक्षम समाज एवं न्याय हेतु कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, 2019)।"

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् मानवाधिकारों का संरक्षण करना एक जटिल कार्य था क्योंकि भारत की विशाल आबादी, आकार, अत्यधिक विविधता तथा जटिल सामाजिक, आर्थिक संरचना आदि में मानवीय अधिकारों को संरक्षित, संवर्धित एवं सामाजिक न्याय के साथ प्रतिरुपित करना बेहद कठिन कार्य था, परंतु मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु लगातर विभिन्न कदम उठाए गए हैं। इसी दृष्टि से ^ekuokfèkdkj laj{k.k vfèkfu;e*] 1993 पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत मानवाधिकारों के संरक्षण, संवर्धन एवं संबंधित मसलों के लिए ^jk"Vªh; ekuokfèkdkj vk;kx* के गठन का प्रावधान किया गया। साथ ही ^jkT; ekuokfèkdkj vk;kx* तथा मानवाधिकार न्यायालयों के गठन आदि से संबंधित विविध प्रावधान इस अधिनियम में किए गए। इसके पश्चात् मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग' का गठन किया गया और विभिन्न राज्यों ने भी 'राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन एवं मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना की गई, जिसके परिणाम स्वःप मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु विभिन्न कदम उठाए जा रहे है। "राष्ट्रीय और राज्य स्तर के इन मानवाधिकार आयोगों का काम इस बात की निगरानी करना है कि उन के क्षेत्र में कहीं मानवाधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। साथ ही, कोई भी नागरिक अपनी ओर से भी इन आयोगों का ध्यान मानवाधिकार हनन के मामलों की ओर आकर्षित कर सकता है और उस मामले की जाँच कर के ये आयोग उस पर उचित कार्रवाई करते हैं (आचार्य, 2010. पृ. 103)।"

भारत में पिछले सात दशकों में मानवाधिकार आयोग जैसे विभिन्न आयोगों की स्थापना कर मानवाधिकारों को संरक्षित करने का प्रयास किया गया है, जिनमें प्रमुख हैं– राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक एवं राष्ट्रीय श्रम आयोग आदि। "राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग आदि जैसी कार्यकारी, वैधानिक, न्यायपालिका, स्वायत्तशासी संगठनों ने ऐसे सामाजिक ढाँचे के निर्माण की दिशा में सहायता दी है, जिसमें सभी के मानवाधिकार सुरक्षित किए जा सकें (पाराशर, 2020)।" इस प्रकार से विभिन्न आयोगों की स्थापना कर मानवाधिकारों का संरक्षण तथा सभी वर्गों के विकास हेतु विविध प्रयास किए गए हैं।

मानवाधिकारों की वकालत भारत में जोर–शोर से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही लगातार जारी है। स्थानीय लोगों की सुरक्षा और सभी को अपना समान विकास के अवसर प्रदान करने के रुप में मानवाधिकार की विश्वसनीयता में वृद्धि हुई है, जिसके कारण मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता में लगातर वृद्धि हो रही है। वंचित वर्गों की सुरक्षा एवं गरीबी के विरुद्ध लड़ने में मानवाधिकार की भूमिका विशिष्ट रही है। गरीब एवं वंचित वर्ग शोषण के विरुद्ध अपना प्रतिरोध दर्ज कराने तथा अपने अधिकारों के

प्रति जागरुक एवं सजग हुए हैं। सामाजिक न्याय विशेषकर सभी वर्गों के हितों एवं अधिकारों को संरक्षित करने की प्रवृत्ति में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके चलते सामजिक–आर्थिक ढाँचे में सुधार के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। पिछले सात दशकों में शिक्षा, गरीबी, रोजगार एवं कृषि आदि हर क्षेत्र में मानवाधिकारों के संरक्षण एव संवर्धन हेतु जो कार्य किए जा रहे हैं उनसे यह स्पष्ट हो रहा है कि मानवाधिकारों की सफलता की ओर दिनों–दिन अग्रसर हैं।

स्वतंत्रता के समय भारत में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक नहीं थी, परंतु पिछले सात दशकों में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आए हैं। आज महिलाएँ अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरुक एवं सजग हैं। भारत में "समानता, स्वतंत्रता और उदारवादी सामाजिक मूल्यों तथा जनतांत्रिक प्रणाली का लाभ महिलाओं को मिलने कारण उनकी सामाजिक स्थिति पहले की तुलना में सुधारी है। वे पुरुषों के साथ हर क्षेत्र में सहयोग और प्रतिस्पर्धा की अंतःक्रिया के द्वारा उन्नति की ओर अग्रसर हैं (डॉ. इन्द्रमणि, 2016. पृ. 171)।" आज हर क्षेत्र में महिलाएँ पुरुषों की बराबरी कर रही हैं तथा बढ़चढ़ कर राष्ट्र के विकास में भी भागीदारी कर रही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का यह कथन कि "महिलाओं का संघर्ष मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए आवश्यक है ताकि राष्ट्र भौतिक, बौद्धिक और अत्याधुनिक दृष्टि से अत्यधिक संतोषजनक जीवन की ओर अग्रसर हो सके (डॉ. इन्द्रमणि, 2016. पृ. 121)।" इस तरह यह परिलक्षित है कि महिलाएँ, पुरुषों के अपेक्षा मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति ज्यादा सजग होती हैं और महिलाओं के मानवाधिकारों का जितना अधिक संरक्षण एवं संवर्धन होगा उतना अधिक हम विकास की ओर अग्रसर होंगे।

आजादी के बाद से ही भारत में सभी नागरिकों को सामान न्याय एवं व्यवस्था प्रदान करने का प्रयास किया गया है। अल्पसंख्यक हो या नीचे पायदान में खड़ा व्यक्ति सभी को समानता, स्वतंत्रता तथा विकास हेतु समान अवसर उपलब्ध कराने में सफलताएँ प्राप्त हुई हैं। भारत द्वारा आजादी के बाद सात दशकों में अपने अल्पसंख्यकों व वंचित वर्ग के मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु जो कदम उठाएँ गए हैं, वे हमारे पड़ोसी देशों के तुलना में सराहनीय रहे हैं और पूरे विश्व के सामने उदाहरण के रुप में है। विविधता भरे देश में सभी को समान न्याय एवं सभी के हितों का समान सरंक्षण प्रदान करना वाकई महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारत में अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक सभी को समान अधिकार व व्यवस्था प्रदान की गई है। साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय के विकास हेतु और उनके हितों के संरक्षण हेतु सुदृढ़ कानून व्यवस्था का निर्माण एवं विविध प्रावधान किए गए हैं। वहीं हम अपने पड़ोसी देशों से तुलना करें तो पता चलेगा इस परिदृश्य में हमारे पड़ोसी देशों की स्थिति

मानवाधिकारों के संरक्षण में सम्मानजनक नहीं रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमसे अलग हुए पाकिस्तान और फिर उससे अलग हुए बंगलादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं। पंजाब केसरी समाचार–पत्र के इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि "पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बंगलादेश में मजहब के नाम पर अल्पसंख्यकों का शोषण चरम पर है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों (हिंदू–सिखों) की स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ उनकी जनसंख्या विभाजन के समय 24 प्रतिशत थी जो घटकर 2 प्रतिशत से नीचे पहुँच गई है। वहीं बंगलादेश (पूर्वी पाकिस्तान) में अल्पसंख्यक 28 प्रतिशत से घटकर 8 प्रतिशत रह गई है।" इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत से विभाजित होकर अलग हुए पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों की स्थिति बहुत ही दयनीय है और उनकी संख्या में दिनों–दिन कमी आ रही है, जबकि इसके विपरीत भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति बहुसंख्यक की भांति ही बेहतर हुई है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में अल्पसंख्यकों की जनसंख्या स्वतंत्रता के समय तकरीबन 15 प्रतिशत थी जो बढ़कर 20 प्रतिशत पहुंच गई है।

भारत के एक अन्य पड़ोसी देश तथा विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र चीन में साम्यवादी सरकार की अधिनायकवादी शासन के कारण मानवाधिकारों का गला घोटा जा रहा है। वहाँ के नागरिकों एवं मीडिया को स्वतंत्र बोलने की आजादी नहीं है और अल्पसंख्यकों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगे हुए हैं। चीन की अपेक्षा भारत में मीडिया, नागरिकों और अल्पसंख्यकों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। भारत में सभी नागरिकों को मानवाधिकार के खिलाफ आवाज उठाने एवं स्वतंत्र अभिव्यक्ति की पर्याप्त आजादी है। "भारतीय अपने देश के लोकतांत्रिक ढाँचे को महत्व देते हैं, उसकी बहुदलीय राजनीति, व्यवस्थित स्वतंत्र चुनावों, काफी हद तक सेंसरमुक्त मीडिया, स्वतंत्र अभिव्यक्ति की पर्याप्त गारंटी और न्यायपालिका की स्वतंत्र सत्ता को, जो एक जीवंत लोकतंत्र की विशेषताएँ हैं। जो लोग भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज को लेकर अभी भी आलोचनात्मक रुख रखते हैं (और हम लोग बेशक ऐसे ही लोगों में शामिल हैं) वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के मामले में अब तक भारत जो कुछ हांसिल करने में सफल हुआ है और चीन समेत दूसरे देशों ने जो कुछ हांसिल कर लिया हैं, उनमें भारी फर्क है (द्रेज – सेन, 2018. पृ. 29–30)।" इस तरह यह स्पष्ट होता है कि हमनें लोकतांत्रिक राज्य के रुप में सभी नागरिकों के मानवाधिकारों और स्वतंत्र अभिव्यक्ति को महत्व प्रदान किया है, जो मानवाधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

आलोचनात्मक रुप से देखें तो आजादी के बाद पिछले सात दशकों में भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु विविध कदम उठाए गए हैं, जिनके परिणाम

भी देखने को मिलते हैं, लेकिन पूर्ण रुप से सफलता प्राप्त नहीं हुई है। आज भी मानवाधिकारों के उल्लंघन के अनेक मामले आ रहे है और आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्षरत है तथा सामाजिक विषमताओं का शिकार है। भारतीय संविधान में प्रत्येक व्यक्ति के हितों एवं मानवीय गरिमा को सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है, जिसके परिणाम भी परिलक्षित हुए हैं, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज भी देश की राजधानी से लेकर एक छोटे शहर एवं गाँव तक ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पूर्ण रुप मानवाधिकारों के हनन या अन्याय पूर्ण मामले न मिलते हों।

भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन की सफलता की प्रक्रिया में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिनसे निराकरण पाने के लिए आज भी प्रयासरत हैं। यह सत्य है कि आजादी के बाद सात दशक का समय बीत जाने के पश्चात् मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कानून व्यवस्था जितनी सुदृढ़ होनी चाहिए थी, उतनी नहीं है। मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के समक्ष जो सबसे महत्वपूर्ण चुनौतीयां सामने आती हैं, उनमें प्रमुख हैं– भारतीय जाति व्यवस्था, न्यायिक निराकरण की प्रक्रिया का लचीलापन, आतंकवाद, आर्थिक विषमता एवं भ्रष्टाचार आदि। इन चुनौतियों का पूर्ण रुप से सामना करने में हमें कुछ असफलताएँ भी प्राप्त हुई हैं, ये बात जरुर सही है कि हम सफलता की ओर अग्रसर हैं, लेकिन हमारी गति अपेक्षा के अनुरूप सफल नहीं रही है। आज वैश्विकरण एवं बाजारीकरण के परिणामस्वरुप मानवाधिकारों के समक्ष चुनौतियाँ नए रुप में भी प्रस्फुटित हो रही हैं। "भूमंडलीकरण के दौड़ में आधुनिक मानव समाज की जटिलताएँ बढ़ी हैं, जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, आर्थिक विषमताओं ने समाज के बड़े भाग को प्रभावित किया है और व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के हनन की नित नई घटनाएँ भी प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रही है (डॉ.इन्द्रमणि, 2016. 20)।" भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण के इस दौर में भौतिकवादी संस्कृति एवं बाजारीकरण का बोल–बाला बड़ी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है जो मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के समक्ष प्रमुख चुनौती है।

भारत में आज भी वर्ण एवं जातिगत भेदभाव पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है। यह दुखद है कि हम अपने स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जातिगत भेदभाव एवं सामाजिक असमानता पर प्रभावी नियंत्रण नहीं पा सके। जाति आधारित भेदभाव की शिकार अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ी जातियों को आज भी अनेक प्रकार की सामाजिक विषमताओं का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने अपने एक संबोधन के दौरान "अनुसूचित जातियों के साथ भारत में हो रहे भेदभाव की तुलना दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद व्यवस्था से कर चिंता

व्यक्त की थी (डॉ. इन्द्रमणि, 2016. पृ. 177)।" शहरी क्षेत्र में सामाजिक असमानता की स्थिति में सुधार अवश्य देखने को मिलता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति अभी भी अत्यंत शोचनीय है। मानवाधिकारों के समक्ष यह चुनौती स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही रही है और आज भी व्याप्त है।

आजादी के बाद से ही भारत में आर्थिक विषमता विद्यमान रही है तथा यह आज भी विद्यमान है। यह गरीब और धनी वर्ग के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। धनी वर्ग के पास संसाधनों की बहुलता है, जिसके कारण श्रमिक व गरीब वर्ग को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की लिए भी संघर्ष करना पड़ता हैं। यह बात जरुर सही है कि गरीबी एवं आर्थिक असमानता मिटाने के बहुत प्रयास तो किए गए हैं, लेकिन सफलता पूर्णतः नहीं प्राप्त हुई है जो मानवाधिकारों की दृष्टि से अच्छी नहीं है। मानवाधिकारों के समक्ष यह चुनौती आरंभ से रही है और आज भी इसका निराकरण नहीं मिल पाया है तथा यह चुनौती अभी भी विद्यमान है। आतंकवाद, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार जैसी चुनौतियाँ भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई हैं। मानवाधिकारों के समक्ष पूर्व से चली आ रही चुनौतियाँ पूर्णतः समाप्त नहीं हुई हैं, ये बात जरुर सही है कि उनमें कुछ हद तक सुधार आया है, लेकिन वैश्वीकरण एवं आधुनिकीकरण की इस समकालीन समय में दुनिया में अनेकों नई–नई चुनौतियाँ दिनों–दिन मानवाधिकार के समक्ष आ खड़ी हो रही हैं।

21वीं सदी मानवाधिकारों के समक्ष कई नई चुनौतियाँ पैदा कर रही है। वैश्वीकरण एवं बाजारीकरण के इस युग में भौतिक सुखों की लालसा मानव को उपभोक्तावादी संस्कृति का शिकार बना रही है, जिसके कारण व्यक्ति को अपने नैतिक मूल्यों के क्षरण की सीमा को लांघने में न कोई संकोच होता है और न ही उसके अंदर कोई पश्चाताप या ग्लानी की कोई गुंजाइश या भावना होती है। उदारीकरण के इस युग में दुनिया ने उन्नति के रास्ते को तो अपनाया है, लेकिन इसके परिणामस्वरुप आतंकवाद, असंतुलित विकास, पर्यावरण प्रदूषण, जल समस्या, आधुनिक तकनीकों से लैस अस्त्र–शस्त्र में व्यापक वृद्धि और परमाणु युद्ध की संभावनाएं आदि मानवाधिकारों की समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ आ खड़ी हुई हैं जो भारत समेत पूरी दुनिया के लिए खतरा हैं।

भारत जैसे विविधता भरे देश में अगर मानवता एवं मानवीय गरिमा को पूर्ण रुप से स्थापित करना है तो मानवाधिकारों को मानवता या मानवीय गरिमा की एक व्यवहारिक व सशक्त अभिव्यक्ति के रुप ढालना पड़ेगा। आज मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु ऐसी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों का निर्माण करने की तत्परता दिखानी पड़ेगी, जिनमें भारतीय भावना एवं संस्कृति मौलिक तत्व के रुप

में हो।

आजादी के 73 वर्षों में मानवाधिकार के क्षेत्र में कई उपलब्धियों को हासिल करने के बावजूद पुलिस की भूमिका पर लगातर सवाल उठते रहे हैं तथा यह विमर्श का विषय रहा है कि मानवाधिकार एवं नागरिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा में पुलिस की भूमिका कितनी कारगर है।

मानवाधिकार का संरक्षण एवं संवर्धन करना किसी भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की सबसे प्रमुख आवश्यकता होती है, जिनके संरक्षण का उत्तरदायित्व पुलिस प्रशासन पर होता है। भारत में आजादी के बाद से ही संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप पुलिस प्रशासन का यह दायित्व रहा है कि संविधान में विदित नागरिक स्वतंत्रताओं एवं मानवाधिकार की सुरक्षा करें, लेकिन पिछले सात दशकों में पुलिस से संबंधित कानूनों एवं उनकी कार्यशैली में बहुत अधिक व्यापक स्तर पर परिवर्तन नहीं देखने को प्राप्त होते हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन पर यह आरोप लगते रहें हैं कि वह राजनैतिक व्यवस्था एवं राजनेताओं के दबाव में आकर कार्य करते हैं। मानवाधिकार आयोग के समक्ष मानवाधिकार हनन से संबंधित सर्वाधिक मामले पुलिस प्रशासन के उपर ही दर्ज किए गए हैं तथा इस प्रकार अनेक उदाहरण मिल जाएँगे, जब पुलिस प्रशासन पर ही आरोप लगते हैं। समाज एवं लोगों की अपेक्षा पुलिस प्रशासन से यह होती है कि वह उनके मानवाधिकार एवं हितों की सुरक्षा प्रदान करेगी, लेकिन उसी पर प्रश्नचिन्ह लगना मानवाधिकार एवं लोकतांत्रिक प्रणाली की दृष्टि में चिंताजनक सवाल है।

आज इस बात की आवश्यकता है कि मानवाधिकार के संरक्षण हेतु पुलिस बल की भूमिका पर विचार कर परिवर्तन एवं सुधार किया जाए। पुलिस की कार्य शैली को कौशल युक्त एवं दक्षता से परिपूर्ण बनाने की आवश्यकता है। साथ ही उसे सहयोगात्मक बनाने की आवश्यकता है, जिससे लोगों का उनके प्रति विश्वास बढ़ेगा और सहयोगात्मक दृष्टि से पुलिस कर्तव्यों का निर्वहन उचित तरीके से करने में सक्षम होगी। वैसे भारत में पुलिस सुधारों की माँग कोई नयी नहीं है तथा इसके संबंध में विभिन्न समितियों का गठन भी समय–समय पर किया जाता रहा है, लेकिन व्यवस्थित सुधार नहीं किया जा सका। यह स्पष्ट है कि पुलिस की कार्यशैली एवं दक्षता के साथ ही पर्याप्त पुलिस बल की संख्या भी होनी चाहिए। साथ ही पुलिस बल में पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं का अनुपात बहुत कम है। "ब्यूरों ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (बीपीआरडी) की रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी केवल 8०98 प्रतिशत ही है (चौरसिया, 2020)।" पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना भी पुलिस सुधार की प्रमुख आवश्यकता है। साथ ही

पुलिस बल को मानवाधिकार से संबंधित प्रशिक्षण समय–समय पर प्राप्त होने चाहिए, जिससे वे अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को पूर्ण रूप से पालन कर सके। पुलिस प्रशासन की भूमिका को अधिक कारगर बनाना लोगों के स्वतंत्र अस्तित्व व समुचित विकास में सर्वाधिक कारगर होगा। तभी भारत में मानवाधिकार सफलता की उचाईयों को पूर्णतः छू सकेगी।

समकालीन समाज में मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के विचारों को प्रतिपादित कर संरक्षित करने की आवश्यकता है। उनके विचारों में सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह एवं सर्वोदय आदि सभी मानवतावादी पक्षों की साम्यता है जो मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन में सर्वाधिक कारगर प्रतीत होते हैं। साथ ही उनके विचारों में जाति, धर्म, या पंथ जैसे किसी भी प्रकार के संकुचित विचारों की जगह नहीं है तथा उन्होंने अहिंसक समाज की रचना में सर्वाधिक जोर दिया है।"महात्मा गाँधी के संपूर्ण जीवन और चिंतन का लक्ष्य एक अहिंसक समाज की रचना करना कहा जा सकता है। मोटे तौर पर इस अहिंसक समाज के तीन मुख्य आधार माने जा सकते हैं। पहला है राजनीतिक विकेंद्रीकरण अर्थात ग्राम–स्वराज्य पर आधारित राजनीति व्यवस्था, दूसरा है आर्थिक विकेंद्रीकरण अर्थात स्वदेशी और ट्रस्टीशिप के आधार पर विकसित अर्थव्यवस्था और तीसरा है इन उद्देश्यों को प्राप्त करने की अहिंसक पद्धति अर्थात सत्याग्रह (आचार्य, 2003. पृ.126)।" ये आधार समकालीन समाज में मानवीय गरिमा को बनाए रखने और विकास के सामान अवसर सुनिश्चित करने की दृष्टि सारगर्भित हैं। इसलिए गाँधीजी के विचारों की उपयोगिता मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु अत्यंत उपयोगी है।

lkjka'k

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही प्रत्येक नागरिक को मानवीय गरिमा के साथ जीवनयापन के लिए विशेष सुविधाएँ मुहैया कराने का प्रयास किया गया तथा हर उस अमानवीय स्थिति में बदलाव लाने के लिए प्रयत्न किए गए हैं, जिनसे मानवाधिकारों को सुरक्षित एवं संवर्धित किया जा सके। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य है, जहाँ लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था के अनुरुप मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु विविध प्रावधान एवं अभिकरणों की स्थापना कर मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय की व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है। सदियों से व्याप्त अनेक सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने और अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय प्रदान करने तथा विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जिनके परिण ाामस्वरुप भारतीय समाज में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि भारत

में ऐसे लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है जो मानवाधिकारों के प्रति जागरुक एवं सजग बने हैं।

भारत में मानवाधिकारों के समक्ष आज भी विविध समस्याएँ व्याप्त है जो मानवीय गरिमा एवं मानवता को संरक्षित करने की दृष्टि उचित नहीं हैं। पिछले सात दशकों में मानवाधिकार संरक्षण एवं संवर्धन के क्षेत्र में जा कार्य किए गए हैं, उनकी सफलताओं और असफलताओं से सीख लेते हुए, वर्तमान और भविष्य में मानवाधिकारों संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रमुख कदम उठाने चाहिए। पूर्व से सीख लेते हुए वर्तमान में समकालीन परिस्थितियों के अनुरुप मानवाधिकारों पर विचार कर तथा प्रत्येक नागरिक के मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कार्य करने की आवश्यकता है। जितनी अधिक आवश्यकता मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन की है, उतनी ही लोगों को इसके प्रति जागरुक एवं सगज बनाने की है। तभी मानवाधिकारों को पूर्णतः से सुरक्षित किया जा सकता है।

lnHk lph

इन्द्रमणि, डॉ. (2016). मानवाधिकार का वर्तमान वैश्विक परिदृश्य एवं सर्वोदय दर्शन. कानपुर : सरस्वती प्रकाशन.

आचार्य, नंदकिशोर. (2010). मानवाधिकार की संस्कृति. बीकानेर : वाग्देवी प्रकाशन.

आचार्य, नंदकिशोर. (2003). मानवाधिकार के तकाजे. बीकानेर : वाग्देवी प्रकाशन.

द्रेज, ज्यां – सेन, अमर्त्य. (2018). भारत और उसके विरोधभास. (अनुवाद –अशोक कुमार) नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग. (2019). रजत जयंती कार्यक्रम, स्थापना दिवस समारोह. नई दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग.

पुंज, बलबीर. (2019, अगस्त 15). स्वतंत्रता के 72 वर्षों में हमने 'क्या खोया, क्या पाया'. पंजाब केसरी.

शर्मा, सुभाष. (2009). भारत में मानव अधिकार. नई दिल्ली : नेशनल बुक्स ट्रस्ट.

गुप्त, डॉ. कैलाश नाथ – शाह, डॉ. सरिता. (2012). मानवाधिकार संघर्ष, संदर्भ एवं निवारक. नई दिल्ली : अभिव्यक्ति प्रकाशन.

माथुर, डॉ. कृष्ण मोहन. (2000). स्वातंत्र्योत्तर भारत में मानव अधिकार. नई दिल्ली : ज्ञान पब्लिशिंग हॉउस.

सैनी, डॉ. रामधारी सिंह. (2007). समकालीन परिपेक्ष्य में मानवाधिकारों के विविध आयाम. नई दल्ली : गगनदीप प्रकाशन.

जोशी, प्रो. आर. पी. (2006). मानवाधिकार एवं कर्तव्य. अजमेर : अभिनव प्रकाशन.

मीना, डॉ. जनक सिंह. (2015). भारत में मानवाधिकार एवं महिलाएँ. जयपुर : राजस्थान हिंदी ग्रन्थ अकादमी.

सिंह, डॉ. के.पी. भास्कर, सुरेंद्र. (2009, जुलाई–सितंबर). मानवाधिकार संरक्षण और पुलिस. पुलिस विज्ञान पत्रिका, वर्ष 26 अंक 105

सुब्रमण्यन, के. एस. (2020) जुलाई, 09). मानवाधिकार और पुलिस सुधार.

चौरसिया, पवन. (2020) अप्रैल 27). पुलिस सुधारों के बिना लोकतंत्र की सुरक्षा असंभव

• • •

निर्धनता से मुक्ति की स्वातंत्र्योत्तर भारतीय यात्रा : उपलब्धियां और चुनौतियां

Mk- ifrHkk•

सैद्धान्तिक रूप से निर्धनता वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति अपने और अपने परिवार के लिए भोजन, वस्त्र और आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी प्रबन्ध कर पाने में असमर्थ हो जाता है। इस धनहीनता के कारण ही स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना और अन्य दैनन्दिनी आवश्यकताओं तक उसकी पहुंच सुगम नहीं हो पाती।

परन्तु व्यापक अर्थों में निर्धनता मात्र आधारभूत और न्यूनतम आवश्यकताओं से वंचित रह जाना ही नहीं है, बल्कि उससे कहीं आगे जाकर यह अवसरों और विकल्पों की कमी है, समाज में पर्याप्त योगदान न कर पाने की कसक, अनिश्चय और शक्तिहीनता की स्थिति, एक मनुष्य को समाज में सहभागिता से रोके रखने की स्थिति, दूसरों पर निर्भर रहने और सहायता मांगे जाने पर उदासीनता, रुखाई यहां तक कि अपमान झेलने को बाध्य होने की स्थिति के रूप में हमारे समक्ष आती है।

स्वाभाविक रूप से कोई भी सभ्य समाज निर्धनता की इस बहुमुखी और पेचीदी दानवी के साथ प्रगति के सोपान तय नहीं कर सकता। यही कारण है कि प्रत्येक समाज और राष्ट्र का प्रमुखतम ध्येय अपने नागरिकों को इस 'दानवी' के चंगुल से मुक्त रखने का होता है। प्राचीनकाल में अपने आध्यात्मिक ज्ञान के साथ ही भौतिक वैभव के लिए विश्वविख्यात भारत में निर्धनता की स्थिति इसके दीर्घकालीन दासत्व से उपजी है। विशेष रूप से अंग्रेजी शासनकाल ने पारम्परिक भारतीय अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तितत कर उसकी प्रकृति एवं सरंचना का निर्धारण ब्रिटिश आर्थिक हितों के अनुसार किया।ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों ने न केवल भारत के समृद्ध संसाधनों का दोहन किया बल्कि उसकी असीमित सम्पदा को ब्रिटेन भेज दिया।

ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम भारतीयों का निर्धन होते चले जाना था। स्वदेशी हस्तशिल्प उद्योगों के पतन, ऊँची कर प्रणाली, पिछड़े कृषि–ढांचे और अकाल आदि की परिस्थितियों से भारतीयों की निर्धनता बढ़ती गई। 1911 और 1941 के बीच के 30 वर्षों में एक भारतीय को मिलने वाले भोजन की मात्रा में 29 प्रतिशत की गिरावट आई। इसी तरह कॉलिन क्लॉक की गणना के अनुसार

• आचार्य, इतिहास विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

1925 से 1934 की अवधि में भारत में दुनिया में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय थी। एक अंग्रेज की आमदनी इससे 5 गुना अधिक थी।

औपनिवेशिक दौर की इस निर्धनता की और भी आयाम थे। ब्रिटिश शासन के अंतिम दौर में औसत भारतीय जीवन–प्रत्याशा भी बहुत निराशाजनक थी। 1930 के दशक में एक भारतीय की औसत जीवन–प्रत्याशा मात्र 32 वर्ष थी, जबकि पश्चिमी यूरोप और उत्तर–अमेरिकी देशों में यह 60 वर्ष से अधिक थी।

स्वाभाविक रूप से भारतीय स्वतंत्रता–संग्राम मात्र राजनैतिक मुक्ति के लिए न होकर सामाजिक और आर्थिक मुक्ति के लिए भी था। गांधी जी ने भी कहा था कि ''स्वतंत्रता की मेरी कल्पना कोई संकुचित कल्पना नहीं है। इसमें मनुष्य की अपने सम्पूर्ण ऐश्वर्य के साथ पूर्ण स्वतंत्रता समाविष्ट है।''

यह भी नितान्त स्वाभाविक था कि राजनैतिक दासता से मुक्ति मिलते ही करोड़ों भारतीय नेत्र निर्धनता से मुक्ति का स्वप्न देखने लगे, जिसकी गूंज 1947 में संविधान सभा को संबोधित करते हुए जवाहल लाल नेहरू के शब्दों में सुनाई पड़ती है – ''स्वतंत्रता प्राप्ति तो एक कदम मात्र है, एक सुअवसर का आरम्भ मात्र है– अभी और बहुत सी महान उपलब्धियां और विजयोत्सव हमारी प्रतीक्षा में हैं। ये होंगे निर्धनता, अज्ञान, रोग और अवसरों की असमानताओं के उन्मूलन के उत्सव''।

स्पष्ट रूप से स्वतंत्र भारत की सबसे प्रमुख अभिलाषाओं में निर्धनता–उन्मूलन प्रमुखतम थी और स्वतंत्रता के साथ ही निर्धनता से मुक्ति के संघर्ष का बिगुल बज उठा।

सैद्धान्तिक रुप से किसी भी देश में निर्धनता की स्थिति और इसके स्तर के मापन के लिए सापेक्ष एवं निरपेक्ष दो प्रतिमानों का प्रयोग किया जाता है। सापेक्ष प्रतिमान में विभिन्न आय वर्गों के बीच में विषमता का मापन किया जाता है, जबकि निरपेक्ष प्रतिमान में मनुष्य की पोषक आवश्यकताओं तथा अनिवार्यताओं के आधार पर आय अथवा उपभोग–व्यय के न्यूनतम स्तर को ज्ञात किया जाता है और इसी न्यूनतम स्तर को निर्धनता अथवा गरीबी की रेखा के प्रचलित नाम से जाना जाता है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला व्यक्ति बी.पी.एल. (Below Poverty Line) अर्थात् निर्धन की श्रेणी में गिना जाता है।

भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन करने के लिए प्रमुखतः निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है, जिसमें उपभोग और आय दोनों को आधार बनाया जाता है। उपभोग के पैमाने पर किसी परिवार द्वारा आवश्यक वस्तुओं पर खर्च धनराशि के आधार पर आकलन होता है जबकि आय के पैमाने पर उस परिवार द्वारा अर्जित आय

के आधार पर निर्धनता आंकी जाती है। समय समय पर किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर योजना आयोग (अब नीति आयोग) के द्वारा यह कार्य किया जाता है। वैसे तो, भारत में पहली बार निर्धनता आकलन का प्रयास 20वीं सदी के आरम्भ में ही दादा भाई नौरोजी ने किया था, जिनकी पुस्तक 'पावर्टी एण्ड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया' (1901 ई.) में निर्धनता को न्यूनतम आवश्यकताओं से जोड़ा गया था। आधिकारिक रूप से निर्धनता रेखा के निर्धारण का प्रथम प्रयास योजना आयोग द्वारा 1962 में किया गया। नीलकांत दांडेकर एवं वी.एम.रथ के फार्मूले के आधार पर 1971 में स्वांतत्र्योत्तर भारत में प्रथम बार वैज्ञानिक तरीके से निर्धनता की रेखा को निर्धारित किया गया। इसमें आहार सम्बन्धी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक ग्रामीण वयस्क के लिए 2400 और शहरी वयस्क के लिए 2100 कैलोरी की न्यूनतम दैनिक आवश्यकता को आधार बनाया गया। इसमें नेशनल सैम्पल सर्वे के उपभोग खर्च के वर्ष 1960–61 पर आधारित आंकड़ों का प्रयोग किया गया।

फिर वाई. के. अलघ समिति (1979), लकड़वाला समिति (1989), सुरेश तेंदुलकर समिति (2004) और सी. रंगराजन समिति (2012) की रिपोर्टों के आधार पर निर्धनता रेखा को नए सन्दर्भों में परिभाषित किया जाता रहा।

fuèkurk mUewyu d i;kl ,o ifj.kke dh dlkVh

भारतीय गणतंत्र ने सामाजिक न्याय को केन्द्र बिन्दु मानते हुए अपनी भावी यात्रा का प्रारम्भ किया। अतः निर्धनता–उन्मूलन के लिए कल्याण के साथ–साथ विकास एवं वितरण को प्रभावी कारक के रूप में स्वीकार किया गया। तत्कालीन आय के अत्यन्त निम्न स्तर को देखते हुए अनुभव किया गया कि देश के समस्त उत्पादन को निर्धनता उन्मूलन में लगा दिए जाने पर भी वांछित लाभ नहीं मिल सकते थे। पंडित नेहरु ने कहा भी था कि ''एक गरीब देश में केवल गरीबी का ही बंटवारा किया जा सकता है।'' अतः सर्वप्रथम देश के उत्पादन एवं सम्पत्ति को और अधिक विकसित करने पर बल दिया गया।

प्रथम तीन ipo"khl; ;ktukvk (1952-57, 1957-62, 1962-67) में निर्धनता उन्मूलन की दिशा में ठोस परिणाम नहीं मिले क्योंकि देश के विकास एवं आर्थिक वृद्धि को लाक्षित करते हुए विशेष रूप से निर्धनता उन्मूलन के दृष्टिगत किसी चिन्तन अथवा शोध–दिशा का विकास इस दौरान नहीं हो सका। आय में वृद्धि से निर्धनता उन्मूलन की दिशा में अधिक नहीं बढ़ा जा सका क्योंकि राष्ट्रीय आय और आर्थिक लाभों के असमान वितरण से अमीर–गरीब की खाई और बढ़ी तथा निर्धनता की स्थिति विकट ही हुई।

निर्धनता उन्मूलन की विकास–दृष्टि से बहुत ठोस परिणाम न आ पाने से अब सामाजिक न्याय और विकास के साथ साथ पुनर्वितरण के कार्यों को सन्नद्ध करने पर जोर देते हुए pkFkh ;kstuk से इस दिशा में गंभीर प्रयास किए जाने की आवश्यकता महसूस हुई। सामाजिक–राजनैतिक आन्दोलनों में भी निर्धनता की भयावहता का संकेत किया जा रहा था। ''देश की जनता भूखी है, ये आजादी झूठी है।''

(i) धन और धरती बंट के रहेगी, भूखी जनता चुप न रहेगी''

(ii) रोटी कपड़ा और मकान, मांग रहा है हिन्दोस्तान''

जैसे नारे सड़क से संसद तक गूंज रहे थे। दांडेकर एवं रथ समिति के आकलन के अनुसार 60 प्रतिशत भारतीय जनता निर्धनता की रेखा से नीचे जीवन–यापन के लिए विवश थी। ऐसे में 1971 के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी ने निर्धनता को मुद्दा बनाते हुए 'गरीबी हटाओ' का प्रसिद्ध नारा दिया और जीत हासिल की। अब यह आवश्यक समझा जाने लगा कि निम्न आय वर्गों की दशा सुधारने के लिए एक न्यूनतम आय सुनिश्चित की जाए। इसी कारण 1974 से प्रारम्भ हुई ikpoh ipo"kh; ;kstuk में निर्धनता उन्मूलन के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल दिया गया। चूंकि मात्र रोजगार से ही रहन–सहन के न्यूनतम मानदंडों के लिए जरूरी वस्तुएं एवं सेवाएं प्राप्त नहीं की जा सकती थीं, अतः उसके साथ–साथ शिक्षा, स्वास्थ्यवर्धक भोजन, पेयजल, आवास एवं सेवाओं पर भी विनियोग जरूरी समझा गया। समाजवादी समाज की स्थापना भी इसी मार्ग से संभव हो सकती थी।

यह प्रक्रिया दो पक्षों पर आधारित थी। iFke] रहन–सहन का एक न्यूनतम स्तर निर्धारित किया जाए। f}rh;] इस स्तर तक पहुंचने के लिए सामाजिक सेवाऐं उपलब्ध कराई जाए। यही वह समय था जब एक ओर बीस सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक न्याय की ओर कदम बढ़ाए गए, वहीं काम के बदले अनाज (1977), मरुभूमि विकास कार्यक्रम (1977–78), स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (1979), समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (1980) तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आदि योजनाएं प्रारम्भ हुईं।

इस प्रकार पहली बार न केवल निर्धनता का व्यापक विश्लेषण किया गया, बल्कि भूमि सुधार, हरित क्रांति, सहकारिता, न्यूनतम मजदूरी, लघु व कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी, आर्थिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण तथा जनसंख्या नियंत्रण जैसे भिन्न भिन्न उपायों से इसे साधने का प्रयास भी किया गया। NBh ipo"kh; ;kstuk 1980 में प्रारम्भ हुई। भारतीय गणतंत्र की निर्धनता–उन्मूलन यात्रा के तीन दशकों की उपलब्धियों और कमियों को ध्यान में रखते हुए यह अनुभव किया गया कि चूंकि मात्र 5 वर्षों की छोटी अवधि में निर्धनता–उन्मूलन के बड़े–बड़े

उद्देश्य को पूरा कर पाना संभव नहीं अतः दीर्घकालीन योजनाओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। इस हेतु आर्थिक विकास, बेरोजगारी उन्मूलन, आय के असमान वितरण में कमी, प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता, समाज के वंचित वर्गों के जीवन स्तर में सुधार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार और जनसंख्या नियंत्रण पर बल दिया गया।समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की एक उपयोजना के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (1982) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम (1983) तथा शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार (1983–84) आदि कार्यक्रम प्रारम्भ हुए।

निस्संदेह इस योजना को पर्याप्त सफलता मिली। नेशनल सैम्पल सर्वे के अनुसार निर्धरता रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या में पर्याप्त कमी आई और 1977–78 के 48.3 प्रतिशत के मुकाबले 1984–85 में भारतीय जनसंख्या का मात्र 36.9 प्रतिशत भाग इस रेखा के नीचे रह गया।

1985 से 1990 तक की lkroh ipo"kh; ;ktuk में प्रमुखतः खाद्यान्न, रोजगार और उत्पादकता वृद्धि के साथ–साथ बहुआयामी लाभ के अन्य कार्यक्रमों पर बल दिया गया। इंदिरा आवास योजना (1985) और कुटीर ज्योति कार्यक्रम (1989) के साथ साथ पूर्ववर्ती रोजगार योजनाओं को जवाहर रोजगार योजना (1989) और नेहरूरोजगार योजना (1989) के रूप में परिवर्धित कर क्रमशः ग्रामीण और शहरी युवाओं के लिए रोजगार हेतु प्रारम्भ किया गया।

इस प्रकार घरेलू कार्यों हेतु ऊर्जा, जन–वितरण प्रणाली, आवास तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता आदि पर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया और कहना न होगा कि इन क्षेत्रों में पर्याप्त सफलता भी प्राप्त हुई।

1991 के आर्थिक सुधारों के बाद अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ और बहुत सी नई योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रारम्भ सरकारों द्वारा किया गया।vkBoh ipo"kh; ;ktuk में प्रधानमंत्री रोजगार योजना (1993), रोजगार बीमा योजना (1993), सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (1993), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (1995) तथा प्रधानमंत्री समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम आदि के रूप में निर्धनता उन्मूलन की दिशा में प्रयास किए गए।

uoh ;ktuk (1997–2002) में निर्धनता–निवारण के लिए कृषि रोजगार के अवसरों पर बल दिया गया। दसवीं योजना (2002–2007) में भी रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ–साथ ऊर्जा, कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देते हुए निर्धनता औसत को कम करने का लक्ष्य रखा गया। इस दौरान स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (1999), सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (2001), अम्बेडकर वाल्मीकि मलिन

बस्ती आवास योजना (2001), राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना (2001), संकट हरण बीमा योजना (2001), राष्ट्रीय पारिवारिक बीमा (2002), राष्ट्रीय गारन्टी रोजगार योजना (2005), कन्या धन योजना (2007) तथा जनश्री बीमा योजना (2007) आदि का प्रारम्भ किया गया।

X;kjgoh ipo"kh; ;ktuk में जहां सबके लिए मूलभूत भौतिक सरंचना, स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवाएं सुनिश्चित करने के साथ सात करोड़ नई नौकरियों की रचना का लक्ष्य रखा गया, वहीं बारहवीं योजना में निर्धनता को प्रत्येक वर्ष 2 प्रतिशत की दर से कम करते हुए 30 प्रतिशत से 20 प्रतिशत लाने का लक्ष्य रखा गया। इस दौरान रोजगार सृजन, बीमा, आय समर्थन, आवास आदि की योजनाओं के साथ–साथ स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि से जुड़ी विभिन्न योजनाओं पर कार्य किया गया। इनमें साक्षर भारत (2009), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013), स्वच्छ भारत अभियान (2014) प्रधानमंत्री जन–धन योजना (2014), किसान विकास पत्र योजना (2015), प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (2015), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (2015), अटल पेंशन योजना (2015), सुकन्या समृद्धि योजना (2015), राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (2015), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (2015), बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (2015), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (2015) तथा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (2015) आदि की शुरुआत की गई। इसी कड़ी में बाद में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अथवा आयुष्मान भारत (2018) को प्रारम्भ किया गया।

योजना आयोग के स्थान पर गठित नीति आयोग ने 2017 में निर्धनता दूर करने के लिए एक विजन डॉक्यूमेन्ट प्रस्तावित किया, जिसमें 2032 तक भारत से निर्धनता को दूर करने की योजना तय की गई। इसमें क्रमशः निर्धनों की सही संख्या की गणना, निर्धनता उन्मूलन सम्बन्धी योजनाओं तथा लागू की जाने वाली योजनाओं के निरीक्षण सम्बन्धी तीन चरणों की बात की गई। साथ ही कृषि क्षेत्र और छोटे उद्योगों को संसाधनों की उपलब्धता एवं मांग आधारित विकास के माध्यम से देश में निर्धनता को खत्म किए जाने की आशा की गई।

निस्संदेह दीर्घकालीन प्रयासों से भारत में निर्धनता की स्थिति में निरन्तर सुधार हुआ है और निर्धनता में क्रमशः कमी आयी है। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 1973–74 में जहां जनसंख्या का 54.4 प्रतिशत हिस्सा निर्धनता रेखा के नीचे रहने को विवश था, वहीं 2011–12 में 21.9 प्रतिशत जनसंख्या ही इस रेखा के नीचे थी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी of'od cgvk;keh fuèkurk lpdkd&2018 के अनुसार 2005–06 से 2015–16 के मध्य 10 वर्षों में भारत में कुल 27 करोड़ से ज्यादा लोग निर्धनता की स्थिति से बाहर आ गए हैं।

विशेष रूप से चरम गरीबी को भारत ने प्रभावी रूप से कम करने में सफलता पाई है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार जहां 2011 में कुल 26.8 करोड़ लोग भारत में चरम गरीबी (1.9 डॉलर प्रतिदिन में जीवन–यापन) का जीवन जी रहे थे, वहीं वर्तमान में यह संख्या 5 करोड़ से भी नीचे है। निर्धनता निवारण के इन प्रयासों में तीव्र आर्थिक विकास के साथ–साथ सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों हेतु प्रौद्योगिकी के प्रयोग से पर्याप्त सहायता मिली है।

परन्तु यह तय है कि निर्धनता का पूर्ण–उन्मूलन संभव नहीं हो सकता है और अभी भी लगभग 28 प्रतिशत भारतीय निर्धनता का त्रासद जीवन जीने के लिए विवश हैं। कवि गोपाल सिंह नेपाली के शब्दों में कहें तो –

दिन गए, वर्ष गए, यातना गई नहीं,
रोटिया गरीब की, प्रार्थना बनी रहीं।
श्याम की बंसी बजी, राम का धनुष चढ़ा,
बुद्ध का भी ज्ञान बढ़ा, निर्धनता गई नहीं।

इन्टरनेशनल राइट्स ग्रुप ऑक्सफेम द्वारा जारी एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल सम्पत्ति का 58 प्रतिशत भाग मात्र 1 प्रतिशत अमीरों के पास है। वर्ष 2017 में अर्जित देश की 73 प्रतिशत सम्पत्ति पर देश की इसी 1 प्रतिशत जनसंख्या का अधिकार था। वहीं देश के कुल 67 करोड़ लोगों की सम्पत्ति में मात्र 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

दूसरे, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता में कमी की दर अभी भी बहुत धीमी है। शहरी क्षेत्रों की 13.7 प्रतिशत जनसंख्या के मुकाबले ग्रामीण भारत की लगभग 26 प्रतिशत जनसंख्या निर्धन है।यह ग्रामीण निर्धनता बहुत कुछ कम उत्पादकता और रोजगारहीनता का परिणाम है। ग्रामीणों की कृषि पर निर्भरता से उन्हें मानसून और वर्षा की अनिश्चित स्थिति और फलतः अनिश्चित उत्पादन से दो चार होना पड़ता है। प्रतिकूल मौसम और अकाल जैसी परिस्थितियां चरम निर्धनता और कभी कभी कृषकों द्वारा आत्महत्या के कारण के रूप में सामने आती हैं। बहुत से ग्रामीण क्षेत्र अभी भी स्वच्छता, आधारिक ढांचे, संचार और शिक्षा जैसी सुविधाओं से भी वंचित हैं।

समग्र रूप से यदि निर्धनता–उन्मूलन प्रयासों की सीमित सफलता का विश्लेषण किया जाए तो निम्न प्रमुख कारण सामने आते हैं –

1. भारत में जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है और उस अनुपात में संसाधन सीमित हैं। उन संसाधनों का भी उचित दोहन नहीं हो पा रहा है।

2. भूमि तथा दूसरी परिसम्पत्तियों का असमान वितरण भी एक बड़ा कारण है।

3. निर्धनता–उन्मूलन की बड़ी और व्यापक परियोजनाएं भी अपनी पूर्ण क्षमता के साथ क्रियान्वित नहीं हो पा रही है। फलतः ये उचित लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इस प्रकार के कुछ कार्यक्रमों की रूपरेखा दोषपूर्ण है, तो कुछ कार्यक्रमों हेतु आवंटित साधन अपर्याप्त हैं। कुछ कार्यक्रम मात्र नगरों तक ही सीमित हैं।

4. अनेक बार संसाधनों का जरूरतमंदों तक न पहुंच पाना निर्धनता के लिए उत्तरदायी होता है। अक्षम व्यवस्था एवं वितरण प्रणाली में दोष के कारण एक ओर खाद्यान्नों का समुचित भंडारण नहीं हो पाता, और लाखों टन खाद्यान्न खुले आसमान के नीचे सड़कर समाप्त हो जाता है, वहीं दूसरी ओर देश के दूसरे भागों में इसी खाद्यान्न का अभाव भुखमरी एवं कुपोषण का कारण बनता है।

5. निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों में निर्धनों की सक्रिय भागीदारी न हो पाना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके पास अवसरों और विकल्पों, दोनों का ही अभाव है। इसीलिए कई बार निर्धनों में निर्धनता से मुक्त होने की इच्छा शक्ति ही समाप्त हो जाती है और स्वावलम्बन की ओर बढ़ने के स्थान पर वे अनुदान, ऋण और ऋण–माफी आदि के जाल में ही उलझ कर रह जाते हैं।

आमतौर पर निर्धनता को अर्थहीनता से ही जोड़ते हुए इसके पीछे आर्थिक कारणों की ही बात की जाती है और उन्हीं के माध्यम से इसके समाधान का प्रयास किया जाता है, परन्तु इस सन्दर्भ में सामाजिक कारण भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। उदाहरण के लिए जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ शिक्षा में नामांकन की निम्न दर, अपर्याप्त मूलभूत स्वास्थ्य सेवाएं, जातीय और लैंगिक भेदभाव, असुरक्षा, हिंसा तथा सामाजिक रूढ़ियां भी निर्धन को और निर्धन बनाने हेतु विवश करती हैं। इसी प्रकार भ्रष्टाचार विशेष रुप से संस्थागत भ्रष्टाचार निर्धनता के दर्द को और असहनीय बना देता है। यह न केवल आर्थिक विकास को विलम्बित करता है,बल्कि उसे और विकृत भी कर देता है। इस दिशा में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी नौकरियों में साक्षात्कार की समाप्ति तथा कल्याणकारी योजनाओं को आधार कार्ड के साथ जोड़कर पारदर्शिता लाने के प्रयास सरकारों द्वारा किए जा रहे हैं।

इस प्रकार निर्धनता को मात्र भौतिक वंचना न मानते हुए एक तिरस्कार, अपमान, अनिश्चय और अंतहीन प्रताड़ना की स्थिति मानते हुए मानवता के लिए एक धब्बे के रूप में स्वीकार करना होगा, जो व्यक्ति के साथ समाज और राष्ट्र के लिए भी घातक है, क्योंकि अविकास, अराजकता, नक्सलवाद आदि रूपों में निर्धनता के उत्पाद अंततः किसी राष्ट्र के अस्तित्व को खतरे में डालने के लिए पर्याप्त हैं। अतः तार्किक और

नैतिक दोनों आधारों पर निर्धनता का उन्मूलन बहुत–बहुत जरूरी हैं।

इसके लिए निश्चित रूप से उत्पादन और विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन, आर्थिक वृद्धि दर में तेजी, कृषि क्षेत्र में सुधार, बैंकिंग क्षेत्र को बढ़ावा तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सुधार के साथ–साथ रोजगार के अवसरों में वृद्धि, महिलाओं की भागीदारी आदि पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। कई देशों में सशर्त नकद हस्तांतरण (CCT) निर्धनता उन्मूलन के प्रभावी साधन के रूप में उभरा है, लेकिन पूरा लाभ पाने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण से जुड़े आधारिक ढांचे का होना भी जरूरी है।

इस प्रकार मात्र भौतिक सुविधाएं प्रदान कर एवं आय का स्तर बढ़ा कर ही निर्धनता पर प्रहार नहीं किया जा सकता। निर्धनों में सुरक्षा बोध की वृद्धि भी बहुत आवश्यक है और अवसरों की समानता प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाकर ऐसा किया जा सकता है। इसके लिए निर्धनता को प्रवर्तनीय अथवा बाध्यकारी मानवाधिकार मुद्दें के रूप में देखा जाना भी जरूरी है। विशेषकर भारतीय परिप्रेक्ष्य में कार्यालयीय हस्तक्षेपों से मुक्त कर न्यायालयीय दायरे में लाने के लिए यह बहुत आवश्यक है।

इस प्रकार आशा की जा सकती है कि सरकार और समाज दोनों स्तरों पर युद्ध स्तर के प्रयास निर्धनता को समाप्त कर अर्थव्यवस्था और समाज की एक सतत् समावेशी वृद्धि सुनिश्चित करने में सहायक होंगे।

lanHkZ xzaFk

1. Poverty : A Global Review, handbook on International poverty research, edited Else Oxen, SM. Millen and Syed Abdus Samad
2. Poverty within poverty, N.D. Kamble, Sterling publishers pvt. ltd., New Delhi.
3. Povertiy – Agriculture and economic growth, B.M. Bhatia, Vikash Publishers Pvt. ltd.
4. The change of world poverty, Gunnar Myrbal, A world anity poverty programme in outline--Allen Lane the penguin press.
5. The politics of poverty, R.N. Hadimani, Ashish Published House, New Delhi.
6. सामाजिक मुद्दे, जी.एल. शर्मा, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, दिल्ली
7. भारतीय सामाजिक मुद्दे एवं समस्याएं, डॉ. धर्मवीर महाजन, डॉ. कमलेश महाजन, विवेक प्रकाशन, नई दिल्ली
8. गांधी का आर्थिक एवं सामाजिक चिंतन, प्रदीप कुमार पाण्डे, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

• • •

कोविड 19 : जेंडर, प्रजनन स्वास्थ्य एवं न्याय का मानवाधिकार

Mk- lfç;k ikBd•

cht 'kCn% egkekjh] tsUMj] çtuu LokLF;] lkekftd otZuk,] U;k;] ekuokfèkdkj] pukfr;kA

वर्तमान में हम सभी कोविड –19 कोरोना वायरस से उत्पन्न विभिन्न चुनौतियों से जूझ रहे हैं। इस वैश्विक महामारी का असर पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन पर तेजी से बढता हुआ दिख रहा है। हर गुजरते हुए दिन के साथ भारत में कोविड महामारी का शिकार होने वाले लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ती दिख रही है। कोरोनोवायरस महामारी हमारे समय के वैश्विक स्वास्थ्य संकट और विश्व युद्ध दो के बाद सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है। साथ ही, इस बीमारी से लड़ने के लिए किए गए उपायों एवं सरकारी प्रयासों में भी हमें असमानता और अन्याय की झलक देखने को मिल रही है जिसे जेंडर की दृष्टि से विश्लेषित किया जाना आवश्यक है। इस आलेख का उद्देश्य कोविड–19 के दौरान पैदा हुए लैंगिक प्रभावों का अध्ययन है। भारत सरकार के सैद्धांतिक तौर पर समाज में आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता के बावजूद कोविड–19 के दौरान यह महसूस किया गया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के वितरण में महामारी की इन संघर्षपूर्ण स्थितियों के दौरान भी जेंडर आधारित विभेद विद्यमान था जिसने मानव अधिकारों, सामाजिक न्याय तथा स्वास्थ्य समानता जैसे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं के तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया।

भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कुपोषित और एनेमिक है जबकि पुरुषों में मधुमेह और उच्च रक्तचाप, हैं। खराब पोषण कोविड –19 की दृष्टि से घातक हैं। लेकिन भारत सरकार कोविड–19 रोगियों का जनसांख्यिकीय और चिकित्साकीय आंकडा प्रदान नहीं करती है, विशेषज्ञों ने मृत्यु दर के लैंगिक अंतर को भी प्रश्नांकित किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस महामारी ने हम सब को यह समझाया कि किस तरह हमारी जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी से है। इस महामारी के पूर्व प्यार, देखभाल तथा एक दूसरे के साथ खड़े रहने की भावना कभी उस रूप में महसूस नहीं की गई थी। जिस समय में शारीरिक रूप से दूरी बनाए रखने, स्वयं को अलग–थलग कर लेने तथा अन्य विधियों से स्वयं को संक्रमित होने से बचाने की जद्दोजहद भी

• सहायक प्रोफेसर, स्त्री अध्ययन विभाग , महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र)

लगातार बनी हुई है।

महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा मानवाधिकार का उल्लंघन है। कोविड महामारी के दौरान महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। चीन, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, साइप्रस, अर्जेंटीना और सिंगापुर जैसे देशों में भी यह प्रवृति देखने को मिली। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी नवीनतम आंकड़े लिंग आधारित हिंसा में दो गुना वृद्धि दिखाते हैं। 2020 में, 25 मार्च से 31 मई के बीच महिलाओं द्वारा घरेलू हिंसा की 1,477 शिकायतें की गईं। 68 दिनों की इस अवधि में पिछले 10 वर्षों में मार्च और मई के बीच आने वालों की तुलना में अधिक शिकायतें दर्ज की गईं। हिंसा का अनुभव करने वाली लगभग 86% महिलाओं ने कभी मदद नहीं मांगी, और 77% पीड़ितों ने किसी से भी इस घटना का उल्लेख नहीं किया। 14.3% महिलाओं में केवल 7% ही संबंधित अधिकारियों पुलिस, डॉक्टरों, वकीलों या सामाजिक सेवा संगठनों तक पहुँच पाईं। लेकिन 90% से अधिक पीड़िताओं ने अपने परिवार से मदद मांगी।

इस वृद्धि का कारण अनुपयुक्त साथी, सामाजिक अलगाव, स्वास्थ्य, सामाजिक और न्यायिक सेवाओं के बीच समन्वय की कमी और संकट प्रबंधन के लिए आवश्यक सेवाओं की कमी थी। यह वैश्विक चिंता का विषय है कि संकट के बाद महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूदा वित्तीय असमानता को और बढ़ाएगी। इस दौर में बढ़ती हुई हिंसा केवल घरों में बंद होने के हताशा का परिणाम नहीं है बल्कि महामारी में बड़े पैमाने पर आर्थिक अव्यवस्था में वैश्विक मंदी, बंद कारोबार, बढ़ती बेरोजगारी भूख और गरीबी के खतरे के साथ अनिश्चित भविष्य के भय से पैदा हुई आक्रोश है। बावजूद इसके कि पुरुष और महिलाएं दोनों आर्थिक मंदी से प्रभावित हैं, इस प्रकार के प्रकरणों के दौरान महिलाओं के खिलाफ हिंसा हमेशा बढ़ जाती है। भारत में पुरुषों द्वारा शराब का सेवन भी घर के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को बढ़ाता है। घर के बाहर हिंसा से बचने के लिए महिलाओं को सलाह दी जाती है कि वे कैसे कपड़े पहनें और सार्वजनिक स्थानों से किस प्रकार दूर रहें। संयुक्त परिवारों में पति, पिता, चाचा, सहित घरों के अन्य पुरुष सदस्य घरेलू हिंसा को बढ़ाते हैं। पीडिता के अतिरिक्त परिवार की अन्य महिलाएं या तो असहाय होकर देखती हैं या इसे नजरंदाज करती हैं। घर के अंदर होने वाली इस प्रकार की हिंसा परिवार के अंतरंग सदस्यों द्वारा की जाने के कारण औपचारिक रूप से कभी दर्ज ही नहीं हो पाती है। जो महिलाएं घरेलू हिंसा के बारे में शिकायत करने का दुस्साहस करती हैं,वे प्रकारांतर से कई प्रकार से प्रताडित की जाती हैं ।

कोविड–19 के दौरान हमने स्वास्थ्य सुविधाओं को बहुत लचर और कमजोर रूप में महसूस रूप में महसूस किया जिसके कारण कई गंभीर दुष्परिणाम व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्तर पर देखने को मिले। हालांकि इस महामारी का असर पूरे समाज पर पड़ा लेकिन इसने समाज के कुछ खास तबके जैसे महिलाएं, बालिकाएं दिहाड़ी मजदूर, यौनकर्मियों, विशेष शारीरिक जरुरतों वाले लोगों, ट्रांसजेंडर तथा अनेक लोगों पर अलग तरीके से प्रभाव डाला। लॉकडाउन की स्थिति ने सामुदायिक स्तर पर सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण मातृ स्वास्थ्य सेवा के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा की हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य और जीवन पर लॉकडाउन के प्रभाव को स्वास्थ्य प्रणाली के संदर्भ में गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। हालांकि हमेशा से, भारतीय महिलाओं ने स्वास्थ्य सेवा वितरण सुविधाओं में लैंगिक असमानताओं का खामियाजा उठाया है। शायद ही कभी कोई संकट या विपत्ति आई हो, जो महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन न करती हो। यह भारत के लिए कोई विशिष्ट नहीं घटना है जिसमें सरकार की नीतियों, दिशा निर्देशों और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर लैंगिक प्राथमिकताओं पर ध्यान नहीं दिया है। इस दौरान भी सैनिटरी नैपकिन, गर्भ निरोधकों और कई अन्य स्वच्छता उत्पादों को महिलाओं के लिए आवश्यक वस्तुओं के तहत सूचीबद्ध नहीं किया गया, जिससे कई राज्यों में आपूर्ति की समस्या पैदा हुई। हालांकि कुछ राज्यों, जैसे कि तेलंगाना और कर्नाटक ने इन उत्पादों को आवश्यक वस्तुओं के रूप में सूचीबद्ध किया जिसे केंद्र सरकार को भी पूरे देश में आवश्यक वस्तुओं के रूप में सूचीबद्ध करना चाहिए था। प्रश्न यह पैदा होता है कि क्या भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली महिलाओं के स्वास्थ्य के मुद्दों और महिलाओं के स्वास्थ्य देखभाल के लिए उचित और न्यायपूर्ण तरीके से व्यवहार करती है? हम भारतीय महिलाओं के स्वास्थ्य की दिशा में उत्पन्न बाधाओं को दूर करने के लिए करने के लिए क्या करते आए हैं? महिलाओं के स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं पर नीतिगत चर्चा शुरू करने के लिए, जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ फॉर इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च द्वारा 15 मार्च को गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। जिसका उद्देश्य विभिन्न विचारों को एकत्र करना था जो इन असमानताओं के लिए जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं लैंगिक असमानताओं को रेखांकित करने में मददगार हो सकते थे ।

इस सम्मेलन में इस बात को गंभीरता से स्वीकार किया गया कि स्त्री प्रजनन एक बुनियादी मानव अधिकार है और गर्भनिरोध उस अधिकार का विस्तार है इसलिए गर्भावस्था सेवा एक आवश्यक स्वास्थ्य सेवा है । इसका सम्बन्ध महिलाओं के प्रजनन, जीवन और उनके अधिकारों से है। लॉकडाउन के दौरान कई राज्यों से मातृत्व स्वास्थ्य सेवा पुष्टि में अवरोध की कुछ घटनाओं के बारे में समाचार पत्र के माध्यम से उजागर किया गया जिसमें इस तरह के मामले में गरीब और दिहाड़ी मजदूर महिलाएं

ज्यादा प्रभावित हुईं। लॉकडाउन में महिलाओं के प्रति अपेक्षाकृत अधिक मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य संकट की स्थितियां पैदा हुई हैं। ये हालात महिलाओं और लड़कियों को गंभीर खतरे में डालते हैं और उनके प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। भारत में पहले से ही परिवार नियोजन के लिए 3 करोड महिलाएं (जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर) गर्भनिरोधक का उपयोग करना चाहती हैं, लेकिन विभिन्न कारणों से ऐसा नहीं हो पाता।

भारत में कोविड–19 की महामारी और सख्त तालाबंदी ने प्रजनन सेवाओं जैसे मातृ स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और गर्भपात सेवाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। जबकि चिकित्सा सुविधाओं और खुदरा केमिस्टों को लॉकडाउन से मुक्त किया गया था, बावजूद इसके स्वास्थ्य सेवाओं की कम उपलब्धता थी। एक रिपोर्ट के अनुसार, आठवें महीने में आठ अस्पतालों के बाद एक एम्बुलेंस में एक महिला की मौत हो गई। विभिन्न रिपोर्टों में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से प्राप्त आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया है कि बंद के दौरान संस्थागत प्रसवों की संख्या में 40 प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है, जिसमें कई महिलाएं घर में जन्म दे सकती हैं। यूनिसेफ ने अनुमान लगाया है कि कोविड–19 के दौरान नौ महीने के अंतराल में, भारत (20.1 मिलियन), चीन (13.5 मिलियन), नाइजीरिया (6.4 मिलियन) पाकिस्तान (5 मिलियन) और इंडोनेशिया (4 मिलियन) में बच्चों के पैदा होने की संभावना है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) 2015–16 के अनुसार, सभी प्रसवों में 79 प्रतिशत से अधिक भारत में संस्थागत प्रसव हैं। यह संख्या आने वाले महीनों में कम हो सकती है क्योंकि लोग एक ओर अस्पतालों में आने से डरते हैं, और दूसरी तरफ महिलाएं एंटेना सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम नहीं होती हैं। घरों में प्रसव समस्या नहीं है, लेकिन जटिलताओं के मामले में चिकित्सा हस्तक्षेप की कमी माँ और बच्चे दोनों के लिए घातक हो सकती है। भारत में लॉकडाउन के दौरान स्पष्ट दिशानिर्देशों की कमी के कारण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर दबाव ने मातृ स्वास्थ्य और प्रसवपूर्व सेवाओं तक पहुंच में गंभीर अवरोध पैदा किया है। प्रभावित होने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में नियमित जांच, स्कैन, संस्थागत प्रसव इत्यादि शामिल हैं जिससे गर्भवती महिलाओं की पीडा बढ़ती है और अंततः उनकी मृत्यु हो सकती है। विशेषरूप से यह स्थिति अप्रवासी मजदूर महिलाओं के साथ देखने को मिली।

एक 30 वर्षीय महिला जो अपने प्रवासी मजदूर पति के साथ ट्रक से मुंबई से उत्तर प्रदेश की यात्रा कर रही थी, उसने मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में एक बच्चे को जन्म दिया। स्थानीय अधिकारी ने कहा कि दीपा नाम की महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी, इसलिए उसके पति ने 10 मई और 11 मई की रात को बालसमुद

बैरियर में ट्रक को रोका। तालाबंदी के बीच परिवार उत्तर प्रदेश के बहराइच के रास्ते में था। चिकित्सक के घटनास्थल पर पहुंचने के पहले ही, महिला ने मुंबई–आगरा हाईवे (एनएच –3) के किनारे एक बच्चा दिया था। फिर उस महिला को एंबुलेंस में ओझर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गया। महिला के पति अचेवर लाल ने कहा कि उन्होंने मुंबई छोड़ने का फैसला किया क्योंकि वह मार्च के आखिरी हफ्ते से ही बेरोजगार थे। उसी प्रकार अलग–अलग ट्रेनों में ओडिशा जाते समय दो महिला प्रवासी श्रमिकों ने बच्चों को जन्म दिया। एक महिला जो बलांगीर–बाउंड ट्रेन में घर लौट रही थी, उसने एक बच्ची को जन्म दिया। वह तेलंगाना के काजीपेट से श्रमिक एक्सप्रेस से टिटिलागढ़ आ रही थी। एक अन्य महिला, जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन में यात्रा कर रही थी, ने झारसुगुड़ा के एक अस्पताल में ले जाते समय एक बच्चे को जन्म दिया। इससे पहले, ओडिशा की एक 35 वर्षीय महिला ने 22 मई को सिकंदराबाद–बंगलोर श्रमिक स्पेशल ट्रेन में एक बच्चे को जन्म दिया था।

मासिक चक्र और स्वच्छता कई महिला प्रवासी श्रमिकों और उनकी किशोर लड़कियों के लिए चिंता का एक प्रमुख कारण बन गई है क्योंकि वे अपने गृहनगर या तो पैदल या तंग ट्रकों में वापस आती हैं। सेनेटरी नैपकिन खरीदने के लिए राजमार्गों और अपर्याप्त धन के साथ कोई वॉशरूम नहीं होने से, उन्हें उम्मीद है कि घर पहुंचने के बाद ही उन्हें अपना अगला पीरियड मिलेगा। छत्तीसगढ़ की रहने वाली तीन लड़कियों की एक अकेली मां लक्ष्मी ने कहा, ''हमने बेंगलुरु से शुरुआत की और सड़क पर 10 दिन बिताए, ट्रकों के साथ सवारी कर रहे थे।'' चूंकि वे ज्यादातर राजमार्गों पर यात्रा करते रहे हैं, जहां कोविड लॉकडाउन के कारण दुकानें बंद हैं, लक्ष्मी अपनी बेटी के लिए सैनिटरी नैपकिन नहीं खरीद सकती थीं। उनकी तरह, कई प्रवासी महिला मजदूर, जिन्होंने हाल ही में अपने मासिक धर्म के दौरान कपास के पैड का उपयोग करना शुरू कर दिया था । "मैं कपड़े के साथ प्रबंधन कर सकती हूं, लेकिन मेरी बेटी को मुश्किल हो रही है क्योंकि वह हमेशा सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती थी। हमें इतना चलना है और हमें बदलने के लिए कोई गोपनीयता नहीं है, " लक्ष्मी ने कहा। यह एक बदतर स्थिति है। लक्ष्मी की 16 वर्षीय बेटी ने कहा"हम झाड़ियों के पीछे खुद को राहत देने के लिए पानी की एक बोतल का उपयोग करते हैं। कपड़े धोना असंभव है क्योंकि पर्याप्त पानी नहीं है।"

इस महामारी की स्थिति में महिलाओं और लड़कियों को विशेष रूप से जोखिम है और मौजूदा संकट में मजबूत सुरक्षा की आवश्यकता है। पूर्व के अनुभव बताते हैं कि संकट और आपदाओं के दौरान घरेलू, यौन और लिंग आधारित हिंसा बढ़ जाती है। ऐसी घटनाएं 2014–16 के इबोला और 2015–16 के जिका महामारी के दौरान हुई थीं, और पुनः ऐसा होने की संभावना प्रतीत हो रही है। क्वरंटीन रहने तथा घर

पर रहने की स्थिति में इस लॉकडाउन के दौरान भी असंख्य हिंसा की घटनाएं देखने को मिलीं । साथ ही, घर की जेंडर संरचना पर भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता महसूस की गई।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र और दिल्ली सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि कोरोनोवायरस हॉटस्पॉट में गर्भवती महिलाओं और उनके परिवार के सदस्यों को लॉकडाउन के दौरान कोई बाधा नहीं आनी चाहिए । जस्टिस हेमा कोहली और सुब्रमनियम प्रसाद की एक बेंच, जिसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की, ने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया कि महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए दो दिनों के भीतर प्रस्तावित हेल्पलाइन नंबर गर्भवती महिलाओं के लिए भी उपलब्ध कराया जाए। ।22 अप्रैल, 2020 को इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:

1. दो दिनों के भीतर वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्थापित की जाने वाली हेल्पलाइन भी गर्भवती महिलाओं के लिए उपलब्ध कराई जाए ताकि वे चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच बना सकें और उनके लिए चेक–अप, डिलीवरी और डिलीवरी के बाद परामर्श के लिए अस्पतालों का दौरा करने के लिए परिवहन की व्यवस्था कर सकें, जब भी आवश्यकता हो हेल्पलाइन नंबर को समाचार पत्रों और सोशल मीडिया में और दिल्ली पुलिस के माध्यम से जहां भी संभव हो, पर्याप्त रूप से प्रचारित किया जाएगा।

2. दिल्ली सरकार के एनसीटी ने आश्वासन दिया कि पर्याप्त संख्या में आशा और एएनएम को उनके संबंधित क्षेत्रों में उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे गर्भवती महिलाओं और विशेषकर उन लोगों तक पहुंच बना सकें जिनके लिए अधिक खतरा हैं। गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से अंतिम तिमाही में पर्याप्त सहायता प्रदान की जाए। गर्भवती महिलाओं के लिए अस्पताल आने–जाने के लिए परिवहन की भी व्यवस्था की जाए, प्रसव से पहले और प्रसव के बाद।

3. केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर यह सुनिश्चित करने के लिए काम करें कि तालाबंदी के दौरान गर्भवती महिलाओं और उनके परिवार के सदस्यों को अस्पतालों में रहने में कोई बाधा न आए।

महिलाओं के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारक आपूर्ति (supply) और मांग (demand) दोनों स्तरों पर विद्यमान हैं। आपूर्ति की स्थिति में,कोरोना जोखिम का डर, अपर्याप्त पीपीई, स्टाफ के संक्रमित होने का खतरा, पुनर्वितरण और प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी, अति–व्यस्त स्वास्थ्य

बुनियादी ढांचे और बेड की कमी की चिंताएं शामिल हैं। कोविड–19 के दौरान अस्पतालों में रोगियों के प्रबंधन और उपचार की आवश्यकता के कारण बड़ी संख्या में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं। मांग की स्थिति में ,उपलब्ध सेवाओं के बारे में जानकारी की कमी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार, इस महामारी के दौरान लाखों जोड़ों ने परिवार नियोजन सेवाओं तक अपनी पहुंच खो दी है जिसके कारण अनपेक्षित गर्भधारण, बच्चे के जन्म और मातृ मृत्यु में वृद्धि की आशंका है। इस दौरान गर्भनिरोधकों के उपयोग के साथ भी काफी हद तक समझौता किया गया। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, लॉकडाउन के दौरान नसबंदी और अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरणों (IUCDs) के प्रावधान को लगभग समाप्त कर दिया गया । शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में आशा कार्यकर्ताओं के लिए आंदोलन ने काउंटर गर्भ निरोधकों (ओटीसी), कंडोम, गर्भनिरोधक गोलियों (ओसीपी) और आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियों (ईसीपी) पर पहुंच भी मुश्किल बना दी।

अब जबकि यह स्पष्ट हो चुका है कि कोविड–19 प्रत्याशित की तुलना में अधिक समय तक के लिए है। हमारे लिए यह चिंता का विषय होना चाहिए कि भारत की प्रत्येक जरुरतमंद स्त्री तक गुणवत्ता वाले मातृ स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, और गर्भपात सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सांस्थानिक एवं नीतिगत रूप से किस प्रकार के कदम उठाए जा सकते हैं? हमें महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए टेलीमेडिसिन, हॉटलाइन और ऑनलाइन काउंसलिंग मंचों जैसे मजबूत सुधारों, नीतियों और उपायों की आवश्यकता है। डब्ल्यूएचओ ने महिलाओं में घरेलू हिंसा और स्वास्थ्य के बारे में एक दस्तावेज उपलब्ध कराया है। जिसके अनुसार, सामाजिक साइटों के माध्यम से महिला स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना और देखभाल के साथ–साथ सहायक समूहों और संगठनों को एक गंभीर रूप से क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता है। विशेष रूप से कामकाजी गर्भवती स्त्रियों के प्रति अतिरिक्त संवेदनशीलता की आवश्यकता है।

साथ ही, स्त्री के स्वास्थ्य के प्रति सामाजिक रूप से भी जागरुकता एवं संवेदनशीलता की आवश्यकता है ताकि आने वाले समय में इस महामारी के भयंकर दुष्परिणामों से बचा जा सके। यदि वर्तमान की गलतियों से सबक लेते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति सरकार एवं परिवार द्वारा महिलाओं की विशेष आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं तथा मनोवैज्ञानिक पक्षों की उपेक्षा से बचा जाए तभी एक स्वस्थ,सुंदर एवं समृद्ध भारत की तस्वीर पुनः बनाई जा सकती है।

• • •

खण्ड-II

कविताएं

आशा की किरण

शशि कुमारी•

अम्मा कहती थी
एक आशा की किरण हर पल दिखनी चाहिए
मैं नहीं समझती थी
अम्मा क्या कह रही है
मुझे तो यही लगता था
जब होगी रौशनी चारों ओर
दिखेगा आकाश तभी
तभी दिख सकेगी पृथ्वी
दिख सकती है तभी कोई किरण भी !

अम्मा साथ में कहती थी
आशा की किरण दिखती जरुर है
मन की आँखें चाहिए बच्ची !
और तुम्हें रास्ते भी दिखेंगे
जीवन के रास्ते
जो उबार लेती हैं सब संकटों से
मैं मान कर चलती थी
अम्मा बूढी हो गयी है
कुछ भी बस कह भर देती हैं !

अम्मा पढ़ी लिखी नहीं थीं
दुनिया भी नहीं देखी थीं
बूढ़ों जैसी बतियाती थीं
कहती थीं
इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए
कोई भी बाधा–विघ्न
समय का विपरीत प्रवाह
कब जीत सका है

• शिक्षिका, उच्च माध्यमिक विद्यालय पवड़ा, बहेरी, दरभंगा, बिहार

मानवीय जिजीविषा को
जब भी लहरायी है जीत की पताका
उस परचम की बागडोर
मनुष्य ने ही थामी है
इसलिए मेरी बच्ची
एक आशा की किरण हर पल दिखनी चाहिए

• • •

भूख

jkepæ flg•

एक बच्चा रो रहा है भूख से
एक बच्चे को अभी–अभी माँ ने एक चपत लगाई है
अब दोनों रो रहे हैं भूख से

यह कितनी अजीब बात है
भूखे पेट कुछ नहीं होता
लेकिन रोना
लोग भूखे पेट रो जरुर सकते हैं

अब जबकि
पृथ्वी पर कोई काम भूखा आदमी नहीं कर सकता
सयाने कह कर जा चुके हैं
भूखा इन्सान कुछ भी कर सकता है

ओ ! मेरी दुनिया के कर्णधारों
यह असंगतता
कब तक सहेगी
मनुष्यता !!

• • •

• शिक्षक, आर. के. एम. जी. जी. कॉलेज,शिवाजीनगर, समस्तीपुर, बिहार

हौसला

fi;dk ijkfgr•

हार मानना होता अगर आसान,
तो मान भी लेती।

तेरी मनमानियों की क्या तुझे,
सजा भी न देती।

चेहरा जलाया तूने तेजाब से,
तो क्या छिपाकर चेहरे को रहती।

अन्याय किया तूने और सजा मिली मुझको,
तो क्या तेरे अन्याय को यूँ ही सहती।

सूरत को बद बनाकर,
क्या सोचा तूने।

क्या मुँह छिपाकर,
किसी कोने में रोती।

मेरी खूबसूरती मेरे चेहरे में नहीं,
मेरे हौसले में है।

ये बात तुझे पता होती,
तब मैं खुश होती।

फेंक सकता है तो फेंक,
तेजाब मेरे हौसलों पर।

चेहरे पर फेंकने से,
मेरी खूबसूरती कम नहीं होती।

• लेखिका, भरतपुर (राजस्थान)

मैं हूँ वो सूरज जिसकी किरणें,
उजाला कर देती हैं हर घर में।

तू कैद करे कितना भी,
मेरी रोशनी कम नहीं होती।

मैं हूँ वो ज्वालामुखी,
जिस पर डाला तूने तेजाब था।

था पता नहीं तुझको,
कि होना इसका क्या अंजाम था।

अब तू नदियाँ बहाकर भी देख,
मेरी प्रचण्डता कम नहीं होती।

समझा तूने मैं हूँ मिट्टी का वो घरौंदा,
समुद्र से जिसकी कभी दोस्ती नहीं होती।

अब तू मुझे खत्म करने की कोशिश भी करके देख,
तेरी लाख कोशिशों से भी मुझमें जिन्दगी कम नहीं होती।।

• • •

खण्ड-III

आयोग के निर्णयों पर आधारित कहानियां

मातृसत्ता का पहरुआ

bfnjk nkxh•

जिस देश में रोमा और लोपामुद्रा जैसी विदूषियों ने वेदों की ऋचायें लिखी हों, उस विश्व आध्यात्म गुरू ने अपनी संस्कृति का इतना पतन कभी न देखा होगा कि समाज में नवजात बच्चियों से लेकर अतिवृद्ध अपंग स्त्रियाँ तक वासना और बर्बरता से निर्भय नहीं हैं; जितनी ये बात सही है उतनी ही ये भी सही है कि जितनी सुरक्षा, अधिकार और न्याय आज स्त्रियों को अपने घर–बाहर में प्राप्त हैं, उतने पहले कभी न थे; आर्यसंस्कृति से पूर्व की मातृसत्ता में भी न रहे होंगे।

स्कूल जाती बच्चियाँ नर्म फूलों की तरह लगती हैं लेकिन कुछ दरिंदे फूलों को ही रौंदने निकलते हैं। ऐसा ही हुआ एक पन्द्रह साल की मासूम लड़की के साथ जो स्कूल जा रही थी; और उसका अपराधी कोई नामी, कुख्यात, ज़िलाबदर गुंडा न था बल्कि एक पुलिस वाला था। पुलिसकर्मी का ये दोहरा अपराध था; दूसरा उस बच्ची के प्रति और उससे भी पहला अपने देश, अपनी वर्दी के प्रति। इस दोहरे अपराध में जब कहीं पूरा न्याय न मिला तो पीड़िता बच्ची की माँ ने माननीय आयोग के समक्ष गुहार लगाई। मानव अधिकारों के अपराजेय रक्षक, माननीय आयोग को शिकायत प्राप्त हुई जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे के एक सिपाही और दो अन्य आरोपियों ने पन्द्रह साल की एक बच्ची को अगवा कर लिया जो स्कूल जा रही थी। बच्ची के साथ तीनों नर–पशुओं ने सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके अलावा आरोपियों ने उसे रात भर बंधक बनाकर रखा। माननीय आयोग के सदस्यगण न्याय देने में न कमी रखते हैं, न कसर। तुरंत संज्ञान लिया गया। राजकीय अधिकारियों को संबंधित मामले में तुरंत कार्यवाही के कड़े निर्देश आयोग से जब प्राप्त हुए तो जाँच तंत्र में हलचल मच गई। पत्र का जवाब देते हुए मुरादाबाद के सीनियर सुपरिटेंडेन्ट पुलिस ने एक रिपोर्ट में माननीय आयोग को अवगत कराया कि पीड़िता की माँ की शिकायत पर आरोपियों के विरुद्व प्रकरण दर्ज़ किया गया एवं पीड़िता को छुड़ाकर उसके बयान यू/एस/161/सीआरपीसी के तहत रिकार्ड किये गये। तहकीकात के दौरान और घटनास्थल एवं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सिविल लाइन, मुरादाबाद का सिपाही एवं एक अन्य आरोपी पहचाने गए। उनको गिरफ़्तार कर जेल भेजा गया। इसक पश्चात आरोपी व्यक्ति के विरुद्व यू/एस 363/366/376–डी(ए) आईपीसी एवं यू/एस 5/6 ऑफ़ पास्को एक्ट के अंतर्गत चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई।

• प्रसिद्ध कहानीकार

माननीय आयोग को आगे बताया गया कि आरोपी सिपाही को पुलिस की सेवा से बर्खास्त किया गया जिसका आधार पुलिस पर्सनल (दण्ड एवं अपील) रूल्स 1991, नियम 8(2), पार्ट बी लिया गया था। अब आयोग द्वारा रिपोर्ट को संज्ञान में लेने के पश्चात विचार किया गया कि पीड़िता के मानव अधिकारों के तहत उसके सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकारों का हनन हुआ है और पीड़िता के मानव अधिकारों के हनन के एवज में राज्य पूर्ण रूप से अपने कर्मचारी के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृत्यों के लिए ज़िम्मेदार है एवं उसे भरपाई करनी होगी।

जब तक पूर्ण न्याय नहीं हो जाता, माननीय आयोग के सदस्य प्रकरण की फ़ाइल कभी बंद नहीं करते। आयोग ने पुनः मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को कारण बताओ नोटिस के द्वारा निर्देशित किया कि क्यों न तीन लाख रुपये की मुआवज़ा राशि वी/एस 18 (ए)(आई) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत पीड़िता को दिलायी जाये।

आयोग के निर्देश को देखते हुए उप सचिव, गृह मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ने एक रिपोर्ट भेजकर बताया कि तीन लाख रुपये की राशि पीड़िता को उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल कल्याण कोष के अंतर्गत वेबसाइट पर प्रस्ताव कर अपलोड कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त यदि आयोग तीन लाख रुपये की अतिरिक्त राशि पीड़िता को दिलाना चाहता है तो राज्य सरकार को यह अतिरिक्त राशि देने में कोई आपत्ति नहीं है। माननीय आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि चूंकि पीड़िता के मानव अधिकारों का हनन एक शासकीय कर्मचारी द्वारा किया गया था अतः पीड़िता को तीन लाख रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाये; और यह राशि राज्य सरकार द्वारा पीड़िता को मुआवज़े के तौर पर दी गई राशि के अतिरिक्त होगी।

(प्रकरण क्रमांक 24605/24/56/2018–पीसीआर)

कहीं कोई रक्षक है

bfnjk nkxh•

कितने मासूम होते हैं ग्रामीणजन कि जीवन भर कृषि और दूसरे आंचलिक व्यवसायों द्वारा देश को देते हैं और बदले में कितना कम चाहते हैं अपने लिए। उनका भोलापन, उनकी अशिक्षा और अपने मानव अधिकारों के प्रति अनभिज्ञता ही यह अवसर देती है कि उच्चतम शिक्षित समाज के प्रभविष्णु, वे चिकित्सक जिन्हें आमजन ईश्वर का स्थान देता है, वे अपनी सेवाकालिक उपलब्धियों को बढ़ाने के लिए उनके भोलेपन और उससे भी अधिक उनकी श्रृद्धा का अनुचित लाभ उठाते हैं। ये कहानी कुछ ऐसी ही है जिसमें पीड़ितों को पता ही नहीं कि उनके मानव अधिकारों का हनन हुआ है; और हनन करने वाले कोई और नहीं, उनके देवतातुल्य आदरणीय चिकित्सकगण हैं।

माननीय आयोग को श्री राधाकांत त्रिपाठी की एक शिकायत मिली कि उड़ीसा के ज़िला अंगुल में एक नसबंदी कैंप में चिकित्सकों द्वारा 56 महिलाओं की नसबंदी का ऑपरेशन किया गया जिसमें कि साइकिल पंप के द्वारा महिलाओं का पेट फुलाया गया जबकि गर्भाशय के ट्यूब की लेप्रोस्कोपी से नसबंदी की गई। दिनाँक 28/12/2014 को ये असामान्य घटना इसलिए हुई क्योंकि ऑपरेशन के दौरान पेट को फुलाने के लिए यथोचित सर्जिकल औजार एवं आवश्यक यंत्र नहीं थे।

माननीय आयोग ने शिकायत को संज्ञान में लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उड़ीसा सरकार के सचिव से जानकारी तलब की। इस पत्र के उत्तर में अंगुल के ज़िला चिकित्सा अधिकारी की संबंधित 56 महिलाओं की जाँच रिपोर्ट कमिश्नर एवं सचिव द्वारा पत्र दिनाँक 17/08/2017 को प्रेषित की गई। जाँच रिपोर्ट के अनुसार 56 महिलाओं का नसबंदी ऑपरेशन किया गया जो कि सीएचसी, बनापाल में दिनाँक 28/12/2014 को किया गया। 56 लाभार्थियों में से 53 लाभार्थियों की आडिट रिपोर्ट प्राप्त हुई। अन्य तीन प्रकरण क्रमशः जयंती वेहरा, सुमिति पांडा एवं दीप्ति माई वेहरा के थे जो कि उड़ीसा के अन्य ज़िलो से थे। ये तीन प्रकरण ज़िला अंगुल के थे जिसमें उनके रिश्तेदारों ने परिवार कल्याण सेवायें दिनाँक 28/11/2014 को स्वीकार की थी। ये अपने स्थायी पते पर निवास करते हैं। उनके रिश्तेदारों से पूछने पर पता चला कि वे ऑपरेशन सेवायें लेने के बाद अपने गृह क्षेत्र में चले गये हैं एवं सेवाओं से पूर्ण संतुष्ट हैं। क्यूएसी सदस्यों की जाँच में एक भी शिकायत रिपोर्ट की संलिप्तता नहीं पायी गई एवं किसी मरीज़ को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं

• प्रसिद्ध कहानीकार

हुई न ही उन्हें इस दौरान लापरवाही की कोई शिकायत है।रिश्तेदारों की जानकारी, मरीज़ के ऑडिट–फॉरमेट प्राप्त किये गये एवं पीआरआई सदस्यों ने उन पर गवाह के तौर पर हस्ताक्षर किये। इस प्रकार संबंधित 56 महिलाओं के कथन में सभी ने यह बयान दिया कि उनको कोई शिकायत इस नसबंदी ऑपरेशन से नहीं है जो दिनाँक 28/12/2014 को हुई।

माननीय आयोग ने इस रिपोर्ट पर विचार करने पर कि ज़िला अंगुल में दिनाँक 28/12/2014 को नसबंदी शिविर में 56 असहाय महिलाओं की नसबंदी के दौरान उनके पेट फुलाने के लिए साइकिल पंप का प्रयोग किया गया। यह कृत्य उनके जीवन को ख़तरे में डालकर किया गया जो कि उनके मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन है। आयोग ने दर्शाया कि राज्य सरकार इन 56 महिलाओं के मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है अतः राज्य सरकार को उचित मुआवज़ा राशि पीड़ितों को देनी चाहिये।

अतः आयोग ने 11/09/2017 को कार्यवाही कर अंडर सेक्शन 18, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार उड़ीसा सरकार को नोटिस भेजा; जिसके अनुसार क्यों न 25,000 रुपये की राशि 56 महिलाओं में से प्रत्येक को प्रदान की जाये जिनका नसबंदी ऑपरेशन दिनाँक 28/12/2014 को अंगुल ज़िले के नसबंदी शिविर में किया गया।

कई बार स्मरण पत्र भेजने के बाद एवं कारण बताओ नोटिस भेजने के बाद भी उड़ीसा सरकार का जब कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो माननीय आयोग ने 12/03/2018 को कार्यवाही कर 25,000 प्रति पीड़िता मुआवज़ा राशि की अनुशंसा तय करते हुए कहा कि पीड़िताओं को मुआवज़ा राशि प्रदान की जाये। प्रमुख सचिव, उड़ीसा सरकार को अनुपूरक रिपोर्ट छह सप्ताह में सबूतों के साथ जमा करने को निर्देशित किया गया। आयोग के निर्देश के जवाब में कमिश्नर एवं सचिव, उड़ीसा सरकार ने कहा कि संबंधितों के जो कथन और वाकया रिकार्ड किया गया है उसके अनुसार नसबंदी के दौरान किसी भी महिला को शिकायत नहीं है और न ही किसी तरह की रिपोर्ट किसी ने की है कि उन्हें कोई परेशानी पेश आई इस ऑपरेशन शिविर के दौरान। इसके अलावा 28/12/2014 के इस शिविर में उन्हें पर्याप्त देखरेख और बेहतर सुविधायें प्रदान की गयीं।राज्य सरकार के पास उपलब्ध समस्त सुविधायें मरीज़ों को दी गयीं। किसी भी असुविधा या परेशानी की शिकायत ऑपरेशन के बाद नहीं प्राप्त हुई। इन तर्कों के साथ राज्य सरकार ने निवेदन किया कि माननीय आयोग पुनः विचार करे जिससे संबंधित महिलाओं को 25,000 रुपये प्रति के हिसाब से मुआवज़ा न देना पड़े।

उड़ीसा राज्य सरकार के इस निवेदन को पूर्ण रूप से ख़ारिज करते हुए माननीय आयोग ने पीड़िताओं के हक़ में फ़ैसला लिया। राज्य सरकार को सभी पीड़िताओं को क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान करने को कहा एवं क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान करने के साक्ष्यों के साथ अगले छह सप्ताह के अंदर रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

कौन राज्य सरकार है जो माननीय आयोग के न्याय की सीमा से बाहर जा सकती है। कमिश्नर एवं सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार विभाग, उड़ीसा ने 56 में से 54 पीड़िताओं को सहायता राशि प्रदान करने के सबूतों के साथ अपनी रिपोर्ट माननीय आयोग के समक्ष प्रस्तुत की। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि शेष दो पीड़िताओं के संदर्भ में यह तथ्य है कि उनका पता अभी नहीं मिल सका है तथापि उनका पता लगाकर उन्हें मुआवज़ा राशि देने के क़दम उठाये जा रहे हैं।

आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया एवं प्रस्तुत साक्ष्य देखे जिनसे 54 पीड़िताओं को आयोग द्वारा निर्देशित मुआवज़ा राशि प्रदान किए जाने की पुष्टि होती है जिनकी नसबंदी 28/12/1214 को उड़ीसा के अंगुल ज़िले के नसबंदी शिविर में की गई थी। इस प्रकरण के संबंध में शेष दो पीड़िताओं को यथाशीघ्र ढूँढकर मुआवज़ा राशि देने के निर्देश के बाद दिनाँक 13/05/2019 को आयोग ने इस प्रकरण को बंद कर दिया।

जिन्होंने अन्याय किया वे तो मानते ही क्यों, और जिनके साथ अन्याय हुआ वे भोले ग्रामीणजन जानते भी न थे कि उनके मानव अधिकारों का हनन हुआ है; लेकिन कहीं कोई रक्षक है इस मुल्क में, इस देश में जो अपने नागरिकों के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्व भी है और शक्तिशाली भी।

(प्रकरण क्रमांक 4777/18/16/2014)

सड़क एक शुभकामना है

bfnjk nkxh•

बच्चे देश का भविष्य होते हैं और अपने भविष्य को सँवारने से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। तनिक सोचकर देखिये कि आपका बच्चा नदी तैरकर स्कूल जाता है। आप कहेंगे –ऐसे कैसे ? पर ऐसे ही बहुत कुछ चलता रहता है तो चलता रहता है; लोग कष्टप्रद परिस्थितियों में जीते रहते हैं तो कई–कई जीवन निकल जाते हैं जब तक कि न्याय के मंदिर तक सत्य की गुहार न पहुँच जाये।

माननीय आयोग को श्री पंकज बुच, संयोजक ग्राउंड रियल्टी फाउन्डेशन की शिकायत प्राप्त हुई। मामला गुजरात के ज़िला जूनागढ़ का था। शिकायतकर्ता ने आयोग का ध्यान इस ओर खींचा कि कनेरी ग्राम के स्कूल जाने वाले नन्हे–नन्हे बच्चों की दुदर्शा है जिनको पुलविहीन नदी को पार करके जूनागढ़ जाना पड़ता है। शिकायत में यह भी व्यथा कही गई कि न सिर्फ़ स्कूली बच्चों बल्कि ग्राम के पचास–साठ परिवारों के लोगों को भी कहीं भी जाने के लिए नदी को तैरकर पार करना पड़ता है। आप कल्पना कीजिये, उन बूढ़ों की जो समय पर नदी पार न कर सके और चिकित्सा के अभाव में दम तोड़ गये या उन प्रसूताओं को कैसे नदी पार करवाते होंगे उनके परिजन जो प्रसव पीड़ा से तड़प रही होंगी। नन्हे स्कूली बच्चे अपनी जान को जोखिम में हर दिन डालते होंगे ताकि पढ़ सकें जबकि शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है। माननीय आयोग ने गुजरात राज्य सरकार के मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब की।

आयोग के निर्देश के अनुसार, अवर सचिव (पीआर –2) रोड एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट (पंचायत), गांधी नगर द्वारा पत्र दिनाँक 21.07.2015 में जानकारी दी गई कि ग्राम कनेरी, तालुका गिरगधड़ा ज़िला जूनागढ़ के 27 परिवार रूपेन नदी के उस पार रहते हैं और ग्राम कनेरी को स्थानीय स्तर पर 'बोखरापुर का सिम विस्तार' के तौर पर जाना जाता है। रिपोर्ट में आगे बताया गया कि कनेरी के प्रायमरी स्कूल के 16 स्कूली बच्चे नदी पार करके स्कूल जाते हैं और नदी के बाद पगडंडी से रास्ता तय करते हैं। मानसून के दिनों में, स्कूली बच्चे चैक डेम पानी से भर जाने के कारण नदी पार नहीं कर पाते और वे दूसरे रास्ते से स्कूल जाते हैं जो कि आठ किलोमीटर लंबा है। यह स्थिति केवल मानसून के समय ही बनती है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि 75 लाख रुपये की राशि शासन द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है और नदी पर आरसीसी का पुल बनाया जाना प्रस्तावित है।

• प्रसिद्ध कहानीकार

माननीय आयोग ने इस मामले में, अहमदाबाद में दिनाँक 27/04/2018 को शिविर लगाकर सचिव, रोड एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट, गुजरात सरकार को बुलाया। आयोग के समक्ष प्रस्तुत होकर उन्होंने बताया कि आवश्यक बजट का प्रावधान प्रदान किया गया है जिससे रूपेन नदी के ऊपर पुल का निर्माण किया जायेगा एवं कनेरी ग्राम को जोड़ा जायेगा इससे ग्रामीणजन एवं स्कूली बच्चों को सुविधा होगी। उन्होंने माननीय आयोग के समक्ष अंडरटेकिंग देकर कहा कि अक्टूबर, 2018 तक पुल बनाया जायेगा।

अपर सचिव, गुजरात सरकार द्वारा पत्राचार दिनाँक 15/01/2019 के द्वारा माननीय आयोग को सूचित किया कि ग्राम कनेरी, तालुका गिरगधड़ा, ज़िला जूनागढ़ सेतु का कार्य पूर्ण हो गया एवं सिम पारा कनेरी ग्राम वोखेरपारा की सड़क जोड़ी गई ताकि सभी मौसमों में आवागमन सरल हो सके।

आयोग ने जब यह सुनिश्चित किया कि ज़िला प्रशासन ने दिए गये निर्देशानुसार सेतु का नदी पर निर्माण कर सड़क को ग्राम से जोड़ दिया गया ताकि सभी मौसमों में आवागमन सरल हो सके। तब यह मामला 28/01/2019 को बंद कर दिया गया।

यह सेतु और यह सड़क माननीय आयोग द्वारा ग्राम कनेरी के नन्हे–नन्हे स्कूली बच्चों को दी गई शुभकामना है कि वे ख़ूब पढ़ें और बड़े होकर अपने गाँव, शहर और देश का नाम रोशन करेंगे।

(प्रकरण क्रमांक 1344/6/12/2014)

मृत्यु उपहास नहीं

bfnjk nkxh•

माननीय आयोग को इस प्रकरण की जानकारी मिली जिसके अनुसार पुणे की नीरा और भीमा नदी को जोड़ने के लिए टनल खदान का निर्माण कार्य चल रहा था जिसमें आठ मज़दूरों की मृत्यु सुरक्षा व्यवस्था में अधिकारियों द्वारा कोताही बरतने से हुई।

आयोग के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), पुणे महाराष्ट्र ने बताया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना 20/11/2017 को ग्राम अकोले ज़िला पुणे में राष्ट्रीय नदी जोड़ परियोजना (आइएलआर) के टनल निर्माण के दौरान हुई। कार्य समाप्त होने के बाद मज़दूर टनल से ट्राली के द्वारा शैफ़्ट नंबर 5 से शाम के 6 बजकर 15 मिनिट पर आ रहे थे जबकि ये हादसा हुआ। ट्राली का बटन बंद न होने के कारण ट्रॉली के तार आपस में लिपटकर टूट गया जिसके कारण ट्राली सहित आठ मज़दूर अपने औजारों के साथ 70 मीटर की खदान में गिर गये। इस कथित दुर्घटना में मुकेश कुमार जवाहरलाल मौर्य, संभाजी सिन्हाचला नायडू, राहुल सुग्रीव नरूटे, बलराम स्वराज स्यू, संतोष सुशांत पड़ही, अन्वेष श्रीनिवास सिद्धारेड्डी, सुरेन्द्र बच्चू यादव एवं छोटू भोले कोल की मृत्यु जबरदस्त/जानलेवा चोट से हुई। इस मामले में प्रकरण सीआर नंबर 135/2017 यू/एस 304 (2)/34 आईपीसी दिनाँक 22/11/2017 को रामबहादुर रामआसरे पाल (क्रेन ऑपरेटर), नवीन कुमार रविदत्त शर्मा (सुरक्षा अधिकारी), मुरली. कृष्ण शिवाजीराव मेहदारमेट्टा (सेफ़्टी मेन्टेनर), श्रीधर वलेश्वर राव वेंजडला (वरिष्ठ मैनेजर) के विरुद्व दर्ज़ किया गया। पुलिस ने तत्परता दिखाई; सभी चार आरोपियों को गिरफ़्तार कर उनके विरुद्व चार्जशीट 10/06/2018 को न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई। और जिस मशीन से ये दुर्घटना हुई थी, उसे निदेशक, इंजीनियरिंग कॉलेज को निरीक्षण के लिए तकनीकी कमेटी द्वारा भेज दी गई।

माननीय आयोग ने दिनाँक 20/08/18 की बैठक में रिकार्ड के मटेरियल को देख कर पाया कि आठ मज़दूर 70 मीटर गहरी खदान में औजारों के साथ गिरकर मारे गये; इसके लिए चार अधिकारियों की लापरवाही को वजह माना जा सकता है जिसमें क्रेन ऑपरेटर, सुरक्षा अधिकारी, मशीन के मेंटेनर ज़िम्मेदार हैं। इसके लिए राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा अपनी ड्यूटी में लापरवाही और सुस्ती को भी कारण माना जाना चाहिये। तमाम सबूतों की रोशनी में, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा यू/एस 18 के तहत माननीय आयोग ने एक कारण बताओ नोटिस मुख्य

• प्रसिद्ध कहानीकार

सचिव, महाराष्ट्र सरकार को भेजकर पूछा गया कि क्यों न 3 लाख रुपये प्रति मज़दूर को आगामी 4 सप्ताह में दिया जाये ?

आयोग ने अगली बैठक दिनाँक 20/01/2019 को पुनः विचार कर पाया 08/03/2018 को मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग, इंजीनियरिंग कॉलेज, पुणे (सीओईपी) द्वारा बनाई गई रिपोर्ट में कहा गया कि दुर्घटना का कारण ट्राली के नियंत्रण सिस्टम का निष्क्रिय होना पाया गया। एक रिपोर्ट दिनाँक 15/10/2018 को मुख्य सचिव, जल अनुसंधान विभाग, मुंबई द्वारा जारी की गई कि दिवंगतों में से 3 लाख रुपये 7 मज़दूरों के उत्तराधिकारियों को एवं 10 लाख रुपये एक मज़दूर के उत्तराधिकारियों को 22/11/2017 से 26/12/2017 के बीच दिये। इसके अलावा 68,40,000 रुपये की राशि आयुक्त, कर्मचारी क्षतिपूर्ति के पास जमा करायी गई। यह कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अनुसार ठेकेदार द्वारा दी गई। आयोग ने महाराष्ट्र राज्य सरकार से प्रदान राशि की रसीद देने को कहा जो कि सात मज़दूरों के उत्तराधिकारियों को तीन लाख प्रति एवं एक मज़दूर के उत्तराधिकारियों को 10 लाख रुपये दिए गये।

मामले की अंतिम सुनवाई 04/02/2020 को माननीय आयोग के समक्ष रिपोर्ट थी जिसमें सचिव, जल अनुसंधान विभाग, मुंबई के अनुसार ठेकेदार भी दुर्घटना के लिए उत्तरदायी पाया गया अतः उससे 3 लाख रुपये सात मज़दूरों में से प्रत्येक के उत्तराधिकारियों को एवं 10 लाख रुपये एक मज़दूर के उत्तराधिकारियों को दिलवाये गये एवं 68,40,000 रुपये की राशि आयुक्त, कर्मचारी क्षतिपूर्ति के पास जमा कराई गई। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि सभी सुरक्षा तंत्र एवं औजार सभी मज़दूरों को दिए गए हैं एवं नियमित रूप से इसका निरीक्षण कराया जाता है ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटना न हो।

प्राप्त सबूतों से संतुष्ट होने पर, माननीय आयोग द्वारा यह प्रकरण 04/02/2020 को बंद कर दिया गया।

(प्रकरण क्रमांक 2345/13/23/2017, एम–5)

भूख का दण्ड

bfnjk nkxh•

भोजन तो कितना मूलभूत अधिकार है और यदि कोई राज्य अपने नन्हे बच्चों को उनका यही अधिकार न दे सके तो धिक्कार के सिवाय और क्या कहेंगे आप उस पूरे तंत्र पर जो नन्हे बच्चों और ग़रीब प्रसूताओं को आंगनबाड़ी की सुविधायें तब उपलब्ध न करवा पा रहा हो।

दिनाँक 01/09/2014 को 'द ट्रिब्यून'अख़बार में एक समाचार प्रकाशित होता है –''आंगनबाड़ी के बच्चों को खाना नहीं मिला।'' इस ख़बर के अनुसार पंजाब राज्य में छह वर्ष से छोटी उम्र के बच्चों को भोजन नहीं दिया जा रहा क्योंकि पूरे राज्य की 26,652 आँगनबाड़ियों में राशन का वितरण नहीं किया जा रहा है। समाचार में आगे कहा गया कि सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार अनुपूरक पोषण कार्यक्रम के तहत आने वाला अग्रिम भुगतान नहीं हुआ है जो कि पिछले वर्ष के दिसम्बर माह में कोषागार से होना था। इसके अलावा पंजाब के एकाउन्टेंट जनरल ने भी ड्रायिंग एंड डिसवर्सिंग अफ़सर को राशि प्रदान करने की शक्तियाँ देने में देरी की। इस कारण नई वित्तीय वर्ष में परेशानी का कारण रहा। आगे कहा गया कि लगभग 80 करोड़ जिसमें 90 प्रतिशत अनुदान राशि भारत सरकार की मिलाकर अनुपूरक पोषण योजना एवं इंटीग्रेटेड बाल विकास सेवा योजना की होती है। इन योजनाओं के द्वारा दस लाख ग़रीब बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाला माताओं जो कि आंगनबाड़ी में नामांकित हैं, उनको भोजन दिया जाता है जिससे उन में कुपोषण न फैल पाये। लगभग पचास हज़ार बच्चे, 857 आंगनबाड़ियाँ जो कि ज़िला रोपड़ में हैं, उनमें दाल–चावल, पंजीरी इत्यादि का अप्रैल 2014 से वितरण नहीं हो पाया है क्योंकि राशि की अनुपलब्धता है। अख़बार की रिपोर्ट में आगे कहा गया कि राज्य सरकार की इस भाग की असफलता, सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनाँक 07/10/2014 का उल्लंघन है जिसमें राज्य सरकार एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को एक रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से प्रतिदिन या 300 रुपये प्रतिवर्ष का आईसीडीएस फंड बनाये जाने का आदेश था।

माननीय आयोग ने इस अन्याय के ख़िलाफ़ समाचारपत्र में प्रकाशित एक समाचार से स्वतः संज्ञान लिया। दिनाँक 15/09/2014 को आयोग ने नोटिस जारी कि मुख्य सचिव, पंजाब सरकार एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें निम्नलिखित बिन्दु सम्मिलित किए जायें –

• प्रसिद्ध कहानीकार

1. राज्य के प्रत्येक ज़िले में कितनी आंगनबाडियाँ हैं ?
2. ज़िला स्तर की कितनी आंगनबाडियाँ एसएनपी के तहत हैं एवं किस तिथि एवं माह से वितरण नहीं किया गया ?
3. वर्तमान स्थिति के सुधार के लिए मुख्य सचिव क्या क़दम उठायेंगे, जवाब दें ?

इस मामले की सुनवाई आयोग ने चंडीगढ़ में शिविर लगाकर दिनाँक 27/11/2014 को की । वहाँ निदेशक, सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग, पंजाब सरकार उपस्थित थे और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें चार माह से राशन वितरण बाधित था। उन्होंने बताया कि स्थानीय समुदाय की सहायता से भोजन वितरण उपलब्ध कराया गया था। फिर भी आयोग ने उनको रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।

आयोग को 19/05/2015 को निदेशक, सामयिक सुरक्षा एवं महिला बाल विकास विभाग, पंजाब सरकार की एक रिपोर्ट प्राप्त हुई। इसके अनुसार 14,15,397 रुपये ज़िला कोषागार से वर्ष 2014–15 एसएनपी कार्यक्रम के लिए दिये गये। यह भी बताया कि 26,656 आंगनबाड़ी पंजाब राज्य में हैं। रिपोर्ट में यह स्वीकार किया कि अमृतसर, भटिन्डा, फ़रीदकोट, फिरोजपुर, फाजिल्का, फतेहगढ़ साहिब, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, मनसा, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब, रूपनगर, तरतारन एवं वहनाला में सन 1/6/2014 से 10/11/2014 तक अनुपूरक पोषण सामग्री वितरित नहीं हुई है। यह भी बताया गया कि वित्त विभाग ने 78.75 करोड़ की राशि सेशन की यह पत्र दिनांक 20/06/2014 द्वारा एवं एकाउन्टेंट जनरल ने डीडीओ पॉवर भी दे दिये हैं। (पत्र दिनाँक 25/08/2014) 69.76 की राशि ज़िला कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा कोषागार से निकाली गई।

उक्त रिपोर्ट पर विचार कर आयोग ने बैठक दिनाँक 22/06/2015 में पाया कि अनुपूरक पोषण का वितरण 01/06/2014 से 10/11/2014 तक रोका गया जिससे तेरह ज़िले राशि के अभाव से प्रभावित रहे। यह गंभीर मामला था जिसमें तीन महीने के बाद तक राशि वितरण, वित्त वर्ष के नहीं हो पाई। इसके बाद दो माह तक डीडीओ को पावर वितरण नहीं किया गया। सरकारी कार्यवाही की देरी के कारण अनुपूरक पोषण का वितरण बच्चों महिलाओं को काफ़ी समय तक नहीं मिला जो कि लगभग तीन महीने था। अनुपूरक पोषण राज्य के तेरह ज़िलों में नहीं दिया गया। यह विदित है कि बच्चों, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को अनुपूरक पोषण का जीवन में जैविक महत्व होता है। बच्चों के दिमाग़/मस्तिष्क का विकास जीवन के प्रथम छह वर्ष में होता है। पोषण के अभाव में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास रुक

जाता है।

आयोग ने पाया कि पंजाब राज्य के इन तेरह ज़िलों में गर्भवती महिलाओं, स्तनपान करने वाली माताओं एवं नवजात शिशुओं को पोषण नहीं मिल पाया। जिसका कारण सरकारी तंत्र की घोर लापरवाही और देरी स्पष्ट है। बच्चों की दिमाग़ी वृद्धि पर सरकारी लापरवाही के कारण विपरीत प्रभाव पड़ा। उचित समय निकल जाने के बाद बच्चों को हुए नुकसान की भरपाई संभव नहीं है। जिनको नुकसान पहुँचा है उन पीड़ितों को निश्चित रूप से भुगतान किया जाये। अतः आयोग ने पंजाब राज्य सरकार को कारण बताओ नोटिस भेजा कि क्यों न आयोग अनुशंसा करे कि पंजाब सरकार पीड़ितों को नुकसान की भरपाई करे जो कि 01/06/2014 से 10/11/2014 के बीच पोषण भोजन का वितरण तेरह ज़िलों में नहीं किया; उसकी समान मात्रा का राशन वितरण करे।

माननीय आयोग द्वारा भेजे गये इस कारण बताओ नोटिस के जवाब में निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंजाब सरकार ने पत्र दिनाँक 12/08/2015 के द्वारा बताया कि संयुक्त बात विकास सेवायें एक निश्चित प्रायोजित योजना है। पूरक पोषण के द्वारा पोषण सेवायें लाभार्थियों को दी जाती हैं। इस योजना के ख़र्च में केन्द्र एवं राज्य सरकार पचास–पचास प्रतिशत योगदान देती हैं। इसके दिशा–निर्देश भारत सरकार ने बनाये हैं। इसमें नकद राशि देने का प्रावधान नहीं है। पत्र में यह भी कहा गया कि राज्य सरकार को पोषण आहार के वितरण में देरी का खेद है एवं भविष्य में ऐसी स्थिति नहीं आने दी जायेगी।

आयोग ने इस मामले पर विचार करने के लिए बैठक 4 जुलाई, 2016 को की एवं दिशा निर्देश इस प्रकार दिये। राज्य सरकार को इस बात से कोई मतभेद नहीं है कि आयोग ने पाया है कि पंजाब राज्य के तेरह ज़िलों में गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को 01/06/2014 से 10/11/2014 तक पोषण तत्वों का वितरण सरकारी तंत्र की लापरवाही एवं लेटलतीफ़ी के कारण हुआ। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पोषण आहार के वितरण न किये जाने के कारण लाभार्थियों के मानव अधिकारों का हनन हुआ और उत्तरदायी व्यक्ति एवं उत्तरदायी सत्ता पीड़ितों को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। और क्योंकि पंजाब राज्य सरकार एवं उसका तंत्र इस पोषण वितरण को सुचारू रूप से चलाने में असफल रहे इसलिए पंजाब सरकार पूर्ण रूप से ज़िम्मेदार है। यद्यपि संयुक्त बाल विकास सेवा केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित है एवं इसका ख़र्च केन्द्र सरकार और राज्य सरकार 50:50 के अनुपात में करती है। इस प्रकरण में केन्द्र सरकार से कोई निष्क्रियता अथवा असफलता नहीं हुई। निरतंर वितरण में देरी का

कारण राज्य सरकार की निष्क्रियता है। मुआवज़े में नकद राशि का वितरण नहीं हो पायेगा, यह कहकर राज्य सरकार अपनी ज़िम्मेदारी से नहीं बच सकती। यद्यपि भारत सरकार के निर्देशानुसार नकद भुगतान नहीं किया जा सकता लाभार्थियों को लेकिन राज्य सरकार ने उनके मानव अधिकारों का हनन किया है अतः राशि वितरण करें। सुस्त एवं निष्क्रिय सरकारी तंत्र को यदि गंभीरता से नहीं लिया गया तो मानव अधिकारों का उल्लंघन देश के दूसरे भागों में भी होता रहेगा।

मानव अधिकारों के प्रभावी संरक्षण के लिए राज्य सरकार को पीड़ितों के नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। आयोग ने पंजाब सरकार को अनुशंसा की कि तेरह ज़िलों में 01/06/2014 से 10/11/2014 तक पोषण वितरण के बराबर राशि पीड़ितों को अदा की जाये। यह राशि उन पीड़ितों को दी जाये जिन्हें इस अवधि में पोषण आहार वितरित किया जाना था लेकिन नहीं किया गया।

पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को निर्देशित किया गया कि क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान की जाये एवं क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान करने के साक्ष्यों के साथतीन माह में भेजें।

आयोग के निर्देश के जवाब में अतिरिक्ति निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंजाब सरकार के पत्र दिनाँक 09/01/2017 को बताया कि वित्त विभाग ने पत्र क्रमांक 1/30/16 5 एफई 6/557 दिनाँक 30/12/16 को राशि का एप्रूवल दिया है। विभाग लाभार्थियों को मुआवजा राशि प्रदान करने की आवश्यक कार्यवाही कर रहा है जिनको 01/06/2014 से 10/11/2014 तक तेरह ज़िलों में पोषण पैसे की कमी के कारण नहीं मिल पाया था।

आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए निदेशक, महिला एवं बाल विकास, पंजाब सरकार ने पत्र दिनाँक 06/07/2017 द्वारा बताया कि 280.53 लाख राशि का वितरण किया जा चुका है। ज़िला अमृतसर, होशियारपुर, लुधियाना, मोगा, तरनतारन एवं बरनाला को 205.56 लाख रुपये वितरित पीड़ितों को किये गये। इस प्रकार कुल 486.09 लाख वितरित किया गया। वर्तमान में 495.03 लाख बचे हैं जो कि इस वित्त वर्ष 2018–19 में वितरित होंगे।

आयोग ने रिपोर्ट पर विचार बैठक की और आशा व्यक्त की कि 495.03 राशि लाभार्थियों में इसी वित्त वर्ष 2018–19 में राज्य सरकार द्वारा वितरित होगी। आयोग ने प्रकरण 25/06/2018 को बंद कर दिया।

(प्रकरण क्रमांक 1164/19/0/2014)

श्रम शोषण की पराकाष्ठा

—".k dqekj JhokLro•

दिनांक 17 अगस्त 2015 की वह सुबह थी जब देश अपनी स्वंतन्त्रता की 68 वी वर्षगांठ मना ही रहा था, किंतु स्वतंत्रता का यह पर्व गरीबों के हिस्से मे पूरी तरह आना अभी भी शेष है। गरीबी और अशिक्षा के साथ ही प्राकृतिक और सामाजिक कारक भी इसके लिए उत्तरदाई हैं। कर्नाटक के ज़िला बेल्लारी के गांव कुदिथिनि के वीरान इलाके में स्थित कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि सैकड़ों एकड़ मे फैला हुआ है, में रोज की ही तरह मज़दूरो का आना जाना लगा हुआ था। इसी बीच इन पंक्तियों के लेखक ने अपने सहयोगी श्री उमेद सिंह, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के साथ वहां अपनी उपस्थिति दर्ज की। साथ में ही एसडीएम बल्लारी, श्रम अधिकारी बल्लारी, तहसीलदार, बल्लारी अपने सहयोगियों एवं पुलिस बल के साथ उपस्थित थे।

हुआ यह था कि माननीय आयोग में एक शिकायत, गैर सरकारी संगठन जस्टिस वेंचर्स इंडिया ट्रस्ट के श्री राजन शाह से प्राप्त हुई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि ग्राम कूदिथिनी में स्थित एक पावर प्लांट में एक ठेकेदार द्वारा 200 से अधिक मजदूरों को बंधुआ मजदूर के रूप में रखा जा रहा है। साथ में यह शिकायत भी की गई थी कि दिनांक 06.04.2015 को एक मजदूर श्री राजेशर मांझी की मृत्यु कार्य के दौरान हो गई किन्तु उसके परिवार को मात्र रु. 30,000/– दिए गए, शेष रकम दलालो ने डकार ली। प्राप्त शिकायत के आधार पर दिनांक 21.07.2015 को पारित आयोग के आदेशों की अनुपालना में इस जाँच दल ने यह दौरा किया था। कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने हेतु गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए, जिला के अधिकारियों को यह नहीं बताया गया था कि जाँच दल वहां किस उद्देश्य से जा रहा है। पावर प्लांट में प्रवेश– निकास के लिए कई बड़े द्वार थे। वहां प्लांट के बाहर पहुंचते ही साथ में उपस्थित उप पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) बेल्लारी एवं अन्य सभी अधिकारियों को जाँच दल के उद्देश्य एवं कार्य योजना की जानकारी दी गई। उन सब का रवैया बहुत ही सहयोग पूर्ण था। जाते ही सभी द्वारों का प्रवेश एवं निकास प्रतिबंधित करवा दिया गया तथा जांचदल, एक पीड़ित श्री विजय खलीफा जो कि दल के साथ ही था, के द्वारा बताए गए सुरागों के आधार पर प्लांट के भीतर प्रविष्ट हुआ।

कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्लांट के भीतर का आकार बहुत बड़ा

• सहायक पंजीयक (विधि), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत

था। वहां कुछ इकाइयों से विद्युत् का उत्पादन हो रहा था तथा कुछ में निर्माण कार्य चल रहा था। हजारों लोग कार्यरत थ। लगभग एक किलोमीटर भीतर जाने के बाद, सूचक के बताए अनुसार हम लोग उस कर्यालय में पहुंचे जहां कथित रूप से लोगों को बंधुआ बनाकर काम लिया जा रहा था। पहुंचते ही, अपना परिचय देने के बाद, सबसे पहले उपस्थिति पंजिका कि जाँच की गई तथा कार्य में उपस्थित मजदूरों को बुलवाया गया और उनके कथन लिपिवद्ध किए गए। उन्होंने जो बताया वह बहुत ही चौकाने वाला और पीड़ादायक था।

उप मंडल कार्यकारी दंडाधिकारी, बेल्लारी एवं जांचदल के समक्ष कुल 33 मजदूरों ने बताया कि उन्हें बिहार, झारखण्ड एवं उत्तर प्रदेश के जिलों से दलालों के माध्यम से अच्छे वेतन एवं सुविधाओं का आश्वासन देकर कई महीनों पहले लाया गया था किन्तु यहां उनसे दिन में बारह घंटे बिना किसी साप्ताहिक विश्राम के रोज काम लिया जाता है और एक हफ्ते में केवल सौ– दो सौ रूपये खर्च के लिए दिए जाते है। उन्हें बाहर आने जाने की आजादी नहीं है, वे कहीं और काम करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं तथा यदि वे चोरी छिपे बाहर भागने की कोशिश करते हैं तो ठेकेदारों के गुंडे उन्हें स्टेशन तक से पकड़ लेते हैं और लाठी–डंडों से पिटाई करते है। मजदूरों ने मार–पीट के निशान अपनी हाथ की उँगलियों तथा पीठ पर सबके सामने दिखाए और उनकी निशानदेही पर ठेकेदारों के रहने वाले स्थान पर जाकर जांचदल के साथ उपस्थित पुलिस ने लाठी और डंडे बरामद किये।

जाँच के दौरान पाया गया कि मजदूरों की हाजिरी सही ढंग से नहीं रिकॉर्ड की जा रही थी, रोज काम करने के बाद भी महीने में केवल कुछ दिन ही उपस्थित दर्शाया जाता था, उनके पारिश्रमिक देने के रिकॉर्ड नहीं थे और न ही उनके खाते में श्रम नियमों के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा अथवा भविष्यनिधि आदि के जमा किये जाने के साक्ष्य उपलब्ध थे। क्योंकि मामला प्रथमदृष्ट्या बंधुआ मजदूरी, गरीब दलितों के शोषण एवं अन्य कानूनों के उल्लंघन का था और वे मजदूर वहाँ से तुरंत निकलना चाहते थे इसलिए आयोग के जांचदल की प्रेरणा पर उन्हें जिले के अधिकारियों द्वारा उपलब्ध वाहन से जिला मुख्यालय बेल्लारी ला कर उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया, अंतरिम राहत की रकम दी गई तथा बंधुआ अवमुक्त प्रमाण पत्र जारी किये गये। तत्पश्चात, जिला प्रशासन ने रेलवे से सम्पर्क कर उन मजदूरों के लिए आरक्षण की व्यस्था करवा कर अपने कर्मचारियों के संरक्षण में उन मजदूरों को उनके निवास स्थान तक पहुंचवाया गया।

तदनुसार, आयोग के जांचदल ने जाँच के दौरान अनेक साक्ष्य एकत्रित किये तथा एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ कहा गया कि

समाज के कमजोर समूह के गरीब मजदूरों को नौकरी और अच्छे वेतन के वादे पर देश के उत्तर भारतीय राज्यों से तस्करी की गई थी, और उन्हें परिसर में गैनॉन डनकर्ली एंड कंपनी लिमिटेड (जीडीसीएल) बेल्लारी द्वारा थर्मल पावर स्टेशन, कुदिथिनी, कर्नाटक में काम करने के लिए मजबूर किया गया।

ekuuh; jk"Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx us fnukad 28-10-2015 dks ikfjr viu vkns'k esa mYysf[kr fd;k कि एनएचआरसी की टीम ने मस्टर रोल, मजदूरी रजिस्टर सहित विभिन्न रिकॉर्डों में हेरफेर देखा। मजदूरों की उपस्थिति और भुगतान की कोई उचित प्रविष्टि नहीं मिली और साप्ताहिक विश्राम का कोई रिकॉर्ड नहीं था। श्रमिकों को 12 घंटे से अधिक काम करने के लिए मजबूर किया गया था, साप्ताहिक आधार पर उन्हें रु.100 / – का भुगतान किया जा रहा था। श्रम कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा था। गैनॉन डनकर्ली एंड कंपनी लिमिटेड मजदूरी के भुगतान का कोई सबूत नहीं दे सका, जिसके परिणाम स्वरूप एसडीएम, बल्लारी द्वारा उन्हें बंधुआ मजदूर घोषित किया गया और प्रमाण पत्र जारी किए गए। इसके बाद, प्रशासन द्वारा इन मजदूरों को जिला मुख्यालय, बल्लारी लाया गया, और जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक को 1,000/ – की अंतरिम राहत राशि प्रदान करने के बाद अपने मूल स्थानों पर भेज दिया गया। तहसीलदार और तालुक मजिस्ट्रेट, बल्लारी तालुक, बल्लारी की शिकायत पर एफआईआर सं. 0108 / 2015, दिनांक 18.08.2015 यू / एस.एस.–344,370,373,34 आईपीसी, धारा 16,17,18 बंधुआ मजदूरी व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम, 1976, धारा 23,26 किशोर न्याय अधिनियम, 1986 और यू / एस 3 (1) (6), 3 (10), 3 (11) एससी और एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत आपराधिक मामला कुदिथिनी पुलिस स्टेशन में पंजीकृत किया गया, जिसमें तस्करों और जीडीसीएल कंपनी के अधिकारियों आदि सहित पांच आरोपी थे, और कुछ अपराधियों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। श्रम अधिकारी, बल्लारी ने नियोक्ता द्वारा जारी श्रमिकों को पारश्रमिक के रूप में देय रु. 22,98,073.88 की राशि की गणना की है। रिकॉर्ड के अनुसार, जी डी सी एल ने थर्मल प्लांट की इकाई 3 के सिविल और आर्किटेक्ट कार्य को पूरा करने के लिए बी एच ई एल से 1,36.00 करोड़ रुपये के अनुबंध में प्रवेश किया था, लेकिन यह अनुबंध से संबंधित अनुबंध दस्तावेज़ के खंड 1.6.6 (मजदूरों का कल्याण) का पालन करने में विफल रहा।

आयोग को दी गई शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि तस्करों की कैद के तहत केपीसीएल, कुदिथिनी में काम करते समय दिनांक 06.04.2015 को मजदूरों में से एक श्री राजेशर मांझी की मृत्यु हो गई, लेकिन कंपनी द्वारा उनके वार्डों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया और मामला शांत हो गया है। रिपोर्ट से

पता चलता है कि एक अप्राकृतिक मौत के बारे में पुलिस स्टेशन, कुदिथिनी में एक एफआईआर नंबर 5/2015 पंजीकृत यू / एस 174 Cr. Pc अभी भी जांच के दायरे में है। अभिलेखों से यह भी पता चलता है कि जीडीसीएल ने दिनांक 01.07.2015 को एक संतोष कुमार सिंह को राजेश मांझी की मृत्यु पर रु. 2,00,000 / – का भुगतान किया था। हालांकि, शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि मृतक के परिवार को केवल रु. 30,000 / – का भुगतान किया गया है और शेष राशि उक्त व्यक्ति द्वारा गलत तरीके से ली गई है।

आयोग ने मामले पर विचार किया और पाया कि मामले के तथ्य विचलित करने वाले हैं। विभिन्न राज्यों के गरीब मजदूरों को दूसरे राज्य में ले जाया गया, जहां उन्हें एक सरकारी स्वामित्व वाले थर्मल पावर स्टेशन में बंधन में रखा गया और भारत सरकार की महारत्न कंपनी भेल को काम सौंपा गया। मामला आंख खोलने वाला भी है कि कैसे तस्कर अनुसूचित जाति के गरीब और असहाय गरीब मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। आयोग ने आयोग के अधिकारियों और बल्लारी जिला प्रशासन के अधिकारियों को पीड़ितों को बंधन से मुक्त करने, रिलीज सर्टिफिकेट जारी करने, कानून मोशन में लेने और देखभाल करने के लिए उन सबकी सराहना की और प्रशस्ति प्रदान की। आयोग ने बिहार के पटना, भोजपुर, रोहतास, बक्सर, झारखंड के जिला दोलतगंज और उत्तर प्रदेश के जिला सोहनाभद्र जिला मजिस्ट्रेट को रिहा किए गए 33 मजदूरों के पुनर्वास पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने, उपायुक्त, बल्लारी और पुलिस अधीक्षक, बल्लारी, कर्नाटक को यू / एस 3 (1) (6), 3 (10), 3 (11) के प्रावधानों के तहत मौद्रिक राहत के भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कहा। दिनांक 18.08.2015 को कुदिथिनी पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले सं.0108 / 2015 में जांच की अद्यतन स्थिति के साथ ही उपायुक्त, बल्लारी और श्रम अधिकारी, बल्लारी को भी निर्देश दिए गए कि वे अवमुक्त किये गए श्रमिकों की देय मजदूरी के भुगतान के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

ekuuh; jk"Vªh; ekuo vfèkdkj vk;ksx us viuh vfxze vkns'k fnukad 15-06-2016 dks ikfjr esa mYysf[kr fd;k कि जीएम–इंचार्ज, अध्यक्ष और एमडी भेल की ओर से दिनांक 30.12.2015 को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KPCL) के लिए बेल्लारी जिले, कर्नाटक के कुदथिनी ग्राम में 1X700 मेगावाट की बेलारी थर्मल पावर स्टेशन की इकाई तीन के निर्माण और चालू करने के लिए दिनांक 23.10.2013 को निविदा प्रक्रिया के बाद निविदा को मेसर्स जीडीसीएल को प्रदान किया गया था। मेसर्स जीडीसीएल के पास वैध श्रम लाइसेंस, पीएफ, ईएसआई पंजीकरण आदि हैं। रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि दिनांक 17.8.2015 को निरीक्षण दल के दौरे के तुरंत बाद,

इस संबंध में दिनांक 19 अगस्त, 2015 को हिंदू अखबार में एक खबर छपी। उसी दिन ठेकेदार को तुरंत उक्त विषय पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया था। मेसर्स जीडीसीएल ने कहा कि श्रम की व्यवस्था उनके उप–ठेकेदारों, अर्थात लाल कुमार सिंह, मुकेश सिंह और उपेंद्र सिंह द्वारा की गई है और उन्हें मजदूरों से कोई शिकायत नहीं मिली है। उन्होंने यह भी कहा कि वे नियमित रूप से इन उप–ठेकेदारों को सभी देय भुगतान कर रहे हैं और इस व्यवसाय में स्थापित ठेकेदारों के रूप में वे सभी सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। इसके जवाब से संतुष्ट नहीं होने के कारण 10 सितंबर, 2015 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और ठेकेदार को इस मुद्दे को हल करने के लिए बुलाया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, ठेकेदार ने जवाब दिया कि बंधुवा मजदूरी व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के प्रावधान के कथित उल्लंघन पर अदालत का मुकदमा विशेष न्यायाधीश, बेल्लारी के समक्ष विचाराधीन है। इस मामले की स्थिति यह है कि अदालत ने आरोपी व्यक्तियों को जमानत दे दी है और मामले में मैसर्स जीडीसीएल के खिलाफ कोई प्रतिकूल निष्कर्ष तब तक नहीं निकाला जा सकता है जब तक कि अदालत मामले में अपना फैसला नहीं देती।

इसी प्रकार दिनांक 6.4.2015 को श्री राजेश्वर मांझी के दुर्भाग्यपूर्ण निधन के संबंध में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया है, जो रात 9 बजे के आसपास हुआ, जो अपने ड्यूटी के घंटों के बाद और लेबर कॉलोनी में रहते हुए हुआ था। इसलिए, हालांकि कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के प्रावधान आकर्षित नहीं हुए हैं, फिर भी ठेकेदार के रु. 10 लाख किसी भी प्रकार का मुआवजा देने के लिए सुरक्षित रखने के लिए रोके गए हैं, जो भविष्य में उनकी मृत्यु संबंध में उत्पन्न हो सकती है। बैंक गारंटी के माध्यम से पर्याप्त राशि, मेसर्स जीडीसीएल की सिक्योरिटी डिपॉजिट को भावी देयताओं के लिए रोकी गई है और भेल, मेसर्स जीडीसीएल के अंतिम बिलों का निपटारा तब ही करेगा, जब भेल के ठेकेदार के सभी दायित्व का दायरा कार्य के अनुसार पूरा हो जाएगा।

उपायुक्त बल्लारी, कर्नाटक ने अपने पत्र दिनांक 08.02.2016 के द्वारा विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि एससी / एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 03 (1) (6), 3 (10), 3 (11) के प्रावधानों के तहत मौद्रिक राहत के भुगतान के रूप में प्रत्येक पीड़ित को रु. 22,500 / – पंजीकृत डाक के माध्यम से चेक से भेजे गए। दिनांक 18.8.2015 को दर्ज मामले एफआईआर 0108/2015 में जांच की स्थिति के संबंध में, पुलिस अधीक्षक, बल्लारी द्वारा 17.12.2015 को यह सूचित किया गया है कि जांच के बाद चार्जशीट 15.10.2015 को अदालत में पेश कर दी गई है।

दिनांक 25.1.2017 को पुलिस अधीक्षक, बेलारी से प्राप्त रिपोर्ट से पता चलता है कि राजेश्वर मांझी, जिनकी मौत बिजली संयंत्र में काम करते समय हुई थी, की पत्नी श्रीमती गुलाबी देवी को रु. 2 लाख का भुगतान किया गया है। रिपोर्ट में आगे खुलासा किया गया है कि अपराध संख्या 108/2015 यू 3 एस / 344/370/374 आर / डब्ल्यू 34 आईपीसी, बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम की धारा 16,17,18, किशोर न्याय की धारा 23–26 अधिनियम और एससी / एसटी (पीओए) अधिनियम की धारा 3 के मामले में चार्जशीट पेश की गई है।

bl ekey e dy yxHkx 16 luokb;k gb rFkk ekuuh; vk;kx u tkpny dh fjikV d vfrfjä yxHkx 70 nLrko tk dk voykdu dj vkn'k ikfjr fd, A D;kfd ekeyk vR;fèkd xHkhj ç—fr dk Fkk blfy, bl ekuuh; vk;kx dh i.k ihB d le{k j[kk x;kA i.k ihB u viu vkn'k fnukd 17-06-2019 dk vU; ckrk d vykok ;g mYyf[kr fd;k कि आयोग ने समय–समय पर बंधुआ मजदूरों को राहत और पुनर्वास पर अपनी विभिन्न कार्यवाही में इस मामले पर विचार किया और पाया कि सभी अवमुक्त किये 33 बंधुवा श्रमिकों को उन्हें मिल सकने वाली राशि एवं अन्य राहत उपलब्ध करा दी गई है इसलिए इस मामले को बंद किया जाता है।

इस प्रकार एक सामाजिक संगठन की जागरूकता और सक्रियता एवं माननीय आयोग के द्वारा उठाये गए समयोचित कदमों के कारण से 33 बंधुवा मजदूरों को मुक्त करा कर उनके घर भेजा जा सका, उनकी मजदूरी और अन्य राहत के रूप में एक सम्मानजनक राशि दिलाई जा सकी, मृतक श्रमिक के परिवार को मुवावजा दिलाया गया, तथा दलालों सहित नियोक्ता कम्पनी को कानून के हवाले किया जा सका। सत्यमेव जयते।

(आयोग का केस नंबर ८५८/१०/३/२०१५–बी एल)

सर्वे भवन्तु सुखिनः

खण्ड–IV

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की महत्त्वपूर्ण अनुसंधाान परियोजनाएं

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, संरक्षण और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत स्थानीय शिकायत समितियों की स्थिति एवं कार्य पद्धति तथा कार्यबल में महिलाओं के बीच जागरुकता स्तर

अनुवाद : अजीत सकलानी•

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार के संयुक्त तत्वावधान में एक अनुसंधान परियोजना "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, संरक्षण और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत स्थानीय शिकायत समितियों की स्थिति एवं कार्यपद्धति तथा कार्यबल में महिलाओं के बीच जागरुकता स्तर" शीर्षक से चलाई गई। इस अध्ययन हेतु प्रमुख अनुसंधानकर्ता के रूप में डॉ. चारूवली खन्ना, अध्यक्ष, एसएएफएमए को चुना गया।

अध्ययन के मुख्य उद्देश्य थे:–

1. स्थानीय शिकायत समितियों (एलसीसी) की भूमिका एवं कार्य पद्धति का अध्ययन तथा व्यवहार्य विकल्पों पर संस्तुतियां देना।
2. जिला अधिकारी द्वारा अपनाए गए सदस्यों को मनोनीत करने की विधि।
3. क्या एलसीसी की संरचना अधिनियम के अनुरूप है।
4. शिकायतें प्राप्त करने पर एलसीसी तथा नोडल अधिकारियों द्वारा अनुसरण की गई प्रक्रिया तथा उनके द्वारा की गई कार्रवाई
5. क्या अपनाई गई प्रक्रिया गरीबों, अशिक्षितों एवं ग्रामीण महिलाओं द्वारा समझने के लिए काफी सरल है।
6. क्या जिला अधिकारी ने यौन उत्पीड़न एवं महिलाओं के अधिकारों के विषय में जागरुकता उत्पन्न करने के लिए धारा 20 के अंतर्गत उपाय किए हैं।

जहां तक अनुसंधान कार्य प्रणाली का संबंध है, प्रमुख अनुसंधानकर्ता (पी.आई.) ने गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों ही प्रकार की कार्यप्रणाली का इस्तेमाल किया है तथा इसके लिए गैर–नमूना सुविधा नमूना तकनीक को अपनाया गया है। यह अध्ययन दिल्ली, हरियाणा एवं ओडिशा में किया गया तथा सभी प्रमुख हितधारकों से साक्षात्कार किया गया जिनमें एलसीसी के अध्यक्ष, सदस्यगण तथा महिलाएं शामिल हैं। अध्ययन का कुल सैम्पल साइज 743 था।

• सहायक निदेशक (हिंदी), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत

vu|lèkku vè;;u dk e|[; fu"d"kZ gSa&

क. सर्वेक्षण की गई कुल 743 महिलाओं में से उत्तरदाताओं में अधिकतर घरेलू नौकरों के रूप में कार्यरत थी (28 प्रतिशत), जबकि दुकानों/रीटेल में काम करने वाली महिलाएं (17 प्रतिशत), श्रमिक महिलाएं (12 प्रतिशत) तथा क्लीनिक में कार्यरत महिलाएं (5 प्रतिशत) बड़ी संख्या में थीं। 38 प्रतिशत महिलाएं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, वकील, ट्यूटर एवं कुरियर सर्विस में तथा सौंदर्य/कार्यक्रम/आतिथ्य उद्योगों में कार्यरत थीं। इनमें से बड़ी संख्या में अशिक्षित महिलाएं घरेलू नौकरानी की श्रेणी की थीं

ख. यह पाया गया कि चूंकि जिला मजिस्ट्रेट के पास अन्य जिम्मेदारियों का बहुत अधिक बोझ है, अतः पीओएसएच अधिनियम के तहत कार्यों का निर्वहन करने के लिए जिला अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति करने से वे इस कार्य के साथ न्याय करने में असमर्थ हो सकते हैं।

ग. कानून के अनुसार एलसीसी गठित करने में विफलता के लिए कोई दायित्व नहीं है। तदनुसार, धारा 26 के अनुसार आईसीसी के गठन में विफल नियोक्ता ₹50,000/– तक के जुर्माने का भुगतान करने की जिम्मेदारी होगी तथा धारा 13,14 एवं 22 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी; परन्तु राज्य पर और न ही जिला अधिकारी पर इस प्रकार की कोई जिम्मेदारी होगी।

घ. एमडब्ल्यूसीडी, पहले से ही गठित एलसीसी को मजबूत करने के बजाय एक वैकल्पिक तंत्र शी–बॉक्स (सेक्सुअल हरास्मेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स) तथा वेबसाइट (www.shebox.nic.in) के साथ सामने आया जिसके वेबपेज में बताया गया है कि शिकायत किस प्रकार दर्ज़ की जाए। महिलाओं में यह धारणा है कि शी–बॉक्स एक ऐसा निवारक तंत्र है जो उन्हें तत्काल राहत देगा। हालांकि, कड़वी सच्चाई यह है कि शी–बॉक्स राज्य/जिले में विद्यमान एलसीसी को शिकायत अग्रेषित करता है तथा अंततः लगभग 6 महीने बाद शिकायत एलसीसी में पहुंचती है।

vè;;u ls fudyh dN egÙoi.kZ flQkfj'ksa bl Ádkj gSa&

क. एलसीसी के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों को एक मानकीकृत प्रशिक्षण अवश्य दिया जाना चाहिए ताकि सुनिश्चित हो सके कि वे इस बात से अवगत हैं कि बदमाशी और गलत व्यवहार के बीच अंतर सहित कैसा व्यवहार यौन उत्पीड़न होता है तथा शिकायत का निपटान करने की प्रक्रियाओं संबंधी अनुदेशों से भी अवगत है।

ख. सरपंच को शिकायतें एकत्रित एकत्रित करने के लिए नोडल अधिकारी बनाया जाना चाहिए क्योंकि वह गांव का एक विश्वसनीय एवं निर्वाचित मुखिया होता है।

ग. पीओएसएच अधिनियम, जिसमें स्वीकार्य व्यवहार और सीमा का अतिक्रमण करने के परिणामों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, पर जागरुकता लाने तथा लिंग संवेदीकरण कार्यशालाओं हेतु अलग से बजट आवंटित किया जाना चाहिए।

• • •

2- ekuo rLdjh ds ihfMrksa dk iquokZl % ihfMrksa dks eqvkotk ;kstukvksa dh ÁHkko'khyrk] n{krk ,oa fLFkjrk dk vè;;u

vuqokn % vatfy ldykuh•

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट सोसायटी के सहयोग से डॉ. अनिल कुमार दास, प्रमुख अनुसंधानकर्ता की देखरेख में एक अनुसंधान परियोजना "मानव तस्करी के पीड़ितों का पुनर्वास : पीड़ितों को मुआवज़ा योजनाओं की प्रभावशीलता, दक्षता एवं स्थिरता का अध्ययन" का कार्य किया गया।

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य वीसीएस की प्रभावशीलता, दक्षता एवं स्थिरता की सीमा की जांच करना तथा मानव तस्करी के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए एक उपकरण के रूप में योजना को मजबूत करने के लिए सुझाव देना था।

जहां तक अनुसंधान कार्य प्रणाली का संबंध है, प्रमुख अनुसंधानकर्ता (पी.आई.) ने जरूरत आधारित और पणधारी–विशेष प्रणाली लागू करते हुए गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों ही प्रकार की कार्यप्रणाली का इस्तेमाल किया है। यह अध्ययन राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल पर केन्द्रित था तथा कुल सैम्पल साइज 253 थे।

vè;;u ds eq[; fu"d"kZ fuEufyf[kr gSa&

i. छुड़ाए गए मानव तस्करी के पीड़ितों का प्रोफाइल : अधिकांश कम पढ़े–लिखे, टूटे–फूटे घरों में रहने वाले, दिहाड़ी मजदूरी पर काम करने वाले अथवा कम तनख्वाह वाली नौकरी करने वाले (तीन चौथाई ₹5,000/– अथवा कम मासिक आय सीमा में)। वे अधिकतर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं।

ii. मुआवज़े की स्थिति एवं प्रकृति : वित्तीय मुआवजे तक पहुंच सीमित पाई गई और 3/5 प्रतिशत लोग गैर–प्राप्तकर्ता थे। 88 प्रतिशत मामलों में मुआवजे की राशि केवल ₹20,000/– थी। वीसीएस तक पहुंच केवल 2 प्रतिशत थी।

iii. प्रभावशीलता : वीसीएस के असामान्य रूप से कम कवरेज को देखते हुए इसका उद्देश्य विफल हुआ और इसलिए चुनौतियों को कम करने में यह बहुत प्रभावशील नहीं है। प्रभावशीलता के लिए दो प्रमुख चुनौतियां समय लेने वाली प्रक्रिया तथा मुआवजे की कम राशि हैं।

• सहायक निदेशक (हिंदी), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत

iv. दक्षता : दो साल अथवा उससे अधिक प्रोसेसिंग अवधि, समयबद्धता एवं दक्षता के नकारात्मक पहलू हैं। इसके अलावा, मुआवजे की प्रोसेसिंग करने वाले कर्मचारी हमेशा पीड़ित के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते।

v. fLFkjrk % स्थाई संपत्ति बनाने के लिए अल्प मुआवजा अपर्याप्त होता है।

vi. गैर प्राप्ति की स्थिति गैर–प्राप्तकर्ता पीड़ितों को वीसीएस के बारे में अत्यधिक जानकारी नहीं होती है। बंधुआ मजदूरी के मामले में रिहाई प्रमाण–पत्र तथा एफआईआर की प्रति जैसे दस्तावेज़ों की अनुपलब्धता, मुआवजे के लाभों तक पहुंच को रोक देते हैं।

vè;;u ls fudyh egÙoiw.kZ fLQkfj'ksa %&

i. पीड़ितों को मुआवजा राशि का सार्थक उपयोग करने के लिए सुझाव दिया जाना चाहिए तथा उनकी उद्यमशीलता एवं रोजगार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें संगठनों के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

ii. पीड़ितों के पुनर्वास के लिए अंतरिम मुआवजा दिया जाना चाहिए।

iii. प्रक्रियात्मक दक्षता को ध्यान में रखते हुए, एसएलएसए तथा डीएलएसए को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायालय से सिफारिश अथवा पीड़ित से आवेदन प्राप्त होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करके मुआवजे की राशि दे दी जाए; प्रक्रिया सरल एवं परेशानी रहित हो; तथा पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के तुरन्त बाद अपराध एवं पीड़ित के विषय में सूचना डीएलएसए के साथ साझा करनी चाहिए।

iv. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग वीसीएस के तहत धनराशि के उपयोग पर डाटा प्राप्त करने तथा विश्लेषण करने और योजना को प्रभावी, कुशल, दक्ष एवं टिकाऊ बनाने की दृष्टि से समय–समय पर बाध्यकारी और गैर–बाध्यकारी सलाह भेजने के उद्देश्य हेतु राज्य मानव अधिकार आयोगों के साथ समन्वय करके एक मॉनीटरिंग तंत्र स्थापित कर सकता है।

• • •

ISSN 0973-7588

सर्वे भवन्तु सुखिनः

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

मानव अधिकार भवन, ब्लॉक-सी, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स, आई.एन.ए., नई दिल्ली - 110 023
फोन : +91-11-24651330 फैक्स : +91-11-24651329 वेबसाइट: www.nhrc.nic.in ई-मेल: covdnhrc@nic.in